

उत्कृष्टता के नए शिखर
की ओर गतिमान
Racing towards newer
pinnacles of excellence

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम



Canara Bank

A Government of India Undertaking

Together We Can

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2013-14

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Shri R.K. Dubey
Chairman & Managing Director



श्री अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
Shri Ashok Kumar Gupta
Executive Director



श्री वी. एस. कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri V. S. Krishna Kumar
Executive Director



श्री प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक
Shri Pradyuman Singh Rawat
Executive Director



डॉ. रजत भार्गव
भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक
Dr. Rajat Bhargava
Director Representing Government of India



श्रीमती मीना हेमचंद्रा
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक
Smt. Meena Hemchandra
Director Representing Reserve Bank of India



श्री जी. वी. सांबसिव राव
कार्यगार कर्मचारी निदेशक
Shri G. V. Sambasiva Rao
Workmen Employee Director



श्री जी. वी. मणिमरान
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Shri G. V. Manimaran
Officer Employee Director



श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा
समयी संघाकार वर्ग के तहत अंशदात्मिक
अनधिकारीक निदेशक
Shri Sunil Hukumchand Kocheta
Part-time Non-Official Director under
Chartered Accountant Category



श्री सुतानु सिन्हा
अंशदात्मिक अनधिकारीक निदेशक
Shri Sutanu Sinha
Part-time Non-Official Director



श्री साईराम बी. मोचरला
अंशदात्मिक अनधिकारीक निदेशक
Shri Sairam B. Mocherla
Part-time Non-Official Director



श्री रजिन्दर कुमार गोयल
शेयरधारक निदेशक
Shri Rajinder Kumar Goel
Shareholder Director



श्री संजय जैन
शेयरधारक निदेशक
Shri Sanjay Jain
Shareholder Director



वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014



**ANNUAL REPORT
2013-2014**

वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014

विषयवस्तु

1. नोटिस	4
2. प्रगति की एक झलक	16
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2013-2014	17
• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	18
• केनरा बैंक वर्ष 2013-14 में	24
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	70
• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	73
4. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	75
5. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	101
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	126
7. एकल वित्तीय विवरण	
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	129
• तुलन पत्र	132
• लाभ व हानि खाता	133
• तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	134
• लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	142
• लेखांकन नीतियाँ	144
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	153
• स्तंभ 3 (बासेल II) प्रकटन	198
• स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन	236
• नकद प्रवाह विवरण	334
8. समेकित वित्तीय विवरण	
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	337
• समेकित तुलन पत्र	340
• समेकित लाभ व हानि खाता	341
• समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	342
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	349
• लेखांकन नीतियाँ	351
• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	364
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	377
9. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का शेयरधारकों को संबोधन	379
10. निक्षेपागार (डीपी) सेवा केन्द्रों की सूची	380
11. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	381
12. प्रॉक्सी फार्म	383

ANNUAL REPORT 2013-2014

CONTENTS

1. NOTICE	4
2. PROGRESS AT A GLANCE	16
3. DIRECTORS' REPORT 2013-2014	17
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	18
• CANARA BANK IN 2013-2014	24
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	70
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	73
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT	75
5. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	101
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	126
7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	129
• BALANCE SHEET	132
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	133
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	134
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	142
• ACCOUNTING POLICIES	144
• NOTES ON ACCOUNTS	153
• PILLAR 3 (BASEL II) DISCLOSURES	198
• PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES	237
• CASH FLOW STATEMENT	334
8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	337
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	340
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	341
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	342
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	349
• ACCOUNTING POLICIES	351
• NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	364
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	377
9. CHAIRMAN & MANAGING DIRECTORS' ADDRESS TO SHARE HOLDERS	379
10. LIST OF DP SERVICE CENTRES	380
11. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	382
12. PROXY FORM	384

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, 21 जुलाई 2014 को 3.30 बजे सभागृह – 1, निमहंस, कंवेंसन सेंटर, होसूर मेन रोड, होम्बेगोडा नगर, बेंगलूर – 560 029 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. "यथा 31 मार्च 2014 को बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे पर, तुलन पत्र व लेखों पर लेखा तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा अनुमोदन व अंगीकृत करना"
2. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना ।
3. निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया गया तो संशोधन सहित या रहित उसे पारित करना :

" संकल्प किया जाता है कि "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("आर बी आई"), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("सेबी") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकरणों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण

NOTICE

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Monday, the 21st July, 2014 at 3.30 P.M. at Auditorium-1, NIMHANS CONVENTION CENTRE, Hosur Main Road, Hombegowda Nagar, Bangalore – 560 029 , to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2014, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare final dividend for the financial year 2013-14.
3. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed

करार के अधीन, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद "निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं, को विनिर्दिष्ट करते हुए) जो वर्तमान ₹ 461.26 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के साथ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की निर्धारित प्राधिकृत पूंजी सीमा ₹ 3000 करोड़ के भीतर होगी या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता पूंजी 51% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी

to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, upto such amount/s (as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs. 461.26 crore will be within Rs. 3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना या कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, अधिमांसी इश्यू और/या निजी प्लेसमेंट के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।

आगे संकल्प किया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।

आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण के समझौते के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, Employee Stock Purchase Scheme or Employee Stock Options Scheme, Private Placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the

अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर इक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनिमय योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि **क्यू आई बी आई सी डी आर विनियमावली** के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई पी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी पूंजी का 51% प्रतिशत से कम धारित न करता हो।

आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में

- क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।
- ख) बैंक आई सी डी आर विनियम के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसरण में निम्नतम मूल्य के अधिकतम पाँच प्रतिशत बट्टे पर शेयर प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है।
- ग) प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार होगी।

आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए इक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।

Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”



आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली ढण्जेके अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।

आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर / प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलों और चीजों और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों/ बैंकरों/ हामीदारों/ निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आवंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ अधिपत्रों का प्रयोग/प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any),

या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटारा किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन मांगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक/कों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशों के द्वारा



आर के दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक: 04.06.2014

face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By Order of the Board of Directors



R K DUBEY
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Place : Bengaluru
Date : 04-06-2014

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य :

प्रदत्त पूँजी जुटाने और निदेशकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् 16 जुलाई 2014 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् 16 जुलाई, 2014 को या वह दिन समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है।

4. पंजीकरण :

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में दिनांक 21 जुलाई 2014 को अपराह्न 02.30 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें।

5. उपस्थिति पर्ची :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/ प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital is annexed below.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 16th July, 2014.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 16th July, 2014.

4. REGISTRATION :

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 2.30 p.m. on Monday, the 21st July, 2014 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their

करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक / प्रोक्सिधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु 5 जुलाई 2014 से 21 जुलाई 2014 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क :

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

**यूनिट : केनरा बैंक, प्लॉट संख्या 17-24, विठ्ठल राव नगर,
माधापुर, हैदराबाद- 500 081**

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें।

7. बहियों को बंद करना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु 5 जुलाई 2014 से 21 जुलाई 2014 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

8. लाभांश का भुगतान :

बोर्ड ने पहले ही घोषित/ जनवरी 2014 में प्रदत्त ₹6.50 प्रति

signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.**

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd

**Unit : Canara Bank, Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar
Madhapur, HYDERABAD – 500 081**

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Saturday, the 5th July, 2014 to the Monday, the 21st July, 2014 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of ascertaining shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.

8. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Board has recommended a Final Dividend of

इक्विटी शेयर (65%) के अंतरिम लाभांश के साथ पूरे वर्ष के लिए ₹11 प्रति इक्विटी शेयर (110%) के लाभांश को लेते हुए वर्ष 2013-14 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹4.50 के लाभांश (45%) की अनुशंसा की है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम शेयरधारकों के रजिस्टर या यथा शुक्रवार, 4 जुलाई 2014 को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में हैं और उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजा/ लाभांश राशि को जमा किया जाएगा।

9. फोलियो का समेकन :

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों यानि की वर्ष 2006-07 से 2013-14 का लाभांश प्राप्त नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डूप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बैंक वर्ष 2002-03 से 2005-06 के लिए दावा न किए गए / अप्रदत्त लाभांशों के अंतरण की प्रक्रिया में है।

₹ 4.50 per equity share (45%) for the year 2013-14, taking the full year's dividend to ₹11/- per equity share (110%) including an interim dividend of ₹ 6.50 per equity share (65 %) already declared / paid in January, 2014. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on Friday, the 04th July, 2014 and the Dividend Warrants shall be dispatched/ Dividend amount credited within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2006-07 to 2013-14 (Interim), are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividends for the years from 2002-03 to 2005-06 to the said fund.

11. वार्षिक रिपोर्ट :

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की पूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक उसका पठनीय वर्शन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

13. ई-वोटिंग :

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मद्दों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना/नोटिस भेजा जा रहा है।

14. बैठक में मतदान :

कार्यसूची के सभी मद्दों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मद्दों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान के नतीजों के बाद अध्यक्ष बैठक को समाप्त घोषित करेंगे। ई-वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य :

1. बैंक की चालू इक्विटी पूंजी ₹ 461.26 है तथा यथा 31 03 2014 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.63 % है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% की तुलना में काफी अच्छी है। तथापि विस्तार करने की बैंक की कुछ योजनाओं और बासल लल्ल मानदंडों कार्यान्वयन और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के आलोक में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और भी बढ़ाने की ज़रूरत है।

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-VOTING:

The Bank is pleased to provide e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication / Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

14. POLL AT THE MEETING:

After all the agenda items have been discussed, the Chairman will order Poll in respect of all the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹461.26 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2014 is 10.63 %, which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

2. अनुमानित वृद्धि के आधार पर हमारे निदेशकों ने पूंजी बढ़ाने और बैंक के सामान्य कारोबार उद्देश्यों के लिए पूंजी का इस्तेमाल किए जाने का निर्णय लिया है।

3. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2बी) (सी) के अनुसार चुकता पूंजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पूर्वानुमान प्राप्त करेगा।

4. सूचीकरण करारनामे की धारा 23 की उप धारा (क) में प्रावधान है कि बैंक द्वारा आगे जब कभी कोई प्रस्ताव या निर्गम किया जाता है, यदि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न लें, उसे यथानुपात मौजूदा शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जाए। उक्त संकल्प यदि पारित हो जाता है तो बैंक की ओर से निदेशक मंडल को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर निर्गम के अलावा भी प्रतिभूति जारी और आबंटित करने दिया जाएगा।

5. यह संकल्प, सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस)/ईएसओपी द्वारा ईक्विटी शेयर/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियाँ प्रदान करने, जारी करने एवं आबंटित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाएगा। इश्यू की आगम राशि से बैंक समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा।

6. यह संकल्प, आई सी डी आर विनियमावली में पारिभाषित अनुसार अर्ह संस्थागत खरीदारों के यहाँ अर्ह संस्थागत प्लेसमेन्ट करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार के अधीन शेयरधारकों से नये अनुमोदन प्राप्त किये बगैर बैंक के लिए निधियाँ जुटाने हेतु आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में निर्धारित तंत्र को भी अपना सकता है।

आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार क्यू आई पी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन "संबद्ध तिथि" के पूर्ववर्ती दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सेचेंज में कोट किये गये शहरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न औसत दरों से कम नहीं होने वाली दर पर किया जा सकता है। "संबद्ध तिथि" अर्थ पी ओ आई पी निर्गम पर बोर्ड या समिति की बैठक आयोजित तिथि होगा।

7. अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") के साथ अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) सहित विभिन्न विकल्पों के तहत पूंजी जुटाने के लिए बैंक की 9वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य सभा का अनुमोदन प्राप्त किया गया। दिशनिर्देशों के अनुसार ऐसे अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) के लिए संकल्पों की वैधता

2. Based on the growth estimates your Directors have decided to raise capital and the enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for increasing the paid up capital of the Bank.

4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

5. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on Public offer, Rights Issue, Employee Stock Purchase Scheme (ESPS)/ESOP. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

7. The approval of the General Body at the 9th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including QIPs with QIBs was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to one year for such QIPs.

एक वर्ष तक सीमित रहेगी। चूँकि बैंक ने यह निर्गम पिछले वर्ष के दौरान जारी किया है, सामान्य बैठक का अनुमोदन दुबारा मांगा जाता है।

8. प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों को सलाहकार, लीड प्रबंधक और हामीदार एवं ऐसे अपेक्षित अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाएगा
9. चूँकि प्रस्ताव का मूल्यनिर्धारण बाद में कभी भी किया जा सकता है, जारी किये जानेवाले शेयर का मूल्य बताना संभव नहीं है। किंतु वह, समय समय पर यथा सशोधित आई सी डी आर विनियमावली, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 अथवा अन्य किसी दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमति के प्रावधानों के अनुसार होगा जोकि लागू हो अथवा अपेक्षित हो।
10. उक्त कारणों से, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए निदेशक मंडल को पर्याप्त लचीलापन एवं निर्णयाधिकार प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।
11. जारी किये गये ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समतुल्य होंगे।

इसके लिए बैंक को विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करनी होती है। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल नोटिस में कथित अनुसार विशेष संकल्पों को पारित करने के लिए सिफारिश करता है।

बैंक में उनके शेयरधारण की हद के परे बैंक का कोई भी निदेशक उपर्युक्त प्रस्तावों में हित नहीं रखता।

Keeping in view the future requirements (as denoted in para 1 above), the approval of the General Body is sought once again.

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
11. The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.


None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

निदेशक मंडल के आदेशों के द्वारा

By Order of the Board of Directors



राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



R. K. DUBEY
Chairman and Managing Director

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 04-06-2014

Place : Bangalore
Date : 04-06-2014

प्रगति की झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ / Amt. ₹ Crore)

	2011-12	2012-13	2013-14
प्रदत्त पूँजी / Paid-up Capital	443	443	461
आरक्षित निधियाँ / Reserves	22247	24435	29159
कुल जमाएं / Aggregate Deposits	327054	355856	420723
वृद्धि (%) / Growth (%)	11.46	8.81	18.23
अनिवासी जमाएं / Non-Resident Deposits	13762	17164	22984
विदेशी कारोबार / Foreign Business Turnover	144662	143795	166036
अग्रिम (निवल) / Advances (Net)	232490	242177	301067
वृद्धि (%) / Growth (%)	10.04	4.17	24.32
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	24782	23084	33529
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	67383	78998	97762
कृषि / Agriculture	31946	40786	48797
कृषि (संवितरण) / Agriculture(Disbursal)	27327	33730	41667
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम / Micro, Small and Medium Enterprises	34893	37016	50040
डी आर आई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	58	67	145
अजा / अजजा ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	4293	5179	6102
निर्यात साख / Export Credit	10382	10067	11854
कुल आय / Total Income	33778	37231	43480
कुल व्यय / Total Expenditure	27835	31341	36684
परिचालन लाभ / Operating Profit	5943	5890	6796
निवल लाभ / Net Profit	3283	2872	2438
शाखाओं की संख्या / Number of Branches	3600	3728	4755
एटीएम की संख्या / Number of ATMs	2858	3526	6312
ग्राहक आधार (करोड़ में) / Clientele (In Crore)	4.20	4.70	5.55
कुल कर्मचारियों की संख्या / Total Number of Staff	42272	42693	48794
प्रारंभ से गठित स्वयं सहायता समूह (लाख में) / Self Help Groups formed since inception (In Lakh)	3.71	3.98	4.24
मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूँजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	13.76	12.40	10.63
प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earnings Per Share (₹)	74.10	64.83	54.48
बही मूल्य (₹) / Book Value (₹)	429.51	490.56	522.76
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़) / Business Per Employee (₹ Crore)	13.74	14.20	14.42
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख) / Profit Per Employee (₹ Lakh)	8.21	6.96	5.00
औसत आस्तियों पर रिटर्न / Return on Average Assets	0.95	0.77	0.54
लागत-आय अनुपात / Cost-Income Ratio	44.02	46.61	47.22
सकल एन पी ए अनुपात / Gross NPA Ratio	1.73	2.57	2.49
निवल एन पी ए अनुपात / Net NPA Ratio	1.46	2.18	1.98
साख- जमा अनुपात / Credit - Deposit Ratio	71.09	68.05	71.56
प्राथमिकता साख- समायोजित निवल बैंक साख / Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	33.45	35.30	42.52



निदेशकों की रिपोर्ट

2013-2014

DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट: 2013-14

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 45वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

I. वित्तीय परिवेश

2013-14 आर्थिक मंदी का लगातार तीसरा वर्ष है जिसमें लगातार सात तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि 5% पर रही। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किये गये अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए जीडीपी वृद्धि पिछले वर्ष की 4.5% की तुलना में थोड़ी बढ़त के साथ 4.7% अनुमानित है। कृषि क्षेत्र की उच्च वृद्धि 4.7% (1.4% पिछला वर्ष) व उद्योग क्षेत्र दो वर्षों से स्थिर रहा तथा 0.4% (1%) वृद्धि प्राप्त की। सेवा क्षेत्र में निम्नवृद्धि दर 6.8% (7%) रही। उद्योग क्षेत्रों के तहत बिजली, गैस और जल आपूर्ति ने 5.9% (2.3%), निर्माण क्षेत्र ने 0.7% (1.1%) की कमी दर्ज की। सेवा क्षेत्र, व्यापार, होटल, परिवहन व संचार ने 3% (5.1%) की वृद्धि दर्ज की, बीमा वित्तीयन, स्थावर संपदा व कारोबार सेवाओं ने 12.9% (10.9%) की वृद्धि दर्ज की तथा समुदाय, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा ने 5.6% (5.3%) की वृद्धि दर्ज की।

वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति मॉडरेट रहा। वर्ष 2013-14 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) व थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) दोनों के तहत वार्षिक औसत पिछले वर्ष की 10.21% व 7.35% की तुलना में क्रमशः 9.49% व 5.96% रहा। वर्ष के दौरान समग्र मुद्रा स्फीति उर्जित पटेल समिती द्वारा निर्धारित से थोड़ी अधिक रही तथापि भा.रि.बै. के आश्वासन स्तर से अधिक रही।

वर्ष के दौरान विदेशी व्यापार क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव बना रहा। वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महा निदेशालय से जारी किए गए अनंतिम डाटा के अनुसार, अप्रैल-मार्च 2013-14 के दौरान भारत के माल का निर्यात 4% बढ़कर 312 बिलियन यूएस \$ हो गया, जो वैश्विक अनिश्चितताओं तथा प्रमुख विदेशी बाजारों से कमजोर बाहरी मांग के कारण वर्ष के लिए निर्धारित की गई 325 बिलियन यूएस \$ की लक्ष्य से कम है। आयात मुख्यतः सोने व चाँदी के आयात पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण 8.1% की कमी के साथ 451 बिलियन यूएस \$ रहा। व्यापार घाटा वर्ष 2012-13 की 190 बिलियन यूएस \$ की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान कम होकर 139 बिलियन यूएस \$ रहा। परिणामतः देश का चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के 4.8% की तुलना में काफी कम हो कर लगभग सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के 1.7% के आस पास रहा।

DIRECTORS' REPORT: 2013-14

The Board of Directors have pleasure in presenting the 45th Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2014 and Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2014.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ECONOMIC ENVIRONMENT

2013-14 was the third consecutive year of economic slowdown, with GDP growth staying sub-5% for seven successive quarters. As per the provisional estimates released by the Central Statistical Organization (CSO), GDP growth was estimated at 4.7% for 2013-14, slightly higher compared to 4.5% recorded last year. While agriculture and allied activities grew higher at 4.7% (1.4% last year), industry growth stagnated for 2 years and grew by 0.4% (1%). Growth in services sector was a tad lower at 6.8% (7%). Under industry segments, while electricity, gas and water supply grew by 5.9% (2.3%), manufacturing sector declined by 0.7% (1.1%). Under services segments, trade, hotels, transport and communication grew by 3% (5.1%), financing, insurance, real estate and business services grew by 12.9% (10.9%) and community, social and personal services grew by 5.6% (5.3%).

The inflation rate has moderated during the year. The annual averages under both Consumer Price Index (CPI) and Wholesale Price Index (WPI) softened to 9.49% and 5.96% respectively in 2013-14 compared to 10.21% and 7.35% last year. Inflation inched towards the glide path set by the Urjit Patel Committee. It was, however, higher than the RBI's comfort levels during the year.

External trade sector witnessed a volatile trend during the year. As per the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), during April-March 2013-14, merchandise exports of India grew by 4% to US\$312 billion lower than the US\$325 billion exports target set for the year, due to sluggish demand from major overseas markets. Imports declined by 8.1% to US\$451 billion, mainly owing to import restrictions imposed on gold and silver. Trade deficit contracted to US\$139 billion in 2013-14 compared to US\$190 billion in 2012-13. Consequently, country's Current Account Deficit (CAD) narrowed considerably to 1.7% of GDP compared to 4.8% last year.

वर्ष के दौरान यूएस फेडरल रिजर्व के मासिक बॉड के निरंतर खरीद कार्यक्रम की घोषणा से वित्तीय बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहा। 28, अगस्त 2013 को रूपया मूल्यहासित होकर 68.36 प्रति डालर के ऐतिहासिक स्तर पर जा पहुंचा। तथापि, सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने के आयात पर रोक लगाए जाने जैसे निवेशक-हितकारी कदमों ने उतार चढ़ाव को सीमित रखा तथा धीरे धीरे विदेशी मुद्रा सुरक्षित भंडार बन पाया। रूपए मार्च 2014 की समाप्ति पर सुधर कर 60.10 प्रति डालर हो गया।

कर्नाटक में आर्थिक परिवेश

कर्नाटक भारत में सर्वाधिक विकासशील राज्यों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचना व जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए विख्यात यह राज्य विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों, प्रख्यात अनुसंधान व विकासशील संस्थाओं व अत्यधिक कुशल मानवशक्ति का केंद्र है। कर्नाटक के आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार, अनुमानित सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) में वास्तविक वृद्धि पिछले वर्ष के 5.3% की तुलना में 5% होगी। केनरा बैंक का उद्गम कर्नाटक राज्य में होने के नाते उसने इस राज्य में अपना मुख्य स्थान बनाये रखा। बैंक, राज्य भर में अपनी 834 शाखाओं तथा 1358 एटीएम के ज़रिए अग्रणी भूमिका अदा करता आ रहा है। बैंक के कुल देशी कारोबार में राज्य का योगदान 16% रहा। राज्य में बैंक का कुल कारोबार ₹107886 करोड़ रहा जिसमें यथा मार्च 2014 को ₹61933 करोड़ जमा और ₹45953 करोड़ अग्रिम रहे।

II. मौद्रिक व बैंकिंग विकास

वर्ष 2013-14 में प्रमुख मौद्रिक समग्रों और नकद आपूर्ति में हुई वृद्धि ने देशी व वैश्विक वित्तीय परिवेश से उत्पन्न होनेवाली परिवर्तनशील नकदी परिस्थितियों को प्रतिबिंबित किया है। वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य मुद्रा स्फीति को रोकना और तरलता प्रबंधन है।

नकद आपूर्ति (एम3) वृद्धि जो वित्त वर्ष के आरंभ में 12.4% था, दिसंबर 2013 के अंत तक बढ़ कर 14.9% हो गया तथा मार्च 2014 की समाप्ति तक 13.5% रहा जो भारतीय रिजर्व बैंक की 13% का सांकेतिक अनुमान से थोड़ी अधिक है।

During the year, financial markets witnessed extreme volatility, with the announcement of the tapering of the monthly bond purchase programme of the US Federal Reserve. On August 28, 2013, rupee depreciated to a historical low of 68.36 per US dollar. However, investor-friendly measures and curb on gold imports undertaken by the Government of India and Reserve Bank of India (RBI) helped in containing the volatility and gradual build up of forex buffers. The rupee recovered to 60.10 per US Dollar by end-March 2014. During the year, primary capital markets also remained subdued.

Economic Environment in Karnataka

Karnataka is one of the progressive States in India. Widely acclaimed for its internationally reputed Information Technology and Bio-technology companies, the State is home to varied industrial activities, leading Research and Development Institutions and a pool of highly skilled manpower. As per the Economic Survey of Karnataka 2013-14, the real growth in Gross State Domestic Product (GSDP) was estimated at 5% for 2013-14 compared to 5.3% last year. Canara Bank, owing its origin to the State, is continuing its key position in the State. The Bank has been playing a leading role in the State through its 834 branches and 1358 ATMs, spread across the State. The State contributes about 16% to total domestic business of the Bank. The total business of the Bank in the State stood at ₹107886 crore, comprising ₹61933 crore under deposits and ₹45953 crore under advances as at March 2014, with a Credit – Deposit (C-D) ratio of 74.2%.

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Growth in key monetary aggregates and money supply in 2013-14 reflected the changing liquidity conditions arising from domestic and global financial environment. The monetary policy stance during the year was primarily to contain inflation and manage liquidity.

Money supply (M3) growth, which was 12.4% at the beginning of the financial year, rose to 14.9% by end-December 2013 and moderated to 13.5% by end-March 2014, slightly higher than RBI's indicative projection of 13%.

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समुच्चय जमा व ऋणों की वृद्धि क्रमशः 14.6% तथा 14.3% हुई जो पिछले वर्ष की समुच्चय जमा व ऋणों की वृद्धि क्रमशः 14.3% व 14.1% के समान स्तर पर रही। ऋण जमा (सी डी) अनुपात यथा 21 मार्च, 2014 को 77.69% के साथ उच्चतम रहा।

बैंकिंग उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तन 1 अप्रैल 2013 से बेसल III मानदंडों के तहत समानांतर रूप से लागू किया जाना था। वर्ष के दौरान निरंतर आर्थिक मंदी तथा बैंक की बढ़ती अनर्जक आस्तियों के कारण आस्ति गुणवत्ता में अत्यधिक तनाव रहा, बैंकों की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई।

वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित नीति संबंधी उपायों की घोषणा की गयी।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 75 आधार बिंदुओं की बढ़ोतरी करके रेपो दर और प्रति रेपो दर को क्रमशः 8% और 7% किया है।
- तदनुसार, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर व बैंक दर को रेपो दर के साथ 100 आधार बिंदुओं के साथ समायोजित करते हुए 9% किया गया।
- वर्ष के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) के 4% पर अपरिवर्तित रखा गया।
- वर्ष के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 23% पर अपरिवर्तित रखा गया।

वर्ष के दौरान रेपो दर और एमएसएफ दर में परिवर्तन

से प्रभावी	रेपो दर %	एमएसएफ दर %
3 मई, 2013	7.25 (-0.25)	8.25 (-0.25)
30 जुलाई 2013	7.25	10.25 (+2.00)
20 सितंबर 2013	7.50 (+0.25)	9.50 (-0.75)
07 अक्टूबर 2013	7.50	9.00 (-0.50)
29 अक्टूबर 2013	7.75 (+0.25)	8.75 (-0.25)
28 जनवरी 2014	8.00(+0.25)	9.00 (+0.25)

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित नीति संबंधी उपायों की घोषणा की गयी।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ उर्जित आर पटेल की अध्यक्षता में गठित दक्ष समिति की कुछ अनुशंसाओं के तहत मौद्रिक नीति संरचना में संशोधन व मजबूत किए जाने को कार्यावित किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं;
- मुद्रास्फीति के मुख्य उपाय के रूप में नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (मिलाकर) लागू किया जाना।

During the year, growth in Scheduled Commercial Banks' (SCBs) aggregate deposits and credit was at 14.6% and 14.3% respectively, almost at the same levels compared to last year's aggregate deposits growth at 14.3% and credit growth at 14.1%. The C-D ratio remained high at 77.69% as on March 21, 2014.

One of the significant developments in the banking industry was the commencement of the parallel run under Basel III norms from 1st April, 2013. Asset Quality of the banking sector came under increased pressure during the year, owing to continued economic slowdown and rising Non-Performing Assets of banks, severely affecting profitability of banks.

The year 2013-14 saw the following changes in the key policy measures announced by the RBI.

- Repo rate and Reverse Repo rate increased by 75 basis points (bps) to 8% and 7% respectively.
- Accordingly, Marginal Standing Facility (MSF) Rate and Bank Rate was aligned 100 bps above repo rate at 9%.
- Cash Reserve Ratio (CRR) was kept unchanged at 4% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) during the year.
- Statutory Liquidity Ratio (SLR) was kept unchanged at 23% during the year.

Changes in Repo Rate and MSF Rate during the year

Effective Since	Repo Rate (%)	MSF Rate (%)
May 3, 2013	7.25 (-0.25)	8.25 (-0.25)
July 30, 2013	7.25	10.25 (+2.00)
September 20, 2013	7.50 (+0.25)	9.50 (-0.75)
October 7, 2013	7.50	9.00 (-0.50)
October 29, 2013	7.75 (+0.25)	8.75 (-0.25)
January 28, 2014	8.00(+0.25)	9.00 (+0.25)

During the year, RBI made the following major policy announcements:

- RBI implemented some of the recommendations of the Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework set up under the Chairmanship of Dr. Urjit R. Patel, including:
 - Adoption of the new CPI (combined) as the key measure of inflation.

- मुद्राविस्फीति के मार्ग की पहचान किया जाना ।
- द्विमासिक मौद्रिक चक्र में प्रवेश ।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत स्थाई रेपो दर पर एक दिन की तरलता में चरण बद्ध तरीके से कम किया जाना तथा सावधि रेपो द्वारा तरलता की मांग में वृद्धि तथा दीर्घ कालिक सावधि रेपो लागू किया जाना ।
- **बेसल III पूंजी विनियम** पर दिशानिर्देशों का 01 अप्रैल 2013 से कार्यावयन जिसमें ऋण मूल्यांकन समायोजन ओटीसी पूंजी जोखिम प्रभार डेरिवेटिव्स को छोड़कर ।
- **आवास: विवेकपूर्ण मानदंड** – सीआरई क्षेत्र के तहत एक उप-क्षेत्र 'सीआरई – आवासिय आवास' जोखिम धारिता व प्रावधानों पर उचित विवेकपूर्ण विनियामक मानदंड के साथ लागू किया जाना प्रस्तावित था ।
- **एसएलआर आवश्यकताओं** पर, बैंक एचटीएम वर्ग के तहत कुल निवेश में 25% की वर्तमान निवेश सीमा से अधिक निवेश कर सकते हैं बशर्ते (ए) अधिकता केवल एसएलआर प्रतिभूति में है तथा (बी) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग में रखी गई कुल एसएलआर प्रतिभूति यथा दूसरे पूर्ववर्ति पक्ष के अंतिम शुक्रवार यानी वर्तमान एस एल आर को अपेक्षा के अनुरूप की उनके डीटीएल का 23% से अधिक नहीं हो ।
- **अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर** – कॉर्पोरेट्स के अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की स्थिति के कारण बैंक के कॉर्पोरेट एक्सपोजर पर जोखिम धारिता व प्रावधानीकरण आवश्यकता को बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया ।
- Explicit recognition of the glide path for disinflation.
- Transition to a bi-monthly monetary policy cycle.
- Progressive reduction in access to overnight liquidity under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) at the fixed repo rate and corresponding increase in access to liquidity through term repos and introduction of longer tenor term repos.
- The guidelines on **Basel III capital regulation** implemented from April 1, 2013, with the exception of Credit Valuation Adjustment (CVA) risk capital charge for OTC derivatives.
- **Housing: Prudential Norms** - It was proposed to carve out a sub-sector of 'CRE-Residential Housing' within the CRE sector, with appropriate prudential regulatory norms on risk weights and provisioning.
- On **SLR requirement**, banks may exceed the present limit of 25% of total investments under the Held To Maturity (HTM) category provided (a) the excess comprises only of SLR securities; and (b) the total SLR securities held in the HTM category is not more than 23% of their DTL as on the last Friday of the second preceding fortnight, i.e., in alignment with the current SLR requirement.
- **Unhedged Foreign Currency Exposure** – proposed to increase the risk weight and provisioning requirement on banks' exposures to corporates on account of the corporates' unhedged forex exposure positions.

प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देश

- सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विकास (एम एसएमईडी) अधिनियम 2006, में वर्णित के अनुसार सूक्ष्म व लघु उद्यम(एमएसई) सेवाएं क्षेत्र में ऋण सीमा ₹20 मिलियन से बढ़ाकर ₹50 मिलियन प्रति उधारकर्ता किया जाना ।
- अप्रत्यक्ष कृषि के तहत वर्गीकृत उर्वरक, कीटनाशक, बीज, पशु चारा, कुकुट चारा, कृषि उपकरण व अन्य इनपुट डीलरों/विक्रेताओं को प्रति ग्राहक बैंक ऋण सीमा ₹10 मिलियन से बढ़ाकर ₹50 मिलियन प्रति उधारकर्ता किया जाना ।
- प्रत्यक्ष कृषि ऋण के तहत वर्गीकृत किये जाने वाले व्यक्तिगत किसान के मामले में तथा अप्रत्यक्ष कृषि ऋण के रूप में कॉर्पोरेट्स, भागीदारी फर्मों व संस्थानों जो कृषि व अन्य संबद्ध कार्यकलापों हेतु गिरवी ऋण (वेयर हाउस रसीद के एवज में ऋण को शामिल करते हुए) सीमा ₹2.5 मिलियन से बढ़ाकर ₹5 मिलियन किया जाना ।
- Increase the loan limit for micro and small enterprises (MSEs) in the services sector, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, from ₹20 million to ₹50 million per borrower.
- Increase the loan limit from ₹10 million to ₹50 million per borrower for bank loans to dealers/sellers of fertilisers, pesticides, seeds, cattle feed, poultry feed, agricultural implements and other inputs which are classified as indirect finance to agriculture; and
- Raise the limit on pledge loans (including against warehouse receipts) from the current limit of ₹2.5 million to ₹5 million for classification as direct agriculture loans in the case of individual farmers and as indirect agriculture loans in the case of corporates, partnership firms and institutions engaged in agriculture and allied activities.

सूक्ष्म व लघु उद्यम:

- इस क्षेत्र की ऋण विकास की निगरानी की वर्तमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तर (शाखा, क्षेत्र, जोन, प्रधान कार्यालय) पर प्रणाली आधारित व्यापक कार्यनिष्पादन प्रबंधन सूचना प्रणाली(एमआईएस) लागू किया जाना जिसका विस्तृत मूल्यांकन नियमित आधार पर किया जाना चाहिए;
- बैंकों में एमएसई ऋण आवेदनों की ई-ट्रैकिंग व निपटान प्रक्रिया की निगरानी हेतु शाखावार, क्षेत्रवार, जोनवार, व राज्यवार स्थिति की जानकारी के लिए एक प्रणाली लागू किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उप-समिति कि सिफारिश के अनुसार बैंकों को प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में स्थिति बैंकों द्वारा अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा सकती है; तथा
- रूग्ण एमएसई इकाईयों के पुनर्वास पर समय से निगरानी रखी जानी है। इस उद्देश्य के लिए उप-समिति की सिफारिश के अनुसार बैंकों को प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में रूग्ण एमएसई इकाईयों के पुनर्वास की प्रगति की स्थिति बैंकों द्वारा अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा सकती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

बैंकों को सूचित किया गया कि वे स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों की सहायता से कैम्प लगा कर सभी पात्र व्यक्तियों के खाते खोलें, वर्तमान खातों या नए खोले गए खातों में आधार संख्या की सिडींग की जाए तथा डीबीटी के कार्यावयन में प्रगति की समीक्षा व निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र लागू किया जाए।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) 2013-16

बैंकों को सूचित किया गया कि वित्तीय समावेशन योजना को नियंत्रण कार्यालय व शाखा स्तर पर अलग-अलग किया जाए।

दामोदरन समिति की सिफारिशें – इंटर सोल प्रभार में एक रूपता – बैंकों को सूचित किया गया कि समरूप निष्पक्ष व पारदर्शी मूल्यन नीति अपनाएं तथा अपनी होम शाखा तथा गैर होम शाखा के ग्राहकों में भेदभाव नहीं करें।

शाखा विस्तार योजना के तहत वित्तीय समायोजन योजना के तहत आवंटित बैंक – रहित ग्रामीण क्षेत्रों में तीन वर्षों की अवधि के दौरान शाखाओं का खोला जाना। वर्ष में बैंक – रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 25% से अधिक शाखाएं खोले जाने पर श्रेय दिया जाएगा जिसे वित्तीय समायोजन योजना (एफ आई पी) के बाद के वर्षों में आगे ले जाया जाएगा।

Micro and Small Enterprises

- Strengthen their existing systems of monitoring credit growth to the sector and put in place a system-driven comprehensive performance management information system (MIS) at every supervisory level (branch, region, zone, head office), which should be critically evaluated on a regular basis;
- Put in place a system of e-tracking of MSE loan applications and monitor the loan application disposal process in banks, giving branch-wise, region-wise, zone-wise and State-wise positions. A format for the purpose will be provided to banks as recommended by the Sub-Committee. The position in this regard may be displayed by banks on their websites; and
- Monitor timely rehabilitation of sick MSE units. A format for the purpose will be provided to banks as recommended by the Sub-Committee. The progress in rehabilitation of sick MSE units should be available on the website of banks.

Direct Benefit Transfer (DBT)

Banks are advised to open accounts for all eligible individuals in camp mode with the support of local government authorities, seed the existing accounts or the new accounts opened with Aadhaar numbers and put in place an effective mechanism to monitor and review the progress in the implementation of DBT.

Financial Inclusion Plan (FIP) 2013-16

Banks are advised to disaggregate the FIPs to the controlling office and branch level.

Recommendations of Damodaran Committee - Uniformity in Intersol Charges - Banks are advised to follow a uniform, fair and transparent pricing policy and not discriminate between their customers at home branch and non-home branches.

Under Branch Expansion Plan, front-load the opening of branches in unbanked rural centres over a 3 year cycle co-terminus with the FIP. Credit will be given for branches opened in unbanked rural centres in excess of 25% in a year, which will be carried forward to the subsequent year of the FIP.

रुपया में बचत /सावधि जमाओं पर ब्याज के भुगतान की आवश्यकता, बैंकों द्वारा बचत जमाओं व सावधि जमाओं पर त्रैमासिक अंतराल से कम अंतराल पर ब्याज भुगतान का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

कॉर्पोरेट बॉण्ड में ऋण संवर्धन – बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट को बैंक गारंटी के बदले ऋण सुविधा व तरलता सुविधा प्रदान करके कॉर्पोरेट बॉण्ड में आंशिक ऋण संवर्धन प्रदान किए जाने की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है।

मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा के समय में संशोधन – नवंबर 5, 2013 से यह सुविधा अपराह्न 4.45 से अपराह्न 5.15 बजे के स्थान पर अपराह्न 7.00 से अपराह्न 7.30 बजे तक प्रदान की जाएगी

स्ट्रेस जांच पर दिशानिर्देश 02.12.2013 को जारी किया गया।

प्रबंधन अंतर-समूह संव्यवहारों व एक्सपोजर पर दिशानिर्देशों को 11.02.2014 को जारी किया गया

अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्जीवन की संरचना 26.02.2014 को जारी की गई।

वर्ष 2014-15 के लिए दृष्टिकोण

नकारात्मक विकास जोखिम बने रहने के बावजूद भी वर्ष के दौरान वैश्विक वृद्धि मजबूत होने की संभावना है। निरंतर अमरीकी फेड टैपिंग, यूरो की वित्तीय असंतुलन, चीन के विकास दर में मंदी तथा उभरते बाजार में मुद्रा स्फीति का दबाव व विकासशील अर्थव्यवस्था वैश्विक सुधार की उम्मीद को प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में अनुमानित वैश्विक वृद्धि अप्रैल 2014 को 3.6% और 2015 के लिए 3.9% पर दर्शाया है। वैश्विक वृद्धि आवेग मुख्यतः विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा होगा यद्यपि उनकी वसूली असामान्य रहेगी।

वर्ष 2014-15 में भारत की जी डी पी वृद्धि में सामान्य सुधार प्रत्याशित है। आपूर्ति में दबाव कम होने तथा निवेश पुनर्जीवित होने से विकास की संभावना को मजबूती प्रदान होगी। विकास जोखिम कम होने में कृषि उत्पादन पर एल – निनो मौसम जोखिम कम रहने तथा उद्योग व सेवा क्षेत्र में सुधार शामिल है। तथापि सकारात्मक विकास में अनुकूल बाह्य व्यापार, पूंजी प्रवाह तथा वित्तीय बाजार की स्थिति में सुधार, वित्तीय व चालू खाता घाटे में कमी तथा विकास को गति देने के लिए उठाए गए निरंतर सुधारात्मक उपाय शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2014 में अपनी पहली द्विमासिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी विकास 5-6% के दायरे में रखा है।

Periodicity of Payment of Interest on Rupee Savings/ Term Deposits, it is proposed to give banks the option to pay interest on savings deposits and term deposits at intervals shorter than quarterly intervals.

Credit Enhancements in Corporate Bonds - it is proposed to allow banks to offer partial credit enhancements to corporate bonds by way of providing credit facilities and liquidity facilities to the corporates, and not by way of guarantee.

Revision in the Timing of Marginal Standing Facility - With effect from November 5, 2013, they will be conducted between 7.00 pm and 7.30 pm, instead of between 4.45 pm and 5.15 pm.

Guidelines on Stress Testing issued on 02.12.2013.

Guidelines on Management of Intra-Group Transactions and Exposures issued on 11.02.2014.

Framework for Revitalization of Distressed Assets in the Economy issued on 26.02.2014.

OUTLOOK FOR 2014-15

Global growth is likely to strengthen during the year, although downside risks to growth persist. Ongoing US Fed tapering, euro financial instability, China's growth slowdown and inflationary pressures in the emerging market and developing economies threaten global recovery prospects. The International Monetary Fund, in its latest World Economic Outlook, April 2014, projected global growth at 3.6% for 2014 and 3.9% for 2015. Global growth impulses will be led mainly by advanced economies, although their recoveries would be uneven.

India's GDP growth is expected to moderately improve in 2014-15. Easing of supply side pressures and revival of investments would strengthen growth prospects. Downside risks to growth include el-nino climatic impact on agricultural output and lack of sustained pick up in industry and services sectors. However, positive developments include favorable external trade, improving capital flows and financial market conditions, reduction in fiscal and current account deficits and continued reform measures from the Government to boost growth. The RBI, in its First Bimonthly Review in April 2014, placed real GDP growth in the range of 5-6%.

बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर निर्भर होगा। बैंकों के सामने 2014-15 में रहनेवाली मुख्य चुनौतियां आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, संवर्धित पुनर्संरचना व प्रावधानिकरण, बेसल III मानदंडों को पूरा करने हेतु पूंजी जुटाना, वित्तीय समावेशन तथा ऋण वृद्धि में निधीयन के लिए आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करना है।

III. वर्ष 2013-14 में केनरा बैंक

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रणी बैंक के रूप में केनरा बैंक ने 2013-14 के दौरान अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए 1027 शाखाएं और 2786 एटीएम जोड़ते हुए यथा मार्च 2014 को शाखाओं की संख्या 4755 तथा एटीएम की संख्या 6312 है। बैंक के ग्राहकों की संख्या 5.5 करोड़ से अधिक है। बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए डिलीवरी चैनल, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा, कर्मचारी ज्ञान तथा नए उत्पाद / सेवा प्रक्रियाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं।

आर्थिक विकास नकारात्मक रहने के परिप्रेक्ष्य में केनरा बैंक ने वर्ष के दौरान खुदरा कारोबार, कासा, आस्ति गुणवत्ता, वसूली व शुल्क आय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

वित्तीय निष्पादन

लाभ तथा लाभप्रदता में बैंक का निष्पादन निम्नानुसार रहा:

बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष की ₹5890 करोड़ की तुलना में 15.4% की बढ़ोतरी के साथ ₹6796 रहा।

पिछले वर्ष की ₹3018 करोड़ की तुलना में ₹4358 करोड़ के उच्चतर प्रावधानों व आकस्मिकताओं के कारण बैंक का निवल लाभ पिछले वर्ष की ₹2872 करोड़ की तुलना में 2013-14 के लिए ₹2438 अर्जित किया।

वर्ष के लिए औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आर ओ ए ए) 0.54% रहा। वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी लाभ ₹5.00 लाख रहा।

The performance of the banking industry would depend on the overall growth of the economy. Major challenges before the banks in 2014-15 would be addressing the issues of deteriorating asset quality, increased restructuring and provisioning, mobilizing capital to meet Basel III norms, financial inclusion and mobilizing requisite resources to fund credit growth.

III. CANARA BANK IN 2013-14


As one of the leading public sector banks in India, Canara Bank during 2013-14, expanded its network by adding 1027 branches and 2786 ATMs, taking the number of branches to 4755 and ATMs to 6312 as at March 2014. The Bank is catering to more than 5.5 crore customers. The Bank continues to invest in delivery channels, IT infrastructure, customer service, business process reengineering, innovative products/ services and staff knowledge to strengthen its position further in the market.

Against the backdrop of deceleration in economic growth, Canara Bank performed better during the year in sync with its major corporate thrust areas, such as, Retail Business, CASA, Asset Quality, Recovery and Fee Income.

FINANCIAL PERFORMANCE

The performance of the Bank on profits and profitability are as under:

Operating Profit and Net Profit (Amt. ₹ Crore)



Operating profit of the Bank increased by 15.4% to ₹6796 crore compared to ₹5890 crore last year.

Due to higher provisions and contingencies from ₹3018 crore last year to ₹4358 crore, the Bank earned a net profit of ₹2438 crore for 2013-14 compared to ₹2872 crore last year.

Return on average assets (RoAA) for the year stood at 0.54%. Profit per employee worked out to ₹5.00 lakh for the year.


मुख्य वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2013	मार्च 2014
निधियों की लागत	6.96	6.80
निधियों पर प्रतिफल	9.05	8.79
जमाओं पर लागत	7.72	7.42
अग्रिमों पर प्रतिफल	11.13	10.54
निवेश पर प्रतिफल	8.12	8.03
एडब्ल्यूएफ पर कीमत लागत अंतर % में	2.09	1.99
निवल ब्याज मार्जिन (निम)	2.40	2.27
एडब्ल्यूएफ पर परिचालन व्यय	1.37	1.35
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.77	0.54
इक्विटी पर प्रतिफल	14.03	10.59
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	14.20	14.42
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	6.96	5.00
बही मूल्य (₹)	490.56	522.76
प्रति शेयर अर्जन (₹)	64.83	54.48

ए डब्ल्यू एफ – औसत कार्यशील निधि

आय व व्यय विश्लेषण

बैंक की ब्याज आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹34078 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 16.1% वृद्धि करते हुए ₹39548 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज आय 16.7% की वृद्धि के साथ ₹28457 करोड़ तक पहुँचा, वहीं निवेश से आय 12.5% की वृद्धि के साथ ₹10251 करोड़ रहा।

बैंक की मुख्य क्षेत्र के अनुकूल ब्याजेतर आय पिछले वर्ष की ₹3153 करोड़ की तुलना में 24.7% की वृद्धि के साथ ₹3933 करोड़ रहा, ट्रेजरी व्यापार लाभ को छोड़कर ब्याजेतर आय 32% की वृद्धि के साथ ₹3269 करोड़ रहा। ब्याजेतर आय के मुख्य क्षेत्र जैसे विनिमय संव्यवहारों



In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income increased by 24.7% to ₹3933 crore compared to ₹3153 crore recorded last year. Excluding treasury trading profit, non-interest income rose by 32% to ₹3269 crore. Major segments of the non-interest income like

Key Financial Ratios (%)	March 2013	March 2014
Cost of Funds	6.96	6.80
Yield on Funds	9.05	8.79
Cost of Deposits	7.72	7.42
Yield on Advances	11.13	10.54
Yield on Investments	8.12	8.03
Spread as a % to AWF	2.09	1.99
Net Interest Margin (NIM)	2.40	2.27
Operating Expenses to AWF	1.37	1.35
Return on Avg. Assets (RoAA)	0.77	0.54
Return on Equity	14.03	10.59
Business per Employee (₹ Crore)	14.20	14.42
Profit per Employee (₹ Lakh)	6.96	5.00
Book Value (₹)	490.56	522.76
Earnings per Share (₹)	64.83	54.48

AWF - Average Working Funds

Income and Expenditure Analysis

The Bank's interest income recorded a y-o-y growth of 16.1% to reach ₹39548 crore compared to ₹34078 crore last year. While interest from loans and advances increased by 16.7% to ₹28457 crore, interest from investments rose by 12.5% to ₹10251 crore.

से लाभ 44% की वृद्धि के साथ ₹670 करोड़, कमीशन व विनिमय ₹940 करोड़ (18%) बढ़े खाते में वसूली ₹425 करोड़ (41%), सरकारी कारोबार व बैंक एश्योरेंस ₹138 करोड़ (20%), तथा सेवा प्रभार व अन्य विविध कमीशन ₹1097 करोड़ (37%) रहा।

ब्याजेतर आय की हिस्सेदारी कुल आय की पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% के मुकाबले 2013-14 के लिए 9% रही।

बैंक ने उच्च पर लागत की जमाओं को काफी कम किया है। जिसके परिणाम से बैंक की जमाओं पर लागत 30 आधार बिन्दु के साथ 7.42% कम हुआ। उद्योग की प्रवृत्ति के अनुसार अग्रिमों पर प्रतिफल पिछले वर्ष की 11.13% की तुलना में यथा मार्च 2014 को घट कर 10.54% रह गई। ब्याज कीमत लागत, मूल्य व प्रतिफल अंतर 1.99% रहा।

जहां बैंक का ब्याज व्यय 16.8% बढ़कर ₹30603 करोड़ तक बढ़ा, वहीं परिचालन व्यय 18.3% बढ़कर ₹6081 करोड़ तक बढ़ा।

निवल ब्याज आय, प्रदत्त व्याज व बैंक द्वारा अर्जित ब्याज पिछले वर्ष की ₹7879 करोड़ की तुलना में 13.5% की वृद्धि के साथ ₹7879 करोड़ रहा। निवल ब्याज मार्जिन (निम) जो पहले तीन तिमाहियों में 2.21% के आस पास थे उनमें सुधार दर्ज हो कर यथा मार्च 2014 को 2.27% तक जा पहुंचा।

पूँजी तथा आरक्षित निधियाँ

यथा मार्च 2013 की निवल मालियत ₹21732 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2014 की निवल मालियत ₹23394 करोड़ बनी है। प्रदत्त पूँजी ₹461.26 करोड़ रहा, आरक्षित निधियाँ और अधिशेष ₹29159 करोड़ तक बढ़ी है।

भारत सरकार ने 31.12.2013 को 1.83 करोड़ इक्विटी शेयरों के

profit from exchange transactions grew by 44% to ₹670 crore, commission and exchange at ₹940 crore (18%), recovery from written off accounts at ₹425 crore (41%), Government Business and bancassurance at ₹138 crore (20%) and service charges and other miscellaneous commission at ₹1097 crore (37%).

The share of non-interest income to total income increased from last year level of 8.5% to 9% for 2013-14.

The Bank has substantially shed high cost deposits. As a result of which, the Bank's cost of deposits reduced by 30 bps to 7.42%. In line with the industry trends, the yield on advances declined to 10.54% as at March 2014 compared to 11.13% last year. Interest spread, the difference between cost and yield, was at 1.99%.


While the Bank's interest expenses increased by 16.8% to ₹30603 crore, operating expenses grew by 18.3% to ₹6081 crore.

The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, increased by 13.5% to ₹8944 crore compared to ₹7879 crore last year. Net Interest Margin (NIM), which stayed at around 2.21% in the first three quarters, improved to 2.27% as at March 2014.

Capital and Reserves

Networth of the Bank, as at March 2014 increased to ₹23394 crore compared to ₹21732 crore as at March 2013. While total paid-up capital of the Bank was ₹461.26 crore, reserves and surplus increased to ₹29159 crore.

Govt. of India infused ₹500 crore capital in the Bank by way of preferential allotment of 1.83 crore equity shares



अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक में ₹500 करोड़ की पूंजी का प्रवाह किया। उपरोक्त के परिणाम से भारत सरकार की बैंक में शेयर धारिता 67.72% के पूर्व स्तर से बढ़ कर 69% तक हो गई। वर्ष के दौरान, बैंक ने बेसल III टायर II बॉण्ड के अनुपालन में ₹2500 करोड़ तक बढ़ाया।

रकम (₹ करोड़ में)

पूंजी संरचना	मार्च 2013 बेसल III	मार्च 2014 बेसल III
जोखिम धारित आस्तियां	243348	312226
सीईटी I	-	23132
सीईटी I (%)	-	7.41
एटी I	-	859
एटी I (%)	-	0.27
टायर I पूंजी	23776	23991
सीआरएआर (%) (टायर I)	9.77	7.68
टायर II पूंजी	6388	9205
सीआरएआर (%) (टायर II)	2.63	2.95
सकल पूंजी	30164	33196
सीआरएआर (%)	12.40	10.63

यथा मार्च 2014 को पूंजी पर्याप्तता विनियामक 9% की आवश्यकता के मुकाबले 10.63% रही। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के तहत सीईटी I अनुपात 5% की आवश्यकता के मुकाबले 7.41% तथा टायर I पूंजी अनुपात 5% की आवश्यकता के मुकाबले 7.68% रहा। कारोबार में वृद्धि की गति में तेजी लाने के लिए टायर I और टायर II के ज़रिए पूंजी जुटाने के लिए बैंक के पास अब भी पर्याप्त गुंजाइश है।

शेयर धारक का मूल्य

बैंक के बही मूल्य में निरंतर वृद्धि होती रही है। पूर्व वित्तीय वर्ष की ₹490.56 की तुलना में यथा मार्च 2014 को और अधिक बढ़ कर ₹522.76 तक जा पहुंचा। बोर्ड के निदेशक मंडल द्वारा 45% के अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई है, जिससे पूरे वर्ष का लाभांश 110% हो जाएगा इसमें जनवरी 2014 में घोषित 65% लाभांश भी शामिल है।

on 31.12.2013. on account of the above, the Government of India's shareholding in the Bank increased to 69% from the earlier level of 67.72%. During the year, the Bank also raised ₹2500 crore Basel III compliant Tier II bonds.

(Amt. ₹ Crore)

Composition of Capital	March 2013 Basel II	March 2014 Basel III
Risk Weighted Assets	243348	312226
CET I	-	23132
CET I (%)	-	7.41
AT I	-	859
AT I (%)	-	0.27
Tier I Capital	23776	23991
CRAR (%) (Tier I)	9.77	7.68
Tier II Capital	6388	9205
CRAR (%) (Tier II)	2.63	2.95
Total Capital	30164	33196
CRAR (%)	12.40	10.63

Capital Adequacy Ratio as at March 2014 stood at 10.63% against regulatory requirement of 9%. Within the capital adequacy ratio, CET 1 ratio stood at 7.41% against requirement of 5% and Tier I Capital ratio was at 7.68% against the requirement of 6.5%. Adequate headroom is available under both Tier-I and Tier-II options for the Bank to raise capital in order to support business growth momentum.

Shareholders' Value

There is consistent increase in the Book Value of the Bank. It increased further to ₹522.76 as at March 2014 compared to ₹490.56 for the previous financial. A final dividend of 45% has been recommended by the Board of Directors, taking the full year's dividend to 110%, including 65% dividend already declared in January 2014.

कारोबार संवृद्धि

जमा

पिछले वर्ष की ₹355856 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2014 को बैंक की कुल जमाएं 18.2% वृद्धि दर्ज करके ₹420723 करोड़ तक पहुंची। वर्ष के दौरान बैंक ने जमा का प्रमाणपत्र सहित ₹25681 करोड़ की उच्च लागतवाली जमा राशि को निकाल दिए। परिणामतः उच्च लागतवाली थोक जमाओं का हिस्सा मार्च 2013 के 6.5% से घटकर यथा मार्च, 2014 को 15% हो गया।

बैंक की बचत बैंक (कासा) जमाएं 20% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ यथा मार्च 2014 को ₹103279 करोड़ हुए। देशी जमाओं में कासा का हिस्सा पिछले वर्ष के 25.1% से सुधर कर 25.9% रहा। यथा मार्च 2014 को बचत जमाएं 20.2% बढ़कर ₹85536 करोड़ हुए। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कासा जमाएं जुटाने के लिए देशभर में अभियान चलाए तथा केनरा एसबी-जेन-वाई, केनरा जीवनधारा, केनरा सेविंग्स डिफेंस उत्पाद, केनरा पावर प्लस, केनरा प्रिविलेज, केनरा पे रोल पैकेज योजना, केनरा धनवर्षा आरडी-फ्लेक्स व ऑनलाइन बचत जमा खाता खोलने की सुविधा जैसी नए उत्पाद/सेवाएं लागू की गई। कुल मिलाकर अभियान अवधि के दौरान बैंक ने ₹6774 करोड़ के कारोबार के साथ 51 लाख नए कासा ग्राहकों को जोड़ा।

जमा ग्राहकवर्ग के आधार को बढ़ाई जाने वाली नीति का अनुवर्तन करते हुए, सभी शाखाओं ने कुल 72 लाख से अधिक जमा खातों को जोड़ा, जिससे कुल जमा खातों की संख्या 4.89 करोड़ तक पहुंच गयी।

अग्रिम (निवल)

बैंक ने आस्ति आधार को विविधकृत ऋण संविभाग में अर्थव्यवस्था के उत्पादक खंड जैसे कृषि तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खुदरा, आवास, शिक्षा वाहन व अन्य को शामिल करते हुए कॉर्पोरेट तथा विभिन्न आधारभूत संरचना खंड में विस्तारित किया।

BUSINESS GROWTH

Deposits

Total Deposits grew by 18.2% to reach ₹420723 crore as at March 2014 compared to ₹355856 crore a year ago.

During the year, the Bank shed ₹25681 crore worth high cost deposits. As a result, the share of high cost bulk deposits came down from 15% as at March 2013 to 6.5% as at March 2014.



Current and Savings Bank (CASA)

deposits of the Bank increased by 20% y-o-y to ₹103279 crore as at March 2014. The Bank's CASA deposits to domestic deposits improved to 25.9% from 25.1% last year. Savings deposits rose by 20.2% to ₹85536 crore as at March 2014. To increase CASA deposits, the Bank launched nationwide campaigns and introduced new products/services, like, Canara SB Gen-Y, Canara Jeevandhara, Canara Savings Defence Product, Canara Power Plus, Canara Privilege, Canara Payroll Package Scheme, Canara Dhanvarsha RD-Flex and online savings deposit account opening facility. During the campaign period, the Bank brought in over 51 lakh fresh CASA clientele and about ₹6774 crore CASA deposits in these new accounts.

Pursuing a strategy of expanding deposit clientele, the Bank added 72 lakh deposit clientele during the year, taking the total number of deposit accounts to 4.89 crore.

Advances (Net)

The Bank expanded its asset base to a well diversified productive segments of the economy like Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Retail, including Housing, Education, Vehicle and others, exposure to Corporates and various Infrastructure segments.



बैंक का निवल अग्रिम पिछले वर्ष की ₹242177 करोड की तुलना में ₹301067 करोड पहुंच गया।

यथा मार्च 2014 को बैंक का उधारखाता आधार पिछले वर्ष की 53 लाख से बढ़कर 66 लाख तक बढ़ी।

बैंक का कुल व्यवसाय 20.7% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष की ₹598033 करोड की तुलना में ₹721790 करोड तक पहुंच गया।

प्रति कर्मचारी कारोबार द्वारा मापी जानेवाली उत्पादकता पिछले वर्ष के ₹14.20 करोड की तुलना में ₹14.42 करोड तक बढ़ी।

वर्ष के दौरान बैंक का ग्राहक आधार 85 लाख बढ़ कर पिछले वर्ष के 4.70 करोड की तुलना में 5.55 करोड तक जा पहुंचा।

खुदरा ऋण परिचालन

बैंक के लिए निर्धारित मुख्य क्षेत्र के अनुकूल खुदरा उधारी परिचालन ने वर्ष-दर-वर्ष मजबूत विकास दर्ज किया।

(राशि ₹ करोड में)

खुदरा क्षेत्र	यथा मार्च		वृद्धि	
	2013	2014	प्रमात्रा	(%)
आवास	13134	19684	6550	49.9
वाहन	1913	3099	1186	62.0
अन्य वैयक्तिक	3694	5845	2151	58.2
शिक्षा	4343	4901	558	12.8
सकल खुदरा ऋण	23084	33529	10445	45.2

खुदरा ऋण संविभाग देयता वर्ष-दर-वर्ष 45.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए यथा मार्च 2014 को ₹33529 करोड रहा। विभिन्न खुदरा उधारी योजनाओं के तहत संवितरित रकम ₹18499 करोड रहा। आवास ऋण संविभाग वर्ष-दर-वर्ष 49.9% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹19684 करोड तक बढ़े जो कुल खुदरा ऋण संविभाग की 59% होती है। बैंक के वाहन ऋण व अन्य वैयक्तिक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 62% व 58.2% की वृद्धि हुई।

Advances (Net) of the Bank grew by 24.3% to reach ₹301067 crore compared to ₹242177 crore a year ago.

As at March 2014, the number of borrowal clientele increased to 66 lakh from 53 lakh last year.

Total business of the Bank increased to ₹721790 crore, with a y-o-y growth of 20.7% compared to ₹598033 crore in the previous year.

Productivity, as measured by business per employee, increased to ₹14.42 crore from ₹14.20 crore a year ago.

During the year, the Bank's total clientele base increased by 85 lakh to 5.55 crore from 4.70 crore last year.

Retail Lending Operations

In line with the thrust areas set for the year, the Bank's retail lending operations recorded robust y-o-y growth.

(Amt. ₹ Crore)

Retail Segments	As at March		Growth	
	2013	2014	Quantum	(%)
Housing	13134	19684	6550	49.9
Vehicle	1913	3099	1186	62.0
Other Personal	3694	5845	2151	58.2
Education	4343	4901	558	12.8
Total Retail Loans	23084	33529	10445	45.2

Outstanding retail loans portfolio grew by 45.2% y-o-y to ₹33529 crore as at March 2014. The disbursements under various retail lending schemes amounted to ₹18499 crore. The outstanding housing loan portfolio rose to ₹19684 crore, with a y-o-y growth of 49.9% and accounted for 59% of the total retail lending portfolio. The Bank's Vehicle loans and other personal loans increased by 62% and 58.2% y-o-y respectively.

शिक्षा ऋण

बैंक ने वर्षों भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित किया है। बैंक का शिक्षा ऋण संविभाग को और बढ़ाकर ₹4901 करोड़ किया है। यथा मार्च 2014 को बैंक ने 2.5 लाख छात्रों को ऋण प्रदान किया। शिक्षा ऋणों पर ब्याज अनुदान के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत अनुदान अनुप्रयुक्त करने के लिए बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा ऋण का विस्तार

करने हेतु छात्रों को “विद्या तुरंत” ऑनलाइन तत्काल ऋण मंजूरी सुविधा तथा आम प्रतियोगिता परीक्षा के कॉउंसलिंग प्राधिकारियों को पूर्व भुगतान करने हेतु “विद्या सहाय” एक ब्रिज लोन योजना जैसे अनेक पहल किए हैं।


इनमें नए खुदरा ऋण उत्पाद जैसे उच्च मालियत वाले व्यक्ति, अनिवासी भारतीय (एन आर आई) व कृषकों के लिए आवास ऋण शामिल हैं। देश भर में अभियानों का आयोजन, एक्सपोजे का संचालन प्रतिस्पर्धात्मक दर प्रस्तावित किया जाना, खाति प्राप्त बिल्डरों व कार डीलरों के साथ गठजोड़ व्यवस्था ने बैंक के खुदरा ऋण संविभाग में वृद्धि दर्ज की गई।

कुछ खुदरा आस्ति केन्द्र खोले गए तथा 3 केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाईयों को खुदरा आस्ति केन्द्रों में स्तरोन्नयन किए गए जिससे देशभर के मुख्य केंद्रों में बैंक के 50 खुदरा आस्ति केन्द्र हो गये हैं। बैंक ने मारुती सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के साथ संयुक्त प्रचार व विपणन का सहमति ज्ञापन किया है। बैंक ने कई तकनीकी आधारित पहल जैसे खुदरा उधारी योजनाओं में आवास ऋण देय तिथि व ईएमआई की रकम की जानकारी के लिए मिस्ड कॉल सुविधा व वेब आधारित लिड जेनरेशन प्रणाली लागू की।

कोष

यथा मार्च 2014 को बैंक का समूचा निवेश (निवल) ₹126828 करोड़ रहा। संविभाग संशोधित अवधि पिछले वर्ष के मार्च 2013 के 4.73 से 4.63 तक घट गया। बिक्री (ए एफ एस) संविभाग के लिए उपलब्ध संशोधित अवधि यथा मार्च 2013 की 4.16 से घट कर 3.83 हुई। वर्ष के लिए व्यापारिक लाभ पिछले वर्ष की ₹676 करोड़ की तुलना में ₹664 करोड़ था। निवेशों पर प्रतिफल 8.03% रहा।

Education Loans



Over the years, the Bank has assisted lakhs of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹4901 crore. The Bank has financed around 2.5 lakh students as at March 2014. The Bank is designated as the nodal bank for administering subsidy under the Central Sector Scheme for Interest Subsidy on education loans.

During the year, the Bank launched 'Vidya Turant' - an online instant loan sanction facility to students and 'Vidya Sahay' - a bridge loan scheme for making down payment to Common Entrance Test (CET) counseling authorities at the time of selection/counseling.

Several initiatives were undertaken by the Bank to expand retail credit. These include new retail loan products, viz., Housing Loans to High Networth Individuals, Non-Resident Indians (NRIs) and Agriculturists. Nationwide launching of Campaigns, conduct of Expos, offering competitive interest rates, tie-ups with reputed Builders and Car Dealers boosted Bank's retail loan portfolio.

Five new Retail Asset Hubs were opened and three Central Processing Units (CPUs) were upgraded as Retail Asset Hubs (RAHs), taking total number of RAHs to 50 across major centres in the country. The Bank entered into Memorandum of Understanding (MoU) with Maruti Suzuki India, Tata Motors, Mahindra and Mahindra for joint publicity and marketing. The Bank also undertook several tech-based initiatives like missed call facility for retail lending Schemes, informing due dates and amount of EMIs for housing loans and introduction of web-based lead generation system.

TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank was at ₹ 126828 crore as at March 2014. Portfolio modified duration reduced to 4.63 years from 4.73 years as at March 2013. The modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio reduced to 3.83 years from 4.16 years as at March 2013. The trading profit for the year was ₹664 crore as against ₹676 crore last year. The yield on investments stood at 8.03%.

सरकारी प्रतिभूतियों में बड़े व्यापारी के रूप में बैंक सक्रिय रूप से भाग लेता रहा। हमीदारी वचनबद्धताओं की कुल राशि ₹58487 करोड़ था, जिसमें से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हमीदारी के लिए स्वीकृत वचनबद्धता राशि ₹39219 करोड़ थी। द्वितीय अर्ध-वर्ष के दौरान प्रधान व्यापारी के रूप में वर्ष के दौरान बैंक ने 40% के-न्यूनतम सफलता अनुपात प्रतिशतता की तुलना में 43.18% सफलता अनुपात हासिल किया।

यथा मार्च 2014 को बैंक का समूचे विदेशी कारोबार पण्यवर्त ₹166036 करोड़ रहा जिसमें ₹88800 करोड़ निर्यात, आयातों में ₹39392 करोड़ और प्रेषणों के तहत ₹37844 करोड़ रहे। यथा मार्च 2014 को बैंक का बकाया निर्यात ऋण वर्ष-दर-वर्ष 17.8% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹11854 करोड़ रहा।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

लंदन व लीसेस्टर (यू.के.), हॉगकॉंग व शंघाई (चीन) और मनामा (बहरीन) में एक-एक शाखा तथा शारजाह (यूएई) में प्रतिनिधि कार्यालय के साथ बैंक 6 देशों को प्रावर्तित करती है। इसके अलावा मास्को में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया (एल.एल.सी.) के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम भी परिचालन कर रहा है।

वर्ष के दौरान समस्त विदेशी शाखाओं ने संवर्धित कारोबार कार्यनिष्पादन दर्ज किया। यथा मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पाँच विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार ₹41094 करोड़ रहा। पिछले वर्ष के 4.8% से बढ़ कर 5.7% रहा। समग्र कारोबार बैंक के कुल कारोबार का 5.7% रहा जो कि पिछले वर्ष के 4.8% से बढ़कर 5.7% रहा।

बैंक ने 19.05.2014 को जोहानासबर्ग (साउथ अफ्रिका) में अपनी शाखा खोली तथा जून 2014 के दौरान न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.) में अपनी शाखा खोलने की योजना है। डीआईएफसी (टुबई), कतर वित्तीय केन्द्र (कतर), फ्रांकफुर्ट (जर्मनी), सावो पौलो (ब्राज़ील), दार-ई-सलाम (तानज़ानिया), टोकियो (जापान), अबुजा (नाइजीरिया) और जेद्दाह (साउदी अरेबिया) जैसे 8 अन्य अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों में विस्तारण के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया।

बैंक ने 11 से अधिक के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों - यानी युनाइटेड किंगडम (यूके) में किंग्सबरी, ईस्टर हेम व बर्मिंघम, मेक्सिको सिटी (मेक्सिको), इस्ता-बुल (तुर्की), जकार्ता (इंडोनेशिया) किंगली (स्वांडा), सिंगापुर, ऑकलंड (न्यू जीलैंड) सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) और ओंटारियो (केनाडा)।

बैंक का अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, 79 देशों में फैले 373 प्रतिनिधि बैंकों के व्यापक नेटवर्क द्वारा समर्थित हैं। अनिवासी भारतीयों के विप्रेषणों को चैनलीकृत करने हेतु 32 विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था - की गई है। बैंक द्वारा क्रमशः सेंकेंडमेंट

The Bank continues to be an active player in Government Securities as a primary dealer. The total amount of bids submitted for underwriting was ₹58487 crore, of which, the underwriting commitment accepted by the RBI was ₹39219 crore. During the second half year, the Bank achieved 43.18% success ratio as against minimum success ratio of 40% of its obligation as a Primary Dealer.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹166036 crore, comprising ₹88800 crore under exports, ₹39392 crore under imports and ₹37844 crore under remittances as at March 2014. Outstanding export credit of the Bank increased to ₹11854 crore as at March 2014, with a y-o-y growth of 17.8%.

INTERNATIONAL OPERATIONS

The Bank's overseas operations covered 6 countries, with one branch each at London and Leicester (UK), Hong Kong, Shanghai (China) and Manama (Bahrain), a Representative Office at Sharjah (UAE) and a Joint Venture Bank, viz., Commercial Indo Bank LLC in Moscow, in association with State Bank of India.

All overseas branches recorded improved performance during the year. Total business of the five overseas branches aggregated to ₹41094 crore for the financial year ending March 2014. Overseas Business constituted 5.7% of the Bank's total business, up from 4.8% last year.

The Bank opened a branch at Johannesburg (Republic of South Africa) on 19.05.2014 and launched another branch at New York (USA) on 09.06.2014. The Bank has approval from RBI for expansion in another 8 international centres by March 2015, such as, DIFC (Dubai), Qatar Financial Centre (Qatar), Frankfurt (Germany), Sao Paulo (Brazil), Dar-es-Salaam (Tanzania), Tokyo (Japan), Abuja (Nigeria) and Jeddah (Saudi Arabia).

The Bank has sought RBI's approval for expansion in 11 more international centres, namely, Kingsbury, East Ham & Birmingham at UK, Mexico City (Mexico), Istanbul (Turkey), Jakarta (Indonesia), Kigali (Rwanda), Singapore, Auckland (New Zealand), Sydney (Australia) and Ontario (Canada).

The Bank's international operations are well supported by a wide network of 373 Correspondent Banks, spread across 79 countries. Rupee Drawing Arrangement has been made with 32 Exchange Houses and 14 Overseas Banks for channelizing the remittances of Non-Resident Indians. The Bank has been managing two

तथा प्रबंधन करार के तहत दो विनिमय प्रतिष्ठानों यानी अल रज़ौकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कंपनी, दुबई और इस्टर्न एक्सचेंज एस्टाब्लिशमेंट कतर का कार्य संभाला जा रहा है।

‘रेमिट मनी’ नामक वेब आधारित स्पीड विप्रेषण उत्पाद का विस्तार 31 विनिमय प्रतिष्ठानों और 4 समुद्रपारीय शाखाओं यानी लंदन, लीसस्टर, शंघाई व हांग कांग तक बढ़ाया गया है। वर्ष के दौरान, कुवैत में 1 और विनिमय प्रतिष्ठान के साथ विप्रेषण व्यवस्थाओं के लिए बैंक ने अनुमोदन प्राप्त किया है। युएई में युएई विनिमय केन्द्र एलएलसी के साथ सहयोग से लाभार्थियों (बैंक के खाताधारक) को त्वरित व सुगम विप्रेषणों हेतु तत्कायल खाता जमा सुविधा के लिए भारत में “फ्लैशरेमिट” की सेवा का प्रारंभ किया गया।

अन्य सेवाएं

बैंक के विपणन बैंकिंग प्रभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांड निर्गम के कार्य का निर्वहन किया। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांडों से संग्रहित राशि रु. 107.60 करोड़ रही। वर्ष के दौरान ‘फेयर वैल्युएशन ऑफ ईक्विटी’ के 5 विशेष कार्यों का निर्वहन किया गया।

2 निजी प्लेसमेंट निर्गमों के लिए बैंक ने संग्रहकर्ता बैंकर के रूप में कार्य किया जिसकी कुल राशि रु. 896.51 करोड़ है। नामित शाखाओं द्वारा ब्लाक की हुई राशि (एएसबीए) से समर्थित आवेदन के तहत निर्गत किये गये सार्वजनिक व ऋण निर्गमों की कुल संख्या 93 रही और ब्लाक की हुई राशि ₹32.88 करोड़ रही। एएसबीए के तहत नामित शाखाएं यथा मार्च 2014 को 1874 से बढ़कर 3612 हो गईं।

वर्ष के दौरान समूहन समूह ने परियोजनाओं का निर्वहण किया गया जिसकी परियोजना लागत ₹9816 करोड़ रही और इसका ऋण आकार ₹6663 करोड़ रहा। समूह ने समूहन परिचालनों से ₹22.21 करोड़ का शुल्क – आधारित आय अर्जन किया। रोड, पोर्ट, मेडिकल कालेज, स्थावर संपदा – आवासीय, इस्पात, पावर, टेलिकाम इत्यादि जैसे विभिन्न संवर्गों में परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यावस्था की गई।

बैंक के ‘बैंकएशुरेंस’ अंग के तहत दोनों जीवन तथा गैर – जीवन बीमा संवर्गों में बैंक की गठ-जोड़ व्यवस्था है। बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड से कमीशन के रूप में ₹26.12 का आय अर्जन किया है। म्युचुअल फंड कारोबार के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से ₹5.90 करोड़

Exchange Houses, viz., Al Razouki International Exchange Company, Dubai and Eastern Exchange Est., Qatar under Secondment and Management Agreement respectively.

‘Remit Money’, a web-based speed remittance product has been extended to 31 Exchange Houses and to 4 overseas branches, viz., London, Leicester, Shanghai and Hong Kong. During the year, the Bank obtained approval for remittance arrangements with 1 more exchange house in Kuwait. In collaboration with UAE Exchange Centre LLC in UAE, FlashRemit – a real time account credit facility for instant and hassle free remittances to beneficiaries (account holders of the Bank) in India was introduced during the year.

OTHER SERVICES

The Bank’s Merchant Banking Division handled Private Placement Capital Gain Bond Issues of National Highways Authority of India (NHAI) and Rural Electrification Corporation Ltd (REC) as Arrangers. The amount mobilized in respect of Capital Gain Bonds Issue of NHAI and REC during the year was ₹107.60 crore. Five specialized assignments of ‘Fair Valuation of Equity’ were also handled by the Division during the year.

The Bank acted as Collecting Banker for 2 Private Placement Issues, involving an amount of ₹896.51 crore. The number of Public and Debt Issues handled under Application Supported by Blocked Amount (ASBA) by designated branches was 93 and the amount blocked was ₹32.88 crore. The number of designated branches under ASBA increased from 1874 to 3612 as at March 2014.

The **Syndication Group** handled projects, involving project cost of ₹9816 crore during the year, with a total debt size of ₹6663 crore. The Group generated fee-based income of ₹22.21 crore from the syndication operations. The funds were arranged for projects in various segments like Road, Port, Medical College, Real Estate – Residential, Steel, Power, Telecom, etc.

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its ‘Bancassurance’ arm. The Bank earned a commission income of ₹26.12 crore from its joint venture, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹5.90 crore from its joint venture, viz., Canara Robeco

का कमीशन अर्जित किया है। मेसर्स युनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड (युआईआईसीएल) के साथ अपनी गठजोड़ व्यवस्था के ज़रिए गैर जीवन (सामान्य) बीमा कारोबार के तहत बैंक ने कमीशन के रूप में ₹13.80 करोड़ का आय अर्जन किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान, अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के विपणन के लिए बैंक ने मेसर्स अपोलो मुनिच हेल्थ इंडोरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कार्पोरेट एजेंसी करार किया जिसके परिणामस्वरूप, ₹73 लाख का कमीशन अर्जित हुआ। पूरे भारत में फैली अपनी शाखाओं के ज़रिए निर्यात नीतियों के विपणन के लिए मेसर्स एक्पोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया के साथ बैंक ने कार्पोरेट एजेंसी का करार भी किया है।

कार्ड कारोबार के तहत, क्रेडिट व डेबिट-सह-एटीएम कार्ड आधार बढ़ाने के लिए बैंक ने कई पहल की। बैंक का कुल डेबिट कार्ड आधार बढ़कर यथा मार्च 2014 को 1.51 करोड़ हो गया।

बैंक, देश में 38 स्थानों के यहाँ फैले 45 डीपी सेवा केन्द्रों के ज़रिए **‘निक्षेपी सेवाएं’** प्रदान करता है। इन केन्द्रों के ज़रिए, बैंक अपनी खुद की दलाली (ब्रोकिंग) अनुषंगी मेसर्स केनरा बैंक सुक्युरिटीस लिमिटेड, मुंबई के ज़रिए डी पी ग्राहकों को ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करता आ रहा है।

बैंक की इकाई - **‘न्यासी व कराधान सेवाएं’** द्वारा डिबेंचर/प्रतिभूति न्यासधारिता, वसीयतनामा व निष्पादककर्ता, न्यासधारिता, व्यक्तिगत कर सहायता जैसी सेवाएं एवं मुख्तारनामा सेवाएं की जाती हैं। वर्ष के दौरान, इससे ₹2.22 करोड़ का आय अर्जित हुआ।

बैंक द्वारा विभिन्न **सरकारी कारोबार** उत्पादों जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसूली, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की पेंशन का भुगतान, पोस्टल लेनदेनों व राज्य सरकार के राजकोषी लेनदेनों, सार्वजनिक भविष्य, निधि व वसिष्ठन नागरिक बचत योजना व भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीदति सूचीबद्ध बांडों के निर्गम शामिल हैं। वर्ष के दौरान इन उत्पादों से कासा में सुधार दर्ज होते हुए ₹90.58 करोड़ का शुल्क आय अर्जित हुआ।

बैंक द्वारा कई ऑन लाइन भुगतान सेवाएं जैसे विक्रय कर का ई-भुगतान/ महाराष्ट्र, तमिल नाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा व नागर हवेली, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल व दिल्ली में वाणिज्य कर, महाराष्ट्र में आभासी (वर्चुअल), तमिल नाडु में परिवहन विभाग को करों का ई-भुगतान, तमिल नाडु में चेन्नई तथा कर्नाटक में बेंगलूर में कार्पोरेशन के लिए संपत्ति कर की वसूली, सार्वजनिक भविष्य, निधि खातों का ऑनलाइन खाता खोलना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडु व कर्नाटक में ई-स्टाम्प परियोजना।

Asset Management Company Ltd. A commission income of ₹13.80 crore was earned under Non-Life (General) Insurance business from its tie-up arrangement with M/s United India Insurance Company Ltd (UIICL). During 2013-14, the Bank entered into a Corporate Agency Agreement with M/s Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd for marketing their health insurance products, which resulted in a commission income of ₹73 lakh. The Bank also has Corporate Agency Agreement with M/s Export Credit Guarantee Corporation of India for marketing export policies through its branches across India.

Under **Card Business**, the Bank took several initiatives to expand credit and debit-cum-ATM card base. The total debit card base of the Bank increased to 1.51 crore as at March 2014. Profit under card business during the year was at ₹34.7 crore.

The Bank offers its **‘Depository Services’** from 45 DP Service Centres spread across 38 locations in the country. Through these Centres, the Bank is extending Online Trading Facility to DP clients from its own broking subsidiary M/s Canara Bank Securities Limited, Mumbai.

Executor, Trustee and Taxation Services outfit of the Bank provides services like Debenture/Security Trusteeship, Will and Executorship, Trusteeship, Personal Tax Assistance and Power of Attorney Services. During the year, it generated fee based income of ₹2.22 crore.

The Bank handles various **Government Business** products comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of pensions of Central Government and State Government, Handling of Postal Transactions and State Government Treasury Transactions, Public Provident Fund Scheme and Senior Citizens’ Saving Scheme and issue of Inflation Indexed Bonds of RBI. These products contributed to improvement of CASA and also earned a fee income of ₹90.58 crore during the year.

The Bank provides several online payment services, viz., E-payment of Sales Tax/ Commercial Tax in Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Dadra & Nagar Haveli, Odisha, Punjab, West Bengal and Delhi, Virtual Treasury Package in Maharashtra, E-payment of Taxes to Transport Department in Tamil Nadu, Collection of Property Tax for the Corporation of Chennai in Tamil Nadu and Bangalore in Karnataka, Online opening of PPF Accounts and E-Stamping project in Jharkhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka.

बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) तथा युआईडीएआई, नई दिल्ली के आधिकारिक बैंकर के रूप में प्राधिकृत किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक ने स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को कार्यान्वित किया और फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रथम स्थान अर्जित किया। वर्ष 2013-14 के दौरान, हमने प्रावरण को बढ़ाया है और इस स्थान को बनाये रखने की उम्मीद करते हैं।

बैंक का कृषि नवोन्मेषी केन्द्र (एआईसी) ने कुल 89 कार्यों का निर्वहन किया। इन 89 कार्यों में 62 मूल्यांकन, 15 व्यवहार्यता अध्ययन, 12 वेटिंग व प्रशिक्षण केन्द्र शामिल थे। इन कार्यों का कुल परिव्यय, मीयादी ऋण घटक के तौर पर ₹541 करोड़ रहा और बैंक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में गैर - ब्याज आय का अर्जन ₹1.78 करोड़ रहा।

आस्ति गुणवत्ता

**₹5494 करोड़ का
अब तक का सर्वाधिक नकद वसूली**

आस्ति गुणवत्ता

उद्योग स्तर पर आस्ति गुणवत्ता में जारी दबाव के बावजूद अनुपयोज्य आस्तियों को नियंत्रित करने में बैंक का निष्पादन अच्छा रहा और सर्वाधिक नकद वसूली की। कुल अनुपयोज्य आस्ति रु 7570 करोड़ रही, कुल अनुपायोज्य आस्ति अनुपात, यथा मार्च 2013 को 2.57% से घटकर 2.49% स्तर पर रहा। बैंक का कुल अनुपयोज्य आस्ति का अनुपात, समकक्ष बैंकों में निम्नतम रहा। निवल अनुपयोज्य आस्ति, ₹5965 करोड़ रही, निवल अनुपयोज्य अनुपात एक वर्ष के पूर्व के 2.18% से घटकर 1.98% स्तर पर पहुँच गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान, नकद वसूली में पिछले वर्ष के ₹4006 करोड़ की तुलना में ₹5494 करोड़ की अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई। तकनीकी तौर पर बढ़े खाते डाले गये खातों से ₹1247 करोड़ अर्जित हुआ और यह बकाया राशि का 16.8% रहा जिसमें हानि आस्तियों से ₹754 करोड़ भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ) को 1166 करोड़ में खातों की भी बिक्री की। वर्ष के दौरान, वसूली/पुनर्वास के कारण पिछले वर्ष के 852 करोड़ की तुलना में कुल ₹2853 करोड़ अपग्रेड किया गया।

वर्ष के दौरान, सेरफेसी अधिनियम के तहत कुल ₹2100 करोड़ की वसूली की गयी। बैंक ने 20700 वसूली संबंधी बैठकों का आयोजन किया जिसके परिणामस्वरूप, ₹1050 करोड़ राशि की वसूल की गयी। वर्ष के दौरान, 16714 मामले लोकअदालत को भेजे गये, जिनमें से 9453 मामलों का निपटान किया गया, जिसकी कुल राशि ₹89.89

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD) and Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi. The Bank implemented the National Pension System for Unorganised Sectors under Swavalamban Scheme during 2012-13 and occupied No. 1 position amongst Public Sector Banks. During 2013-14, we have extended the coverage and expect to retain the position.

Agricultural Innovation Center (AIC) outfit of the Bank handled 89 assignments. These 89 assignments consisted of 62 appraisals, 15 viability studies, 12 vetting and trainings. The total outlay of the assignments worked out to a term loan component of ₹541 crore and non-interest income derived by the Bank in the form of processing fee was ₹1.78 crore.

ASSET QUALITY

**All Time High Cash Recovery
at ₹5494 crore**

Asset Quality

The Bank performed well in containing NPAs and made record cash recoveries, despite continued stress in the asset quality at the industry level. With a Gross NPA of ₹7570 crore, the gross NPA ratio came down to 2.49% from 2.57% as at March 2013. The Bank's gross NPA ratio is the lowest among peer banks. With a Net NPA of ₹5965 crore, the net NPA ratio came down to 1.98% from 2.18% a year ago.

Cash Recovery during 2013-14 aggregated to a record ₹5494 crore compared to ₹4006 crore last year. Recovery from technically written off accounts at ₹1247 crore accounted for 16.8% to outstanding amount, including recovery from loss assets at ₹754 crore. During the year, the Bank also sold 60 NPA Accounts to Asset Reconstruction Companies (ARCs) for consideration of ₹1166 crore. During the year, an amount of ₹2853 crore was upgraded on account of recovery/ rehabilitation compared to ₹852 crore last year.

During the year, recovery amounting to ₹2100 crore was made under SARFAESI Act. The Bank conducted 20700 recovery meets, which resulted in a recovery of ₹1015 crore. During the year, 16714 cases were referred to Lokadalat, out of which, 9453 cases were settled, covering an amount of ₹89.89 crore. Besides, the Bank took several

करोड़ रही। इसके अलावा, बैंक ने अनुपयोज्य आस्ति में खातों को परिवर्तन होने से रोकने और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में बढाव लाने के लिए कई पहल की। इनमें, समय पर दबावग्रस्त खातों की पुनर्चना/पुनर्निर्धारण करने हेतु खातों की पहचान करना, एकबारगी निपटानों (ओटीएस) के लिए शाखा स्तर पर केनअदालतों और अंचल स्तर पर मेगा अदालतों का आयोजन, सभी केंद्रों के ज़रिए ऋण खातों में अतिदेय राशि का नियमित अनुवर्तन और अभिग्रहित आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी, सख्त इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त वसूली उपाय करना शामिल हैं। बैंक ने छोटी अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) (₹10 लाख) के निपटान के लिए एक विशेष योजना भी रूपायित की जिसमें शैक्षिक ऋण/ट्रेक्टर ऋण और 1 करोड़ से कम के एमएसएमई ऋण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। विपत्तिग्रस्त खनन क्षेत्र में 2 राज्यों यानी कर्नाटक व गोवा में एक विशेष एकबारगी (ओटीएस) योजना बनायी गयी।

यथा मार्च 2014 को बकाया पुनर्संचित आस्ति संविभाग ₹23205 रहा जो कुल अग्रिमों का 7.64% है।

जोखिम प्रबंधन

बासेल III पूंजी पर्याप्तता ढांचा और भावी रणनीतियां

प्रधान कार्यालय में बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र रूप से जोखिम प्रबंधन विभाग नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। सभी 34 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग कार्य कर रहे हैं जो कि जोखिम प्रबंधन विभाग के ही विस्तारित अंग हैं।

बैंक में, भौगोलिक स्तर पर और संपूर्ण जोखिम रूपरेखा से प्रावरित जोखिम प्रबंधन नीतियां हैं। इनमें, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, विपणन जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और समूह जोखिम प्रबंधन शामिल हैं।

बैंक में, बासेल II और बासेल III के स्तंभ 2 के तहत आंतरिक पूंजी पर्याप्त मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) निर्धारित है। आईसीएएपी प्रक्रिया में बैंक के देशीय और समुद्रपारीय परिचालन, अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम, प्रायोजित इकाइयां और सहयोगी संस्थान प्रावरित हैं। आईसीएएपी प्रलेख में दबाव परीक्षण संबंधी चित्रण शामिल हैं। आईसीएएपी प्रलेख की समीक्षा की गयी है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

प्रधान कार्यालय में पूंजी योजना समिति है और समिति, बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की तुलना में और कारोबारी रणनीतियों की तुलना में समष्टि आर्थिक नीति का सुस्पष्ट चित्रण प्रदान करती है। समिति द्वारा, जोखिम

initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, identification of stressed accounts for restructuring/rephasing in time, conduct of Canadalats at branch level and mega adalats at Circle level for one time settlements (OTS), regular follow-up of overdues in loan accounts through all Centre and conducting e-auctions for sale of seized assets, initiation of stringent recovery measures against Wilful Defaulters. The Bank also formulated a special Scheme for settlement of small NPAs (upto ₹10 lakh), with a special focus on Education Loan/ Tractor Loan and for MSMEs below ₹1 crore. A special OTS Scheme for distressed mining sector was put in place in 2 States, viz., Karnataka and Goa.

As at March 2014, the outstanding restructured assets portfolio of the Bank stood at ₹23205 crore, accounting for 7.64% of gross advances.

Risk Management

BASEL III Capital Adequacy Framework and Future Strategies

An independent Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Risk Management Sections are functioning at all the 34 Circle Offices of the Bank as an extended arm of the Risk Management Wing.

The Bank has in place risk management policies across geographies and across all risks encompassing the entire gamut of risk profile. These include, policies on Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Asset Liability Management and Group Risk Management.

The Bank has in place an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 of Basel II and Basel III norms. The ICAAP exercise covers the domestic and overseas operations of the Bank, the Subsidiaries, Joint ventures, Sponsored entities and Associates. Linkages to Stress Test Scenarios are also documented in ICAAP. ICAAP document is reviewed and approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors.

A Capital Planning Committee is in place at Head Office and the Committee articulates macroeconomic scenarios vis-à-vis capital requirements of the Bank,

भरित आस्ति की तुलना में पूँजी के उपयुक्त स्तर पर का अनुपात बनाये रखने की बात सुनिश्चित की है और पूँजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करती है।

बासेल II के तहत उन्नत दृष्टिकोण अपनाना

ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम के संबंध में पूँजी के परिचालन हेतु बासेल III के तहत उन्नत दृष्टिकोण ढाँचे की ओर बढ़ने के अपने प्रयास में एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान के माध्यम से उद्यम का क्रियान्वयन के उद्देश्य से बैंक ने स्वयं तथा समूह इकाइयों के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की ताकि अपेक्षित जोखिम प्रबंधन ढाँचे का निर्माण करना हो सके।

उद्यम-व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन स्थापत्य के कार्यान्वयन की पूर्वापेक्षा के रूप में बैंक ने जोखिम समाधान अख्तियार प्राप्त किया है जिससे कि वह उन्नत मापन दृष्टिकोण की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके।

ऋण जोखिम के लिए पूँजी भार के परिचालन हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (आईआरबी) अपनाने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है और बाजार संबंधी जोखिम और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए आवेदन चरणबद्ध रूप से प्रस्तुत करेगा।

बासेल III के लिए तैयारी

बासेल III पूँजी विनियमावली संबंधी अंतिम दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी बना। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानिर्देशों के अनुसार, बासेल III पूँजी विनियमावली का पूर्ण क्रियान्वयन की परिवर्ती अवधि को 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2019 के अंत तक भारत में बैंकों को 5.5% की न्यूनतम समान ईक्विटी टायर 1 (सीईटी 1) पूँजी, 7.00% की टायर 1 पूँजी, 9% की कुल पूँजी और 2.50% का पूँजी परिरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाये रखने की आवश्यकता है। बैंकों को चाहिए कि जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षाओं के लिहाज से विश्वसनीय प्रतिपूरक उपाय के रूप में पैरेलल रन के दौरान 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 तक 4.5% का न्यूनतम टायर 1 लिवरेज अनुपात भी बनाये रखना होगा।

भारत सरकार से पुनः पूँजीकरण समर्थन प्राप्त करने सहित बाजार से पूँजी जुटाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त समय है। आगे बढ़ते हुए, बैंक की पूँजी संबंधी अपेक्षा की पूर्ति – नयी ईक्विटी पूँजी लगाने, लाभ बरकरार रखने, कारोबार को इष्टतम स्तरों तक ले जाने और पूँजी संबंधी योजना व प्रबंधन के ज़रिए की जा सकती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए बैंक के पास विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ हैं और व्यापक नीतियाँ व कार्यविधियाँ नियत हैं।

in tune with the business strategies. The Committee ensures maintenance of appropriate level of Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) and evaluates various options for raising capital.

Adoption of Advanced Approaches under Basel II

In an endeavour to move towards Advanced Approaches under Basel II for computation of Capital for Credit, Market and Operational Risk, the Bank has engaged the services of a Consultant for implementation of enterprise wide Integrated Risk Management solution for itself and the group entities, so as to build requisite risk management framework.

As a pre-requisite for the implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management architecture, the Bank has procured a Risk Solution that would enable it to meet requirements of Advanced Measurement Approaches.

The Bank has submitted Letter of Intent to RBI for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for calculation of capital charge for Credit Risk and applications for moving over to advanced approaches for Market Risk and Operational Risk shall be submitted in a phased manner.

Preparedness for Basel III

The final guidelines on Basel III Capital Regulations became effective from 1st April, 2013. As per RBI guidelines, the transitional period for full implementation of Basel III Capital regulations is extended up to 31.03.2019. The banks in India need to maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET1) capital of 5.50%, Tier 1 capital of 7.00%, Total Capital of 9% and Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% at end of March 2019. The banks also have to maintain a minimum Tier 1 Leverage Ratio of 4.5% during parallel run from 1st January, 2013 to 1st January, 2017, as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements.

The Bank endeavours to remain adequately capitalized and has drawn plans to meet the capital requirements stipulated by RBI in transitory phase. The Bank has adequate headroom to raise capital from the market, including recapitalization support from the Government of India. Moving ahead, the Bank's capital requirement shall be met by injecting fresh equity capital, retention of profit, optimization of business levers and proactive capital planning and management.

Credit Risk Management

The Bank has various risk management systems for managing Credit Risk with comprehensive policies and procedures in place.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं:

- जोखिम आधारित कीमत निर्धारण
- जोखिम रेटिंग के आधार पर शुरुआती अवरोध
- उधारकर्ताओं की आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर विभिन्न प्राधिकारियों / ऋण अनुमोदन समितियों की मंजूरी शक्तियों का प्रत्यायोजन।

एक अलग जोखिम निगरानी नीति निर्धारित की गयी है। ऋण निगरानी नीति में उल्लिखित ऋण समीक्षा तंत्र में समीक्षा व निगरानी संबंधी पूर्ण जानकारी प्रावित की गयी है जिससे कि ऋण पुस्तिका का लगातार रूप से मूल्यांकन किया जा सके। इसका उद्देश्य, ऋण प्रशासन विभाग द्वारा विधिवत रूप से निर्धारित ऋण लेखापरीक्षा/पूर्व-जारी लेखापरीक्षा सहित ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाना है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक के बाजार जोखिम ढांचे का उद्देश्य, जोखिम एक्सपोजर व तुलनीय न्यूनतम मानदण्डों की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर के परिमाण के संबंध में निविष्टियां (इनपुट्स) प्रदान कर अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त करना है।

एकीकृत मिड-कार्यालय और मिड कार्यालय- जोखिम प्रबंधन विभाग के एकीकृत विभाग, बाजार जोखिम एक्सपोजर पर निगरानी रखती है। एक्सपोजर लिमिट, जैसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑन ट्रेडिंग बुक, विभिन्न मुद्राओं की स्थिति के बारे में इंटरडे व ओवरनाइट सीमा, डीलर-वार सीमा, सकल अंतर सीमा, मुद्रा बाजार परिचालनों की सीमाएं, निवेश पोर्टफोलियो और वीएआर सीमा के लिये संशोधित अवधि का निर्धारण, जोखिम निवारक/उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित किये गये हैं। अन्य उत्प्रेरकों के साथ इन सीमाओं पर निगरानी दैनिक आधार पर रखी जाती है। बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक सुदृढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली निर्धारित की गयी है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन का ढांचा, नैतिक मूल्यों, संगठनात्मक संस्कृति और सशक्त परिचालन कार्यविधियों पर आधारित है जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक आयोजना समाहित हैं।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन हेतु नीतियों को अपनाया है जिसमें, परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा, ऑटोसोर्सिंग गतिविधियां और सतत व्यवसाय योजना जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। वर्तमान में बैंक 'बेसिक इंडिकेटर एप्रोच'(बीआईए) के स्थान पर 'बासेल II ढांचे के उन्नत दृष्टिकोण' तंत्र को अपनाने की प्रक्रिया में है। बैंक ने "उन्नत दृष्टिकोण" के कार्यान्वयन के लिये प्रक्रिया/गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं।

The Credit Risk Management Policy articulates the guidelines on:

- Risk Based Pricing
- Entry barriers based on risk rating.
- Delegation of credit sanctioning powers to various authorities/ Credit Approval Committees based on internal risk rating of the borrowers.

An exclusive Credit Monitoring Policy has been put in place. The loan review mechanism articulated in the Credit Monitoring Policy covers the entire gamut of review and monitoring as an effective tool for evaluating the loan book continuously. It also intends to bring out qualitative improvements in credit administration including Credit Audit/ Pre-release Audit duly administered by the Credit Administration and Monitoring Wing.

Market Risk Management

The Market Risk framework of the Bank aims at maximizing the return by providing inputs regarding the extent of market risk exposures, the performance of portfolios vis-a-vis the risk exposure and comparable benchmarks.

Integrated Mid-Office and Mid Office - Integrated Treasury of Risk Management Wing is monitoring Market Risk Exposures. Exposure limits, such as, Stop Loss Limits on Trading Book, intraday and overnight limit for various Currency Positions, Dealer-wise limits, Aggregate Gap Limit, Limits on Money Market Operations, Modified-duration limits for Investment portfolio and VaR limits are fixed to act as risk mitigants/ triggers. These limits along with other triggers are monitored on a daily basis. A robust reporting system is in place for effective management of Market Risk.

Operational Risk Management

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The Bank has adopted policies for management of Operational Risk, which covers various aspects, such as, Operational Risk Management Structure, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan. At present, the Bank is in the process of migration to Advanced Approaches of Basel II framework from Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has initiated process/activities for implementation of Advanced Approaches.

आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली (एएलएम) चलनिधि और ब्याज दर जोखिम संबंधी मामलों को सुलझाती है ताकि कीमत-लागत अंतर, लाभप्रदता एवं दीर्घावधि व्यवहार्यता के बीच बेहतर संतुलन बनाये रखा जा सके। बैंक के निदेशक मंडल ने आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी कार्यों, आस्ति व देयता के विभिन्न घटकों के लिये ब्याज दरों के निर्धारण, उनकी संरचना, परिपक्वता व अवधि- निर्धारण के कार्य की देखरेख करने हेतु 'आस्ति देयता प्रबंधन समिति' (एएलसीओ) का गठन किया है।

समूह जोखिम

बैंक की विभिन्न अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व प्रायोजित इकाइयां हैं, जो बहुआयामी गतिविधियों में लगे हुए हैं। क्योंकि, बैंक की इन सामूहिक ईकाइयों में पर्याप्त हिस्सेदारी है, बैंक ने 'समूह जोखिम प्रबंधन नीति' को अपनाया है ताकि अंतर समूह संव्यवहारों की जोखिमों की पहचान करते हुए उनका उचित प्रबंधन किया जा सके और सामूहिक ईकाइयों के बीच हितों के टकराव से बचते हुए/कम करते हुए, कॉर्पोरेट गवर्नंस के स्तर को उठाया जा सके और व्यापार मानदण्डों के संबंध में इन ईकाइयों के बीच "स्वतंत्र संव्यवहार का सिद्धांत" सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक, कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म साख, कमजोर वर्गों, अनु.जाति/जन जाति और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति को महत्व देता आ रहा है।

यथा मार्च 2014 तक बैंक का प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम में 23.8% का वर्षानुवर्ष दर्ज होते हुए यह ₹97762 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 40% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) के प्रति 42.52% की वृद्धि दर्ज हुई।

(राशि ₹ करोड़ों में)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	मार्च तक		वृद्धि	
	2013	2014	राशि	%
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	78998	97762	18764	23.8
कृषि	40786	48797	8011	19.6
प्रत्यक्ष कृषि	37984	44268	6284	16.5

कृषि लक्षित साख संवितरण के तहत बैंक का अग्रिम बढ़कर ₹48797 करोड़ तक पहुंच गया है जिसमें 48 लाख से अधिक किसान प्रावरित हुए हैं। कृषि क्षेत्र ऋणों के तहत बैंक ने 18% अनिवार्य मानदंड को प्राप्त किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक का कृषि क्षेत्र साख संवितरण 23.5% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹41667 करोड़ तक बढ़ा।

Asset Liability Management

Asset Liability Management (ALM) system addresses issues related to liquidity and interest rate risks in order to maintain a good balance among spreads, profitability and long-term viability. The Board of Directors of the Bank has constituted an Asset Liability Management Committee (ALCO) to oversee ALM functions, including fixation of interest rates for various components of assets and liabilities, its composition, maturity and duration.

Group Risk

The Bank has various Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Entities which are engaged in diversified activities. As the Bank has considerable stake in these Group Entities, it has adopted a Group Risk Management Policy to identify and manage risk in Intra Group Transactions and Exposures to raise the standard of Corporate Governance by reducing /avoiding Conflicts of Interest between the group entities and to ensure 'Arms Length Principle' among the entities, in regard to business parameters.

NATIONAL PRIORITIES

Priority Sector Advances

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro & small enterprises, education, housing, micro-credit, weaker sections, SC/STs and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2014 reached ₹97762 crore, recording a y-o-y growth of 23.8% and achieved 42.52% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

(Amt. ₹ Crore)

Priority Sector Advances	As at March		Growth	
	2013	2014	Amount	%
Total Priority Sector	78998	97762	18764	23.8
Agriculture	40786	48797	8011	19.6
Direct Agriculture	37984	44268	6284	16.5

With a focus on credit delivery to **Agriculture**, the Bank's advances under agriculture portfolio increased to ₹48797 crore, covering over 48 lakh farmers. Under agriculture lending, the Bank achieved 21.22% to ANBC against 18% mandated norm. During 2013-14, the Bank's agriculture credit disbursement increased to ₹41667 crore, with a y-o-y growth of 23.5%.

प्रत्यक्ष कृषि के तहत बैंक का अग्रिम 16.5% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹44268 करोड़ हो गया है। बैंक ने एएनबीसी के तहत 13.5% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में 19.25% दर्ज किया। बैंक ने किसानों/गैर-किसानों को फसल ऋण/सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाये।

प्रारंभ से अब तक, बैंक ने ₹33619 करोड़ के 46.24 लाख **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** जारी किये हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने ₹7095 करोड़ रुपये के 4.97 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं। मार्च 2014 तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक की बकाया ऋण राशि 8031 करोड़ थी। बैंक ने 5.35 लाख पात्र खातों में से 5.16 लाख को 'किसान रूपे कार्ड' जारी करके 96.44% की उपलब्धि हासिल की है।

वर्ष के दौरान बैंक ने अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों, जैसे राज्य द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति संगठनों, आवास और सूक्ष्म साख के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की है।

बैंक ने विभिन्न **सरकारी प्रायोजित योजनाओं**, जैसे 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना'(पीएमआरवाई), "प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम" (पीएमईजीपी), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" (एसजेएस आरवाई), मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) तथा विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया।

यथा मार्च 2014 तक निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत करीब 2.07 लाख लाभार्थियों पर कुल बकाया अग्रिम ₹817 करोड़ रहा।

सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत निष्पादन राशि (₹ करोड़ों में)

योजना का नाम	खातों की संख्या	राशि
पीएमआरवाई	14184	138.24
पीएमईजीपी	8473	256.51
एसजीएसवाई	31542	181.29
एसजेएसआरवाई	13668	94.20
एसएलआरएस	442	1.40
डीआरआई	138455	145.19
कुल	206764	816.83

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) के तहत ₹138455 लाभार्थियों को ₹145.19 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया जिसमें से ग्रामीण व अर्ध-ग्रामीण शाखाओं को दिया गया अग्रिम ₹101.36 करोड़ रहा।

समाज के अल्पसुविधा प्राप्त वर्ग के समर्थन में यथा मार्च 2014 को **अजा/अजजा लाभार्थियों** को बैंक ने 594 लाख उधारकर्ताओं को प्रावित करते हुए ₹6102 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया। अजा /

Advances under **Direct Agriculture** increased to ₹44268 crore, with a y-o-y growth of 16.5%. The Bank achieved 19.25% to ANBC against 13.5% mandated norm. The Bank undertook special campaigns for extending Crop Loans/General Credit Cards (GCCs) facility to all farmers/non-farmers.

Since inception, the Bank has issued a total of 46.24 lakh **Kisan Credit Cards (KCCs)**, amounting to ₹33619 crore. During the year, the Bank issued 4.97 lakh KCCs, amounting to ₹7095 crore. As at March 2014, the credit outstanding under KCCs was at ₹8031 crore. The number of Kisan RuPay card issued was at 5.16 lakh against eligible accounts of 5.35 lakh, with an achievement of 96.44%.

During the year, the Bank also extended financial assistance to other priority sectors, such as, state sponsored organization for SCs/STs, housing and micro credit.

The Bank actively participated in various **Government Sponsored Schemes**, such as, Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY), Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Swarnajayanthi Gram Swarozgar Yojana (SGSY), Swarnajayanthi Shahri Rozgar Yojana (SJSRY), Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers (SLRS) and Differential Rate of Interest (DRI) Scheme.

As at March 2014, the outstanding advances under the following Government Schemes, aggregated to ₹817 crore, involving around 2.07 lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes (Amt. ₹ Crore)

Name of the Scheme	No. of Accounts	Amount
PMRY	14184	138.24
PMEGP	8473	256.51
SGSY	31542	181.29
SJSRY	13668	94.20
SLRS	442	1.40
DRI	138455	145.19
Total	206764	816.83

Advances to **DRI** stood at ₹145.19 crore, consisting of 138455 beneficiaries, of which, advances by rural and semi-urban branches constituted ₹101.36 crore.

In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's **advances to SCs/STs** beneficiaries amounted to ₹6102 crore as at March 2014, covering 5.94 lakh

अजजा को दिया गया अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम का 6.24% रहा।

समाज के कमजोर वर्ग को दिया गया कुल अग्रिम ₹29871 करोड़ रहा जिसमें वर्षानुवर्ष की वृद्धि 13.8% रही। 10% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में समाज के कमजोर वर्ग को प्रदान किया गया अग्रिम एएनबीसी का 12.99% रहा।

यथा मार्च 2014 को कमजोर वर्ग को दिये गये अग्रिम का विभिन्न घटक

(₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	बकाया
लघु व मार्जिन कृषक, भूमिहीन श्रमिक काश्त कार, कृषक व बंटाईदार	25279
कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग	733
अ जा / अ ज जा लाभार्थी	6102
डी आर आई ऋण	145
एसजीएसवाई लाभार्थी	181
एसजेएसआरवाई लाभार्थी	94
एसएचजी/एनजीओ/एमएफआई	1902
एसएलआरएस को अग्रिम	1.40

यथा मार्च 2014 को निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को दिया गया कुल अग्रिम ₹17785 करोड़ रहा जो 15% के निर्धारित स्तर की तुलना में कुल प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम का 18.19% रहा।

राष्ट्रीय ग्राम जीविका मिशन

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित आजीविका (राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन) के तहत यथा 1.4.2013 के बाद ऋण से संबद्ध महिला स्व-रोजगार समूह (डब्ल्यू एसएचजी) को ₹3.00 लाख तक की राशि के लिए 7% की दर से ऋण सुविधा मुहैया करायी जाएगी। आगे, त्वरित रूप से ऋण की चुकौती करने वाले महिला स्व-सहायता समूह (डब्ल्यू एस एच जी) को 3% की अतिरिक्त, ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वर्तमान में इस योजना का कार्यान्वयन 150 वर्ग - 1 के जिलों में किया जा रहा है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केनरा बैंक को नोडल बैंक के रूप में चयन किया गया और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ऑन लाइन माध्यम के जरिए सदस्य बैंकों द्वारा दावों की प्रस्तुति के लिए एक अलग वेबसाइट पोर्टल विकसित किया गया। बैंक ने सदस्य बैंकों द्वारा दिनांक 31.3.2014 तक अपलोड किये गये सभी दावों की प्रस्तुति की गई जिसकी कुल राशि ₹30.73 करोड़ रही और फलस्वरूप ₹26.75 लाख का कमीशन / हैंडलिंग प्रभार अर्जित किया। उपरोक्त के अलावा, हमने राज्य, ग्राम जीविक मिशन के साथ संपर्क बनाये रखते हुए कर्नाटक व तमिलनाडु में राज्य स्तर पर नोडल बैंक की भूमिका निभाई।

एमएसएमई उधार

यथा मार्च 2014 को सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदान किया गया अग्रिम ₹500.40 करोड़ रहा जिसकी वर्षानुवर्ष वृद्धि

borrowers. The advances to SCs/STs comprised 6.24% of total priority sector advances.

Advances to weaker sections aggregated to ₹29871 crore, with a y-o-y growth of 13.8%. Advances to weaker sections formed 12.99% to ANBC against mandated norm of 10%.

Various components of Advances to Weaker Sections as at March 2014 is as under:

(Amt. ₹ Crore)

Sectors	Outstanding
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	25279
Artisans, Village and Cottage Industries	733
SC/ST Beneficiaries	6102
DRI Loans	145
SGSY Beneficiaries	181
SJSRY Beneficiaries	94
SHGs/NGOs/MFIs	1902
Advances to SLRS	1.40

As at March 2014, advances to **specified minority communities** aggregated to ₹17785 crore, accounting for 18.19% of the total priority sector advances against the stipulated level of 15%.

National Rural Livelihood Mission

Under the Aajeevika (National Rural Livelihood Mission) implemented by Ministry of Rural Development, Women Self-Help Groups (WSHGs) credit linked after 01.04.2013 would be provided credit facilities at 7% up to ₹3.00 lakh. Further, prompt repaying WSHGs will get additional interest subvention at 3%. Presently, the Scheme is being implemented in 150 Category-I Districts. Canara Bank was selected to act as the Nodal Bank for implementation of the Scheme and MoU was signed with Ministry of Rural Development, Government of India. An exclusive web portal was developed for submission of claims by member banks through online mode. The Bank submitted the claims uploaded by the member banks up to 31.03.2014, amounting to ₹30.73 crore and earned a commission/handling charges of ₹26.75 lakh. In addition to the above, we have liaised with the State Rural Livelihood Mission, ensured Nodal Bank role at State level in Karnataka and Tamil Nadu.

MSME Lending

Advances to MSMEs increased to ₹50040 crore as at March 2014, with a y-o-y growth of 35.2%. Credit to M&SE segments rose to ₹36703 crore, with a 37.9%

35.2% रही। मध्यम व लघु उद्यम (एम व एस ई) वर्गों को दिया गया अग्रिम ₹36703 करोड़ रहा और इसमें अनिवार्य 20% मानक की तुलना में 37.9% की वृद्धि दर्ज हुई। मध्यम व लघु उद्यम (एमएसएमई) में सूक्ष्म ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष के 32.85% की तुलना में सुधार दर्ज करते हुए 55.84% रहा। कुल सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में वृद्धि हुई और इसमें 10% के अनिवार्य मानक की तुलना में 99.9% की वृद्धि दर्ज हुई।

एमएसएमई क्षेत्र को दिये गये महत्व को मद्देनजर रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान 3 अतिरिक्त 5 एसएमई सुलभ यानी ऋण प्रस्तावों के शीघ्र निपटान हेतु 71 विशेषीकृत एसएमई शाखाओं को खोला। यथा मार्च 2014 को देश में बैंक की 44 एसएमई सुलभ व 143 एसएमई विशेषीकृत शाखाएं थी। ग्राहक अर्जन तथा उनकी सहायता के लिए 5 स्थानों में एमएसएमई कारोबार सरलीकरण केन्द्रा स्थापित किए गए।

वर्ष के दौरान एमएसएमई ऋण के तहत कई नयी योजनाओं की शुरुआत की गई है जिनमें केनरा **एमएसई प्रगति, केनरा एमएसई उन्नति, केनरा एमएसई सत्कार व फ्लेवर** हैं। इनके अलावा, वर्ष के दौरान बैंक ने 8 अतिरिक्त क्षेत्र/समूह (क्लस्टर) विशिष्ट योजनाओं का प्रारंभ किया और इसके साथ केवल एमएसएमई क्षेत्र के तहत दिये जानेवाली ऋण संबंधी योजनाएं बढ़कर 18 हो गयी हैं।

वर्ष के दौरान कई सहमति ज्ञापन हुए ताकि एमएसएमई क्षेत्रों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो सके। एमएसएमई प्रस्तावों को आउटसोर्स करने के उद्देश्य से बैंक ने सीआई-एमएसएमई और एनएसआईसी के साथ सहमति ज्ञापन किया। एमएसएमई इकाइयों की रेटिंग के लिए बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों यानी क्राइसिल लिमिटेड, एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआरए), सीएआरई, आईसीआरए, ओएनआईसीआरए और ब्रिक्वर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहमति ज्ञापन किया गया। मेसर्स अशोक लेलेंड लिमिटेड, मेसर्स बजाज ऑटो लिमिटेड, मेसर्स महीन्द्रा एंड महीन्द्राम लिमिटेड, मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, मेसर्स वाल्वो ईचर मोटर्स लिमिटेड व मेसर्स टीवीएस मोटर्स लिमिटेड के साथ सहमति ज्ञापन किया गया जिससे कि उन कंपनियों के वाणिज्यिक वाहनों का वित्तपोषण किया जा सके। उडीसा टैलिचिकित्सा केन्द्रों को स्थानपित करने के लिए तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण न्यास (ओटीटीईटी) - बायोकान फाउंडेशन उडीसा के साथ सहमति ज्ञापन किया गया। बेंगलूर में ऑटो रिकशा के वित्तपोषण के लिए श्री व्हील्स युनराइटेड इंडिया सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड (नम्मे ऑटो) के साथ सहमति ज्ञापन किया गया। अर्थ मूविंग मशीनरियों/वाहनों के वित्तपोषण हेतु मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड व मेसर्स अशोक लेलेंड जॉन डीरे प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहमति ज्ञापन किया गया।

दबावग्रस्त इकाइयों की आरंभिक रुग्णता के मामलों में सहायता प्रदान करने हेतु बैंक ने 'सहायता' का शुभारंभ किया ताकि पुनर्वास / पुनर्संरचना के जरिए स्थिति में सुधार लाया जा सके। बैंक ने उद्यमियों के उचित अध्यावसाय के लिए क्राइसिल व केएआरई के साथ सहमति ज्ञापन किया। एमएसएमई ऋण आवेदन और एमआईएस सुसाध्यक करने हेतु बैंक ने ई-सुविधा समर्थित किया।

साख संबंध पूंजी आर्थिक सहायता योजना (सीएलसीएसएस) के तहत एमएमई के तकनीकी स्तरोन्नयन हेतु नोडली एजेंसी के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान सूक्ष्मक, लघु व मध्यम उद्यम, भारत सरकार से

growth against mandated 20% norm. Share of Micro credit in M&SE improved to 55.84% from 32.88% last year. The number of Micro Enterprises Accounts recorded a growth of 99.9% against mandated norm of 10%.

Considering the importance attached to MSME sector, the Bank opened additional 3 SME Sulabhs, i.e., Centralized Loan Processing Units for faster clearance of loan proposals and also opened 71 Specialized SME branches during the year. As at March 2014, the Bank had 44 SME Sulabhs and 143 SME specialized branches across the country. MSME Business Facilitation centres were established at 5 places for customer acquisition and assistance.

Several new Schemes under MSME credit launched during the year include **Canara MSE Pragati, Canara MSE Unnati, Canara MSE Satkar and Flavour**. Apart from these, the Bank introduced additional 8 area/cluster specific schemes during the year, taking the total tally to 18 for exclusive lending under MSME sector.

Several MoUs were entered to facilitate credit flow to MSME segments during the year. The Bank entered into MoU with CI-MSME and NSIC for sourcing of MSME proposals. MoUs were also entered with CRISIL Ltd, SME Rating Agency of India Ltd (SMERA), CARE, ICRA, ONICRA and Brickworks Ratings India Private Ltd, the external Credit Rating Agencies for rating of MSME units. MoUs were entered with M/s Ashok Leyland Ltd, M/s Bajaj Auto Ltd, M/s Mahindra & Mahindra Ltd, M/s TATA Motors Ltd, M/s Volvo Eicher Motors Ltd and M/s TVS Motors Ltd, for financing commercial vehicles of these Companies. MoU with Orissa Trust of Technical Education and Training (OTTET) - Biocon Foundation entered for establishing Telemedicine Centres in Odisha. MoU was entered with Three Wheels United India Services Pvt Ltd (Namma Auto) for financing Auto Rickshaws in Bangalore. MoU with M/s BEML Ltd and M/s Ashok Leyland John Deere Pvt Ltd entered for financing earth moving machineries/ vehicles.

The Bank launched 'Sahayatha' - a helping hand in cases of incipient sickness of units facing stress so that they can overcome the situation through restructuring/ rehabilitation. The Bank entered into MoU with CRISIL and CARE for due diligence of entrepreneurs. The Bank also enabled e-Suvidha, to facilitate MSME loan applications and MIS.

The Bank received an amount of ₹15.92 crore from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, during the year as a Nodal Agency for Technology Upgradation of SMEs under Credit Linked

₹15.92 करोड़ की राशि प्राप्ति की और वर्ष के दौरान इस पूरी राशि का निर्मोचन किया गया।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के प्रति समग्र दृष्टिकोण

काफी अधिक संख्या में सेवा के दायरे से बाहर रह गयी जनता को बैंकिंग की मुख्यधारा के अंतर्गत लाने के मूल उद्देश्य से वित्तीय दायरे से बाहर व विशेष रूप से समाज के सीमित वर्गों को वित्तीय उत्पादों व सेवाओं को मुहैया कराने के ज़रिए बैंक ने अपना प्रयास जारी रखा है। भारत सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों अनुसार, बैंक ने विशेष रूप से चार मुख्य समूहों यानी बैंकिंग अवसरंचना विस्तारित करने, उचित वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराने, तकनीक का व्यापक व गहन प्रयोग और समर्थन व हितधारकों की प्रतिभागिता के ज़रिए हस्तक्षेप करते हुए वित्तीय समावेशन (एफआई) के कार्य को अत्यंत सक्रियता के साथ जारी रखा है।

बैंक ने 2000 से अधिक की आबादी वाले सभी आबंटित 1624 गाँवों (24 राज्यों में फैले) को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने हेतु सफलतापूर्वक प्रावित किया है। 2000 से अधिक की आबादी वाले वर्ग के तहत गाँवों को प्रावित कर लिये जाने के बाद बैंक ने 2000 से कम की आबादी वाले वर्ग के 3860 गाँवों को प्रावित किया।

वर्ष के दौरान, बैंक ने वित्तीय समावेशन/बैंकिंग सुविधा रहित गाँवों में 261 शाखाएं खोलीं और इस प्रकार शाखा मॉडल के तहत वित्तीय समावेशन वाली कुल शाखाएं बढ़कर 536 हो गईं। बैंक ने तीन कॉर्पोरेट कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) नामतः मेसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम्स (प्रा.) लिमिटेड, मेसर्स फिनो पेटेक तथा मेसर्स सीएससी इ-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को शामिल करते हुए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के तहत 2402 कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों (बीसीए) को नियुक्त किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान, खोली गयी 30 अल्ट्रा लघु शाखाओं, वर्ष 2012-13 के दौरान खोली गई 512 अल्ट्रा 1 लघु शाखाओं और वर्ष 2013-14 के दौरान खोली गयी 2 अल्ट्रा लघु शाखाओं (युएसबी) में से 28 को शाखाओं के रूप में स्तरोन्नयन किया गया है।

नयी वित्तीय समावेशन वाली शाखाओं में कारोबार का प्रचार-प्रसार करना

वर्ष 2011-12 के दौरान, 171 वित्तीय समावेशन वाली शाखाएं खोली गयीं, कुल ₹2018 करोड़ का कारोबार जुटाया और 10.87 लाख खातों से औसतन कारोबार ₹11.80 करोड़ रहा। इन शाखाओं का कासा जमा 63.75% रहा।

वर्ष 2012-13 के दौरान 64 वित्तीय समावेशन शाखाएं खोली गयीं, कुल ₹539 करोड़ का कारोबार जुटाया और 2.77 लाख खातों से औसतन कारोबार ₹8.43 करोड़ रहा। इन शाखाओं का कासा जमा 62.81% रहा।

Capital Subsidy Scheme (CLCSS) and fully released the amount during the year.

Financial Inclusion

A Holistic Approach to Financial Inclusion

With the basic objective of bringing the large unserved population under the banking mainstream, the Bank is striving towards a more inclusive growth by making financial products and services available to financially excluded and marginalized sections of society in particular. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion (FI), with key interventions in four groups, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive and intensive use of technology and through advocacy and stakeholder participation.

The Bank has successfully covered all the allotted 1624 villages (spread across 24 States), with population above 2000 for providing banking facilities. After ensuring coverage of villages in more than 2000 population category, the Bank has covered 3860 villages in less than 2000 population category.

During the year, the Bank opened 261 branches in FI/unbanked villages, taking the total tally of FI branches to 536 under branch model. The Bank has engaged 2402 Business Correspondents Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model by engaging three Corporate BCs, viz., M/s Integra Micro Systems (P) Ltd, M/s Fino Paytech and M/s CSC e-Governance Services India Ltd. Out of 30 Ultra Small Branches (USBs) opened during 2011-12, 512 USBs during 2012-13 and 2 USBs during 2013-14, 28 of them have been upgraded as branches.

Business canvassed in the new FI Branches

171 FI branches opened during 2011-12, mobilized a total business of ₹2018 crore, with an average business of ₹11.80 crore from 10.87 lakh accounts. CASA deposits of these branches constituted 63.75%.

64 FI branches opened during 2012-13, mobilized a total business of ₹539 crore, with an average business of ₹8.43 crore from 2.77 lakh accounts. CASA deposits of these branches constituted 62.81%.

वर्ष 2013-14 के दौरान 261 वित्तीय समावेशन शाखाएं खोली गयीं, कुल ₹538 करोड़ का कारोबार जुटाया और 3.34 लाख खातों से औसतन कारोबार ₹2 करोड़ रहा। इन शाखाओं का कासा जमा 63.55% रहा।

मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की स्थिति

बैंक ने वर्ष के दौरान 26.40 लाख बीएसबीडी खाते खोले जिनमें से 10.74 लाख मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते वित्तीय समावेशन वाले गाँवों में खोले गये। यथा 31.03.2014 को कुल बकाया मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की संख्या 85.46 लाख रही और बकाया जमा ₹1647 रही।

ऋण संबद्धता

वित्तीय पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में बैंक द्वारा किया गया एक और सार्थक प्रयास है जहाँ बैंक ने केनरा नयी दिशा योजना के तहत इन-बिल्ट ओवर ड्राफ्ट (आईओडी), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी), विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई), स्व सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म ऋण समूह (एमसीजी), सूक्ष्म बीमा व सूक्ष्म पेंशन जैसी विभिन्न अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं।

- **इन-बिल्ट ओवर ड्राफ्ट आईओडी** – ₹43.65 करोड़ राशि से 3.22 लाख लाभार्थियों को इन-बिल्ट ओडी सुविधा की अनुमति दी गयी।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** – वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹7095 करोड़ राशि से 4.97 लाख लाभार्थियों को जारी किया यथा मार्च 2014 को केसीसी के तहत ऋण का बकाया ₹7095 करोड़ रहा।
- **सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)** – वर्ष के दौरान बैंक ने 1.99 लाख जीसीसी जारी किये जिसका कुल संवितरण ₹461 करोड़ रहा। वर्षांत तक 3.89 लाख खातों सहित जीसीसी में बकाया ₹832 करोड़ रहा।
- **डीआरआई** – वर्ष के दौरान बैंक ने डीआरआई योजना के तहत 98000 व्यक्तियों को वित्तपोषित किया जिसके अंतर्गत ₹461 करोड़ की कुल सहायता प्रदान की गयी। वर्षांत तक 1.38 लाख खातों सहित डीआरआई में बकाया ₹832 करोड़ रहा।
- **स्व-सहायता समूह (एसएचजी)** – वर्ष के दौरान 25741 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया। कुल ₹832 करोड़ सहित 47076 स्व-सहायता समूह (एसएचजी) ऋण संबद्ध हुए। वर्षांत तक 92117 लाख एसएचजी खातों सहित एसएचजी में बकाया ₹1902 करोड़ रहा।

सूक्ष्म बीमा

वर्ष के दौरान बैंक ने सूक्ष्म बीमा नीति के तहत 61247 बीएसबीडी खाताधारकों को बीमा प्रावरण मुहैया कराया।

इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी)

कर्नाटक के चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गुलबर्गा व यादगीर जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन (एसएसपी) अदा करने के

261 FI branches opened during 2013-14, mobilized a total business of ₹538 crore, with an average business of ₹2 crore from 3.34 lakh accounts. CASA deposits of these branches constituted 63.55%.

Position of Basic Savings Bank Deposit (BSBD) Accounts

The Bank opened 26.40 lakh BSBD accounts during the year, out of which, 10.74 lakh BSBD accounts were opened in FI villages. Total number of BSBD accounts outstanding as on 31.03.2014 was 85.46 lakh, with an outstanding deposits of ₹1647 crore.

Credit Linkage

Financial deepening is yet another endeavour by the Bank in providing various other facilities like In-Built Overdrafts (IODs), Kisan Credit Cards (KCCs), General Credit Cards (GCCs), Differential Rate of Interest Scheme (DRI), Self Help Groups (SHGs), Micro Credit Groups (MCGs), Micro Insurance and Micro Pension under Canara Naye Disha Scheme.

- **IODs** - In built OD facility permitted to 3.22 lakh beneficiaries, amounting to ₹43.65 crore.
- **KCCs** - During the year, the Bank issued 4.97 lakh KCCs, amounting to ₹7095 Crore. As at March 2014, the credit outstanding under KCCs was at ₹8031 crore.
- **GCCs** - The Bank issued 1.99 lakh GCCs during the year, with total disbursement of ₹461 crore. GCCs outstanding at the end of the year was 3.89 lakh accounts, with a balance of ₹832 crore.
- **DRIs** - During the year, the Bank financed 98000 persons under DRI Scheme, with total assistance of ₹128 crore. DRI outstanding at the end of year was 1.38 lakh accounts, with a balance of ₹145 crore.
- **SHGs** - 25741 SHGs were formed during the year. Credit linked 47076 SHGs, with credit of ₹821 crore. The outstanding SHGs at the end of the year stood at 92117 accounts, with a balance of ₹1902 crore.

Micro Insurance

The Bank provided life coverage to 61247 BSBD account holders under Micro Insurance Policy during the year.

Electronic Benefit Transfer (EBT)

The Bank took up implementation of EBT for payment of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) wages and Social Security Pension (SSP)

उद्देश्य से बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाया। तमिलनाडु में बैंक ने एसएसपी का भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) कार्यान्वित किया। कर्नाटक में चित्रदुर्गा में तथा तमिल नाडु के सभी जिलों में भुगतान बीसीए के माध्यम से किये जाते हैं।

सूक्ष्म वित्त शाखाएं

बैंक ने शहरी केन्द्रों में 20 सूक्ष्म वित्त शाखाएं खोली हैं। इन शाखाओं ने कुल ₹344 करोड़ का कारोबार जुटाया है।

केनरा ग्रामोद्योग योजना

19 नवंबर 2013 को बैंक के संस्थापक दिवस के अवसर पर, बैंक द्वारा गोद लिये गये 65 गांवों व 3 झुग्गी झोंपड़ियों का सही मायने में विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केनरा ग्रामोद्योग नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया गया ताकि साख व गैर-साख समर्थन के ज़रिए सामाजिक – आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तन लाया जा सके।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी)

बैंक ने आम लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए 60 वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किया है। अब तक इन साक्षरता केन्द्रों ने 7.38 लाख लोगों से संपर्क किया है तथा 1.19 लोगों को सलाह दी है।

बैंक ने विभिन्न साक्षरता क्रियाकलाप निम्नवत आयोजित किए हैं:

- **स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता:** बैंक ने सरकारी प्राथमिक के स्कूली बच्चों को एनजीओ के माध्यम से टैबलेट पीसी के इस्तेमाल से सरल खेलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान किया है। बच्चे खेलते समय बैंक, पैसा व बचत के बारे में सीख सके, जिसे अभिवाकों व स्कूल शिक्षकों द्वारा सराहा गया।
- **स्कूली शिक्षकों के लिए वित्तीय साक्षरता:** बैंक ने कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के 5 सरकारी ग्रामीण स्कूलों में मेसर्स एजीई, मुम्बई के साथ स्कूली शिक्षकों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया।
- **स्वयं सहायता समूह नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:** बैंक ने इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन इंडिया एक एनजीओ के साथ स्वयं सहायता समूह प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आयोजित किए। ऐसे 24 कार्यक्रम आयोजित करके 1057 स्वयं सहायता समूह प्रमुखों को प्रशिक्षित किया गया। स्वयं सहायता समूह प्रमुखों ने आगे अपने सदस्यों को प्रशिक्षित किया।

in Chitradurga, Bellary, Gulbarga and Yadgir districts in Karnataka. In Tamil Nadu, the Bank implemented EBT for the payment of SSP. The payments are done through BCAs in Chitradurga in Karnataka and in all districts of Tamil Nadu.

Micro Finance Branches

The Bank has opened 20 Micro Finance Branches in urban centres. These branches mobilized a total business of ₹344 crore.

Canara Gramodaya Scheme

On 19th November 2013, the Bank's Founder's Day, a new Scheme called 'Canara Gramodaya' was launched for holistic development of 65 villages and 3 slums adopted by the Bank for bringing in socio-economic and cultural changes through credit and non-credit support.

Financial Literacy Centres (FLCs)

The Bank has set up 60 FLCs to provide financial education to common man. So far, these FLCs have contacted 7.38 lakh persons and counselled 1.19 lakh persons.

The Bank has conducted various Financial Literacy activities as under:

- **Financial literacy for the school children:** Imparted financial literacy to the school children of Govt. Primary schools through simple games using tablet PCs by engaging an NGO. The children learnt about the Bank, money and savings while playing the games, which was appreciated by both parents and school teachers.
- **Financial literacy for the school teachers:** The Bank conducted a financial literacy programme for the School teachers in 5 Govt. rural schools in Chitradurga District, Karnataka, in association with M/s AGES, Mumbai.
- **Training programme for the leaders of the SHGs:** The Bank conducted training programme for the leaders of the SHGs by engaging International Network of Alternative Financial Institutions (INAFI) India, an NGO. 24 such programmes were conducted in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala and 1057 SHG leaders were trained. The SHG leaders, in turn, trained their members.

- **उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों का प्रशिक्षण(उ.प्र.):** बैंक ने उत्तर प्रदेश में मेसर्स नेशनल एसोशियन ऑफ स्कूल प्रोफेशनल के साथ आगरा व अलिगढ़ प्रत्येक के 30 स्कूलों में लगभग 30000 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाया। प्रथम चरण में 60 कार्यक्रमों को पूरा किया गया। दूसरा चरण शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।
- **‘यक्षगान’ के माध्यम से वित्तीय साक्षरता:** बैंक ने कर्नाटक के उत्तर केनरा और शिमोगा ज़िला में लोकप्रिय लोक कला ‘यक्षगान’ के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया है।
- **किसान क्लब :** बैंक ने प्रगतिशील किसानों को संबद्ध करते हुए 934 किसान क्लब गठित किए हैं जो स्वेच्छा से क्रेडिट के माध्यम से विकास के सिद्धांतों का प्रसार और बेहतर भुगतान नैतिकता को जगाने और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं।
- **केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी वाहन:** ग्रामीण लोगों में बैंक उत्पाद व बैंकिंग सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु देश भर में 38 जिले में केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी वाहन तैनात किए गए हैं।
- **कॉमिक बुक्स:** बैंक वित्तीय साक्षरता व शिक्षा के लिए 08 भाषाओं में कॉमिक बुक अर्थात ‘मुद्रा और बचत’ भी लाया है। अग्रणी ज़िला कार्यालय, ग्रामीण शाखाएं, वित्तीय साक्षरता केन्द्र, और किसान क्लब के द्वारा ये पुस्तकें ग्रामीण लोगों को उपलब्ध करायी गयी थीं।
- **Training of school children in Uttar Pradesh (UP):** The Bank took up training of school children in UP, in association with M/s National Association of School Professionals (NASP) in 30 schools each in Agra and Aligarh districts to train about 30000 students. The 1st Phase of the programme was completed in 60 schools. 2nd Phase will be taken up shortly.
- **Financial literacy through ‘Yakshagana’:** The Bank also conducted financial education programmes through ‘Yakshagana’, a popular folk art in Shimoga and North Canara Districts in Karnataka.
- **Farmers’ Clubs:** The Bank has formed 934 farmers’ clubs through associating progressive farmers, who volunteered to disseminate the principles of development through credit and also inculcate better repayment ethics and promote participation.
- **Canara Gramin Vikas Vahini Vehicles:** Canara Gramin Vikas Vahini Vehicles in 38 potential districts across the country have been deployed to create awareness about Bank’s products and Banking facilities among the rural households.
- **Comic Books:** The Bank has also brought out a comic book, viz., ‘Money and Savings’ on financial literacy and education, in eight languages. The Book was made available to the rural people through Lead District Offices, Rural Branches, FLCs and Farmers’ Clubs.

आधार नामांकन

10 राज्यों में 2.37 लाख निवासियों को प्रावर्तित करते हुए आधार नामांकन के लिए प्रायोजिक परियोजना आरम्भ की गई है। बैंक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ आधार प्रयोक्ता प्रमाणन (एयूए) समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए पहले ही समझौता कर चुका है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई) के साथ आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) व आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एबीपीएस) के लिए भी समझौता किया है। बैंक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और यूआईडीईआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के बोर्ड में है। बैंक एलपीजी सब्सिडी की प्रत्यक्ष क्रेडिट की प्रायोजिक परियोजना में भी भाग ले रही है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना कार्यान्वयन

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यान्वयन के प्रथम व द्वितीय चरण में बैंक ने अग्रणी बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थी का बचत बैंक खाता खोला है और उनके खाते को आधार नम्बर के साथ जोड़ दिया है। सामाजिक हकदारियों को लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष अंतरण के लिए इन आधार संख्याओं का एन पी सी आई डाटा के साथ मैपिंग की गई थी। लाभार्थी के लिए उनकी सुविधानुसार आसानी

AADHAAR Enrolments

Pilot Project for Aadhaar enrolments is undertaken in 10 States, covering 2.37 lakh residents. The Bank has already entered into agreement with UIDAI by signing Aadhaar User Authentication (AUA) Agreement and with National Payments Corporation of India (NPCI) for Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) and Aadhaar Payment Bridge System (APBS). The Bank is on-board with NPCI and UIDAI. The Bank is also participating in pilot project for direct credit of LPG subsidy.

Implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme

In the 121 Districts in Phase I and Phase II of DBT implementation, the Bank opened SB accounts of the DBT beneficiaries’ provided by the Lead Bank and seeded their accounts with their Aadhaar numbers. These Aadhaar numbers were also mapped with NPCI data to facilitate direct transfer of social entitlements to the beneficiaries’ accounts. The Bank also ensured adequate number of

से मुद्रा आहरण हेतु बैंक ने भी यथोचित संख्या में अभिगमन केन्द्र (एक्सेस प्वाइंट) यथा, शाखा, एटीएम, नकद डिसपेंसर, बीसीए इत्यादि सुनिश्चित किया है।

समग्र रूप में बैंक	यथा 31.03.2014
ज़िले की संख्या	121
भाग लेने वाले शाखाओं की संख्या	1181
खोले गए नए खातों की संख्या	129602
आधार से जोड़े गए खातों की संख्या	103350
शाखा स्थित एटीएम की संख्या	1181

बैंक ने एल पी जी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यान्वयन के तहत एलपीजी ग्राहकों को आधार संख्या के साथ जोड़ने में केरल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

अग्रणी बैंक योजना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 03 मेट्रो जिले में बैंक को अतिरिक्त अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व दिया गया है। इसके साथ ही बैंक का अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व की संख्या बढ़कर देश के 29 जिलों में हो गई है जिनमें से कर्नाटक में 08, तमिलनाडु में 07 केरल व उत्तरप्रदेश में 05, दिल्ली में 03 और बिहार में 01 जिले में है। केरल में यह बैंक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एस बी एसल सी) का संयोजक है।

महिलाओं में उद्यमिता विकास

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में महिला उद्यमिता विकास केन्द्र (सीईडीडीब्ल्यू) और 34 अंचल कार्यालय में केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान 23895 महिलाओं को लाभ पहुंचाते हुए 364 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिनमें 177 सामान्य /कौशल उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), 70 उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और 46 संगोष्ठियां/कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम शामिल हैं। बैंक ने 61 केनरा उत्सव /केनरा बाजार आयोजित करते हुए महिला उद्यमी को विपणन सहायता भी उपलब्ध करायी। महिला उद्यमिता विकास केन्द्र ने इन्हें स्वयं सहायता समूह निर्माण व क्रेडिट लिंकेज में सहायता की है। कर्नाटक के हारोहल्ली में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देते हैं और विभिन्न व्यवसायों में स्वरोजगार उपक्रम शुरू करने के लिए उन्हें सक्षम बनाते हैं। संस्थान द्वारा स्थापना के बाद से 17455 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। बैंक द्वारा प्रायोजित 65 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान /ग्रामीण विकास और स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान स्थापना के बाद से 295983 महिलाओं को स्वरोजगार उपक्रम में प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से 30,855 वर्ष 2013-14 में प्रशिक्षित किए गए थे।

महिला लाभार्थियों को समायोजित शुद्ध ऋण का 5% भारतीय रिजर्व बैंक की जरूरत के मुकाबले बैंक ने मार्च 2014 तक 15.95% प्राप्त किया है। मार्च 2014 तक 36,669 करोड़ रुपए की बकाया ऋण के

access points, i.e., branch, ATM, cash dispenser, BCA, etc to enable the beneficiaries' to easily withdraw the money as per their convenience.

Bank as a Whole	As on 31.03.2014
No. of Districts	121
No. of Branches participating	1181
No. of New accounts opened	129602
No. of A/cs seeded with AADHAAR	103350
No. of Branches with onsite ATM	1181

Under DBT LPG implementation, the Bank achieved number one position in Aadhaar seeding of LPG customers in Kerala.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned additional lead bank responsibilities in 3 Metro Districts of Delhi National Capital Territory. With this, the Bank's lead bank responsibilities increased to 29 districts in the country, viz., 8 in Karnataka, 7 in Tamil Nadu, 5 in Kerala, 5 in Uttar Pradesh, 3 in Delhi and 1 in Bihar. The Bank is the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in Kerala.

Entrepreneurship Development among Women

Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at Head Office, Bangalore and Centres at 34 Circle Offices are working towards economic empowerment of women. These Centres organized 364 training programmes, benefitting 23895 women during 2013-14, including 177 General/Skill Entrepreneurship Development Programmes (EDP), 70 Entrepreneurship Awareness Programmes and 46 Seminars/Career Guidance Programmes. The Bank also provided marketing support to women entrepreneurs by organizing 61 Canara Utsav/Canara Bazar. The CEDW Centres have also assisted in formation of SHGs and credit linkages. A Rural Self Employment Training Institute set up at Harohalli, Karnataka provides EDP skill trainings to women in various vocations for enabling them to take up self employment ventures. The Institute has trained 17455 women since inception. Through 65 RSETIs / RUDSETIs sponsored/co-sponsored by the Bank, 295983 women have been trained in self employment ventures since inception, of which, 30855 were trained in 2013-14.

As against RBI's requirement of 5% of Adjusted Net Credit to women beneficiaries, the Bank achieved 15.95% as at March 2014. Over 20.67 lakh women were assisted, with a credit outstanding to the tune of ₹36669 crore as at March 2014. The Bank is also extending credit with 0.5%

साथ 20.67 लाख से ज्यादा महिलाओं को सहायता पहुंचाई गई थी। बैंक बालिकाओं को 0.5% की रियायत पर शिक्षा ऋण तथा महिलाओं को सूक्ष्म व लघु उद्यमों के तहत ऋण उपलब्ध करा रही है।

उद्यमिता को बढ़ावा देने के क्रम में बैंक ने एक वार्षिक पुरस्कार योजना आरंभ की है, बैंक द्वारा वित्तपोषित 04 सफल महिला उद्यमी व 01 स्वयं सहायता समूह को ₹10000 से ₹100000 तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। महिला ग्राहकों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के लिए बैंक ने 14 शाखाओं को “सभी महिला कर्मचारी शाखा” के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर गतिविधियों में कीर्तिमान स्थापित करना

संस्थापक सिद्धांतों व सदियों पुरानी परम्परा का पालन करते हुए बैंक ने विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में लगा हुआ है। बैंक का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल बहुआयामी है जिसमें बेरोजगार ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण व अन्य सामाजिक पहल शामिल हैं।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक शाताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी) के माध्यम से बैंक ने 26 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, 05 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान व 03 शिल्पकार प्रशिक्षण संस्थान सहित 34 विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 26251 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही प्रभावशाली निपटान 73% की दर से शुरुआत से आज तक बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने की संख्या 2.16 लाख हो गई है।

बैंक ने स्वरोजगार कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने में लगे हुए 17 राज्यों में अन्य 27 ग्रामीण विकास और स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटि) को सह – प्रायोजित किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 23861 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही 73% की निपटान (रोजगार) दर से बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने की संख्या 3.45 लाख हो गई है।

बैंक ने हैदराबाद में ग्रामीण व उद्यमी विकास हेतु आन्ध्र प्रदेश बैंकर्स संस्थान/ हलियाल, कर्नाटक में केनरा बैंक देशपांडे आरएसईटीआई, बागलकोट, कर्नाटक में कर्नाटक किसान संसाधन केन्द्र (के एफ आर सी) व बेंगलूर में भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया प्रशिक्षण संस्थान को सह प्रायोजित किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने तीन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं यथा, ए) 08.03.2014 को श्री जवाहर ठाकुर, सी जी ए, भारत सरकार

concession on education loans to girl children and loans to women beneficiaries under micro and small enterprises.

In order to encourage entrepreneurship, the Bank launched an annual award scheme and awarded 4 successful women entrepreneurs and 1 SHG financed by the Bank, with cash awards ranging from ₹10000 to ₹100000. To give focused attention to the needs of women clientele, the Bank has converted 14 branches into “All Women Employee Branches”.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Setting Examples in CSR Activities

Following founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities like training unemployed rural youth, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women and other social initiatives.

Rural Development

The Bank, through its Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT), has established 34 exclusive training institutes, including 26 Rural Self Employment Training Institutes, 5 Institutes of Information Technology and 3 Artisan Training Institutes to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them taking up self-employment activities. During 2013-14, these Institutes trained 26521 candidates, taking the tally to 2.16 lakh unemployed youth since inception, with an impressive settlement rate of 73%.

The Bank has co-sponsored another 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across 17 States, engaged in training of rural youth for taking up self-employment programmes. During 2013-14, these Institutes trained 23861 candidates, taking the tally to 3.45 lakh unemployed youth, with a settlement rate of 73%.

The Bank has co-sponsored Andhra Pradesh Bankers Institute for Rural and Entrepreneurship Development (APBIRED) at Hyderabad, Canara Bank Deshpande RSETI at Haliyal, Karnataka, Karnataka Farmers Resource Centre (KFRC) at Bagalkot, Karnataka and Bharat Ratna Shri M Visvesvaraya Training Institute at Bangalore.

During the year, the Bank set up 3 Training Institutes., viz., a) RSETI at Bahora, Purnea district, Bihar inaugurated

द्वारा उद्घाटित बहोरा, पुर्णिया जिला बिहार में आरएसईटीआई, बी) 22.06.2013 को मसौली, यू पी में आरएसईटीआई खोला गया और सी) 22.06.2013 को बडगाव, बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश में केनरा बैंक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सीबीआईआईटी) खोला गया।

सम्यक रूप से बैंक ने 65 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित/सह प्रायोजित किया है जहां 73% की निपटान दर के साथ अबतक 5.67 लाख बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

पिछड़े गांवों में, जहां कि आधारभूत चिकित्सा सुविधा नहीं है, बैंक ने ग्रामीण क्लिनिक सेवा की नेक योजना का शुभारम्भ किया है।

बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह व शिल्पकार को उनके उत्पादों के विपणन हेतु हार्ड टेक, कस्टम निर्मित, सौर ऊर्जा चालित 'खुदरा मोबाईल विपणन वैन' दान किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने सीएस आर कार्यक्रमों के तहत समुदायों के लाभ हेतु निम्नलिखित बहुसंख्यक गतिविधियों की हैं।

- **गांवों में डिफ्लोरिडेशन रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट:** बैंक ने चिकबल्लापुर व कोलार जिले के 217 गांवों में शुद्ध पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिफ्लोरिडेशन रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना की लागत लगभग ₹17.36 करोड़ है।
- **अग्रणी जिले के 130 स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण:** बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अग्रणी जिले की 05 स्कूलों में शौचालय निर्माण परियोजना प्रायोजित किया है। ₹3.52 करोड़ लागत वाली इस परियोजना की शुरुआत दिनांक 19 मार्च 2014 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान की गई।
- **केनरा विद्या ज्योति योजना:** कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल के तहत भारत रत्न डॉ. बी आर अम्बेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाके की अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को वित्तीय सहायता पहुंचाने हेतु 'केनरा विद्या ज्योति योजना' की शुरुआत की गई थी। प्रत्येक ग्रामीण शाखा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 06 छात्राओं को वित्तीय सहायता पहुंचाना अनिवार्य कर दिया गया था। कक्षा 5वीं से 7वीं तक के छात्र के लिए सहायता की राशि ₹2500 प्रति छात्र तथा 8वीं से 10वीं तक के छात्र के लिए ₹5000 प्रति छात्र तय की गई थी।
- **गांवों का समन्वित विकास:** विशाल ग्रामीण व अर्ध शहरी ग्राहक आधार को ध्यान में रखते हुए बैंक ने केनरा ग्रामोदय योजना के तहत 65 गांवों व 03 गंदी बस्तियों को उनके समन्वित विकास हेतु गोद लिया है। इन गांवों के विकास के लिए बजट आबंटन कर दिया गया है। बैंक स्थाई आधार पर परियोजना चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

by Shri Jawahar Thakur, CGA, Government of India on 08.03.2014. b) RSETI at Masauli, UP opened on 22.06.2013 and c) Canara Bank Institute of information Technology (CBIIT) at Badagaon, Barabanki District, UP opened on 22.06.2013.

Cumulatively, the Bank has sponsored / co-sponsored 65 training institutes, which have trained 5.67 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 73%.

The Bank has a noble Scheme of Rural Clinic Services at remote villages, lacking basic medical facilities.

The Bank has donated a hi-tech, custom built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.

During the year, the Bank undertook a number of activities for the benefit of the communities as part of CSR programmes as under:

- **De-fluoridation- Reverse Osmosis plants in villages:** The Bank has undertaken an ambitious project of providing De-fluoridation - RO plants for pure drinking water facility in 217 villages of Kolar and Chickaballapur districts. The estimated cost of the project is about ₹17.36 crore.
- **Construction of Toilets for Girls in 130 Schools in Lead Districts:** The Bank has sponsored the project under CSR for construction of toilets for girls in 5 Schools in each Lead District. The project costing ₹3.52 crore was soft launched during International Women's Day Celebrations on 19th March, 2014.
- **Canara Vidya Jyothi Scheme:** As a humble homage to Bharat Ratna Dr B R Ambedkar and to encourage education, a Scheme of extending financial assistance to SC/ST girl students from rural areas named as "Canara Vidya Jyothi Scheme" was launched under CSR initiative. Each rural branch of the Bank was mandated to extend financial assistance to 6 girl students of their command area. Amount of assistance was fixed at ₹2500 per student for students of class 5th to class 7th and ₹5000 per student for students of class 8th to class 10th.
- **Integrated development of villages:** Keeping in mind the vast rural and semi-urban client base, the Bank has adopted 65 villages and 3 slums for their integrated development under Canara Gramodaya Scheme. Budgetary allocation for development has also been made for these villages. The Bank is committed to run the project on sustainable basis.

- **केरल की कासरगोड ज़िला के ईंडोसल्फान प्रभावित लोगों की सहायता:** केरल की कासरगोड ज़िले के गांव के लोग काजू पेड़ पर स्प्रे करने हेतु जैविक कीटनाशक एंडोसल्फान से निरंतर प्रभावित रहते हैं। 3000 से ज्यादा लोग दुर्लभ दुर्बल रोगों जैसे मानसिक विकलांगता, मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी) कैंसर इत्यादि से प्रभावित थे। बैंक ने इन ईंडोसल्फान पीड़ितों के पुनर्वास पैकेज के रूप में ₹53 लाख वित्तीय सहायता पहुंचाई। सहायता पीड़ित लोगों के लिए गृह निर्माण तथा पीड़ित परिवारों के बच्चे के स्कॉलरशिप के लिए है।
- **आन्ध्र प्रदेश के नलगोंडा ज़िले में फ्लोराइड प्रभावित गांवों के लिए सुरक्षित पेय जल सुविधा:** आन्ध्र प्रदेश के नलगोंडा ज़िले के 18 फ्लोराइड प्रभावित गांवों में ₹36 लाख की वित्तीय लागत से पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
- **विकलांग व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के लिए सहायता:** विकलांग व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए समान विचार वाले एजेंसियों के साथ कई कार्यक्रम जैसे भगवान महावीर ट्रस्ट को सहायता, मार्गदर्शी ट्रस्ट को विकलांग महिलाओं के लिए बहुदेशीय हॉल का निर्माण, विकलांग संघ, एनेबल इंडिया के साथ विकलांग लोगों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सहायता।
- **जरूरतमंद लोगों का सेवा / इलाज करने के लिए प्रतिष्ठित अस्पतालों से उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता:** नागरिक केन्द्रित अस्पताल को सहायता जैसे सेवाक्षेत्र अस्पताल और ज्ञानसंजीवनी डाइबिटीज अस्पताल को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगी का इलाज करने के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।
- बैंक भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, राजस्थान से विकलांग हेतु कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने हेतु सम्बद्ध है। बैंक ने वर्ष के दौरान 07 विभिन्न केन्द्रों पर **जयपुर फुट** कैंप आयोजित करने और जरूरत मन्द लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने हेतु ₹99.57 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। कैंप के दौरान 2800 से ज्यादा विकलांग लोग लाभान्वित हुए थे।
- गान्धी जी द्वारा आरम्भ किए गए साबरमती आश्रम में **सोमनाथ छात्रालय** के मरम्मत के लिए बैंक ने ₹60 लाख के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।
- **Assistance to Endosulfan affected people in Kasargod district of Kerala:** Villages of Kasargod district in Kerala have been exposed to endosulfan, a persistent organic pesticide, sprayed on the cashew plantations. More than 3000 people were affected by debilitating rare diseases like mental retardation, cerebral palsy, cancer, etc. The Bank extended financial assistance of ₹53 lakh for rehabilitation package for these endosulfan victims. The assistance is for construction of houses for the affected people and scholarship to the children of affected families.
- **Safe drinking water facility to fluoride affected villages in Nalgonda District of Andhra Pradesh:** 18 fluoride affected villages of Nalgonda district, Andhra Pradesh were provided drinking water facilities, involving a financial outlay of ₹36 lakh.
- **Support to persons with disability to lead a better life:** A number of programmes in association with likeminded agencies were taken to support persons with disability like assistance to Bhagawan Mahaveer Trust, Margadarsi trust for construction of multipurpose hall for disabled women, Association of people with disability, conducting Entrepreneurship Development Trainings for people with disability, in association with Enable India.
- **Extending financial support for procuring equipments by reputed hospitals to serve/treat deserving needy people:** Assisted citizen centric hospitals like Sevakshetra Hospital and Gyanasanjivini Diabetes hospital for procuring medical equipments for treating patients from economically weaker sections of the society.
- The Bank has associated with Bhagawan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Rajasthan to provide 'Jaipur Foot', an artificial limb to the disabled. The Bank provided financial support of ₹99.57 lakh during the year for organizing 'Jaipur Foot' Camps in 7 different centres and sponsoring of the artificial limbs to the needy persons. Over 2800 disabled persons were benefitted during the camps.
- The Bank provided a financial support amounting to ₹60 lakh to undertake repairs of **Somnath Chhatralaya** in Sabarmati Ashram, Ahmedabad, started by Gandhiji.

संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण

वर्ष 2013-14 के दौरान सरकारी आश्वासन सम्बन्धी संसदीय समिति ने बैंक का निरीक्षण किया।

Visits by Parliamentary Committees

During 2013-14, Parliamentary Committee on Government Assurances visited the Bank.

संगठन और सहायता सेवाएं

शाखा नेटवर्क

सम्पूर्ण भारत में उपस्थिति का विस्तार

बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान बड़े पैमाने पर शाखा विस्तार किया है और वर्ष के दौरान 1027 नई गृह शाखाएं जोड़ी गई हैं जो पूरे बैंकिंग इतिहास में और भारत के बैंकों में सबसे ज्यादा हैं। मार्च 2014 तक 05 विदेशी शाखाओं के साथ बैंक की 4755 शाखाएं थी।

शाखा नेटवर्क की संरचना

श्रेणी	शाखाओं की संख्या		वर्ष के दौरान खोले गए
	31.03.2013	31.03.2014	
मेट्रोपोलिटन	811	894	83
शहरी	795	928	133
अर्ध शहरी	1055	1484	429
ग्रामीण	1062	1444	382
विदेशी	5	5	--
कुल शाखाएं	3728	4755	1027

बैंक ने वर्ष के दौरान 101 विशेष शाखाएं खोली हैं जिससे 31 मार्च 2014 तक विशेष शाखाओं की कुल संख्या 262 हो गई है।

विशेष शाखाओं की श्रेणी	31.03.2014
1. एस एम ई	143
2. मिड कॉर्पोरेट शाखाएं	30
3. सूक्ष्म वित्त	20
4. आस्ति वसूली प्रबन्धन	14
5. प्राइम कॉर्पोरेट	11
6. विदेशी	11
7. कृषि वित्त	10
8. अनिवासी भारतीय	6
9. बचत	5
10. औद्योगिक वित्त	3
11. स्टॉक एक्सचेंज	2
12. पूंजी बाजार	2
13. महिला बैंकिंग	2
14. आवास वित्त	1
15. विकलांग के लिए शाखाएं	1
16. विशेष सरकारी कारोबार शाखा	1
कुल	262

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network

Expanding Pan India Presence

The Bank undertook a massive branch expansion drive in 2013-14 and added 1027 domestic branches during the year, the highest in its entire history and one of the highest among the banks in India. As at March 2014, the Bank had 4755 branches, including 5 overseas branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches		Opened during the year
	31.03.2013	31.03.2014	
Metropolitan	811	894	83
Urban	795	928	133
Semi-urban	1055	1484	429
Rural	1062	1444	382
Overseas	5	5	--
Total Branches	3728	4755	1027

The Bank added 101 Specialized Branches during the year, taking the total tally under the Specialized Branches to 262 as at March 2014.

Categories of Specialized Branches	31.03.2014
1. SMEs	143
2. Mid Corporate Branches	30
3. Micro Finance	20
4. Asset Recovery Management	14
5. Prime Corporate	11
6. Overseas	11
7. Agri-Finance	10
8. NRIs	6
9. Savings	5
10. Industrial Finance	3
11. Stock Exchange	2
12. Capital Market	2
13. Mahila Banking	2
14. Housing Finance	1
15. Branch for Physically Challenged	1
16. Specialized Govt Business Branch	1
TOTAL	262

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल में प्रगति:

2013-14 के दौरान 3572 केन्द्रों में फैले बैंक ने रिकॉर्ड 2786 एटीएम खोले जिससे एटीएम की कुल संख्या 6312 हो गई है। मार्च 2013 तक खोली गई सभी 3728 शाखाओं में 100% शाखा स्थित एटीएम मार्च 2014 तक पूरा कर लिया गया है। बैंक के डेबिट कार्ड का आधार मार्च 2013 की तुलना में 95.53 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है।

बैंक ने चयनित शाखाओं में एटीएम, नकद जमा किओस्क, स्व मुद्रित पासबुक किओस्क, इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल, ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल, और कॉर्पोरेट वेबसाइट एक्सेस सुविधा वाले 102 हाई टेक ई-लाउंज खोले हैं। चयनित ई-लाउंज में इंटरैक्टिव विडियो सम्मेलन प्रणाली कॉन्फिगर किया गया है।

1400 शाखाओं में पास बुक स्व मुद्रण किओस्क सक्षम किया गया है।

ग्राहक के अनुकूल सूचना तकनीकी पहल

वर्ष के दौरान बैंक ने 'केनरा ई इंफोबुक' एक ईलेक्ट्रॉनिक पासबुक और बैंक से सम्बन्धित सूचना की सुविधा की शुरुआत की है जो अंग्रेजी, हिन्दी और 04 क्षेत्रीय भाषाओं यथा कन्नड, तेलुगु, तमिल व मलयालम में एंड्राइड, विंडोस 8 और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

बैंक ने क्रेडिट व डेबिट कार्ड के तहत केनरा बैंक रूपे डेबिट कार्ड, केनरा क्लब कार्ड डेबिट, केनरा सिक्वोर्ड क्रेडिट कार्ड, केनरा ईलाइट डेबिट कार्ड और चिप कार्ड का शुभारंभ किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने ऑनलाइन बचत खाता व पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा की शुरुआत की है।

इंटरनेट बैंकिंग के तहत ग्राहक द्वारा ऑनलाइन नेट बैंकिंग प्रयोगकर्ता पहचान (आईडी) पंजीकरण व लॉगइन पासवर्ड की उत्पत्ति, ग्राहक द्वारा ही प्रयोगकर्ता आई डी का अनलॉक किया जाना व पासवर्ड को पुनः सेट किया जाना, पी2ए (व्यक्ति से खाता) आईएमपीएस द्वारा निधि अंतरण सुविधा, चेक बुक अनुरोध, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा मोबाइल बैंकिंग का पंजीकरण, कॉर्पोरेट ग्राहक के लिए एकमुस्त अपलोड सुविधा (आंतरिक निधि अंतरण नेफ्ट व आरटीजीएस), उच्च मूल्य लेन देन व कॉर्पोरेट निधि अंतरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा, डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग, आईबीआईबीओ और ईबिलिंग सहित 07 व्यापारी समूह द्वारा ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा, नेट बैंकिंग ग्राहक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग लॉग इन करने पर तत्काल पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सिक्वोरीटी अलर्ट जैसी विभिन्न सेवाओं की शुरुआत की गई है।

Progress in Alternate Delivery Channels

During 2013-14, the Bank added a record 2786 ATMs, taking the total number of ATMs to 6312, spread across 3572 centres. 100% onsite ATMs for all 3728 branches opened up to March 2013 is also completed as at March 2014. The Bank's debit card base rose to 1.51 crore compared to 95.53 lakh as at March 2013.

The Bank opened 102 hi-tech E-lounges in select branches with facilities like ATM, Cash Deposit Kiosk with voice guided system, Cheque Deposit Kiosk, Self Printing Passbook Kiosk, Internet Banking Terminal, Online Trading Terminal and Corporate Website Access. Interactive Video Conference System is configured at select e-Lounges.

Pass-Book Self-Printing Kiosks has been enabled in 1400 branches.

Customer-friendly InfoTech Initiatives

During the year, the Bank introduced 'Canara e-Infobook' – an electronic passbook and banking related information facility in English, Hindi and 4 Regional Languages, viz., Kannada, Telugu, Tamil and Malayalam on Android, Windows8 and iOS mobile platforms.

Canara Bank RuPay Debit Card, Canara Club Card – Debit, Canara Secured Credit Card, Canara Elite Debit Card and EMV Chip Cards under debit and credit cards were launched by the Bank.

The Bank introduced Online Savings Bank and PPF account opening facility during the year.

Several services under **Internet Banking** were introduced including Online Registration of Net Banking User ID and Generation of Login Password by the Customer, Unlocking User ID and Reset of Password by Customers themselves, P2A (Person to Account) Funds Transfer Facility through IMPS, Cheque Book request, Registration for Mobile Banking through Internet Banking, Bulk-upload Facility (Internal Funds Transfer, NEFT and RTGS) for Corporate Customers, Digital Certificate facility for Corporate Fund Transfers and High Value Transactions, Hot listing of Debit Card, Online Bills Payment through 7 Merchant Aggregators including IBIBO and EBILLING and Security Alert to Registered Mobile Number of Net Banking Customer immediately on Login to Internet Banking.

मोबाइल बैंकिंग के तहत बैंक ने ऋण व सावधि जमा पूछताछ, चेक बुक अनुरोध, एस एम एस भेजकर मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण, एटीएम द्वारा मोबाइल बैंकिंग सक्रियन और डी2 एच (डाइरेक्ट टू होम सैटेलाइट केबल कनेक्शन) रिचार्ज सेवा की शुरुआत की गई है। एंड्राइड आधारित मोबाइल हैंड सेट के लिए मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन जारी किया गया।

वर्ष के दौरान अन्य मूल्य संवर्धन में शामिल है फिंगरप्रिंट आधारित बायोमेट्रिक लॉग इन सॉल्यूशन, घरेलू ग्राहकों के लिए खाता शेष जानने के लिए 092892 92892 पर व अनिवासी ग्राहकों द्वारा विगत 03 लेन देन की जानकारी के लिए 092891 92891 पर छूटी कॉल (मिस्ड कॉल) की सुविधा, खुदरा ऋण उत्पाद के लिए विशिष्ट टॉल फ्री नम्बर 1800425 1254 उपलब्ध कराया गया, जहां भुगतान की शर्तें संयुक्त रूप से हैं वहां संयुक्त खाता धारक द्वारा केनरा बैंक एटीएम में एटीएम परिचालन की सुविधा और सी बी एस में आधार संख्या को सम्बद्ध करने की सुविधा तथा बैंक की वेबसाइट द्वारा स्थिति का सत्यापन इस सुविधा के लिए बैंक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से सहायता मिला है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की आईएमपीएस सुविधा द्वारा ई-हुंडी संग्रहण, एटीएम द्वारा संस्थागत शुल्क भुगतान, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान की ऑनलाइन व एटीएम के द्वारा स्वीकार्यता, धार्मिक व लोकोपकारी ट्रस्ट / संस्थानों के लिए नेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग सक्षम की गई है। एसएमएस द्वारा क्रेडिट व डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग और वन टाइम पासवर्ड प्रयोग कर आईएमपीएस मार्चेट आधारित पुल लेनदेन (जैसे एसएमएस आधारित आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग) का शुभारंभ किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक ने नई पीढ़ी आरटीजीएस व नेफ्ट सन्देशों को निरंतर जारी करना लागू किया है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने सूचना सुरक्षा, ईलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन व साइबर धोखाधड़ी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी समूह (अध्यक्ष श्री जी गोपालकृष्ण) की सिफारिश को पूर्णरूपेण लागू किया है। बैंक ने 12.04.14 को आईएसओ 27001:2013 प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है।

जनशक्ति प्रोफाइल

मार्च, 2014 को बैंक में 48794 कर्मचारी थे।

	मार्च 2013	मार्च 2014
कर्मचारियों की कुल संख्या	42693	48794
अधिकारी	17835	20878
क्लर्क	16095	18770
अधीनस्थ कर्मचारी*	8763	9146

* अंशकालिक कर्मचारी सहित (पीटीई)

बैंक के कर्मचारियों में 42.8% अधिकारी, 38.5% क्लर्क व 18.7% अधीनस्थ कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी 13385 हैं जो कि बैंक के कुल कर्मचारियों की 27.4% है। मार्च 2014 को भूतपूर्व सैनिक

Under **Mobile Banking**, the Bank introduced Loan and Term Deposit enquiry, Cheque Book Request, Mobile Banking Registration by sending SMS, Mobile Banking activation through ATM and D2H (Direct to Home Satellite Cable Connection) Recharge Service. Mobile Banking application for Android based mobile handsets was released.

Other value additions during the year include introduction of fingerprint based biometric login solution, facility of missed call to 092892 92892 to know account balance for domestic customers and 9192892 92892 for NRI customers and missed call to 092891 92891 to know last 3 transactions, exclusive toll free number 1800 425 1254 provided for Retail Lending Products, facility of operation of ATM in Canara Bank ATMs by joint account holders where the payment condition is jointly and facility of linking Aadhaar Number in CBS and verification of status through the Bank's website. The Bank received appreciation from UIDAI for this facility. E-Hundi Collection through IMPS facility of NPCI and Institutional Fee Payment through ATMs, Online acceptance of donations to Prime Minister's National Relief Fund and acceptance of donations through ATM, Net Banking and Mobile Banking for Religious and Philanthropic Trusts/ Institutions were enabled. Hot-Listing of Credit and Debit Cards through SMS and IMPS Merchant based Pull Transactions using OTP (like SMS based IRCTC ticket booking) were introduced. The Bank also implemented New Generation RTGS and continuous release of NEFT messages as per the directives of RBI.

Compliance to International Standards

The Bank has fully implemented the recommendations of the RBI Working Group (Chairman, Shri G Gopalakrishna) on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. The Bank obtained the ISO 27001: 2013 Certification on 12.04.2014.

Manpower Profile

As at March 2014, the Bank had 48794 employees on its rolls.

	March 2013	March 2014
Total No. of Employees	42693	48794
Officers	17835	20878
Clerks	16095	18770
Sub-Staff*	8763	9146

* includes part-time employees (PTEs)

The Bank's staff comprised 42.8% Officers, 38.5% Clerks and 18.7% Sub-Staff. Women employees comprising 13385, constituted 27.4% of the Bank's total staff. The

कर्मचारियों की कुल संख्या 2853 है। बैंक के रोल पर विकलांग कर्मचारियों की संख्या 1034 है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 9139 व्यक्तियों को विभिन्न कैडरों में नियुक्त किया है, जिसमें से कि 1883 अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है व 571 अनुसूचित जन जाति (एसटी) से संबंधित हैं। इसमें वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों में नियुक्त हुए 543 भूतपूर्व सैनिक हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों के तहत 3153 महिला कर्मचारी नियुक्त हुए और 476 महिला कर्मचारी पदोन्नत हुईं।

बैंक ने एक विशेष भर्ती परियोजना शुरू की है, यथा, 'उड़ान'। 300 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण और भर्ती के लिए चयन व उनमें से 150 के पोस्ट प्रशिक्षण हेतु कॉर्पोरेट, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) व जम्मू कश्मीर के युवकों के मध्य, उड़ान एक विशेष औद्योगिक शुरुआत है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, केनरा बैंक एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत इस परियोजना को सफलतापूर्वक सहयोग दिया है व कार्यान्वित किया है। उसी के विज्ञापन की प्रतिक्रिया में योजना के तहत बैंक को प्रशिक्षण हेतु आवेदकों से 131210 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आईबीपीएस के माध्यम से शुरुआती स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार प्रक्रिया के पश्चात प्रशिक्षण हेतु 300 अभ्यर्थी चुने गये हैं। जिसमें से कि 247 ने प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट किया है। जम्मू में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बैंक के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक श्री आर के दुबे की उपस्थिति में श्री ओमर अब्दुल्लाह, माननीय मुख्य मंत्री, जम्मू व कश्मीर द्वारा 13.12.2013 को किया गया। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान सुविधाएं यथा, रहने का इंतजाम, भोजन आदि सहित परियोजना के कुल लागत का वहन बैंक द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हुआ। आगे, यह निर्णय लिया गया कि आयोजित 150 अभ्यर्थियों के एवज में सभी 247 अभ्यर्थियों को जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, को बैंक में ले लिया जाये। तदनुसार, सभी 247 अभ्यर्थियों को अधिकारी / क्लर्क के रूप में नियुक्त कर लिया गया है, जिसमें से कि 187 परिवीक्षाधीन अधिकारी (जेमजी स्केल 1) हैं व 60 परिवीक्षाधीन क्लर्क हैं।

एससी व एसटी के संबंध में आरक्षण नीति

मार्च 2014 को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की कुल संख्या बैंक के कुल कर्मचारी संख्या का 26.22% है। मार्च 2014 को बैंक के कर्मचारियों में एससी / एसटी का संयोजन निम्नलिखित है:

कैडर	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
अधिकारी	3686	1414
क्लर्क	3510	1092
अधीनस्थ कर्मचारी + पीटीई	2648	444
कुल	9844	2950

total number of ex-servicemen staff as at March 2014 stood at 2853. There were 1034 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank.

During the year, the Bank recruited 9139 persons in various cadres, out of which, 1883 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 571 to Scheduled Tribes (STs) categories. This includes 543 ex-servicemen recruited in various cadres during the year.

3153 women employees were recruited and 476 women employees were promoted under various cadres during the year.

The Bank has undertaken a special recruitment project, viz., 'Udaan'. Udaan is a special industry initiative between Corporate, National Skill Development Corporation (NSDC) and the youth of Jammu & Kashmir for selection of 300 candidates for training and recruitment of 150 of them post training. As per the call given by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India, Canara Bank is the only Nationalized Bank to associate and implement the project successfully as part of its Corporate Social Responsibility. In response to the advertisement for the same, the Bank received 13120 applications from candidates for training in terms of the Scheme. 300 candidates were finally selected for training after initial screening test through IBPS and interview process, of which, 247 candidates reported for training. The training programme was inaugurated by Shri Omar Abdullah, Hon'ble Chief Minister, J&K at Jammu on 31.12.2013, in the presence of the Bank's C&MD Shri R K Dubey. The entire cost of the project including training, facilities to trainees like accommodation, food during training was borne by the Bank. The training programme has since concluded. Further, it was decided to absorb all the 247 candidates who underwent training as against planned 150 candidates. Accordingly, all 247 candidates are recruited as Officers/Clerks, comprising 187 as Probationary Officers (JMG Scale I) and 60 as Probationary Clerks.

Reservation Policy in respect of SCs and STs

As at March 2014, the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes together constituted 26.22% of total staff strength of the Bank. The composition of SC/ST employees in the Bank as at March 2014 was as under:

Cadre	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Officers	3686	1414
Clerks	3510	1092
Sub-staff + PTEs	2648	444
Total	9844	2950

भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के संबंध में बैंक आरक्षण नीति का सख्ती से अनुपालन करता है।

(ए) आरक्षण नीति पोस्ट आधारित रोस्टर्स के तंत्र के माध्यम से कार्यावित्त हुआ है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार बैंक ने सभी कैडरों हेतु पोस्ट आधारित रोस्टर्स के तंत्र पर स्विच कर लिया है।

(बी) सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति हेतु भी बैंक ने आरक्षण / रियायत / छूट विस्तारित की है।

(सी) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वाले अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति व पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण दिया गया है। क्लर्क व अधिकारी कैडर में भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांग रहे विज्ञापन में एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/अल्पसंख्यक समुदाय/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण देने के संबंध में एक विशेष संदर्भ दिया गया है। इनमें से वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्वनियुक्ति प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, को लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों के लिये ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि करीब 2 हफ्ते है। अध्ययन सामग्री, नोटबुक, स्टेशनरी, सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क दिया जायेगा। जहाँ भी संभव हो, संबंधित राज्य सरकार भी सरकारी / पिछड़े वर्ग हॉस्टल में रहने की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

(डी) बैंक ने रोस्टर के अनुरक्षण को व आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यावयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में और साथ ही अंचल कार्यालयों में भी एससी / एसटी कक्ष स्थापित किया है।

(ई) आरक्षण नीति के कार्यावयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी को नामांकित किया है और अंचल कार्यालय में भी संपर्क अधिकारी को नामांकित किया गया है। आगे, प्रत्यक्ष रूप से या तो एससी/एसटी संघ के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से प्राप्त प्रतिनिधित्व पर मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जायेगा। जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक पूछताछ की जायेगी व उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से प्राप्त विभिन्न प्रतिनिधित्व के रिकॉर्डिंग हेतु एक अलग से रजिस्टर अनुरक्षित रखा जायेगा और की गयी कार्यवाही को भी रजिस्टर में नोट किया जायेगा।

The Bank strictly adheres to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Govt. of India guidelines.

(a) Reservation Policy is implemented through mechanism of Post Based Rosters. In terms of the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Bank has since switched over to Post Based Rosters for all Cadres.

(b) The Bank extends Reservation / Relaxations / Concessions in Direct Recruitment as well as in promotions to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Govt. guidelines.

(c) Pre-recruitment and Pre-promotion training is given to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the advertisement inviting for the application from the eligible candidates for recruitment to Clerical and Officer cadres, a specific reference is made with regard to imparting of pre-recruitment training to candidates belonging to SC/ST/ PWD/ Minority Communities/ Ex-Servicemen. Such of those candidates who opt for pre-recruitment training, will be given training to prepare themselves for written test as well as interview. The duration of the training is upto two weeks. Study materials, note books, stationeries are provided free of cost to all the participants. Wherever possible, respective State Governments are also providing the lodging facilities in Government/ backward class hostels.

(d) The Bank has setup SC/ST Cell at the Head Office and also at Circle Offices to ensure maintenance of Rosters and implementation of other aspects of Reservation Policy.

(e) Chief Liaison Officer is nominated at Head Office and Liaison Officers are nominated at Circle Offices for ensuring implementation of Reservation Policy. Further, representations received from Scheduled Caste/ Scheduled Tribe employees, either directly or through the SC/ST Associations, are being looked into by the Liaison Officer/Chief Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted and appropriate action is taken. A separate register is maintained for recording various representations received from Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees and the action taken is also recorded in the register.

उपरोक्त के अलावा, बहुमत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति कर्मचारी के प्रतिनिधियों को बैंक के मुख्य कार्यपालक के साथ तिमाही बैठक हेतु बुलाया जायेगा जहाँ आरक्षण नीति पर दिशानिर्देशों के कार्यावयन पर परिचर्चा की जायेगी। अंचल कार्यालयों में भी तिमाही बैठक की जायेगी रोजर अनुरक्षित रखा जायेगा व यदि कोई शिकायत हो तो संपर्क अधिकारी द्वारा उसका निवारण किया जायेगा।

(एफ) बैंक के निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति में हुए कार्यावयन पर अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक आधार पर समीक्षा करेंगे।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियाँ

बदलते हुए बैंकिंग परिदृश्य के अनुकूल होने हेतु बैंक की एचआर नीतियों को भी परिवर्तित किया गया है। एचआर अविष्कार जैसे कि, 'जागरण सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम' फ्रंट लाइन कर्मचारियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने हेतु और प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कार्यपालकों को संवारना तथा अन्य महत्वपूर्ण एचआर टूल्स जैसे कि अध्ययन हलकों, कर्मचारी बैठक व विचार – मंथन सत्र को प्रभावी टीम निर्माण और सामूहिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कार्यावित किया गया। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं से शिक्षित करने के लिये विभिन्न कॉर्पोरेट संप्रेषणों को लाया गया है।

बैंक ने विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को उजागर किया है जो कि आंतरिक प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण, इन-कंपनी प्रशिक्षण व विदेशी प्रशिक्षण को कवर करता है। आंतरिक रूप से, बैंक का बेंगलूर में कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय है और 19 क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने क्रेडिट ओरियंटेशन, विपणन कौशल, अधिकारियों, एईओ व विशिष्ट अधिकारियों हेतु प्रेरण कार्यक्रम, और 'उद्धान परियोजना' के तहत प्रशिक्षण व भर्ती सहित व्यापक कार्यकारी क्षेत्र को कवर करते हुए 51544 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 10274 व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, 3047 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। कुल प्रशिक्षित कर्मचारियों में 15607 महिला कर्मचारी हैं। बैंक ने कई नये प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन व कार्यावित किये हैं जैसे कि, जागरण, धोखाधड़ी जागरूकता व निवारण, प्राथमिकता साख, ग्रामीण विकास व वित्तीय समावेशन, एमएसएमई, सेवा मामले, सेबी दिशानिर्देशों पर अनुपालनता, कोर बैंकिंग से परे – ग्राहक विश्लेषिकी, आदि।

'जागरण' एक सॉफ्ट कौशल कार्यक्रम है जिसको कि फ्रंटलाइन कर्मचारियों को तनावमुक्त करने के लिये व अच्छे जनसंपर्क के बारे में उनको प्रभावित करने हेतु कल्पित किया गया। आवासीय आधार पर

In addition to the above, the representatives of majority Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Employees' Association are invited for Quarterly Meeting with the Chief Executive of the Bank to discuss the implementation of guidelines on reservation policy. Quarterly Meetings are also held at Circle Offices, where Rosters are maintained and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officer.

(f) The Board of Directors of the Bank also review the progress made in the implementation of Reservation Policy, half yearly and yearly.

Human Resource Development (HRD) Activities

The HR policies of the Bank have been revisited to suit the changing banking scenario. HR interventions like 'JAGARAN – soft skill training program' for bringing attitudinal change among front line staff and Executive grooming through reputed institutes and other significant HR tools like Study Circles, Staff Meetings and Brain Storming Sessions have been implemented for effective team building and fostering collective excellence. Various Corporate Communications are brought out to boost the morale of the employees and educate them in various facets of banking.

The Bank has in place exhaustive training processes that cover Internal Training, External Training, In-company Training and Foreign Training. Internally, the Bank has Staff Training College at Bangalore and 19 Regional Staff Training Colleges.

The Bank trained 51544 employees during the year, covering a wide range of functional areas including Credit Orientation, Marketing Skills, Induction Programme for Officers, AEOs and Specialist Officers and training and recruitment under 'Udaan' Project. Out of the trained staff, 10274 personnel belonged to the Scheduled Caste category and 3047 belonged to the Scheduled Tribe category. The total employees trained include 15607 women employees. The Bank designed and implemented several new training programmes, including Jagaran, Fraud Awareness and Prevention, Priority Credit, Rural Development and Financial Inclusion, MSMEs, Service matters, Compliance on SEBI guidelines, beyond Core banking - customer analytics, etc.

'Jagaran' was a soft skills training programme conceived to de-stress frontline staff and impress upon them regarding good public relations. The program was

बाह्य स्थानों में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों की सेवाओं को आउटसोर्सिंग करने के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान, 3975 अधिकारी व क्लर्कों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया।

बैंक ने एक नए कार्यक्रम की कल्पना की यथा, प्रतिभा बैंक जो कि 10 पहचान किये गये क्षेत्रों में सामान्य अधिकारियों हेतु जो विशेषज्ञों की भूमिका की कल्पना कर सके। आने वाले वर्षों में बैंक का ध्यान उपयुक्त प्रतिभा प्रबन्धन व प्रतिफल प्रणाली की स्थापना करना होगा। संभावित नेताओं को पहचानने व उच्चतम दायित्व लेने हेतु उनको संवारने के लिये ठोस प्रयास किये जायेंगे।

आगे, विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि आईआईएम, जेएनआईबीएफ, आईएसबी, आईएमआई, एक्सएलआरआई व एनआईबीएम पर केन्द्रित ध्यान व आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए बैंक की खोज जारी है। स्वनिर्धारित कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं ताकि कुछ आला क्षेत्रों में यथा, जोखिम प्रबन्धन, कोष परिचालन व आईटी, में विशेषज्ञता का विकास किया जा सके।

वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर / उच्चतम प्रबन्धन स्तर कार्यपालकों हेतु आवश्यकता के आधार पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैंक अपने अधिकारियों के कौशल स्तर में प्रशिक्षण हस्तक्षेप व उन्हें नवीकृत ताकत व उत्साह के साथ निष्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करने के माध्यम से काफी हद तक योगदान करने में सफल रहा है।

एचआर पर निदेशक मंडल की उप समिति को, एचआर नीतियों की समीक्षा व सुधार करने हेतु और कर्मचारियों के कार्य पहल को संवर्द्धित करने हेतु सुझाव देने के लिये स्थान पर लाया गया है।

संगठनात्मक रूपरेखा व प्रभाविता में परिवर्तन

वर्षों के दौरान बढ़ते हुए कारोबार जटिलता, कारोबार / शाखा विस्तार व कर्मचारी संयोजन को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख कार्यकारी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रधान कार्यालयों के विभागों व अंचलों के पुनर्गठन / पुनर्निर्माण कार्यों को किया गया। पोस्ट पुनर्गठन, प्रधान कार्यालय में 25 विभाग हैं।

कार्यकारी उत्कृष्टता हेतु संगठनात्मक डिजाइन व संरचना का लगातार दोबारा दौरा व अध्ययन किया जा रहा है। शाखाओं व ग्राहक सेवा को स्फूर्तिदायक बनाकर, शाखाओं से बिक्री बढ़ाकर, रोबस्ट आस्ति आधार की वृद्धि करके व परिचालन मॉडल में सुधार करके जैसे कई विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के द्वारा बैंक का कार्याकल्प करने के उद्देश्य हेतु बैंक ने परियोजना 'शिखर' का शुभारंभ किया है। इस परिवर्तन में बैंक की सहायता ग्लोबल प्रबन्धन परामर्शी फर्म यथा, मेसरस बोस्टन परामर्शी समूह (भारत) प्राइवेट लिमिटेड (बीसीजी) कर रहा है।

conducted by sourcing the services of various institutes of repute at external venues on residential basis. During the year, 3975 Officers and Clerks were trained under this programme.

The Bank envisioned a novel programme, viz., Talent Bank to provide opportunities for generalist officers to assume the role of specialists in 10 identified streams. Establishing a proper Talent Management and Reward System will be the Bank's focus in the coming years. There will be concerted efforts to identify potential leaders and groom them to take up higher responsibilities.

Further, the Bank's quest to enhance the competencies of the workforce continued through focused and need based trainings at various institutes of repute like IIMs, JNIBF, ISB, IMI, XLRI and NIBM, etc. Customized programmes are also organized to develop expertise in certain niche areas like Risk Management, Treasury Operations and IT.

Specialized trainings to the Senior Management Level/ Top Management Level Executives are conducted based on the requirement. The Bank has been able to add substantially to the skill level of its officials through training intervention and motivating them to perform with renewed vigour and enthusiasm.

A Sub-Committee of the Board of Directors on HR is in place to review and improvise the existing HR policies and make suggestions to accelerate the employee engagement initiatives.

Changes in the Organizational Setup and Effectiveness

Keeping in view the increased business complexities, business / branch expansion and employee composition over the years, the need for more focus on certain key functional areas, the re-organization/re-aligning functions of Wings at Head Office and Circles was undertaken. Post-reorganization, there are 25 Wings in Head Office.

The organizational design and structure are continuously revisited and studied for functional excellence. The Bank launched **Project 'Shikhar'** aimed at rejuvenating the Bank by focusing on several themes like energizing branches and customer service, increasing sales from branches, growing a robust asset base and revamping the operating model. Global Management Consulting firm viz., M/s Boston Consulting Group (India) Private Limited (BCG) is assisting the Bank in this transformation.

विपणन और प्रचार

बैंक ने विपणन को और मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई उच्च अर्हता प्राप्त कार्मिकों को संगठन से जोड़ा और एक प्रभावी अग्रणी प्रबंधन प्रणाली के साथ, विशेष नोडल मार्केटिंग कार्यपालकों द्वारा पर्यवेक्षित सभी अंचल कार्यालयों में विपणन अनुभाग का गठन किया।

बैंक ने वर्ष के दौरान कई नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रचार अभियानों का शुभारंभ किया और विज्ञापन, सामाजिक मिडिया और विपणन संपार्श्विकों जैसे सभी साधनों का प्रभावी इस्तेमाल अपनी ब्रांड छवि को और बढ़ाने के लिए किया। वर्ष के दौरान बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, श्री शिखर धवन को बैंक का ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया गया।

विशेषकर, भारत में 50 उच्च सेवा ब्रांडों के बीच केनरा बैंक 2012 में अपने 20^{वें} स्थान से 2013 में 14^{वें} स्थान पर आ गया है।

ग्राहकोन्मुखता

तत्पर सेवा उपलब्ध कराने, विविध उत्पाद / सेवाएं देने, ग्राहकों की पूछ-ताछ का जवाब व ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के द्वारा बैंक ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाता है। बीसीएसबीआई द्वारा जारी “ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता” बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है। शाखाओं द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने और उसकी प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट में एक “ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र” उपलब्ध कराई गई है। ग्राहकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान 15.11.2013 से 30.11.2013 तक ग्राहक पखावाड़े का आयोजन किया गया।

ए टी एम परिचालन व कार्ड से संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए ए टी एम स्विच कक्ष, कार्ड प्रभाग में भी टॉल फ्री संपर्क संख्या उपलब्ध कराई गई है।

कॉल सेंटर, एक संपर्क संख्या 18004250018 के साथ ग्राहकों को हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा के अलावा 6 क्षेत्रीय भाषाओं यानि बंगाली, कन्नड, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलगु में सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष के दौरान प्राप्त कॉल 13.14 लाख से अधिक थे और ग्राहक शिकायत निवारण का प्रतिशत 98% रहा। वर्ष के आरंभ में शेष 1708 शिकायतों के साथ वर्ष के दौरान 90286 शिकायत (78766 एटीएम शिकायतों, 1438 बैंकिंग लोकपाल, 512 मामले ग्राहक विवाद निवारण फॉर्म, सीपीजीआरएएमएस सरकारी पोर्टल पर 319 और 9273 अन्य शिकायतों सहित) प्राप्त की गई, जिनमें से 98.6% शिकायतों का निवारण किया गया।

Marketing and Publicity

The Bank further strengthened marketing vertical during the year by inducting highly qualified personnel into the set up and also establishing marketing sections in all Circle Offices overseen by dedicated nodal Marketing Executive, with an effective lead management system.

The Bank also launched publicity campaigns for its several new products and services introduced during the year and used effectively all channels of communication including advertising, social media and marketing collaterals to enhance its brand image. During the year, the Bank appointed Shri Shikhar Dhawan, an international ace cricketer as its brand ambassador.

Notably, among the 50 top Service Brands in India, Canara Bank moved up to 14th position in 2013 from 20th position in 2012.

Customer Orientation

Several initiatives were taken to remain customer focused through providing fast service, bringing in diversified products/services, responding to customers' queries and redressal of customer complaints. The 'Code of Commitment to Customers' issued by BCSBI and 'Revised Citizen's Charter' is available in Bank's website. To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get the feedback, "Customer Satisfaction Survey Form" is available in the Bank's website. Customers' fortnight was conducted from 15.11.2013 to 30.11.2013, inviting suggestions from customers.

Toll free contact facility at ATM switch room and Card Division is provided to users to represent the matters pertaining to ATM operations and Card business.

Call centre with single point contact number 18004250018 is functioning to cater to customers in 6 regional languages of Bengali, Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil and Telugu, besides, Hindi and English for redressal of grievances. The number of calls received by the Call Centre during the year is more than 13.14 lakh and percentage of complaint redressal is 98%. With the opening balance of 1708 complaints, the Bank received 90286 complaints during the year (including 78766 ATM Complaints, 1438 Banking Ombudsman Cases, 512 Cases lodged at Consumer Dispute Redressal Forum, 319 complaints through Govt. Portal CPGRAMS and 9273 General complaints), of which, 98.6% of the complaints were redressed.

दामोदरन समिति की अनुशंसा के अनुसार बैंक ने दिनांक 31.08.2013 को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) को नियुक्त किया है जो बैंक के आंतरिक लोकपाल की तरह कार्य करेंगे।

केन्द्र सरकार पेंशन का संचालन व पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष का गठन किया गया। खाता खोलने संबंधी कार्यों के लिए चुनिंदा जगहों पर केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र का भी गठन किया गया। बैंक द्वारा केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीजीआरएस) पोर्टल के तहत ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा कार्यान्वित किया गया। कॉल सेंटर पर प्राप्त शिकायतों को सीपीजीआरएस पैकेज के माध्यम से संभाला जाता है। वर्ष के दौरान कॉल सेंटर ने सीपीजीआरएस में 3081 शिकायतें रजिस्टर की हैं और सभी शिकायतों का निवारण निर्धारित समय मानक के अनुसार किया गया।

बैंकिंग ओम्बड्समेन, भारतीय रिज़र्व बैंक और बीसीएसबीआई के संयोजन में “टाऊन हॉल ग्राहक बैठक” का आयोजन मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और कर्नाटक के दावणगेरे व होलकरे में किया गया

पद्धति एवं प्रक्रियाएं

वर्ष के दौरान, ऑन साइट आर.बी.आई.ए. के लिए चयनित 3815 शाखाओं / इकाइयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) संपन्न की गयी? आर.बी.आई.ए. के साथ-साथ सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा भी संपन्न की गयी? भारत सरकार द्वारा निर्धारित 70% के न्यूनतम प्रावरण के एवज में यथा 31/03/2013 की कारोबार स्थिति अनुसार जमाओं के 71.97% और अग्रिमों के 76.26% प्रावरित करते हुए 750 चयनित शाखाओं / इकाइयों में संगामी / अविग्राम लेखापरीक्षा संपन्न की गयी तिमाही आधार पर आय लेखा परीक्षा के लिए चयनित शाखाओं को शामिल करते हुए 485 शाखाओं में आय / राजस्व लेखा परीक्षा संपन्न की गयी

श्री बसंत सेठ की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आंतरिक व संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली पर गठित समिति की सिफारिशों का बैंक ने पूर्ण रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया? बैंक ने निरीक्षण की आवधिकता का संशोधन किया और नियंत्रण जोखिम को अधिक भारित देने के उद्देश्य से जोखिम भारित का पुनर्निर्धारण भी किया? शाखाओं के आर.बी.आई.ए. के लिए वेब आधारित पैकेज “दर्पण” का शुभारंभ किया? पैकेज से, बिना किसी अयांत्रिक हस्तक्षेप के शाखाओं का स्वतः ही जोखिम श्रेणीकरण निर्धारण किया जाता है? केनरा बैंक उन बैंकों में से है जिसने श्री बसंत सेठ समिति की सिफारिशों पर वेब आधारित पैकेज को लागू किया है? बैंक ने लेखापरीक्षा कार्य के लिए 140 सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूची में सम्मिलित किया और स्थान पर ही सुधार करने तथा आय रिसाव पता लगाने के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू किया।

As per Damodaran Committee recommendation, the Bank appointed Chief Customer Service Officer (CCSO) on 31.08.2013, who shall act as an internal Ombudsman of the Bank.

Centralized Pension Processing Cell has been established exclusively for handling pensions and resolving pension related grievances. Central Processing Centres are established at selected places for account opening purposes. The Bank has implemented online grievance redressal facility of customers in the website for lodging grievances online under the portal Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS). The complaints received at Call Centre were also integrated with CPGRS package. During the year, Call Centre registered 3081 grievances in CPGRS and all grievances were redressed as per prescribed time norm.

“Town Hall Customers Meet” was held at Mumbai, Trivandrum, Chennai, Davangere and Holalkere in Karnataka, in association with the Banking Ombudsman, RBI and BCSBI.

Systems and Procedures

Risk Based Internal Audit (RBIA) was conducted in 3815 branches / units programmed for on-site RBIA during the year. Information Security Audit was conducted along with RBIA. Concurrent / Continuous Audit was conducted in 750 identified branches / units, covering 71.97% of deposits and 76.26% of advances as per business position as at 31.03.2013 as against minimum coverage of 70% stipulated by Government of India. 485 branches were subjected to income / revenue audit, including branches identified for income audit on quarterly basis.

The Bank ensured full implementation of the recommendations of the ‘Committee on Internal and Concurrent Audit Systems in Public Sector Banks’ under the Chairmanship of Shri Basant Seth. The Bank revised the periodicity of inspection and also re-aligned the risk weightage to assign more weightage to Control Risk. Web-based package ‘Darpan’ was introduced for RBIA of branches. The package arrives at the risk rating of the branches automatically without manual intervention. Canara Bank is one among the few banks to introduce this web-based package on the lines recommended by Shri Basant Seth Committee. The Bank has empanelled 140 retired Officers for audit works and also introduced incentive scheme for spot rectification and detection of income leakage.

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.)

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.), धन शोधन निवारक (ए.एम.एल.) दिशानिर्देशों और वित्तीय आतंकवाद से निपटने (सी.एल.जी.) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न उपाय किये गये कुछ प्रमुख उपलब्धियां एवं किये गये पहल निम्नानुसार हैं :

- वित्तीय आसूचना इकाई (एफ.आई.यू.) को नकद लेनदेन रिपोर्ट (सी.टी.आर.) और गैर-लाभ संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एन.टी.आर.) का 100% प्रेषण सुनिश्चित किया गया
- एफ.आई.यू. को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एस.टी.आर.) और जाली मुद्रा रिपोर्ट (सी.सी.आर.) का तुरंत प्रेषण किया गया
- के.वाई.सी./ए.एम.एल. मानकों के अनुपालन की जांच हेतु सभी अंचलों को शामिल करते हुए 80 छिटपुट चयनित शाखाओं में प्रत्येक माह अकस्मात लेखा परीक्षा की गयी।
- भा.बैं.सं. कार्यदल द्वारा संस्तुत हैब्रिड मॉडल के अनुसार, ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण केन्द्रीय रूप से किया गया है।
- भा.बैं.सं. कार्यदल द्वारा संस्तुत अलर्ट स्थिति पर आधारित अलर्ट का सृजन करने के लिए धन शोधन निवारक की दृष्टि से लेनदेनों के अनुवर्तन हेतु वेब आधारित ए.एम.एल. पैकेज का शुभारंभ किया गया।
- आर.बी.आई.ए. / संगामी लेखापरीक्षा की जांच सूची एवं दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है ताकि परिवर्तनों से रूबरू हो सके।
- दिशानिर्देशों को जारी करते हुए और आवधिक प्रशिक्षण / कार्यशालाओं के जरिए शाखा कर्मचारियों को जानकार बनाया जाता है।
- कार्यशालाएं आयोजित करते हुए, के.वाई.सी. / ए.एम.एल. / सी.एफ.टी. दिशानिर्देशों पर अंचल के, के.वाई.सी. / ए.एम.एल. नोडल कार्यपालकों को जानकार बनाया जाता है ताकि शाखा स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- तीसरी आंख पर्यवेक्षण की शुरुआत की गयी ताकि सी.बी.एस. का उपयोग करते हुए डेस्कटॉप लेखापरीक्षा के माध्यम से लगभग तत्काल आधार पर ऑफ साइट लेनदेनों का अनुप्रवर्तन किया जा सके जिससे एक स्वस्थ ऑफ साइट अनुप्रवर्तन प्रणाली की स्थापना हो सके।

सतर्कता व्यवस्था

बैंक के सतर्कता विभाग का नेतृत्व महा प्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनका समर्थन प्रधान कार्यालय, सभी अंचलों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक के अनुषंगियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है सतर्कता विभाग का उद्देश्य अनुशासन व विकास को सुनिश्चित करना तथा हमारे बैंक को महान ऊंचाइयों तक ले जाना है

Know Your Customers (KYC)

Several measures were undertaken for the effective implementation of Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) guidelines and Combating Financing for Terrorism (CFT).

Some of the major achievements and initiatives taken are as under:

- Ensured 100% submission of Cash Transaction Reports (CTRs) and Non-profit Organizations Transactions Reports (NTRs) to Financial Intelligence Unit (FIU).
- Suspicious Transaction Reports (STRs) and Counterfeit Currency Reports (CCRs) submitted to FIU promptly.
- Snap Audits conducted every month at 80 randomly selected branches, covering all Circles to verify adherence to KYC/AML norms.
- Risk Categorization of customers has been done centrally as per Hybrid Model recommended by the IBA Working Group.
- A web-based AML package introduced to monitor transactions from the anti-money laundering angle to generate alerts based on alert scenarios recommended by the IBA Working Group.
- Checklists and guidelines for RBIA / Concurrent Audit are updated regularly to keep abreast with the changes.
- Branch staff are sensitized by way of issuance of guidelines and periodical training/ workshops.
- Circle KYC/ AML Nodal Executives are sensitized on KYC/ AML/ CFT guidelines by arranging workshop to ensure compliance at branches.
- 'Third Eye' supervision introduced to put in place a robust Offsite Transaction Monitoring System to monitor the transactions off-site on a near real time basis through Desktop Audit by leveraging CBS.

Vigilance Setup

The Vigilance Wing of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) in the rank of a General Manager. The CVO is assisted by the Vigilance Officers stationed at Head Office, all Circles, RRBs and the Bank's Subsidiaries. The objectives of the Vigilance Wing are to ensure that discipline and development, go in tandem and help the Bank to reach greater heights.

सतर्कता जागरूकता अभियान के अंश के रूप में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार, बैंक द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2013 से 02 नवंबर 2013 तक अधिक ध्यान के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

31 अक्टूबर 2013 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान श्री कमल पंत, आई.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विधि व शासन, बेंगलूर ने बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र तथा वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया सभी अंचल प्रमुखों ने वीडियो सम्मेलन के जरिए इसमें भाग लिया (म.प्र. / उ.म.प्र.)।

शाखा प्रमुखों को जागरूक बनाने के लिए क्षे.क.प्र.म., गुडगांव में “सुशासन का प्रचार सतर्कता का सकारात्मक योगदान” पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया श्री ए.एस. ढिल्लोंक, डी. आई.जी. शाखा प्रमुख, सी.बी.आई. बी.एस. व एफ. सी., दिल्ली तथा श्री आर एन नायक, ओ.एस.डी., सी.वी.सी. ने प्रतिभागियों को संबोधित किया इस विषय पर महा प्रबंधक तथा मुख्य, सतर्कता अधिकारी ने भी प्रतिभागियों का संबोधित किया।

निवारक, खुफिया और साझेदारी सतर्कता में सतर्कता अधिकारियों के कार्य / भूमिका के बारे में जागरूकता लाने तथा सतर्कता आकर्षित करने वाली शिकायतों / मामलों के तुरंत निपटान में संबंधित अनुभागों से आवधिक अनुवर्तन करने हेतु, बैंक के तथा बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सतर्कता अधिकारियों को जागरूक बनाने में दिनांक 28/12/2013 को गुडगांव में सतर्कता अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

21/02/2014 को बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में “सार्वजनिक खरीद पर सी.वी.सी. दिशानिर्देशों” पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया श्री अनिल सिंघल, मुख्य तकनीकी पर्यवेक्षक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ने सभा का संबोधन किया और बैंक में सार्वजनिक खरीद के संबंध में विभिन्न मामलों पर स्पष्टीकरण दिया संगोष्ठी में बैंक के उच्च स्तर के कार्यपालक और स्थानीय बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया अंचल के कार्यपालकों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से भाग लिया।

दिनांक 04/07/2013 को नई दिल्ली में सी.वी.सी. के साथ बैंकिंग क्षेत्र के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशकों / मुख्य सतर्कता अधिकारियों की वार्षिक क्षेत्रीय / प्रांतीय समीक्षा बैठक के दौरान बैंक द्वारा प्रकाशित “निवारक सतर्कता पर पुस्तिका” का विमोचन माननीय सी.वी.सी. श्री प्रदीप कुमार द्वारा किया गया।

वर्ष के दौरान बैंकिंग के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए “निवारक सतर्कता” पर अधिक बल दिया गया “सक्रिय सतर्कता” पर भी बल दिया गया जिससे बैंक की पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ।

सुरक्षा प्रबंध

34 अंचलों में 4750 शाखाओं और 99 मुद्रा तिजोरियों में से बैंक ने

As a part of the Vigilance Awareness campaign, and in conformity with the directives of the Central Vigilance Commission, the Bank observed ‘Vigilance Awareness Week’ from 28th October to 2nd November, 2013, with more focus on the theme ‘Promoting Good Governance - Positive Contribution of Vigilance’.

During the Vigilance Awareness Week, on 31st October, 2013, Shri Kamal Pant, IPS, Additional Commissioner of Police, Law & Order, Bangalore addressed all the top management and senior functionaries of the Bank. All the Circle Heads (GMs/DGMs) also participated through Video Conference.

One day Program on sensitizing senior branch heads on ‘Promoting Good Governance - Positive Contribution of Vigilance’ was organized at RSTC, Gurgaon. Shri A S Dhillon, DIG – Head of the Branch, CBI, BS&FC, Delhi and Shri R N Nayak, OSD, CVC addressed the participants. GM & CVO also addressed the participants on the subject.

Vigilance Officers’ Conference was held at RSTC, Gurgaon on 28.12.2013, to sensitize Vigilance Officers’ of the Bank and RRBs sponsored by the Bank about the functions/ role of Vigilance Officers in Preventive, Detective and Participative Vigilance, periodic follow up with the concerned Sections in speedy disposal of complaints/ cases attracting vigilance angle.

On 21.02.2014, the Bank organized a Seminar on ‘CVC Guidelines on Public Procurement’ at Head Office, Bangalore. Shri Anil Singhal, Chief Technical Examiner from Central Vigilance Commission, New Delhi addressed the gathering and also clarified on several issues pertaining to public procurement in banks. Top level Executives of the Bank and the CVOs of local banks participated in the Seminar. The Executives of all the Circles participated in the seminar through Video Conference.

During the Annual Zonal/ Sectoral Review Meeting of C&MDs/ CVOs of Banking Sector-I held with CVC, at New Delhi, on 04.07.2013, a ‘Compendium on Preventive Vigilance’ was brought out by the Bank and was released by Hon’ble CVC Shri Pradeep Kumar.

During the year, much thrust was given to “preventive vigilance”, covering all the areas of banking. Emphasis was also laid on ‘proactive vigilance’, which enabled systemic improvement in the systems and procedures of the Bank.

Security Arrangements

Out of 4750 branches and 99 currency chests in

82 शाखाओं को उच्च जोखिम, 1471 शाखाओं को मध्य म जोखिम और 3197 शाखाओं को कम जोखिम वाली शाखाओं के रूप में पहचाना है सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इन शाखाओं का दौरा किया गया।

वर्ष के दौरान सभी संवेदनशील मुद्रा तिजोरियों का दौरा मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया शिनाख्त किये गये संवेदनशील और सुभेद्य ए.टी.एमों पर निजी सुरक्षा कर्मी तैनात किये गये है सभी शाखाओं और ए.टी.एमों पर सी.सी.टी.वी. लगाये गये हैं। सभी बैंकों की तुलना में पहली बार बैंक ने अद्वितीय अग्नि सुरक्षा नीति अपनायी है जो बैंक की सभी बहु-मंजिले बिल्डिंग तथा सभी परिसरों का प्रावरित करेगी।

परिवेश में सुधार

वर्ष के दौरान बैंक की 650 शाखाओं में परिवेश सुधार कार्य कराये गये और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शेष 1280 शाखाओं में यह कार्य पूरा किया जाएगा। “शिखर परियोजना” के तहत बी.सी.जी. की सिफारिशों के अनुसार शाखा लेआऊट को टोकन प्रदर्शन व्यवस्था के साथ एकल खिड़की सेवा के लिए परिवर्तित किया जा रहा है। प्रथम फेस में 51 शाखाओं को पायलेट आधार पर शिनाख्त किया गया है और वर्ष के दौरान इसे 600 और शाखाओं तक विस्तारित किया जाएगा। प्रलेख प्रबंधन और रिकार्ड भण्डारण प्रणाली का शुभारंभ प्रस्तावित है जो निश्चित रूप से परिवेश में सुधार लाएगा और साथ ही कार्यालय स्थान की आवश्यकता को कम करेगा और परिणामस्वरूप किराये व्यय में कटौती होगी।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, बैंक ने सूचना देने तथा पारदर्शिता लाने के लिए एक अनन्य सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र की स्थापना की है। सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए केनरा बैंक ने अपने सभी 34 अंचलों में जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया है। वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने 3190 सूचना का अधिकार आवेदन, 561 प्रथम अपील तथा 90 द्वितीय अपीलें प्राप्त की।

राजभाषा का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत सराहनीय प्रगति की है और विभिन्न स्तरों पर कई पुरस्कार प्राप्त किए।

यथा मार्च 2014 को लगभग 98 कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान हासिल किया है और राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन 2621 शाखाओं को बैंक ने अधिसूचित किया है हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त बैंक के सभी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए 280 से अधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

34 Circles, the Bank identified 82 branches as High Risk, 1471 branches as Medium Risk and 3197 branches as Low Risk. These branches were periodically visited by Security Officers as per statutory guidelines. All the sensitive currency chests were visited by the Chief Security Officer during the year.

Private security watchmen are deployed at identified sensitive and vulnerable ATMs. All the branches and ATMs are being provided with CCTVs. For the first time amongst all the banks, the Bank introduced exclusive Fire Safety Policy, which covers all high rise buildings and all premises of the Bank.

Ambience Improvement

During the year, ambience improvement work was carried out in 650 branches of the Bank and the remaining 1280 branches will be completed during the current financial year. As per BCG recommendations under ‘Project Shikhar’, branch layouts are being transformed for single window service along with token display arrangement. 51 branches are identified on pilot basis in the 1st phase and this will be extended to another 600 branches during the year. Introduction of Document Management and Record Storage System is on the anvil, which augurs well for improving the ambience apart from reduction in requirement for office space and consequent reduction in rental expenditure.

Right to Information

Under the Right to Information Act, 2005, an exclusive Right to Information Act outfit is functioning to provide information and bring transparency. As per the requirement of the RTI Act, the Bank has nominated Public Information Officers and Appellate Authorities at Head Office and in all its 34 Circle Offices to provide information to the applicants. During the year, the Bank received 3190 RTI applications, 561 First Appeals and 90 Second Appeals as per the provisions of RTI Act, 2005.

Implementation of Official Language

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review.

As at March 2014, around 98% of employees have obtained working knowledge in Hindi and the Bank has notified 2621 branches under Rule 10(4) of OL Rules 1976. All the employees of the Bank possessing working knowledge of Hindi have been trained in Hindi workshops. During the year, the Bank conducted more than 280 refresher training programmes for such employees.

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा को अमल करने हेतु बैंक ने “यूनिफाइड” का प्रयोग बढ़ाया और बैंक के ए.टी.एम. स्क्रीनों में 10 भारतीय भाषाओं में लेने-देने का प्रावधान जारी रखा। टेलीफोन बैंकिंग की सुविधा हिन्दी और अंग्रेजी के साथ प्रमुख 6 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान की जा चुकी है। बैंक का कॉर्पोरेट वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषा है। बैंक विशेष अवसरों पर अपने सभी ग्राहकों को हिन्दी में एस.एम.एस. भी भेजता है। 1 जुलाई 2011 से बैंक ने कोर बैंकिंग प्रणाली में हिन्दी का विकल्प उपलब्ध कराया है। हमारे बैंक की इलेक्ट्रॉनिक द्विभाषी पता पुस्तिका “केनपता” को सभी शाखाओं के कार्यालयों में उपलब्ध कराया गया।

मोबाइल बैंकिंग में भी हिन्दी का विकल्प “उपलब्ध” कराया गया है। अब बैंक ए.टी.एम. लेनदेन पर्चियों का मुद्रण हिन्दी में भी कर सकता है (हिन्दी विकल्प में किए गए लेनदेनों के लिए)।

राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक द्वारा “केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना” के तहत 156 पुरस्कावर अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, शाखाओं व कार्यालयों के अनुभागों को प्रदान किए गए। “केनरा बैंक राजभाषा पुरस्कार योजना” के तहत 107 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक “अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता” भी आरंभ की है और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

सिडबी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता के तहत श्री हरिन्दर सिंह यादव, विशेष सहायक, सेक्टर 10ए शाखा, गुडगांव को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री अभिनय कुमार झा, राजभाषा अधिकारी का लेख भारतीय रिज़र्व बैंक की तिमाही पत्रिका बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन में प्रकाशित किया गया।

वर्ष के दौरान बैंक की अर्ध वार्षिक हिन्दी पत्रिका केनरा ज्योति 11 वां एवं 12वां अंक जारी किये गये। प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में हिन्दी दिवस समारोह के दौरान हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 11वां अंक का विमोचन किया गया। हमारे बैंक के राजभाषा अधिकारियों के 31वां अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर 12वां अंक का विमोचन श्री प्रेम पाल शर्मा, संयुक्त सचिव, रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। केनरा ज्योति हिन्दी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए निकाली जाती है। इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा लिखित बैंकिंग संबंधी लेख, कविता, लघु कथा, यात्रा वृत्तांत आदि शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि “केनरा ज्योति” को समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रतिष्ठित ए.बी.सी.आई. द्वारा भाषा वर्ग हेतु रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हमारे बैंक के राजभाषा अधिकारियों का 31वां अखिल भारतीय सम्मेलन 5 व 6 मार्च 2014 को क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुडगांव में आयोजित किया गया। 7 व 8 मार्च 2014 को क्षेत्र.क.प्र.म. में राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा प्रबोधन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दिनांक 10 मार्च से 14 मार्च 2014 तक बैंक के नव नियुक्त अधिकारियों के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के तत्वाधान में 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

In the sphere of using information technology in the Official Language, the Bank furthered the use of Unicode package for word processing and also made provision in ATM screens for carrying transaction in 10 Indian languages. Telebanking facility is provided in Hindi and English and 6 major regional languages. The Bank's corporate website is fully in bilingual. The Bank is also sending SMSs in Hindi to all its customers on special occasions. With effect from 1st July, 2011, the Bank provided Hindi option in Core Banking System. The Bank's bilingual address booklet 'CANPATHA' is made available to all the branches and offices in electronic form. Hindi option is provided in mobile banking also. Now, the Bank is able to print ATM Transactions Report (Transactions done in Hindi Option) in Hindi.

To encourage effective implementation of Official Language in the Bank, 156 prizes were given to Circles, Branches, RSTCs and Sections at Head Office and Circle Offices under the award Scheme formulated by the Bank, viz., Canara Bank Rajbhasha Akshay Yojana and 102 employees were awarded under Rajbhasha Puraskar Yojana. The Bank also conducted annual “All India Hindi Essay Competition” and awarded the prize winners.

Shri Harinder Singh Yadav, Special Asst., Sector 10 A Branch, Gurgaon was awarded Special Prize under All India Hindi Essay Writing Competition organized by SIDBI. Shri Abhinay Kumar Jha, OL Officer's article was published in “Banking-Chintan Anuchintan”, quarterly Hindi magazine of RBI.

The Bank's half yearly Hindi journal “Canarajyoti” – 11th & 12th issues were brought out during the year. The 11th issue was released by the C&MD during Hindi Day Celebration at Head Office, Bangalore & 12th issue was released on the occasion by Shri Prempal Sharma, Joint Secretary, Ministry of Railways, Gol. Canarajyoti is brought out to encourage original writing in Hindi. This Publication contains articles on banking related subjects as well as Poetry, Short Stories, Travelogues in Hindi written by employees.

The 31st All India OL Conference of OL Officers of the Bank was held at RSTC, Gurgaon on 5th and 6th March, 2014. On 7th and 8th March, 2014, a Programme called “Rajbhasha Prabandhan Karyakram” was also conducted for the OL Officers at RSTC, Gurgaon. From 10th to 14th March, 2014, a Translation Training Programme under the aegis of Central Translation Bureau, New Delhi was also conducted for the OL Officers of the Bank.

वर्ष के दौरान बैंक के कर्मचारियों के लिए 13 केन्द्रों में भारतीय संस्कृति संस्थान के तत्वावधान में “राजभाषा प्रबंधन कार्यक्रम” का आयोजन किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने बैंक की होशंगाबाद और पिथौरागढ़ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय का दौरा किया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के प्रयासों की सराहना की। बेंगलूर, कोयंबतूर, आगरा और तिरुवनंतपुरम में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने व मार्गदर्शन देने के लिए बैंक की सभी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं।

खेलकूद का प्रवर्तन

केनरा बैंक ने हमेशा खेलकूद को प्रोत्साहन तथा समर्थन दिया है। वर्ष 1982 में बैंक में खेलकूद के अनुप्रवर्तन व प्रोत्साहन के लिए प्रधान कार्यालय में एक खेलकूद काउंसिल का गठन किया गया।

बैंक में 6 क्षेत्रों में अर्थात् क्रिकेट, हॉकी, महिला अथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन व टेबल टेनिस में 40 खिलाड़ी कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री बी के वेंकटेश प्रसाद, श्री सुनिल जोशी, सुश्री शांता रंगस्वामी वर्तमान में बैंक में कार्यरत हैं। इसके अलावा श्रीमती एम के आशा, श्रीमती सुमा गोपालकृष्णा तथा श्रीमती एच एम ज्योति (अथलेटिक्स) और श्री भरत छेत्री, श्री पी षण्मुगम, श्री के एम सोमण्णा, श्री के पी दिनेश (हॉकी जूनियर इंटरनेशनल) भी बैंक में कार्यरत हैं।

सालों से खेलकूद के क्षेत्र में केनरा बैंक ने कई श्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल की हैं और बैंक की क्रिकेट, बॉल बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस टीम कर्नाटक राज्य में अन्य स्थान पर है। 2013-14 के दौरान श्रीमती एच एम ज्योति ने रांची में आयोजित सीनियर ओपन नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। उन्हें आनेवाले कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स 2014 के लिए भी चुना गया है। पुणे में आयोजित पहले अर्धवर्ष पाटिसन ऑल इंडिया टी - 20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बैंक की क्रिकेट टीम पहले रनर-अप रही। श्री के बी पवन त्रिपुरा राज्य रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा थे। श्री मंसूर अली खान लुधी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट टीम के स्पॉट स्टाफ का हिस्सा थे, जिसने रणजी ट्रॉफी (4 दिन और 1 दिन) तथा इरानी ट्रॉफी जीती थी। राज्य क्रिकेट टीम ने वर्ष में सभी मुख्य ट्रॉफियों को जीतकर इतिहास रच दिया। बैंक के स्टर्लस श्री डी गुरुप्रसाद और श्री विनीत मनुएल

A programme named “Rajbhasha Prabandhan Karyakram” was organised under the aegis of “Bharatiya Sanskriti Sansthan” in 13 different centres for the employees of the Bank.

The 3rd Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Languages inspected the Bank's Hoshangabad and Pithoragarh branches and Head Office and lauded the efforts of the Bank in the field of Official Language implementation. The Bank is convening the Town Official Language Implementation Committees of Bangalore, Agra, Coimbatore and Thiruvananthapuram. Official Language Implementation Committees are constituted in all the branches of the Bank to motivate and guide the employees towards effective implementation of Official Language Policy of the Govt. of India.

Promotion of Sports

Canara Bank has always encouraged and supported sports. A Sports Council at Head Office was set up in the year 1982 to monitor and encourage sports in the Bank.

The Bank has on its rolls 40 sports persons in six disciplines, viz., Cricket, Hockey, Athletics, Shuttle Badminton, Ball Badminton and Table Tennis. International Sports persons Shri B K Venkatesh Prasad and Shri Sunil Joshi (Cricketers), Shri U Vimal Kumar (Shuttle Badminton) are presently in the Bank's fold. Besides the above sports persons, Smt M K Asha, Smt Suma Gopalakrishna and Smt H M Jyothi (Athletics) and Shri Bharat Chhetri, Shri P Shanmugam, Shri K M Somanna and Shri K P Dinesh (Hockey) are also on the Bank's rolls.

Over the years, Canara Bank has secured several distinctions in the sporting arena. The Bank's Cricket, Hockey, Shuttle Badminton and Table Tennis are among the top teams at the State level. Notably during 2013-14, Smt H M Jyothi secured Silver Medal at the Senior Open National Athletic Championship held at Ranchi. She was also provisionally selected for the upcoming Commonwealth Games and Asian Games 2014. The Bank's Cricket Team secured 1st Runner-up position in the 1st Atharva Pattison All India T-20 Cricket Tournament held at Pune. Shri K B Pawan was part of the Tripura State Ranji Trophy Team in both the formats. Shri Mansur Ali Khan Ludhi was part of the Support Staff of the Karnataka State Cricket team which won the Ranji Trophy (4 Day and 1 Day Formats) and Irani Trophy. The State Cricket Team created history by winning all three major trophies in a year. The Bank's Shuttlers Shri D Guruprasad and

कर्नाटक राज्य स्टल बैटमिंटन टीम के हिस्से थे जिन्होंने मंगलूर में आयोजित सीनियर साउथ जोन स्टल बैटमिंटन चैम्पियंशीप में स्वर्ण पदक जीता।

बैंक प्रधान कार्यालय की टीमों के अलावा क्षेत्रीय अंतर बैंक टूर्नामेंटों के लिए अंचल कार्यालय स्तर पर भी टीमों को प्रायोजित करता है। बैंक के 50% से अधिक खिलाड़ी अपने संबंधित खेल क्षेत्रों में कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वित्तीय सुपरमार्केट

सहायक, प्रायोजित संस्थाएं व संयुक्त उद्यम

केनरा बैंक ने ग्राहकों हेतु 'एक स्टॉप बैंकिंग' प्रदान करने के उद्देश्य से 1980 दशक के अंत के दौरान सहायकी खोलने के द्वारा विविध कारोबार गतिविधियों में प्रवेश किया। आज, बैंक विविध क्षेत्रों में कम से कम नौ सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य कर रहा है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने सम्यक मूल्यांकन हेतु व बैंक के सहायकी/सहयोगी हेतु खांका तैयार करने के लिये भी एक सलाहकार के रूप में मेसर्स केपीएमजी सलाहकार सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड नियुक्त किया है। बैंक सलाहकारों द्वारा सुझावित विभिन्न पहलों के संबंध में पायलटों के कार्यायन की प्रक्रिया में है।

बैंक के सभी सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों ने वर्ष के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्ज किया है।

वाणिज्यिक इंडों बैंक एलएलसी (सीआईबीएल)

सीआईबीएल, केनरा बैंक व भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उद्यम, अप्रैल, 2004 से मॉस्को, रूस में कार्य कर रहा है। 31 मार्च, 2014 को कंपनी ने यूएस 4.07 मिलियन डॉलर के कर के पश्चात लाभ अर्जित किया है।

केनबैंक उद्यम पूंजी कोष लिमिटेड (सीवीसीएफएल)

1995 में निगमित, केनबैंक उद्यम पूंजी कोष लिमिटेड, केनबैंक उद्यम पूंजी कोष (सीवीसीएफ) का न्यासी व प्रबन्धक है और बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाला इकाई है। कंपनी ने केनरा बैंक सहित 19 बैंकों द्वारा अंशदत्त, अब तक 5 कोष जारी किये हैं, यथा, ₹16.42 करोड़ के आधारभूत निधि के साथ कोष I, ₹10.50 करोड़ के आधारभूत निधि के साथ कोष II, ₹30 करोड़ के आधारभूत निधि के साथ कोष III, ₹60 करोड़ के आधारभूत निधि के साथ कोष IV और नवीनतम ₹500 करोड़ के आधारभूत निधि के साथ इमर्जिंग इंडिया ग्रोथ फंड। कोष अभी निवेश मोड के अंतर्गत है।

Shri Vineeth Manuel were part of the Karnataka State Shuttle Badminton Team that won the Gold Medal at the Senior South Zone Shuttle Badminton Championship held at Mangalore.

Apart from the teams at Head Office, the Bank is also sponsoring teams at Circle Office level for the local/regional Inter Bank Tournaments. More than 50% of the Bank's sports personalities are representing Karnataka in their respective sports discipline.

FINANCIAL SUPERMARKET

Subsidiaries, Sponsored Entities and Joint Ventures

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket' with as many as nine subsidiaries/ sponsored entities/ joint ventures in diversified fields.

During the year, the Bank appointed M/s KPMG Advisory Services Private Limited as Consultant for a comprehensive assessment and also to draw a roadmap for the Bank's Subsidiaries/ Associates. The Bank is in the process of implementation of the pilots in respect of various initiatives suggested by the Consultant.

All the subsidiaries/ sponsored entities/ joint ventures of the Bank recorded satisfactory performance during the year.

Commercial Indo Bank LLC (CIBL)

CIBL, a joint venture of Canara Bank and State Bank of India, has been operational from April 2004 in Moscow, Russia. The Company earned a profit after tax of US\$4.07 million as on 31st March, 2014.

Canbank Venture Capital Fund Limited (CVCFL)

Incorporated in 1995, Canbank Venture Capital Fund Limited is the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund (CVCFL) and a wholly owned Subsidiary of the Bank. The Company has floated 5 funds till date, viz., Fund I with corpus ₹16.42 crore, Fund II with corpus ₹10.50 crore, Fund III with corpus ₹30 crore, Fund IV with corpus ₹60 crore and the latest one being the Emerging India Growth Fund with a corpus of ₹500 crore, contributed by 19 banks including Canara Bank. The Fund is under investment mode.

वर्ष 2013-14 के दौरान, कंपनी ने ₹6.10 करोड़ के कर के बाद भी लाभ अर्जित किया है और 800% के लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी ने एमएसएमई क्षेत्र के लिये ₹500 करोड़ के नये कोष का आयोजन किया है और यह सितम्बर 2014 तक शुरू किया जायेगा।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)

1987 में निगमित, केनफिन होम्स लिमिटेड, जो कि केनरा बैंक की एक प्रायोजित संस्था है, प्रमुख आवास वित्त संस्थाओं में से एक है, जिसकी पूरे देश भर में 87 शाखाएं हैं। 31.03.2014 को सीएफएचएल में बैंक का शेयर 42.35% है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹2548 करोड़ के संवितरण राशि के साथ ₹2907 करोड़ के ऋण राशि की मंजूरी दी है। कंपनी ने वर्ष समापन मार्च 2014 हेतु ₹75.71 करोड़ के कर के पश्चात लाभ अर्जित किया है और 2013-14 हेतु 65% का लाभांश प्रस्तावित किया है।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल)

1991 में निगमित, बीजक भुनाई, बिक्री खाताबही प्रशासन, ऋण वसूली व सलाहकार सेवाओं में संलिप्त केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की एक फैक्ट्रिंग सहायकी है। 31.03.2014 को सीएफएल में बैंक का शेयर 70% है। कंपनी अपने अल्पावधि ऋण कार्यक्रम के लिये क्रिसिल द्वारा “पी1+” की उच्चतम रेटिंग प्राप्त किये हुए है।

2013-14 के दौरान, कंपनी ने ₹2711 करोड़ का कुल कारोबार टर्नओवर प्राप्त किया है। कंपनी ने वर्ष समापन मार्च 2014 के लिये ₹10.60 करोड़ के कर के पश्चात लाभ अर्जित किया है और 2013-14 के लिये 10% लाभांश प्रस्तावित किया है।

केनबैंक कंप्यूटर सेवाएं लिमिटेड (सीसीएसएल)

1994 में निगमित, केनबैंक सेवाएं लिमिटेड, सॉफ्टवेयर विकास, बीपीओ, एटीएम प्रबन्धन और रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण सेवाओं में संलिप्त है। पूरे देश में यह एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित है। कंपनी नैस्कॉम की सदस्य है और विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाता के रूप में पंजीकृत है।

31.03.2014 को सीसीएसएल में बैंक का शेयर 69.14% है। ₹33 करोड़ के टर्नओवर के साथ, कंपनी ने वर्ष समापन मार्च 2014 के लिये ₹5.43 करोड़ के कर के पश्चात लाभ अर्जित किया है और 2013-14 हेतु 50% का लाभांश प्रस्तावित किया है।

केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड (सीबीएसएल)

केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड, (गतकाल में, गिल्ट प्रतिभूति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) पूंजी बाजार संबंधित गतिविधियों में, विशेषकर 2007 से स्टॉक ब्रोकिंग में संलिप्त रहा है।

कंपनी, पूंजी बाजार नकद खंड, भविष्य व विकल्प और मुद्रा व्युत्पन्नी खंड में ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करता है तथा संस्थागत व खुदरा ग्राहकों, दोनों के लिये सार्वजनिक निर्गम व म्यूच्युअल फंड के लिये हस्ताक्षरित है। कंपनी का ग्राहक आधार 31000 से अधिक है।

During 2013-14, the Company posted a profit after tax of ₹6.10 crore and has paid a dividend of 800%. The Company has planned a new fund of ₹500 crore for MSME sector and will be launched by September 2014.

Can Fin Homes Limited (CFHL)

Incorporated in 1987, Canfin Homes Limited, a Sponsored Entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities, with 87 branches spread across the country. As on 31.03.2014, the Bank's stake in CFHL is 42.35%.

During the year, the Company sanctioned loans amounting to ₹2907 crore, with disbursement amounting to ₹2548 crore. The Company earned a profit after tax of ₹75.71 crore for the year ended March 2014 and proposed a dividend of 65% for 2013-14.

Canbank Factors Limited (CFL)

Incorporated in 1991, Canbank Factors Limited is a factoring Subsidiary of the Bank involved in invoice discounting, sales ledger administration, debt collection and advisory services. As on 31.03.2014, the Bank's stake in CFL is 70%. The Company enjoys the highest rating of “p1+” by CRISIL for its short term debt programme.

During 2013-14, the Company achieved a total business turnover of ₹2711 crore. The Company earned profit after tax of ₹10.60 crore for the year ended March 2014 and proposed 10% dividend for 2013-14.

Canbank Computer Services Limited (CCSL)

Incorporated in 1994, Canbank Computer Services Limited is engaged in software development, BPO, ATM management and Registrar & Share Transfer services. It is the only Software Company promoted by a public sector bank in the country. The Company is a member of the NASSCOM and is registered as a software solution provider for World Bank projects.

As on 31.03.2014, the Bank's stake in CCSL is 69.14%. With a turnover of ₹33 crore, the Company posted a profit after tax of ₹5.43 crore for the year ending March 2014 and proposed a dividend of 50% for 2013-14.

Canara Bank Securities Limited (CBSL)

Canara Bank Securities Ltd., (formerly Gilt Securities Trading Corporation Limited) diversified into capital market related activities, mainly stock broking since 2007.

The Company offers online trading facilities in the capital market-Cash Segment, Futures and Options and Currency Derivatives Segments and subscribes to Public Issues and Mutual Fund products for both institutional and retail clients. The Company has a clientele base of over

समीक्षा के तहत वर्ष के लिये कंपनी ने ₹14355 करोड़ के टर्नओवर की रिपोर्ट की है। इसने ₹6.07 करोड़ के कर के पश्चात लाभ अर्जित किया है और 2013-14 हेतु 12.5% के लाभांश का भुगतान किया है।

केनबैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड (केनफिना)

केनबैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड ने डिब्रिबद्ध खातों के तहत पट्टा किराये की वसूली व अतिदेय की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा अपनी गतिविधियों को प्रतिभूति में पिछले संव्यवहार से उत्पन्न कानूनी मामलों तक परिरुद्ध कर दिया है। वर्ष 2013-14 के दौरान केनफिना ने ₹44.27 करोड़ का लाभ दर्ज किया है। इसे वाद दाखिल खाते से ₹102.59 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इसने वर्ष के दौरान बैंक द्वारा दिये गये हैंड होल्डिंग समर्थन को ₹25 करोड़ की चुकौती की है तथा इसके साथ, बैंक द्वारा दिये गये ₹376.45 करोड़ के संपूर्ण हैंड होल्डिंग समर्थन की चुकौती हुई है।

केनरा रोबेको परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी)

केनबैंक म्युचुअल फंड के आस्तियों को प्रबन्धित करने के लिये 1993 में मेसर्स केनबैंक निवेश प्रबन्धन सेवाएं लिमिटेड स्थापित की गयी थी। वर्ष 2007 में केनरा बैंक ने आस्ति प्रबन्धन कंपनी का 49% शेयर मेसर्स रोबेको समूह एन वी के पक्ष में विनिवेश किया था जिससे कि केनबैंक म्युचुअल फंड की आस्तियों के प्रबन्धन हेतु एक संयुक्त उद्यम का निर्माण हुआ। तब से ही कंपनी को केनरा रोबेको आस्ति प्रबन्धन कंपनी लिमिटेड के रूप में पुनःनामित कर दिया गया था।

मार्च 2014 को, 5.12 लाख के निवेशक आधार को कवर करते हुए कंपनी के प्रबन्धन के तहत आस्तियां ₹7342 करोड़ थी। वर्तमान में कंपनी, गोल्ड ईएफटी सहित 25 म्युचुअल फंड योजनाएं संभाल रही है। वर्ष 2013-14 के लिये कंपनी ने ₹9.81 करोड़ के कर के पश्चात लाभ अर्जित किया है।

केनरा एचएसबीसी ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एचएसबीसी बीमा (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग लिमिटेड व ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सहयोग से बैंक द्वारा बीमा संयुक्त उद्यम जारी किया गया है। कंपनी सितम्बर 2007 के दौरान निगमित हुई थी और बैंक द्वारा आयोजित 51% की बहुमत हिस्सेदारी के साथ अपना कारोबार परिचालन 16.06.2008 से प्रारंभ किया था। 2013-14 के दौरान, कंपनी ने 3 नये जीवन बीमा उत्पादों का शुभारंभ किया, यथा, ईस्मार्ट ऑनलाइन शुद्ध सावधि योजना, स्मार्ट मासिक आय योजना व स्मार्ट स्टेज मनी बैंक योजना।

कंपनी ने 7 से 9 वर्ष के औद्योगिक मानदंड की तुलना में अपने परिचालन के 5वें वर्ष में ही रिकॉर्ड तोड़ ₹66.2 करोड़ का वैधानिक लाभ दर्ज किया है। वर्तमान में कंपनी उद्योग के 24 प्राइवेट खिलाड़ियों में से 11वें स्थान पर है।

31000. For the year under review, the Company reported a turnover of ₹14355 crore. It posted a profit after tax of ₹6.07 crore and paid dividend of 12.5% for 2013-14.

Canbank Financial Services Limited (Canfina)

Canbank Financial Services Limited has confined its activities to legal matters arising out of past transactions in securities, besides concentrating on collection of lease rentals and recovery of dues under decreed accounts. During 2013-14, Canfina recorded a profit of ₹44.27 crore. It received an amount of ₹102.59 crore from a suit filed account. It has repaid ₹25 crore during the year towards handholding support given by the Bank and with this, the entire handholding support of ₹376.45 crore given by the Bank is repaid.

Canara Robeco Asset Management Company Limited (CRAMC)

To manage assets of Canbank Mutual Fund, M/s Canbank Investment Management Services Limited (CIMS) was established in 1993. In 2007, Canara Bank divested 49% stake of Asset Management Company in favour of M/s Robeco Groep N V, forming a joint venture for managing the assets of Canbank Mutual Fund. The Company has since been renamed as Canara Robeco Asset Management Company Ltd.

As at March 2014, the Assets under Management of the Company was ₹7342 crore, covering an investor base of 5.12 lakh. The Company is currently managing 25 Mutual Fund Schemes including Gold EFT. The Company posted a profit after tax of ₹9.81 crore for the year 2013-14.

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited

An Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with internationally reputed HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank of Commerce. The Company was incorporated during September 2007 and commenced its business operations from 16.06.2008, with a majority shareholding of 51% held by the Bank. During 2013-14, the Company launched 3 new life insurance products, viz., ESmart Online Pure Term Plan, Smart Monthly Income Plan and Smart Stage Money Back Plan.

The Company recorded statutory profit of ₹66.2 crore, reaching its discrete break even in the 5th year of its operation compared to the industry norm of 7 to 9 years. The Company is currently ranked 11th among 24 private players in the industry.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित एक राज्य के अन्दर भौगोलिक दृष्टि से सन्निहित आरआरबी के समामेलन के संदर्भ में वर्ष 2013-14 बैंक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिये मील का पत्थर साबित हुआ है। 08.07.2013 को केरल के पूरे राज्य को कवर करते हुए एक आरआरबी यथा, केरल ग्रामीण बैंक बनाने हेतु सिंडीकेट बैंक द्वारा प्रायोजित नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक व बैंक प्रायोजित साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक को समामेलित कर दिया गया था। यथास्वरूप, 23.08.2013 को कर्नाटक के 11 पूर्वी जिलों को कवर करते हुए एक आरआरबी यथा, प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक बनाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित कृष्ण ग्रामीण बैंक व बैंक द्वारा प्रायोजित प्रगति ग्रामीण बैंक को समामेलित कर दिया गया था। इस विलयन के साथ, बैंक द्वारा प्रायोजित 2 आरआरबी की कुल शाखाएं बढ़कर 1137 हो गयी।

मार्च 2014 को ये दोनों ही आरआरबी लाभ अर्जित कर रहे थे और पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% के अनिवार्य मानदंड से अधिक है। आरआरबी का कुल कारोबार ₹34,300 करोड़ रहा, जिसमें कि मार्च 2014 को जमा के तहत ₹17300 करोड़ व अग्रिम के तहत ₹17000 करोड़ समाहित है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा निर्धारित 60% के मानदंड के एवज में कुल अग्रिम का 85% समाहित है। सकल एनपीए व निवल एनपीए स्तर, कुल अग्रिम से क्रमशः 3% व 1.3% नीचे था।

बैंक प्रायोजित आरआरबी 100% सीबीएस अनुपालित है और आईटी आधारित उत्पाद यथा रुपे एटीएम डेबिट कार्ड, रुपे केसीसी कार्ड, एसएमएस एलर्ट व विप्रेषण सुविधा जैसे कि नेफ्ट व आरटीजीएस अपने ग्राहकों को विस्तारित करते हैं। 2013-14 के दौरान, आरआरबी ने 254 एटीएम संस्थापित किये हैं और मोबाइल बैंकिंग, पीओएस सुविधा व किओस्क बैंकिंग सेवा का भी शुभारंभ किया है।

प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक को एनपीसीआई द्वारा आरआरबी वर्ग के तहत “रुपे एटीएम डेबिट कार्ड जारी करने के लिये उत्कृष्ट प्रदर्शन” से सम्मानित किया गया है। 08.05.2014 को भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा यह सम्मान दिया गया।

प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वित्तीय समावेशन की स्थिति

बैंक के प्रायोजित आरआरबी ने 33 ब्रिक व मोटार शाखाओं, 339 अल्ट्रा लघु शाखाओं, 808 कारोबार संवाददाताओं व 3 मोबाइल वैन के शुभारंभ द्वारा सभी आवंटित 532 गाँवों (2000 से अधिक जनसंख्या वाले) और 1589 गाँवों (2000 से कम जनसंख्या वाले) में वित्तीय समावेशन योजना कार्यावित की है।

Regional Rural Banks (RRBs)

2013-14 was a landmark year for the Bank sponsored RRBs seen in the context of amalgamation of geographically contiguous RRBs within a State sponsored by different banks. On 08.07.2013, North Malabar Gramin Bank sponsored by Syndicate Bank was amalgamated with the Bank sponsored South Malabar Gramin Bank to form a single RRB, viz., Kerala Gramin Bank, covering the entire State of Kerala. Similarly, on 23.08.2013, Krishna Grameena Bank sponsored by State Bank of India was amalgamated with the Bank sponsored Pragathi Gramin Bank to form a single RRB, viz., Pragathi Krishna Gramin Bank, covering 11 eastern districts of Karnataka. With this merger, the total branches of the Bank sponsored 2 RRBs increased to 1137.

As at March 2014, both these RRBs were profit making and the capital adequacy ratio is above the mandatory norm of 9%. The aggregate business of the RRBs stood at ₹34300 crore, comprising ₹17300 crore under deposits and ₹17000 crore under advances as at March 2014. The priority sector advances constituted 85% of total advances as against the norm of 60% set by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Gross NPA and Net NPA levels were below 3% and 1.3% of total advances respectively.

The Bank sponsored RRBs are 100% CBS compliant and extend IT based products like RuPay ATM Debit Cards, RuPay KCC Cards, SMS Alerts and remittance facilities like NEFT & RTGS to their customers. During 2013-14, RRBs installed 254 ATMs and also introduced Mobile Banking, PoS facilities and Kiosk Banking Services.

Pragathi Krishna Gramin Bank was awarded “Outstanding performance for issuance of RuPay ATM Debit Cards” under RRB category by NPCI. The award was conferred by Hon’ble President of India, Shri Pranab Mukherjee on 08.05.2014.

Position of Financial Inclusion in the sponsored Regional Rural Banks

The sponsored RRBs of the Bank have implemented financial inclusion plan in all allotted 532 villages (with population above 2000) and 1589 villages (with population below 2000) by opening 33 Brick and Mortar branches, 339 Ultra Small Branches, 808 Business Correspondents and 3 Mobile Vans.

पुरस्कार / प्रशंसा

विभिन्न पहलों के अभिज्ञान में, वर्ष के दौरान बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार दिये गये:

- **“वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार”,** बेंगलूर प्रबन्धन संघ (बीएमए) द्वारा संस्थापित ।
- **“सर्वश्रेष्ठ वित्तीय संस्थान”,** कर्नाटक चैम्बर ऑफ कामर्स संघ, बेंगलूर द्वारा निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 में वर्ग-गोल्ड ।
- गोल्डन पीकाँक पुरस्कार की पूर्व संध्या पर निर्देशक फैलोशिप संस्थान से सम्मानित ।
- ईंडिया पुरस्कार 2013 के तहत **“पारंपरिक कला और संस्कृति को मजबूत बनाना”** परियोजना के अंतर्गत अनुकरणीय सीएसआर पहल हेतु उत्कृष्टता प्रमाणपत्र से सम्मानित ।
- कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता 2013 हेतु **गोल्डन पीकाँक पुरस्कार** ।
- हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लंदन में एनआरआई वेलफेयर समाज द्वारा आयोजित ग्लोबल एचिवर्स कॉन्क्लेव के दौरान अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक को **महात्मा गाँधी प्रवासी गोल्ड सम्मान** से पुरस्कृत किया गया ।
- **“प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी (डीबीटीएल) वायनाड जिले में 100% कार्यावयन”** परियोजना के लिये डीबीटी वर्ग के तहत एफआईपीएस उत्कृष्टता सम्मान 2013 ।
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत **‘स्काँच पुरस्कार’** ।
- यूनिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने **“दशक का उत्कृष्ट बैंकर”** पुरस्कार से सम्मानित किया ।
- **“बैंकिंग में उत्कृष्टता”** हेतु ग्रीनटेक लाइफ टाइम पुरस्कार ।
- अप्रैल 2013 के दौरान ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा **संस्थापित सर्वश्रेष्ठ एचआर उन्मुख सीईओ, एचआर में बेहतरीन रणनीति, प्रशिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार** ।
- सार्वजनिक उद्यम संस्थान द्वारा संस्थापित एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस 2013 ने **“वर्ष के सीईओ”** व **“एचआर उन्मुखता के साथ सीईओ”** से सम्मानित किया ।
- परिवर्तन जन कल्याण समिति, नई दिल्ली द्वारा आयोजित दशम हिन्दी महाकुम्भ एवं साहित्य सम्मेलन में **“हिन्दी राजभाषा समरक्षक रत्न”** पुरस्कार ।
- वर्ष 2013 के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में उत्कृष्टता हेतु **गोल्डन पीकाँक पुरस्कार** ।

AWARDS/ACCOLADES

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with the following awards during the year:

- **“Best Bank of the Year Award”,** instituted by The Bangalore Management Association (BMA).
- **“Best Financial Institution”,** Category-Gold in the Export Excellence Awards 2013 by the Federation of Karnataka Chamber of Commerce, Bangalore.
- Awarded **Institute of Directors’ Fellowship** on the eve of **Golden Peacock Awards**.
- Awarded **Certificate of Excellence** for exemplary CSR Initiative for the project **“Strengthening Traditional Art and Culture”** under **eIndia Awards 2013**.
- **Golden Peacock Award** for Excellence in **Corporate Governance 2013**.
- C&MD was conferred **Mahatma Gandhi Pravasi Gold Samman Award** during the Global Achievers’ Conclave organized by NRI Welfare Society of India at House of Lords, London.
- **FIPS Excellence Award 2013 under DBT Category** for the project- **“Direct Benefit Transfer LPG (DBTL) 100% implementation in Waynad District”**.
- **‘SKOCH AWARD’** under Corporate Social Responsibility.
- **Unity International Foundation** conferred **“Outstanding Banker of the Decade” Award**.
- **GreenTech Life Time Award** for **“Excellence in Banking”**.
- **Best HR Oriented CEO, Best Strategy in HR, Training Excellence awards** instituted by GreenTech Foundation during April 2013.
- **Asia Pacific HRM Congress 2013** instituted by Institute of Public Enterprises conferred **“CEO of the Year”** and **“CEO with HR Orientation”**.
- **‘Hindi Rajbhasha Samrakshak Ratna’ Award** in Dasham Hindi Mahakumbh Evam Saahitya Conference organized by Parivartan Jan Kalyaan Samiti, New Delhi.
- **Golden Peacock Award** for excellence in Corporate Social Responsibility for the year 2013.

- वर्ष 2013 के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में उत्कृष्टता हेतु ग्रीनटेक पुरस्कार ।
- भारत का सर्वश्रेष्ठ 2013 होने के लिए एक पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ स्कोच पुनर्जागरण पुरस्कार 2013 ।
- बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 के तहत भारतीय एमएसएमई के चेम्बर द्वारा संस्थापित 'एमएसएमई के तहत नयी पहल करने हेतु ज्युरी पुरस्कार' ।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगातार दूसरे वर्ष के लिए ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयन हेतु उत्कृष्ट बैंक पुरस्कार । सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी आरएसईटीआई के रूप में हसन (कर्नाटक) व तिरुपुर (तमिलनाडु) में अपने दो विशिष्ट आरएसईटीआई के लिये वर्ग I व वर्ग II के तहत पुरस्कार । बैंक द्वारा सह-प्रायोजित 27 आरयूडीएसईटीआई में से 5 को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी आरयूडीएसईटीआई के रूप में सम्मानित किया गया ।
- वर्ष 2013 के लिये राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमि., (एनएसडीएल) द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में 'नये खुले डिमैट खातों में उत्कृष्ट निष्पादक' ।
- फरवरी 2014 के दौरान विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा संस्थापित लाइफ टाइम एचिवमेंट एवार्ड, ग्लोबल एचआर उत्कृष्टता एवार्ड (कारोबार में सर्वश्रेष्ठ रणनीति हेतु पुरस्कार) व 8वां इम्प्लॉयर ब्रांडिंग एवार्ड 2014 (प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार) ।
- सीएसआर विश्व कांग्रेस से ग्लोबल सीएसआर उत्कृष्टता व नेतृत्व पुरस्कार 2014 ।
- 2013 हेतु ऑउटलुक मनी से सर्वश्रेष्ठ आवास ऋण प्रदाता पुरस्कार ।
- सुरक्षित आईटी 2014 पुरस्कार के तहत विजेता के रूप में घोषित "सीबीएस हेतु फिंगर प्रिंट आधारित बायोमेट्रिक प्राधिकरण"
- 33वें स्कोच सम्मेलन में भारत के सर्वश्रेष्ठ 2013 में बैंक के डेस्कटॉप प्रबन्धन प्रणाली परियोजना को पुरस्कृत किया गया ।
- एटीएम व एनएफएस एटीएम नेटवर्क से जुड़े स्विच के संबंध में मुख्य मापदंडों में बैंक के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के अभिज्ञान में एनपीसीआई द्वारा एनएफएस परिचालन उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 – विशेष ज्युरी पुरस्कार 2013 ।
- भारतीय सार्वजनिक संबंध परिषद द्वारा विभिन्न वर्गों के तहत 'कॉर्पोरेट संपार्श्विक पुरस्कार' ।
- सभी केन्द्रीय के साथ-साथ राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं में सतर्कता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के परिदृश्य से संस्थान की स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के स्मरणोत्सव में मेसर्स सार्वजनिक उद्यम संस्थान द्वारा संस्थापित 'सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार'।
- Greentech Award for excellence in Corporate Social Responsibility for the year 2013.
- Skoch Renaissance Award 2013, with a Medal and Citation for being India's Best-2013.
- 'Jury Award for New Initiatives under MSME' instituted by Chamber of Indian MSME under Banking Excellence Awards 2013.
- Best Bank Award for implementation of Rural Self Employment Training Institutes for the second consecutive year by the Ministry of Rural Development, Govt. of India. Award under Category I & Category II for two of its exclusive RSETIs at Hassan (Karnataka) and Tiruppur (Tamil Nadu) as Best Performing RSETIs. 5 of the 27 RUDSETIs co-sponsored by the Bank were awarded as Best Performing RUDSETIs.
- 'Top Performer in New Demat Accounts Opened' in banking sector by National Securities Depository Ltd., (NSDL) for the year 2013.
- Life Time Achievement Awards, Global HR Excellence Awards (Award for Best Strategy in Line with Business) and 8th Employer Branding Awards 2014 (Award for Excellence in Training), instituted by World HRD Congress during February 2014.
- Global CSR Excellence and Leadership Awards 2014 from CSR World Congress.
- Best Home Loan Provider Award from Outlook Money for 2013.
- "Finger Print based Biometric Authorization for CBS" declared as winner under Secure IT 2014 award.
- The Bank's Desktop Management System project awarded amongst India's Best -2013 in 33rd SKOCH Summit.
- NFS Operational Excellence Award 2013 - Special Jury Award 2013 by NPCI in recognition of Bank's excellent performance in key parameters in respect of ATMs and Switch connected to NFS ATM Network.
- 'Corporate Collateral Awards' under various categories by Public Relations Council of India.
- 'Vigilance Excellence Award' instituted by M/s Institute of Public Enterprises, Hyderabad, in commemoration of celebrating the Golden Jubilee Year of the Institute, with a view to promote excellence in the field of Vigilance in all the Central as well as State level Public Sector Enterprises, Nationalized Banks and other Financial Institutions.

बैंक की विभिन्न नीतियाँ

बैंक की अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। वर्ष के दौरान भारिबै के विनियामक आवश्यकताओं, भारत सरकार के दिशानिर्देशों व वर्तमान परिदृश्य में बैंक की आकस्मिक आवश्यकताओं की रौशनी में बैंक के नीतियों व प्रक्रियाओं को सुवीही बनाने हेतु ठोस प्रयास किये गये हैं। तदनुसार, अन्य के बीच, साख जोखिम प्रबन्धन, बाजार जोखिम प्रबन्धन, परिचालक जोखिम प्रबन्धन, आस्ति दायित्व प्रबन्धन, चलनिधि जोखिम प्रबन्धन, समूह जोखिम प्रबन्धन, देश जोखिम, प्रतिपक्षी बैंक जोखिम, कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रकटन, संपार्श्विक प्रबन्धन, तनाव परीक्षण, अनुपालन कार्यों, आपदा पुनर्प्राप्ति और कारोबार सतत आयोजन, कारोबार लाइन, आउटसोर्सिंग और आईसीएएपी, केवाईसी, एएमएल, वसूली, व निवेश के संबंध में नीतियों पर तीक्ष्ण ध्यान केंद्रित किया गया है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में वर्ष 2013-14 में निम्न परिवर्तन देखे गये हैं।

- 04.04.2013 से श्री वी.एस. कृष्ण कुमार कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं।
- श्रीमति अर्चना एस भार्गव, कार्यपालक निदेशक का कार्यकाल 22.04.2013 को समाप्त हो गया, जो कि अब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक बन गयी हैं।
- श्रीमती सुधा कृष्णन, जिनका 25.07.2013 को भारत सरकार नामिती निदेशक के रूप में अवधि समाप्त हो गई है, के स्थान पर 26.07.2013 से डॉ. रजत भार्गव को भारत सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 26.07.2013 को श्री पी वी मैय्या व श्री सुनिल गुप्ता का शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।
- 27.07.2013 से श्री ब्रिज मोहन शर्मा, श्री राजिन्दर कुमार गोयल व श्री संजय जैन शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- 05.08.2013 से श्री प्रद्युमन सिंह रावत कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- 31.12.2013 को श्री ब्रिज मोहन शर्मा, शेयरधारक निदेशक ने कार्यालय छोड़ दिया।
- 05.12.2013 से श्री साईराम बी. मोचर्ला अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- 06.12.2013 से श्री सुनिल हुकुमचन्द कोचेटा चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी के तहत अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- श्री जी वी मणिमारन, कामगार प्रतिनिधि के अलावा अन्य के निदेशक, का कार्यकाल 13.12.2013 को समाप्त हो गया तथा इन्हें 03.01.2014 से पुनः नियुक्त किया गया है।

VARIOUS POLICIES OF THE BANK

There is a system of well-defined policies and procedures of the Bank. During the year, concerted efforts were made to streamline the policies and procedures of the Bank in the light of regulatory requirements of the RBI, the directions of the Government of India and the emergent requirements of the Bank in the present day context. Accordingly, there has been a sharper focus on policies relating to, among others, Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management, Group Risk Management, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing and ICAAP, KYC, AML, Recovery and Investments.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Year 2013-14 saw the following changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.

- Shri V S Krishna Kumar was appointed as the Executive Director, w.e.f 04.04.2013.
- The tenure of Smt Archana S Bhargava as Executive Director ended on 22.04.2013, on her elevation as C&MD of United Bank of India.
- Dr Rajat Bhargava was appointed as Government of India Nominee Director, w.e.f 26.07.2013, in place of Smt Sudha Krishnan whose term as Government of India Nominee Director ended on 25.07.2013.
- The tenure of Shri P V Maiya and Shri Sunil Gupta as Shareholder Directors ended on 26.07.2013.
- Shri Brij Mohan Sharma, Shri Rajinder Kumar Goel and Shri Sanjay Jain were appointed as Shareholder Directors, w.e.f 27.07.2013.
- Shri Pradyuman Singh Rawat was appointed as Executive Director, w.e.f 05.08.2013.
- Shri Brij Mohan Sharma, Shareholder Director demitted Office on 31.12.2013.
- Shri Sairam B. Mocherla was appointed as Part Time Non-Official Director, w.e.f 05.12.2013.
- Shri Sunil Hukumchand Kocheta was appointed as Part Time Non-Official Director under Chartered Accountant Category, w.e.f 06.12.2013.
- The tenure of Shri G V Manimaran, other than Workmen Representative Director, ended on 13.12.2013 and he was re-appointed, w.e.f 03.01.2014.

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के नवनियुक्त निदेशक मंडल का संक्षिप्त ब्यौरा

श्री वी एस कृष्ण कुमार

श्री वी एस कृष्ण कुमार 1981 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में इलाहाबाद बैंक में नियुक्त हुए। तीन दशकों में फैले अपने कैरियर के दौरान इन्होंने देश भर में अनेकों शाखाओं व प्रभागों की अध्यक्षता की।

ये क्रेडिट, निरीक्षण, सतर्कता और मानव संसाधन प्रबन्धन में विशेषज्ञता के साथ 32 वर्षों से अधिक का विशाल ज्ञान और बहु – आयामी बैंकिंग अनुभव समेटे हुए हैं।

इन्हें निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है:

- 30 सबसे प्रतिभाशाली मानव संसाधन नेता
- एचआरडी लिडरशिप पुरस्कार 2013

ये बैंक सहायकी यथा, केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड, केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड, केनबैंक कंप्यूटर सेवाएं लिमिटेड, केनबैंक उद्यम पूंजी कोष लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड व केनरा रोबेको आस्ति प्रबन्धन कंपनी लिमिटेड, के बोर्ड में भी हैं।

डॉ. रजत भार्गव

डॉ. रजत भार्गव, आईएएस, भारत सरकार नामिती निदेशक के रूप में बैंक के बोर्ड में 26.07.2013 से नामांकित हुए।

वे 1990 बैच के आई ए एस अधिकारी हैं। उन्होंने भूगर्भशास्त्र में स्नात्कोत्तर डिग्री के साथ भूगर्भशास्त्र इंजिनियरिंग में पीएचडी भी की है। उन्होंने विधि स्नातक व वित्तीय प्रबंधन में एमबीए भी किया है।

उन्होंने राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

वर्तमान में वे वित्तमंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग में संयुक्त सचिव(बजट) के पद पर कार्यरत हैं।

श्री संजय जैन

श्री संजय जैन का बैंक के निदेशक मंडल में 27.07.2013 से प्रभावी 3 वर्षों की अवधि के लिए शेयर धारक निदेशक चयनित किए गए हैं।

वे एक 25 वर्षीय अनुभवी सनदी लेखाकार हैं। श्री संजय जैन ने सांविधिक लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, बैंकों, सरकारी कंपनियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, का स्टॉक लेखापरीक्षण किया है। श्री जैन औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली व बर्निंग ब्रेन

Brief Profile of the newly appointed, Directors of the Board of the Bank during 2013-14

Shri V S Krishna Kumar

Shri V S Krishna Kumar joined Allahabad Bank as a Direct Recruit Officer in 1981. During his career spanning over three decades, he headed various branches and departments across the country.

He carries with him vast knowledge and multi-dimensional banking experience, spanning over 32 years with expertise in Credit, Inspection, Vigilance and Human Resources Management.

He has been conferred with the following awards:

- 30 Most HR Talented Leaders
- HRD Leadership Awards 2013

He is also on the Boards of the Bank's Subsidiaries, viz., Canbank Factors Limited, Canara Bank Securities Limited, Canbank Computer Services Limited, Canbank Venture Capital Fund Limited, Canara HSBC OBC Life Insurance Company Limited and Canara Robeco Asset Management Company Limited.

Dr. Rajat Bhargava

Dr. Rajat Bhargava, IAS, was nominated as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank, with effect from 26.07.2013.

He is an Officer of the 1990 Batch of the IAS. He holds a Master's degree in Geology and a PhD on Geology Engineering. He is a law graduate and an MBA in Financial Management.

He has held important positions in the State, Central Government and various Ministries of Govt.

Dr. Bhargava has several publications to his credit.

Presently, he is the Joint Secretary (Budget), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

Shri Sanjay Jain

Shri Sanjay Jain was elected as a Shareholder Director on the Board of the Bank for a period of three years, with effect from 27.07.2013.

He is a Chartered Accountant, with more than 25 years of experience. Shri Sanjay Jain has conducted Statutory Audit, Concurrent Audit, Stock Audit of Banks, Government Companies, Public Limited Companies and Private Limited Companies. Shri Jain is a Financial and Tax Advisor to Institute of Studies in Industrial Development, New Delhi and Burning Brain Society, Chandigarh. He

सोसाईटी, चंडीगढ़ में एक वित्तीय व कर सलाहकार हैं। वे आय कर अपेलेट प्राधिकार में विभिन्न मामलों में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गोयल

श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, कॉमर्स स्नातक, एफसीए ने अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत एक प्रमुख सनदी लेखाकार फर्म मेसर्स एस आर बाटलीबॉय एंड कंपनी में लेखापरीक्षक के रूप में किया। उन्होंने सनदी लेखाकार का कार्य जनवरी 1986 में आरंभ किया व विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया।

वे एक उच्च अनुभवी टेक्नो-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन, लेखा परीक्षित खातों, संगामी लेखापरीक्षा का पुनर्जांच व बीआईएफआर के अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार रूग्ण व बड़े उधारी खातों का संगामी लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षित खातों की अनुसंधान लेखा परीक्षण किया है।

उन्हें बैंक के निदेशक मंडल में 27.07.2013 से प्रभावी 3 वर्षों की अवधि के लिए शेर धारक निदेशक चयनित किया गया है।

श्री प्रद्युमन सिंह रावत

श्री प्रद्युमन सिंह रावत ने 1979 में बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पद भार संभाला। अपने तीन दशकों के विभिन्न कैरियर के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं, जोनों, राष्ट्रीय बैंक समूह, देश व विदेश के कई क्षेत्रों के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया है।

उन्हें परिचालन, ऋण, निरीक्षण, स्टॉक एक्सचेंज, व समुद्रपारीय परिचालन का 34 वर्षों का बैंकिंग के बहुआयामी अनुभव है।

श्री साईराम बी. मोचेर्ला

श्री साईराम बी. मोचेर्ला को 05.12.2013 से प्रभावी 3 वर्षों की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत अंशकालिक गैर अधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री साईराम बी. मोचेर्ला, जन्म 27.08.1964, भारतीय सनदीलेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य है। वे काज बिजनेस स्कूल, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय वित्त में विशिष्टता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नात्कोत्तर भी हैं।

उन्हें मेसर्स एम भास्कर राव एंड कंपनी (सनदी लेखाकार) में भागीदार के रूप में शिक्षोपरांत 22 वर्षों का अनुभव है।

उन्होंने बैंक ऑफ बड़ोदा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, व बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों की केन्द्रीय सांविधिक

also represents various cases before Income Tax Appellate authorities.

Shri Rajinder Kumar Goel

Shri Rajinder Kumar Goel, B.Com, FCA, started his professional career with leading Chartered Accountant firm M/s S R Batliboi & Company as Auditor. He started practicing in January, 1986 as Chartered Accountant and has handled various challenging assignments.

He is highly experienced in handling techno-economic viability study, re-verification of audited accounts and concurrent audits of sick & big borrowal accounts as per BIFR approved rehabilitation package, investigation audit of audited accounts of big borrowal accounts.

He was elected as a Shareholder Director on the Board of the Bank, with effect from 27.07.2013 for a period of three years.

Shri Pradyuman Singh Rawat

Shri P S Rawat joined Bank of India as a Probationary Officer in 1979. During his career spanning over three decades, he headed various branches, Zones, National Bank Group, overseeing several zones across the country and abroad.

He carries with him vast knowledge and multi-dimensional banking experience, spanning over 34 years with expertise in Operations, Credit, Inspection, Stock Exchange and Overseas Operations.

Shri Sairam B. Mocherla

Shri Sairam B. Mocherla was nominated as Part-Time Non-Official Director on the Board of the Bank, with effect from 05.12.2013, for a period of 3 years by the Central Government, under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Sairam B. Mocherla, born on 27.08.1964, is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He is also a Master in Business Administration, with specialization in International Finance from Katz Business School, University of Pittsburgh, USA.

He has 22 years of post qualification experience as Partner in M/s M Bhaskar Rao & Co., (Chartered Accountants).

He led teams for Central Statutory Audit of Banks viz., Bank of Baroda, Canara Bank, Central Bank of India,

लेखा परीक्षा दल का नेतृत्व किया है। वर्तमान में वे ईमेरिटस(बोर्ड के सदस्य नहीं) -कैपिटल फॉरचून प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं।

श्री सुनिल हुकुमचन्द कोचेटा

श्री सुनिल हुकुमचन्द कोचेटा, सनदी लेखाकार, कोचेटा एंड एसोसियट्स को 06.12.2013 से प्रभावी ३ वर्षों की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड की सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत गैर अधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

श्री कोचेटा, महाराष्ट्र राज्य से हैं तथा पिछले 25 वर्षों से सनदी लेखाकार के रूप में कार्यरत हैं तथा उन्हें बैंकों की लेखापरीक्षा, चीनी मिलों, एनजीओ, कराधान कॉर्पोरेट कराधान, वित्तीय विवरणियों के विश्लेषण, प्रोजेक्ट वित्त इत्यादि का अनुभव है। उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में 10.07.2008 से 09.07.2011 तक कार्य किया।

निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

निदेशक, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निम्न की पुष्टि करते हैं:

- वार्षिक लेखों की तैयारी में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है।
- कि उन्होंने उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर अनुप्रयोग किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और अवधि के दौरान बैंक के लाभ या हानि बैंक की स्थिति का सही एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो सके।
- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और धोखाधड़ी और अन्य विसंगतियों का निवारण के लिए भारत में स्थित बैंकों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- कि उन्होंने वार्षिक लेखों की तैयारी लाभकारी कारोबारवाली संस्था होने के आधार पर की है।

Punjab National Bank and Bank of India. He is presently Chairman Emeritus (Not Member of Board) - Capital Fortunes Private Limited.

Shri Sunil Hukumchand Kocheta

Shri Sunil Hukumchand Kocheta, Chartered Accountant, Kocheta & Associates was nominated as Part Time Non-Official Director under Chartered Accountant category on the Board of the Bank, with effect from 06.12.2013, for a period of three years.

Shri Kocheta hails from Maharashtra and has been a practicing Chartered Accountant for the last 25 years, with experience in audit of banks, sugar factories, NGOs, taxation, corporate taxation, analysis of financial statements, project financing, etc. He served as a non executive director on the Board of Bank of Maharashtra for a period of three years from 10.07.2008 to 09.07.2011.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2014, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.

धन्यवाद

अपने सभी हितधारकों यानि शेयरधारकों, ग्राहकों, निवेशकों, सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, कर्मचारियों व मुख्य रूप से जनता को अधिकतम प्रतिफल देने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए।

संरक्षण के लिए ग्राहकों, सहयोग के लिए शेयरधारकों, मूल्यवान मार्गदर्शन व सहयोग के लिए सरकारी प्राधिकारियों व भारतीय रिज़र्व बैंक, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशकों, सहयोग व साख के लिए देश व विदेश में बैंक के संपर्ककर्ताओं और विकास व तरक्की की इस यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी कर्मचारी सदस्यों की बोर्ड प्रशंसा करना चाहता है।




राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ACKNOWLEDGEMENT

The Bank made several initiatives to maximize rewards for all its stakeholders, viz., shareholders, customers, investors, Government, RBI, employees and the public at large.

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.



R K DUBEY
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

करोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2013-14

(सूचीकरण समझौता की धारा 55 के अंतर्गत)

भाग क: बैंक की सामान्य जानकारी

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) – लागू नहीं
2. कंपनी का नाम: केनरा बैंक
3. पंजीकृत पता: केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बेंगलूर – 560002
4. वेबसाइट: www.canarabank.com
5. ई-मेल: edscrt2@canarabank.com
6. सूचित वित्तीय वर्ष: 2013-14
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (उद्योग क्रियाकलाप कूट वार): वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से बैंकिंग
8. कंपनी द्वारा निर्मित / उपलब्ध कराए जा रहे तीन उत्पाद / सेवाएं (तुलन-पत्र के अनुसार): 1. थोक बैंकिंग, 2. खुदरा बैंकिंग, 3. ग्रामीण व कृषि बैंकिंग
9. कंपनी द्वारा कितने स्थानों पर क्रियाकलाप किया जा रहा है
 - i. अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या (5 मुख्य स्थल बताएं)
यू के (लंदन व लीसेस्टर), हांगकांग, चीन (शंघाई) तथा बहरीन (मनामा)।
 - ii. कुल राष्ट्रीय स्थलों की संख्या: 4750
10. कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने के मार्केट – राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय
ऊपर वर्णित बिन्दु 9 (i) के स्थानों के अतिरिक्त बैंक का प्रतिनिधित्व कार्यालय शारजाह, यूएई में है तथा मॉस्को, रूस में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी नाम से बैंक का संयुक्त उद्यम भी है।

भाग ख: कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (₹ में): ₹461.26 करोड़
2. कुल करोबार (₹में): कुल करोबार ₹721790 करोड़ (कुल जमाएं: ₹420723 करोड़ + निवल अग्रिम ₹301607 करोड़)
3. कर पश्चात कुल लाभ (₹में): ₹2438 करोड़
4. कर पश्चात लाभ का कितना प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल खर्च (%): मंजूरीकृत परियोजना: 3.16 %
संवितरण: 1.72 %

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT – 2013-14

(Under Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Bank

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company: Not Applicable
2. Name of the Company: Canara Bank
3. Registered Address: Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bangalore - 560002
4. Website: www.canarabank.com
5. E-mail id: edscrt2@canarabank.com
6. Financial Year Reported: 2013-14
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise): Financial Services, mainly banking.
8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet): 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company
 - i. Number of International Locations (Provide details of major 5)
UK (London and Leicester), Hong Kong, China (Shanghai) and Bahrain (Manama).
 - ii. Number of National Locations: 4750
10. Markets served by the Company – National and International
Besides locations mentioned under Point No.9 (i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE and a Joint Venture Bank in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC.

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR): ₹461.26 Crore
2. Total Turnover (INR): Total Business: ₹721790 Crore (Total Deposits: ₹420723 Crore + Net Advances: ₹301607 Crore)
3. Total profit after taxes (INR): ₹2438 Crore
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%): 3.16%
Disbursement 1.72%

5. उक्त मद 4 में किए गए खर्च के क्रियाकलापों की सूची:

क्र. सं.	क्रियाकलाप	प्रायोजित संख्या	राशि (₹ लाख में)	संवितरित राशि (₹ लाख में)
क	शिक्षा	340	1005.52	620.67
ख	स्वास्थ्य	104	2138.03	301.89
ग	दान / सांस्कृतिक / खेल	84	18.57	18.57
घ	सामाजिक कल्याण व राहत	346	1582.72	680.08
ड.	ऊर्जा संरक्षण	21	208.41	75.87
च	महिला कल्याण	46	60.79	53.49
छ	कौशल विकास	9	2075.94	1841.62
ज	मुख्य मंत्री राहत कोष	3	605.55	605.55
	कुल	953	7695.53	4197.74

5. List of activities sanctioned under CSR during 2013-14:

Sl No.	Activity	No. of Sponsorships	Amount (₹ lakh)	Amount Disbursed (₹ lakh)
a	Education	340	1005.52	620.67
b	Health	104	2138.03	301.89
c	Charities/Culture/sports	84	18.57	18.57
d	Social Welfare & Relief	346	1582.72	680.08
e	Energy Conservation	21	208.41	75.87
f	Women Welfare	46	60.79	53.49
g	Skill Development	9	2075.94	1841.62
h	Chief Ministers Relief Fund	3	605.55	605.55
	Total	953	7695.53	4197.74

स्वीकृत प्रायोजन का खंड वार वर्गीकरण:

क. शिक्षा (₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	प्रयास सामाजिक कल्याण सोसाइटी, फरीदाबाद	गरीब छात्रों को निशुल्क शिक्षा	11.23	11.23
2	सेंचुरियन विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	25.00	25.00
3	हमारी सभी ग्रामीण शाखाएं	विद्या ज्योति योजना के तहत अजा/अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति	238.95	123.02
4	विभिन्न जगहों में छात्रा विद्यालय	छात्रा विद्यालयों को 13	339.00	192.63
5	अज़िम प्रेमजी फाउंडेशन, बेंगलूर	प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	11.10	5.55
6	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	ग्रामीण विकास पर अध्ययन के लिए चेंयर	50.00	0

Segment-wise classification of Sponsorships sanctioned:

a. Education (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount sanctioned	Amount dis-bursed
1	Prayas Social Welfare Society, Faridabad	Free Education to poor students	11.23	11.23
2	Centurion University Bhubaneshwar	Establishment of computer training centre	25.00	25.00
3	All our Rural branches	Scholarships to SC/ST students under Vidya Jyothi scheme	238.95	123.02
4	Girls schools in various places	Providing 130 toilets to Girls schools	339.00	192.63
5	Azim Premji Foundation Bangalore	Scholarships to meritorious students	11.10	5.55
6	Central University of Karnataka, Gulbarga	Chair for studies on Rural Development	50.00	0



7	केनरा उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंगलूर	छात्राओं के लिए स्कूल बिल्डिंग का निर्माण	100.00	100.00
8	केनरा बैंक अजा/अजजा संघ, बेंगलूर	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के लिए कंप्यूटर तथा अन्य सहायक उपकरण	9.82	9.82
9	आशाकिरण स्कूल, शिमोगा	मानसिक रूप से अक्षम के लिए 3 कक्षाएं	10.00	0
10	हुबली तथा आसपास के क्षेत्रों से प्रतिभाशाली गरीब छात्र	कॉर्पस निधि के माध्यम से गरीब छात्रों को सहायता	50.00	0
11	भारतीय विद्या भवन, बेंगलूर	प्रशिक्षण केन्द्र के लिए कंप्यूटर	5.00	5.00
12	केनरा बैंक जुबिली शिक्षा निधि	लाइब्रेरी ऑटोमेशन और पुस्तकों की खरीद	5.00	5.00
13	भुवनेन्द्र विद्या संस्था, चिकमगलूर	विद्यालय के लिए फर्नीचर	2.50	2.50
14	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए), मेघालय	गणित सीखने की पहल	2.48	2.48
15	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	फर्नीचर, डेस्क, बेंच, कंप्यूटर, जल शोधक, कापी, बस्ते	53.01	53.01
16	सोमनाथ छात्रालय, अहमदाबाद	अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए सोमनाथ छात्रालय का मरम्मत	60.00	45.00
17	एन्डोसल्फान से पीड़ित, कासरगोड	एन्डोसल्फान से पीड़ित परिवार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	20.00	20.00
18	मोटिलाल विज्ञान महाविद्यालय	पुस्तकालय का सुधार	3.12	3.12
19	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	एम्बुलेन्स की खरीद	4.34	4.34
20	श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय	150 वीं जयंती	5.00	5.00
21	श्री सिद्धारूढा मठ, हुबली	वैन के लिए दान	7.22	7.22
22	अक्षरा दातव्य न्यास	आधारभूत संरचना	0.75	0.75
	कुल		1005.52	620.67

7	Canara High School, Mangalore	Construction of school building for girls	100.00	100.00
8	Canara Bank SC/ST Association, Bangalore	Computers & accessories for computer training centre	9.82	9.82
9	Ashakiran school, Shimoga	3 class rooms for mentally challenged	10.00	0
10	Poor meritorious students from Hubli & surrounding areas	Hand holding to poor students through Corpus fund	50.00	0
11	Bharatiya Vidya Bhavana, Bangalore	Computers for training centre	5.00	5.00
12	Canara Bank Jubilee Education Fund	Automation of Library & purchase of books	5.00	5.00
13	Bhuvanendra Vidya Samsthe, Chikmagalur	Furniture for school	2.50	2.50
14	Sarva Shiksha Abhiyana (SSA), Meghalaya	Maths learning initiatives	2.48	2.48
15	Various branches of Canara Bank	Furniture items, Desk 7 benches, computers, water purifier, note books, bags,	53.01	53.01
16	Somnath Chhatralaya, Ahmedabad	Repairs to Somnath Chhatralaya for training to women teachers	60.00	45.00
17	Endosulfan Victims, Kasargod	Scholarships to students from endosulfan victims families	20.00	20.00
18	Motilal Vigyan Mahavidyalaya	Library improvement	3.12	3.12
19	University of Agricultural Sciences	Purchase of Ambulance	4.34	4.34
20	Sriramakrishna Mission Vidyalaya	150th Birth Anniversary	5.00	5.00
21	Sri Siddarooda Math, Hubli	Donation for Van	7.22	7.22
22	Akshara Charitable Trust	Infrastructure	0.75	0.75
	Total		1005.52	620.67

ख. स्वास्थ्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	मंथना न्यास, विशाखपट्टणम	मरीजों की सहायता के लिए 4 पहिए वाहन प्रदान करना	6.92	6.92
2	एस व्यास विश्वविद्यालय, बेंगलूर	योगा हॉल का निर्माण	15.00	5.00
3	बी बी एम वाई ओ, कलहंडी, ओडिशा	जेनेरिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन	10.00	10.00
4	आशा हृदय व मधुमेह फाउंडेशन, हुबली	चिकित्सा जाँच शिविरों का आयोजन	3.50	3.50
5	कोलंबिया एशिया अस्पताल, बेंगलूर	टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अंग दान अभियान	5.00	5.00
6	भागीरथी जल योजना, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश के 18 गाँवों में डीफ्लो-राइडेशन प्लैंट	36.00	36.00
7	समत्वम् ज्ञान संजीवनी अस्पताल, बेंगलूर	मधुमेह के लिए चिकित्सा उपकरण	88.75	88.75
8	सेवाक्षेत्रा अस्पताल, बेंगलूर	अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण	69.34	14.20
9	जोडि कृष्णपुरा गाँव, चिकबल्लापुरा, कर्नाटक	डीफ्लोराइडेशन प्लैंट	6.06	6.06
10	जिला अस्पताल, चिकबल्लापुरा	अस्पताल के लिए डायलिसिस यूनिट	6.24	6.24

b. Health

(₹ in lakh)

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount sanctioned	Amount disbursed
1	Manthana Trust, Visakapatnam	Providing 4 wheeler to serve patients	6.92	6.92
2	S Vyasa University, Bangalore	Construction of Yoga Hall	15.00	5.00
3	BBMYO, Kalhandi, Orissa	Conducting Generic Health camps	10.00	10.00
4	Asha Heart & Diabetes Foundation, Hubli	Organising medical check up camps	3.50	3.50
5	Columbia Asia Hospital, Bangalore	Organ donation campaign through Times of India	5.00	5.00
6	Bhagirathi water scheme, Hyderabad	Defluoridisation plants in 18 villages of AP	36.00	36.00
7	Samatvam Gnana Sanjeevini Hospital, Bangalore	Medical Equipments for the Diabetes	88.75	88.75
8	Sevakshetra Hospital Bangalore	Medical equipments for the Hospital	69.34	14.20
9	Jodi krishnapura village, Chikka-ballapura, Karnataka	De-flouridization plant	6.06	6.06
10	Dist Hospital, Chikballapura	Dialysis unit to Hospital	6.24	6.24



11	मिंटो ऑफ्थाल्मिक अस्पताल, बेंगलूर	अस्पताल के लिए ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप	9.99	9.99
12	वरदान सेवा संस्थान, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश	अस्पताल के लिए पथॉलोजी लैब	35.00	0
13	कर्नाटक के कोलार जिले के 217 आँव	गाँवों में दीफ्लोराइडेशन प्लैंट	1736.00	0
14	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं तथा कुछ एन जी ओ	स्वास्थ्य जाँच शिविर, रक्त दान शिविर, दंत जाँच शिविर, अस्पतालों को उपकरण उपलब्ध कराना	69.31	69.31
15	रामकृष्ण मिशन आश्रम	चिकित्सा कार्यक्रम	1.50	1.50
16	कैंसर इंस्टिट्यूट, दिल्ली	चिकित्सा उपकरण	5.00	5.00
17	श्री शक्ति अम्मा स्वास्थ्य सेवा न्यास	एम्बुलेन्स	9.25	9.25
18	कर्नाटक लिंगायत शिक्षा सोसाइटी	सोसाइटी के अस्पताल के लिए एम्बुलेन्स	8.05	8.05
19	विश्व स्वास्थ्य पहल, दिल्ली	एम्बुलेन्स	4.48	4.48
20	मिशन आश्र, भुवनेश्वर	एम्बुलेन्स	7.64	7.64
21	डॉ. एम एल धवल स्मारक न्यास	आधारभूत संरचना	5.00	5.00
	कुल		2138.03	301.89

11	Minto Ophthalmic Hospital, Bangalore	Operating Microscopes to the Hospital	9.99	9.99
12	Vardaan Seva Sansthan, Ghaziabad, UP	Pathology lab for Hospital	35.00	0
13	217 villages in Kolar District, Karnataka	De-fluoridisation plants in villages	1736.00	0
14	Various branches of Canara Bank and few NGOs	Conducting health check up camps, Blood donation camps, Dental check up camps, providing medical instruments to hospitals etc.,	69.31	69.31
15	Ramakrishnas Mission Ashrama	Medical Programmes	1.50	1.50
16	Cancer Institute, Delhi	Medical Equipments	5.00	5.00
17	Sri Sakthi Amma Health Care Trust	Ambulance	9.25	9.25
18	Karnataka Lingayath Education society	Ambulance to Hospital of the Society	8.05	8.05
19	World Health Initiative, Delhi	Ambulance	4.48	4.48
20	Mission Ashra, Bhubaneshwar	Donation of Ambulance	7.64	7.64
21	Dr. M L Dhawale Memorial Trust	Infrastructure	5.00	5.00
	Total		2138.03	301.89

ग. दान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	पॉसिटिव प्यूपिल, गोवा	मासिक भोजन व्यय	1.60	1.60
2	केनरा बैंक अम्मंबाल शाखा	कुरनाडु हिन्दू रुद्रभूमि	1.00	1.00
3	तिरुमला तिरुपति देवस्थानम	सांस्कृतिक कार्यक्रम	1.25	1.25
4	श्री अखिला हाव्यका महासभा	छात्रों के लिए छात्रावास भवन	5.00	5.00
5	श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास	सिक्का छटनी मशीन	6.50	6.50
6	श्री त्याग ब्रह्म महोत्सव सभा	जेन सेट	3.22	3.22
	कुल		18.57	18.57

c. Charities

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount sanctioned	Amount disbursed
1	Positive people, Goa	Monthly food expenditure	1.60	1.60
2	Canara Bank Ammembal branch	Kurnadu Hindu Rudrabhoomi	1.00	1.00
3	Tirumala Tirupathi Devasthanams	Cultural Programmes	1.25	1.25
4	Sri Akhila Havyaka Mahasabha	Hostel Building for Students	5.00	5.00
5	Sri Siddivinayaka Ganapathi Mandir Trust	Coin sorting Machines	6.50	6.50
6	Sri Thyaga Brahma Mahotsava Sabha	Donation of Gen set	3.22	3.22
	Total		18.57	18.57

घ. सामाजिक कल्याण व सहायता

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	दिव्य ज्योति दात्वय न्यास, मैसूर	ब्रेल (लिपि) बॉक्स मुद्रण मशीन	5.36	5.36
2	समर्थनम न्यास, बेंगलूर	विकलांगों के लिए बंकर तख्त	4.05	4.05
3	भगवान महावीर कृत्रिम अंग, जयपुर	जयपुर फुट कृत्रिम अंग शिविर	99.75	70.00

d. Social Welfare & Relief

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount sanctioned	Amount disbursed
1	Divya jyothi Charitable Trust, Mysore	Braille Box printing machine	5.36	5.36
2	Samarthanam Trust, Bangalore	Bunker cots for disabled	4.05	4.05
3	Bhagwan Mahaveer Artificial Limbs, Jaipur	Jaipur foot artificial limbs camps	99.75	70.00



4	रामकृष्ण मिशन, नई दिल्ली	गरीबों के लिए नाइट शेल्टरों का निर्माण	30.00	30.00
5	हमारी विभिन्न शाखाओं के द्वारा	5 गाँवों के एकीकृत विकास	100.00	100.00
6	एन्डोसल्फान से पीड़ित, कासरगोड, केरल	एन्डोसल्फान से पीड़ितों के लिए राहत	33.00	33.00
7	चेशिये होम्स, बेंगलूर	बुजुर्गों के लिए बिल्डिंग का निर्माण	15.00	15.00
8	सानिध्या, मंगलूर	मानसिक रूप से अक्षमों के लिए आवासीय विद्यालय	9.00	0
9	केनरा बैंक की शाखाओं के माध्यम से 63 गाँव	केनरा ग्रामोदया गाँव गोद लेने की योजना	883.82	224.00
10	केनरा बैंक की शाखाओं के माध्यम से	शारीरिक / मानसिक रूप से अक्षमों के लिए सहायता। वाहन, उपकरण, जेनसेट, फर्नीचर आदि प्रदान करना	368.38	173.31
11	अम्बुबाई आवासीय अंध विद्यालय, गुलबर्गा	अंध विद्यार्थियों के लिए ब्रेली मशीन	3.32	3.32
12	लिटिल सिस्टर्स ऑल्ड एज होम, बेंगलूर	ऑल्ड एज होम में एक कक्ष का निर्माण	5.26	5.26
13	अंध विद्यालय, कंचिकामकोडी, तमिल नाडु	अंध विद्यालय को फर्नीचर, उपकरण, ब्रेली मशीन	12.04	12.04
14	आरसेटी चिकबल्लापुर के प्रशिक्षणार्थियों	शारीरिक रूप से अक्षम प्रशिक्षणार्थियों के लिए मोटोर युक्त तिपहिया वाहन	0.52	0.52

4	Ramakrishna Mission, New Delhi	Construction of Night shelters for poor	30.00	30.00
5	Various branches of Canara Bank	Integrated village developments of 5 villages	100.00	100.00
6	Endosulfan victims, Kasargod, Kerala	Relief to Endosulfan victims	33.00	33.00
7	Cheshirehomes, Bangalore	Construction of building for old age	15.00	15.00
8	Saanidhya, Mangalore	Residential school for mentally challenged	9.00	0
9	63 villages through Canara Bank branches	Canara Gramodaya village adoption schemes	883.82	224.00
10	Through Canara Bank branches	Assistance to physically/ mentally challenged, Providing vehicles, equipments, Gensets, furniture,	368.38	173.31
11	Ambubai Residential blind school, Gulbarga	Braille machine for blind students	3.32	3.32
12	Little sisters Old age home, Bangalore	Construction of 1 room in the old age home	5.26	5.26
13	Blind school, Kanchika-makodi, TN	Furniture, equipments, Braille machines to blind school	12.04	12.04
14	Trainees of RSETI Chikballapur	Motorised tricycle to disabled	0.52	0.52

15	मार्गदर्शी, बेंगलूर	शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं के लिए हॉल	3.22	3.22
16	संध्यादीप ऑल्ड एज होम, बेंगलूर	महिलाओं के ऑल्ड एज होम के लिए फ्रिज, ग्राइंडर	3.22	3.22
17	दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय संघ	बुक बाइंडिंग परियोजना	3.22	3.22
18	श्री रमण महर्षि	ब्रेली मशीन	3.22	3.22
19	विश्रान्ति न्यास	ऑल्ड एज सहायता	3.22	3.22
	कुल		18.57	18.57

15	Margadarshi, Bangalore	Hall for disabled women	9.00	0
16	Sandhyadeepa Old age home, Bangalore	Fridge, Grinder to Old age home for women	0.25	0.25
17	National Assn for Blind	Book Binding Project	2.00	2.00
18	Sree Ramana Maharshi	Braille Machines	0.97	0.97
19	Vishranthi Trust	Old Age Assistance	1.00	1.00
	Total		1582.72	680.08

ड. ऊर्जा संरक्षण / पर्यावरण संरक्षण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	बॉस्को, बेंगलूर	बचाए गए बच्चों के लिए सौर जल हीटर	0.63	0.63
2	शारीरिक रूप से अक्षमों के लिए आरामघर, हैदराबाद	सौर जल हीटर व प्रकाश की व्यवस्था	7.51	7.51
3	सैनिक स्कूल, कोडगु	स्कूल के लिए सौर ऊर्जा प्लैंट	40.00	40.00
4	देशपांडे रुडसेटी, हलियाल	गाँववालों को सौर ऊर्जा लालटेन का वितरण	1.57	1.57
5	विद्यापोषक यक्षगाना, उडुप्पी	संस्था के लिए सौर ऊर्जा लालटेन	2.31	2.31
6	सरकारी अस्पताल, चिकबल्लापुरा जिला	अस्पताल के लिए सौर ऊर्जा जल हीटर	18.59	0
7	जवाहर नवोदय विद्यालय, चिंतामणि तालुक, चिकबल्लापुरा जिला, कर्नाटक	जवाहर नवोदय विद्यालय को सौर ऊर्जा जल हीटर व प्रकाश की व्यवस्था	24.80	0
8	कोयंबतूर जिला, तमिलनाडु के गाँव	वन क्षेत्र के सीमावर्ती 5 गाँवों में सौर ऊर्जा लाइट	1.00	1.00

e. Energy Conservation/Environment protection:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount sanctioned	Amount disbursed
1	BOSCO, Bangalore	Solar water heaters for rescued children	0.63	0.63
2	Aramgarh for disabled, Hyderabad	Solar water heaters & lighting	7.51	7.51
3	Sainik School, Kodagu	Solar power plant for the school	40.00	40.00
4	Deshpande RUDSETI, Haliyal	Distribution of solar lights to villagers	1.57	1.57
5	Vidyaposhak Yakshagana, Udupi	Solar lights to the Institute	2.31	2.31
6	Govt Hospitals, Chikballapur Dist	Solar water heaters to hospitals	18.59	0
7	Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chintamani Taluk, Chikballapura District, Karnataka	Solar water heaters & lighting systems to Jawahar Navodaya Vidyalaya	24.80	0
8	Villages in Coimbatore District, TN	Solar lights in 5 villages bordering to forest area	1.00	1.00

9	कोप्पल, कर्नाटक के गाँव	कार्बन न्यूट्रल गाँव	15.00	5.85
10	वनमहोत्सव-केनरा बैंक की शाखाएं	एक लाख पौधों का रोपण / वितरण	97.00	17.00
	कुल		208.41	75.87

9	Village in Koppal, Karnataka	Carbon neutral village	15.00	5.85
10	Vana - mahotsava - Canara Bank branches	Planting/ distribution of 1 lakh saplings	97.00	17.00
	Total		208.41	75.87

च. महिला कल्याण

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (₹ लाख में)	संवितरित राशि (₹ लाख में)
1	केनरा बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों के महिला उद्यम विकास केन्द्र	महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को परामर्श महिला उद्यमियों के लिए मार्केटिंग आउटलेट का आयोजन	50.00	42.70
2	तमिल नाडु महिला ईडीपी	स्वयं सहायता समूह ईडीपी प्रशिक्षण- वाहन	7.79	7.79
3	महिला दक्षता समिति	आधारभूत संरचना	3.00	3.00
	कुल		60.79	53.49

f. Women Welfare

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount (₹ Lakh)	Amount disbursed (₹ Lakh)
1	Canara Bank's Circle Offices- CEDW Centres	Organising Entrepreneurship Development programmes to women, counseling of women, organizing marketing camps outlets for women entrepreneurs	50.00	42.70
2	Tamilnadu Mahila EDP	SHG EDP Training, vehicle	7.79	7.79
3	Mahila Dakshatha Samiti	Infrastructure	3.00	3.00
	Total		60.79	53.49

छ. कौशल विकास

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (₹ लाख में)	संवितरित राशि (₹ लाख में)
1	उडान कार्यक्रम, जम्मू व कश्मीर	बेरोजगार 300 युवकों को प्रशिक्षण	300.00	101.00
2	कंपनी सचिव, मानव संसाधन विभाग	कंपनी सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	37.50	2.18
3	जैन विश्वविद्यालय, बेंगलूर	भौतिक संस्कृति पर कार्यशाला	2.00	2.00

g. Skill Development

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount (₹ Lakh)	Amount disbursed (₹ Lakh)
1	UDAAN programme, J& K	Training to 300 unemployed youth	300.00	101.00
2	Company Secretaries, H R wing	Training programme to Company secretaries	37.50	2.18
3	Jain University, Bangalore	Workshop on material culture	2.00	2.00

4	मेहेर भार्गव फाउंडेशन, लखनऊ	असुविधाग्रस्त महिलाओं / लड़कियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण	5.05	5.05
5	केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास (सीबीसीआरडी), बैंगलूर	देशभर के 27 आरसेटी, 3 कारीगर प्रशिक्षण संस्थाओं तथा 5 सीबीआईआईटी को प्रशिक्षण खर्च प्रदान करना	890.00	890.00
6	ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी), उजिरे, कर्नाटक	संपूर्ण भारत के 27 रुडसेटीयों के प्रशिक्षण खर्च का 40% उपलब्ध करना	271.00	271.00
7	देशपांडे ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (डी रुडसेटी), हलियाल, कर्नाटक	देशपांडे रुडसेटी हलियाल के प्रशिक्षण खर्च का 50% उपलब्ध कराना	23.75	23.75
8	आंध्र प्रदेश ग्रामीण व उद्यमिता विकास बैंकर्स संस्थान (ए पी बी आ ई आर ई डी), हैदराबाद	एपीबीआईआईडी संस्थान के प्रशिक्षण खर्च का 10% उपलब्ध कराना	9.89	9.89
9	कर्मचारियों के विभिन्न संस्थान (आरसेटी, रुडसेटी, डी रुडसेटी)	वेतन / कर्मचारी व्यय (सीएसआर डिविज़न, प्रधान कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी सहित)	536.75	536.75
	कुल		2075.94	1841.62

4	Meher Bhargava Foundation, Lucknow	Computer training to under privileged women/girls	5.05	5.05
5	Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRD), Bangalore	Providing training cost of 27 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 5 CBITs all over India	890.00	890.00
6	Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI), Ujire, Karnataka	40% training expenditure of all 27 RUDSETIs all over India	271.00	271.00
7	Deshpande Rural Development Training Institute (D RUDSETI), Haliyal, Karnataka	Providing 50% of training expenditure of Deshpande RUDSETI, Haliyal	23.75	23.75
8	Andhra Pradesh Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Development (APBIRED) Hyderabad	Providing 10% of training cost of the APBIRED Institute	9.89	9.89
9	Various Institutes staff (RSETI, RUDSETI, D RUDSETI)	Salary/staff expenses including staff working in CSR Division, HO	536.75	536.75
	Total		2075.94	1841.62

भाग ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं?

हां, कंपनी की सात घरेलू अनुषंगियां, एक सहयोगी कंपनी और विदेश में एक संयुक्त उद्यम है -

क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?

Yes. The Company has seven domestic subsidiaries, an associate company and a Joint Venture at an overseas destination, viz.,

a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.

- ख) केनबैंक फैक्टर लि.
ग) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.
घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.
ङ) केनबैंक फाइनेसियल सर्विसेज लि.
च) केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.
छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी लि.
ज) केन फिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)
झ) एसबीआई के साथ मॉस्को में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी

2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां बीआर पहल में पैतृक कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हाँ हो ऐसी अनुषंगी(यों) की संख्या दें।

हाँ, एक अनुषंगी – केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।

3. क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (यानी आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा)

शून्य

भाग घ: कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक

क) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या	06701854
2	नाम	श्री प्रद्युमन सिंह रावत
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रधान का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री एस एस भट्ट
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	08022128840
5.	ई-मेल	pcfww@canarabank.com

- b) Canbank Factors Ltd.
c) Canara Bank Securities Ltd.
d) Canbank Computer Services Ltd.
e) Canbank Financial Services Ltd.
f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.
h) Canfin Homes Ltd., (Associate Company).
i) Commercial Bank of India LLC, in Moscow in association with SBI (Joint venture).

2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).

Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. Do any other entity / entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].

Nil

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

S. No.	Particulars	Details
1	DIN Number	06701854
2	Name	Shri P S RAWAT
3	Designation	Executive Director

b) Details of the BR head

S. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri S S Bhat
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	08022128840
5.	e-mail id	pcfww@canarabank.com

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियां (हां / नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पि1	पि2	पि3	पि4	पि5	पि6	पि7	पि8	पि9
1.	क्या आपके पास पॉलिसी/पॉलिसियां के लिए ---- है.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या पॉलिसी श्रेयधारकों के परामर्श के साथ बनायी गयी है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या पॉलिसी राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, बताएं (केवल 50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या पॉलिसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो क्या यह एमडी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी पॉलिसी के कार्यावयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड/निदेशक/ अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं \$	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या पॉलिसी को सभी आंतरिक तथा बाह्य श्रेयधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों को लागू करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित श्रेयधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस पॉलिसी के क्रियावयन के लिए ऑडिट/मूल्यांकन करवाया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

\$www.canarabank.com

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy/policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/Owner/CEO/Appropriate Board Director.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online? \$	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

\$www.canarabank.com

2क) यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया कारण बताएं (विकल्प 2 तक चिह्न लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	पि1	पि2	पि3	पि4	पि5	पि6	पि7	पि8	पि9
1	कंपनी सिद्धांत को नहीं समझ पाई									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विशिष्ट सिद्धांत के लिए पॉलिसी बनाने व उसे लागू कर पाए।									
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)	बैंक ने अपने सतत विकास तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को रूपायित की है और इनका कार्यान्वयन की निगरानी सतत विकास समिति तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा किया जाएगा ।								

2a. If answer to S.No.1 against any principle, is “No”, please explain why: (Tick up to 2 options)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)	Bank has formulated its Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy and the implementation of the same would be monitored by the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Committee.								

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

- कंपनी के बीआर के निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितने अंतराल पर आकलन किया जाता है। 3 महीने में, 3-6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा

3-6 महीने

- क्या कंपनी एक बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या हाईपरलिंक है? कितने अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है?

रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx हाइपर लिंक पर उपलब्ध कराया गया है ।

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

3-6 months

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

The Report published annually and made available under the hyperlink www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx

भाग डः सिद्धांत वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा नियंत्रित हो।

1. क्या नैतिकता, रिश्ततखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर ही प्रावर्तित है? हाँ / नहीं। क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

हाँ। बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'कॉर्पोरेट प्रशासन नीति' है जो कि सभी श्रेयधारकों यानी जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को कॉर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसरण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी अनुषंगियों पर भी लागू है।

बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम / और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के समय कुछेक स्टाफ खातों की जांच की जाती है। स्टाफ खातों में ₹50000/- से अधिक के लेनदेनों की निगरानी ऑफलाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

बैंक में नियमित निरीक्षण (आरबीआईए) की प्रणाली है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट आवधिकता पर शाखाओं/यूनिट/कार्यालयों का सूचना प्रणाली ओडिट होती है। मासिक आधार पर चयनित शाखाओं/कार्यालयों का समवर्ती लेखापरीक्षा होती है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में कितनी श्रेयधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को संतुष्टिपूर्वक प्रबंधन द्वारा सुलझाया गया है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

श्रेयधारक शिकायतें: वर्ष 2013-14 में बैंक ने श्रेयधारकों से 2211 अभ्यावेदन / शिकायतें प्राप्त की तथा सभी शिकायतों का निवारण संतुष्टिपूर्वक किया गया।

अधिकांश शिकायतें लाभांश प्राप्त नहीं होने से संबंधित है। इसका कारण संबंधित श्रेयधारक द्वारा अपने पते को अद्यतन नहीं करना है। शिकायतें दूर करते समय बैंक ने उनके पते अद्यतन करने, बैंक विवरण प्राप्त करने, ईसीएस अधिकार-पत्र (आवश्यक फार्म उपलब्ध कराकर) लेने जैसे कदम उठाए हैं ताकि दुबारा ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures / Suppliers/ Contractors/NGOs /Others?

Yes. The Bank is having a Board approved 'Corporate Governance Policy', which is drawn with an overall objective to optimize sustainable value to all stake holders viz., depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to corporate values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behavior. The Corporate Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries/ Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50000 in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches/ Units/ Offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Shareholders Complaints: The Bank received 2211 representations/ grievances from Shareholders during 2013-14 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

Majority of the representations is on account of non-receipt of Dividend Warrants. This is due to non-updation of the addresses by the concerned shareholders. While resolving the grievances, the Bank has been taking steps to update their addresses, bank details, ECS Mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances.

ग्राहकों से प्राप्त 90286 शिकायतों में से (ए टी एम से संबंधित 78755 शिकायतों सहित) 90729 शिकायतों का (ए टी एम से संबंधित 79109 शिकायतों सहित) समाधान किया गया। सुलझाए गए शिकायतों में से अधिक शिकायतें पिछले वर्ष के लंबित शिकायतें हैं।

ग्राहक शिकायतें: वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 90286 शिकायतें प्राप्त की तथा 99% को संतुष्टिपूर्वक निपटाया गया। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद / सेवाएं, उन्नत तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पूछताछ का जवाब व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

सिद्धांत 2: कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराए जो सुरक्षित हों तथा अपने जीवन चक्र में स्थिरता बनाए रखें।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण चिंताओं, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया गया है।
 - i. **वित्तीय समावेशन अभियान:** विभिन्न ग्रामीण क्रियाकलाप जैसे शाखाएं खोल कर बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, कारोबार संपर्कियों के माध्यम से ज्यादा क्षेत्र तक फैलाव, सादा खाते खोलना, केसीसी व जीसीसी के द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, छोटे बीमा उपलब्ध कराना, आधार का पंजीकरण, किसान क्लबों की स्थापना, वित्तीय साक्षरता के लिए ग्रामीण विकास वाहिनी चलाना और ग्रामीण जनता के लिए ऋण परामर्श देना।
 - ii. **ग्रामीण विकास** – बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 64 स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित/सह-प्रायोजित/सहायता प्रदान की है जो कि ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व-रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संस्थानों ने अब तक 5.50 लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया है जिनकी व्यवसाय प्राप्ति दर 73% है।
 - iii. **हरित बैंकिंग** – बैंक ने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल कार्य किए हैं जैसे सीबीएस, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए सौर ऊर्जा युक्त बायो-मेट्रिक एटीएम और कुछ आंतरिक कार्यकलाप। इसके अलावा, दो स्थानों पर एटीएम, नकद / चेक स्वीकर्ता, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और टेलीबैंकिंग जैसे उच्च तकनीक बैंकिंग सुविधाओं के साथ ई-लाउंज बैंक स्थापित किए हैं तथा वर्ष के दौरान ऐसे ही ओर ई-लाउंज की स्थापना करने

90286 (including 78766 complaints related to ATMs) complaints were received from customers of which 90729 (including 79109 complaints related to ATMs) were resolved. The resolved complains are more owing to previous years few pending complaints.

Customer Complaints: During 2013-14, the Bank received 90286 complaints and 99% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products/services, updated technology, staff training and responding to customer's queries and redressal of customer complaints.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.
 - i. **Financial Inclusion Campaign** - covering varied rural activities, such as, increasing access to banking services through opening branches, increasing coverage under Business Facilitators, mobilizing no-frill accounts, providing credit under KCCs and GCCs, credit linking SHGs, providing micro-insurance, Aadhar enrollment, forming farmers' clubs, deploying Gramin Vikas Vahini for enhancing financial literacy and credit counseling among rural folks.
 - ii. **Rural Development** - The Bank has sponsored/co-sponsored/ supported 64 self employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These Institutes have trained more than 5.50 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 73%.
 - iii. **Green Banking** - The Bank has introduced several environment friendly measures, viz., core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk and certain back office operations. Further, the Bank has set up E-lounges with hi-tech banking facilities like ATM, cash/ cheque acceptor, passbook printing kiosk, internet banking, online trading and telebanking at two places and more such e-lounges are planned during the year. Internally, the Bank has implemented e-governance for its

की योजना है। आंतरिक रूप से, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन व अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है।

सौर ऊर्जा, बायोगैस तथा पवन चक्की परियोजनाओं के वित्तीयन के द्वारा बैंक हरित ऊर्जा को प्रोसाहन दे रहा है।

2. ऐसे सभी उत्पादों के लिए प्रयुक्त संसाधन के संबंध में निम्न सूचित करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, आदि) (वैकल्पिक):

i. मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से लेकर अबतक सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के समय आई कमी?

लागू नहीं

ii. पिछले वर्ष से अबतक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, पानी) में आई कमी?

जल शोधन प्लांटों की स्थापना तथा हरित क्षेत्र में सुधार हेतु बागवानी के लिए अपशिष्ट पाने का उपयोग।

3. क्या कंपनी में स्थायी सोर्सिंग के लिए कोई पद्धति है (परिवहन सहित) यदि हां तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? 50 शब्दों में विवरण दें।

सोर्सिंग के लिए बैंक में निर्धारित नीति है जिसके अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा उत्पादन, प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए उचित तकनीकी की पूर्ति करने की आवश्यकता है।

4. क्या कंपनी स्थानीय व छोटे उत्पादकों जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय शामिल हैं, से माल व सेवाएं खरीदने के कदम उठाए हैं? यदि हां तो स्थानीय व छोटे वेंडरों की क्षमता व योग्यता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्थानीय तथा छोटे विक्रेताओं की धारिता तथा क्षमता को सुधारने के लिए बैंक उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन सह बिक्री के लिए नियमित रूप से केनरा बाजारों का आयोजन करता है। बैंक 'नम्मूरा संथे' चलाता है, एक मोबाइल बिक्री वैन जो सौर ऊर्जा युक्त कस्टम बिल्ट है जिसमें स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन सह बिक्री होता है। दोनों सेवाएं बैंक द्वारा निशुल्क दिया जाता है। बैंक के कुल अग्रिम से लघु व मध्यम उद्यम का हिस्सा 30% हैं।

human resources management and certain other administrative areas.

Bank is encouraging green energy by financing solar, biogas and wind mill projects.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

i. Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

Not Applicable

ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Setting up of water purification plants and using the waste water for gardening for improving the green cover.

3. Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

For sourcing, Bank has a set policy as per which the suppliers should meet the standards of energy generation, pollution free climate friendly technologies.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

To improve the capacity and capability of local and small vendors, Bank is regularly organizing Canara Bazaars for display cum sale of products made by them. Bank is running Nammura Santhe - - A mobile sales van which is solar powered custom made for display cum sale of the products made by Self Help Groups, women entrepreneurs. Both the services are offered free of cost by the Bank. Out of total advances of Bank, Small & Medium Enterprises constitute 30%.

5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्नवीनीकृत करने का कोई तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों तथा अपशिष्ट का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है (5% से कम, 5-10%, 10% से अधिक, अलग - अलग बताएं)। 50 शब्दों में विवरण दें।
लागू नहीं

सिद्धांत 3: कारोबार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दे

- कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।
कुल कर्मचारियों की संख्या 48794 है।
- कृपया अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या शून्य है।
- कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 13385 है।
- कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
स्थायी विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 1034 है।
- क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जो कि प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।
हाँ। 2 संगठन हैं। 1) अधिकारी कर्मचारी, 2) कामगार कर्मचारी
- आपके कितने प्रतिशत नियमित कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं?

अधिकारी संघ	83.12%
कर्मचारी यूनियन	74.03%

- कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित कितनी हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

5. Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.
Not Applicable

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

- Please indicate the total number of employees.
Total number of employees is 48794
- Please indicate the total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.
Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis is NIL
- Please indicate the number of permanent women employees.
The number of permanent women employees is 13385.
- Please indicate the number of permanent employees with disabilities.
The number of permanent employees with disabilities is 1034
- Do you have an employee association that is recognized by management.
Yes. 2 Associations. 1. Officer Employees 2. Workmen Employees.
- What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Officers' Association	83.12%
Workmen Union	74.03%

- Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

S. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of financial year
1	Child labour/forced labour/involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	NIL	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. निम्नांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया?

नियमित कर्मचारी	112%
नियमित महिला कर्मचारी	117%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	78%

सिद्धांत 4: कारोबार सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करे तथा उनके प्रति संवेदनशील हो विशेषरूप से वंचित, कमजोर और उपेक्षित के प्रति

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचित्रित किया है? हाँ / नहीं

हाँ, बैंक के शेयरधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक हैं।

2. उक्त में से, क्या कंपनी ने कमजोर, वंचित व उपेक्षितों की पहचान की है?

हां.

3. क्या कंपनी वंचित, कमजोर व उपेक्षित शेयरधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां तो 50 शब्दों में विवरण दें।

कर्मचारी: बैंक जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाता है। बैंक सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ/सुविधाओं सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समतुल्य पारिश्रमिक/वेतन दिया जाता है। बैंक, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उदान परियोजना के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर के बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षित व भर्ती कर रहा है।

ग्राहक: समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने, अन्य योजनाओं के साथ, सादा बचत खाता योजना, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना, शहरी गरीब के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट, सामान्य क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, मनरेगा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण, बायोमेट्रिक

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	112%
Permanent Women Employees	117%
Casual/Temporary/ Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	78%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

Yes. The stakeholders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.

Yes.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/ assistance to employees belonging to SC/ST category as per Government guidelines. Further, the wages/ salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. The Bank, as part of Corporate Social Responsibility, is training and recruiting unemployed graduates from the State of Jammu and Kashmir under the project 'Udaan'.

Customers: In order to cater to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among others, No-frill Savings Accounts Scheme, Micro Insurance and Micro Pension under Canara Naye Disha Scheme, micro-finance branches for urban poor, kisan credit cards for farmers, general credit cards, loans to self help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA Wages

एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरू की हैं।

सिद्धांत 5: कारोबार मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करो

1. मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति ही क्या कंपनी पर ही लागू होती है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

बैंक भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार का सम्मान करता है।

मानव संसाधन से संबंधित नीतियों केवल बैंक के परिचालन पर ही लागू है। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियां सभी कर्मचारियों को समानता और उचित व्यवहार प्रदान करती हैं तथा कोई भेदभाव राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर नहीं किया जाता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है। सेवा शर्तों में, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रावधान हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न की नीति लागू की गयी है। पॉलिसी के अनुसार, महा प्रबंधक की रैंक वाली महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसमें अधिकांश सदस्य महिलाएं ही हैं और एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक कार्रवाई करता है। बैंक समय समय पर सेवा शर्तों, नियमों, महिला कर्मचारियों के लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार तथा यौन उत्पीड़न को रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निराकरण कर रहे हैं। अंचल स्तर निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है।

and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Interest Rate Scheme, loans to women entrepreneurs and support to micro & small enterprises.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of guidelines issued by Supreme Court of India in its landmark judgment in Visakha & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. As per the policy, a Complaints Committee has been constituted headed by a lady Executive of the rank of General Manager with majority of lady members and an outside member from a reputed NGO. The action is taken based on the reports of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए वह जनता को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण / विद्युत / रख-रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून विशेषतौर पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों का पालन करता है।

2) पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें आईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?

वर्ष के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

सिद्धांत 6: कारोबार पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करो

1. सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति क्या कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर-सरकारी संस्था न / अन्यक पर भी लागू है?

नीति केवल बैंक तक ही सीमित है।

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना/ पहल है ? हाँ / नहीं , यदि हाँ तो, कृपया वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

हाँ

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ऐसे नयी ईकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान नहीं करता जिनके द्वारा ओजोन विच्छेदन पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लूरो कार्बन – 11 (सीएफसी-11), सी.एफ.सी.-12 और सी.एफ.सी. 11 और सी.एफ.सी. 12 का मिश्रण, सी.एफ.सी. – 113, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फोम उत्पादन, रेफ्रिजरेटर और एयरकंडिशनर, एरोसॉल उत्पाद, सफाई के उत्पाद में प्रयुक्त सॉल्वेंट, अग्निशमन में प्रयुक्त हेलॉन – 1211, 1301, 2402, आदि का प्रयोग किया जाता है।

बैंक द्वारा उन छोटे / मध्यम स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है जो सी.एफ.सी. का प्रयोग कर एरोसॉल इकाई के उत्पादन में लगे हुए हैं।

टॉक्सिक पदार्थों का उत्सर्जन करने वाले उत्पादन इकाइयों के ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंक ऐसे प्रदूषित पदार्थों को वातावरण में छोड़ने से पूर्व प्रसंस्कृत करने के लिए जल शोधन इकाई की स्थापना के लिए दबाव डालता है तथा सुनिश्चित

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction/ electrical/maintenance works at its premises, the Bank follows the labor laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

No complaints have been received during the year

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others.

The Policy covers only the Bank.

2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes.

In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone Depleting Substances (ODS) such as Chlorofluoro carbon – 11 (CFC – 11), CFC – 12, Mixtures of CFC – 11 and CFC – 12, CFC – 113 Carbon Tetrachloride, Methyl Chloroform, Halons – 1211, 1301, 2402 used in Foam products, Refrigerators & Air conditioners, Aerosol products, Solvents in cleaning applications, Fire extinguishers.

No financial assistance is extended by Bank to small/ medium scale units engaged in the manufacture of the Aerosol Units using CFC.

While appraising the credit proposal, of manufacturing units, emitting toxic pollutants, the Bank insists upon installation of water treatment projects for processing of such pollutants before

किया जाता है कि उधारकर्ता केन्द्र / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/नहीं
हाँ

4. क्या कंपनी स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें और, यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालना रिपोर्ट दायर की गयी है?
हाँ

बैंक द्वारा विभिन्न हरित बैंकिंग पहल जिसमें कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेलिबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संचालित बायोमेट्रिक एटीएम, शाखाओं में ई-लाउंज और अपने स्टाफ तथा प्रशासनिक क्षेत्र के लिए ई गवर्नेंस और कागज रहित बैंकिंग शामिल को बढ़ावा देना शामिल है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की है? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा दक्षता के कई पहल शुरू की है। बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं जैसे पवन मिल्स / सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि। बैंक को हरित व स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं को अधिमानी ऋण देने की योजनाएं हैं।

इसके अलावा, बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटिंग) अपने सभी परिसर लगाने के लिए अग्रसर है। बैंक भी उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने की नीति का अनुसरण कर रहा है अर्थात् एयर कंडीशनर।

बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाते हुए जनरेटर के उपयोग में सीपीसीबी नियम (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का पालन करता है। बैंक अपने विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस लगाने और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी अपनाने की प्रक्रिया में है।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सूचित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है?

बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है अतः यह लागू नहीं है।

release into the environment and ensures that the borrower client also obtains NOC from Central/State Pollution Control Board.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

Yes.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Yes.

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk, E-lounges in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

Bank has undertaken a no. of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills/Solar Power projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

Further, the Bank is changing over to CFL's (Compact Fluorescent Lightings) in all its premises ensuring higher energy efficiency. The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances, viz., Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

The Bank is complying with the CPCB rules (Central Pollution Control Board) in usage of generators adopting clean technology. The Bank is also in the process of deploying solar powered UPS for its various locations and adopting renewable energy usage.

6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कानूनी नोटिस/ कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो कि लंबित हैं? (यानी संतुष्टि के स्तर तक नहीं निपटाया गया है)

शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आमजनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? यदि हाँ तो उन बड़ी संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार होता है?

हाँ।

क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)

घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)

ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई)

च) भारतीय समाशोधन निगम(सीसीआई)

छ) भारतीय निवेश बैंकर संघ, मुंबई

2. क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए ऊपर संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मौटेतौर पर उन क्षेत्रों के बारे में बताएं (गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियों, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक पर देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय - समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देशों / नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

सिद्धांत 8: कारोबार समग्र विकास और समान विकास को संबल दे।

1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

Nil

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

Yes.

a) Indian Banks' Association (IBA)

b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)

c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)

d) National Institute of Bank Management (NIBM)

e) National Payments Corporation of India (NPCI)

f) The Clearing Corporation of India (CCI)

g) Association of Investment Bankers of India, Mumbai

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/ regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

बैंक ने समावेशित वृद्धि व समान विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं को चलाया है।

विवरण निम्नवत है—

बैंकिंग सेवा रहित क्षेत्र के उपेक्षित वर्गों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने 24 राज्यों के 2000 जनसंख्या से अधिक वाले 5528 गाँवों में वित्तीय समावेशन योजना का कार्यान्वयन किया। जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वहनीय खर्च पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। इसका कार्यान्वयन दो मॉडल के तहत किया गया यानी ब्रिक व मॉर्टर मॉडल और कारोबार संपर्की मॉडल।

536 गाँवों को ब्रिक और मॉर्टर मॉडल और बचे हुए 4992 गाँवों को कारोबार संपर्की की मदद से बैंकिंग सेवा उपलब्ध करायी गयी। इन 4992 गाँवों में से, 516 गाँवों में कारोबार संपर्की अति लघु शाखाओं द्वारा एक निश्चित स्थान पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएँगे।

2014-15 के लिए योजना: वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक 4212 गाँवों तथा वर्ष 2015-16 में 419 गाँवों को 421 ब्रिक व मॉर्टर शाखाएं और 2489 कारोबार संपर्की एजेंटों को नियुक्त करते हुए कवर करने की योजना है।

46 सरकारी विद्यालयों के 30000 छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित की गयी हैं। गत वर्ष स्वयंसेवी संस्थाओं / गैर सरकारी संस्थाओं (957) के नेताओं लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल रहा। इस वर्ष भी हर प्रकार के कार्यक्रमों को 4 राज्यों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। जिससे 1000 सदस्य प्रशिक्षित होंगे जो 20000 स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य को प्रशिक्षित करेंगे।

बैंक ने ग्राम अंगीकरण योजना – केनरा ग्रामोदया 63 गाँवों में उनके सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की है। प्रत्येक गाँव के विकास के लिए प्रतिवर्ष ₹10 लाख का अनुदान रखा गया है। यह योजना दो वर्ष के लिए है तथा योजना को ध्यान में रखते हुए इसे एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

2. क्या कार्यक्रम / परियोजना आंतरिक टीम / स्व संस्थान / बाह्य / गैर सरकारी संस्था / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संस्था के माध्यम से किए जाते हैं?

वित्तीय समावेशन परियोजना आंतरिक टीम की सहायता से लागू की गयी। बैंक में प्राथमिकता साख और वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है जिसके प्रमुख

The Bank has undertaken various initiatives/ programmes/ projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

The details are as under:

The Bank has implemented financial inclusion plan in 5528 villages with more than 2000 population across 24 States, to provide banking services to the excluded category of people in unbanked areas. The objectives are to provide them the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

536 unbanked villages are covered through brick and mortar model and the remaining 4992 villages are provided banking services through engaging business correspondents. Out of 4992 villages, the business correspondent agents are providing the banking services in a fixed place through Ultra Small Branches in 516 villages.

Plan for 2014-15: The Bank has plans to cover 4212 villages during 2014-15 and 419 villages during 2015-16 by opening 421 brick and mortar branches and engaging 2489 business correspondent agents.

The financial literacy programme for the school students was held at 46 Govt. schools for 30000 students on pilot basis. The training programme for the SHG/NGO (957) leaders was successful in the last year. This year also, it is proposed to conduct such programmes in four States covering 1000 members who in turn train 20000 members of SHGs.

The Bank has introduced the Village Adoption Scheme – Canara Gramodaya in 63 Villages have been implemented for overall development. A grant of 10 lakh is earmarked per village for the development activities. The scheme is for a period of 2 years and can be extended for 1 more year depending upon the merits of the case.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion Division under Priority Credit and Financial Inclusion Wing, headed by a

एक महाप्रबंधक है। बैंक वित्तीय साक्षरता न्यास के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है।

अन्य न्यासों / सोसाइटियों का नाम निम्नगत है जहाँ बैंक परियोजनाएं लागू करने के लिए सम्मिलित है, जो जनता तथा समाज की सेवा में प्रभाव उत्पन्न किया है :-

1. केनरा शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास
2. केनरा वित्तीय सलाहकारी न्यास
3. केनरा स्वर्ण जयंती शिक्षा निधि
4. केनरा राहत व कल्याण सोसाइटी

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इन्हीं न्यासों के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा निधियन भी करता है।

3. क्या अपने प्रयास का आपने प्रभाव मूल्यांकन किया है ?

हाँ। बैंक पहल के मुख्य प्रभाव अपने ग्राहकों को उत्पादों के वितरण में है। मुख्य डेलिवरेबल्स हैं:-

बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान 85.46 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों तथा योजना की शुरुआत से लेकर अबतक 85.46 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों को मूलभूत बचत जमा खाता उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान हमारी 261 वित्तीय समावेशन शाखाएँ खुली हैं और 3.36 लाख खाते से ₹538 करोड़ का कारोबार किया तथा ₹256 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जिससे 0.41 लाख हिताधिकारी लाभान्वित हुए।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ, ऋण सुविधा जैसे सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभिन्न ब्याज पर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण अदला-बदली (स्वैपिंग) योजना और कई साख उत्पाद उपलब्ध कराए गए।

बैंक ने हमारे मे. केनरा एचएसबीसी ओबीसी इंश्योरेंस कंपनी के समूह बीमा योजना के तहत ऋण प्रदत्त स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के जीवन को कवर किया गया है जिसमें प्रत्येक सदस्य के जीवन को ₹25,000 तक ₹100 के मामूली प्रीमियम के साथ कवर किया गया है। लगभग 61247 व्यक्ति इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।

बैंक ने कर्नाटक के चार जिलों और तमिलनाडु के सभी जिलों में दू एक जिला कई बैंक मॉडल दू के तहत सरकारी लाभों जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तान्तरण के कार्यान्वयन में भाग लिया है। कर्नाटक के चार जिलों में मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए खातों के खोलने का कार्य

General Manager. Bank is propagating financial literacy through Financial Literacy Trust.

Following are the other Trusts/Societies wherein Bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society.

1. Canara Centenary Rural Development Trust
2. Canara Financial Advisory Trust
3. Canara Golden Jubilee Education Fund
4. Canara Relief & Welfare Society

Bank continues to actively fund and also involve in the activities of these Trusts under its CSR.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Major impact of the Bank initiatives is the delivery of the products to its customers. The major deliverables are:

The Bank has provided Basic Savings Deposit accounts to 25.85 lakh unbanked people during the year 2013-14 and 85.46 lakh unbanked persons since inception of the Scheme.

During 2013-14, 261 FI Branches have been opened garnering a business of Rs.538 crores in 3.36 lakh accounts and provided a credit of Rs.256 crores benefitting 0.41 lakh beneficiaries.

The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, Inbuilt Overdraft Facilities, credit facilities under products like General Credit Card Schemes, Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme and various other credit products.

The Bank has also covered the lives of the members of credit linked SHGs under Group Insurance Scheme by M/s Canara HSBC OBC Insurance Company, covering the lives of the individual members to the extent of 25000 for a nominal premium of 100. About 61247 persons have been benefitted out of the Scheme.

The Bank has participated in implementation of Electronic Benefit Transfer of Govt. benefits like Social Security Pension in four districts of Karnataka and all districts of Tamil Nadu under "One District Many Bank Model". The enrollment is in progress for opening of accounts for disbursement of wages under MGNREGA in four districts of Karnataka. This

प्रगति पर है। इस योजना से लाभार्थियों को उनके दरवाजे / गांवों में समय पर भुगतान प्राप्त करने में मदद मिली है।

बैंक ने पहले चरण में 48 चयनित जिलों में और द्वितीय चरण में 78 चयनित जिलों में सरकारी लाभ को सीधे स्थानांतरित करने में भाग लिया है। अब तक इस योजना के तहत हस्तांतरित लाभ ₹250 करोड़ पहुंच गया है।

बैंक ने 35 सशक्त जिलों में “केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी वाहन” नामक समावेशी विकास वाहन प्रदान किए हैं। इन वाहनों में कृषि विस्तार अधिकारी या सामान्य अधिकारी साथ जाते हैं जिन्हें हमारी विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी होती है और ये नियमित तौर पर ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने जाते हैं। इन वाहनों में खाता खोलने के फार्म तथा अन्य योजनाओं के पैम्फलेट्स होते हैं।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? राशि रूप्यों में तथा परियोजनाओं का विवरण।

बैंक ने विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक – आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे 953 संगठनों को ₹7695.53 लाख की राशि मंजूरित की। (कृपया बिंदु 5 का भाग बी का संदर्भ लें)

5. क्या इस समुदाय विकास की पहल को सफलतापूर्वक समुदाय द्वारा अपनाया जाने को सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं? कृपया 50 शब्दों में बताएं।

बैंक दानग्राही संगठन / संस्थान से सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जो पुष्टि करता है जिस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा दान मंजूर किया गया था उसका अंतिम उपयोग किया गया है।

परियोजनाओं के लिए उपदान विभिन्न चरणों पर विकास कार्यों के प्रगति के आधार पर तथा साइट पर पूर्व-विकासात्मक व विकासोपरांत दौर के पश्चात संवितरित किया जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके समुदाय के लोगों को भी शामिल करके परियोजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करके सहायता वितरित किया जाता है।

बैंक एक प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि समुदाय विकासात्मक विधि को अपना रहा है।

has helped the beneficiaries under the Scheme in getting the timely payment at their doorsteps/ villages.

The Bank has also participated in implementation of Direct Benefit Transfer of Govt. Benefits in 48 identified districts in Phase I and 78 identified districts in Phase II. So far, benefits transferred under the Scheme reached 250 Crore.

The Bank has provided inclusive growth vehicles called “Canara Gramin Vikas Vahini Vehicles” in 35 potential districts. These vehicles accompanied by an Agriculture Extension Officer or general officer who are well aware of the Bank’s various rural development schemes visit the villages regularly for creating awareness among the rural mass about banking. The vehicles are also provided with the account opening forms and pamphlets of various schemes.

4. What is your company’s direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken.

The Bank has sanctioned a sum of ₹7695.53 lakh (953 sponsorships) engaged in various community development and socio-economic welfare activities (Pl. refer to Section B Point No.5).

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

The Bank is obtaining a Certificate issued by a Chartered Accountant of the donee organization/ Institute confirming the end use of the donation for the purpose for which the donation was sanctioned by the Bank.

The grants for the projects are disbursed in stages depending upon the progress of the developmental work and after conducting pre-developmental and post-developmental site visits. The assistance are handed over by organizing public function involving the community members ensuring their participation in the projects.

The Bank has a mechanism to ensure that the community adopts to the developmental process.

सिद्धांत 9: कारोबार जिम्मेदारी से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़े और उन्हें सम्मान प्रदान करो

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता प्रकरण लंबित हैं?

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 90286 ग्राहक शिकायतों की 1.40% (1265) लंबित थी। तथापि, वर्ष 2012-13 की सभी लंबित शिकायतों को अबतक निपटाया जा चुका है।

2. क्या कंपनी, स्थानीय नियमों की अनिवार्यता के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियाँ (अतिरिक्त सूचनाएं)

बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्फलेट्स और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध करायी जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया गया है।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबार व्यवहार, गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के किसी भी मामले के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी श्रेयधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें।

शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रूझान का पता लगाया है?

बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए और अपने ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, एक स्व-निहित, स्टांपयुक्त प्रश्नावली उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए ग्राहकों को वितरित करने लिए बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- 91% ग्राहक एटीएम संबंधित सेवाओं से संतुष्ट हैं।
- 80% ग्राहक इंटरनेट सेवाओं से संतुष्ट हैं।
- समग्र रूप से 90% ग्राहक बैंक की सेवाओं से संतुष्ट थे।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

1.40% (1265) of the 90286 customer complaints received were pending as at the end of the financial year. However, all the pending customer complaints of 2012-13 have since been redressed.

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)

The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Nil.

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

To assess the quality of customer service rendered by the Bank's branches and to get the feedback directly from the customers, a self contained, prestamped questionnaire was made available to all branches for distributing the same to customers for providing their feedback. The finding of the Survey is as under:

- 91% of the customers were satisfied with ATM related services.
- 80% of the customers were satisfied with internet services.
- Overall 90% of the customers were satisfied with the Bank's services.



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक
मंडल की रिपोर्ट
2013-2014



**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON
CORPORATE GOVERNANCE
2013-2014**

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1) कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शन:

"कॉर्पोरेट गवर्नेन्स सारे श्रेयधारकों के सुस्थिर विकास के लिए संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।"

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा श्रेयधारकों को संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभर आना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वातालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेजोड़ और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने श्रेयधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक—जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है।

बोर्ड के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उन की उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में दिये गये हैं।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance

"Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders."

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders—depositors, Shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors:

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

3) लेखापरीक्षा समिति:

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन एवं कार्यसंचालन, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार के द्वारा प्रशासित है।

- i) यह समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।
- ii) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्न कार्य शामिल हैं:
 - क. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना।
 - ख. लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा
 - ग. बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।
- iii) यह समिति बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाये गये मामलों के बारे में स्थिति की समीक्षा करती है।
- iv) यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाये गये सभी मामलों / टिप्पणियों का अनुवर्तन भी करती है।
- v) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस. एआरएस.बीसी संख्या: 4/08.91.20/2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा समीक्षा कैलेण्डर सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है। इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें समीक्षा कैलेण्डर के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के सामने विधिवत रखा जाता है।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में दिये गये हैं।

3) Audit Committee:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the bank as per guidelines of Reserve Bank of India and Listing Agreement with Stock Exchanges.

- i) ACB provides directions and also oversees the operation of the total Audit function of the Bank.
- ii) The main functions of the committee are as under:
 - a. To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
 - b. Reviewing with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
 - c. Review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports, review Bank's finance and risk management policies.
- iii) ACB reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- iv) It follows up on all the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI.
- v) ACB also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

4) पारिश्रमिक समिति:

भारत सरकार के पत्र एफ सं. 20/1/2005-बीओ.आई, दिनांक 09.03.2007 के संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है। तथापि, वर्ष के दौरान किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को कार्यनिष्पादन संबंध प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया है। पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

5) निदेशकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान:

5.1 निदेशकों को पारिश्रमिक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन विवरण निम्नवत् हैं:

नाम व पदनाम	राशि (₹)
श्री राजीव किशोर दुबे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	20,05,292.41
श्री अशोक कुमार गुप्ता कार्यपालक निदेशक	20,58,689.90
श्री वी एस कृष्णकुमार कार्यपालक निदेशक	15,47,606.90
श्री प्रद्युमन सिंह रावत कार्यपालक निदेशक	10,42,993.80
श्रीमती अर्चना एस भार्गव कार्यपालक निदेशक (दिनांक 22.04.2013 तक)	5,10,966.91
श्री एस रामन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (दिनांक 30.09.2012 तक)	3,00,822.00 (वर्ष 2012-13 के लिए प्रोत्साहन)
कुल	74,66,371.92

5.2 गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जा रही है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

6) (1) शेयर धारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति:

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, शेयर प्रमाण पत्र / धन वापसी आदेश / लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि के संबंध में शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों के निवारण का अनुप्रवर्तन किया जाता है।

4) Remuneration Committee:

In terms of GOI Letter F.No 20/1/2005-BO.I Dt. 09.03.2007 Board of Directors of the Bank had constituted a Remuneration Committee to evaluate the performance of whole time directors as per GOI guidelines. However during the year there is no performance linked incentives paid to any of the whole time director. The composition of members of Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

5) Remuneration to Directors.

5.1 Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2013-14 are as under:

Name & Designation	Amount (₹)
Shri R K Dubey Chairman & Managing Director	20,05,292.41
Shri Ashok Kumar Gupta Executive Director	20,58,689.90
Shri V S Krishnakumar Executive Director	15,47,606.90
Shri Pradyman Singh Rawat Executive Director	10,42,993.80
Smt Archana S Bhargava Executive Director (up to 22.04.2013)	5,10,966.91
Shri S Raman Chairman & Managing Director (up to 30.09.2012)	3,00,822.00 (incentive for the year 2012-13)
TOTAL	74,66,371.92

5.2 Non- Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fees as fixed by Government of India. The sitting fees paid to the Independent Directors is given in the Appendix C.

6) (1) Shareholders' / Investors' Grievances Committee:

The Shareholders'/Investors' Grievances Committee has been constituted in terms of Clause 49 of the Listing Agreement. The Committee monitors the redressal of the Shareholders'/Investors' grievances like transfer of shares, non- receipt of shares certificate/refund order/dividend warrants, etc.

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	2211
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारकों संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

उपर्युक्त शिकायतों में से एक भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं थी।

सूचीकरण करार के खंड 47(ए) के अनुसार श्री बी नागेश बाबू, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारक / निवेशकों की शिकायत समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(2) अन्य समितियाँ:

(क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता / निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(ख) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति रूपायित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

Shareholders' Grievances Statistics:	
Complaints Received	2211
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

None of the above complaints were pending for more than a month.

In terms of Clause 47(a) of the Listing Agreement, Shri B Nagesh Babu, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

The Composition of members of Shareholders'/Investors' Grievances Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

(2) Other Committees:

(a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise/settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits/ appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A&B.

(b) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, तीन उच्च स्तरीय समितियाँ अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति एवं परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मसलों को संभालती हैं। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है :

- क) तरलता जोखिम प्रबंधन
- ख) बाज़ार जोखिम प्रबंधन
- ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- घ) निधीयन एवं पूंजी आयोजना
- ड) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

7) सामान्य बैठकें:

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:

दिनांक	समय	स्थान
18.07.2011	04 अपराह्न	चौडय्या मेमोरियल हॉल, जी डी पार्क एक्सटेंशन, व्यालिकावल, बेंगलूर - 560 003
28.06.2012	04 अपराह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001
22.07.2013	10 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The C&MD or ED of the Bank is the Chairman for all the four Committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

(c) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by C&MD or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- A) Liquidity risk management
- B) Management of market risk
- C) Trading risk management
- D) Funding and capital Planning
- E) Profit Planning & Growth Planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

7) General Body meetings:

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

Date	Time	Venue
18.07.2011	4 pm	Chowdaiah Memorial Hall, G.D. Park Extension Vyalika-val, Bangalore - 560 003
28.06.2012	4 pm	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001
22.07.2013	10 am	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001

पिछली सामान्य वार्षिक बैठक (अर्थात दिनांक 22.07.2013 को आयोजित बैंक की ग्यारहवीं सामान्य बैठक) में कोई विशेष संकल्प नहीं रखा गया था तथा डाक मतदान भी नहीं किया गया।

ग्यारहवीं सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं।

बैंक ने दिनांक 30.12.2013 को ₹10/- अंकित मूल्य के 1,82,58,837 ईक्विटी शेयर ₹263.84 के प्रीमियम सहित ₹273.84/- की निर्गम मूल्य पर निर्गमित / आबंटित करने के लिए शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की उद्देश्य से एक विशेष संकल्प के माध्यम से एक असाधारण सामान्य बैठक आयोजित किया।

8) प्रकटन:

बैंक के संबंधित रिपोर्ट से लेनदेन यथा 31.03.2014 के तुलनपत्र के लेखा संबंधी टिप्पणी, अनुसूची 18 में प्रकट किये गये हैं।

बैंक ने अपने शेयरों का सूचीकरण करने के बाद पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

बैंक ने अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सारी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

सूचीकरण करार के खंड 49 की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन निम्न हद तक किया गया है:

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड गैर कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्यालय को संभालने हेतु अर्ह होंगे।	बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के अनुसार किया गया है। अतः यह खंड बैंक के लिए लागू नहीं है।
2.	पारिश्रमिक समिति	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समिति गठित की गई है, जिसका ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

No special resolution was put through in last Annual General Meeting (ie., 11th AGM of the Bank held on 22.07.2013) and there were no postal ballot exercise.

Details of attendance of Directors at the 11th Annual General Meeting are given in Appendix B.

The Bank has conducted an Extraordinary General Meeting on 30.12.2013 for the purpose of obtaining consent of the shareholders by way of a Special Resolution to issue / allot 1,82,58,837 equity shares of face value of ₹10/- each for cash at an Issue Price of ₹273.84 including premium of ₹ 263.84.

8) Disclosures:

The related party transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2014.

The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.

The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities.

The extent of implementation of non-mandatory requirements of clause 49 of the Listing Agreement are as under:

Sl. No.	Non Mandatory Requirement	Status of Implementation
1.	The Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office.	Board is Constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. Hence this clause is not applicable for the Bank.
2.	Remuneration Committee	Remuneration committee has been constituted as per the guidelines of GOI, as detailed elsewhere in the Annual Report.

3.	शेयर धारक के अधिकार	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है।
4.	लेखापरीक्षा योग्यतायें	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यताएं जारी नहीं की हैं।
5.	बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण	प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त करने के जरिए बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रत्येक सदस्य को उनकी जिम्मेदारियाँ और आचार संहिता संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ कारोबार संबंधी नमूने की सम्पूर्ण सिंहावलोकन भी प्रदान की जाती है।
6.	बोर्ड के गैर-कार्यपालक सदस्यों की मूल्यांकन पद्धति	निदेशक मंडल का समिश्रण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार नियोजित है, अतः यह खंड हमारे लिए लागू नहीं है।
7.	व्हिसिल ब्लोअर नीति	व्हिसिल ब्लोअर नीति का कार्यान्वयन बैंक में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है और सूचना देने वालों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है।

3.	Shareholder Rights	The Bank has sent Annual financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders.
4.	Audit qualifications	Statutory Auditors have not issued any qualifications in their audit report for the year ended 31.03.2013
5.	Training of Board Members	The Board Members are imparted training, by deputing them for training programmes conducted by Reputed Agencies. A complete overview of Business Model along with the Government Guidelines regarding their responsibilities and code of conduct is given to each Member.
6.	Mechanism for evaluating non-executive Board Members	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Hence this clause is not applicable for us.
7.	Whistle Blower Policy	Bank has implemented the GOI Guidelines on Whistle Blower policy and the protection has been extended to the Whistle Blower.

9) संप्रेषण का माध्यमः

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी मुख्यतया बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए देता है, जिसमें कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं www.canarabank.com. नामक वेबसाइट आदि के ज़रिए भी जानकारी दी जाती है। बैंक, कार्यालयीन समाचार विज्ञप्तियाँ / प्रस्तुतीकरण भी वेबसाइट में प्रदर्शित करता है।

सूचीकरण करार के खंड 41 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

परिणामों का प्रकाशन:

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		देशी भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2013	03.05.2013	उदयवाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि बिजनेस लाइन, मिन्ट, इकॉनॉमिक टाइम्स
30.06.2013	04.08.2013	संयुक्त कर्नाटका	दिनांक 05.08.2013 को बिजनेस स्टैण्डर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि बिजनेस लाइन, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकॉनॉमिक टाइम्स, मिन्ट, बिजनेज़ स्टैण्डर्ड (हिन्दी) व जनसत्ता (हिन्दी) में
30.09.2013	13.11.2013	विजय वाणी	फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैण्डर्ड व बिजनेस लाइन
31.12.2013	01.02.2014	कन्नड प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड, बिजनेस लाइन व फाइनेंशियल एक्सप्रेस

9) Means of communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances, through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official News releases, presentations in its website.

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement, Financial Results and other price sensitive informations are furnished to Stock Exchanges.

Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2013	03.05.2013	Udayavani	Business Standard, Financial Express, Business Line, Mint, Economic Times
30.06.2013	04.08.2013	Samyuktha Karnataka	Business Standard, Financial Express, The Business Line, Hindustan Times, Economic Times, Mint, Business Standard (Hindi) & Janasatta (Hindi) on 05.08.2013
30.09.2013	13.11.2013	Vijaya Vaani	Financial Express, Economic Times, Business Standard & Business Line
31.12.2013	01.02.2014	Kannada Prabha	Business Standard, Business Line & Financial Express

10) शेयरधारकों को सामान्य सूचना:
वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	2013-2014
बही बंद होने की तारीख (दोनों दिन सहित)	05.07.2014 - 21.07.2014
प्रॉक्सि फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	16.07.2014
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	21.07.2014
लाभांश भुगतान की तारीख	21.07.2014
लाभांश वारंटों के प्रेषण की संभावित तारीख	28.07.2014

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण :

निम्नांकित स्टॉक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है।

1	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2013-14 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है।

10) General Shareholders' Information:
Financial Calendar

Financial year	2013-2014
Book closure Date (Both days inclusive)	05.07.2014 - 21.07.2014
Last Date for receipt of proxy forms	16.07.2014
Date of Annual General Meeting	21.07.2014
Dividend Payment Date	21.07.2014
Probable date of dispatch of dividend warrants	28.07.2014

Listing on Stock Exchanges :

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	Bombay Stock Exchange Ltd.	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2013-14 have been paid within the prescribed due date.

बाजार मूल्य आंकड़े

माह	वर्ष	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2013	449	369	17,19,382	450	368	2,10,59,632
मई	2013	457	384	27,02,374	457	383	2,64,06,452
जून	2013	417	335	17,28,479	417	335	1,81,73,855
जुलाई	2013	389	245	33,15,352	387	246	2,68,53,373
अगस्त	2013	279	190	45,21,734	280	189	3,80,78,538
सितंबर	2013	254	190	61,46,208	254	191	5,88,89,153
अक्तूबर	2013	262	219	35,61,194	262	219	3,28,57,906
नवंबर	2013	293	230	72,73,825	294	230	6,87,13,304
दिसंबर	2013	295	240	61,13,088	295	239	5,51,87,197
जनवरी	2014	292	214	64,15,464	292	215	5,90,67,434
फरवरी	2014	226	209	33,94,186	226	209	3,16,55,456
मार्च	2014	276	212	57,59,823	275	212	5,94,62,564

Market Price Data

Month	Year	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2013	449	369	17,19,382	450	368	2,10,59,632
May	2013	457	384	27,02,374	457	383	2,64,06,452
June	2013	417	335	17,28,479	417	335	1,81,73,855
July	2013	389	245	33,15,352	387	246	2,68,53,373
August	2013	279	190	45,21,734	280	189	3,80,78,538
September	2013	254	190	61,46,208	254	191	5,88,89,153
October	2013	262	219	35,61,194	262	219	3,28,57,906
November	2013	293	230	72,73,825	294	230	6,87,13,304
December	2013	295	240	61,13,088	295	239	5,51,87,197
January	2014	292	214	64,15,464	292	215	5,90,67,434
February	2014	226	209	33,94,186	226	209	3,16,55,456
March	2014	276	212	57,59,823	275	212	5,94,62,564

अन्य प्रकटन:

सेबी ने अपने परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा ईक्विटी लिस्टिंग करार के खण्ड 5ए में संशोधन किये। संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक या किसी अन्य इश्यू के परिणामस्वरूप भौतिक रूप में जारी किये गये शेयरों, जो अदावी रह जाते हैं, के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनानी है।

खण्ड 5ए: बैंक ने 2002-03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹10/- अंकित मूल्य के 41 करोड़ ईक्विटी शेयर भौतिक और विभौतिक दोनों रूपों में जारी किये।

सूचीकरण करार के खंड 5ए के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में अदावी शेयर जारीकर्ता बैंक द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए उचित खाते में जमा किया जाना है। तदनुसार बैंक ने केनरा बैंक, डीपी कक्ष, बेंगलूर में एक विभौतिक (डीमैट) खाता खोला है। तदसंबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

खाते का नाम: केनरा बैंक-अदावी उचित खाते- भौतिक/शेयर डीपीआईडी आईडी / ग्राहक पहचान संख्या: 301356 / 20552606

यथा 31.03.2013 को शेयरों के लिए 500 शेयरों वाले 1 शेयर प्रमाणपत्र ही शेयरधारक द्वारा अदावी / प्रेषण के लिए लंबित रह गये हैं। बैंक ने उक्त शेयरधारक की पहचान की है तथा शेयर प्रमाणपत्रों को 2013 अगस्त महीने में सौंप दिया है।

विवरण	शेयर प्रमाणपत्रों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2012 को	4(अदावी)	2200
2012-13 में अदावी उचित खाते को अंतरित (उपर्युक्तानुसार)	2	1200
पहचान किए गए / डी आर टी मामला	1	500
पहचान किए गए तथा 2013-14 में हस्तांतरित	1	500
यथा 31.03.2014 को लंबित	--	--
यथा 31.03.2014 को स्थिति	शून्य	--

Other Disclosures:

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure prescribed therein.

Clause 5 A - The Bank had gone for IPO during 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹ 10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.



In terms of Clause 5A of the Listing Agreement, the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. Accordingly, the Bank had opened a Demat Account with Canara Bank, DP Cell, Bangalore. The details are as under:







Name of the Account: Canara Bank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares DPID ID / Client ID Number : 301356 / 20552606

As on 31.03.2013, there was only 1 share certificate of 500 shares which was unclaimed by the shareholder/ pending to be dispatched. The Bank has identified the said shareholder and handed over the share certificate to him in the month of August, 2013.

Particulars	No. of Share Certificates	No. of Shares
As on 01.04.2012	4 (Unclaimed)	2200
Transferred to Unclaimed Suspense Account (as stated above) in 2012-13	2	1200
Identified / DRT Case	1	500
Identified & handed over in 2013-14	1	500
Pending as on 31.03.2014	--	--
As on 31.03.2014, the position	Nil	--

व्यापक आधार सूचकांकों के प्रति कार्यनिष्पादन / Performance in comparison to Broad Based Indices





रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक
प्लॉट सं.17-24, विट्टल राव नगर
माधापुर
हैदराबाद- 500 081

शेयर अंतरण प्रणाली

(क) भौतिक शेयर:

शेयरों के अंतरण / प्रेषण के लिए अंतरण विलेख के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अग्रेषित करना चाहिए।

(ख) विभौतिक रूप में शेयर:

विभौतिक रूप में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को सिपुर्दगी अनुदेश देने हैं।

शेयर धारण का संवितरण

श्रेणीवार (31.03.2014)

क्र सं	श्रेणी	# शेयरों की संख्या	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	(*)318258837	69.00
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	34102731	7.39
3	म्युचुअल फंड	26248956	5.69
4	कॉर्पोरेट निकाय	9789048	2.12
5	एन आर आई / ओ सी बी	736211	0.16
6	निवासी व्यक्ति / अविभक्त हिन्दू परिवार / न्यास आदि	30730246	6.67
7	विदेशी संस्थागत निवेशक	41392808	8.97
8	कुल	461258837	100

प्रत्येक शेयर का नाममात्र मूल्य ₹10/- है

(*) नोट: बैंक ने दिनांक 31.12.2013 को अधिमानित आधार पर भारत सरकार को 1,82,58,837 ईक्विटी शेयर आबंटित / निर्गमित किया।

Registrar and transfer Agent

Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit: Canara Bank
Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar
Madhapur
HYDERABAD – 500 081

Share Transfer System

(a) Physical Shares:

The Original Share Certificates along with transfer deed should be forwarded to M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transfer / transmission of shares.

(b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

Distribution of Shareholding

Category wise (31.03.2014)

Sl No.	Category	# No. of shares	% of share holding
1	Government of India	(*)318258837	69.00
2	Banks & Financial Institutions	34102731	7.39
3	Mutual Funds	26248956	5.69
4	Bodies Corporate	9789048	2.12
5	NRIs/OCBs	736211	0.16
6	Resident Individuals/ HUF /Trust etc.	30730246	6.67
7	Foreign Institutional investors	41392808	8.97
8	TOTAL	461258837	100

Nominal value of each share is ₹10/-

(*) Note: The Bank had allotted / issued 1,82,58,837 equity shares to Government of India on Preferential basis on 31.12.2013.

मूल्य वार: (31.03.2014)

शेयर धारण का नाममात्र मूल्य (₹)	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	135062	93.12	16121308	3.49
5001 से 10000	7243	4.99	5916253	1.28
10001 से 20000	1437	0.99	2137234	0.46
20001 से 30000	365	0.25	926997	0.20
30001 से 40000	139	0.10	490257	0.11
40001 से 50000	151	0.10	682675	0.15
50001 से 100000	232	0.16	1688923	0.37
100001 व उससे अधिक	412	0.29	433295190	93.94
कुल	145041	100	461258837	100

Value wise: (31.03.2014)

Shareholding Nominal Value (₹)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	135062	93.12	16121308	3.49
5001 to 10000	7243	4.99	5916253	1.28
10001 to 20000	1437	0.99	2137234	0.46
20001 to 30000	365	0.25	926997	0.20
30001 to 40000	139	0.10	490257	0.11
40001 to 50000	151	0.10	682675	0.15
50001 to 100000	232	0.16	1688923	0.37
100001 and above	412	0.29	433295190	93.94
TOTAL	145041	100	461258837	100

शेयरों का विभौतिकीकरण और नकदी:

बैंक के शेयरों का खरीद-फरोख्त अनिवार्यतया विभौतिकीकृत रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के विभौतिकीकरण के लिए बैंक मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरीस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ करार में प्रविष्ट हुआ। बैंक शेयर के लिए आर्बिट्रि आईएसआईएन आईएनई.476ए01014 है। शेयरों का विभौतिकीकरण उनका आसान नकदीकरण सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों का विभौतिक रूप में ही खरीद फरोख्त होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी के पास विभौतिक खाता खोलकर शेयरों के विभौतिक रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को भेजना है जो उन्हें आगे मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो बैंक का रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट है।

विभौतिकीकृत / भौतिक रूप से धारण (31.03.2014)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	28505	19.65	6592522	1.43
इलेक्ट्रॉनिक-एनएसडीएल	87787	60.53	128996671	27.97
इलेक्ट्रॉनिक-सीडीएसएल	28749	19.82	325669644	70.60
कुल	145041	100	461258837	100

जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखते बकाया नहीं हैं।

पत्राचार का पता

केनरा बैंक
सचिवीय प्रभाग
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का सचिवालय
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बैंगलूर - 560 002
ई-मेल पता: hosecretarial@canarabank.com

Dematerialisation of shares and liquidity:

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with M/s National Securities Depository Limited (NSDL) and M/s Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2014)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	28505	19.65	6592522	1.43
Electronic-NSDL	87787	60.53	128996671	27.97
Electronic-CDSL	28749	19.82	325669644	70.60
TOTAL	145041	100	461258837	100

There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.

Address for Correspondence

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
C & MD'S SECRETARIAT
HEAD OFFICE, 112 J C ROAD
BANGALORE - 560 002
EMAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल का सम्मिश्रण (31.03.2014)

क्र सं	नाम	प्रकार	कार्यकाल	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री राजीव किशोर दुबे	अ. व प्र.नि.	11.01.2013-30.09.2014	6
2.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	का नि	28.07.2011-31.10.2014	शून्य
3.	श्री वी एस कृष्ण कुमार	का नि	04.04.2013- 30.04.2015	6
4.	श्री प्रद्युमन सिंह रावत	का नि	05.08.2013- 31.05.2016	1
5.	डॉ. रजत भार्गव	भा स	26.07.2013 को नामित	शून्य
6.	श्रीमती मीना हेमचंद्रा	भा रि बै	13.10.2011 को नामित	शून्य
7.	श्री जी वी सांबाशिवराव	काम नि	21.10.2011- 20.10.2014	शून्य
8.	श्री जी वी मणिमारन	अ नि	03.01.2014-02.01.2017	शून्य
9.	श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा	गैर का नि	06.12.2013-05.12.2016	1
10.	श्री सुतानु सिन्हा	गैर का नि	17.10.2011-16.10.2014	शून्य
11.	श्री साईराम बी. मोचरला	गैर का नि	05.12.2013-04.12.2016	4
12.	श्री रजिन्दर कुमार गोयल	शे नि	27.07.2013-26.07.2016	8
13.	श्री संजय जैन	शे नि	27.07.2013-26.07.2016	1 (साझेदार)

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2014)

Sl No.	NAME	TYPE	TERM OF OFFICE	MEMBERSHIP OF OTHER BOARDS
1.	SHRI R K DUBEY	C&MD	11.01.2013– 30.09.2014	6
2.	SHRI ASHOK KUMAR GUPTA	ED	28.07.2011-31.10.2014	Nil
3.	SHRI V S KRISHNA KUMAR	ED	04.04.2013-30.04.2015	6
4.	SHRI PRADYUMAN SINGH RAWAT	ED	05.08.2013-31.05.2016	1
5.	Dr. RAJAT BHARGAVA	GOI	Nominated on 26.07.2013	Nil
6.	SMT MEENA HEMCHANDRA	RBI	Nominated on 13.10.2011	Nil
7.	SHRI G V SAMBASIVA RAO	WD	21.10.2011-20.10.2014	Nil
8.	SHRI G V MANIMARAN	OD	03.01.2014-02.01.2017	Nil
9.	SHRI SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA	NED - CA	06.12.2013-05.12.2016	1
10.	SHRI SUTANU SINHA	NED	17.10.2011-16.10.2014	Nil
11.	SHRI SAIRAM B. MOCHERLA	NED	05.12.2013-04.12.2016	4
12.	SHRI RAJINDER KUMAR GOEL	SD	27.07.2013-26.07.2016	8
13.	SHRI SANJAY JAIN	SD	27.07.2013 -26.07.2016	1 (Partner)

ii. 2013-14 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का ब्यौरा

1.	श्रीमती अर्चना एस भार्गव	का नि	01.04.2011-22.04.2013	ला.न.
2.	श्री खालिद लुकमैन बिलग्रामी	गैर का नि	22.06.2010-21.06.2013	ला.न.
3.	श्रीमती सुधा कृष्णन	भा स	16.11.2012-25.07.2013	ला.न.
4.	श्री पी वी मय्या	शे नि	27.07.2010-26.07.2013	ला.न.
5.	श्री सुनील गुप्ता	शे नि	27.07.2010-26.07.2013	ला.न.
6.	श्री जी वी मणिमरान	अ नि	14.12.2010-13.12.2013	ला.न.
7.	श्री ब्रिज मोहन शर्मा	शे नि	27.07.2013-31.12.2013	ला.न.

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2013-2014

1.	SMT ARCHANA S BHARGAVA	ED	01.04.2011-22.04.2013	N.A.
2.	SHRI KHALID LUQMAN BILGRAMI	NED	22.06.2010-21.06.2013	N.A.
3.	SMT SUDHA KRISHNAN	GOI	16.11.2012-25.07.2013	N.A.
4.	SHRI P V MAIYA	SD	27.07.2010-26.07.2013	N.A.
5.	SHRI SUNIL GUPTA	SD	27.07.2010-26.07.2013	N.A.
6.	SHRI G V MANIMARAN	OD	14.12.2010-13.12.2013	N.A.
7.	SHRI BRIJ MOHAN SHARMA	SD	27.07.2013-31.12.2013	N.A.

संकेत / KEY

अ व प्र नि / C&MD	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / Chairman & Managing Director
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार निदेशक / Government of India
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक / Reserve Bank of India
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर कानि / NED	गैर-कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable

iii. बोर्ड की समितियों का सम्मिश्रण / iii. COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष/ CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री राजीव किशोर दुबे Shri R K Dubey	श्री अशोक कुमार गुप्ता / Shri Ashok Kumar Gupta श्री वी एस कृष्णकुमार / Shri V S Krishna Kumar श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्रीमती मीना हेमचंद्रा / Smt Meena Hemchandra श्री जी वी मणिमारन / Shri G V Manimaran श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा / Shri Sunil Hukumchand Kocheta श्री साईराम बी. मोचरला / Shri Sairam B. Mocherla श्री रजिन्दर कुमार गोयल / Shri Rajinder Kumar Goel
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री राजीव किशोर दुबे Shri R K Dubey	श्री अशोक कुमार गुप्ता / Shri Ashok Kumar Gupta श्री वी एस कृष्णकुमार / Shri V S Krishna Kumar श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री जी वी मणिमारन / Shri G V Manimaran श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा / Shri Sunil Hukumchand Kocheta श्री रजिन्दर कुमार गोयल / Shri Rajinder Kumar Goel
लेखापरीक्षा समिति Audit Committee	श्री सुतानु सिन्हा Shri Sutanu Sinha	श्री अशोक कुमार गुप्ता / Shri Ashok Kumar Gupta श्री वी एस कृष्णकुमार / Shri V S Krishna Kumar श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat डॉ. रजत भार्गव / Dr. Rajat Bhargava श्रीमती मीना हेमचंद्रा / Smt Meena Hemchandra श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा / Shri Sunil Hukumchand Kocheta
शेयरधारकों / निवेशकों के शिकायत समिति Shareholders'/Investors' Grievances Committee	श्री रजिन्दर कुमार गोयल Shri Rajinder Kumar Goel	श्री अशोक कुमार गुप्ता / Shri Ashok Kumar Gupta श्री वी एस कृष्णकुमार / Shri V S Krishna Kumar श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री संजय जैन / Shri Sanjay Jain
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	डॉ. रजत भार्गव Dr. Rajat Bhargava	श्रीमती मीना हेमचंद्रा / Smt Meena Hemchandra श्री सुतानु सिन्हा / Shri Sutanu Sinha

परिशिष्ट ख

निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा

क्र.सं.	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आई.जी.सी. बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	धारित शेयरों की संख्या
		उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित		
1.	श्री आर के दुबे	16/16	24/24	--	--	6/6	✓	शून्य
2.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	11/16	19/24	9/11	2/2	4/6	✓	शून्य
3.	श्री वी एस कृष्णकुमार	15/16	22/24	10/11	2/2	6/6	✓	10
4.	श्री प्रद्युमन सिंह रावत	9/10	13/16	7/7	2/2	3/4	ला न	शून्य
5.	डॉ. रजत भार्गव	6/11	--	3/8	--	--	ला न	शून्य
6.	श्रीमती मीना हेमचंद्रा	12/16	14/24	9/11	--	--	X	शून्य
7.	श्री जी वी सांबशिवराव	15/16	8/11	--	--	2/2	✓	शून्य
8.	श्री जी वी मणिमार्न (*)	15/15	2/2	--	1/1	2/2	✓	50
9.	श्री सुनील हक्मचंद कोचेटा	5/5	9/9	4/5	--	2/2	ला न	शून्य
10.	श्री सुतानु सिन्हा	15/16	10/11	11/11	--	4/4	✓	शून्य
11.	श्री साईराम बी. मोचरला	5/5	4/4	--	--	--	ला न	शून्य
12.	श्री रजिन्दर कुमार गोयल	10/11	5/5	--	2/2	3/3	ला न	100
13.	श्री संजय जैन	10/11	12/12	--	1/1	--	ला न	200

*कार्यकाल दिनांक 13.12.2013 को समाप्त हो गया तथा दिनांक 03.01.2014 को पुनः नियुक्त किया गया

वर्ष 2013-2014 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा

1.	श्रीमती अर्चना एस भार्गव	--	1/1	--	--	--	--	130
2.	श्रीमती सुधा कृष्णन	3/5	--	2/3	--	--	X	शून्य
3.	श्री जी वी मणिमार्न (*)	15/15	2/2	--	1/1	2/2	✓	50
4.	श्री खालिद लुकमैन बिलग्रामी	4/4	5/5	3/3	--	--	--	200
5.	श्री पी वी मय्या	4/5	6/8	--	--	--	✓	200
6.	श्री सुनील गुप्ता	5/5	7/8	--	--	2/2	X	500
7.	श्री ब्रिज मोहन शर्मा	7/7	9/10	--	--	1/1	ला न	100

*कार्यकाल दिनांक 13.12.2013 को समाप्त हो गया तथा दिनांक 03.01.2014 को पुनः नियुक्त किया गया

विभिन्न बैठकों की तारीख								
	29.04.13	17.04.13	02.05.13	21.10.13	25.05.13	22.07.13	30.12.13	
	02.05.13	06.05.13	29.05.13	24.03.14	24.06.13			
	25.05.13	18.05.13	14.06.13		23.09.13			
	29.05.13	29.05.13	03.08.13		20.01.14			
	24.06.13	11.06.13	10.09.13		15.03.14			
	03.08.13	24.06.13	12.11.13					
	24.08.13	09.07.13	19.12.13					
	23.09.13	22.07.13	31.01.14					
	21.10.13	08.08.13	20.02.14					
	12.11.13	19.08.13	05.03.14					
	19.11.13	05.09.13	21.03.14					
	20.12.13	23.09.13						
	20.01.14	15.10.13						
	31.01.14	12.11.13						
	24.02.14	26.11.13						
	24.03.14	12.12.13						
		20.12.13						
		27.12.13						
		20.01.14						
		31.01.14						
		14.02.14						
		24.02.14						
		15.03.14						
		24.03.14						

कुंजी: एस आई जी सी: शेयरधारक / निवेशक परिवार समिति की बैठक

ला न: लागू नहीं

Appendix B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SIGC MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held		
1.	SHRI R K DUBEY	16/16	24/24	--	--	6/6	✓	Nil
2.	SHRI ASHOK KUMAR GUPTA	11/16	19/24	9/11	2/2	4/6	✓	Nil
3.	SHRI V S KRISHNA KUMAR	15/16	22/24	10/11	2/2	6/6	✓	10
4.	SHRI PRADYUMAN SINGH RAWAT	9/10	13/16	7/7	2/2	3/4	NA	Nil
5.	Dr. RAJAT BHARGAVA	6/11	--	3/8	--	--	NA	Nil
6.	SMT MEENA HEMCHANDRA	12/16	14/24	9/11	--	--	X	Nil
7.	SHRI G V SAMBASIVA RAO	15/16	8/11	--	--	2/2	✓	Nil
8.	SHRI G V MANIMARAN (*)	15/15	2/2	--	1/1	2/2	✓	50
9.	SHRI SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA	5/5	9/9	4/5	--	2/2	NA	Nil
10.	SHRI SUTANU SINHA	15/16	10/11	11/11	--	4/4	✓	Nil
11.	SHRI SAIRAM B. MOCHERLA	5/5	4/4	--	--	--	NA	Nil
12.	SHRI RAJINDER KUMAR GOEL	10/11	5/5	--	2/2	3/3	NA	100
13.	SHRI SANJAY JAIN	10/11	12/12	--	1/1	--	NA	200

*Tenure ended on 13.12.2013 and Re-appointed on 03.01.2014

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2013-2014

1.	SMT ARCHANA S BHARGAVA	--	1/1	--	--	--	--	130
2.	SMT SUDHA KRISHNAN	3/5	--	2/3	--	--	X	Nil
3.	SHRI G V MANIMARAN (*)	15/15	2/2	--	1/1	2/2	✓	50
4.	SHRI KHALID LUQMAN BILGRAMI	4/4	5/5	3/3	--	--	--	200
5.	SHRI P V MAIYA	4/5	6/8	--	--	--	✓	200
6.	SHRI SUNIL GUPTA	5/5	7/8	--	--	2/2	X	500
7.	SHRI BRIJ MOHAN SHARMA	7/7	9/10	--	--	1/1	NA	100

*Tenure ended on 13.12.2013 and Re-appointed on 03.01.2014

DATES OF VARIOUS MEETINGS								
	29.04.13	17.04.13	02.05.13	21.10.13	25.05.13	22.07.13	30.12.13	
	02.05.13	06.05.13	29.05.13	24.03.14	24.06.13			
	25.05.13	18.05.13	14.06.13		23.09.13			
	29.05.13	29.05.13	03.08.13		20.01.14			
	24.06.13	11.06.13	10.09.13		15.03.14			
	03.08.13	24.06.13	12.11.13					
	24.08.13	09.07.13	19.12.13					
	23.09.13	22.07.13	31.01.14					
	21.10.13	08.08.13	20.02.14					
	12.11.13	19.08.13	05.03.14					
	19.11.13	05.09.13	21.03.14					
	20.12.13	23.09.13						
	20.01.14	15.10.13						
	31.01.14	12.11.13						
	24.02.14	26.11.13						
	24.03.14	12.12.13						
		20.12.13						
		27.12.13						
		20.01.14						
		31.01.14						
		14.02.14						
		24.02.14						
		15.03.14						
		24.03.14						

KEY: SIGC: Shareholders' / Investors' Grievances Committee Meeting.

NA: Not Applicable

परिशिष्ट ग

वर्ष 2013-14 के लिए निदेशकों को प्रदत्त उपस्थिति शुल्क

क्र सं	निदेशक का नाम	प्रदत्त उपस्थिति शुल्क (₹)
1	श्री जी वी सांबशिव राव	2,40,000
2	श्री जी वी मणिमारन	2,15,000
3	श्री खालिद लुखमैन बिलग्रामी	80,000
4	श्री पी वी मय्या	70,000
5	श्री सुनील गुप्ता	1,05,000
6	श्री ब्रिज मोहन शर्मा	1,20,000
7	श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा	1,20,000
8	श्री सुतानु सिन्हा	3,25,000
9	श्री साईराम बी. मोचरला	80,000
10	श्री रजिन्दर कुमार गोयल	1,75,000
11	श्री संजय जैन	1,75,000

Appendix C


SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2013-14

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	Shri G.V.Sambashiva Rao	2,40,000
2	Shri G.V.Manimaran	2,15,000
3	Shri Khalid Luqman Bilgrami	80,000
4	Shri P.V.Maiya	70,000
5	Shri Sunil Gupta	1,05,000
6	Shri Brij Mohan Sharma	1,20,000
7	Shri Sunil Hukumchand Kocheta	1,20,000
8	Shri Sutanu Sinha	3,25,000
9	Shri Sairam B. Mocherla	80,000
10	Shri Rajinder Kumar Goel	1,75,000
11	Shri Sanjay Jain	1,75,000

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की घोषणा

बैंक के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों ने 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 04 जून, 2014



अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

DECLARATION BY C & MD

The **Board of Directors** and the **Senior Management Personnel** of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended **31.03.2014**.

Place : Bangalore

Date : 4th June, 2014



Chairman & Managing Director

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।

हम घोषित करते हैं कि शेयरधारकों व निवेशक शिकायत निवारण समिति द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभाविता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते फोर्ड, रोड्स, पार्क्स एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए डी शेनॉय
साझेदार

एम. नं. 11549

एफ आर एन नं. 102860डब्ल्यू

बंगलूर

01.05.2014

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March, 2014 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders and Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Ford, Rhodes, Parks & Co.,
Chartered Accountants

CA A.D.SHENROY
Partner

M.No.11549

FRN No.102860W

Bangalore

01.05.2014



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरण

2013-2014



**BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK**

2013-2014

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- हमने यथा 31 मार्च 2014 को केनरा बैंक के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च 2014 का तुलन पत्र तब समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टीकरण जानकारी (लेखा संबंधी टिप्पणियाँ) शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2081 शाखाओं और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखायें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं। इसमें लेखा परीक्षा नहीं की गई 2649 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की हैं। लेखा परीक्षा नहीं की गई शाखायें 5.76% अग्रिम, 17.30% जमा, 3.53% ब्याज आय और 14.75% ब्याज गठित करती हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व

- बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन तंत्र उत्तरदाई है। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप-सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं।
- लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियायें अपनाता होता है। चुनी गई प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखा-धड़ी के कारण हो या त्रुटि के वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम

Independent Auditors' Report

To

The President of India

Report on Financial Statements

- We have audited the accompanying financial statements of Canara Bank as at March 31, 2014, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (Notes to Accounts). Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 2081 branches audited by branch auditors and 4 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2649 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.76 percent of advances, 17.30 percent of deposits, 3.53 percent of interest income and 14.75 percent of interest expenses.

Management's responsibility for the Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the requirements of Reserve Bank of India, Banking Regulation Act, 1949 and applicable Accounting Standards. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the

भी रहता है। इन जोखिमों का जायजा लेने में परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियायें आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्त विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

5. लेखा परीक्षा पर हमारा विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो साक्ष्य एकत्रित किया है वह पर्याप्त और समुचित है – यह हमारा विश्वास है।

हमारा विचार

6. हमारा विचार है, जैसे बैंक बहियों में दिखाई देता है और हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :-
 - (i) लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरण सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार यथा 31 मार्च 2014 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सका;
 - (ii) लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार लाभ का सही संतुलन दर्शाता है।
 - (iii) नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाता है।

ध्यान देने योग्य बातें

हम निम्नलिखितों की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं :-

- क. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी सं.बीपी. बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के अनुसार बैंक ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधियों पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) सृजित करने के संबंध में हुए व्यय से संबंधित वित्तीय विवरणियों की नोट संख्या 6.4।
- ख. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 09 फरवरी, 2011 में दिए गए अनुमति के अनुसार वर्ष के दौरान पेंशन व उपदान के परिशोधन के पहचान व समायोजन के संबंध में जानकारी प्रदान करनेवाली वित्तीय विवरणियों की नोट संख्या 6.15
- ग. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने पत्र दिनांक 03 जनवरी, 2014 में अनुमतानुसार एफ आई टी एल के गत अवधि के संबंध

Bank's preparation and presentation of the financial statements that gives a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing opinion on the effectiveness on the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - (i) the Balance Sheet, read with the Notes to Accounts thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - (ii) the Profit and Loss Account, read with the Notes to Accounts thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We draw attention to:

- a. Note 6.4 to the financial statements, which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 as at March 31, 2013, pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No. BP. BC. 77 / 21.04.018 / 2013-14 dated December 20, 2013.
- b. Note 6.15 to the financial statements, which provides details with regard to the identification and adjustment during the year of amortization of pension and gratuity liability as permitted by Reserve Bank of India vide their circular dated February 9, 2011.
- c. Note 6.19 to the financial statements, which provides details with regard to the spreading

में फुटकर देयता (ब्याज पूँजीकरण) के कीमत-लागत अंतर के सृजन के संबंध में जानकारी प्रदान करनेवाली वित्तीय विवरणियों की नोट संख्या 6.19

उक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाएँ

- तुलन पत्र और क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 'क' व 'ख' में तैयार किये गये हैं।
- उपर्युक्त 1 से 5 तक के परिच्छेदों में सूचित लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों के अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा अपेक्षित अनुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के अधीन भी हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमने अपने लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के मुताबिक अपने लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - बैंक के संव्यवहार जो हमारी जानकारी में आये हैं, उसके अधिकारों के अंतर्गत ही है।
 - हमारी लेखा परीक्षा के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ पर्याप्त पाई गई हैं।
- तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण प्रचलित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं - यह हमारा विचार है।

the creation of Sundry Liability (Interest Capitalisation) on account of past period FITL as permitted by Reserve Bank of India vide their letter dated January 3, 2014.

Our opinion is not qualified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या. 000172डब्ल्यू

(हृदयेश एन. पंखानिया)

साझेदार

सदस्यता संख्या. 138932

कृते ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या. 306109ई

(श्यामल कुमार नायक)

साझेदार

सदस्यता संख्या. 051353

कृते विनय कुमार एण्ड कं

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या. .000719सी

(निखिल सिंघल)

साझेदार

सदस्यता संख्या. 079557

कृते पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या. 004957एन

(प्रदीप कुमार चोपड़ा)

साझेदार

सदस्यता संख्या. 082598

कृते एस सी वासुदेव एण्ड कं

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या. 000235एन

(संजय वासुदेव)

साझेदार

सदस्यता संख्या. 090989

कृते फोर्ड, रोड्स पार्क्स एण्ड कं

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या. 102860डब्ल्यू

(ए डी शेनॉय)

साझेदार

सदस्यता संख्या. 011549

For Loonker & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000172W

(Hrudayesh N. Pankhania)

Partner

Membership No. 138932

For A.R. Das & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 306109E

(Syamal Kumar Nayak)

Partner

Membership No. 051353

For Vinay Kumar & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.000719C

(Nikhil Singhal)

Partner

Membership No. 079557

For P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004957N

(Pradeep Kumar Chopra)

Partner

Membership No. 082598

For S. C. Vasudeva & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.000235N

(Sanjay Vasudeva)

Partner

Membership No.090989

For Ford Rhodes Parks & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 102860W

(A.D. Shenoy)

Partner

Membership No. 011549

बैंगलूर

05 मई, 2014

Bangalore
May 05, 2014

यथा 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / CAPITAL	1	461 25 88	443 00 00
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	29158 85 44	24434 78 89
जमा / DEPOSITS	3	420722 81 82	355855 99 13
उधार / BORROWINGS	4	27230 63 66	20283 37 38
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	14348 28 63	11325 45 46
जोड़ / TOTAL		491921 85 43	412342 60 86
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	22153 78 08	15405 93 03
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	22674 92 99	19308 77 23
निवेश / INVESTMENTS	8	126828 25 50	121132 83 03
अग्रिम / ADVANCES	9	301067 47 88	242176 62 46
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	6641 56 23	2862 71 84
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	12555 84 75	11455 73 27
जोड़ / TOTAL		491921 85 43	412342 60 86
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	223051 44 98	249707 54 69
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		16268 91 63	13997 78 94
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक
वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

एम चंद्र शेखर
सहायक महा प्रबंधक
अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक
राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक
डॉ. रजत भार्गव
निदेशक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक
जी वी सांबाशिव राव
निदेशक

जी वी मणिमार्न
निदेशक

सुनील हक्मचंद कोचेटा
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
लुकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार
हवेश पंखानिया
साझेदार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार
प्रदीप कुमार चोपड़ा
साझेदार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
श्यामल कुमार नायक
साझेदार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं
सनदी लेखाकार
संजय वासुदेव
साझेदार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार
निखिल सिंघल
साझेदार

कृते
फोर्ड, रोड्स पावर्स एण्ड कं
सनदी लेखाकार
ए डी शेणॉय
साझेदार

बेंगलूर
05 मई, 2014

यथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2014 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2013 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	39547 61 18	34077 93 50
अन्य आय / OTHER INCOME	14	3932 75 62	3153 00 78
जोड़ / TOTAL		43480 36 80	37230 94 28
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	30603 16 54	26198 94 33
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	6081 01 03	5141 98 99
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		4357 99 77	3017 90 67
जोड़ / TOTAL		41042 17 34	34358 83 99
III. वर्ष का निवल लाभ / III. NET PROFIT FOR THE YEAR		2438 19 46	2872 10 29
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVES		650 00 00	720 00 00
पूंजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVES		87 50 00	43 06 84
निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		-	205 00 00
राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		1107 07 99	530 03 45
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE		-	700 00 00
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND		299 81 95	-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		207 56 52	576 00 00
लाभांश कर वितरण / DIVIDEND DISTRIBUTION TAX		86 23 00	98 00 00
जोड़ / TOTAL		2438 19 46	2872 10 29
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		54. 48	64. 83

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

M CHANDRA SEKHAR
ASSISTANT GENERAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

V S KRISHNA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK KUMAR GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

R K DUBEY
CHAIRMAN AND MANAGING
DIRECTOR

Dr. RAJAT BHARGAVA
DIRECTOR

G V SAMBASIVA RAO
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND
KOCHETA
DIRECTOR

SUTANU SINHA
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
FORD RHODES PARKS & Co.
Chartered Accountants

HRUDYESH N PANKHANIA
Partner

PRADEEP KUMAR CHOPRA
Partner

SYAMAL KUMAR NAYAK
Partner

SANJAY VASUDEVA
Partner

NIKHIL SINGHAL
Partner

A D SHENOY
Partner

BANGALORE
MAY 05, 2014

यथा 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL (प्रति शेयर ₹10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर / (300,00,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 31,82,58,837 ईक्विटी शेयर। पिछले वर्ष ₹10/- के 30,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
i) 31,82,58,837 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH. PREVIOUS YEAR 30,00,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH HELD BY CENTRAL GOVERNMENT	318 25 88	300 00 00
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 14,30,00,000 ईक्विटी शेयर		
ii) 14,30,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH HELD BY OTHERS	143 00 00	143 00 00
	461 25 88	443 00 00
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE (बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (RESERVE FUND IN TERMS OF SECTION 17 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949)		
अथशेष / OPENING BALANCE	6653 00 00	5933 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	650 00 00	720 00 00
जोड़ / TOTAL	7303 00 00	6653 00 00
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ / a. REVALUATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	2033 24 03	2065 13 95
जोड़ें: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / ADD : REVALUATION DURING THE YEAR	3569 47 57	--
	5602 71 60	2065 13 95
घटायें: लाभ व हानि खाते को अंतरण / समायोजन LESS : ADJUSTMENTS / TRANSFER TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	104 46 27	31 89 92
जोड़ / TOTAL	5498 25 33	2033 24 03
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियाँ / b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	99 29 84	77 66 88
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	122 38 14	21 62 96
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	--	--
जोड़ / TOTAL	221 67 98	99 29 84
ग. अन्य / c. OTHERS		
अथशेष / OPENING BALANCE	1268 77 07	1225 70 23
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	87 50 00	43 06 84
जोड़ / TOTAL	1356 27 07	1268 77 07

यथा 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM :		
अथशेष / OPENING BALANCE	2235 20 00	2235 20 00
वर्ष के दौरान प्राप्त / RECEIVED DURING THE YEAR	481 74 12	--
जोड़ / TOTAL	2716 94 12	2235 20 00
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क राजस्व आरक्षित निधियाँ / a. REVENUE RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	8440 27 95	7910 24 50
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	1107 07 99	530 03 45
	9547 35 94	8440 27 95
घटाये: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	1189 65 00	--
जोड़ / TOTAL	8357 70 94	8440 27 95
ख विशेष आरक्षित निधियाँ / b. SPECIAL RESERVE {आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (VIII) के अनुसार} {IN TERMS OF SECTION 36 (1)(VIII) OF THE INCOME TAX ACT, 1961}		
अथशेष / OPENING BALANCE	3500 00 00	2800 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ ADDITIONS DURING THE YEAR	--	700 00 00
जोड़ / TOTAL	3500 00 00	3500 00 00
ग निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
अथशेष / OPENING BALANCE	205 00 00	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ ADDITIONS DURING THE YEAR	-	205 00 00
	205 00 00	205 00 00
घटाये: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	--	--
जोड़ / TOTAL	205 00 00	205 00 00
जोड़ / TOTAL	29158 85 44	24434 78 89

यथा 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंकों से / FROM BANKS	888 36 61	235 93 87
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	16855 42 27	14657 21 00
जोड़ / Total	17743 78 88	14893 14 87
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	85535 60 57	71168 18 72
जोड़ / Total	85535 60 57	71168 18 72
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंकों से / FROM BANKS	19060 88 04	12104 88 42
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	298382 54 33	257689 77 12
जोड़ / Total	317443 42 37	269794 65 54
जोड़ / Total	420722 81 82	355855 99 13
B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	398852 91 65	342106 93 24
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	21869 90 17	13749 05 89
जोड़ / Total	420722 81 82	355855 99 13
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	--	--
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	--	--
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	5128 71 54	3526 13 29
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	9778 10 00	7353 55 00
जोड़ / Total	14906 81 54	10879 68 29
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	10825 93 82	8046 53 27
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण) (SUB-ORDINATED DEBT)	1497 88 30	1357 15 82
जोड़ / Total	12323 82 12	9403 69 09
जोड़ / Total	27230 63 66	20283 37 38

यथा 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1174 10 14	1057 20 00
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	218 47 77	42 85 26
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	1471 13 36	1152 83 78
IV. आस्थगित कर देयताएं / IV. DEFERRED TAX LIABILITY	1760 50 00	326 97 00
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	9724 07 36	8745 59 42
जोड़ / TOTAL	14348 28 63	11325 45 46
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / I. CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	1140 51 29	1128 79 19
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	21013 26 79	14277 13 84
अन्य खाते में / IN OTHER ACCOUNTS	-	-
जोड़ / TOTAL	21013 26 79	14277 13 84
जोड़ / TOTAL	22153 78 08	15405 93 03
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन / SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / I. IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	163 07 73	1592 43 73
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
जोड़ / TOTAL	163 07 73	1592 43 73
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	-	860 00 00
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	-	4307 62 91
जोड़ / TOTAL	-	5167 62 91
जोड़ / TOTAL	163 07 73	6760 06 64
II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	5406 24 25	4467 17 58
ii. अन्य जमा खातों में / ii. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	15104 44 91	7288 96 91
iii. माँग और अल्प सूचना पर धन / iii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	2001 16 10	792 56 10
जोड़ / TOTAL	22511 85 26	12548 70 59
जोड़ / TOTAL	22674 92 99	19308 77 23

यथा 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल		
I. INVESTMENTS IN INDIA: GROSS	1267796535	120666 58 84
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	8058571	121 92 61
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	1259737964	120544 66 23
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /		
i. GOVERNMENT SECURITIES	1075928259	101991 77 45
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ /		
ii. OTHER APPROVED SECURITIES	14987	1 49 87
iii. शेयर /		
iii. SHARES	15491409	1557 76 73
iv. डिबेंचर और बाण्ड /		
iv. DEBENTURES AND BONDS	84079482	3375 58 34
v. अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम /		
v. SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	6659972	672 97 36
vi. अन्य /		
vi. OTHERS	77563855	12945 06 48
जोड़ / Total	1259737964	120544 66 23
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	852421228	726991465
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	405748013	471048148
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	1568723	7407010
जोड़ / Total	1259737964	1205446623
II. भारत के बाहर निवेश- सकल /		
INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	8965168	683 95 49
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान /		
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION	420582	95 78 69
भारत के बाहर निवल निवेश /		
NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	8544586	588 16 80
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) /		
INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	--	--
ii. अनुषंगियाँ और/ या संयुक्त उद्यम /		
SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	732211	36 57 20
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS	7812375	551 59 60
जोड़ / Total	8544586	588 16 80
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	777934	75 37 36
बिक्री के उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	7766652	512 79 44
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	--	--
जोड़ / Total	8544586	588 16 80
जोड़ / Total	126828 25 50	121132 83 03

यथा 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	10172 54 20	7054 16 53
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	117083 79 43	95656 00 61
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	173811 14 25	139466 45 32
जोड़ / Total	301067 47 88	242176 62 46
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	242130 83 43	191224 74 05
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	9933 90 69	8793 07 00
iii. अप्रतिभूत / iii. UNSECURED	49002 73 76	42158 81 41
जोड़ / Total	301067 47 88	242176 62 46
ग. I. भारत में अग्रिम / C. I. ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	96652 16 40	82048 77 57
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	31777 93 93	29096 02 86
iii. बैंक / iii. BANKS	37 75 12	14 75 78
iv. अन्य / iv. OTHERS	153375 62 85	115980 50 16
जोड़ / Total	281843 48 30	227140 06 37
II. भारत से बाहर अग्रिम / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA (कारण अन्य की तुलना में बैंकों से) (DUE FROM OTHER THAN BANKS)		
i. बैंकों से देय / i. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	1507 34 83	271 40 13
ii. अन्यो से देय / ii. TERM / SYNDICATED LOANS	8444 87 26	5087 97 80
iii. अन्य / c. OTHERS	9271 77 49	9677 18 16
जोड़ / Total	19223 99 58	15036 56 09
जोड़ / Total	301067 47 88	242176 62 46

यथा 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 10- अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / I. PREMISES		
लागत पर / तथा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	2919 01 71	2901 28 96
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	104 68 51	17 83 43
	3023 70 22	2919 12 39
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	3569 47 57	--
	6593 17 79	2919 12 39
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	182 80	10 68
	6591 34 99	2919 01 71
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	594 69 99	481 72 74
	5996 65 00	2437 28 97
II. अन्य अचल आस्तियाँ / II. OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित / INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	1996 36 77	1875 94 35
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	442 46 81	211 47 97
	2438 83 58	2087 42 32
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	53 01 91	91 05 55
	2385 81 67	1996 36 77
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	1743 09 44	1573 12 90
	642 72 23	423 23 87
III. पट्टागत आस्तियाँ / III. LEASED ASSETS		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	81 14 04	81 14 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	--	--
	81 14 04	81 14 04
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	5 87 20	--
	75 26 84	81 14 04
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	69 76 11	74 28 49
	5 50 73	6 85 55
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	3 31 73	4 66 55
	2 19 00	2 19 00
जोड़ (I, II और III) / Total (I, II and III)	6641 56 23	2862 71 84

यथा 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / I. INTEREST ACCRUED	4153 25 62	3341 94 25
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल)/ II. TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	4038 94 36	2424 26 89
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / III. STATIONERY AND STAMPS	1168 35	6 63 80
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ / IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	33 09	33 09
V. अन्य / V. OTHERS	4351 63 33	5682 55 24
जोड़ / TOTAL	12555 84 75	11455 73 27
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	80 15 15 49	4737 86 41
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं / LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	25 36 00	--
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं / LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	158715 01 00	196249 12 20
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ / GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	35822 84 52	23457 79 30
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	44 98 42	39 40 68
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं / ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	35867 82 94	23497 19 98
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	19813 70 43	24657 21 61
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल / a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	--	--
ख. अन्य / b. OTHERS	614 39 12	566 14 49
जोड़ / TOTAL	223051 44 98	249707 54 69

यथा 31 मार्च, 2014 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / कटौती / I. INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS	28457 32 65	24379 90 78
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS	10251 07 96	9112 42 43
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	730 81 88	585 22 53
IV. अन्य / IV. OTHERS	108 38 69	37 76
जोड़ / TOTAL	39547 61 18	34077 93 50
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	939 83 01	798 14 42
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ II. PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS		
लाभ / PROFIT	681 51 88	682 44 38
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	17 81 76	670 05
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / III. LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS		
लाभ / PROFIT		
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	160 74 51	(160 74 51)
IV. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / IV. PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS		
लाभ / PROFIT	2 76 58	2 41 50
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	1 66 48	1 49 44
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / V. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS		
लाभ / PROFIT	669 72 92	483 05 11
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	-	18 61 94
VI. विदेश/ भारत में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय / VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES/COMPANIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD/IN INDIA	70 25 29	56 57 29
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME	1748 88 69	1172 25 36
जोड़ / TOTAL	3932 75 62	3153 00 78

यथा 31 मार्च, 2014 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS	28657 80 32	25250 27 02
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTERBANK BORROWINGS	698 14 23	163 25 71
III. अन्य (टायर I तथा टायर II बॉण्ड ब्याज सहित) / OTHERS (INCLUDING TIER I & TIER II BOND INTEREST)	1247 21 99	785 41 60
जोड़ / TOTAL	30603 16 54	26198 94 33
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / I. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	3672 38 11	3253 56 36
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING	546 80 97	466 12 18
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY	41 72 81	30 60 09
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	66 16 23	33 71 35
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	228 46 57	189 68 53
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	1 43 64	96 36
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	47 13 92	32 69 27
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES	23 46 52	23 95 32
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	46 04 39	38 02 13
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE	181 16 74	152 31 69
XI. बीमा / XI. INSURANCE	299 80 89	276 63 68
XII. अन्य व्यय / XII. OTHER EXPENDITURE	926 40 24	643 72 03
जोड़ / TOTAL	6081 01 03	5141 98 99

अनुसूची- 17

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

[1](क) लेखांकन की परंपरा:

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर सांविधिक प्रावधानों व विद्यमान प्रणालियों के अनुरूप हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरण के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दिया जाएगा।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

2.1 विदेशी मुद्रा लेन-देनों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है। यथा तुलन पत्र की तारीख को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को समापन दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है। परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11- "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में 'फेडार्ड' द्वारा घोषित अंतिम हाज़िर विनिमय दर पर किया जाता है और विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडार्ड' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

2.2 लेनदेनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर आय व व्यय मदों को हिसाब में लिया गया है।

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ADOPTED IN PREPARING FINANCIAL STATEMENTS

[1](a) Basis of Preparation:

The accounts are prepared under the historical cost convention and conform to the statutory provisions and prevailing practices, except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition at the notional rate. As at the Balance Sheet date, foreign currency monetary items are reported at closing rates.

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on quarterly basis. Assets and Liabilities (both monetary and non monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 - "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard. The resultant exchange gain/loss is credited/debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.2 Income and Expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions.

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं:

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या डिस्काउंट को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रहकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, रहकरण तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन अंतिम फेडरॉई दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] निवेश

3.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित' जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में श्रेयों का अंतरण, यदि कोई है तो ऐसा अंतरण, अति कम अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / उस दिन के बाजार मूल्य पर किया जाता है और वैसे अंतरण के लिए मूल्यहास का, यदि हो, संपूर्ण प्रावधान किया जाता है।

निवेशों को छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ड) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम व सहयोगियाँ और (च) अन्य

3.2 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार हैं:

क) परिपक्वता के लिए धारित

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी हास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी श्रेयों में निवेशों को लागत पर रखा जाता है।

2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit/Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of cancellation. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

2.4 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates announced by FEDAI.

[3] Investments

3.1. Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity', 'Available for sale' and 'Held for Trading', which is decided at the time of acquisition of securities. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

3.2. The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are carried at cost.

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्यन किया जाता है।

इसी श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर लाभ को पहले लाभ व हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद पूँजी प्रारक्षति लेखा निवल कर और सांविधिक प्रारक्षति में विनियोजित किया गया है। वर्ष के दौरान बेची गई प्रतिभूतियों के लिए कोई परिशोधन नहीं किया गया। विक्रय में हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत प्रत्येक प्रतिभूति बाजार के लिए अंकित है।

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को निश्चित आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पन्नी (डिरीवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वाई टी एम पद्धति के अनुसार अर्थात् समान अवधि समाप्ति वाली केन्द्र सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादों पर 25 आधार बिन्दू से अधिक अंकित करने के ज़रिए किया जाता है।

गैर एसएलआर प्रतिभूतियाँ जैसी डिबेंचरों / बांडों (अग्रिम के रूप में रहनेवाले डिबेंचरों / बांडों को छोड़कर) का मूल्यांकन, यदि उपलब्ध है तो बाजार मूल्य पर किया जाता है या एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वाई टी एम पद्धति के अनुसार अवधि समाप्ति वाली केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के उत्पादों पर साख के आधार पर अतिरिक्त आधार अंक को अंकित करने के ज़रिए किया जाता है।

अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाई टी एम दरों / मोचन मूल्य पर किया जाता है।

निर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है।

अनिर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन अद्यतन तुलनपत्र, जो कि पिछले एक वर्ष से पुराना न हो, से ज्ञात विश्लेषित मूल्य पर किया जाता है, अन्यथा शेयरों का ₹1/- प्रति कंपनी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

कोष बिलों, वाणिज्यिक कागजातों तथा जमा प्रमाणपत्रों को रखाव लगात पर मूल्यांकित किया जाता है।

म्यूचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन क्रमवार बाजार दर या पुनःखरीद मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

Profit on sale of Investments in this category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter appropriated to the Capital Reserve Account net of taxes and Statutory Reserve. No amortisation is effected for securities sold during the year. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

b) AVAILABLE FOR SALE

The individual securities under 'Available for Sale' category are marked to market.

Central Government Securities and State Government Securities are valued at market prices as per prices declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

Other approved securities are valued by applying the YTM method by marking it up by 25 basis points above the yields of Central Government securities of equivalent maturity put out by FIMMDA.

Non SLR securities such as Debentures / Bonds (other than Debentures / Bonds which are in the nature of advance) are valued at market prices, if available, and if not, are valued applying YTM method by marking it up by additional basis points based on credit rating above the yields of Central Government Securities of equivalent maturity as put out by FIMMDA and the methodology suggested by FIMMDA.

Preference Shares are valued at lower of YTM rates / redemption values.

Quoted Shares are valued at market prices.

Unquoted Shares are valued at break up value ascertained from the latest Balance Sheet not earlier than one year or otherwise at ₹1/- per Company.

Treasury Bills, Commercial Papers and certificates of deposits are valued at carrying cost.

Units of Mutual Funds are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्यन किया जाता है। संवितरण से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात इसको एफएस में अंतरित करके भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुस्सर बाज़ार के लिए अंकित किया जाता है।

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक उप वर्ग के अंतर्गत मूल्य ह्रास / मूल्य वृद्धि का एकत्रीकरण किया गया है।

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक संवर्ग के तहत निवल मूल्य वृद्धि को नकारा जाता है जबकि निवल मूल्यह्रास के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है।

ग) व्यापार हेतु धारित

प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक तौर पर बाज़ार मूल्य पर या एफ आई एम एम डी ए द्वारा घोषित मूल्य पर किया जाता है। इस वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि नकारा जाता है।

3.3 निवेश का अभिग्रहण लागत का निर्धारण

क) क्रय के समय प्रतिभूतियों के संबंध में दलाली, कमीशन आदि जैसी लागत को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

ख) अभिग्रहण / निपटान की तारीख तक ऋण प्रपत्रों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना गया है।

ग) निवेशों की लागत भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर है।

3.4 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर किया गया है और यदि कोई विक्रय / वसूली की जाती है तो निवेश में से घटाया जाता है और निवल बही मूल्य दर्शाया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर एसएलआर निवेशों में निवेश के लिए लागू मूल्य वर्गीकरण और अन्य मानक, प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश के लिए लागू किया जाता है।

3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों को (एनपीआई) नीचे उल्लिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

(क) प्रतिभूतियाँ / अधिमानी शेयर, जहाँ ब्याज / निर्धारित लाभांश / किस्त (परिपक्वता प्राप्ति) सहित देय हैं और 90 दिनों से अधिक अवधि से अप्रदत्त पड़े हैं।

Units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Securities are valued scrip wise and depreciation/appreciation under each sub category is aggregated.

Based on the above valuation, net appreciation if any, in each sub category is ignored while the net depreciation is fully provided for.

c) HELD FOR TRADING

The individual securities under Held for Trading category are valued periodically as per RBI guidelines, at market prices as available from the trades / quotes or as per prices declared by FIMMDA. In respect of each classification under this category, net depreciation is provided for and net appreciation is ignored.

3.3. In determining the acquisition cost of investment:

a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

c) Cost of investments is based on the weighted average cost method.

3.4. Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale/realisation, if any, is reduced from investment and the net book value is shown.

The valuation, classification and other norms applicable to Investment in Non SLR securities prescribed by RBI is applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

3.5. Non-Performing Investments (NPI) are identified as stated below, as per the guidelines issued by RBI:

a) Securities / Preference Shares where interest / fixed dividend / instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

(ख) जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है अथवा कंपनी का नेटवर्थ नकारात्मक है वहाँ प्रति कंपनी ₹1/- मूल्य पर इक्विटी शेयर को मूल्यांकित किया जाता है।

(ग) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से ली गई ऋण सुविधा में कोई अनर्जक अग्रिम है तो उसी जारीकर्ता द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को भी अनर्जक निवेश माना जाए।

3.6 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

क) रेपो / प्रति रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों (एलएएफ के अलावा) की पुनः खरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

ख) एलएएफ के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे / जमा किया जाता है और परिपक्वता में उसको वापस किया जाता है।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर

क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।

ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां इस प्रकार हैं

- बाज़ार के लिए अंकित की जाती है, जहां आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं।
- प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

[5] अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।

5.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।

5.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।

5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं।

5.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और भुनाए गए।

5.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन को प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता

b) Equity Shares valued at Re.1 per company, where the latest Balance Sheet is not available or the Net worth of the Company is negative.

c) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a non performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

3.6. Accounting for Repo/Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

a) The securities purchased/sold with an agreement to repurchase on the agreed terms under Repo / Reverse Repo (other than LAF) are accounted as borrowing/lending.

b) The securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment account and reversed on maturity.

[4] Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Based on RBI guidelines

a. Derivatives used for trading are marked to market and net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

b. Derivatives used for hedging are

- marked to market in case where the underlying Assets / Liabilities are marked to market.

- Income / Expenditure is accounted on accrual basis for Hedging swaps.

[5] Advances

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.

5.2 Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

5.3 Provisions for domestic advances are made for performing / non - performing advances in accordance with the RBI Guidelines.

5.4 Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per local regulations / regulations of host country according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.

5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.

5.6 Partial recoveries in Non Performing Advances are apportioned first towards charges and interest,

निपटान / कालातीत ऋणों के मूल धन के प्रति किया जाता है। वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है।

- 5.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय-निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(6) अचल परिसंपत्तियां

- 6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। भूमि और भवनों का पूँजीकरण हस्तांतरण पत्र / आबंटन पत्र / पट्टा करारनामा, दीर्घावधि पट्टेवाली संपत्तियों और / या संपत्ति के भौतिक धारण के आधार पर होता है।
- 6.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया जाएगा।

(7) मूल्यहास

- 7.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है।
- 7.2 पट्टेवाई परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टेवाई अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।
- 7.3 पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार, पूँजी वसूली को समायोजित करने के बाद मूल्यहास मूल्य पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।
- 7.4 अचल / पट्टेवाई परिसंपत्ति में संवर्धन पर मूल्यहास को अभिग्रहण तारीख की गणना किए बगैर संपूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। बिक्री / निपटान वर्ष के दौरान मूल्यहास के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements / "Loan Past Due" advances, the recoveries are first adjusted towards principal.

- 5.7 In case of financial assets sold to SC/RC, the valuation, income recognition is being done as per RBI guidelines.

(6) Fixed Assets

- 6.1. The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. Land and Buildings are capitalised based on conveyance / letters of allotment / agreement to lease, deposit made on long term leasehold properties and / or physical possession of the property.
- 6.2. Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account

(7) Depreciation

- 7.1. Fixed Assets excluding Computers are depreciated under Written Down Value Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of RBI, depreciation on Computers including ATMs is charged at 33.33% on Straight-Line Method.
- 7.2. Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.
- 7.3. Depreciation on Assets given on Lease is charged on Written Down Value Method as per Schedule XIV to the Companies Act, 1956 after adjusting Capital recovery.
- 7.4. Depreciation on additions to fixed/leased assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.

(8) आस्तियों का अपक्षयन

8.1 प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

(9) राजस्व का परिकलन

9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया, निम्नलिखित को छोड़कर, उपचित आधार पर किया जाता है :

- क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दिया गया है।
- ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया गया है।
- ग) लाभांश की गणना तब किया जाएगा जब उसको प्राप्त करने की अधिकार स्थापित किया जाता है।
- घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

(10) कर्मचारी लाभ

10.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

10.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

- क) उपदान: कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।
- ख) पेंशन: कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को

(8) Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

(9) Revenue Recognition

9.1. Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- a) Interest on Non-Performing advances and non performing investments is recognized as per norms laid down by Reserve Bank of India
- b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.
- c) Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
- d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

(10) Employee Benefits

10.1 Defined Contribution Plans

Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

10.2 Defined Benefit Plans

- a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manage their funds as per guidelines. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis as at an year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligations on a net basis.
- b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Banks obligations under Pension is recognized on the basis as at an

निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

- ग) ऋण परिशोधन: बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प देने से होनेवाली देयता / व्यय को तथा उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के पश्चात उपदान में होनेवाली संवर्धन को समान आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होनेवाली वर्ष से पाँच वर्षों के लिए परिशोधित किया गया है।

10.3 विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

(11) कराधान के लिए प्रावधान

- क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।
- ख) समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है।
- ग) विभेदक कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जायेगी जिसके प्रति ऐसी विभेदक कर आस्तियों को मान्यता दी जायेगी।

(12) निवल लाभ

12.1 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

- I. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दिया गया, जब :-
- क) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो
- ख) उस दायित्व को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह हो, और
- ग) जब दायित्व राशि के उचित परिकलन किया जा सकते हो।

year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligations on a net basis.

- c) Amortization: The additional liability/expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees of the bank and enhancement in gratuity limit pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 is being amortized equally over a period of five years beginning with the financial year 2010-11.

10.3 The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

(11) Provision for Taxation

- a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.
- b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date.
- c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be recognized.

(12) Net Profit

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- I. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants Of India, the bank recognized provision only when:
- a) it has a present obligation as a result of past event.
- b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- c) When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

II. निम्नलिखितों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया

- क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक (मूल) के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
- ख) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा
- ग) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्गमन संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

III. आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दिया गया है।

12.2 निवल लाभ

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है

- क) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- ख) कराधान के लिए प्रावधान
- ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- ड) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- च) अन्य सामान्य व अनावश्यक मदें

(13) प्रति शेयर अर्जन

बैंक, लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

II. No provision is recognized for

- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- b) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- c) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

III. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

12.2 Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after-

- a) Provision for depreciation on Investments.
- b) Provision for Taxation.
- c) Provision on loan losses
- d) Provision on Standard Assets.
- e) Provision for Non Performing Investments.
- f) Other usual & unnecessary Items.

(13) Earning per share:

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

अनुसूची 18

अनुसूची 18- लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1 निवेश:

- यथा 31.03.2014 को "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की मांग और मीयादी देयता का 21.66% था (पिछले वर्ष 21.29%), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के भीतर है।
- अनुसूची-8 में अनुषंगियों तथा / या भारत के संयुक्त उद्यमों में निवेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयरों का आर्बटन लंबित रहने के कारण शेयर पूँजी के प्रति निवेश की गई अग्रिम ₹29.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹29.40 करोड़) भी समाहित किया गया है।

2 अंतर-शाखा लेनदेन:

31.03.2014 तक अंतर-शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। बैंक प्रविष्टियों को मिलान करने तथा शेष बकाया प्रविष्टि को घटाने के अपने प्रायास को जारी रख रहा है।

3 परिसर:

- परिसर में ₹211.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹223.27 करोड़) की कुछ संपत्तियाँ शामिल हैं जिनके संदर्भ में बैंकों के पक्ष में अंतरण विलेखों का निष्पादन लंबित है।
- 31.03.2014 से पहले पूँजीकृत कुछ संपत्तियों (पूर्ण स्वामित्ववाले तथा पट्टेदारी) को वर्ष के दौरान अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। ₹3569.48 करोड़ के शुद्ध अधिशेष को वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।
- वर्तमान पुनर्मूल्यांकन के कारण पूँजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए टायर- II पूँजी को ₹1572.77 करोड़ (45%) तक बढ़ाया गया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार है।

4 भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ:

4.1 पूँजी:

(₹ करोड़ों में)

मदें	बासेल II		बासेल III	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
(i) सीआरएआर	11.14	12.40	10.63	---
(ii) सी ई टी 1 अनुपात (%)	---	---	7.41	---

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1 Investments:

- The percentage of investments under "Held to Maturity" category – SLR as on 31.03.2014 was 21.66% of Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 21.29%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.
- Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates in India in Schedule-8 includes ₹29.40 Crore (Previous year ₹29.40 Crore) being advance towards share capital in Regional Rural Banks pending allotment of shares.

2 Inter-Branch Transactions:

The initial matching of entries received at Head Office for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions upto 31.03.2014 has been done. However, Bank is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

3 Premises:

- Premises include certain properties having original cost of ₹211.35 Crore (Previous year ₹223.27 Crore) in respect of which conveyance deeds are pending execution.
- Certain properties (free hold and lease hold land and buildings) capitalized before 31st March 2013 have been revalued on the bases of valuation done by the approved valuers during the year. A sum of ₹3569.48 Crore being the net surplus on the revaluation has been credited to the Revaluation Reserve during the year.
- Tier-II capital for the purpose of computing Capital Adequacy Ratio has been increased by ₹1572.77 Crore (45%) due to the current revaluation. This is in tune with the Reserve Bank of India guidelines.

4 Disclosure as per RBI Requirements:

4.1 Capital:

(₹ In Crore)

Particulars	Basel II		Basel III	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
(i) CRAR	11.14	12.40	10.63	---
(ii) CET 1 Ratio (%)	---	---	7.41	---

(iii)	टायर I पूंजी अनुपात (%)	8.00	9.77	7.68	---
(iv)	टायर II पूंजी अनुपात (%)	3.14	2.63	2.95	---
(v)	बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत (%)	69.00	67.72	69.00	67.72
(vi)	अतिरिक्त प्राप्त टायर I पूंजी राशि	--	--	--	--
(vii)	अतिरिक्त प्राप्त टायर II पूंजी राशि; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत: अधिमानी शेयर पूंजी लिखत:	2500.00 शून्य	--	2500.00	-- शून्य

(iii)	Tier I Capital Ratio (%)	8.00	9.77	7.68	---
(iv)	Tier II Capital Ratio (%)	3.14	2.63	2.95	---
(v)	Percentage of Shareholding of the Government of India in the Bank	69.00	67.72	69.00	67.72
(vi)	Amount of Additional Tier 1 capital raised	--	--	--	--
(vii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments:	2500.00 NIL	--	2500.00	-- NIL

4.2 निवेश:

(1) निवेशों का मूल्य:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i. निवेशों का सकल मूल्य	127676.17	121350.54
क. भारत में	126779.65	120666.59
ख. भारत से बाहर	896.52	683.95
ii. मूल्यहास, एन पी आई (*) मुद्रा अस्थिरता के लिए प्रावधान	847.92	217.71
क. भारत में	805.86	121.93
ख. भारत से बाहर	42.06	95.78
iii. निवेशों का निवल मूल्य	126828.25	121132.83
क. भारत में	125973.79	120544.66
ख. भारत से बाहर	854.46	588.17

(*) मूल्यहास के लिए प्रावधान - ₹ 733.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹97.44 करोड़), एनपीआई लिए प्रावधान- ₹114.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹120.27 करोड़)

4.2 Investments:

(1) Value of Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i. Gross Value of Investments	127676.17	121350.54
a. In India	126779.65	120666.59
b. Outside India	896.52	683.95
ii. Provisions for Depreciation, NPI and Exchange Fluctuation (*)	847.92	217.71
a. In India	805.86	121.93
b. Outside India	42.06	95.78
iii. Net Value of Investments	126828.25	121132.83
a. In India	125973.79	120544.66
b. Outside India	854.46	588.17

(*) Provision for Depreciation - ₹ 733.20 Crore (Previous Year ₹97.44 Crore), Provision for NPI- ₹114.72 Crore (Previous year ₹120.27 Crore)

(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों में उतार – चढ़ाव और एन पी आई / परिवर्तन:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i. प्रारंभिक शेष	217.71	629.90
ii. जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान(*)	774.69	25.77
iii. घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना(**)	144.48	437.96
iv. इति शेष	847.92	217.71

(*) मूल्यहास के लिए प्रावधान – ₹705.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.81 करोड़), एनपीआई के लिए प्रावधान – ₹47.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.18 करोड़) और मुद्रा अस्थिरता – ₹21.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.78 करोड़)

(**) ₹83.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹423.03 करोड़) के मूल्यहास, ₹60.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14.93 करोड़) के एनपीआई के लिए अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन।

(2) Movement of Provisions held towards depreciation and NPI on Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i. Opening Balance	217.71	629.90
ii. Add: Provisions made during the year(*)	774.69	25.77
iii. Less: Write back of excess provisions during the year (**)	144.48	437.96
iv. Closing balance	847.92	217.71

(*) Provision for Depreciation of ₹705.93 Crore (Previous Year – ₹2.81 Crore), Provision for NPI of ₹47.10 Crore (Previous Year – ₹11.18 Crore), Exchange Fluctuation of ₹21.66 Crore (Previous Year – ₹11.78 Crore)

(**) Write back of excess provision for Depreciation of ₹83.49 Crore (Previous Year – ₹423.03 Crore), Provision for NPI of ₹60.99 Crore (Previous Year – ₹14.93 Crore).

4.2.1. पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन:

i. बाजार रेपो

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2014 को
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	20.80	11092.94	778.01	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	36.99	18571.80	2469.41	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2.1 Repo Transactions-

i. Market REPO

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2014
Securities sold under repo				
i) Government Securities	20.80	11092.94	778.01	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	36.99	18571.80	2469.41	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2014
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	300.00	10860.00	2326.64	7970.00
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	100.00	2100.00	38.38	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii. Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2014
Securities sold under repo				
i) Government Securities	300.00	10860.00	2326.64	7970.00
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	100.00	2100.00	38.38	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

4.2.2 गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग:

i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की जारीकर्ता विन्यास:

(₹ करोड़ों में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	"कम निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर-रेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	5893.98	5252.21	शून्य	शून्य	15.20
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	5626.23	5312.62	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	बैंक	3362.13	3199.39	98.20	88.20	88.20
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	2209.93	1690.39	155.00	शून्य	शून्य
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	739.22	739.22	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	अन्य	1750.12	1723.64	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	घटाएं : मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	152.48	--	--	--	--
	कुल	19429.13	17917.47	253.20	88.20	103.40

कॉलम 4,5,6, व 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हैं।

4.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer composition of Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	5893.98	5252.21	NIL	NIL	15.20
(ii)	Fis	5626.23	5312.62	NIL	NIL	NIL
(iii)	Banks	3362.13	3199.39	98.20	88.20	88.20
(iv)	Private Corporate	2209.93	1690.39	155.00	NIL	NIL
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	739.22	739.22	NIL	NIL	NIL
(vi)	Others	1750.12	1723.64	NIL	NIL	NIL
(vii)	Less: Provision held towards depreciation and NPI**	152.48	--	--	--	--
	Total	19429.13	17917.47	253.20	88.20	103.40

*Amounts reported under columns 4,5,6 and 7 above are not mutually exclusive.

ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
प्रारंभिक शेष	225.76	179.95
1 अप्रैल* के बाद वर्ष के दौरान संवर्धन	110.02	79.42
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	69.25	33.61
इति शेष	266.53	225.76
धारित कुल प्रावधान	201.53	201.26

ii) Non-Performing Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Opening balance	225.76	179.95
Additions during the year since 1 st April*	110.02	79.42
Reductions during the above period	69.25	33.61
Closing balance	266.53	225.76
Total Provisions held	201.53	201.26

4.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग को / से बिक्री और अंतरण :

एच टी एम वर्ग को / से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य यथा 01.04.2013 तक एच टी एम वर्ग धारित निवेश के बही मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

4.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:

The value of sale and transfers of securities to/from HTM category during the year does not exceed five percent of the book value of the investment held in HTM category as on 01.04.2013.

4.3 व्युत्पन्नियाँ:

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय:

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i.	विनिमय करार का कल्पित मूलधन	6461.07	3186.00
ii.	करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर हुई क्षति	272.24	336.00
iii.	विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	शून्य	शून्य
iv.	विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेंद्रण	शून्य	शून्य
v.	विनिमय बही का उचित मूल्य	269.62	334.03

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i.	The notional principal of swap agreements	6461.07	3186.00
ii.	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	272.24	336.00
iii.	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv.	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v.	The fair value of the swap book	269.62	334.03

4.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी :

(₹ करोड़ों में)

क्रमांक	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत-वार)	115.80
(ii)	यथा 31 मार्च 2014 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	शून्य
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	शून्य

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (Instrument Wise)	115.80
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2014 (instrument-wise)	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument- wise)	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL

4.3.3 व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण:

I गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की आस्तियों / देयताओं की बचाव व्यवस्था के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित राजकोष जोखिम प्रबंधन नीति है।

क) बैंक के निवेश संविभाग में स्थिर ब्याज दर, ज़ीरो कूपन और अस्थायी ब्याज दरों जैसी विशेषताओं वाली आस्तियां निहित हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है। बैंक के पास टायर II बांड भी हैं और यह पूंजी लागत स्थिर दर पर है और इसमें बहिर्गमन विकल्प नहीं है। यह नीति इस देयता पर ब्याज दर से संबंधित जोखिमों से बचाव की भी अनुमति देती है।

न केवल निवेश संविभाग में बल्कि बाजार निर्माण में भी ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए बैंक को वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) और बिलकुल सादा (प्लेन वनिला) कारोबार का प्रयोग करने की अनुमति है।

विदेशी मुद्रा देयताओं से संबंधित जोखिमों से बचाव के उद्देश्य से बैंक वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) जैसी व्युत्पन्नी का प्रयोग कर रहा है। परस्पर मुद्रा के आधार पर हमारे ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वैप का भी प्रयोग किया जा रहा है। बैंक द्वारा विकल्प बुक रनिंग प्रारंभ करना बाकी है।

वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश संविभाग के ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) में व्युत्पन्नी का प्रयोग नहीं किया

4.3.3 Disclosure on risk exposure in derivatives:

I Qualitative Disclosure

The Treasury Risk Management Policy for using Derivative Instruments to hedge bank's Assets/Liabilities has been approved by the Board of Directors.

A) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has Tier II bonds hedged for interest rate swaps which do not have exit options. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS (only plain vanilla transactions are permitted). These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

Bank has been undertaking derivatives trades like IRS, FRAs, etc for the purpose of hedging Foreign Currency liabilities. Options and Swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis. The Bank is yet to start Option book running.

During the year Bank has not undertaken derivative trades in Interest Rate Swaps (IRS) of the Investment Portfolio and Trading Swaps/Currency Derivative/

है और व्यापार अदला-बदली/मुद्रा व्युत्पन्नी/वायदा दर करार भी नहीं किए।

ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि कार्यशील हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। बकाया व्युत्पन्नी व्यवहारों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निरंतर आधार पर अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में निगरानी की जाती है।

ग) लेखांकन नीति

बचाव व्यवस्था की स्थिति

- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को राजस्व खाते में माना जाता है।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। बैंक एफआईएमएमडीए मूल्यांकन पद्धति अर्थात् जी एसईसी प्रतिफल तथा कार्पोरेट मॉडल को अपनाते हुए अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करता है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला-बदली को ट्रेडिंग अदला-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

ट्रेडिंग की स्थिति

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग स्वैप को बाजार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकार्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को व्यय / आय माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Forward Rate Agreements (FRA) were also not undertaken.

B) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset/liability on an ongoing basis.

C) Accounting Policy

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as expense/ income.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset/liability. Bank has used the FIMMDA pricing method i.e. relevant G SEC yield + corporate bonds spread for arriving at the fair value of the underlying Asset/Liability. If the hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such date are accounted as expense/income under Interest Paid / received on IRS.

Trading Positions

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as expense / income.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expense under the above head.

II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पत्ती		ब्याज दर व्युत्पत्ती	
1	व्युत्पत्ती (कल्पित मूलधन राशि)				
	– बचाव व्यवस्था		578.83		6361.07
	– ट्रेडिंग		शून्य		100.00
2	बाजार स्थितियों को अंकित				
	– आस्तियाँ (+)		31.15		272.24
	– देयताएँ (-)		शून्य		-2.62
3	ऋण जोखिम		शून्य		1.70
		घरेलू		समुद्रपारीय	
		मुद्रा व्युत्पत्ती	ब्याज दर व्युत्पत्ती	मुद्रा व्युत्पत्ती	ब्याज दर व्युत्पत्ती
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव [100*पीवी01]–				
	– बचाव व्यवस्था व्युत्पत्तियों पर	शून्य	शून्य	-0.08	1.04
	– ट्रेडिंग व्युत्पत्तियों पर	शून्य	0.0148	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीवी01				
	– बचाव व्यवस्था व्युत्पत्तियों पर	शून्य	शून्य	0, -0.08	1.04, 2.50
	– ट्रेडिंग व्युत्पत्तियों पर	शून्य	0.0243/0.0142	शून्य	शून्य
6	वायदा संविदा [100%पीवी०1] के तहत बकाया स्थिति पर विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव : ₹0.40 करोड़ के लाभ				

II Quantitative disclosure

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
1	Derivatives (Notional principal amount)				
	- Hedging		578.83		6361.07
	- Trading		NIL		100.00
2	Marked to Market positions				
	- Assets (+)		31.15		272.24
	- Liabilities (-)		NIL		-2.62
3	Credit Exposure		NIL		1.70
		Domestic		Overseas	
		Currency Derivative	Interest Rate Derivatives	Currency Derivative	Interest Rate Derivatives
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]				
	- on hedging derivatives	NIL	NIL	-0.08	1.04
	- on trading derivatives	NIL	0.0148	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.				
	- on hedging	NIL	NIL	0, -0.08	1.04, 2.50
	- on trading	NIL	0.0243/0.0142	NIL	NIL
6	Likely impact of one percentage change in exchange rate on outstanding position under forward contract [100%PV01]: Gain of ₹0.40 crore.				

4.4 आस्ति गुणवत्ता:

4.4.1 अनर्जक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2014	31.03.2013
(i)	निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	1.98	2.18
(ii)	एनपीए का उतार- चढ़ाव (सकल)		
	क. प्रारंभिक शेष	6260.16	4031.75
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	8443.62	5819.30
	ग. वर्ष के दौरान कमी	7133.57	3590.89
	घ. इति शेष	7570.21	6260.16
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
	क. प्रारंभिक शेष	5278.07	3386.31
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	8443.62	5819.30
	ग. वर्ष के दौरान कमी	7756.23	3927.54
	घ. इति शेष	5965.46	5278.07
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतार-चढ़ाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
	क. प्रारंभिक शेष	932.96	598.56
	ख. मुद्रा अस्थिरता तथा अन्यो के लिए प्रावधान	30.46	8.67
	ग. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	2238.03*	1860.99
	घ. बट्टे खाते में डालना / अधिक प्रावधान वापस करना	1640.61	1535.26
	ड. इति शेष	1560.84	932.96

*अनर्जक आस्ति खातों के उचित मूल्य में कमी के संबंध में ₹12.94 करोड़ तथा अनर्जक आस्ति एफ आई टी एल खाते के संबंध में ₹90.05 सहित

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2014	31.03.2013
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.98	2.18
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a. Opening balance	6260.16	4031.75
	b. Additions during the year	8443.62	5819.30
	c. Reductions during the year	7133.57	3590.89
	d. Closing balance	7570.21	6260.16
(iii)	Movement of Net NPAs		
	a. Opening balance	5278.07	3386.31
	b. Additions during the year	8443.62	5819.30
	c. Reductions during the year	7756.23	3927.54
	d. Closing balance	5965.46	5278.07
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding Provision on Standard Assets)		
	a. Opening balance	932.96	598.56
	b. Adjustment towards Exchange Fluctuation & others	30.46	8.67
	c. Provisions made during the year	2238.03*	1860.99
	d. Write off / (Write back) of excess provision	1640.61	1535.26
	e. Closing balance	1560.84	932.96

*includes Rs. 12.94 Crore in respect of diminution in fair value of NPA accounts and ₹90.05 in respect of NPA FITL account.

4.4.2 पुनः संरचित खातों का विवरण:

(₹ करोड़ों में)

क्र मांक	पुनःसंरचना का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनःसंरचना तंत्र के तहत				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण											
1	यथा वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को पुनःसंरचना खाते (प्रारंभिक आंकड़ा)	उधारकर्ताओं की संख्या	69	3	10	0	82	1297	1393	3920	2592	9202
		बकाया राशि	3511.34	224.32	480.77	0.00	4216.43	479.14	109.08	118.91	51.75	758.88
		तद्संबंधी प्रावधान	408.07	37.35	400.52	0.00	845.94	19.30	17.35	59.32	51.75	147.72
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	18	2	0	0	20	2075	79	13	6	2173
		बकाया राशि	2854.29	154.09	0.00	0.00	3008.39	273.38	14.00	4.64	0.03	292.06
		तद्संबंधी प्रावधान	86.88	23.17	0.00	0.00	110.05	6.32	3.19	1.54	0.03	11.08
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक श्रेणी को स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	2	-2	0	0	0	282	-104	-127	-32	19
		बकाया राशि	148.46	-125.77	0.00	0.00	22.69	11.62	21.90	-9.96	-9.38	14.17
		तद्संबंधी प्रावधान	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.41	5.93	-2.24	-2.12	1.97
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित करनेवाली पुनःसंरचित मानक अग्रिमों को अगले वित्तीय वर्ष में पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	13	0	0	0	13	406	2	3	2	413
		बकाया राशि	1033.32	0.00	0.00	0.00	1033.32	126.43	0.00	1.95	0.40	128.78
		तद्संबंधी प्रावधान	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13	0.32	0.00	0.61	0.40	1.33
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-3	6	1	1	5	-395	42	249	122	18
		बकाया राशि	-642.90	719.93	-166.20	212.28	123.11	-87.89	104.83	38.65	8.61	64.20
		तद्संबंधी प्रावधान	-22.50	112.95	-192.50	212.28	110.24	-3.08	14.05	13.66	8.61	33.07
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनःसंरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	1	0	1	3	97	492	400	992
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14
		तद्संबंधी प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनःसंरचना खाते (इति आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	42	6	9	1	58	2644	1538	3848	2545	10575
		बकाया राशि	4485.45	802.12	274.15	239.30	5801.02	524.94	188.80	143.76	46.03	903.53
		तद्संबंधी प्रावधान	156.99	125.05	212.61	239.30	733.95	18.37	34.80	78.62	46.03	177.04

4.4.2 Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

Sl. No.	TYPE OF RESTRUCTURING		UNDER CDR MECHANISM					UNDER SME DEBT RESTRUCTURING MECHANISM				
	ASSET CLASSIFICATION		STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
	DETAILS											
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	69	3	10	0	82	1297	1393	3920	2592	9202
		AMOUNT OUTSTANDING	3511.34	224.32	480.77	0.00	4216.43	479.14	109.08	118.91	51.75	758.88
		PROVISION THEREON	408.07	37.35	400.52	0.00	845.94	19.30	17.35	59.32	51.75	147.72
2	FRESH RESTRUCTURING DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	18	2	0	0	20	2075	79	13	6	2173
		AMOUNT OUTSTANDING	2854.29	154.09	0.00	0.00	3008.39	273.38	14.00	4.64	0.03	292.06
		PROVISION THEREON	86.88	23.17	0.00	0.00	110.05	6.32	3.19	1.54	0.03	11.08
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	2	-2	0	0	0	282	-104	-127	-32	19
		AMOUNT OUTSTANDING	148.46	-125.77	0.00	0.00	22.69	11.62	21.90	-9.96	-9.38	14.17
		PROVISION THEREON	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.41	5.93	-2.24	-2.12	1.97
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	13	0	0	0	13	406	2	3	2	413
		AMOUNT OUTSTANDING	1033.32	0.00	0.00	0.00	1033.32	126.43	0.00	1.95	0.40	128.78
		PROVISION THEREON	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13	0.32	0.00	0.61	0.40	1.33
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	-3	6	1	1	5	-395	42	249	122	18
		AMOUNT OUTSTANDING	-642.90	719.93	-166.20	212.28	123.11	-87.89	104.83	38.65	8.61	64.20
		PROVISION THEREON	-22.50	112.95	-192.50	212.28	110.24	-3.08	14.05	13.66	8.61	33.07
6	WRITE OFFS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	1	0	1	3	97	492	400	992
		AMOUNT OUTSTANDING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14
		PROVISION THEREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	42	6	9	1	58	2644	1538	3848	2545	10575
		AMOUNT OUTSTANDING	4485.45	802.12	274.15	239.30	5801.02	524.94	188.80	143.76	46.03	903.53
		PROVISION THEREON	156.99	125.05	212.61	239.30	733.95	18.37	34.80	78.62	46.03	177.04

(₹ करोड़ों में)

क्र मांक	पुनःसंरचना का प्रकार		पुनःसंरचना का प्रकार					अन्य				
	आस्ति वर्गीकरण		आस्ति वर्गीकरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि
	विवरण											
1	यथा वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को पुनःसंरचना खाते (प्रारंभिक आंकड़ा)	उधारकर्ताओं की संख्या	5814	1474	2362	917	10567	7180	2870	6292	3509	19851.00
		बकाया राशि	14412.07	1320.19	719.05	195.62	16646.92	18402.55	1653.58	1318.71	247.37	21622.21
		तद्संबंधी प्रावधान	580.31	220.26	431.24	195.62	1427.43	1007.68	274.96	891.08	247.37	2421.09
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	10836	288	20	58	11202	12929	369	33	64	13395
		बकाया राशि	13166.90	173.68	154.07	0.67	13495.31	16294.57	341.77	158.71	0.70	16795.76
		तद्संबंधी प्रावधान	324.84	26.52	67.86	0.67	419.86	418.04	52.88	69.39	0.70	541.01
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक श्रेणी को स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	868	-458	-243	-114	53	1152	-564	-370	-146	72
		बकाया राशि	370.38	-300.77	-24.77	-8.74	36.10	530.45	-404.64	-34.73	-18.12	72.97
		तद्संबंधी प्रावधान	13.28	-33.51	6.26	-7.62	-21.59	18.88	-27.58	4.02	-9.75	-14.43
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण तथा / या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित करनेवाली पुनःसंरचित मानक अग्रिमों को अगले वित्तीय वर्ष में पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	1299	5	4	0	1308	1718	7	7	2	1734
		बकाया राशि	2553.49	0.54	0.11	0.00	2554.15	3713.24	0.54	2.06	0.40	3716.25
		तद्संबंधी प्रावधान	10.17	0.08	0.04	0.00	10.29	14.62	0.08	0.65	0.40	15.75
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-510	-201	621	184	94	-908	-153	871	307	117
		बकाया राशि	-542.92	141.17	491.27	51.81	141.32	-1273.71	965.93	363.72	272.70	328.63
		तद्संबंधी प्रावधान	-19.00	-85.36	174.63	51.81	121.93	-44.58	41.64	-4.21	272.70	265.24
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनःसंरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	10	99	288	281	678	13	196	781	681	1671
		बकाया राशि	0.04	0.04	0.19	0.01	0.29	0.04	0.04	0.33	0.01	0.42
		तद्संबंधी प्रावधान	0.00	0.01	0.09	0.01	0.11	0.00	0.01	0.23	0.01	0.25
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनःसंरचना खाते (इति आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	13291	1345	2668	1023	18327	15977	2889	6525	3569	28960
		बकाया राशि	17946.54	660.22	1055.28	236.27	19898.31	22956.93	1651.14	1473.20	521.60	26602.87
		तद्संबंधी प्रावधान	628.12	100.54	494.19	236.27	1458.96	803.49	260.39	785.42	521.60	2370.90

(₹ in Crore)

Sl. No.	TYPE OF RESTRUCTURING		OTHERS					TOTAL				
	ASSET CLASSIFICATION		STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
	DETAILS											
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY(OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	5814	1474	2362	917	10567	7180	2870	6292	3509	19851.00
		AMOUNT OUTSTANDING	14412.07	1320.19	719.05	195.62	16646.92	18402.55	1653.58	1318.71	247.37	21622.21
		PROVISION THEREON	580.31	220.26	431.24	195.62	1427.43	1007.68	274.96	891.08	247.37	2421.09
2	FRESH RESTRUCTURING DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	10836	288	20	58	11202	12929	369	33	64	13395
		AMOUNT OUTSTANDING	13166.90	173.68	154.07	0.67	13495.31	16294.57	341.77	158.71	0.70	16795.76
		PROVISION THEREON	324.84	26.52	67.86	0.67	419.86	418.04	52.88	69.39	0.70	541.01
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	868	-458	-243	-114	53	1152	-564	-370	-146	72
		AMOUNT OUTSTANDING	370.38	-300.77	-24.77	-8.74	36.10	530.45	-404.64	-34.73	-18.12	72.97
		PROVISION THEREON	13.28	-33.51	6.26	-7.62	-21.59	18.88	-27.58	4.02	-9.75	-14.43
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/ OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	1299	5	4	0	1308	1718	7	7	2	1734
		AMOUNT OUTSTANDING	2553.49	0.54	0.11	0.00	2554.15	3713.24	0.54	2.06	0.40	3716.25
		PROVISION THEREON	10.17	0.08	0.04	0.00	10.29	14.62	0.08	0.65	0.40	15.75
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	-510	-201	621	184	94	-908	-153	871	307	117
		AMOUNT OUTSTANDING	-542.92	141.17	491.27	51.81	141.32	-1273.71	965.93	363.72	272.70	328.63
		PROVISION THEREON	-19.00	-85.36	174.63	51.81	121.93	-44.58	41.64	-4.21	272.70	265.24
6	WRITE OFFS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	10	99	288	281	678	13	196	781	681	1671
		AMOUNT OUTSTANDING	0.04	0.04	0.19	0.01	0.29	0.04	0.04	0.33	0.01	0.42
		PROVISION THEREON	0.00	0.01	0.09	0.01	0.11	0.00	0.01	0.23	0.01	0.25
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	13291	1345	2668	1023	18327	15977	2889	6525	3569	28960
		AMOUNT OUTSTANDING	17946.54	660.22	1055.28	236.27	19898.31	22956.93	1651.14	1473.20	521.60	26602.87
		PROVISION THEREON	628.12	100.54	494.19	236.27	1458.96	803.49	260.39	785.42	521.60	2370.90

4.4.3 आस्ति पुनःसंरचना के लिए कंपनी प्रतिभूतिकरण / कंपनी पुनःसंरचना को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i. खातों की संख्या	60	शून्य
ii. एससी / आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	709.96	लागू नहीं
iii. समग्र प्रतिफल*	1166.36	लागू नहीं
iv. पूर्व के वर्षों में अंतर्गत खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
v. निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	456.40	लागू नहीं

*बैंक ने प्राप्त ₹64.57 करोड़ के नकद पर ही विचार किया है तथा इनकी बहियों में प्रावधानों के प्रति समायोजित किया गया है।

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitization Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i. No. of accounts	60	NIL
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	709.96	NA
iii. Aggregate consideration*	1166.36	NA
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NA	NA
v. Aggregate Gain over Net Book Value	456.40	NA

*Bank has considered only the cash component realized ₹ 64.57 Crore and adjusted it towards the provisions in its books.

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1 क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख. समग्र प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
2 क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनसंरचनाकृत खातों की संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं
ख. समग्र बकाया	लागू नहीं	लागू नहीं

4.4.4 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1 a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
b. Aggregate consideration	NA	NA
2 a. Of these, number of accounts restructured during the year	NA	NA
b. Aggregate outstanding	NA	NA

ख) बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i. बेचे गये खातों की संख्या	60	शून्य
ii. समग्र बकाया	1479.74	लागू नहीं
iii. प्राप्त समग्र प्रतिफल*	1166.36	लागू नहीं

*बैंक ने प्राप्त ₹64.57 करोड़ के नकद पर ही विचार किया है तथा इनकी बहियों में प्रावधानों के प्रति समायोजित किया गया है।

4.4.5 मानक आस्ति संबंधी प्रावधान:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
मानक आस्तियों पर प्रावधान	1715.38	1214.70

B. Details of non-performing financial assets sold

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i. No. of accounts sold	60	NIL
ii. Aggregate outstanding	1479.74	NA
iii. Aggregate consideration received*	1166.36	NA

*Bank has considered only the cash component realized ₹64.57 Crore and adjusted it towards the provisions in its books.

4.4.5 Provisions on Standard Asset:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Provisions towards Standard Assets	1715.38	1214.70

4.5 कारोबार संबंधी अनुपात:

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	8.80	9.05
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	0.87	0.84
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	1.51	1.56
iv. आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.54	0.77
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलकर) [₹ लाखों में]	1438.38	1420.17
vi. प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़ों में]	0.05	0.07

4.5 Business Ratios:

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i. Interest income as a percentage to Working Funds (%)	8.80	9.05
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.87	0.84
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.51	1.56
iv. Return on Assets (%)	0.54	0.77
v. Business (Deposits plus Advances) per employee [₹ in lakhs]	1438.38	1420.17
vi. Profit per employee [₹ in crore]	0.05	0.07

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	5866.00 (4466.37)	9488.00 (5408.33)	237.97 (306.94)	3000.00 (3054.28)	1532.26 (842.73)	1239.95 (336.14)
2 से 07 दिनों तक	26984.00 (12222.48)	13636.00 (6689.13)	549.02 (873.88)	1936.43 (108.57)	3461.26 (1643.77)	3305.22 (555.29)
8 से 14 दिनों तक	12565.00 (6777.22)	11119.00 (7203.89)	55.63 (528.41)	275.61 (604.42)	1475.28 (1208.98)	1410.29 (1107.81)
15 से 28 दिनों तक	14254.00 (6040.14)	16231.00 (9021.95)	630.41 (2072.29)	149.79 (911.33)	2271.01 (2304.91)	1492.02 (2600.56)
29 दिनों से 3 महीने तक	41560.00 (43194.53)	20701.00 (22667.97)	2406.82 (8987.10)	2261.38 (2149.52)	7551.54 (6722.40)	7586.70 (8136.31)
3 महीने से 6 महीने तक	35584.00 (21281.43)	21463.00 (20930.30)	1340.02 (1557.68)	2158.69 (1184.59)	6054.11 (5074.75)	9633.45 (4219.36)
6 महीने से 1 वर्ष तक	128792.00 (79823.87)	40135.00 (39728.83)	2227.65 (1613.55)	1265.20 (1223.99)	8566.44 (2793.29)	4805.09 (2758.16)
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	129055.00 (57729.47)	76365.00 (65415.73)	12332.09 (7672.61)	5735.17 (2199.87)	3825.78 (1380.99)	5279.81 (642.87)
3 वर्षों से 5 वर्षों तक	11232.00 (48627.36)	27975.00 (23289.20)	30092.29 (18699.15)	4358.77 (4932.20)	1972.76 (1565.29)	3026.43 (3789.62)
5 वर्षों से ऊपर	14832.00 (75693.12)	63954.00 (42358.29)	76998.41 (78821.22)	6089.60 (3914.60)	2306.04 (1812.29)	1237.52 (1203.28)
कुल	420724.00 (355855.99)	301067.00 (242176.62)	126870.31 (121132.83)	27230.64 (20283.37)	39016.48 (25349.40)	39016.48 (25349.40)

(पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दी गई है)

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	5866.00 (4466.37)	9488.00 (5408.33)	237.97 (306.94)	3000.00 (3054.28)	1532.26 (842.73)	1239.95 (336.14)
2 to 7 days	26984.00 (12222.48)	13636.00 (6689.13)	549.02 (873.88)	1936.43 (108.57)	3461.26 (1643.77)	3305.22 (555.29)
8 to 14 days	12565.00 (6777.22)	11119.00 (7203.89)	55.63 (528.41)	275.61 (604.42)	1475.28 (1208.98)	1410.29 (1107.81)
15 to 28 days	14254.00 (6040.14)	16231.00 (9021.95)	630.41 (2072.29)	149.79 (911.33)	2271.01 (2304.91)	1492.02 (2600.56)
29 days to 3 months	41560.00 (43194.53)	20701.00 (22667.97)	2406.82 (8987.10)	2261.38 (2149.52)	7551.54 (6722.40)	7586.70 (8136.31)
3 months to 6 months	35584.00 (21281.43)	21463.00 (20930.30)	1340.02 (1557.68)	2158.69 (1184.59)	6054.11 (5074.75)	9633.45 (4219.36)
6 months to 1 year	128792.00 (79823.87)	40135.00 (39728.83)	2227.65 (1613.55)	1265.20 (1223.99)	8566.44 (2793.29)	4805.09 (2758.16)
1 year to 3 years	129055.00 (57729.47)	76365.00 (65415.73)	12332.09 (7672.61)	5735.17 (2199.87)	3825.78 (1380.99)	5279.81 (642.87)
3 years to 5 years	11232.00 (48627.36)	27975.00 (23289.20)	30092.29 (18699.15)	4358.77 (4932.20)	1972.76 (1565.29)	3026.43 (3789.62)
Over 5 years	14832.00 (75693.12)	63954.00 (42358.29)	76998.41 (78821.22)	6089.60 (3914.60)	2306.04 (1812.29)	1237.52 (1203.28)
Total	420724.00 (355855.99)	301067.00 (242176.62)	126870.31 (121132.83)	27230.64 (20283.37)	39016.48 (25349.40)	39016.48 (25349.40)

(Figures in brackets relate to previous year)

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

4.7 ऋण जोखिम:

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ों में)

श्रेणी	31.03.2014	31.03.2013
क) प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	17039.39	11324.69
आवासीय बंधक	14210.20	9705.36
- आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिए गए हैं।		
- जिनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए अर्ह है	8984.47	6175.52
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	2828.19	1617.88
- वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमा भी शामिल हैं।		
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	1.00	1.45
क. आवासीय	1.00	1.45
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख) अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	9515.30	4445.53
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	9515.30	4445.53
स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम	26554.69	15770.22

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.7 Exposures:

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector:

(₹ in Crore)

Category	31.03.2014	31.03.2013
a) Direct Exposure	17039.39	11324.69
(i) Residential Mortgages	14210.20	9705.36
- lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented		
- Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	8984.47	6175.52
(ii) Commercial Real Estate	2828.19	1617.88
- Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.		
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	1.00	1.45
a. Residential	1.00	1.45
b. Commercial Real Estate	NIL	NIL
b) Indirect Exposure	9515.30	4445.53
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	9515.30	4445.53
Total Exposure to Real Estate Sector	26554.69	15770.22

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

4.7.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2014	31.03.2013
i.	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितांत रूप से नैगम ऋण में निविष्ट नहीं की गई	1064.79	1119.57
ii.	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आईपीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यष्टियों को दिया गया अग्रिम	शून्य	शून्य
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	673.58	1063.88
iv.	अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / प्रयोजन बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती।	शून्य	शून्य
v.	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा विपणि निर्माताओं के पत्र में निर्गत गारंटियाँ	730.70	859.88
vi.	स्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अंशदान पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचरों के प्रतिभूति में या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या बेशर्तिया कापॉरेटों को स्वीकृत अग्रिम।	शून्य	शून्य
vii.	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / इश्यूओं के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण।	शून्य	शून्य
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों के आरंभिक इश्यू के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें।	शून्य	शून्य
ix.	मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	शून्य	शून्य
x.	वेंचर पूंजी निधियों में सारे जोखिम पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों पूंजी बाजार में कुल जोखिम	411.15	348.13
पूंजी बाजार की कुल ऋण जोखिम		2880.22	3391.46

4.7.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2014	31.03.2013
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1064.79	1119.57
ii.	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	NIL	NIL
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	673.58	1063.88
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	NIL	NIL
v.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	730.70	859.88
vi.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	NIL	NIL
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	NIL	NIL
viii.	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible -debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
ix.	Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	411.15	348.13
Total Exposure to Capital Market		2880.22	3391.46

4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश की ऋण जोखिम:

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश-जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31.03.2014 को युनाइटेड किंगडम (निम्न जोखिम श्रेणी-ए2) के साथ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम इसकी कुल आस्तियों के 1% से ज्यादा हुआ है तथा आवश्यक प्रावधान बनाया गया है।

(₹ करोड़ों में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2014 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2014 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2013 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2013 को धारित प्रावधान
नगण्य	10775.60	शून्य	4447.31	शून्य
कम	21876.47	6.84	14679.66	शून्य
सामान्य	2223.46	शून्य	927.91	शून्य
उच्च	82.19	शून्य	63.57	शून्य
बहुत ज्यादा	0.87	शून्य	2.32	शून्य
प्रतिबंधित	0.00	शून्य	0.00	शून्य
ऑफ- क्रेडिट	1.75	शून्य	3.07	शून्य
कुल	34960.34	6.84	20123.84	शून्य

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

In respect of the Country for which the Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31.03.2014 only in case of United Kingdom (Low Risk category – A2) the Net funded exposure exceeds 1% of the total assets for which the required provision is made.

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2014	Provision held as at 31.03.2014	Exposure (net) as at 31.03.2013	Provision held as at 31.03.2013
Insignificant	10775.60	NIL	4447.31	NIL
Low	21876.47	6.84	14679.66	NIL
Moderate	2223.46	NIL	927.91	NIL
High	82.19	NIL	63.57	NIL
Very High	0.87	NIL	2.32	NIL
Restricted	0.00	NIL	0.00	NIL
Off-credit	1.75	NIL	3.07	NIL
TOTAL	34960.34	6.84	20123.84	NIL

4.7.4 बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) तथा समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण:

बैंक का किसी भी समूह खातों के मामले में निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा से अधिक नहीं है तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं में या ऑयल कंपनियों के लिए एकल उधारकर्ता को नियोजित किया गया है। तथापि निम्न खातों के मामले में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए निर्धारित पूंजी निधि के 15% ऋण जोखिम सीमा को बढ़ाया गया है।

4.7.4 गैर जमानती अग्रिम:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
कुल गैर जमानती अग्रिम	49002.74	42158.81
जिसमें से		
i) संपार्श्विक के रूप में बैंक पर प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिमों की राशि	4863.02	7858.93
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों (उक्त (i) के अनुसार) का संभावित मूल्य	9276.59	8165.46

4.8 विविध:

4.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधानों की राशि:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
आयकर हेतु प्रावधान (संपत्ति कर तथा आस्थगित कर सहित)	625.00	800.00

4.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 47ए(1)(सी) के साथ पठनीय धारा 46(4)(i) तथा फेमा की धारा 11 की उप धारा (3) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नियम या शर्तों के अनुपालन नहीं किए जाने के लिए बैंक पर ₹3.00 करोड़ का दंड लगाया गया है। बैंक ने दिनांक 26.07.2013 को भारतीय रिजर्व बैंक को ₹3.00 करोड़ के उक्त दंड राशि का भुगतान किया है।

5. लेखांकन मानदंड:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

4.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for group accounts and single borrower engaged in infrastructure projects or for Oil Companies. The exposure ceiling of 15% of Capital Funds has not been exceeded in respect of any borrowers.

4.7.5 Unsecured Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Unsecured Advance	49002.74	42158.81
Out of which		
i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	4863.02	7858.93
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	9276.59	8165.46

4.8. Miscellaneous:

4.8.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Provision for Income Tax (including Wealth tax and Deferred tax)	625.00	800.00

4.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI:

During the financial year 2013-14, the Bank has been subjected to an aggregate penalty of ₹3.00 Crore in terms of Section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 and Sub Section (3) of Section 11 of FEMA for non – compliance of the Reserve Bank of India instructions. Bank has paid penalty amount of ₹3.00 Crore to Reserve Bank of India on 26.07.2013.

5. Accounting Standards:

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

5.1 लेखांकन मानदंड 5 – निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

इसके पहले की अवधि की कोई मदें नहीं हैं।

5.2 लेखांकन मानदंड 15 – कर्मचारी हितलाभ

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमांकिक अनुमान किये गए हैं:

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15 (संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में ह्रास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर विकलांगता के कारण हुए आहरण सहित अन्य सभी आहरण शामिल हैं।

5.1 Accounting Standard 5 – Net Profit / Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

There are no material prior period items

5.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.

मूलधन बीमांकिक अनुमान				
	विवरण	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
	रियायती दर	9.25%	9.25%	9.25%
	आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	9.15%	9.15%	शून्य
	वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%
	पेंशन में बढ़ोत्तरी	शून्य	2.50%	शून्य
	मृत्यु दर	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत

Principal Actuarial Assumptions				
	Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
	Discount Rate	9.25%	9.25%	9.25%
	Expected Return on Assets	9.15%	9.15%	NIL
	Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%
	Pension Escalation	NIL	2.50%	NIL
	Mortality	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate

दायित्वों तथा आस्तियों में 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन

(₹ करोड़ों में)

क. परिभाषीकृत दायित्व लाभ में परिवर्तन				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में डी बी ओ	1619.12	8584.93	706.01
2	सेवा लागत	28.00	149.83	30.01
3	ब्याज लागत	126.28	672.06	58.74
4	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	39.51	225.32	(70.54)
5	लाभ भुगतान	(202.57)	(596.28)	शून्य
6	वर्ष के अंत में डी बी ओ	1,610.34	9035.86	724.22

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1519.18	8080.08	-
2	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	113.43	634.29	-
3	वास्तविक कंपनी अंशदान	-	293.33	-
4	बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	137.46	484.67	-
5	लाभ भुगतान	(202.57)	(596.28)	-
6	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1567.50	8896.09	-

Change in obligation and assets over the year ending 31 Mar 2014

(₹ in Crore)

A Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	DBO at beginning of the year	1619.12	8584.93	706.01
2	Service Cost	28.00	149.83	30.01
3	Interest Cost	126.28	672.06	58.74
4	Actuarial Losses / (Gains)	39.51	225.32	(70.54)
5	Benefit Payments	(202.57)	(596.28)	Nil
6	DBO at end of the year	1,610.34	9035.86	724.22

(₹ in Crore)

B Changes in Fair Value of Assets				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	1519.18	8080.08	-
2	Expected Return on plan assets	113.43	634.29	-
3	Actual company contributions	-	293.33	-
4	Actuarial Gain / (Loss)	137.46	484.67	-
5	Benefits payments	(202.57)	(596.28)	-
6	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1567.50	8896.09	-

अनुभवगत इतिहास

(₹ करोड़ों में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की अंत में परिभाषित दायित्व लाभ	1610.34	9035.86	724.22
2	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियाँ	1567.50	8896.09	-
3	निधीयन स्थिति	(42.84)	(139.77)	(724.22)
4	योजनागत देयताओं में अनुभवगत समायोजन	46.89	813.58	(100.78)
5	योजनागत आस्तियों में अनुभवगत समायोजन	137.46	484.67	-

Experience History

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Defined Benefit Obligation at end of the year	1610.34	9035.86	724.22
2	Plan Assets at end of the year	1567.50	8896.09	-
3	Funded Status	(42.84)	(139.77)	(724.22)
4	Experience adjustments on plan liabilities	46.89	813.58	(100.78)
5	Experience adjustments on plan assets	137.46	484.67	-

(₹ करोड़ों में)

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति (देयता)				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	दायित्व लाभ का वर्तमान मूल्य	1,619.12	8584.93	706.01
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1519.18	8080.08	-
3	निधीयन स्थिति (अधिशेष / घाटा)	(99.94)	(504.85)	(706.01)
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(99.94)	(504.85)	(706.01)

(₹ in Crore)

Net Asset (Liability) Recognized in Balance Sheet - 31 March 2013				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1,619.12	8584.93	706.01
2	Fair Value of Plan Assets	1519.18	8080.08	-
3	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	(99.94)	(504.85)	(706.01)
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(99.94)	(504.85)	(706.01)

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय प्रकटन

(₹ करोड़ों में)

नियोक्ता व्यय के घटक				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतया बीमाकृत सुविधाओं के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	28.00	149.83	30.01
2	ब्याज लागत	126.28	672.06	58.74
3	योजनागत आस्तियों में प्रत्याशित रिटर्न	(113.43)	(634.29)	-
4	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	(97.95)	(259.35)	(70.54)
5	लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय	(57.10)	(71.75)	18.20

Disclosure of Employer Expense for the year ending 31 Mar 2014

(₹ in Crore)

Components of Employer Expense				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	28.00	149.83	30.01
2	Interest Cost	126.28	672.06	58.74
3	Expected Return on Plan Assets	(113.43)	(634.29)	-
4	Actuarial Losses / (Gains)	(97.95)	(259.35)	(70.54)
5	Total Employer Expense recognized in P&L	(57.10)	(71.75)	18.20

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता) - 31 मार्च, 2014

(₹ करोड़ों में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,610.34	9035.86	724.22
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1567.50	8896.09	-
3	निधीयन स्थिति (अधिशेष / (घाटा))	(42.84)	(139.77)	(724.22)
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(42.84)	(139.77)	(724.22)

Net Asset/(liability) Recognised in Balance Sheet - 31 Mar 2014

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1,610.34	9035.86	724.22
2	Fair Value of Plan Assets	1567.50	8896.09	-
3	Funded Status [Surplus / (Deficit)]	(42.84)	(139.77)	(724.22)
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(42.84)	(139.77)	(724.22)

5.3 लेखांकन मानदंड- 17- खंड रिपोर्टिंग:
भाग क - कारोबार खंड:

(₹ करोड़ों में)

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2014	31.03.2013
(क) खंड राजस्व			
1	राजकोष परिचालन	11079.17	10294.45
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	10788.38	9463.97
3	थोक बैंकिंग परिचालन	20806.56	17223.41
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित	806.26	249.11
	कुल	43480.37	37230.94
(ख) खंड परिणाम			
1	राजकोष परिचालन	1463.00	1115.81
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	1722.43	1864.14
3	थोक बैंकिंग परिचालन	2946.74	2705.43
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	6132.17	5685.38
(ग)	गैर आबंटित आय / व्यय	664.02	204.63
(घ) परिचालन लाभ		6796.19	5890.01
(ङ)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	3733.00	2217.91
(च)	आय कर	625.00	800.00
(छ)	निवल लाभ	2438.19	2872.10
(ज)	अन्य सूचनाएं		
(झ) खंड आस्तियां*			
1	राजकोष परिचालन	167100.83	150904.28
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	99619.98	78711.04
3	थोक बैंकिंग परिचालन	209370.03	171294.18
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित आस्तियां	10332.76	9399.87
	कुल	486423.60	410309.37
(ञ) खंड देयताएं			
1	राजकोष परिचालन	51466.11	28855.45
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	183552.33	156299.98
3	थोक बैंकिंग परिचालन	199789.78	180253.80
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित देयताएं	27493.52	22055.59
6	पूँजी और आरक्षित निधियां*	24121.86	22844.55
	कुल	486423.60	410309.37

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)

5.3 Accounting Standard-17 -Segment Reporting:
Part A – Business Segment:

(₹ in Crore)

	BUSINESS SEGMENT	Year ended	
		31.03.2014	31.03.2013
(a) Segment Revenue			
1	Treasury Operations	11079.17	10294.45
2	Retail Banking Operations	10788.38	9463.97
3	Wholesale Banking Operations	20806.56	17223.41
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated	806.26	249.11
	Total	43480.37	37230.94
(b) Segment Results			
1	Treasury Operations	1463.00	1115.81
2	Retail Banking Operations	1722.43	1864.14
3	Wholesale Banking Operations	2946.74	2705.43
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	6132.17	5685.38
(c)	Unallocated Income/Expenses	664.02	204.63
(d) Operating Profit		6796.19	5890.01
(e)	Provisions and Contingencies	3733.00	2217.91
(f)	Income Tax	625.00	800.00
(g) Net Profit		2438.19	2872.10
(h)	Other Information		
(i) Segment Assets*			
1	Treasury Operations	167100.83	150904.28
2	Retail Banking Operations	99619.98	78711.04
3	Wholesale Banking Operations	209370.03	171294.18
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Assets	10332.76	9399.87
	Total	486423.60	410309.37
(j) Segment Liabilities			
1	Treasury Operations	51466.11	28855.45
2	Retail Banking Operations	183552.33	156299.98
3	Wholesale Banking Operations	199789.78	180253.80
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	27493.52	22055.59
6	Capital and Reserves*	24121.86	22844.55
	Total	486423.60	410309.37

(* Excluding Revaluation Reserve)

भाग ख: भौगोलिक खंड:

(₹ करोड़ों में)

	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2014	31.03.2013
क	देशी परिचालन		
	राजस्व	42431.73	36645.47
	आस्तियाँ	449034.29	386312.09
ख	विदेशी परिचालन		
	राजस्व	1048.64	585.47
	आस्तियाँ	37389.31	23997.28
ग	कुल		
	राजस्व	43480.37	37230.94
	आस्तियाँ*	486423.60	410309.37

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)

यह भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी सं.7/21.04.018/2013-14 दिनांक 01.07.2013 के अनुसार तैयार किया गया है।

Part B – Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	GEOGRAPHICAL SEGMENT	Year ended	
		31.03.2014	31.03.2013
A	Domestic Operations		
	Revenue	42431.73	36645.47
	Assets	449034.29	386312.09
B	International Operations		
	Revenue	1048.64	585.47
	Assets	37389.31	23997.28
C	Total		
	Revenue	43480.37	37230.94
	Assets*	486423.60	410309.37

(* Excluding Revaluation Reserve)

This has been prepared in terms of RBI Master Circular : DBOD.BP.BC No.7/21.04.018/ 2013-14 Dated 01.07.2013.

5.4 लेखांकन मानदंड-18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण: संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध – प्रधान – केनरा बैंक

5.4.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

- श्री राजीव किशोर दुबे, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- श्री अशोक कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक
- श्री वी एस कृष्णकुमार, कार्यपालक निदेशक (04.04.2013 से)
- श्री प्रद्युमन सिंह रावत, कार्यपालक निदेशक (05.08.2013 से)
- श्रीमती अर्चना एस भार्गव, कार्यपालक निदेशक (22.04.2013 तक)

5.4 Accounting Standard-18 - Related Party Disclosures: Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent – Canara Bank

5.4.1 Key Management Personnel –

- Shri R K Dubey, Chairman & Managing Director
- Shri. Ashok Kumar Gupta, Executive Director
- Shri. V S Krishna Kumar, Executive Director (from 04.04.2013)
- Shri. Pradyuman Singh Rawat, Executive Director (from 05.08.2013)
- Smt. Archana S Bhargava, Executive Director (till 22.04.2013)

5.4.2 प्रधान

- i) केनरा बैंक

5.4.3 अनुषंगियां

- i) केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.
- ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.
- iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.
- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.
- vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. था)
- vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाईफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

5.4.4 संयुक्त उद्यम

- i) कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को

5.4.5 सहबद्ध संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - क) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति ग्रामीण बैंक)
 - ख) केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक)

5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

- (i) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक – ₹ 0.72 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 0.47 करोड़)
- (ii) श्री प्रद्युमन सिंह रावत (कार्यपालक निदेशक) को कर्मचारी आवास ऋण ₹ 0.07 करोड़ (पिछले वर्ष – शून्य)

लेखांकन मानक 18 की पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंक-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

5.4.2 Parent

- i) Canara Bank

5.4.3 Subsidiaries

- i) Canbank Financial Services Ltd.
- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn.Ltd)
- vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd

5.4.4 Joint Ventures

- i) Commercial Bank of India LLC., Moscow

5.4.5 Associates

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Pragati Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

5.4.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

- (i) Remuneration to Key Management Personnel ₹0.72 Crore (Previous Year: ₹0.47 Crore)
- (ii) Staff Housing Loan to Shri P S Rawat (Executive Director) ₹0.07Crore (Previous Year – NIL)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

5.4.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ संव्यवहार निम्नवत् है:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम
उधार – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	49.40 (70.90)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	49.40 (73.20)
जमाएं – यथा वर्षांत को बकाया	125.91 (164.94)	1443.18 (968.81)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	212.85 (175.21)	1453.18 (1059.57)
जमाओं का नियोजन – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	130.32 (118.07)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	130.32 (118.07)
अग्रिम – यथा वर्षांत को बकाया	454.53 (423.46)	2679.16 (1595.99)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	454.53 (698.77)	3135.40 (2044.66)
निवेश – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (609.80)	शून्य (99.75)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (609.80)	शून्य (99.75)
चालू खाता में शेष – यथा वर्षांत को बकाया	11.82 (10.14)	512.87 (150.32)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	11.82 (10.14)	512.87 (168.38)
अन्य प्राप्त – यथा वर्षांत को बकाया	2.72 (0.05)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	2.72 (0.05)	शून्य (शून्य)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र – जारी किए गए – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (1950.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	1950 (1950.00)

पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दी गई है।
(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

5.4.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures
Borrowings - Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	49.40 (70.90)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	49.40 (73.20)
Deposits- Outstanding as at the year end	125.91 (164.94)	1443.18 (968.81)
Maximum outstanding during the year	212.85 (175.21)	1453.18 (1059.57)
Placement of Deposits – Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	130.32 (118.07)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	130.32 (118.07)
Advances- Outstanding as at the year end	454.53 (423.46)	2679.16 (1595.99)
Maximum outstanding during the year	454.53 (698.77)	3135.40 (2044.66)
Investments- Outstanding as at the year end	NIL (609.80)	NIL (99.75)
Maximum outstanding during the year	NIL (609.80)	NIL (99.75)
Balance in current account Outstanding as at the year end	11.82 (10.14)	512.87 (150.32)
Maximum outstanding during the year	11.82 (10.14)	512.87 (168.38)
Other receivable- Outstanding as at the year end	2.72 (0.05)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	2.72 (0.05)	NIL (NIL)
Inter Bank Participation Certificate – Issued Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (1950.00)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	1950 (1950.00)

(Figures in brackets relate to previous year)
(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

कमीशन प्राप्य - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (3.18)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (3.18)	शून्य (शून्य)
अन्य प्राप्य - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (0.04)	0.02 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (0.55)	0.02 (शून्य)
दत्त ब्याज	13.11 (12.49)	95.48 (159.77)
प्राप्त ब्याज	26.48 (44.24)	283.59 (191.03)
प्राप्त लाभांश	6.00 (8.24)	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की चुकौती	शून्य (20.00)	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की स्वीकृति	10.00 (30.00)	शून्य (शून्य)
प्रदत्त प्रीमियम	98.74 (50.68)	शून्य (शून्य)
सेवा उपलब्ध कराना	25.18 (37.74)	0.67 (2.38)
सेवाओं के लिए प्रदत्त	49.97 (21.58)	0.02 (शून्य)
निधियन लागत तथा ब्याज सहित पी एस यू निपटान देयताओं के भुगतान	72.05 (शून्य)	शून्य (शून्य)

प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को दिए गए वेतन इसमें नहीं दर्शाया गया है। कोष्ठकों में पिछले वर्ष की आंकड़े दिए गए हैं।

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)

Commission Receivable- Outstanding as at the year end	NIL (3.18)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (3.18)	NIL (NIL)
Other payable Outstanding as at the year end	NIL (0.04)	0.02 (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (0.55)	0.02 (NIL)
Interest paid	13.11 (12.49)	95.48 (159.77)
Interest received	26.48 (44.24)	283.59 (191.03)
Dividend received	6.00 (8.24)	NIL (NIL)
Repayment of Fixed Deposits/ Certificate of deposits	NIL (20.00)	NIL (NIL)
Acceptance of Fixed Deposits/ Certificate of deposits	10.00 (30.00)	NIL (NIL)
Premium Paid	98.74 (50.68)	NIL (NIL)
Rendering of Service	25.18 (37.74)	0.67 (2.38)
Receiving for Services	49.97 (21.58)	0.02 (NIL)
Repayment of PSU Settlement dues including funding cost and Interest	72.05 (NIL)	NIL (NIL)

Salary to deputed staff is not shown as the same is reimbursed. Figures in brackets relate to previous year.

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)

5.5 लेखा मानक-20-प्रति शेयर अर्जन:

मूल एवं तनुकृत ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20- "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की गई है।

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है:

	विवरण	2013-2014	2012-2013
क	इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़ों में)	2438.19	2872.10
ख	इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	46.13	44.30
ग	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	44.75	44.30
घ	प्रति शेयर अर्जन (क / ग)(₹)	54.48	64.83
ड	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10/-	10/-

5.6 लेखा मानक - 22 - आय पर करों का लेखांकन:

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2014 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है:

आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार है:

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
प्रतिभूतियों पर उपचित परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	-	-	854.69	656.53
छुट्टी नकदीकरण	283.54	277.35		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	60.58	54.18		
अन्य			60.28	1.97
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि पर डी टी एल			1189.65	
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	344.12	331.53	2104.61	658.50

(₹ करोड़ों में)

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
Interest accrued but not due on securities	-	-	854.69	656.53
Leave Encashment	283.54	277.35		
Depreciation on Fixed Assets	60.58	54.18		
Others			60.28	1.97
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961			1189.65	
Deferred Tax Asset/ Liability	344.12	331.53	2104.61	658.50

यथा 31 मार्च, 2014 को निवल आस्थगित कर देयता: ₹1760.50 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹326.97 करोड़)

5.5 Accounting Standard-20 - Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

The Computation of EPS is given below:

	Particulars	2013-2014	2012-2013
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ In Crore)	2438.19	2872.10
B	Number of Equity Shares (In Crore)	46.13	44.30
C	Weighted Average Number of Equity Shares (In Crore)	44.75	44.30
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/C) (₹)	54.48	64.83
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

5.6 Accounting Standard-22 – Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets / Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2014 as under:

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ करोड़ों में)

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
Interest accrued but not due on securities	-	-	854.69	656.53
Leave Encashment	283.54	277.35		
Depreciation on Fixed Assets	60.58	54.18		
Others			60.28	1.97
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961			1189.65	
Deferred Tax Asset/ Liability	344.12	331.53	2104.61	658.50

Net Deferred Tax Liability as on March 31, 2014: ₹ 1760.50 Crore (Previous year : ₹ 326.97 Crore)

5.7 लेखांकन मानक - 27 - संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग:

निवेश में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) ₹87.89 करोड़ शामिल है (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है।

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षानुसार (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हित 40%) से संबंधित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की समग्र राशि का प्रकटन अधोलिखित किया गया है:

5.7 Accounting Standard - 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Investments include ₹87.89 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Bank of India LLC (Incorporated in Russia) wherein the Bank owns 40% of the equity.

As required by AS 27 the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses (Bank's interest @ 40% in jointly controlled entity) is disclosed as under:

कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. - परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय का ब्यौरा

विवरण	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%	31.03.2013 को समाप्त गत वर्ष	31.03.2013 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%
	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
कुल पूँजी व आरक्षित निधियाँ	42,403	254.06	101.62	34,961	189.79	75.91
कुल देयताएं	59,458	356.24	142.50	57,547	312.39	124.96
कुल आस्तियाँ	101,861	610.30	244.12	92,508	502.18	200.87
कुल आय	7,212	43.21	17.28	7,538	41.01	16.40
कुल व्यय	3,141	18.82	7.53	3,429	18.65	7.46
लाभ	4,071	24.39	9.75	4,109	22.36	8.94

Commercial Bank of India LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses

Particulars	Current year ended 31/03/2014	Current year ended 31/03/2014	Bank's share @ 40%	Previous year ended 31/03/2013	Previous year ended 31/03/2013	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore
Aggregate Capital and Reserves	42,403	254.06	101.62	34,961	189.79	75.91
Aggregate Liabilities	59,458	356.24	142.50	57,547	312.39	124.96
Aggregate Assets	101,861	610.30	244.12	92,508	502.18	200.87
Aggregate Income	7,212	43.21	17.28	7,538	41.01	16.40
Aggregate Expenditure	3,141	18.82	7.53	3,429	18.65	7.46
Profit	4,071	24.39	9.75	4,109	22.36	8.94

उक्त आँकड़े निम्नानुसार परिवर्तित किये जाते हैं:

आस्तियाँ तथा देयताएं हाज़िर दर 31.03.2014 यू एस डी 1=₹ 59.9150 और 31.03.2013 यू एस डी 1= ₹54.2850

आय तथा व्यय औसत दर 31.03.2014 यू एस डी 1 = ₹60.4494 और 31.03.2013 यू एस डी 1 = ₹54.3988

(*यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)

The above figures have been translated at:

Assets and liabilities: @ spot rate: 31/03/2014 USD 1= ₹59.9150 and 31/03/2013 USD 1= ₹ 54.2850

Income & Expenditure: @ Average rate: 31/03/2014 USD 1= ₹ 60.4494 and 31/03/2013 USD 1= ₹ 54.3988

(*As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

5.8 लेखांकन मानक – 28 – आस्तियों की क्षति:

प्रबंधन की राय में, 31.03.2014 तक विस्तारित इसकी अचल संपत्ति की किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है जिसकी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा प्रणाली मानक 28 के निबंधन में निर्धारण की जरूरत है।

5.8 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

In the opinion of the Management, there is no indication of impairment of any of its Fixed Asset as at 31.03.2014 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

5.9 लेखांकन मानक – 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	01.04.2013 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	वापस / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2014 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का चलन	93.00	10.09	93.00	10.09

5.9 Accounting Standard 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2013	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2014
Movement of Provision for Contingent Liabilities	93.00	10.09	93.00	10.09

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्यौरा:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
निवेश मूल्यहास / एन पी आई के लिए प्रावधान	692.42	(371.31)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	2135.04	1860.99
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	478.41	255.61
कर के लिए प्रावधान – (आस्थगित कर देयता सहित)	625.00	800.00
उचित मूल्य में हास के लिए प्रावधान	(6.32)	361.46
परिसंपत्ति की शक वसूली के लिए प्रावधान	8.00	21.00
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	7.00	NIL
अन्य आकस्मिकताओं तथा एफ आई टी एल के लिए प्रावधान	418.45	90.16
कुल	4358.00	3017.91

6. Additional Disclosures

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Provision for Depreciation on Investment and NPI	692.42	(371.31)
Provision towards NPA	2135.04	1860.99
Provision towards Standard Asset	478.41	255.61
Provision for Tax (includes Deferred Tax Liability)	625.00	800.00
Provision for Diminution in Fair Value	(6.32)	361.46
Provision for Asset Doubt Of Recovery	8.00	21.00
Provision for Country Risk Exposure	7.00	NIL
Provision for FITL and other contingencies	418.45	90.16
TOTAL	4358.00	3017.91

6.2 अस्थाई प्रावधान:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान संवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरित राशि	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

6.3 प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र डीबीओडी सं.95/21.04.048/2013-14 दिनांक 7 फरवरी, 2014 के तहत प्रति-चक्रीय उपाय के रूप में इस बात की अनुमति दी है कि बैंक, उनके द्वारा यथा मार्च 31, 2013 को धारित प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर/अस्थातयी प्रावधानों के 33 प्रतिशत तक का इस्तेमाल गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए कर सकते हैं। तदनुसार, बैंक ने ₹23.10 करोड़ का इस्तेमाल अनुपयोज्य आस्ति के संबंध में प्रावधान करने के लिए किया है जो कि कुल ₹70 करोड़ के चक्रीय प्रावधानीकरण बफर का 33 प्रतिशत है।

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र डीबीओडी बीपी बीसी सं.98/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फरवरी, 2014 के तहत बैंकों को यह अनुमति दी है कि उपरोक्त 4 कथित अनुसार, यथा 31 मार्च, 2013 को उनके द्वारा धारित ऐसे प्रावधानों का 33 प्रतिशत तक प्रति-चक्रीय/अस्थिर प्रावधान का इस्तेमाल करने के अलावा बैंकों द्वारा अनुपयोज्य आस्ति के विक्रय (यानी जब विक्रय का मूल्यर निवल बही मूल्यक (एनबीवी) से कम हो) के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली किसी कमी की पूर्ति के लिए की जा सकती है। तदनुसार, बैंक ने ₹46.90 करोड़ के प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर राशि का इस्तेमाल अनुपयोज्य आस्ति खातों के विक्रय के फलस्वरूप उत्पन्न कमी की पूर्ति के लिए की है।

6.4 आरक्षित निधियों से आहरित:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के अनुसार बैंक ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधियों पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) सृजित किया। उक्त परिपत्र के अनुसार यथा 31 मार्च 2013 को विशेष आरक्षित निधियों पर डीटीएल सृजित करने के कारण हुए ₹1189.65 करोड़ के व्यय, जो पहले लाभ-हानि खाते से प्रभारित नहीं किया गया था, को अब सीधे आरक्षित निधियों से समायोजित किया गया। यदि भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार उस राशि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया तो, वर्ष के लिए लाभ उतने राशि से कम हो जाते। आगे, चालू वर्ष के लिए कोई विशेष आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया गया है।

6.2 Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Opening Balance	NIL	NIL
Addition during the year	NIL	NIL
Draw down during the year.	NIL	NIL
Closing Balance	NIL	NIL

6.3 Counter Cyclical Provisioning buffer:

Reserve Bank of India Vide their Circular DBOD. No.BP.95/21.04.048/2013-14 dated February 7, 2014 permitted as a counter cyclical measure that banks may utilise upto 33 percent of countercyclical provisioning buffer / floating provisions held by them as on March 31, 2013, for making specific provisions for non-performing assets. Accordingly Bank has used ₹23.10 Crore, being 33 percent of the total countercyclical provisioning buffer of Rs 70 Crore for making provision for NPA.

Further, Reserve Bank of India Vide their Circular DBOD.BP.BC.No.98/21.04.132/2013-14 dated Feb. 26, 2014 has also permitted the Bank that in addition to utilisation of countercyclical / floating provision up to 33 percent of such provisions held by them as on March 31, 2013 as stated above, Banks can also use countercyclical / floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPA i.e. when the sale is at a price below the net book value (NBV). Accordingly Bank has used balance amount of Counter Cyclical Provisioning buffer of ₹46.90 Crore for meeting the shortfall on sale of NPA accounts.

6.4 Draw Down from Reserves:

Pursuant to Reserve Bank of India's (RBI's) Circular No DBOD.No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013, the Bank has created Deferred Tax Liability (DTL) on the Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income-Tax Act, 1961. As required by the said RBI circular, the expenditure, amounting to ₹1189.65 Crore due to the creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013, not previously charged to the Profit and Loss Account, has now been adjusted directly from the reserves. Had this amount been charged to the Profit and Loss Account in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for the year had been lower for the year by such amount. Further, no special reserve has been created during the current year.

6.5 शिकायतों / बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों का गैर कार्यान्वयन का प्रकटीकरण :

क) ग्राहक शिकायतें (ए टी एम संबंधित शिकायतें सहित)

क्र सं.	विवरण	
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1708
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	90286
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	90729
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	1265

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णय

क्र सं.	विवरण	
(क)	वर्ष के आरंभ में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	2
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त निर्णयों की संख्या	19
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित निर्णयों की संख्या	19
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	2

6.6 चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना:

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹22397.68 करोड़ के 2135 चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये। यथा 31.03.2014 को उक्त पत्रों की संचित स्थिति ₹7744.17 करोड़ के 885 है। इनके अलावा बैंक द्वारा निम्नांकित विनियामकों को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये:

वर्ष 2013-2014 के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र:

- शून्य

पहले जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

- चीन बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन चीना (शांघई शाखा के लिए 2008-09 के दौरान)
- यू ए ई का सेंट्रल बैंक (प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह के लिए 2009-10 के दौरान)
- बहरेन का सेंट्रल बैंक (मनामा शाखा के लिए 2009-10 के दौरान)
- दक्षिण आफ्रीका रिजर्व बैंक (जॉहानेसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित शाखा के लिए 2011-12 के दौरान)

6.5 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

A. Customer Complaints (Including ATM Related Complaints)

Sl.No.	Particulars	
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	1708
(b)	Number of complaints received during the year	90286
(c)	Number of complaints redressed during the year	90729
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	1265

B. Awards passed by the Banking Ombudsmen

Sl.No.	Particulars	
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	2
(b)	Number of Awards received during the year	19
(c)	Number of Awards redressed during the year	19
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	2

6.6 Issuance of Letters of Comfort:

Bank has issued 2135 no. of Letters of Comfort to the tune of ₹22397.68 Crore during the financial year. The cumulative outstanding position of 885 no. of LOC as on 31.03.2014 is ₹7744.17 Crore. Apart from this, Bank has also issued Letter of Comfort to the following regulators:

LOC issued during the year 2013-2014:

- Nil.

LOC issued in the past:

- China Banking Regulatory Commission, China (During 2008-09, for Shanghai Branch).
- Central Bank of the UAE (During 2009-10, for Representative Office, Sharjah)
- Central Bank of Bahrain (During 2009-10 for Manama Branch, Bahrain).
- South African Reserve Bank (During 2011-12 for the proposed branch at Johannesburg, South Africa)

वित्तीय प्रभाव:

चुकोती आश्वासन पत्र बैंक द्वारा विदेशी इकाइयों की ओर से विदेशी इकाई की सभी देनदारियाँ तथा दायित्वों को पूरा करने के घोषणा के साथ जारी किया जाता है।

प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से जारी की गई चुकोती आश्वासन पत्र के प्रति, कोई वाणिज्यिक लेन-देन तथा कोई बाह्य देनदारियाँ नहीं होने के कारण, कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में शाखाओं की देनदारियाँ बैंक के तुलन पत्र में शामिल किया गया है। अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

बैंक का विदेश में कोई अनुषंगियाँ नहीं है। मॉस्को में भारतीय स्टेट बैंक के साथ बैंक का एक संयुक्त उद्यम है तथा उक्त संयुक्त उद्यम की ओर से बैंक ने अब तक कोई चुकोती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

अतः यथा 31.03.2014 को विदेशी विनियामकों को जारी की गई चुकोती आश्वासन पत्रों के प्रति कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं है।

6.7 यथा 31.03.2014 तक प्रावधान प्रावरण अनुपात 60.11% रहा (पिछले वर्ष 61.35%)।

6.8 बैंक द्वारा बैंकएश्यूरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय:

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1	जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	26.12	25.90
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	13.80	11.92
3	म्यूचुअल फंड उत्पाद का विक्रय	5.90	4.95
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)	0.73	-
	कुल	46.55	42.77

6.9 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों व एन पी ए का केंद्रीकरण:

Financial Impact:

LOCs are issued by the Bank on behalf of overseas units undertaking to meet all liabilities and obligations of the overseas unit.

There is no financial impact in respect of LOCs issued on behalf of representative office since there is no commercial transaction and hence no external liabilities.

In respect of overseas branches, the liabilities of the branches are included in the Balance Sheet of the Bank. Hence, there is no additional financial impact to be reported.

The Bank has no subsidiaries overseas. The Bank has one joint venture (JV) overseas in Moscow with State Bank of India and the Bank has not issued any LOCs on behalf of the said joint venture.

Hence, there is no additional financial impact on account of LOCs issued to overseas Regulators, as at 31.03.2014.

6.7 Provision Coverage Ratio is 60.11% as on 31.03.2014 (Previous Year 61.35%):

6.8 Fees / Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2014	31.03.2013
1	For selling Life Insurance Policies	26.12	25.90
2	For selling Non Life Insurance Policies	13.80	11.92
3	For selling Mutual Funds Products	5.90	4.95
4	Other (Health Insurance Policies)	0.73	-
	TOTAL	46.55	42.77

6.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

6.9.1 जमाओं का केंद्रीकरण:

(₹ करोड़ों में)

बीस बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा	62401.17
बैंक के कुल जमाओं में से बीस बड़े जमाकर्ताओं के जमाओं का प्रतिशत	14.83%

6.9.1 Concentration of Deposits:

(₹ in Crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	62401.17
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	14.83%

6.9.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण:

(₹ करोड़ों में)

बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	28874.71
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	9.59%

6.9.2 Concentration of Advances:

(₹ in Crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	28874.71
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	9.59%

6.9.3 निवेशों का केंद्रीकरण:

(₹ करोड़ों में)

बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल निवेश	59402.17
बैंक के कुल निवेश में से बीस बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के निवेशों का प्रतिशत	11.11%

6.9.3 Concentration of Exposures:

(₹ in Crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	59402.17
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	11.11%

6.9.4 एन पी ए का केंद्रीकरण:

(₹ करोड़ों में)

प्रथम चार एनपीए खातों का कुल निवेश	1165.85
------------------------------------	---------

6.9.4 Concentration of NPAs:

(₹ in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	1165.85
---	---------

6.10 क्षेत्र - वार एन पी ए

क्र. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत
1	कृषि व संबद्ध क्रिया कलाप	2.01
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम तथा बड़े)	3.36
3	सेवाएं	4.51
4	व्यक्तिगत ऋण	0.94

6.10 Sector - wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	2.01
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	3.36
3	Services	4.51
4	Personal Loans	0.94

6.11 एन पी ए का अंतरण:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
यथा 1 अप्रैल 2013 तक सकल एन पी ए (आरंभिक शेष)	6260.16
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन पी ए)	8443.62
उप - कुल (क)	14703.78
घटाएं:-	
(i) अद्यतन	
(ii) वसूलियाँ (अद्यतनित खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	2689.06
(iii) तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डालना	1010.45
(iv) उक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते	580.80
उप कुल (ख)	7133.57
यथा 31 मार्च 2014 तक सकल एन पी ए (इति शेष) (क-ख)	7570.21

6.12 तकनीकी बट्टे खाते में डालना तथा तत्पश्चात बनाए वसूली का अंतरण :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
यथा अप्रैल 1 को तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों के प्रारंभिक शेष	7396.09	6416.90
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खाते	1010.45	1321.54
उप कुल (क)	8406.54	7738.44
घटाएं: वर्ष के दौरान तकनीकी/ प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों से पहले की गई वसूली (ख)*	1021.78	342.35
यथा मार्च 31 को इति शेष (क - ख)	7384.76	7396.09

*शाखाओं को अंतरित वास्तविक बट्टे खाते तथा विनिमय उतार-चढ़ाव सहित

6.11 Movement of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Gross NPAs as on 1 st April 2013 (Opening Balance)	6260.16
Additions (Fresh NPAs) during the year	8443.62
Sub-total (A)	14703.78
Less:-	
(i) Upgradations	2853.26
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2689.06
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	1010.45
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	580.80
Sub-total (B)	7133.57
Gross NPAs as on 31 st March 2014 (closing balance) (A-B)	7570.21

6.12 Movement of Technical Write off and the recoveries made thereon:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1	7396.09	6416.90
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	1010.45	1321.54
Sub-total (A)	8406.54	7738.44
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)*	1021.78	342.35
Closing balance as at March 31 (A-B)	7384.76	7396.09

* including actual write off transferred to Branches and exchange fluctuation

6.13 समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए व राजस्व

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
कुल आस्तियाँ	37389.31
कुल एन पी ए : सकल	198.94
निवल	168.76
कुल राजस्व	1048.63

6.13 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Total Assets	37389.31
Total NPAs : Gross	198.94
Net	168.76
Total Revenue	1048.63

6.14 तुलन पत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एस पी वी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है)

प्रायोजित एस पी वी के नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

6.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

6.15 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018-2010-11 दिनांक 09.02.2011 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जिन कर्मचारियों ने पहले पेंशन विकल्प नहीं चुना था उन्हें 2010-2011 के दौरान पेंशन विकल्प चुनने के कारण बैंक ने ₹1853.57 करोड़ (31 मार्च 2011 से आरंभ कर 5 वर्षों से परिशोधित किया जा रहा है) की अपरिशोधित देयता पर अनुमान के आधार पर 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹370.72 करोड़ की राशि लाभ व हानि खाते में नामे की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹370.72 करोड़ की शेष राशि निपटाया जाएगा।

उपदान लिमिट में बढ़ोत्तरी के कारण ₹679.52 करोड़ (31 मार्च 2011 से आरंभ कर 5 वर्षों से परिशोधित किया जा रहा है) की अपरिशोधित देयता पर अनुमान के आधार पर 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹135.91 करोड़ की राशि लाभ व हानि खाते में नामे की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹135.91 करोड़ की शेष राशि निपटाया जाएगा।

6.15 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide their Circular No.DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the Bank has debited Profit & Loss Account a sum of ₹370.72 Crore during the year ended 31.03.2014 on proportionate basis towards unamortized liability of ₹1853.57 Crore (being amortized over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of reopening of pension option during 2010-11 for existing employees who had not opted for pension earlier. The balance amount of ₹370.72 Crore will be dealt as per guidelines of RBI.

The Bank has debited Profit & Loss Account a sum of ₹135.91 Crore during the year ended 31.03.2014 on proportionate basis towards unamortized liability of ₹679.52 Crore (being amortized over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of enhancement of gratuity limit. The balance amount of ₹135.91 Crore will be dealt as per guidelines of RBI.

6.16 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन:

(₹ करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की संख्या	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर की अनुपालनार्थ बैंक द्वारा प्रतिधारित निवेश की कुल राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4.	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों की राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

6.16. Disclosure relating to Securitisation:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	No./ Amount
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transaction	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	Exposure to own securitizations	
	i) First loss	
	Others	
	Exposure to third party securitizations	
	ii) First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	Exposure to own securitizations	
	i) First loss	
	Others	
	Exposure to third party securitizations	
	ii) First loss	
	Others	

6.17 ऋण डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस): शून्य

6.18 बैंक ने अंकित मूल्य ₹10 का 1,82,58,837 इक्विटी शेयरों को प्रति शेयर ₹263.84 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानित आधार पर दिनांक 31 दिसंबर, 2013 को आबंटित किया गया। यह आबंटन दिनांक 31.12.2013 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों के सहमति के साथ किया गया।

6.19 निधिक ब्याज मीयादी ऋण:

पुनिसंरचित निधिक ब्याज सावधि ऋण को आय के रूप में पहचान कर तदनुसार लेखों में उस पर कार्रवाई की गयी। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र डीबीओडी सं. बीपी/12415/21.14.132/2013-14 दिनांक 3 जनवरी, 2014 के तहत बैंक को यह निदेश दिया है कि वह लाभ व हानि खाते में प्रभार लगाते हुए आय का प्रतिवर्तन करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकबारगी उपाय के रूप में बैंक को अनुमति दी है कि वह यथा 31.03.2013 को एफआईटीएल के लिए अपेक्षित प्रावधान निर्मित करें जिसकी व्यायक्ति दिसंबर 2013 से प्रारंभ होकर सितंबर 2014 तक चार तिमाहियों के लिए रहेगी। तदनुसार, यथा 31.03.2013 को एफआईटीएल के लिए अपेक्षित कुल ₹ 528.63 करोड़ में से बैंक ने वर्षांत 31.03.2014 के दौरान 264.32 करोड़ की राशि को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया।

6.20 20 वर्ष के दौरान बैंक ने वेतन संशोधन, जो 01 नवंबर, 2012 से प्रभावी है तथा आईबीए के समझौते हेतु लंबित है, के बकाए हेतु ₹240 करोड़ का प्रावधान बनाया है। बैंक ने अब तक ₹325 करोड़ का प्रावधान बनाया है (पिछले वर्ष ₹85 करोड़)

6.21 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार ₹1.65 करोड़ की अप्रदत्त / अदावी लाभांश निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना है जिसका स्पष्टीकरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से लंबित है।

6.17. Credit Default Swaps (CDS): NIL

6.18 During the year Bank had issued and allotted 1,82,58,837 Equity shares of face value of ₹10 each for cash at an issue price of ₹273.84 including premium of ₹263.84 to the Government of India (GOI) on preferential basis on 31.12.2013 with the consent of the Shareholders of the Bank by way of Special Resolution passed in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 31.12.2013.

6.19 Funded Interest Term Loan:

The Funded Interest Term Loan in respect of Restructured Advances was recognized as Income and dealt accordingly in the accounts till 31.03.2013. However, Reserve Bank of India vide their communication DBOD. No.BP.12415/21.04.132/2013-14 dated January 3, 2014 directed the Bank to reverse the income by charging the same to Profit and loss account. Reserve Bank of India as a one time measure has permitted the Bank to create the provision required for FITL as on 31.03.2013 to be spread over four quarter starting from December 2013 to September 2014. Accordingly Bank has charged ₹264.32 Crore to profit and loss account during the year ended 31.03.2014 out of the total provision required ₹ 528.63 Crore for FITL as on 31.03.2013.

6.20 Provision of ₹240 Crore has been made during the year towards arrears for wage revision, which will be effective from 1st November 2012 pending negotiation by IBA. Bank has made a provision of ₹325 Crore (Previous year ₹85 Crore)

6.21 Pending clarification from Ministry of Corporate Affairs (MCA), a sum of ₹1.65 Crore being Unpaid/ Unclaimed dividend is yet to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) as per Sec 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

7. जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहित / पुनः क्रमबद्ध / पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं ।
7. Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged / reclassified wherever necessary.

वी सुकुमार मंडल प्रबंधक	एम चंद्र शेखर सहायक महा प्रबंधक	एन सिवशंकरन उप महा प्रबंधक	एन सेल्वराजन महा प्रबंधक	प्रद्युमन सिंह रावत कार्यपालक निदेशक
वी एस कृष्ण कुमार कार्यपालक निदेशक	अशोक कुमार गुप्ता कार्यपालक निदेशक	राजीव किशोर दुबे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	डॉ. रजत भार्गव निदेशक	जी वी सांबाशिव राव निदेशक
जी वी मणिमरन निदेशक	सुनील हुक्मचंद कोचेटा निदेशक	सुतानु सिन्हा निदेशक	रजिन्दर कुमार गोयल निदेशक	संजय जैन निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते लूकर एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते पी चोपड़ा एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार	कृते एस सी वासुदेव एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते विनय कुमार एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते फोर्ड, रोड्स पार्क्स एण्ड कं सनदी लेखाकार
हृदयेश एन पंखनिया साझेदार	प्रदीप कुमार चोपड़ा साझेदार	श्यामल कुमार नायक साझेदार	संजय वासुदेव साझेदार	निखिल सिंघल साझेदार	ए डी शेनॉय साझेदार

बैंगलूर
05 मई, 2014

V SUKUMAR DIVISIONAL MANAGER	M CHANDRA SEKHAR ASSISTANT GENERAL MANAGER	N SIVASANKARAN DEPUTY GENERAL MANAGER	N SELVARAJAN GENERAL MANAGER	P S RAWAT EXECUTIVE DIRECTOR
V S KRISHNA KUMAR EXECUTIVE DIRECTOR	ASHOK KUMAR GUPTA EXECUTIVE DIRECTOR	R K DUBEY CMD	Dr. RAJAT BHARGAVA DIRECTOR	G V SAMBASIVA RAO DIRECTOR
G V MANIMARAN DIRECTOR	SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA DIRECTOR	SUTANU SINHA DIRECTOR	RAJINDER KUMAR GOEL DIRECTOR	SANJAY JAIN DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For LOONKER & Co. Chartered Accountants	For P CHOPRA & Co. Chartered Accountants	For A R DAS & ASSOCIATES Chartered Accountants	For S C VASUDEVA & Co. Chartered Accountants	For VINAY KUMAR & Co. Chartered Accountants	For FORD RHODES PARKS & Co. Chartered Accountants
HRUDYESH N PANKHANIA Partner	PRADEEP KUMAR CHOPRA Partner	SYAMAL KUMAR NAYAK Partner	SANJAY VASUDEVA Partner	NIKHIL SINGHAL Partner	A D SHENOY Partner

BANGALORE
MAY 05, 2014

स्तंभ 3 (बासेल II) प्रकटन प्रकटन प्रपत्र तालिका 1: अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

गुणात्मक प्रकटन:

- क. बैंक का नाम जिसके लिए यह ढाँचा लागू है: **केनरा बैंक**
- ख. समूह के अंतर्गत निकायों के संक्षिप्त विवरण सहित लेखांकन और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अंतरों से संबंधित रूपरेखा
- (i) जो पूर्णतः समेकित हैं (जैसे समेकित लेखांकन में अनुषंगियां हैं, उदाहरण के लिए ए एस 21, जिसका धारण >50 है)
1. केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (धारण 100%—वित्तीय निकाय)
 2. केनबैंक फिनांशियल सर्विसेस लि. (धारण 100%—वित्तीय निकाय)
 3. केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (धारण 100%—स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी)
 4. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (धारण 70%—वित्तीय निकाय)
 5. केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि. (धारण 69.14%—अन्य)
 6. केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (धारण 51%—म्यूचुअल फंड की ए एम सी)
 7. केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (धारण 51%— वित्तीय निकाय)
- (ii) जो आनुपातिक आधार पर समेकित हैं (जैसे समेकित लेखांकन में संयुक्त उद्यम हैं, उदाहरण के लिए ए एस 27 जिसका धारण <50% है)।
1. कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी (धारण 40%—भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम)
- (iii) जिनके संबंध में कटौती की गयी है। (एसोसियेट—धारण 20% से अधिक व 50% से कम)
1. केनफिन होम्स लि. (धारण 42.35%)
 2. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक— धारण 35%)
 3. केरल ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक— धारण 35%)

Pillar 3 (BASEL II) Disclosures TABLE DF 1: SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures:

- a. The name of the Bank to which the framework applies : **CANARA BANK**
- b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group:
- (i) That are fully consolidated (viz., subsidiaries as in consolidated accounting, e.g. AS 21, having holding > 50%)
1. Canbank Venture Capital Fund Ltd. (Holding 100% – Financial Entity)
 2. Canbank Financial Services Ltd. – (Holding 100% – Financial Entity)
 3. Canara Bank Securities Ltd (Holding 100% – Stock Broking Company)
 4. Canbank Factors Ltd. (Holding 70%—Financial Entity)
 5. Canara Bank Computer Services Ltd (Holding 69.14% – Others)
 6. Canara Robeco Asset Management Co. Ltd. (Holding 51% – AMC of Mutual Fund)
 7. Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd. (Holding 51% – Financial Entity)
- (ii) That are pro-rata consolidated (viz. Joint ventures in consolidated accounting, e.g. AS 27, having holding < 50%)
1. Commercial Indo Bank LLC. – (Holding 40% – Joint Venture with SBI)
- (iii) That are given a deduction treatment (Associates – Holding above 20% and below 50%)
1. Canfin Homes Ltd. (Holding 42.35%)
 2. Pragathi Krishna Gramin Bank (RRB – Holding 35%)
 3. Kerala Gramin Bank (RRB – Holding 35%)

ग) लेखांकन तथा विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अंतर:

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, एक समेकित बैंक, बीमा कारोबार तथा वित्तीय सेवाओं से असंबद्ध कारोबार में लगे हुए समूह कंपनियों को निकाल सकता है। अतः केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (धारण 51% – बीमा कारोबार) तथा केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसेस लिमिटेड (धारण 69.14% – अन्य) को विनियामक उद्देश्य के लिए निकाल दिया है।

परिमाणात्मक प्रकटन:

घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी अपर्याप्तता की समग्र राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं की गयी है अर्थात् जिनकी कटौती हुई है और उन अनुषंगियों का नाम

शून्य

ड) बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशि (उदाहरण: चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं, उनका नाम, जहाँ निगमित किया गया है, उस देश का नाम या निवास, स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न हो तो इन निकायों में मतदान शक्ति का अनुपात।

1. नाम: केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
2. निगमित देश का नाम: भारत
3. स्वामित्व हित शून्य: ₹4845.00 मिलियन (51%)

प्रकटन प्रपत्र तालिका 2: पूंजी संरचना:

गुणात्मक प्रकटन:

हमारे बैंक की टायर I पूंजी में ईक्विटी शेयर, आरक्षित निधियाँ और नवोन्मेषकारी सतत बॉण्ड शामिल हैं।

बैंक द्वारा नवोन्मेषकारी बांड (टायर I) और टायर II पूंजी में शामिल करने हेतु योग्य अन्य बांड भी जारी किये गये। बांडों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क) नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतें (आई पी डी आई) – टायर I

विवरण	स्थान	जारी तिथि	सतत व मांग विकल्प	कूपन दर	₹ मिलियन में
श्रृंखला I	भारत में	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	2,403.0
श्रृंखला II	भारत में	21.08.2009	21.08.2019	9.10%	6,000.0
श्रृंखला III	भारत में	03.08.2010	03.08.2020	9.05%	7,493.0
				कुल	15,896.0

c. Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes:

In terms of Regulatory guidelines, a consolidated bank may exclude group companies which are engaged in insurance business and businesses not pertaining to financial services. Hence, Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd. (Holding 51% – Insurance Business) and Canara Bank Computer Services Ltd. (Holding 69.14% – Others) has been excluded for regulatory purpose.

Quantitative Disclosures:

(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.

NIL

(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities.

- 1) Name: Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd
- 2) Country of Incorporation: India
- 3) Ownership Interest: ₹ 4,845.00 Million (51%)

TABLE DF 2: CAPITAL STRUCTURE:

Qualitative Disclosures:

Our Bank's Tier I Capital comprises of Equity Shares, Reserves and Innovative Perpetual Bonds.

The Bank has issued Innovative Bonds (Tier I) and also other Bonds eligible for inclusion in Tier 2 Capital. Details of the Bonds are as under:

A) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I

Particulars	Place	Date of Issue	Perpetual & Call Option	Coupon Rate	₹ in millions
Series I	In India	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	2,403.0
Series II	In India	21.08.2009	21.08.2019	9.10%	6,000.0
Series III	In India	03.08.2010	03.08.2020	9.05%	7,493.0
				TOTAL	15,896.0

ख) उच्चतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ मिलियन में
श्रृंखला I	भारत में	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	5,000.0
श्रृंखला II	भारत में	23.03.2007	23.03.2022	10.00%	5,000.0
श्रृंखला III	भारत में	29.09.2010	28.09.2025	8.62%	10,000.0
				कुल	20,000.0
विदेशी मुद्रा बांड	भारत से बाहर	27.11.2006	27.11.2016	6.365%	250 मि. यूएस डालर

B) Upper Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹. in millions
Series I	In India	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	5,000.0
Series II	In India	23.03.2007	23.03.2022	10.00%	5,000.0
Series III	In India	29.09.2010	28.09.2025	8.62%	10,000.0
				TOTAL	20,000.0
FC BONDS	Outside India	27.11.2006	27.11.2016	6.365%	250mn US \$

ग) निम्नतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ मिलियन में
श्रृंखला VI	भारत में	30.09.2004	31.05.2014	6.75%	2,635.0
श्रृंखला VII	भारत में	18.02.2005	18.05.2014	7.05%	5,000.0
श्रृंखला VIII	भारत में	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	5,000.0
श्रृंखला IX	भारत में	01.03.2006	01.05.2015	8.15%	4,250.0
श्रृंखला IX क	भारत में	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	5,750.0
श्रृंखला X	भारत में	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	4,000.0
श्रृंखला XI	भारत में	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	7,000.0
श्रृंखला XII	भारत में	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	3,250.0
बासेल III टायर II श्रृंखला I	भारत में	03.01.2014	03.01.2024	9.73%	15,000.0
बासेल III टायर II श्रृंखला II	भारत में	27.03.2014	27.03.2024	9.70%	10,000.0
				कुल	61,885.0

C) Lower Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹. in millions
Series VI	In India	30.09.2004	31.05.2014	6.75%	2,635.0
Series VII	In India	18.02.2005	18.05.2014	7.05%	5,000.0
Series VIII	In India	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	5,000.0
Series IX	In India	01.03.2006	01.05.2015	8.15%	4,250.0
Series IX A	In India	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	5,750.0
Series X	In India	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	4,000.0
Series XI	In India	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	7,000.0
Series XII	In India	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	3,250.0
BASEL III TIER II SER I	In India	03.01.2014	03.01.2024	9.73%	15,000.0
BASEL III TIER II SER II	In India	27.03.2014	27.03.2024	9.70%	10,000.0
				TOTAL	61,885.0

टायर I पूँजी के तहत नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतों की मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:

बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई आईपीडीआई जारी नहीं की है।

इन ऋण लिखतों के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं :

- ये बिना किसी विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधि के सतत स्वभावी हैं।
- ये लिखतें, माँग वचन पत्र (बांड) की प्रकृति में गैर जमानती अपरिवर्तनीय गौण सतत बांड हैं।
- इन लिखतों को क्रिसिल द्वारा (सी आर आई एस आई एल) एएए (स्थिर) और ब्रिकवर्क रेटिंग द्वारा "बीडब्ल्यूआर एएए" रेटिंग दिया गया है।
- इन लिखतों पर सालाना मीयादी ब्याज दर संदेय है।
- ब्याज संचित नहीं होगा।
- जारी तारीख से 10 वर्ष बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ बैंक इन के लिए क्रय-विक्रय विकल्प दे सकता है।
- 10 वर्ष के समाप्त होने पर बैंक स्टेप-अप विकल्प (लिखत के पूरे जीवनकाल में एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है) कर सकता है जो 50 आधार बिन्दुओं से अधिक नहीं होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी सं. 75/21.06.001/2010-11 दिनांक 20/01/2011 के अनुसार लिखतों के प्रतिदेयता के लिए कोई स्टेप-अप या प्रोत्साहन नहीं है। 12 सितंबर 2010 के पहले जारी की गई लिखतें बासेल III के तहत पात्र पूँजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त बने रहेंगे।
- ये ऋण लिखतें लॉक-इन खण्ड के अधीन होंगी, जिसके अनुसार, यदि (क) बैंक का सी आर ए आर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

The main features of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) Under Tier I Capital are as follows:

The Bank has not issued any IPDI during the current financial year.

The important features of these instruments are:

- The debt instruments are perpetual in nature without any specific maturity period.
- The instruments are Unsecured Non Convertible Subordinated Perpetual Bonds in the nature of promissory Notes (Bonds).
- The debt instruments are rated AAA (Stable) from CRISIL and BWR AAA from Brickwork Ratings.
- Fixed rate of interest is payable on the debt instruments, annually.
- The interest shall not be cumulative.
- The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India.
- The Bank has step up option (shall be exercised only once during the whole life of the instrument) at the end of 10 years which shall be not more than 50 basis points. As per RBI circular DBOD.BP.BC. No.75/21.06.001/2010-11 dated 20/01/2011 the instruments should not have step – ups or other incentives to redeem. Instruments issued before Sept 12, 2010 will continue to be recognized as eligible capital instruments under Basel III.
- The debt instruments shall be subjected to a lock-in clause, in terms of which, the Bank shall not be

निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाने पर या (ख) ऐसे भुगतानों का परिणाम स्वरूप बैंक का सी आर ए आर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता है या नीचे बने रहने पर बैंक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे ईक्विटी शेयरों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।
- सतत स्वभावी होने के कारण, पूंजी पर्याप्तता के लिए ये लिखतें क्रमिक बढ़ते के अधीन नहीं होंगी।
- लिखतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं।

उच्चतर टायर II बांडों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई उच्चतर टायर II बांड जारी नहीं किया है।

इन ऋण लिखतों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- लिखतें वचन पत्रों (बांडों) के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय अधीनस्थ अपरिवर्तनीय हैं।
- इन ऋण लिखतों को क्रिसिल द्वारा ए ए ए (स्थिर) और ब्रिक वर्क रेटिंग द्वारा बीडीब्ल्यूआर ए ए ए रेटिंग दिया गया है।
- जारी करने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के साथ बैंक के पास मांग विकल्प है।
- 10 वर्ष की समाप्ति पर बैंक को स्टेप-अप विकल्प है जो 50 आधार बिन्दुओं से अधिक नहीं होना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी सं. 75/21.06.001/2010-11 दिनांक 20/01/2011 के अनुसार लिखतों के प्रतिदेयता के लिए कोई स्टेप-अप या प्रोत्साहन नहीं है। 12 सितंबर, 2010 के पहले जारी की गई लिखतें बासेल III के तहत पात्र पूंजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त बने रहेंगे। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी संसूचना डीबीओडी.बीपी.बीसी. एमओ.16.284/21.06.201/2010-11 दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के द्वारा दिनांक 12 सितंबर, 2010 को जारी की गई ₹10,000 मिलियन के उच्चतर टायर II श्रृंखला III लिखतों को पूंजी पर्याप्तता कार्य के लिए अनुमान लगाने की विशेष अनुमति प्रदान की है।
- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बढ़ा प्राप्त है। ऐसी बढ़ा प्राप्त राशियां पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टायर II पूंजी में सम्मिलित नहीं हैं।

liable to pay interest, if (a) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (b) the impact of such payment results in Bank's capital to risk assets ratios (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by the RBI.

- The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
- These debt instruments are not subjected to a progressive discount for capital adequacy purposes since these are perpetual in nature.
- The instrument is listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE).

The main features of Upper Tier II bonds are as follows:

The Bank has not issued Upper Tier II Bond during the current financial year.

The important features of these debt instruments are:

- The instruments are Unsecured Redeemable Subordinated Non-Convertible in the nature of promissory Notes (Bonds).
- The debt instruments are rated AAA (Stable) from CRISIL and BWR AAA from Brickwork Ratings.
- The Bank has Call Option after 10 years from the date of issue with the RBI's approval.
- The Bank has step up option at the end of 10 years that shall not be more than 50 basis points. As per RBI circular DBOD.BP.BC.No.75/21.06.001/2010-11 dated 20/01/2011 the instruments should not have step-ups or other incentives to redeem. Instruments issued before Sept 12, 2010 will continue to be recognized as eligible capital instruments under Basel III. However, RBI has accorded special permission to us vide their communication DBOD.BP.BC.Mo.16.284/21.06.201/2010-11 dated 19 April 2011 to reckon the Upper Tier II Series III instrument of ₹10,000 million issued post Sept 12, 2010 for the purpose of capital adequacy.
- The instruments are subjected to a progressive discount @ 20% per year during the last 5 years of their tenure. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purpose.

- अवधि के समाप्त हो जाने से या बैंक क्रय-विक्रय विकल्प करता है तो जारी करने के 10 वर्षों के बाद बंध पत्र का अंकित मूल्य सम मूल्य पर छुड़ाया जा सकता है। इनके छुड़ाये जाने की तारीख के बाद बांड पर ब्याज या अन्यथा कोई राशि अदा नहीं की जाएगी। ये लिखतें रोधात्मक खण्डों से मुक्त हैं और धारक के पहल किये जाने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना इन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता है।
- इन ऋण लिखतों में बंद-खण्ड है जिसके अनुसार (क) बैंक का सी आर ए आर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम होगा या (ख) ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता हो या कम रह जाता हो तो बैंक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर I पूँजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।
- लिखतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन एस ई) में सूचीबद्ध की गई हैं।
- The face value of the Bond is redeemable at par, on expiry of the tenure or after 10 years from issue if the Bank exercises Call Option. The Bond will not carry any obligation, for interest or otherwise, after the date of redemption. The instruments are free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.
- The debt instruments shall be subjected to a lock-in clause, in terms of which, the Bank shall not be liable to pay interest, if (a) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (b) the impact of such payment results in Bank's capital to risk assets ratios (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by the RBI.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
- The instrument is listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE).

निम्नतर टायर II बांडों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बासेल III अनुपालित ₹25,000 मिलियन के टायर II बांड जारी की है। विवरण निम्नवत है:-

निम्नतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ मिलियन में
बासेल III टायर II श्रृंखला I	भारत में	03.01.2014	03.01.2024	9.73%	15,000.0
बासेल III टायर II श्रृंखला II	भारत में	27.03.2014	27.03.2024	9.70%	10,000.0
				कुल	25,000.0

Lower Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in millions
BASEL III TIER II SER I	In India	03.01.2014	03.01.2024	9.73%	15,000.0
BASEL III TIER II SER II	In India	27.03.2014	27.03.2024	9.70%	10,000.0
				Total	25,000.0

- इन बांडों की अवधि 9 से 10 वर्ष की है।
- ऋण लिखतें क्रिसिल से एएए (स्थिर) तथा इकरा से एलएएए मूल्यांकित है।
- ये लिखतें पूर्ण रूप से प्रदत्त, अप्रतिभूत और अन्य लेनदारों के दावों के प्रति गौण, प्रतिबंधित खंडों से मुक्त और धारक के प्रस्ताव पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं है।
- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बढ़ा प्राप्त है। ऐसी बढ़ा प्राप्त राशियां पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टायर II पूंजी में सम्मिलित नहीं हैं।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर I पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।
- The bonds have a tenure ranging from 9 to 10 years.
- The debt instruments are rated AAA (Stable) from CRISIL and LAAA from ICRA.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last 5 years of their tenure. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purposes.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.

परिमाणात्मक प्रकटन:

क्रमांक	मदें	राशि (₹ मिलियन में)	
		31.03.2014	31.03.2013
(क)	टायर I पूंजी की राशि जिसमें निम्न प्रकटन है:		
	• प्रदत्त शेयर पूंजी	4,612.60	4,430.00
	• आरक्षित निधियाँ	232,339.20	220,972.50
	• नवोन्मेषी लिखतें (\$)	15,896.00	15,896.00
	• अन्य पूंजी लिखतें	-	-
	उप जोड़	252,847.80	241,298.50
	• घटाएं : साख व निवेशों सहित टायर I पूंजी से कटौती की गयी राशियाँ	3,684.90	3,536.50
	कुल टायर I पूंजी	249,162.90	237,762.00
(ख)	टायर II पूंजी की कुल राशि (टायर II पूंजी से निवल कटौती)	97,802.60	63,879.90
(ग)	उच्चतर टायर II पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें		
	• कुल बकाया राशि	34,978.80	33,571.60
	• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि	0.00	0.00
	• पूंजी निधियों के रूप में गणना के लिए पात्र राशि	19,991.50	24,142.90
(घ)	निम्नतर टायर II पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र गौण ऋण		
	• कुल बकाया राशि	61,885.00	37,639.50
	• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि	25,000.00	0.00
	• पूंजी निधियों के रूप में गणना के लिए पात्र राशि	37,550.00	19,927.00
(ङ)	पूंजी से अन्य कटौतियाँ, अगर कोई हों तो	0.00	0.00
(च)	कुल पात्र पूंजी – टायर I + टायर II (क + ख – ङ)	346,965.50	301,641.90

(\$) समय-समय पर अनुमत नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतें तथा अन्य प्रकार के लिखतें

Quantitative Disclosures:

Sl. No.	Items	Amount (₹ in millions)	
		31.03.2014	31.03.2013
(a)	The amount of Tier I Capital, with separate disclosure of		
	• Paid-up Share Capital	4,612.60	4,430.00
	• Reserves	232,339.20	220,972.50
	• Innovative Instruments (\$)	15,896.00	15,896.00
	• Other Capital Instruments	-	-
	Sub -total	252,847.80	241,298.50
	• Less amounts deducted from Tier I Capital, including Goodwill and Investments.	3,684.90	3,536.50
	Total Tier I capital	249,162.90	237,762.00
(b)	The total amount of Tier II Capital (net of deductions from Tier II Capital)	97,802.60	63,879.90
(c)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier II Capital		
	• Total amount outstanding	34,978.80	33,571.60
	• Of which amount raised during the current year	0.00	0.00
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	19,991.50	24,142.90
(d)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier II Capital.		
	• Total amount outstanding	61,885.00	37,639.50
	• Of which amount raised during the current year	25,000.00	0.00
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	37,550.00	19,927.00
(e)	Other deductions from Capital, if any.	0.00	0.00
(f)	Total eligible Capital - Tier I+ Tier II (a+b-e)	346,965.50	301,641.90

(\$) Innovative Perpetual Debt Instruments and any other type of instruments that may be allowed from time to time.

प्रकटन प्रपत्र तालिका 3: पूंजी पर्याप्तता:

गुणात्मक प्रकटन:

पूंजी के इष्टतमीकरण पर ही नहीं बल्कि लाभ के अधिकतमीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने एक सद्गुण जोखिम प्रबंधन रचना सुस्थिर कायम की है ताकि उपलब्ध पूंजी के सहारे अधिकतम लाभ या प्रतिफल प्राप्त हो। बैंक बासेल III ब्रॉंचे के अनुरूप, विश्व भर में स्वीकृत ठोस जोखिम प्रबंधन पद्धति का मानक मान रहा है जिससे संसाधनों का अधिक कारगर इक्विटीय एवं विवेकपूर्ण आबंटन हो।

TABLE DF 3: CAPITAL ADEQUACY:

Qualitative Disclosures:

The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

बैंक की पूँजी आयोजना प्रक्रिया में निम्न की समीक्षा की जाती है:

- बैंक की वर्तमान पूँजी आवश्यकता
- कारोबारी रणनीति तथा जोखिम अपेक्षा के अनुसार लक्षित तथा बनाये रखने लायक पूँजी

पूँजी आवश्यकता और पूँजी इष्टतमीकरणों का पूँजी योजना समिति जिसके उच्च कार्यपालकगण सदस्य हैं, आवधिक रूप से अनुप्रवर्तन करती है। अग्रिमों में अनुमानित वृद्धि, अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेश आदि पर विचार करते हुए पूँजी पर्याप्तता अनुपात के संचलन का तिमाही संवेदनशील विश्लेषण किया जाता है। यह समिति पूँजी के इष्टतमीकरण के लिए परिदृश्य विश्लेषण को समुचित रूप से दृष्टि में रखकर ब्याज के वृद्धि और पूँजी संरचना के पुनर्नियोजन की सुर में पूँजी संग्रहण के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखता है।

In Capital Planning process, the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital need and capital optimization are monitored periodically by the Capital Planning Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected quarterly considering the expected growth in advances, investments and investments in Subsidiaries / Joint Ventures, etc. Committee takes into consideration various options available for capital augmentation in tune with business growth and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization.

परिमाणात्मक प्रकटन:

क्रमांक	मर्दे	राशि (₹ मिलियन में)	
		31.03.2014	31.03.2013
(क)	ऋण जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं		
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	244,354.32	185,574.50
	• प्रतिभूतीकरण ऋण जोखिम	1,686.83	शून्य
(ख)	बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण		
	• ब्याज दर जोखिम	13,090.56	14,625.80
	• विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	592.47	386.10
	• ईक्विटी जोखिम	5,156.27	4,361.50
(ग)	परिचालन जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं		
	• आधार संकेतक दृष्टिकोण	15,394.60	14,065.20
(घ)	बैंक के लिए कुल व टायर I सीआरएआर		
	• कुल सीआरएआर (%)	11.14	12.40
	• टायर I सीआरएआर (%)	8.00	9.77
(ङ)	समेकित समूह के लिए कुल और टायर I सीआरएआर		
	• कुल सीआरएआर (%)	11.37	12.61
	• टायर I सीआरएआर (%)	8.24	9.99
(f)	महत्वपूर्ण अनुषंगी जो समेकित समूह के तहत नहीं हैं, के लिए कुल और टायर I सीआरएआर		
	• कुल सीआरएआर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं
	• टायर I सीआरएआर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं

Quantitative Disclosures:

Sl. No.	Items	Amount (₹ in millions)	
		31.03.2014	31.03.2013
(a)	Capital requirements for Credit Risk		
	• Portfolios subject to Standardized Approach	244,354.32	185,574.50
	• Securitization Exposures	1,686.83	NIL
(b)	Capital requirements for Market Risk - Standardized Duration Approach		
	• Interest Rate Risk	13,090.56	14,625.80
	• Foreign Exchange Risk (including Gold)	592.47	386.10
	• Equity Risk	5,156.27	4,361.50
(c)	Capital requirements for Operational Risk		
	- Basic Indicator Approach	15,394.60	14,065.20
(d)	Total & Tier I CRAR for the Bank		
	• Total CRAR (%)	11.14	12.40
	• Tier I CRAR (%)	8.00	9.77
(e)	Total & Tier I CRAR for the Consolidated Group		
	• Total CRAR (%)	11.37	12.61
	• Tier I CRAR (%)	8.24	9.99
(f)	Total & Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which are not under Consolidated Group		
	• Total CRAR (%)	NA	NA
	• Tier I CRAR (%)	NA	NA

**प्रकटन प्रपत्र तालिका 4: ऋण जोखिम:
सामान्य प्रकटन:**

गुणात्मक प्रकटन:

बैंक की नीतियाँ सीमित जोखिम उठाने और जोखिम तथा प्रतिफल में स्वस्थ संतुलन को मानती हैं। जोखिम प्रबंधन के अहम लक्ष्य हैं स्वीकार्य मानदंडों के अंदर एवं विनियामक प्राधिकारों, जमाकर्ताओं और अन्य स्टेक धारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप शेयर धारकों के लिए मूल्य अधिकतम बनाना। बैंक के जोखिम प्रबंधन के मार्गदर्शक सूत्र है : विनियामक एवं विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन, जोखिम और प्रतिफल में संतुलन कायम करना, जोखिम क्रियाकलापों की आज़ादी सुनिश्चित करना और जोखिम प्रबंधन और व्यापारिक लक्ष्यों का मेल-मिलाप, बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया शक्तिशाली संगठनात्मक संस्कृति एवं ठोस परिचालनात्मक प्रक्रियाओं के पथ पर चलती है जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, अभिवृत्ति, सक्षमतायें, व्यापारिक ज्ञान साधनों का नियोजन, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावशाली आंतरिक रिपोर्टिंग एवं प्रासंगिक योजनाओं का समावेश होता है।

TABLE DF 4: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES:

Qualitative Disclosures:

The Bank's policies assume moderate risk appetite and healthy balance between risk and return. The primary risk management goals are to maximize value for shareholders within acceptable parameters and adequately addressing the requirements of regulatory authorities, depositors and other stakeholders. The guiding principles in risk management of the Bank comprise of Compliance with regulatory and legal requirements, achieving a balance between risk and return, ensuring independence of risk functions, and aligning risk management and business objectives. The Credit Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, employment of business intelligence tools, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

बैंक के समग्र साख जोखिम प्रबंधन उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- क्षेत्रवार संतुलित गुणात्मक के साथ-साथ ही परिमाणात्मक ऋण वृद्धि जिसमें जोखिमों का अधिकतम विविधिकरण हो, सुनिश्चित करना।
- ऋण जोखिमों और संविभागों पर जारी विनियामक विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ऋण जोखिमों में निहित विविध प्रकार की जोखिमों का पर्याप्त रूप से मूल्यनिर्धारण।
- सभी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का एकीकृत सिस्टम का निर्माण करना जिसके तहत ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ:

ऋण जोखिम प्रबंधन के उपर्युक्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए बैंक ऋण जोखिम की पहचान, मापन, संवर्ग एवं समुच्चयन तकनीकियाँ, अनुप्रवर्तनों और रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण / प्रशमन तकनीकियाँ तथा समस्यामूलक ऋणों / उधारों के प्रबंधन के लिए अनेकानेक पद्धतियाँ निर्धारित करता है। बैंक ने लक्षित बाजार, जोखिम स्वीकार्यता मानक, ऋण अनुमोदन प्राधिकार और ऋण व्युत्पत्ति / अनुरक्षण प्रक्रियाओं को भी परिभाषित किया है।

इन रणनीतियों को ऋण जोखिम प्रशमन के लिए विभिन्न उपायों की दृष्टि में रखकर रूपायित किया गया है जिनमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा लक्षित बाजारों की पहचान, विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों और जोखिम प्रबंधन में बैंक की क्षमता, संकेंद्रक जोखिम करना और रेटिंग के आधार पर मूल्य-निर्धारण करना समाहित हैं।

बैंक समय-समय पर खंडों के प्रकटन तथा अर्थव्यवस्था की माँगों के आधार पर ऋण देने के लिए क्षमता योग्य और उत्पादन क्षेत्रों को पहचानते हैं। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य आदि के आधार पर उद्योगों / क्षेत्रों के मूल्यांकन के आधार पर विकास क्षमता नहीं रहनेवाले क्षेत्रों में बैंक ऋण को प्रतिबंधित रखता है।

ऋण से संबंधित बैंक की परिचालन प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों पर निर्मित हैं और ये आवधिक रूप से समीक्षा के अधीन हैं।

ऋण प्रस्तावों पर समुचित रूप से ध्यान दिये जाने की प्रक्रिया के तौर पर बैंक की व्यापक ऋण जोखिम पहचान प्रक्रिया है।

The overall objectives of Bank's Credit Risk Management are to:

- Ensure credit growth, both qualitatively and quantitatively that would be sectorally balanced, diversified with optimum dispersal of risk.
- Ensure adherence to regulatory prudential norms on exposures and portfolios.
- Adequately pricing various risks in the credit exposure.
- Form part of an integrated system of risk management encompassing identification, measurement, monitoring and control.

Strategies and processes:

In order to realize the above objectives of Credit Risk Management, the Bank prescribes various methods for Credit Risk identification, measurement, grading and aggregation techniques, monitoring and reporting, risk control / mitigation techniques and management of problem loans / credits. The Bank has also defined target markets, risk acceptance criteria, credit approval authorities, and guidelines on credit origination / maintenance procedures.

The strategies are framed keeping in view various measures for Credit Risk Mitigation, which includes identification of thrust areas and target markets, fixing of exposure ceiling based on regulatory guidelines and risk appetite of the Bank, minimizing concentration Risk, and pricing based on rating.

Bank from time to time would identify the potential and productive sectors for lending, based on the performance of the segments and demands of the economy. The Bank restricts its exposures in sectors which do not have growth potentials, based on the Bank's evaluation of industries / sectors based on the prevailing economic scenario prospects, etc.

The operational processes and systems of the Bank relating to credit are framed on sound Credit Risk Management Principles and are subjected to periodical review.

The Bank has comprehensive credit risk identification processes as part of due diligence on credit proposals.

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन: बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नानुसार है-

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी बी)
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी)
- मॉडल समीक्षा तकनीकी कार्य दल (एम आर टी डब्ल्यू जी)
- महा प्रबंधक - जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी)
- उप महा प्रबंधक (I व II), जोखिम प्रबंधन विभाग
- ऋण जोखिम प्रबंधन प्रभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग
- साख जोखिम प्रबंधन प्रभाग में साख नीति अनुभाग, साख सांख्यिकी अनुभाग और साख जोखिम प्रबंधन अनुभाग होते हैं। साख जोखिम प्रबंधन अनुभाग में तीन कामकाजी डेस्क हैं जैसे साख जोखिम प्रबंधन डेस्क, साख जोखिम रेटिंग डेस्क और उद्योग अनुसंधान डेस्क।
- मॉडल मान्यकरण दल (एम वी टी)
- मॉडल विकास दल
- अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन और साख समीक्षा अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन सिस्टम का कार्यक्षेत्र और प्रकृति:

बैंक की एक समुचित जोखिम मापन और निगरानी प्रक्रिया है। जोखिम का मापन, बैंक द्वारा स्थापित ऋण जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल की निर्धारित मंजूरी पूर्व प्रक्रिया से संपन्न होता है। इन जोखिमों में से प्रत्येक के तहत मानदंडों की पहचान के साथ-साथ उन्हें भारित स्कोर निर्धारित करने के लिए और। से VII के पैमाने में उनकी रेटिंग के लिए बैंक में प्रत्येक जोखिम निर्धारण नीति है। ग्रेड VIII या उच्च जोखिम ग्रेड III को डिफॉल्ट ग्रेड कहा गया है। पूंजी परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र ऋण जोखिमों को जोखिम भारित करने के लिए मान्यताप्राप्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ई सी ए आई) द्वारा दी गई रेटिंग के प्रयोग / मापन के संबंध में बैंक की आवश्यकता पर जोखिम निर्धारण नीति जोर देती है।

ऋण जोखिम मापन के लिए समस्त ऋण संविभाग के लिए बैंक ने "मानकीकृत दृष्टिकोण" अपनाया है। बैंक आई आर बी दृष्टिकोण की तरफ अंतरित होने के लिए प्रयास कर रहा है तथा इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

The structure and organization of the Credit Risk Management Function: Credit Risk Management Structure in the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Model Review Technical Working Group (MRTWG)
- General Manager-Risk Management Wing, H.O (Chief Risk Officer)
- Deputy General Manager(I&II), Risk Management Wing
- Credit Risk Management Department, Risk Management Wing
- The Credit Risk Management Department comprises of Credit Policy Section, Credit Statistics Section and Credit Risk Management Section. The Credit Risk Management Section has three functional desks, the Credit Risk Management Desk, Credit Risk Rating Desk and Industry Research Desk.
- Model Validation Team (MVT)
- Model Development Team
- Risk Management & Credit Review Section at Circle Offices

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

Bank has an appropriate credit risk measurement and monitoring processes. The measurement of risk is through a pre-sanction exercise of credit risk rating and scoring models put in place by the Bank. The Bank has a separate Risk Rating Policy for identifying the parameters under each of these risks as also assigning weighted scores thereto and rating them on a scale of I to VII. Grade VIII or High Risk Grade III is termed as default grade. The risk rating policy also entails the guidelines on usage/ mapping of ratings assigned by the recognized ECAs (External Credit Assessment Institutions) for assigning risk weights for the eligible credit exposures as per the guidelines of the RBI on standardized approach for capital computation and also for pricing purposes.

The Bank has adopted 'Standardized Approach' for entire credit portfolio for credit risk measurement. The bank is endeavouring to move towards IRB approaches and made all necessary efforts in this regard.

ऋण जोखिम की समीक्षा करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से ऋण संविभाग की निगरानी, विश्लेषण करने के लिए सभी प्रबंधन सूचना प्रणाली की अपेक्षाओं के लिए एक प्रभावी ऋण डाटा संग्रह केन्द्र स्थापित करने, जोखिम भारित आस्तियों (आर डब्ल्यू ए) के परिकलन, ऋण संबंधी विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने के लिए तथा सिस्टम समर्थन प्राप्त करने हेतु बैंक ने एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का उपयोग किया है।

बचाव व्यवस्था (हेजिंग) और / या जोखिम को कम करने और बचाव व्यवस्था / प्रशामक की सतत प्रभावशीलता पर निगरानी रखने के लिए रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ:

ऋण मंजूर करते समय बैंक मुख्यतः उधारकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता और ऋण को अदा करने की क्षमता पर निर्भर रहता है। चुकौती के स्रोत के रूप में या उधारकर्ता की ऋण पात्रता के मूल्यांकन के लिए एक विकल्प के रूप में संपार्श्विकों या गारंटियों पर बैंक अत्यधिक निर्भर नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों जिन्हें ऋण के लिए पात्र के रूप में मूल्यांकित किया गया है, को केवल इस आधार पर ही ऋण अस्वीकार नहीं कर दिया जाता है कि उनके पास पर्याप्त संपार्श्विक नहीं है।

अपने ऋण जोखिम निवेश का प्रबंधन करने के लिए बैंक ने ऋण मूल्यांकित और अनुमोदन नीतियाँ और प्रक्रियाएँ अपनाई हैं जिनकी अन्य कामकाजी विभागों से परामर्श करते हुए प्रधान कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। ऋण मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से ऋण मौलिकीकरण, मूल्यांकन और अनुमोदन तथा निपटान में विभाजित किया गया है।

कॉर्पोरेट वित्तीयन और परियोजना वित्तीयन ऋण, विशिष्ट रूप से स्थिर आस्तियों, सामान्यतया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम ग्रहणाधिकार के द्वारा प्रतिभूत हैं। बैंक वित्तीय आस्तियों जैसे विपणन योग्य प्रतिभूतियों की गिरवी की प्रतिभूति भी लेता है और जहाँ कहीं संगत हो कॉर्पोरेट गारंटियाँ और वैयक्तिक गारंटियाँ प्राप्त की जाती हैं। कार्यशील पूंजी ऋण चालू आस्तियों, जिनमें स्टॉक और प्राप्य राशियाँ निहित हैं, पर विशिष्ट रूप से प्रथम ग्रहणाधिकार के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।

संपार्श्विकों पर बैंक के प्रभार की कानूनी निश्चितता को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजीकरण पर बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं।

किसी विशिष्ट उद्योग की वृद्धि और लाभप्रदता के अनुमानों के आलोक में और बैंक की जोखिम-वहन क्षमता को देखते हुए किसी विशिष्ट उद्योग / क्षेत्र में संविभाग विविधिकरण को सुनिश्चित करना और कुल वित्तीयन जोखिम का मूल्यांकन करना बैंक की नीति है। बैंक अर्थव्यवस्था के सभी बड़े क्षेत्रों और विशिष्ट रूप से विभिन्न उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों की विशिष्ट जोखिमों पर निगरानी रखता है। औद्योगिक कार्यकलापों को ऋण जोखिम, बैंक द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएँ जो उस उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, के अधीन है। बैंक के एकल

The Bank has embarked upon a software solution to get system support for establishing a robust credit data warehouse for all MIS requirements, computation of Risk Weighted Assets (RWA), generate various credit related reports for review of exposure and monitoring, and conducting analysis of credit portfolio from various angles.

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Bank primarily relies on the borrower's financial strength and debt servicing capacity while approving credits. Bank does not excessively rely on collaterals or guarantees as a source of repayment or as a substitute for evaluating borrower's creditworthiness. The Bank does not deny credit facilities to those assessed as credit worthy for mere want of adequate collaterals.

In order to manage the Banks' credit risk exposure, the Bank has adopted credit appraisal and approval policies and procedures that are reviewed and updated by the Risk Management Wing at Head office in consultation with other functional wings. The credit appraisal and approval process is broadly divided into credit origination, appraisal, assessment and approval, and dispensation.

Corporate finance and project finance loans are typically secured by a first lien on fixed assets, normally consisting of property, plant and equipment. The Bank also takes security of pledge of financial assets like marketable securities and obtains corporate guarantees and personal guarantees wherever appropriate. Working Capital loans are typically secured by a first lien on current assets, which normally consist of inventory and receivables.

Bank has laid down detailed guidelines on documentation to ensure legal certainty of Bank's charge on collaterals.

The Bank's policy is to ensure portfolio diversification and evaluate overall exposure in a particular industry / sector in the light of forecasts of growth and profitability for that industry, and the risk appetite of the Bank. The Bank monitors exposures to major sectors of the economy and specifically exposure to various industries and sensitive sectors. Exposure to industrial activities is subjected to the credit exposure ceilings fixed by the Bank based on the analysis on performance of the industry. The Bank's exposures to single and group borrowers as also

और समूह उधारकर्ताओं को ऋण जोखिम साथ ही बड़ी जोखिम पर निगरानी रखी जाती है और उसे समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गए अनुसार विवेकपूर्ण सीमा मानदंडों के भीतर नियंत्रित किया जाता है।

ऋण व्युत्पत्ति मूल स्तर से होती है जिसकी शाखा तंत्र और अंचल कार्यालय भरपूर मदद करते हैं। प्रगाढ़ मूल्यांकन, समुचित जागरूकता और निर्धारण के आरंभ किये जाने के पहले ही पहचान और अनुप्रयोगों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

ऋण अनुमोदन प्रक्रिया एक प्रमुख कारक होता है जो मंजूरी पूर्व अभियान के रूप में उधारकर्ता के अधिदेशात्मक ऋण जोखिम को रेटिंग किये जाने से शुरू होती है। उधारकर्ता के साथ लगा हुआ ऋण जोखिम का माप-तोल, उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति, नकद प्रवाह, क्रिया-कलाप, वर्तमान बाजार व्यवहार, गत व्यवहार, प्रबंधन क्षमतायें, सहयोगी व्यापार निकायों के साथ अनुभव, सुविधाओं का स्वभाव आदि का मूल्यांकन करता है। विभिन्न प्राधिकारियों को उधारकर्ताओं के आंतरिक जोखिम रेटिंग श्रेणी के आधार पर साख मंजूरी अधिकारों को प्रत्यायोजित किया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार बैंक के प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालयों में साख अनुमोदन समितियों का गठन किया गया है। प्रशासनिक इकाइयों (अर्थात् शाखा अधिकार के अलावा) के सभी मंजूरी प्राधिकारियों के साख मंजूरी अधिकारों को वापस लिया गया है तथा समिति दृष्टिकोण को लगाया गया है। बैंक ने चुनिंदे शहरों में ऋण वितरण सरल बनाने के लिए तथा विशेषीकृत ध्यान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसीकरण केंद्र (सीपीयू), खुदरा आस्ति केंद्र (आरएएच) तथा एसएमई सुलभ सुस्थापित किये हैं।

नियंत्रण कार्य को बढ़ाने के लिए, विशेषीकृत ऋण समीक्षा, समस्या युक्त खातों की निगरानी, साख लेखापरीक्षा आदि शुरू करने के लिए, अलग साख प्रशासन व निगरानी विभाग कार्यरत है। इस से ऋणों की मंजूरी उपरांत अनुप्रवर्तन पर अधिक जोर सुनिश्चित किया जा सकता है और ऋण समीक्षा तंत्र संबंधी नीतियों में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के अनुप्रयोगों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है।

ऋण की प्रभावी समीक्षा के लिए बैंक ने निम्नलिखित प्रणाली स्थापित की है:

- पहचान करने, विश्लेषण करने और समय पर कार्रवाई करने और सुधार के लिए ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली।
- प्रत्येक मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा दिए गए ऋण की समीक्षा उससे अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा की जाती है।
- एक प्रत्येक सीमा के ऊपर के उधार खातों की मध्यावधि समीक्षा की जाती है।

substantial exposure is fixed as per the risk rating of the borrowers and monitored periodically in order to keep the exposure level within the prudential ceiling norms advised by Reserve Bank of India from time to time.

The credit origination is through the grass root level ably assisted by the branch network and Circle Offices. The process of identification, application is carried out before commencing an in depth appraisal, due diligence and assessment.

The credit approval process is a critical factor and commences with the mandatory credit risk rating of the borrower as a pre sanction exercise. The measurement of Credit Risk associated with the borrower evaluates indicative factors like; borrowers' financial position, cash flows, activity, current market trends, past trends, management capabilities, experience with associated business entities, nature of facilities etc. The credit sanctioning powers delegated to the various authorities based on internal risk rating categories of the borrower already put in place. In terms of the Ministry of Finance notifications, Bank has set up Credit Approval Committees at HO and circle levels. The credit sanctioning powers of all the sanctioning authorities at administrative units (i.e., besides branch powers) are withdrawn and the committee approach for credit approval has been put in place. The Bank has in place specialized branches viz. Centralized Processing Units (CPUs), Retail Asset Hubs (RAHs) and SME Sulabhs at select cities to ease credit dispensation turnaround time and ensure specialized attention.

To enhance the control measures, a separate Credit Administration and Monitoring Wing is in place to undertake exclusive loan review, monitoring problem accounts, credit audit, etc. This ensures greater thrust on post sanction monitoring of loans and strengthen administering the various tools available under the Banks' policies on loan review mechanism.

For effective loan review, the Bank has the following in place:

- Credit Audit System to identify, analyze instances of non-compliance and rectification.
- Review of loan sanctioned by each sanctioning authority by the next higher authority.
- Mid Term Review of borrowal accounts beyond a certain level of exposure.

- विभिन्न स्तरों में विशेष निगरानी खातों के अनुप्रवर्तन । विशेष निगरानी सूची में प्रकट होनेवाले खातों में से ₹10 मिलियन और उससे अधिक ऋणवाले खातों के अनुप्रवर्तन के लिए अंचल / प्रधान कार्यालय में फिसलन प्रबंधन समिति का गठन ।
- निगरानी उपाय जैसे ऋण निगरानी फार्मेट (वेब आधारित), तिमाही सूचना प्रणाली, अर्ध वार्षिक परिचालन प्रणाली, स्टॉक लेखा-परीक्षा, विशेष निगरानी सूची खाते आदि ।
- शाखाओं में अनुप्रवर्तन कार्यों के लिए प्रभारी ऋण अनुप्रवर्तन अधिकारी ।
- मंजूरी के नियम व शर्तों की अनुपालन की पूर्व संवितरण निगरानी मजबूत करने के लिए निर्धारित संपार्श्विक प्रतिभूतियों की प्राप्ति के लिए, संवितरण के पहले प्रतिभूतियों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-वितरण लेखापरीक्षा प्रणाली प्रारंभ किया गया है ।

कालातीत और अनर्जक ऋण: आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक निम्नलिखित ऋणों और अग्रिमों की श्रेणियों को अनर्जक आस्तियों के रूप में निर्धारित करता है, जहां :

- सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और / या मूलधन की किस्त अतिदेय हो ।
- अधिविकर्ष / नकद उधार (ओडी/सीसी)के मामले में खाता 'अव्यवस्थित' हो जाता है। बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकारों से लगातार अधिक रहने लगता है तो खाते को 'अव्यवस्थित' माना जाता है। मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकारों से कम हो, लेकिन यथा तुलन पत्र की तारीख को लगातार 90 दिन तक कोई जमा नहीं हो या उसी अवधि के दौरान नामे डाले गये ब्याज के लिए राशि पर्याप्त न हो तो इन खातों को 'अव्यवस्थित' मानना चाहिए।
- क्रय किए गए और भुनाये गये बिलों के मामले में जो बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हों ।
- कृषि अग्रिमों, ब्याज और / या मूलधन की किस्त के मामले में जो 2 फसल मौसम (अल्पावधि फसल के संबंध में) और 1 फसल मौसम (दीर्घावधि फसल के संबंध में) से अतिदेय हो ।
- अन्य खातों के संबंध में कोई भी प्राप्य राशि जो 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो ।
- किसी तिमाही में प्रभारित ब्याज जो उस तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं गया हो ।
- Monitoring of special watch accounts at various levels. Formation of Slippage Management Committee at HO / Circles to monitor the accounts with exposure of ₹10 Million & above, among the list of accounts appearing in SWL
- Monitoring tools like Credit Monitoring Format (web-based), Quarterly Information Systems, Half Yearly Operation Systems, Stock Audits, Special Watch List Accounts, etc.
- Credit Monitoring Officers at branches in charge of monitoring functions.
- In order to strengthen pre-disbursement monitoring of compliance to sanction terms and conditions, obtention of stipulated collateral securities ensuring perfection of securities before disbursement etc, Pre-release Audit System has been introduced.

Loans Past due and Impaired: As per the prudential norms applied for income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted.
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- Interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

परिमाणात्मक प्रकटन:
(क) कुल सकल ऋण जोखिम

(राशि ₹ मिलियन में)

समग्र ऋण जोखिम	निधि आधारित ऋण जोखिम		गैर – निधि आधारित ऋण जोखिम	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
कुल समग्र ऋण जोखिम (ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक के प्रभावों उदाहरणार्थ संपार्श्विक और समायोजन को ध्यान में रखे बिना प्रयोज्य लेखांकन प्रणाली के अनुसार प्रतिसंतुलन का लेखांकन करने के बाद)	3,034,310.24	2,439,358.31	2,150,362.95	2,449,696.83

Quantitative Disclosures:

(a) Total Gross Credit Exposures

Amount (₹ in million)

Overall Credit exposure	Fund Based Exposures		Non-fund Based Exposures	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
Total Gross Credit Exposures (after accounting offsets in accordance with the applicable accounting regime and without taking into account the effects of Credit Risk Mitigation techniques, e.g. collateral and netting)	3,034,310.24	2,439,358.31	2,150,362.95	2,449,696.83

(ख) ऋण जोखिमों का भौगोलिक संवितरण:

(राशि ₹ मिलियन में)

ऋण जोखिम	निधि आधारित		गैर – निधि आधारित	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
देशी परिचालन	2,841,589.35	2,287,187.22	2,021,899.05	2,380,541.55
विदेशी परिचालन	192,720.89	152,171.09	128,463.90	69,155.28

(b) Geographic Distribution of Exposures:

Amount (₹ in million)

Exposures	FUND BASED		NON-FUND BASED	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
Domestic operations	2,841,589.35	2,287,187.22	2,021,899.05	2,380,541.55
Overseas operations	192,720.89	152,171.09	128,463.90	69,155.28

(ग) उद्योग के प्रकार के अनुसार ऋण जोखिम का संवितरण (वैश्विक)

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग	निधि आधारित बकाया		एन एफ बी बकाया	
		31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1.1	खनन और उत्खनन	30,718.20	22,982.40	1,520.00	4,706.30
1.2	खाद्य प्रसंस्करण	68,830.80	57,240.40	4,520.00	3,500.00
	1.2.1 चीनी	19,555.10	20,159.40	560.00	520.00
	1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	2,606.70	2,063.50	1,400.00	370.00
	1.2.3 चाय	1,062.00	1,320.00	710.00	650.00
	1.2.4 अन्य	45,607.00	33,697.50	1,850.00	1,960.00
1.3	पेय व तंबाकू	7,540.00	6,974.00	250.00	220.00
1.4	वस्त्र	134,320.50	123,964.50	13,850.00	14,920.00
	1.4.1 ऊनी वस्त्र	60,197.60	52,027.80	3,150.00	2,640.00
	1.4.2 जूट वस्त्र	1,380.00	1,370.00	240.00	100.00
	1.4.3 अन्य वस्त्र	72,742.90	70,566.70	10,460.00	12,180.00
1.5	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	12,332.70	9,776.20	320.00	690.00
1.6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	4,460.00	3,878.20	1,440.00	1,120.00
1.7	कागज व कागज के उत्पाद	20,730.10	20,676.40	4,640.00	470.00
1.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	48,195.90	44,281.30	28,250.00	21,190.00
1.9	रासायन और रासायन उत्पाद	42,298.80	40,635.60	7,759.40	5,303.00
	1.9.1 उर्वरक	2,675.30	2,892.20	3,070.00	690.00
	1.9.2 औषध व फार्मास्यूटिकल्स	17,408.40	16,613.30	2,030.00	1,940.90
	1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	3,719.60	4,706.50	349.40	282.10
	1.9.4 अन्य	18,495.50	16,423.60	2,310.00	2,390.00
1.10	रबड़, प्लास्टिक व उनके उत्पाद	13,370.00	13,302.70	1,810.00	1,430.00
1.11	शीशा और शीशे का सामान	1,706.80	1,186.70	30.00	30.00
1.12	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	18,357.30	9,527.80	610.00	1,222.10
1.13	मूल धातु और धातु उत्पाद	187,575.30	183,881.90	39,270.00	37,312.90
	1.13.1 लोहा और इस्पात	122,509.90	119,747.50	31,230.00	28,162.90
	1.13.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	65,065.40	64,134.40	8,040.00	9,150.00
1.14	सभी इंजीनियरिंग	71,680.50	64,481.00	52,623.40	52,820.00
	1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक	11,876.10	10,275.50	6,440.00	10,050.00
	1.14.2 बिजली	18,550.00	16,296.70	17,923.40	19,460.00
	1.14.3 अन्य	41,254.40	37,908.80	28,260.00	23,310.00
1.15	वाहन, वाहन के पुर्जे और यातायात के उपकरण	32,448.20	32,199.30	6,950.00	5,666.90
1.16	रत्न और आभूषण	11,180.00	29,644.20	10,890.00	11,980.00
1.17	निर्माण	48,672.50	45,626.40	44,130.00	41,170.00
1.18	आधारभूत संरचना	645,301.30	504,618.70	38,910.00	39,820.00
	1.18.1 ऊर्जा	438,329.90	312,696.60	32,210.00	34,690.00
	1.18.2 दूरसंचार	73,731.70	80,040.80	3,910.00	3,120.00
	1.18.3 सड़क	70,380.00	60,741.30	680.00	1,570.00
	1.18.4 हवाई अड्डे	18,270.00	15,071.80	0.00	0.00
	1.18.5 पत्तन	10,920.00	7,156.10	110.00	50.00
	1.18.6 रेलवे (इंडियन रेलवे के अलावा अन्य)	11,730.00	*	1,670.00	0.00
	1.18.7 अन्य आधारभूत संरचना	21,939.70	28,922.10	330.00	390.00
1.19	अन्य उद्योग	198,651.10	216,675.20	8,340.00	7,167.30
	उद्योग (लघु, मध्यम और बड़ा पैमाने का कुल)	1,598,370.00	1,431,552.90	266,112.80	250,738.50

*अन्य आधारभूत संरचना में शामिल किया गया।

(c) Industry Type Distribution of Exposures (Global)

Amount (₹ in million)

SL. NO.	INDUSTRY	FUND BASED OUTSTANDING		NFB OUTSTANDING	
		31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1.1	Mining and Quarrying	30,718.20	22,982.40	1,520.00	4,706.30
1.2	Food Processing	68,830.80	57,240.40	4,520.00	3,500.00
	1.2.1 Sugar	19,555.10	20,159.40	560.00	520.00
	1.2.2 Edible Oils and Vanaspati	2,606.70	2,063.50	1,400.00	370.00
	1.2.3 Tea	1,062.00	1,320.00	710.00	650.00
	1.2.4 Others	45,607.00	33,697.50	1,850.00	1,960.00
1.3	Beverage & Tobacco	7,540.00	6,974.00	250.00	220.00
1.4	Textiles	134,320.50	123,964.50	13,850.00	14,920.00
	2.4.1 Cotton Textiles	60,197.60	52,027.80	3,150.00	2,640.00
	2.4.2 Jute Textiles	1,380.00	1,370.00	240.00	100.00
	2.4.3 Other Textiles	72,742.90	70,566.70	10,460.00	12,180.00
1.5	Leather & Leather Products	12,332.70	9,776.20	320.00	690.00
1.6	Wood and Wood Products	4,460.00	3,878.20	1,440.00	1,120.00
1.7	Paper & Paper Products	20,730.10	20,676.40	4,640.00	470.00
1.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	48,195.90	44,281.30	28,250.00	21,190.00
1.9	Chemicals and Chemical Products	42,298.80	40,635.60	7,759.40	5,303.00
	1.9.1 Fertilizer	2,675.30	2,892.20	3,070.00	690.00
	1.9.2 Drugs & Pharmaceuticals	17,408.40	16,613.30	2,030.00	1,940.90
	1.9.3 Petro Chemicals	3,719.60	4,706.50	349.40	282.10
	1.9.4 Others	18,495.50	16,423.60	2,310.00	2,390.00
1.10	Rubber, Plastic & their Products	13,370.00	13,302.70	1,810.00	1,430.00
1.11	Glass and Glassware	1,706.80	1,186.70	30.00	30.00
1.12	Cement and Cement Products	18,357.30	9,527.80	610.00	1,222.10
1.13	Basic Metal and Metal Products	187,575.30	183,881.90	39,270.00	37,312.90
	1.13.1 Iron and Steel	122,509.90	119,747.50	31,230.00	28,162.90
	1.13.2 Other Metal and Metal Products	65,065.40	64,134.40	8,040.00	9,150.00
1.14	All Engineering	71,680.50	64,481.00	52,623.40	52,820.00
	1.14.1 Electronics	11,876.10	10,275.50	6,440.00	10,050.00
	1.14.2 Electricity	18,550.00	16,296.70	17,923.40	19,460.00
	1.14.3 Others	41,254.40	37,908.80	28,260.00	23,310.00
1.15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	32,448.20	32,199.30	6,950.00	5,666.90
1.16	Gems & Jewellery	11,180.00	29,644.20	10,890.00	11,980.00
1.17	Construction	48,672.50	45,626.40	44,130.00	41,170.00
1.18	Infrastructure	645,301.30	504,618.70	38,910.00	39,820.00
	1.18.1 Power	438,329.90	312,696.60	32,210.00	34,690.00
	1.18.2 Telecommunications	73,731.70	80,040.80	3,910.00	3,120.00
	1.18.3 Roads	70,380.00	60,741.30	680.00	1,570.00
	1.18.4 Airport	18,270.00	15,071.80	0.00	0.00
	1.18.5 Ports	10,920.00	7,156.10	110.00	50.00
	1.18.6 Railways (other than Indian Railways)	11,730.00	*	1,670.00	0.00
	1.18.7 Other Infrastructure	21,939.70	28,922.10	330.00	390.00
1.19	Other Industries	198,651.10	216,675.20	8,340.00	7,167.30
	INDUSTRY (Total of Small, Medium and Large Scale)	1,598,370.00	1,431,552.90	266,112.80	250,738.50

*Included in Other Infrastructure

उद्योगों की ऋण जोखिम जहाँ बकाया जोखिम बैंक के कुल समग्र ऋण जोखिम के 5% से अधिक है, निम्नवत है:

क्रमांक	उद्योग	कुल ऋण जोखिम (₹ मिलियन में)	कुल समग्र ऋण जोखिम का %
1	ऊर्जा	470,539.90	9.08%

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

Sl. No.	Industry	Total Exposure (₹. in Million)	% of Total Gross Credit Exposure
1	Power	470,539.90	9.08%

(घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विभाजन (वैश्विक)

(राशि ₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्ति
0 से 1 दिन	94,882.20 (54,083.30)	2,379.70 (3,069.40)	12,942.80 (8,427.30)
2 से 7 दिन	136,358.60 (66,891.30)	5,490.20 (8,738.80)	30,257.90 (16,437.70)
8 से 14 दिन	111,190.00 (72,038.90)	556.30 (5,284.10)	14,752.80 (12,089.80)
15 से 28 दिन	162,313.80 (90,219.50)	6,304.10 (20,722.90)	22,710.10 (23,049.10)
29 दिन से 3 महीने तक	207,013.00 (226,679.70)	24,068.20 (89,871.00)	75,515.40 (67,224.00)
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	214,633.70 (203,933.00)	13,400.20 (15,576.80)	60,541.20 (50,747.50)
6 महीने से अधिक व 1 साल तक	401,353.20 (397,288.30)	22,276.50 (16,135.50)	85,664.50 (27,932.90)
1 साल से अधिक व 3 साल तक	763,646.60 (654,157.30)	123,320.90 (76,726.10)	37,959.00 (13,809.90)
3 साल से अधिक व 5 साल तक	279,747.30 (232,892.00)	300,922.90 (186,991.50)	14,758.90 (15,652.90)
5 साल से अधिक	639,536.40 (423,582.80)	769,563.50 (788,212.20)	19,328.30 (18,122.90)
कुल	3,010,674.80 (2,421,766.20)	1,268,282.50 (1,211,328.30)	374,430.90 (253,494.00)

(कोष्ठक में पिछले साल के आंकड़े दिये गये हैं)

(d) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets (Global)

(Amount ₹ in million)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
0 to 1 day	94,882.20 (54,083.30)	2,379.70 (3,069.40)	12,942.80 (8,427.30)
2 to 7 days	136,358.60 (66,891.30)	5,490.20 (8,738.80)	30,257.90 (16,437.70)
8 to 14 days	111,190.00 (72,038.90)	556.30 (5,284.10)	14,752.80 (12,089.80)
15 to 28 days	162,313.80 (90,219.50)	6,304.10 (20,722.90)	22,710.10 (23,049.10)
29 days to 3 months	207,013.00 (226,679.70)	24,068.20 (89,871.00)	75,515.40 (67,224.00)
Over 3 months & upto 6 months	214,633.70 (203,933.00)	13,400.20 (15,576.80)	60,541.20 (50,747.50)
Over 6 months & upto 1 year	401,353.20 (397,288.30)	22,276.50 (16,135.50)	85,664.50 (27,932.90)
Over 1 year & upto 3 years	763,646.60 (654,157.30)	123,320.90 (76,726.10)	37,959.00 (13,809.90)
Over 3 year & upto 5 years	279,747.30 (232,892.00)	300,922.90 (186,991.50)	14,758.90 (15,652.90)
Over 5 years	639,536.40 (423,582.80)	769,563.50 (788,212.20)	19,328.30 (18,122.90)
Total	3,010,674.80 (2,421,766.20)	1,268,282.50 (1,211,328.30)	374,430.90 (253,494.00)

(The figures in brackets relate to previous year)



(ड) अनर्जक आस्तियां:

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	मर्दे	31.03.2014	31.03.2013
क)	सकल एन पी ए	75,702.10	62,601.70
	अवमानक	34,363.40	42,787.10
	संदिग्ध 1	24,303.60	7,828.50
	संदिग्ध 2	16,928.60	5,752.00
	संदिग्ध 3	106.50	5,735.80
	हानि	0.00	498.30
ख)	निवल एन पी ए	59,654.60	52,780.70
ग)	एन पी ए अनुपात		
	सकल एन पी ए के प्रति सकल अग्रिम (%)	2.49	2.57
	निवल एन पी ए के प्रति निवल अग्रिम (%)	1.98	2.18
घ)	एन पी ए का उतार-चढ़ाव (सकल)		
	प्रारंभिक शेष	62,601.60	40,317.50
	संवर्धन	84,436.20	58,193.00
	कमी	71,335.70	35,908.90
	इति शेष	75,702.10	62,601.60
ड)	अनर्जक आस्ति के उतार - चढ़ाव हेतु प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	9,329.60	5,985.60
	विनिमय अस्थिरता पर समायोजन	304.60	86.70
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	22,380.30	18,609.90
		15,912.50	15,352.60
	अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते / (पुनर्लेखन) में डालना	493.60	0.00
	इति शेष	15,608.40	9,329.60
च)	अनर्जक निवेश संबंधी राशि	2,848.10	2,257.60
छ)	अनर्जक निवेश हेतु धारित प्रावधान संबंधी राशि	2,198.10	2,012.60
ज)	निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
	प्रारंभिक शेष	2,128.00	6,299.00
	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	550.10	257.70
	बढ़े खाते में डालना	0.00	0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	1,041.60	4,379.60
	इति शेष	1,636.50	2,177.10

(e) Non-Performing Assets:

(₹ Amount in million)

Sl. No.	Items	31.03.2014	31.03.2013
a)	Gross NPAs	75,702.10	62,601.70
	Sub-Standard	34,363.40	42,787.10
	Doubtful 1	24,303.60	7,828.50
	Doubtful 2	16,928.60	5,752.00
	Doubtful 3	106.50	5,735.80
	Loss	0.00	498.30
b)	Net NPAs	59,654.60	52,780.70
c)	NPA Ratios		
	Gross NPAs to Gross Advances (%)	2.49	2.57
	Net NPAs to Net Advances (%)	1.98	2.18
d)	Movement of NPAs (gross)		
	Opening balance	62,601.60	40,317.50
	Additions	84,436.20	58,193.00
	Reductions	71,335.70	35,908.90
	Closing Balance	75,702.10	62,601.60
e)	Movement of Provisions for NPAs		
	Opening Balance	9,329.60	5,985.60
	Adjustment towards Exchange Fluctuation	304.60	86.70
	Provisions made during the Year	22,380.30	18,609.90
	Write-off	15,912.50	15,352.60
	Write back of excess provisions	493.60	0.00
	Closing Balance	15,608.40	9,329.60
f)	Amount of Non-performing Investments	2,848.10	2,257.60
g)	Amount of Provisions held for Non-performing Investments	2,198.10	2,012.60
h)	Movement of Provisions for Depreciation on Investments		
	Opening Balance	2,128.00	6,299.00
	Provisions made during the period	550.10	257.70
	Write-off	0.00	0.00
	Write Back of excess Provisions	1,041.60	4,379.60
	Closing Balance	1,636.50	2,177.10

प्रकटन प्रपत्र तालिका 5: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों का प्रकटीकरण:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग के लिए:

- बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी प्रभाओं की परिकलन के लिए ऋण जोखिम की रेटिंग तथा जोखिम भारिता निर्धारण के लिए निम्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अनुमोदित किया है।

देशी साख रेटिंग एजेंसियाँ:

- ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
- साख विश्लेषण व अनुसंधान लिमिटेड (केयर)
- क्रिसिल लिमिटेड
- इकरा लिमिटेड
- इंडिया रेटिंग्स व अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड (पहले फिच इंडिया)
- स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड

अंतर्राष्ट्रीय साख रेटिंग एजेंसियाँ:

- स्टैंडर्ड व पुअर
- मुडीज़
- फिच

एजेंसियों का इस्तेमाल किए गए ऋण जोखिम का प्रकार:

उपर्युक्त सभी एजेंसियों को सभी प्रकार की ऋण जोखिमों के रेटिंग के लिए अनुमोदित किया गया है।

बैंकिंग बहियों में सार्वजनिक निर्गम संबंधी रेटिंग को तुलनीय आस्ति में अंतरण करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया संबंधी विवरण:

- बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रार्थित वैध रेटिंग का उपयोग करता है जिनकी समीक्षा मान्यताप्राप्त तथा बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थाओं के रूप में जाना मान्यताप्राप्त बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई) करती हैं।
- उधारकर्ता की ऋण जोखिम भारिता को पहचानने हेतु बैंक द्वारा बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है, जब तक बैंक ऋण को विशिष्ट रूप से रेटिंग नहीं किया गया है, तब तक बैंक इस प्रकार की रेटिंग का इस्तेमाल करता है।
- बैंक द्वारा एक ही उधारकर्ता की किसी एक ऋण जोखिम के लिए एक ईसीएआई का और दूसरी ऋण जोखिम के लिए दूसरे ईसीएआई का प्रयोग नहीं किया जाता, जब तक कि संबंधित ऋण जोखिम की रेटिंग किसी एक चुनिंदा ईसीएआई द्वारा ही किया गया है। आगे, किसी कॉर्पोरेट समूह के भीतर प्रत्येक संस्था के लिए निर्धारित रेटिंग का, उसी समूह के किसी अन्य संस्था के जोखिम भार के निर्धारण के लिए बैंक प्रयोग नहीं करता है।

TABLE DF 5: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH:

Qualitative Disclosures:

(a) For Portfolios under the Standardized Approach:

- The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic Credit Rating Agencies:

- Brickwork Ratings India Private Limited (Brickwork)
- Credit Analysis & Research Limited (CARE)
- CRISIL Limited
- ICRA Limited
- India Ratings and Research Private Limited (Formerly FITCH India)
- SMERA Ratings Limited

International Credit Rating Agencies:

- Standard & Poor,
- Moody's,
- FITCH

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized External Credit Rating Agencies, referred as External Credit Assessment Institutions (ECAI).
- Bank uses Bank Loan Rating for risk weighting the borrower's exposures. Where Issuer Rating is available, the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAs. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.

- नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं को दीर्घावधि ऋण जोखिम के रूप में माना जाता है और तदनुसार ऐसी ऋण जोखिमों के लिए जोखिम भार का निर्धारण के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
- ईसीएआई द्वारा निर्धारित रेटिंग का मापन / लागू करते समय बैंक, विनियामक दिशानिर्देशों / बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति से मार्गदर्शित होता है।
- जहां ऋण जोखिम / उधारकर्ताओं का चुनिंदा ईसीएआई से एक से अधिक रेटिंग प्राप्त हों, वहां बैंक जोखिम भारिता के परिकलन के लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाता है:
 - चुनी हुई ईसीएआई, जो भिन्न जोखिम भारों का मापन करती हैं, द्वारा दो रेटिंग दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
 - जहाँ चुनी हुई ईसीएआई द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग दी जाती है, जो विभिन्न जोखिम भार से जुड़ती है तो ऐसी स्थिति में 2 निम्नतम रेटिंग की अनुरूपी रेटिंग को लिया जाता है और उन में से उच्चतम जोखिम भार को लागू किया जाता है।
- Running limits such as Cash Credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
- While mapping/applying the ratings assigned by the ECAs, the Bank is guided by regulatory guidelines/ Bank's Board approved Policy.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAs, the Bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
 - If there are two ratings accorded by chosen ECAs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
 - If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

परिमाणात्मक प्रकटन:

प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में बैंक एक्सपोजर की राशि – कुल अग्रिम (निर्धारित व अनिर्धारित)– जोखिम प्रशामक (अर्थात् संपार्श्विक) को कम करने के पश्चात् मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत:

क्रमांक	विवरण	निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
		31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1	100% से कम जोखिम भार	3,130,336.20	2,626,145.40	1,791,548.20	2,528,147.00
2	100% जोखिम भार	933,841.70	713,810.10	674,130.30	644,600.40
3	100% से ज्यादा जोखिम भार	544,486.80	373,358.60	253,408.20	202,863.10
4	कम किया गया (जोखिम प्रशामक)	375,654.30	310,179.90	125,497.70	43,416.20
	कुल	4,233,010.40	3,403,134.20*	2,593,588.90	3,332,194.20*

*आंकड़े पुनर्समूहित किए गए हैं।

Quantitative Disclosures:

Amount of the Bank's Exposures – Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets – under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

Sl. No.	Exposures	FUND BASED		NON-FUND BASED	
		31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1	Below 100% Risk Weight	3,130,336.20	2,626,145.40	1,791,548.20	2,528,147.00
2	100% Risk Weight	933,841.70	713,810.10	674,130.30	644,600.40
3	More than 100% Risk Weight	544,486.80	373,358.60	253,408.20	202,863.10
4	Deducted (Risk Mitigants)	375,654.30	310,179.90	125,497.70	43,416.20
	TOTAL	4,233,010.40	3,403,134.20*	2,593,588.90	3,332,194.20*

*Figures Regrouped.

प्रकटन प्रपत्र तालिका 6: ऋण जोखिम कम करना – मानकीकृत दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटन:

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया: प्रभावी संपार्श्विक प्रबंधन के लिए बैंक में निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, संपार्श्विकों के स्वीकृत प्रकार, उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित रूपरेखा निर्धारित करती है। एक सही रूप में लिये गये और प्रबंधन किये गये संपार्श्विक और गारंटियां निम्न के लिए सहायक होंगे:

- प्रत्याशित नकद प्रवाह में अपर्याप्तता या किसी अन्यथा ऋण सुविधा की चुकौती के संबंध में उधारकर्ता द्वारा चूक होने पर चुकौती का दूसरा स्रोत प्रदान करते हुए जोखिम को कम करना।
- चूक होने पर चुकौती के स्रोत पर नियंत्रण पाना।
- उधारकर्ता की गिरती चुकौती क्षमता पर शीघ्र चेतावनी देना और
- जोखिम भारित आस्तियों को बढ़ाना और पर्याप्त रूप से अवशिष्ट जोखिमों का निवारण करना।

बैंक अपने सामने आ रहे ऋण जोखिमों को कम करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। संशोधित दृष्टिकोण भारत के बैंकों को समग्र दृष्टिकोण (दोनों मानकीकृत तथा आई आर बी दृष्टिकोणों के तहत), जो ऋण जोखिम पर संपार्श्विकों के संपूर्ण ऑफसेट के प्रति ऋण जोखिम राशि को संपार्श्विकों के लिए माने गए मूल्य के द्वारा प्रभावी रूप से कम करने हेतु, अपनाने के लिए अनुमत करता है। इस दृष्टिकोण के तहत, बैंक, जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्राप्त करते हैं, उन्हें संपार्श्विक के जोखिम प्रशमन प्रभाव का हिसाब लेकर पूँजी आवश्यकताओं का परिकलन करते समय काउंटरपार्टी की ऋण जोखिम को कम करने के लिए अनुमति है।

बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया और आचरण में, सुरक्षा और संपार्श्विक मूल्य की सुरक्षा व संरक्षण, संपार्श्विक और गारंटियों की वैधता और मूल्यांकन / आवधिक निरीक्षण सहित संपूर्ण क्रियाविधि प्रावरित हैं।

मूल्यांकन: बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋणों को प्रतिभूत करने हेतु प्राप्त अचल और चालू दोनों आस्तियां बैंक द्वारा सूचीबद्ध की गई बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन के अधीन हैं। खातों की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता की संपत्ति का वर्गीकरण, जिसका मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन की आवश्यकता आदि बैंक की नीति संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित की गयी हैं। बैंक नियमित अंतरालों में मूल्यांकन के दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है।

TABLE DF 6: CREDIT RISK MITIGATION – STANDARDIZED APPROACH:

Qualitative Disclosures:

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed. The revised approach allows banks in India to adopt the Comprehensive Approach (under both the Standardized and IRB approaches) which allows fuller offset of collateral against exposures by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. Under this approach, banks, which take eligible financial collateral, are allowed to reduce their credit exposure to the counterparty when calculating their capital requirements by taking into account the risk mitigating effect of the collateral.

Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

Valuation: Both the Fixed and the Current Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Bank's policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

बैंक द्वारा लिये गये संपार्श्विकों के प्रमुख प्रकार संबंधी विवरण: जोखिम को कम करने हेतु बैंक द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त प्रमुख संपार्श्विक प्रकारों में वित्तीय संपार्श्विक (अर्थात् नकद, बैंक जमाएं, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, एन एस सी, के वी पी, डाक विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जारी सरकारी प्रतिभूतियाँ, बैंक द्वारा अनुमोदित लिमिटेड कंपनियों के इक्विटी शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ, कर्ज प्रतिभूतियाँ आदि), विभिन्न प्रकार की चल व अचल संपत्तियाँ / आस्तियाँ आदि शामिल हैं। तथापि, मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत आवश्यक पूँजी के परिकलन हेतु कुछ विशिष्ट संपार्श्विकों को पात्र जमानत के रूप में मान्यता दी गई है।

गारंटीकर्ता प्रतिपक्षकार और उनकी ऋण – पात्रता के प्रमुख प्रकार:

बैंक स्वायत्त संस्थाओं (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय सेंट्रल बैंक व यूरोपीय समिति, बहुपक्षीय विकास बैंक, ईसीजीसी तथा सीजीटीएमएसई सहित) की गारंटियाँ प्राप्त / स्वीकार करता है। इसके अलावा, ऋण जोखिम को कम करने की अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक वैयक्तिक या कॉर्पोरेट गारंटी प्राप्त करता है जिसको गारंटीकर्ता के ऊपर प्रत्यक्ष दावे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और यह शर्त रहित तथा अविकल्पी है। गारंटीकर्ता की साख सामान्यतः उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति से संबद्ध या प्रभावित नहीं होता है। राज्य / केंद्रीय सरकार द्वारा दी गयी गारंटी को भी बैंक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियाँ तब तक प्रभावी रहती हैं जब तक प्रावरित सुविधा की पूरी तरह से चुकौती या निपटान या जारी नहीं हो जाता है।

नई पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम प्रशमन (बासेल II मानक): नई पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बासेल-II मानक) के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने नकद, बैंक की निजी जमाएं, स्वर्ण व स्वर्ण आभूषण को ऋण जोखिम प्रशमन के रूप में मान्यता दी है।

प्रशमन हेतु उठाये गये उपायों के अंतर्गत जोखिम केंद्रीकरण संबंधी सूचना:

ऋण जोखिम के प्रबंधन और संपार्श्विक के जोखिम केंद्रीकरण सहित संपार्श्विक प्रबंधन के प्रभावी मूल्यांकन को सुसाध्य बनाने हेतु बैंक द्वारा एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) हेतु एक डाटा वेयर हाउस स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

Description of the main types of collateral taken by the Bank: The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of Financial Collaterals (i.e. Cash, Bank deposits, Life Insurance policies, NSC, KVP, Government securities issued directly / by postal departments, equity shares of limited companies other than the Bank and approved by the Bank, debentures, units of mutual funds, debt securities etc.), different categories of moveable assets and immoveable assets / properties etc. However, for the purpose of computation of capital required under Standardized Approach, certain specific financial collaterals have been recognized as eligible collateral.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

Bank obtains/ accepts guarantees of sovereign, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European community as well as Multilateral Development Banks, ECGC and CGTMSE). Besides this, Bank also obtains Personal or Corporate guarantee having adequate net worth, as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor, and are unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled or released.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms):

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms).

Information about risk concentration within the mitigation taken:

The Bank has already initiated steps for putting in place a data warehouse for a robust Management Information System (MIS) to facilitate management of Credit Risk and evaluation of effectiveness of collateral management including risk concentrations of collaterals.

परिमाणात्मक प्रकटन:

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	राशि	
		31.03.2014	31.03.2013
1	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद, पात्र वित्तीय संपादिक के द्वारा प्रावरित कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र व तुलन पत्र इतर का समायोजन करने के पश्चात्, जहाँ कहीं लागू हो)	479,925.38	342,841.90
2	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिये गारंटियाँ / ऋण व्युत्पन्नियों से (जब कभी भा.रि.बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत) प्रावरित कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र व तुलन पत्र इतर का समायोजन करने के पश्चात्, जहाँ कहीं लागू हो)	245,019.15	286,496.20

प्रकटन प्रपत्र तालिका 7: प्रतिभूतीकरण-मानकीकृत दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटन:

नीति दिशानिर्देश प्रतिभूतीकरण के माध्यम से आस्तियों के अंतरण तथा नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन को ही प्रावरित करती है जो अनाश्रित आधार पर है।

मानकीकृत आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर बैंकों को दिए गए दिशानिर्देशों में निम्नगत बातें शामिल हैं :-

- आस्तियों के प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रावधान
- नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से मानकीकृत आस्तियों के अंतरण से संबंधित शर्तें।

बैंक के वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देश एक प्रवर्तक (बैंक, एन बी एफ सी / एफ आई) से सामूहिक निधि की खरीद का कार्य करता है। प्रवर्तक बैंक / एन बी एफ सी / एफ आई से नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से आस्तियों की खरीद 'ए' तथा उससे ऊपर मूल्यवाले से हों। बैंक की नीति में कृषि, एम एस एम ई, खुदरा व गैर प्राथमिकता संविभाग से संबंधित आधारभूत आस्तियों की खरीदने का प्रावधान है।

यदि विक्रेता स्पष्ट रूप से बैंक को बताया गया, कि वे निरंतर आधार पर न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकताओं का पालन कर रहा है, तो बैंक भारत के अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से ऋण खरीद सकता है।

बैंक निरंतर आधार पर खरीदे गए लेन-देनों की निगरानी करता है और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई भी करता है। साख जोखिम प्रबंधन पर मास्टर नीति में निर्धारित सामान्य शर्तों के अनुसार प्रत्येक ऋणों के संबंध में ऋण समीक्षा तंत्र तथा निगरानी का पालन किया जाए।

प्रवर्तक के लिए ऋण जोखिम बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा के अंदर ही हों।

Quantitative Disclosures:

(₹ in Millions)

Sl. No.	PARTICULARS	AMOUNT	
		31.03.2014	31.03.2013
1	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	479,925.38	342,841.90
2	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) For each separately disclosed portfolio	245,019.15	286,496.20

TABLE DF 7: SECURITIZATION – STANDARDIZED APPROACH:

Qualitative Disclosures:

The policy guidelines cover guidelines involving transfer of assets through Securitization and direct assignment of cash flows and are on without recourse basis.

The guidelines to banks on securitisation of standard assets contain:

- The provisions relating to securitization of assets.
- Stipulations regarding transfer of standard assets through direct assignment of cash flows.

The bank's existing policy guidelines deals with purchase of pools from an originator (Bank/NBFC/FI). Purchase of assets through Direct Assignment of cash flows from originating NBFCs/Banks/FIs shall be only from those rated 'A' and above. The Bank's Policy has the provision to purchase portfolio with underlying assets pertaining to Agriculture, MSME, Retail and Non priority portfolio.

Bank can purchase loans from other banks/FIs/NBFCs in India only if the seller has explicitly disclosed to the bank that it will adhere to the Minimum Retention Requirement on an ongoing basis.

The bank monitors the purchase transactions on an ongoing basis at certain intervals and takes appropriate action wherever required. The general prescription laid down in the Master policy on Credit Risk Management with regard to loan review mechanism and monitoring is applicable to securitization transactions.

The exposure to the originator shall be within the prudential exposure ceilings stipulated by the Bank.

परिमाणात्मक प्रकटन:

(i) बैंकिंग बही:

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2014	31.03.2013																								
डी.	बैंक द्वारा प्रतिभूतीकृत कुल राशि का एक्सपोजर	18,742.60	0.00																								
ई.	चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिभूतीकृत नुकसान के प्रकटन के लिए भंग किए गए एक्सपोजर के प्रकार (अंतर्विहित प्रतिभूति द्वारा ब्योरेवार क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, आटो ऋण इत्यादि): <div>(₹ मिलियन में)</div> <table><tr><th rowspan="2">प्रकटन प्रकार</th><th colspan="2">बकाया प्रकटन यथा</th><th colspan="2">स्वीकृत लाभ /घाटा</th></tr><tr><th>31.03.2014</th><th>31.03.2013</th><th>31.03.2014</th><th>31.03.2013</th></tr><tr><td>आवास ऋण</td><td>9,639.10</td><td>0.00</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>एमएस एम ई ऋण</td><td>9,103.50</td><td>0.00</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>कुल</td><td>18,742.60</td><td>0.00</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr></table>	प्रकटन प्रकार	बकाया प्रकटन यथा		स्वीकृत लाभ /घाटा		31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	आवास ऋण	9,639.10	0.00	शून्य	शून्य	एमएस एम ई ऋण	9,103.50	0.00	शून्य	शून्य	कुल	18,742.60	0.00	शून्य	शून्य		
प्रकटन प्रकार	बकाया प्रकटन यथा		स्वीकृत लाभ /घाटा																								
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013																							
आवास ऋण	9,639.10	0.00	शून्य	शून्य																							
एमएस एम ई ऋण	9,103.50	0.00	शून्य	शून्य																							
कुल	18,742.60	0.00	शून्य	शून्य																							
एफ.	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतीकृत की जाने वाली संपत्ति की राशि	शून्य	शून्य																								
जी.	(सी) में से एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकरण के पूर्व उत्पन्न संपत्ति की राशि	लागू नहीं	लागू नहीं																								
एच.	प्रतिभूतीकृत प्रतिभूतिकरण की कुल राशि (एक्सपोजर प्रकार) तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर अमान्य लाभ या हानि	लागू नहीं	लागू नहीं																								
आई.	निम्न की कुल राशि																										
	<div>• तुलनपत्र पर बरकरार प्रतिभूतीकरण प्रकटन या जोखिम प्रकार के आधार पर विघटित होकर खरीदे गए (₹ मिलियन में)</div> <table><tr><th rowspan="2">एक्सपोजर प्रकार</th><th colspan="2">बकाया एक्सपोजर यथा</th></tr><tr><th>31.03.2014</th><th>31.03.2013</th></tr><tr><td>आवास ऋण</td><td>9,639.10</td><td>0.00</td></tr><tr><td>एम एस एम ई ऋण</td><td>9,103.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>कुल</td><td>18,742.60</td><td>0.00</td></tr></table> <div>• तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर प्रकार के आधार पर विघटित प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर शून्य</div>	एक्सपोजर प्रकार	बकाया एक्सपोजर यथा		31.03.2014	31.03.2013	आवास ऋण	9,639.10	0.00	एम एस एम ई ऋण	9,103.50	0.00	कुल	18,742.60	0.00												
एक्सपोजर प्रकार	बकाया एक्सपोजर यथा																										
	31.03.2014	31.03.2013																									
आवास ऋण	9,639.10	0.00																									
एम एस एम ई ऋण	9,103.50	0.00																									
कुल	18,742.60	0.00																									
जे.	(i) 31/03/2014 तक प्रतिभूतीकरण प्रकटन की कुल राशि को बरकरार रखा गया या खरीदा गया एक्सपोजर के बीच बांट दिया गया इसके अलावे प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए जुड़े पूंजी शुल्क, को विभिन्न जोखिम भार वाले बैंड में बांट दिया गया <div>(₹ मिलियन में)</div> <table><tr><th>प्रकटन प्रकार</th><th>< 100% जोखिम भार</th><th>100% जोखिम भार</th><th>> 100% जोखिम भार</th><th>कुल एक्सपोजर</th><th>पूंजी प्रभार 9% की दर से</th></tr><tr><td>आवास ऋण</td><td>-</td><td>9,639.10</td><td>-</td><td>9,639.10</td><td>867.52</td></tr><tr><td>एम एस एम ई ऋण</td><td>-</td><td>9,103.50</td><td>-</td><td>9,103.50</td><td>819.31</td></tr><tr><td>कुल</td><td>-</td><td>18,742.60</td><td>-</td><td>18,742.60</td><td>1,686.83</td></tr></table> <div>(ii) टीयर 1 पूंजी से पूरी तरह कटौती किए गए एक्सपोजर, साख्य वर्धन के लिए कुल पूंजी से कटौती किए गए आई/ओ तथा कुल पूंजी से कटौती किए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर प्रकार के आधार पर) शून्य</div>	प्रकटन प्रकार	< 100% जोखिम भार	100% जोखिम भार	> 100% जोखिम भार	कुल एक्सपोजर	पूंजी प्रभार 9% की दर से	आवास ऋण	-	9,639.10	-	9,639.10	867.52	एम एस एम ई ऋण	-	9,103.50	-	9,103.50	819.31	कुल	-	18,742.60	-	18,742.60	1,686.83		
प्रकटन प्रकार	< 100% जोखिम भार	100% जोखिम भार	> 100% जोखिम भार	कुल एक्सपोजर	पूंजी प्रभार 9% की दर से																						
आवास ऋण	-	9,639.10	-	9,639.10	867.52																						
एम एस एम ई ऋण	-	9,103.50	-	9,103.50	819.31																						
कुल	-	18,742.60	-	18,742.60	1,686.83																						

Quantitative Disclosures:

(i) Banking Book:

(₹ in Millions)

SI No	PARTICULARS	31.03.2014	31.03.2013																								
d.	The total amount of exposures securitized by the Bank.	18,742.60	0.00																								
e.	For exposures securitized losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit Cards, Housing Loans, Auto Loans etc. detailed by underlying security): (₹ in Millions)																										
	<table><tr><th rowspan="2">Exposure Type</th><th colspan="2">Exposure Outstanding as on</th><th colspan="2">Recognized gains/(losses)</th></tr><tr><th>31.03.2014</th><th>31.03.2013</th><th>31.03.2014</th><th>31.03.2013</th></tr><tr><td>Housing Loans</td><td>9,639.10</td><td>0.00</td><td>Nil</td><td>Nil</td></tr><tr><td>MSME loan</td><td>9,103.50</td><td>0.00</td><td>Nil</td><td>Nil</td></tr><tr><td>Total</td><td>18,742.60</td><td>0.00</td><td>Nil</td><td>Nil</td></tr></table>	Exposure Type	Exposure Outstanding as on		Recognized gains/(losses)		31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	Housing Loans	9,639.10	0.00	Nil	Nil	MSME loan	9,103.50	0.00	Nil	Nil	Total	18,742.60	0.00	Nil	Nil		
Exposure Type	Exposure Outstanding as on		Recognized gains/(losses)																								
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013																							
Housing Loans	9,639.10	0.00	Nil	Nil																							
MSME loan	9,103.50	0.00	Nil	Nil																							
Total	18,742.60	0.00	Nil	Nil																							
f.	Amount of assets intended to be securitized within a year	Nil	Nil																								
g.	Of (f), amount of assets originated within a year before Securitisation.	NA	NA																								
h.	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NA	NA																								
i.	Aggregate amount of:																										
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type (₹ in Millions)																										
	<table><tr><th rowspan="2">Exposure Type</th><th colspan="2">Exposure Outstanding as on</th></tr><tr><th>31.03.2014</th><th>31.03.2013</th></tr><tr><td>Housing Loans</td><td>9,639.10</td><td>0.00</td></tr><tr><td>MSME loan</td><td>9,103.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>18,742.60</td><td>0.00</td></tr></table>	Exposure Type	Exposure Outstanding as on		31.03.2014	31.03.2013	Housing Loans	9,639.10	0.00	MSME loan	9,103.50	0.00	Total	18,742.60	0.00												
Exposure Type	Exposure Outstanding as on																										
	31.03.2014	31.03.2013																									
Housing Loans	9,639.10	0.00																									
MSME loan	9,103.50	0.00																									
Total	18,742.60	0.00																									
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type - Nil																										
j.	(i) Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach as on 31.03.2014 (₹ in Millions)																										
	<table><tr><th>Exposure Type</th><th>< 100% risk weights</th><th>100% risk weights</th><th>> 100% risk weights</th><th>Total exposure</th><th>Capital Charge @ 9%</th></tr><tr><td>Housing Loans</td><td>-</td><td>9,639.10</td><td>-</td><td>9,639.10</td><td>867.52</td></tr><tr><td>MSME loan</td><td>-</td><td>9,103.50</td><td>-</td><td>9,103.50</td><td>819.31</td></tr><tr><td>Total</td><td>-</td><td>18,742.60</td><td>-</td><td>18,742.60</td><td>1,686.83</td></tr></table>	Exposure Type	< 100% risk weights	100% risk weights	> 100% risk weights	Total exposure	Capital Charge @ 9%	Housing Loans	-	9,639.10	-	9,639.10	867.52	MSME loan	-	9,103.50	-	9,103.50	819.31	Total	-	18,742.60	-	18,742.60	1,686.83		
Exposure Type	< 100% risk weights	100% risk weights	> 100% risk weights	Total exposure	Capital Charge @ 9%																						
Housing Loans	-	9,639.10	-	9,639.10	867.52																						
MSME loan	-	9,103.50	-	9,103.50	819.31																						
Total	-	18,742.60	-	18,742.60	1,686.83																						
	(ii) Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 Capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type) - Nil																										

(ii) बही ट्रेडिंग

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2014	31.03.2013																				
के	बैंक द्वारा प्रतिभूतीकृत प्रकटन की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर बरकरार रखा है और जो एक्सपोजर प्रकार के द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन है	11,075.50	57.60																				
एल	निम्न की कुल राशि:																						
	• तुलन पत्र पर बरकरार प्रतिभूतीकरण प्रकटन या जोखिम प्रकार के आधार पर विघटित होकर खरीदे गए; और	11,075.50	57.60																				
	• तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर प्रकार के आधार पर विघटित एक्सपोजर	शून्य	शून्य																				
एम	अलग से खरीदे गए या बरकरार रखे गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की कुल राशि																						
	• विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय की शर्तों पर बरकरार रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर, और	11,075.50	57.60																				
	• विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतीकरण ढांचे का प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के अधीन विभिन्न जोखिम भार वाले बैंड में विघटन (₹ मिलियन में)																						
	<table> <tr> <th>क्रमांक</th><th>जोखिम भार</th><th>यथा दिनांक 31.03.2014 को एक्सपोजर</th><th>यथा दिनांक 31.03.2013 को एक्सपोजर</th></tr> <tr> <td>1</td><td><100% जोखिम भार</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% जोखिम भार</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% जोखिम भार</td><td>11,075.50</td><td>57.60</td></tr> <tr> <td>4</td><td>कुल</td><td>11,075.50</td><td>57.60</td></tr> </table>	क्रमांक	जोखिम भार	यथा दिनांक 31.03.2014 को एक्सपोजर	यथा दिनांक 31.03.2013 को एक्सपोजर	1	<100% जोखिम भार	0.00	0.00	2	100% जोखिम भार	0.00	0.00	3	>100% जोखिम भार	11,075.50	57.60	4	कुल	11,075.50	57.60		
क्रमांक	जोखिम भार	यथा दिनांक 31.03.2014 को एक्सपोजर	यथा दिनांक 31.03.2013 को एक्सपोजर																				
1	<100% जोखिम भार	0.00	0.00																				
2	100% जोखिम भार	0.00	0.00																				
3	>100% जोखिम भार	11,075.50	57.60																				
4	कुल	11,075.50	57.60																				
एन	निम्न की कुल राशि:																						
	• विभिन्न जोखिम भार बैंड में विघटित प्रतिभूतीकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतीकरण प्रकटन के लिए आवश्यक पूंजी (₹ मिलियन में)																						
	<table> <tr> <th>क्रमांक</th><th>जोखिम भार बैंड</th><th>यथा 31.03.2014 को पूंजी की आवश्यकता</th><th>यथा 31.03.2013 को पूंजी की आवश्यकता</th></tr> <tr> <td>1</td><td><100% जोखिम भार</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% जोखिम भार</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% जोखिम भार</td><td>1,495.10</td><td>7.80</td></tr> <tr> <td>4</td><td>कुल</td><td>1,495.10</td><td>7.80</td></tr> </table>	क्रमांक	जोखिम भार बैंड	यथा 31.03.2014 को पूंजी की आवश्यकता	यथा 31.03.2013 को पूंजी की आवश्यकता	1	<100% जोखिम भार	0.00	0.00	2	100% जोखिम भार	0.00	0.00	3	>100% जोखिम भार	1,495.10	7.80	4	कुल	1,495.10	7.80		
क्रमांक	जोखिम भार बैंड	यथा 31.03.2014 को पूंजी की आवश्यकता	यथा 31.03.2013 को पूंजी की आवश्यकता																				
1	<100% जोखिम भार	0.00	0.00																				
2	100% जोखिम भार	0.00	0.00																				
3	>100% जोखिम भार	1,495.10	7.80																				
4	कुल	1,495.10	7.80																				
	• टीयर 1 पूंजी से पूरी तरह कटौती किए गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर, साख्र वर्धन के लिए कुल पूंजी से कटौती किए गए आई/ओ तथा कुल पूंजी से कटौती किए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर प्रकार के आधार पर)	शून्य	शून्य																				

(ii) Trading Book:

(₹ in Millions)

SI No	PARTICULARS	31.03.2014	31.03.2013																				
(k)	Aggregate amount of exposures Securitised by the Bank for which the Bank has retained some exposures and which is subject to the Market Risk approach, by exposure type.	11,075.50	57.60																				
(l)	Aggregate amount of:																						
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	11,075.50	57.60																				
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	NIL	NIL																				
(m)	Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased separately for:																						
	• Securitisation Exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for Specific Risk; and	11,075.50	57.60																				
	• Securitization Exposures subject to the securitisation framework for Specific Risk broken down into different risk weight bands. (₹ in Millions)																						
	<table> <tr> <th>SI No.</th><th>Risk Weight Bands</th><th>Exposure as on 31.03.2014</th><th>Exposure as on 31.03.2013</th></tr> <tr> <td>1</td><td><100% Risk Weight</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% Risk Weight</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% Risk Weight</td><td>11,075.50</td><td>57.60</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total</td><td>11,075.50</td><td>57.60</td></tr> </table>	SI No.	Risk Weight Bands	Exposure as on 31.03.2014	Exposure as on 31.03.2013	1	<100% Risk Weight	0.00	0.00	2	100% Risk Weight	0.00	0.00	3	>100% Risk Weight	11,075.50	57.60	4	Total	11,075.50	57.60		
SI No.	Risk Weight Bands	Exposure as on 31.03.2014	Exposure as on 31.03.2013																				
1	<100% Risk Weight	0.00	0.00																				
2	100% Risk Weight	0.00	0.00																				
3	>100% Risk Weight	11,075.50	57.60																				
4	Total	11,075.50	57.60																				
(n)	Aggregate amount of:																						
	• The capital requirements for the Securitisation Exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands. (₹ in Millions)																						
	<table> <tr> <th>SI No.</th><th>Risk Weight Bands</th><th>Capital Requirement as on 31.03.2014</th><th>Capital Requirement as on 31.03.2013</th></tr> <tr> <td>1</td><td><100% Risk Weight</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% Risk Weight</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% Risk Weight</td><td>1,495.10</td><td>7.80</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total</td><td>1,495.10</td><td>7.80</td></tr> </table>	SI No.	Risk Weight Bands	Capital Requirement as on 31.03.2014	Capital Requirement as on 31.03.2013	1	<100% Risk Weight	0.00	0.00	2	100% Risk Weight	0.00	0.00	3	>100% Risk Weight	1,495.10	7.80	4	Total	1,495.10	7.80		
SI No.	Risk Weight Bands	Capital Requirement as on 31.03.2014	Capital Requirement as on 31.03.2013																				
1	<100% Risk Weight	0.00	0.00																				
2	100% Risk Weight	0.00	0.00																				
3	>100% Risk Weight	1,495.10	7.80																				
4	Total	1,495.10	7.80																				
	• Securitisation Exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Nil	Nil																				

प्रकटन प्रपत्र तालिका 8: व्यापारिक बही खाते में बाजार जोखिम – मानकीकृत आशोधित अवधिक दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

रणनीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ: बाजार जोखिम प्रबंधन का व्यापक उद्देश्य बैंक की प्रतियोगी क्षमताओं को बढ़ाते हुए तथा सभी प्रकार की बाजार जोखिम घटनाओं में कमी करते हुए बैंक के शेयरधारक के मूल्य में संवृद्धि दर्ज करना है।

- जहाँ एक ओर व्यापक नेतृत्व एवं जोखिम प्रबंधन तंत्र का नियंत्रण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं हमारी कारोबारी इकाइयों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे वे जोखिम उठाने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए रणनीतियाँ तय कर सकें।
- समस्त मुद्दों अथवा पहले से तयशुदा गंभीर किस्म के मामलों को (तथ्यात्मक, आवधिकता, प्रकृति) जोखिम प्रबंधन अनुभाग को भेज दिया जाता है, वहाँ इन मामलों को समुचित रूप से निपटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्संबंधी कार्रवाई तय की जाती है। कारोबारी इकाइयों की जिम्मेदारी होती है कि वे इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि:

- बाजार जोखिम गतिविधियों से निपटने के लिए एक प्रोएक्टिव बाजार जोखिम प्रबंधन की कॉरपोरेट संस्कृति स्थापित करना।
- बाजार जोखिम से संबद्ध सभी संबंधित विधायी प्रावधानों एवं विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- बाजार जोखिम को पहचानने, मापने, उसका प्रबंधन करने, उसकी देखरेख करने, नियंत्रण तथा समीक्षा करने संबंधी नीतियों एवं कार्यविधियों में गुणवत्ता का निरंतर रूप से नियमित विकास करना।
- विभिन्न प्रकार के बाजार जोखिम कारकों के लिए ऋण सीमा का ढाँचा और संबंधित सचेतक स्थापित करना।
- मजबूत रिपोर्टिंग ढाँचा स्थापित करते हुए प्रभावी संवीक्षा तंत्र तैयार करना।
- बाजार जोखिम उपायों के स्वतंत्र और नियमित मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाना।

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य का ढाँचा एवं संगठन : बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन तंत्र का ढाँचा इस प्रकार है :-

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ)
- बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एम आर एम सी)
- महा प्रबंधक – जोखिम प्रबंधन विभाग (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी) – प्रधान कार्यालय

TABLE DF 8: MARKET RISK IN TRADING BOOK – STANDARDIZED MODIFIED DURATION APPROACH:

Qualitative Disclosures:

Strategies and processes: The overall objective of market risk management is to create shareholder value by improving the Bank's competitive advantage and reducing loss from all types of market risk loss events.

- While overall leadership and control of the risk management framework is provided by Risk Management Wing, the business units are empowered to set strategy for taking risks and manage the risks.
- All issues or limit violations of a pre-determined severity (materiality, frequency, nature) are escalated to the Risk Management Wing where the actions to address them are determined by the appropriate authorities. The business units are responsible for implementing the decision taken.

The process aims to:

- Establish a pro-active market risk management culture to cover market risk activities.
- Comply with all relevant legislation and regulatory requirements relating to Market Risk
- Develop consistent qualities in evolving policies & procedures relating to identification, measurement, management, monitoring, controlling and reviewing of Market Risk.
- Establish limit structure and triggers for various kinds of market risk factors
- Establish efficient monitoring mechanism by setting up a strong reporting system.
- Adopt independent and regular evaluation of the market risk measures.

The structure and organization of the relevant risk management function: Market Risk Management structure of the Bank is as under–

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Market Risk Management Committee (MRMC)
- General Manager – RM Wing (Chief Risk Officer)- Head Office

- बाजार जोखिम प्रबंधन प्रभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग, प्र.का.
 - एकीकृत अंतर्मध्य कार्यालय
 - अंतर्मध्य कार्यालय – एकीकृत राजकोष
 - आस्ति देयता प्रबंधन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग तथा / अथवा इनकी मापन पद्धति की संभावनाएँ एवं प्रकृति :-

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न ऋण सीमाओं का निर्धारण किया है, जैसे एक दिवसीय सीमा, अंतरदिवसीय सीमा, समग्र अंतर सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, जोखिम मूल्य सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूँजी बाजार ऋण सीमा, उत्पादवार ऋण सीमा, जारीकर्तावार ऋण सीमा इत्यादि।
- बैंक के विभिन्न स्तरों पर जोखिम सीमाओं की संवीक्षा करने के लिए जोखिम रिपोर्टिंग पद्धति सुस्थापित की गई है।
- जोखिम प्रबंधन अथवा लेखांकन उद्देश्यों के लिए बाजार के लिए अंकित किये जाने वाली दरों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाता है।
- बैंक की रणनीतियों के अनुसार कार्यनिष्पादन तथा जोखिम की जाँच करने, कारोबारी गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए इन रिपोर्टों का उपयोग किया जाता है।
- यह रिपोर्टिंग पद्धति समय सीमा, स्वचालन के समय समुचित विशुद्धता, संविभागों में जोखिम की संभावनाओं को उजागर करना सुनिश्चित करती है और इसमें तत्संबंधी लिखित विवरण भी होते हैं।
- विस्तृत जोखिम रिपोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाती है।
- डीलिंग रूम की गतिविधियाँ केन्द्रीकृत की गई हैं तथा विभिन्न जोखिम सीमाओं की निगरानी के लिए व्यवस्था स्थापित की गई है।
- रिपोर्टिंग प्रारूपों एवं इसकी आवश्यकता की सामयिक समीक्षा की जाती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये उपाय जोखिम संवीक्षा, उसके मापन एवं जोखिम को हल्का करने के लिए पर्याप्त है।

बचाव व्यवस्था (हेजिंग) तथा / अथवा तत्संबंधी जोखिम कम करने की नीतियाँ और बचाव व्यवस्थापकों / प्रशामकों को प्रभावी बनाए रखने संबंधी संवीक्षा की रणनीति एवं प्रक्रियाएँ: बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों को, जैसे बाजार जोखिम प्रबंधन नीति (देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, काउंटर पार्टी बैंक जोखिम प्रबंधन नीति सहित), निवेश नीति, विदेशी मुद्रा लेन-देन व व्यापार परिचालन नीति, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा आस्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम निर्धारण, इनकी पहचान तथा उपाय व रोकथाम, जोखिम ऋण सीमाएँ एवं कारकों, जोखिम संवीक्षा एवं रिपोर्टिंग के लिए एक आधारभूत ढाँचा तैयार करती है।

- Market Risk Management Department, Risk Management Wing, HO
 - Integrated Mid Office
 - Mid Office – Integrated Treasury
 - Asset Liability Management Section

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

- The Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit, etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the Bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with the Bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation, highlight portfolio risk concentrations, and include written commentary.
- The detailed risk reports enhance the decision-making process.
- Dealing room activities are centralized, and system is in place to monitor the various risk limits.
- The reporting formats & the frequency are periodically reviewed to ensure that they suffice for risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy (Including Country Risk Management and Counterparty Bank Risk Management), Investment Policy, Forex dealing and trading operations Policy and ALM Policy are put in place for market risk management. Market Risk Management Policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

बैंक ने विभिन्न मापदण्डों जैसे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति, व्यापार संतुलन इत्यादि के आधार पर देशीय जोखिम रेटिंग के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित किया है जिससे विभिन्न देशों को ऋण सीमा का आबंटन करते समय उनकी जोखिम श्रेणी का ध्यान रखा जा सकता है।

बैंक ने विदेशी बैंकों की श्रेणी तय करने के लिए एक अंक तालिका मॉडल विकसित किया है। काउंटरपार्टियों द्वारा अंकतालिका मॉडल में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर हासिल किए गए अंकों के मद्देनजर विभिन्न ऋण सीमा तय की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ब्याज दर जोखिम तथा तरलता जोखिम के प्रबंधन का कार्य करता है। यह नीति में विभिन्न दिशानिर्देश दिए गए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि आकस्मिक निधि योजना बनाते हुए संक्रमण काल में तरलता की स्थिति को सामान्य ही रखा जा सके। प्रत्येक समय सीमा के तहत बट्टा के स्तरों को भी शामिल किया गया है तथा इसके टूटते ही यह आने वाले तरलता-संकट का संदेश देने लगता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	पूँजी आवश्यकता की राशि	
		31.03.2014	31.03.2013
(क)	ब्याज दर जोखिम	13,090.56	14,625.80
(ख)	इक्विटी स्थिति संबंधी जोखिम	5,156.27	4,361.50
(ग)	विदेशी विनिमय जोखिम	592.47	386.10

प्रकटन प्रपत्र तालिका 9: परिचालनात्मक जोखिम:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

रणनीतियां और प्रक्रियाएं: बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के पीछे एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और सृढ़ परिचालनात्मक कार्यविधियां हैं जिनमें क्रॉपॉरेट मूल्य, दृष्टिकोण, सक्षमातायें, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिकता आयोजना शामिल हैं। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिये नितियां निर्धारित हैं।

उपयुक्त जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणाली की संरचना और संगठनात्मक ढांचा: बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नवत् है।

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी बी)

The Bank has developed an internal model for country risk rating based on various parameters like GDP growth, inflation, trade balance etc for risk categorization of the countries to allocate limit for taking exposure to various countries.

The Bank has in place a scoring model for categorization of foreign banks. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

The ALM Policy deals with management of Interest Rate Risk and Liquidity Risk. The Policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each timeframe and any breach of it would signal a forthcoming liquidity constraint.

Quantitative Disclosures:

(₹ in Millions)

Sl. No.	Particulars	Amount of capital requirement	
		31.03.2014	31.03.2013
(a)	Interest Rate Risk	13,090.56	14,625.80
(b)	Equity Position Risk	5,156.27	4,361.50
(c)	Foreign Exchange Risk	592.47	386.10

TABLE DF 9: OPERATIONAL RISK:

(i) Qualitative Disclosures:

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)

- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- प्रमुख / महा प्रबंधक – जोखिम प्रबंधन / मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ओआरएमडी), प्रधान कार्यालय
- विभागों के मुख्य महा प्रबंधक / महा प्रबंधक / अंचल प्रमुख
- अंचल कार्यालयों के नामित कार्यपालक
- अंचलों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग
- जोखिम प्रबंधन अधिकारी (अंचलों / प्रधान कार्यालय के विभागों के नोडल अधिकारी)

जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन पद्धतियों का दायरा और प्रकृति: जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं / कार्यालयों में व्यक्ति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी से संबंधित परिचालनात्मक जोखिम हानि संभावनायें / घटनायें और बाहरी घटनायें शामिल हैं। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आंकड़े का उपयोग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त 7 हानि घटना प्रकारों और 8 कारोबार प्रकारों वाले जोखिम मैट्रिक्स को तैयार करने के लिये किया जाता है।

बचाव व्यवस्था और / या जोखिम को कम करने की नीतियां और बचाव व्यवस्था / प्रशामक के निरंतर रूप से प्रभावी होने पर निगरानी की रणनीतियां और प्रक्रियाएं: बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन से संबंधित निम्नांकित नीतियां निर्धारित की हैं। नीति ढाँचे में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुएं जैसे परिचालनात्मक जोखिम पहचान, प्रबंधन की निगरानी व प्रशमन आदि शामिल हैं।

आउटसोर्सिंग क्रियाकलापों में शामिल जोखिमों के लिए बैंक में आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित की गयी है।

एक सहमत स्तर पर महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं की निरंतरता, बहाल तथा वसूली सुनिश्चित करने के लिए तथा लोगों, प्रक्रिया तथा बुनियादी संरचना (सूचना प्रौद्योगिकी सहित) पर प्रभाव को सीमित रखने के लिए कारोबार निरंतरता योजना नीति रूपायित की गई है। यह कारोबार प्रभाव / आपदा से उत्पन्न होनेवाली परिचालनात्मक, वित्तीय, विधिक, प्रतिष्ठा तथा अन्य परिणामों को कम करता है।

परिचालनात्मक जोखिम पूंजी मूल्यांकन: परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के परिकलन हेतु बैंक ने मूल संकेतम दृष्टिकोण अपनाया है।

- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Head/ General Manager – Risk Management/ Chief Risk Officer
- Operational Risk Management Department (ORMD), HO
- Chief General Managers/ General Managers of Wings/ Circle Heads
- Nominated Executives at Circles
- Risk Management Sections at Circles.
- Risk Officer (Circle Offices / Nodal Officers in functional Wings at Head Office).

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems: The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of Risk Matrix consisting of seven loss event types and eight business lines recognized by the RBI.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

Bank has put in place policies for management of Operational Risk. The policy framework contains various aspects of Operational Risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational Risk areas.

In order to address risks involved in outsourcing of activities, Bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Business Continuity Plan Policy is in place to ensure continuity, resumption and recovery of critical business processes, at an agreed level and limit the impact of the disaster on people, process and infrastructure (including IT). This will minimize the operational, financial, legal, reputational and other material consequences arising from a Business impact/ disaster.

Operational Risk Capital Assessment: The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालनात्मक जोखिम के लिए आवश्यक पूँजी ₹15,394.60 मिलियन है।

प्रकटन प्रपत्र तालिका 10: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी):

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बैंक की वित्तीय स्थिति को बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन से प्रभावित करती है। विभिन्न परिपक्वता / पुनर्मूल्यन, मुद्रा, बाज़ार व बेंचमार्क दरों जैसे तुलन पत्र के आंतरिक व बाह्य मदों में बैंक द्वारा दरों का धारण होने के कारण विभिन्न मानदंडों में आनेवाली विपरीत परिवर्तन ब्याज दर जोखिम तक पहुँचाते हैं। ब्याज दरों के विपरीत उतार-चढ़ावों के कारण बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम बैंक के अर्जन (अल्पावधि प्रभाव) तथा निवल मूल्य (दीर्घावधि प्रभाव) के प्रभावों का अनावरण करता है जिसका आकलन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक ढाँचा

निदेशक मंडल / जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम सहिष्णुता के अनुसार ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति का विकास व कार्यान्वयन, सीमाओं, विभिन्न व्यापारों तथा कानूनी इकाइयों के प्रति विभिन्न मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करना बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का कर्तव्य है। एएलसीओ बैंक के ब्याज दर दृष्टिकोण को सुस्पष्ट करती है तथा भावी व्यापार रणनीतियों के निर्णय के लिए नींव डालती है। निधीयन नीति के अनुसार आस्तियों के सृजन के लिए स्रोत पर विचार करके देनदारियों का मिश्रण करना इसका दायित्व है। एएलसीओ निदेशक मंडल द्वारा ब्याज दर जोखिम के लिए निर्धारित विभिन्न सीमाओं की निगरानी करती है तथा सीमाओं में किसी प्रकार के उल्लंघन के संदर्भ में सुधारात्मक कदम उठाती है।

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ

बैंक अपनी संपत्तियों तथा देनदारियों के मूल्य को उचित परिपक्वता के साथ मिलान करने का प्रयास करता है ताकि परिपक्व हो रहे या पुनर्मूल्यीकृत विभिन्न समय श्रेणी के अंतर को कम किया जा सके। ब्याज दर जोखिम के मापन तथा प्रबंधन के लिए बैंक अपनी वैश्विक आस्तियों, देयताओं तथा तुलन पत्र इतर मदों पर, जो दर संवेदनशील हैं, दोनों परंपरागत अंतर विश्लेषण (टीजीए) और अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) को अपना रहा है।

Quantitative Disclosure:

The capital requirement for Operational Risk under Basic Indicator Approach is ₹15,394.60 Millions.

TABLE DF 10: INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB):

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net-worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing and implementing interest rate risk management strategy, managing interest rate risk in different currencies, across borders and across business lines and legal entities as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee. The ALCO also articulates interest rate view of the bank and bases its decisions for future business strategy. In respect of the funding policy, its responsibility is to decide on source and mix of liabilities for creation of assets. ALCO monitors the various limits established by the Board for interest rate risk and takes corrective action if there is any breach in the limit.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its global position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

बैंक अपना ब्याज दर जोखिम स्थिति का परिकलन, टीजीए तथा डीजीए लागू करके प्रत्येक मुद्रा से उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति-तयों / देयताओं / बाह्य तुलन पत्र मदों, जहाँ आस्तियाँ या देयताएँ बैंक की वैश्विक आस्ति व वैश्विक देयता से 5 प्रतिशत या उस से ज्यादा है, से करते हैं। सभी अन्य अवशिष्ट मुद्राओं की ब्याज दर जोखिम स्थिति का परिकलन समग्र आधार पर अलग से किया जाता है। गैर-परिपक्व जमाओं के वर्गीकरण बैंक के व्यवहार अध्ययन के अनुसार किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम, पुनर्मूल्यन, उपज परिवर्तन वक्र, आधार जोखिम तथा विकल्प जोखिम से, उत्पन्न होता है। आय परिप्रेक्ष्य व आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में परिपक्वता व पुनर्मूल्यन बेमेलों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को निम्न तंत्रों के द्वारा कब्जा करना बैंक का उद्देश्य है।

- 1. अंतर विश्लेषण:** ब्याज दर जोखिम को मापने की बुनियादी उपकरण है दर संवेदनशील आस्तियों तथा दर संवेदनशील देयताओं और तुलन पत्र के बाह्य मदों के विभिन्न मदों को अवशिष्ट परिपक्वता या अग्र-पुनर्मूल्यकरण, जो भी पहले हो, तथा निवल अंतर (अर्थात् आरएसए-आरएसएल) पर पहुँचने के बाद विभिन्न समय श्रेणी में समूहन करके ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार करते हैं। एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर से तात्पर्य बाज़ार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निवल ब्याज आय (एनआईआई) में होनेवाले वृद्धि से है। विपरीततः एक नकारात्मक या देयता संवेदनशील अंतर, बाज़ार ब्याज दरों में वृद्धि से बैंक के एनआईआई में होनेवाली गिरावट को सूचित करती है।
- 2. जोखिम में अर्जन:** जोखिम में अर्जन, एक सकारात्मक अंतर के द्वारा ब्याज दर में वृद्धि से बैंक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है या नकारात्मक अंतर के द्वारा ब्याज दरों में गिरावट से बैंक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है या नहीं का, संकेतक है। ब्याज दरों में समानांतर बदलाव के कारण अर्जन पर जोखिमों का पुनर्मूल्यन का प्रभाव भिन्न दर आघातों के लिए निर्धारित की है। अर्जन पर प्रभाव को आय वक्र और आधार जोखिम के लिए भी अनुमानित किया जाता है।
- 3. ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई):** ब्याज दरों में परिवर्तन बैंक के ईक्विटी के बाज़ार मूल्य या निवल मूल्य को लंबी अवधि के लिए प्रभावित करने से बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण बैंक के आस्तियों के मूल्य, देयताएँ तथा तुलन पत्र के बाह्य स्थितियाँ प्रभावित होती हैं। निर्धारित दर आघात के परिणामस्वरूप ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में अनुमानित पतन पूरे बैंक के ब्याज दर स्थिति के मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाली अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) द्वारा अनुमानित किया गया है।

The Bank computes its interest rate risk position in each currency applying the TGA and DGA to the rate sensitive assets/ liabilities/ off balance sheet items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 percent or more of the total of either the Bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk position in all other residual currencies is computed separately on an aggregate basis. The non-maturing deposits are classified as per the behavioral study of the Bank.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk and options risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

- 1. Gap Analysis:** The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL). A positive or Asset Sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.
- 2. Earnings at Risk (EaR):** Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.
- 3. Market Value of Equity (MVE):** A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA).

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

ऋण जोखिम पर आय-अर्जन

निम्न सारणी यथा 31.03.2014 को बैंक के निवल ब्याज आय पर ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर बदलाव से, विभिन्न मुद्राओं में एक साल तक हुए प्रभाव को प्रस्तुत करती है।

(₹ मिलियन में)

मुद्राएं	1 वर्ष तक ब्याज दरों में परिवर्तन	
	-100 आधार बिंदुएं	+100 आधार बिंदुएं
आई एन आर	(3104.9)	3104.9
यू एस डालर	(388.9)	388.9
अन्य	(103.7)	103.7
कुल	(3597.5)	3597.5

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य

निम्न सारणी यथा 31.03.2014 को 200 आधार बिंदुओं के आनुमानिक दर के आघातों के संबंध में ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को प्रस्तुत करती है।

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 आधार बिंदुएं	+200 आधार बिंदुएं
	7.16%	(7.16%)

Quantitative Disclosures:

EARNINGS AT RISK

The following table presents the impact on net interest income of the Bank for an assumed parallel shift of 100 bps in interest rate up to one year across currencies as at 31.03.2014.

(₹ in Millions)

Currencies	Change in interest rate up to 1 Year	
	-100 bps	+100 bps
INR	(3104.9)	3104.9
USD	(388.9)	388.9
Others	(103.7)	103.7
Total	(3597.5)	3597.5

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

The table reveals the impact on Economic Value of Equity for an assumed rate shock of 200 bps on the Banking Book as at 31.03.2014.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	+200 bps
	7.16%	(7.16%)

यथा 31.03.2014 को स्तंभ 3 – बासेल III प्रकटन प्रकटन प्रपत्र तालिका 1: अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

बैंक का नाम जिसके लिए यह ढाँचा लागू है: केनरा बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटन

क. समेकन के लिए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ (निगमित देश)	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या निकाय को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा रोबेक्को आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी। समूह की समेकित विनियामक पूँजी से निकाली गई

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES AS ON 31.03.2014

TABLE DF – 1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Canara Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Canbank Financial Services Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Venture Capital Fund Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Factors Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Computer Services Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Non Financial Subsidiary. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.



निकाय का नाम/ (निगमित का देश)	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या निकाय को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा अनुषंगी। समूह की समेकित विनियामक पूंजी से निकाली गई
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (रूस)	हां	संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक - 27 के अनुसार	नहीं	संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक - 27 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनफिन होम्स लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केनफिन होम्स लि. में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है
प्रगति ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Canara Bank Securities Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Insurance Subsidiary. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
Commercial Indo Bank LLC., Moscow (Russia)	Yes	As per Accounting Standard -27 on Financial Reporting of Interest in Joint Venture	No	As per Accounting Standard -27 on Financial Reporting of Interest in Joint Venture	N.A	N.A
Canfin Homes Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Canfin Homes Ltd, has been Risk weighted for capital adequacy purposes
Pragathi Krishna Gramin Bank (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Pragathi Krishna Gramin Bank, has been Risk weighted for capital adequacy purposes

निकाय का नाम/ (निगमित का देश)	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या निकाय को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केरल ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केरल ग्रामीण बैंक में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Kerala Gramin Bank (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Kerala Gramin Bank, has been Risk weighted for capital adequacy purposes

ख. उन समूह निकायों की सूची जिन्हें समेकन के लिए लेखांकन और समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र दोनों में नहीं रखा है।

ऐसे कोई समूह निकाय नहीं हैं जिन्हें समेकन के लिए लेखांकन और समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र दोनों में नहीं रखा है।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are not considered for consolidation under both accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

ग. समेकन के लिए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमित देश (जैसे ऊपर (क) में दर्शाया गया है)	निकाय की मुख्य गतिविधि	31 मार्च 2014 तक कुल तुलन पत्र इक्विटी (₹ मिलियन में)	31 मार्च 2014 तक कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (₹ मिलियन में)
केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (इंडिया)	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड के न्यासी और प्रबंधक	2.50	305.43
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (भारत)	फैक्टरिंग के कारोबार में लगे हैं	200.00	7,245.18
केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (भारत)	केनबैंक म्यूचुअल फंड के प्रबंधक	498.54	1,076.02
केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (भारत)	संस्थागत और खुदरा ग्राहकों को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का कारोबार	400.00	1,195.73
केनबैंक फिनांशियल सर्विसेस लि. (भारत)	इसका मालियत खत्म हो गया है और वर्तमान में यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की किसी गतिविधियों में नहीं लगा है	300.00	486.86
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (रूस)	बैंकिंग	2,196.90 (36.67 Mn USD)	6,103.00 (101.86 Mn USD)

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of Incorporation (as indicated in (a) above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity as on 31 st March 2014 Amount (₹ in Millions)	Total balance sheet assets as on 31 st March 2014 Amount (₹ in Millions)
Canbank Venture Capital Fund Ltd. (India)	Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund	2.50	305.43
Canbank Factors Ltd. (India)	Engaged in the business of Factoring	200.00	7,245.18
Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (India)	Manager of Canbank Mutual Fund	498.54	1,076.02
Canara Bank Securities Ltd. (India)	Business of Providing Stock Broking services to Institutional and retail clients	400.00	1,195.73
Canbank Financial Services Ltd. (India)	Its net-worth is totally eroded and currently it is not engaged in any of the activities of a non-banking financial company	300.00	486.86
Commercial Indo Bank LLC., Moscow (Russia)	Banking	2,196.90 (36.67 Mn USD)	6,103.00 (101.86 Mn USD)

घ. समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की गई अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि यानि जिन्हें काटा गया है

यथा मार्च 31, 2014 तक बैंक की अनुषंगियों में कोई पूंजी कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया है

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiaries of the Bank which are not included in the regulatory scope of consolidation as on March 31, 2014.

ड.) बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की कुल राशि (उदाहरण: चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं

बीमा निकायों/ निगमित देश का नाम	निकाय की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी राशि (वैध निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (₹ मिलियन में)	निकाय का नाम/ (निगमित देश)	जोखिम भारित पद्धति बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का इस्तेमाल करने से विनियम पूंजी पर पड़ने वाला परिमाणात्मक प्रभाव
केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (इंडिया)	बीमा कारोबार	9,500	51%	सीआरएआर पर 11 बीपीएस सकारात्मक प्रभाव

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities/ Country of Incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Amount (₹ in Millions)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd. (India)	Insurance Business	9,500	51%	11 bps positive impact on CRAR

च) बैंकिंग समूह में निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं:

बैंकिंग समूह में निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

प्रकटन प्रपत्र तालिका-2: पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटन

पूंजी इष्टतमीकरण व लाभ अधिकतमकरण पर यथोचित ध्यान के साथ बैंक ने रोबस्ट जोखिम प्रबन्धन आर्किटेक्चर को स्थान पर रखा है यथा, उपलब्ध पूंजी में से अधिकतम कारोबार करने हेतु जिससे कि लाभ अधिक हो या इक्विटी पर रिटर्न अधिक हो। बैंक ने बासेल III ढांचे की पुष्टिकरण करते हुए तथा संसाधन का और अधिक प्रभावी व विवेकपूर्ण आवंटन समर्थित करते हुए। विश्व स्तर पर स्वीकार किये गये सही जोखिम प्रबन्धन प्रणाली को बेंचमार्क किया है।

पूंजी आयोजन प्रक्रिया में, बैंक ने निम्न समीक्षा की है:

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता
- कारोबार रणनीति व जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार लक्षित और स्थायी पूंजी

पूंजी आवश्यकता व पूंजी इष्टतमीकरण की सांख्यिक रूप से पूंजी आयोजन समिति द्वारा निगरानी की जा रही है जिसमें कि उच्चतम कार्यपालक हैं। अग्रिमों, निवेशों व सहायक / संयुक्त उद्यमों के निवेशों, आदि में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता को तिमाही आधार पर अनुमान किया गया है। कारोबार वृद्धि और पूंजी इष्टतमीकरण हेतु विधिवत परिदृश्य का विश्लेषण करते हुए पूंजी संरचना को पंक्ति में लाने के साथ पूंजी आवर्धन हेतु समिति उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रख रही है।

TABLE DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

(i) Qualitative Disclosures

The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process, the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital need and capital optimization are monitored periodically by the Capital Planning Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected quarterly considering the expected growth in advances, investments and investments in Subsidiaries / Joint Ventures, etc. Committee takes into consideration various options available for capital augmentation in tune with business growth and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization.



(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	मद	राशि
		31.03.2014
(b)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
	• मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	244,287.42
	• प्रतिभूतिकरण प्रकटन	1,686.83
(c)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
	• मानक अवधि दृष्टिकोण	
	– ब्याज दर जोखिम	13,424.02
	– विदेश विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	592.47
	– इक्विटी जोखिम	5,817.54
(d)	परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
	• मूल सूचक दृष्टिकोण	15,572.82
(e)	सामान्य इक्विटी टायर 1, टायर 1 और कुल पूंजी	
	• समूह	
	– सीईटी 1 पूंजी	234,219.52
	– टायर 1 पूंजी	243,420.89
	– टायर 2 पूंजी	92,679.80
	– कुल पूंजी	336,100.69
	• स्टैंड अलोन (प्रधान बैंक)	
	– सीईटी 1 पूंजी	231,320.75
	– टायर 1 पूंजी	239,909.28
	– टायर 2 पूंजी	92,046.26
	– कुल पूंजी	331,955.54
(f)	सामान्य इक्विटी टायर 1, टायर 1 और कुल पूंजी अनुपात	
	• समूह सीआरएआर	
	– सीईटी 1 अनुपात	7.49%
	– टायर 1 अनुपात	7.79%
	– टायर 2 अनुपात	2.96%
	– सी आर ए आर	10.75%
	• स्टैंड अलोन (मुख्य बैंक) सी आर ए आर	
	– सीईटी 1 अनुपात	7.41%
	– टायर 1 अनुपात	7.68%
	– टायर 2 अनुपात	2.95%
	– सी आर ए आर	10.63%

(ii) Quantitative disclosures

(₹ in Million)

Sl No.	Items	Amount
		31.03.2014
(b)	Capital requirements for Credit Risk	
	• Portfolios subject to Standardized Approach	244,287.42
	• Securitization Exposures	1,686.83
(c)	Capital requirements for Market Risk	
	• Standardized Duration Approach	
	- Interest Rate Risk	13,424.02
	- Foreign Exchange Risk (including Gold)	592.47
	- Equity Risk	5,817.54
(d)	Capital requirements for Operational Risk	
	• Basic Indicator Approach	15,572.82
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital	
	• Group	
	- CET 1 Capital	234,219.52
	- Tier 1 Capital	243,420.89
	- Tier 2 Capital	92,679.80
	- Total Capital	336,100.69
	• Stand alone (Parent Bank)	
	- CET 1 Capital	231,320.75
	- Tier 1 Capital	239,909.28
	- Tier 2 Capital	92,046.26
	- Total Capital	331,955.54
(f)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:	
	• Group CRAR	
	- CET 1 Ratio	7.49%
	- Tier 1 Ratio	7.79%
	- Tier 2 Ratio	2.96%
	- CRAR	10.75%
	• Stand alone (Parent Bank) CRAR	
	- CET 1 Ratio	7.41%
	- Tier 1 Ratio	7.68%
	- Tier 2 Ratio	2.95%
	- CRAR	10.63%

प्रकटन प्रपत्र तालिका-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

बैंक की नीति जोखिम व रिटर्न के बीच मध्यम जोखिम लेने की क्षमता व स्वस्थ संतुलन रखती है। स्वीकार्य मानदंडों के अन्दर शेयर धारक हेतु मूल्य को संवर्धित करना और विनियामक प्राधिकरण, जमाकर्ता व अन्य शेयरधारकों की आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से देखना प्राथमिक जोखिम प्रबन्धन उद्देश्य हैं। बैंक के जोखिम प्रबन्धन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनियामक व वैध आवश्यकताओं सहित अनुपालन, जोखिम व रिटर्न में संतुलन प्राप्त करना, जोखिम कार्यों के स्वायत्ता सुनिश्चित करना तथा जोखिम प्रबन्धन व कारोबार उद्देश्यों को एक पंक्ति में लाना समाहित है। कॉर्पोरेट मूल्यों, व्यवहार, दक्षताओं, कारोबार आसूचना उपकरण का नियोजन, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग व आकस्मिक योजना सहित मजबूत संगठनात्मक संस्कृति व स्वस्थ संचालन प्रक्रियाओं द्वारा बैंक की साख जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया संचालित होती है।

बैंक के साख जोखिम प्रबन्धन का सम्यक उद्देश्य निम्नवत है:

- साख वृद्धि सुनिश्चित करें, गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों ही, जो कि जोखिम के इष्टतम विसर्जन के साथ क्षेत्रवार संतुलित व विविधतापूर्ण होगा।
- जोखिम व पोर्टफोलियो पर विनियामक विवेकपूर्ण मानदंडों की अनुपालन सुनिश्चित करें।
- साख जोखिम में विभिन्न जोखिमों की उपयुक्त रूप से मूल्यवर्ग निर्धारण करें।
- पहचान, मापना, निगरानी व नियंत्रण को शामिल करते हुए जोखिम प्रबन्धन के एकीकृत प्रणाली का भाग बनाये।

रणनीति व प्रक्रियाएं:

साख जोखिम प्रबन्धन के उपरोक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के क्रम में बैंक साख जोखिम पहचान, मापने, ग्रेडिंग व समकेन तकनीक, निगरानी व रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण / शमन तकनीकों और समस्यामूलक ऋण / साख के प्रबन्धन हेतु बैंक विभिन्न पद्धतियां निर्धारित करता है। बैंक ने लक्ष्य बाजार, जोखिम स्वीकार्य मानदंड, साख मंजूरी प्राधिकरण व साख व्युत्पत्ति / अनुरक्षण प्रक्रिया पर दिशानिर्देशों को भी परिभाषित किया है।

साख जोखिम शमन हेतु विभिन्न उपायों को ध्यान में रखते हुवे रणनीति बनाई गई है, जिसमें कि महत्ववाले क्षेत्र व लक्ष्य बाजार की पहचान,

TABLE DF – 3: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

(i) Qualitative Disclosures

The Bank's policies assume moderate risk appetite and healthy balance between risk and return. The primary risk management goals are to maximize value for shareholders within acceptable parameters and adequately addressing the requirements of regulatory authorities, depositors and other stakeholders. The guiding principles in risk management of the Bank comprise of Compliance with regulatory and legal requirements, achieving a balance between risk and return, ensuring independence of risk functions, and aligning risk management and business objectives. The Credit Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, employment of business intelligence tools, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The overall objectives of Bank's Credit Risk Management are to:

- Ensure credit growth, both qualitatively and quantitatively that would be sectorally balanced, diversified with optimum dispersal of risk.
- Ensure adherence to regulatory prudential norms on exposures and portfolios.
- Adequately pricing various risks in the credit exposure.
- Form part of an integrated system of risk management encompassing identification, measurement, monitoring and control.

Strategies and processes:

In order to realize the above objectives of Credit Risk Management, the Bank prescribes various methods for Credit Risk identification, measurement, grading and aggregation techniques, monitoring and reporting, risk control / mitigation techniques and management of problem loans / credits. The Bank has also defined target markets, risk acceptance criteria, credit approval authorities, and guidelines on credit origination/maintenance procedures.

The strategies are framed keeping in view various measures for Credit Risk Mitigation, which includes identification of thrust areas and target markets, fixing of exposure ceiling

विनियामक दिशानिर्देशों व बैंक के जोखिम क्षुधा पर आधारित जोखिम सीमा तय करना, संकेन्द्रण जोखिम को न्यूनतम करना और रेटिंग पर आधारित मूल्यवर्ग तय करना शामिल है।

बैंक समय-समय पर ऋण देने हेतु संभाव्य व उत्पादन क्षेत्रों की पहचान करेगा जो कि खंड के निष्पादन व अर्थव्यवस्था के मांगों पर निर्भर होगा। मौजूदा अर्थव्यवस्था परिदृश्य, आदि पर आधारित बैंक के औद्योगिक / क्षेत्र के मूल्यांकन के आधार पर बैंक उन क्षेत्रों में अपने जोखिम को प्रतिबन्धित करेगा जिसमें कि वृद्धि संभाव्य नहीं है।

साख से संबंधित बैंक के परिचालन प्रक्रियाएं व प्रणाली सही साख जोखिम प्रबन्धन सिद्धांतों पर तैयार किये जायेंगे और सांविधिक समीक्षा के विषयक होंगे।

साख प्रस्तावों पर यथोचित विवेक के भाग के रूप में बैंक के पास विस्तृत साख जोखिम पहचान प्रक्रियाएं हैं।

साख जोखिम प्रबन्धन कार्य की संरचना व संगठन: बैंक में साख जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्न है:

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसीबी)
- साख जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी)
- मॉडल समीक्षा तकनीकी कार्य दल (एमआरटीडब्ल्यूजी)
- महा प्रबन्धक – जोखिम प्रबन्धन विभाग, प्र.का. (मुख्य जोखिम अधिकारी)
- उप महा प्रबन्धक (I व II), जोखिम प्रबन्धन विभाग
- साख जोखिम प्रबन्धन प्रभाग, जोखिम प्रबन्धन विभाग
- साख जोखिम प्रबन्धन प्रभाग में साख नीति अनुभाग, साख सांख्यिकी अनुभाग व साख जोखिम प्रबन्धन अनुभाग समाहित हैं। साख जोखिम प्रबन्धन अनुभाग के तीन कार्यकारी डेस्क हैं, साख जोखिम प्रबन्धन डेस्क, साख जोखिम रेटिंग डेस्क व औद्योगिक अनुसन्धान डेस्क।
- मॉडल वैधता दल (एमवीटी)
- मॉडल विकास दल
- अंचल कार्यालयों पर जोखिम प्रबन्धन व साख समीक्षा अनुभाग।

based on regulatory guidelines and risk appetite of the Bank, minimizing concentration Risk, and pricing based on rating.

Bank from time to time would identify the potential and productive sectors for lending, based on the performance of the segments and demands of the economy. The Bank restricts its exposures in sectors which do not have growth potentials, based on the Bank's evaluation of industries/ sectors based on the prevailing economic scenario prospects, etc.

The operational processes and systems of the Bank relating to credit are framed on sound Credit Risk Management Principles and are subjected to periodical review.

The Bank has comprehensive credit risk identification processes as part of due diligence on credit proposals.

The structure and organization of the Credit Risk Management Function: Credit Risk Management Structure in the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Model Review Technical Working Group (MRTWG)
- General Manager-Risk Management Wing, H.O (Chief Risk Officer)
- Deputy General Manager (I&II), Risk Management Wing
- Credit Risk Management Department, Risk Management Wing
- The Credit Risk Management Department comprises of Credit Policy Section, Credit Statistics Section and Credit Risk Management Section. The Credit Risk Management Section has three functional desks, the Credit Risk Management Desk, Credit Risk Rating Desk and Industry Research Desk.
- Model Validation Team (MVT)
- Model Development Team
- Risk Management & Credit Review Section at Circle Offices.

जोखिम रिपोर्टिंग और / या माप प्रणाली का कार्य क्षेत्र और प्रकृति:

बैंक की उपयुक्त साख जोखिम माप व निगरानी प्रक्रिया है। जोखिम का माप, साख जोखिम रेटिंग के पूर्व-मंजूरी अभ्यास व बैंक द्वारा स्थान निर्धारित स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से है। प्रत्येक जोखिम जो कि भारत स्कोर को निर्दिष्ट करने के अलावा और उन्हें स्केल I से VII पर रेटिंग करने के तहत मानदंडों की पहचान हेतु बैंक की एक अलग से जोखिम रेटिंग नीति है। ग्रेड VIII या उच्चतम जोखिम ग्रेड III को डिफॉल्ट ग्रेड कहते हैं। पूंजी संगणना व साथ ही मूल्य निर्धारण उद्देश्यों हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र साख जोखिम के लिये जोखिम भारितों को निर्धारित करने हेतु मान्यताप्राप्त ईसीएआई (बाह्य साख मूल्यांकन संस्थान) द्वारा दिये गये रेटिंग के प्रयोग / मैपिंग के दिशानिर्देशों पर भी जोखिम रेटिंग नीति जोर देती है।

साख जोखिम को मापने हेतु संपूर्ण साख पोर्टफोलियो के लिये बैंक ने 'मानकीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है। बैंक आईआरबी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने हेतु प्रयास कर रहा है और इस संबंध में सभी आवश्यक कोशिशों की जा रही हैं।

बैंक ने सभी एमआईएस आवश्यकताओं, जोखिम भारित आस्तियों की संगणना (आरडब्ल्यूए), एक्सपोजर व निगरानी की समीक्षा हेतु विभिन्न साख संबंधित रिपोर्टों को सृजित करने, और विभिन्न कोणों से साख पोर्टफोलियो के विश्लेषण करने हेतु एक रोबस्ट साख डेटा वेयरहाउस स्थापित करने के लिये प्रणाली समर्थन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन शुरू किया है।

प्रतिरक्षा / शमन की जारी प्रभाविकता की निगरानी हेतु जोखिम व रणनीति व प्रक्रिया के प्रतिरक्षा और / या शमन के लिये नीति:

बैंक प्राथमिक रूप से साख अनुमोदित करते समय उधारकर्ता के वित्तीय शक्ति व कर्ज चुकौती क्षमता पर जोर देता है। बैंक चुकौती के स्रोत के रूप में या उधारकर्ता की उधार पात्रता को मूल्यांकित करने हेतु एक विकल्प के रूप में अधिकतम संपार्श्विक या गारंटी पर निर्भर नहीं होता। पर्याप्त संपार्श्विक की अनुपस्थिति के कारण मात्र बैंक उन साख पात्र को साख सुविधा प्रदान करने से मना नहीं करता।

बैंक के साख जोखिम एक्सपोजर को प्रबन्धित करने के क्रम में बैंक ने अन्य कार्यकारी विभागों के साथ परामर्श में प्रधान कार्यालय पर जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा किये जाने वाले समीक्षा व अद्यतन साख मूल्यांकन व मंजूरी नीतियों को अपना लिया है। साख मूल्यांकन व मंजूरी प्रक्रिया विस्तृत रूप से क्रेडिट व्युत्पत्ति, मूल्यांकन, निर्धारण व मंजूरी और वितरण में विभाजित है।

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

Bank has an appropriate credit risk measurement and monitoring processes. The measurement of risk is through a pre-sanction exercise of credit risk rating and scoring models put in place by the Bank. The Bank has a separate Risk Rating Policy for identifying the parameters under each of these risks as also assigning weighted scores thereto and rating them on a scale of I to VII. Grade VIII or High Risk Grade III is termed as default grade. The risk rating policy also entails the guidelines on usage/mapping of ratings assigned by the recognized ECAs (External Credit Assessment Institutions) for assigning risk weights for the eligible credit exposures as per the guidelines of the RBI on standardized approach for capital computation and also for pricing purposes.

The Bank has adopted 'Standardized Approach' for entire credit portfolio for credit risk measurement. The bank is endeavouring to move towards IRB approaches and made all necessary efforts in this regard.

The Bank has embarked upon a software solution to get system support for establishing a robust credit data warehouse for all MIS requirements, computation of Risk Weighted Assets (RWA), generate various credit related reports for review of exposure and monitoring, and conducting analysis of credit portfolio from various angles.

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Bank primarily relies on the borrower's financial strength and debt servicing capacity while approving credits. Bank does not excessively rely on collaterals or guarantees as a source of repayment or as a substitute for evaluating borrower's creditworthiness. The Bank does not deny credit facilities to those assessed as credit worthy for mere want of adequate collaterals.

In order to manage the Bank's credit risk exposure, the Bank has adopted credit appraisal and approval policies and procedures that are reviewed and updated by the Risk Management Wing at Head Office in consultation with other functional wings. The credit appraisal and approval process is broadly divided into credit origination, appraisal, assessment and approval, and dispensation.

कॉर्पोरेट वित्त व परियोजना वित्त ऋण आम तौर पर अचल संपत्तियों, सामान्यतः संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित है। विक्रेय प्रतिभूति जैसी वित्तीय आस्ति के गिरवी की प्रतिभूति भी बैंक रखता है और जहाँ भी उपयुक्त हो कॉर्पोरेट गारंटी व व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त करता है। वर्तमान आस्ति के प्रथम ग्रहणाधिकार द्वारा कार्यकारी पूंजी ऋण सुरक्षित रखा जाता है जिसमें कि सामान्यतः सूची और प्राप्ति शामिल हैं।

संपार्श्विक पर बैंक के प्रभार की वैधता सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेजीकरण पर बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं।

उस उद्योग के विकास व लाभार्जन और बैंक के जोखिम क्षुधा के परिदृश्य में विशिष्ट उद्योग / क्षेत्र में पोर्टफोलियो विविधता व संपूर्ण एक्सपोजर सुनिश्चित करना बैंक की नीति है। बैंक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के एक्सपोजर की निगरानी करता है और खासकर विभिन्न उद्योगों व संवेदनशील क्षेत्रों के एक्सपोजर की। औद्योगिक गतिविधियों का एक्सपोजर उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण पर आधारित बैंक द्वारा तय साख एक्सपोजर सीमा के विषयक है। बैंक की एकल व समूह उधारकर्ताओं के एक्सपोजर के साथ-साथ पर्याप्त एक्सपोजर भी उधारकर्ता के जोखिम रेटिंग अनुसार तय हिता है तथा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुझावित विवेकपूर्ण सीमा मानदंडों के अंदर एक्सपोजर स्तर को संभालने के क्रम में सावधिक तौर पर निगरानी की जाती है।

साख व्युत्पत्ति शाखा के निवल कार्य व अंचल कार्यालय द्वारा किये गये सहयोग से आरंभिक स्तर पर किया जाता है। पहचान, आवेदन की प्रक्रिया गहरी मूल्यांकन, यथोचित विवेक व आकलन शुरू करने से पहले किया जाता है।

साख अनुमोदन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक है और एक पूर्व-मंजूरी अभ्यास के रूप में उधारकर्ता के अनिवार्य साख जोखिम रेटिंग के साथ शुरू होता है। उधारकर्ता से संबंधित साख जोखिम की माप, उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति, नकद प्रवाह, गतिविधि, वर्तमान बाजार प्रचलन, भूतपूर्व प्रचलन, प्रबन्धन सक्षमता, संबद्ध कारोबार इकाईयों के साथ अनुभव, सुविधा की प्रकृति, आदि सूचक घटकों को मूल्यांकित करता है। उधारकर्ता के आंतरिक जोखिम रेटिंग वर्ग पर विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है। साख अनुमोदन अधिकार वित्त मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार, बैंक ने प्रधान कार्यालय व अंचल कार्यालय स्तर पर साख अनुमोदन समिति का गठन किया है। प्रशासनिक इकाईयों पर सभी मंजूरी प्राधिकारियों के साख अनुमोदन अधिकारों को वापस ले लिया गया है तथा साख मंजूरी हेतु समिति के दृष्टिकोण को निर्धारित किया गया है। चयनित शहरों में साख सवितरण कार्य को आसान करने हेतु व विशेष ध्यान सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने विशेषीकृत शाखाओं यथा, केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाईयां (सीपीयू), खुदरा आस्ति हब (आरएएच), व एसएमई सुलभ की स्थापना की है।

Corporate finance and project finance loans are typically secured by a first lien on fixed assets, normally consisting of property, plant and equipment. The Bank also takes security of pledge of financial assets like marketable securities and obtains corporate guarantees and personal guarantees wherever appropriate. Working Capital loans are typically secured by a first lien on current assets, which normally consist of inventory and receivables.

Bank has laid down detailed guidelines on documentation to ensure legal certainty of Bank's charge on collaterals.

The Bank's policy is to ensure portfolio diversification and evaluate overall exposure in a particular industry / sector in the light of forecasts of growth and profitability for that industry, and the risk appetite of the Bank. The Bank monitors exposures to major sectors of the economy and specifically exposure to various industries and sensitive sectors. Exposure to industrial activities is subjected to the credit exposure ceilings fixed by the Bank based on the analysis on performance of the industry. The Bank's exposures to single and group borrowers as also substantial exposure is fixed as per the risk rating of the borrowers and monitored periodically in order to keep the exposure level within the prudential ceiling norms advised by Reserve Bank of India from time to time.

The credit origination is through the grass root level ably assisted by the branch network and Circle Offices. The process of identification, application is carried out before commencing an in depth appraisal, due diligence and assessment.

The credit approval process is a critical factor and commences with the mandatory credit risk rating of the borrower as a pre sanction exercise. The measurement of Credit Risk associated with the borrower evaluates indicative factors like; borrowers' financial position, cash flows, activity, current market trends, past trends, management capabilities, experience with associated business entities, nature of facilities etc. The credit sanctioning powers delegated to the various authorities based on internal risk rating categories of the borrower already put in place. In terms of the Ministry of Finance notifications, Bank has set up Credit Approval Committees at HO and circle levels. The credit sanctioning powers of all the sanctioning authorities at administrative units (i.e., besides branch powers) are withdrawn and the committee approach for credit approval has been put in place. The Bank has in place specialized branches viz. Centralized Processing Units (CPUs), Retail Asset Hubs (RAHs) and SME Sulabhs at select cities to ease credit dispensation turnaround time and ensure specialized attention.

नियंत्रण उपायों को संवर्धित करने हेतु अलग साख प्रशासन व निगरानी विभाग को गठित किया गया है ताकि विशिष्ट ऋण समीक्षा की जा सके, समस्या खातों, क्रेडिट ऑडिट, आदि की निगरानी की जा सके। यह ऋण के मंजूरी उपरान्त निगरानी पर अधिक जोर को सुनिश्चित करता है और ऋण समीक्षा तंत्र पर बैंक की नीतियों के तहत उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के प्रबंध को मजबूत करता है।

प्रभावी ऋण समीक्षा हेतु, बैंक में निम्नलिखित उपलब्ध है:

- गैर-अनुपालनता की घटनाओं के पहचान, विश्लेषण हेतु और सुधारीकरण के लिये साख लेखापरीक्षा प्रणाली।
- अगले उच्चतम प्राधिकारी द्वारा हर एक मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई ऋण की समीक्षा।
- एक्सपोजर के एक विशेष स्तर से परे उधारकर्ता खाते की मध्यावधि समीक्षा।
- विभिन्न स्तरों पर विशेष वॉच खातों की निगरानी। एसडब्ल्यूएल में प्रदर्शित खातों की सूचियों में ₹10 मिलियन व अधिक के एक्सपोजर वाले खातों की निगरानी करने हेतु प्रका / अंचल कार्यालय पर स्लिपेज प्रबन्धन समिति का गठन।
- उपकरण यथा, क्रेडिट निगरानी फॉर्मेट (वेब आधारित), तिमाही सूचना प्रणाली, अर्द्ध वार्षिक परिचालन प्रणाली, स्टॉक ऑडिट, विशेष वॉच सूची खातों आदि की निगरानी।
- शाखाओं पर निगरानी कार्य के प्रभारी साख निगरानी अधिकारी।
- ऋण मंजूरी के पूर्व – संवितरण निगरानी को मजबूत करने के लिए नियम व शर्तों का अनुपालन, निर्धारित संपार्श्विक प्रतिभूतियों की प्राप्ति, संवितरण के पहले प्रतिभूतियों की पूर्णता सुनिश्चित करने कि लिए पूर्व-जारी ऑडिट प्रणाली का शुभारंभ किया गया है।
- समस्या खातों की पूर्व-पहचान, व्यवहार्य माने जाने वाले खातों का पुनर्गठन और उधारदाताओं द्वारा वसूली या बिक्री हेतु त्वरित उपाय किये जाने जिससे कि बैंक में बन्द खाते पुनः सक्रिय हो जायें, को प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई की योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए एक ढांचा विकसित किया गया है।

पूर्व-अतिदेय व अपक्षय ऋण: आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण हेतु लागू विवेकपूर्ण मानदंडों अनुसार बैंक निम्नलिखित वर्गों के ऋण व अग्रिमों को अनर्जक आस्ति मानता है, जिसमें कि:

- सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहने वाले मूलधन का ब्याज और / या किस्त।

To enhance the control measures, a separate Credit Administration and Monitoring Wing is in place to undertake exclusive loan review, monitoring problem accounts, credit audit, etc. This ensures greater thrust on post sanction monitoring of loans and strengthen administering the various tools available under the Banks' policies on loan review mechanism.

For effective loan review, the Bank has the following in place:

- Credit Audit System to identify, analyze instances of non-compliance and rectification.
- Review of loan sanctioned by each sanctioning authority by the next higher authority.
- Mid Term Review of borrowal accounts beyond a certain level of exposure.
- Monitoring of special watch accounts at various levels. Formation of Slippage Management Committee at HO / Circles to monitor the accounts with exposure of ₹ 10 Million & above, among the list of accounts appearing in SWL
- Monitoring tools like Credit Monitoring Format (web-based), Quarterly Information Systems, Half Yearly Operation Systems, Stock Audits, Special Watch List Accounts, etc.
- Credit Monitoring Officers at branches in charge of monitoring functions.
- In order to strengthen pre-disbursement monitoring of compliance to sanction terms and conditions, obtention of stipulated collateral securities ensuring perfection of securities before disbursement etc, Pre-release Audit System has been introduced.
- A framework has been developed outlining a corrective action plan that will incentivize early identification of problem account, timely restructuring of accounts which are considered to be viable and taking prompt steps by lenders for recovery or sale thereby revitalizing the distressed accounts in the Bank.

Loans Past due and Impaired: As per the prudential norms applied for income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan

- ओवरड्राफ्ट / नकद क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाते 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहेंगे। एक खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जायेगा जब अतिदेय शेष लगातार मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से अधिकता में रहे। उस मामले में जहाँ प्राथमिक परिचालन खाते में अतिदेय शेष मंजूर सीमा / आहरण शक्ति से कम है, परंतु तुलन पत्र की तिथि पर लगातार 90 दिनों हेतु कोई जमा नहीं है या उसी समय के दौरान नामे की गई ब्याज को कवर करने हेतु जमा पर्याप्त नहीं है, उन खातों को 'आउट ऑफ ऑर्डर' के रूप में लिया जायेगा।
- खरीदी या भुनाया गया बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिये बिल अतिदेय रहेगा।
- कृषि अग्रिमों के मामले में, मूल का ब्याज और / या किस्त 2 फसल मौसम (अल्पावधि फसल के संबंध में) हेतु व 1 फसल मौसम (लंबी अवधि फसल के संबंध में) हेतु अतिदेय रहेगा।
- कोई भी प्राप्त राशि जो कि अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिये अतिदेय रहेगा।
- किसी भी तिमाही में प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के अन्दर पूरी तरह से निपटाया नहीं होगा।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

ख. कुल सकल ऋण जोखिम प्रकटन:

विवरण	राशि (₹ मिलियन में) 31.03.2014
निधि आधारित प्रकटन	3,041,440.89
गैर-निधि आधारित प्रकटन	2,150,362.94
कुल सकल ऋण प्रकटन	5,191,803.83

ग. प्रकटनों का भौगोलिक संवितरण

प्रकटन	निधि आधारित प्रकटन 31.03.2014	गैर-निधि आधारित प्रकटन 31.03.2014
घरेलु परिचालन	2,848,720.00	2,021,899.04
समुद्रपारीय परिचालन	192,720.89	128,463.90
कुल	3,041,440.89	2,150,362.94

- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted.
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- Interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

(ii) Quantitative Disclosures

b. Total Gross Credit Risk Exposure:

Particulars	Amount (₹ in Million) 31.03.2014
Fund Based Exposures	3,041,440.89
Non-fund Based Exposures	2,150,362.94
Total Gross Credit Exposures	5,191,803.83

c. Geographic Distribution of Exposures:

Exposures	Fund Based Exposures 31.03.2014	Non-fund Based Exposures 31.03.2014
Domestic operations	2,848,720.00	2,021,899.04
Overseas operations	192,720.89	128,463.90
Total	3,041,440.89	2,150,362.94

(घ) प्रकटन का उद्योग प्रकार संवितरण (वैश्विक)

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर-निधि आधारित बकाया
		31.03.2014	31.03.2014
1.1	खनन और उत्खनन	30,718.20	1,520.00
1.2	खाद्य संसाधन	68,830.80	4,520.00
	1.2.1 चीनी	19,555.10	560.00
	1.2.2 खाद्य तेल व वनस्पति	2,606.70	1,400.00
	1.2.3 चाय	1,062.00	710.00
	1.2.4 अन्य	45,607.00	1,850.00
1.3	पेय पदार्थ व तंबाकू	7,540.00	250.00
1.4	कपड़ा	134,320.50	13,850.00
	1.4.1 सूती कपड़ा	60,197.60	3,150.00
	1.4.2 पटसन के कपड़ा	1,380.00	240.00
	1.4.3 अन्य कपड़ा	72,742.90	10,460.00
1.5	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	12,332.70	320.00
1.6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	4,460.00	1,440.00
1.7	कागज़ और कागज़ उत्पाद	20,730.10	4,640.00
1.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	48,195.90	28,250.00
1.9	रसायन और रसायन उत्पाद	42,298.80	7,759.40
	1.9.1 खाद	2,675.30	3,070.00
	1.9.2 औषधि और फार्मास्यूटिकल्स	17,408.40	2,030.00
	1.9.3 पेट्रो केमिकल	3,719.60	349.40
	1.9.4 अन्य	18,495.50	2,310.00
1.10	रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	13,370.00	1,810.00
1.11	कांच और कांच के बने सामान	1,706.80	30.00
1.12	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	18,357.30	610.00
1.13	मूल धातु और धातु उत्पाद	187,575.30	39,270.00
	1.13.1 लौह और इस्पात	122,509.90	31,230.00
	1.13.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	65,065.40	8,040.00
1.14	सभी अभियांत्रिकी	71,680.50	52,623.40
	1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	11,876.10	6,440.00
	1.14.2 विद्युत	18,550.00	17,923.40
	1.14.3 अन्य	41,254.40	28,260.00

(d) Industry Type Distribution of Exposures (Global):

Amount (₹ in Million)

SI No.	INDUSTRY	Fund Based Outstanding	Non Fund Based Outstanding
		31.03.2014	31.03.2014
1.1	Mining and Quarrying	30,718.20	1,520.00
1.2	Food Processing	68,830.80	4,520.00
	1.2.1 Sugar	19,555.10	560.00
	1.2.2 Edible Oils and Vanaspati	2,606.70	1,400.00
	1.2.3 Tea	1,062.00	710.00
	1.2.4 Others	45,607.00	1,850.00
1.3	Beverage & Tobacco	7,540.00	250.00
1.4	Textiles	134,320.50	13,850.00
	1.4.1 Cotton Textiles	60,197.60	3,150.00
	1.4.2 Jute Textiles	1,380.00	240.00
	1.4.3 Other Textiles	72,742.90	10,460.00
1.5	Leather & Leather Products	12,332.70	320.00
1.6	Wood and Wood Products	4,460.00	1,440.00
1.7	Paper & Paper Products	20,730.10	4,640.00
1.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	48,195.90	28,250.00
1.9	Chemicals and Chemical Products	42,298.80	7,759.40
	1.9.1 Fertilizer	2,675.30	3,070.00
	1.9.2 Drugs & Pharmaceuticals	17,408.40	2,030.00
	1.9.3 Petro Chemicals	3,719.60	349.40
	1.9.4 Others	18,495.50	2,310.00
1.10	Rubber, Plastic & their Products	13,370.00	1,810.00
1.11	Glass and Glassware	1,706.80	30.00
1.12	Cement and Cement Products	18,357.30	610.00
1.13	Basic Metal and Metal Products	187,575.30	39,270.00
	1.13.1 Iron and Steel	122,509.90	31,230.00
	1.13.2 Other Metal and Metal Products	65,065.40	8,040.00
1.14	All Engineering	71,680.50	52,623.40
	1.14.1 Electronics	11,876.10	6,440.00
	1.14.2 Electricity	18,550.00	17,923.40
	1.14.3 Others	41,254.40	28,260.00

1.15	वाहन, वाहन के भाग और वाहन उपकरण	32,448.20	6,950.00
1.16	रत्न और आभूषण	11,180.00	10,890.00
1.17	निर्माण	48,672.50	44,130.00
1.18	आधारभूत संरचना	645,301.30	38,910.00
	1.18.1 बिजली	438,329.90	32,210.00
	1.18.2 टेलीकॉम्युनिकेशनस	73,731.70	3,910.00
	1.18.3 सड़क	70,380.00	680.00
	1.18.4 हवाई अड्डा	18,270.00	0.00
	1.18.5 बंदरगाह	10,920.00	110.00
	1.18.6 रेलवे (भारतीय रेलवे के अलावा)	11,730.00	1,670.00
	1.18.7 अन्य आधारभूत संरचना	21,939.70	330.00
1.19	अन्य उद्योग	198,651.10	8,340.00
	उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े स्तर का कुल)	1,598,370.00	266,112.80

1.15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	32,448.20	6,950.00
1.16	Gems & Jewellery	11,180.00	10,890.00
1.17	Construction	48,672.50	44,130.00
1.18	Infrastructure	645,301.30	38,910.00
	1.18.1 Power	438,329.90	32,210.00
	1.18.2 Telecommunications	73,731.70	3,910.00
	1.18.3 Roads	70,380.00	680.00
	1.18.4 Airports	18,270.00	0.00
	1.18.5 Ports	10,920.00	110.00
	1.18.6 Railways (other than Indian Railways)	11,730.00	1,670.00
	1.18.7 Other Infrastructure	21,939.70	330.00
1.19	Other Industries	198,651.10	8,340.00
	INDUSTRY (Total of Small, Medium and Large Scale)	1,598,370.00	266,112.80

उद्योगों का ऋण प्रकटन जहां बकाया प्रकटन बैंक के कुल सकल ऋण प्रकटन के 5% से अधिक है, वो निम्नवत हैं

क्रमांक	उद्योग	कुल प्रकटन (₹ मिलियन में)	कुल सकल ऋण प्रकटन का %
1	बिजली	470,539.90	9.06%

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

SI No	Industry	Total Exposure (₹ in Million)	% of Total Gross Credit Exposure
1	Power	470,539.90	9.06%

(ड) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण:

राशि (₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014
0 से 1 दिन	94,988.30	3,346.60	12,942.80
2 से 7 दिन	136,358.60	5,490.20	30,257.90
8 से 14 दिन	111,190.00	556.30	14,752.80
15 से 28 दिन	162,313.80	6,316.20	22,710.10
29 दिनों से 3 माह	212,435.70	24,068.20	75,515.40
3 माह से अधिक और 6 माह तक	214,939.00	13,400.20	60,541.20
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	401,353.20	22,276.50	85,664.50
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	763,722.70	123,566.80	37,959.00
3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	279,747.30	300,923.90	14,758.90
5 वर्षों से अधिक	639,536.40	736,995.30	19,328.30
बिना परिपक्वता के	0.00	32,802.00	0.00
कुल	3,016,585.00	1,269,742.20	374,430.90

(e) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets:

Amount (₹ in Million)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014
0 to 1 day	94,988.30	3,346.60	12,942.80
2 to 7 days	136,358.60	5,490.20	30,257.90
8 to 14 days	111,190.00	556.30	14,752.80
15 to 28 days	162,313.80	6,316.20	22,710.10
29 days to 3 months	212,435.70	24,068.20	75,515.40
Over 3 months & upto 6 months	214,939.00	13,400.20	60,541.20
Over 6 months & upto 1 year	401,353.20	22,276.50	85,664.50
Over 1 year & upto 3 years	763,722.70	123,566.80	37,959.00
Over 3 year & upto 5 years	279,747.30	300,923.90	14,758.90
Over 5 years	639,536.40	736,995.30	19,328.30
Without Maturity	0.00	32,802.00	0.00
Total	3,016,585.00	1,269,742.20	374,430.90

(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	मद	31.03.2014
a)	सकल अनर्जक आस्तियां	77,107.70
	अव – मानक	34,802.40
	संदिग्ध 1	24,692.30
	संदिग्ध 2	16,997.20
	संदिग्ध 3	204.90
	हानि	410.80
b)	निवल अनर्जक आस्तियां	60,408.30
c)	अनर्जक आस्तियां अनुपात	
	सकल अनर्जक आस्तियों से सकल अग्रिम (%)	2.53
	निवल अनर्जक आस्तियों से निवल अग्रिम (%)	2.01
d)	अनर्जक आस्तियों का स्थनन (सकल)	
	आरंभिक शेष	63,664.30
	परिवर्धन	84,881.20
	कटौती	71,437.80
	अंतिम शेष	77,107.70
e)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का स्थनन	
	आरंभिक शेष	9,930.10
	मुद्रा के उतार-चढ़ाव व अन्य	304.60
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	22,557.00
	बट्टे खाते डालना	15,931.70
	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	493.60
	अंतिम शेष	16,366.40
f)	अनर्जक निवेशों की राशि	2,981.60
g)	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	2,331.60
h)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का स्थनन	
	आरंभिक शेष	2,269.50
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	550.10
	बट्टे खाते डालना	8.00
	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	1,041.60
	अंतिम शेष	1,770.00

(f) Amount of Non-Performing Assets (Gross):

Amount (₹ in Million)

Sl No	Items	31.03.2014
a)	Gross NPAs	77,107.70
	Sub-Standard	34,802.40
	Doubtful 1	24,692.30
	Doubtful 2	16,997.20
	Doubtful 3	204.90
	Loss	410.80
b)	Net NPAs	60,408.30
c)	NPA Ratios	
	Gross NPAs to Gross Advances (%)	2.53
	Net NPAs to Net Advances (%)	2.01
d)	Movement of NPAs (gross)	
	Opening balance	63,664.30
	Additions	84,881.20
	Reductions	71,437.80
	Closing Balance	77,107.70
e)	Movement of Provisions for NPAs	
	Opening Balance	9,930.10
	Exchange Fluctuations & Others	304.60
	Provisions made during the period	22,557.00
	Write-off	15,931.70
	Write back of excess provisions	493.60
	Closing Balance	16,366.40
f)	Amount of Non-Performing Investments	2,981.60
g)	Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	2,331.60
h)	Movement of Provisions for Depreciation on Investments	
	Opening Balance	2,269.50
	Provisions made during the period	550.10
	Write-off	8.00
	Write Back of excess Provisions	1,041.60
	Closing Balance	1,770.00

तालिका डी एफ-4: साख जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

(ए) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए:

- बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी प्रभार के अभिकलन हेतु एक्सपोजर की रेटिंग व जोखिम भारिता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की पहचान की है।

घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:

- ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
- क्रेडिट विश्लेषण व अनुसन्धान लिमिटेड (सीएआरडी)
- क्रिसिल लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फिच इंडिया)
- एस एम ई आर ए रेटिंग्स लिमिटेड

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:

- स्टैंडर्ड एंड पुअर
- मूडीस
- एफ आई टी सी एच (फिच)

एक्सपोजर के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी की उपयोग की जाती है:

उपर्युक्त सभी एजेंसियां सभी प्रकार की एक्सपोजर की रेटिंग के लिए मानित हैं।

पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बुक में तुलनीय आस्तियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का विवरण

- बैंक केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुरोध रेटिंग का प्रयोग करते हैं जो मान्य है और जिनकी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा समीक्षा की गई है को बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान से सन्दर्भित किया गया है।
- बैंक उधारकर्ता के एक्सपोजर के लिए जोखिम भारिता हेतु बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग करता है। जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है बैंक इस प्रकार की रेटिंग प्रयोग करता है जबतक कि बैंक ऋण विशेष रूप से रेटेड न हो।
- बैंक एक ही उधारकर्ता के लिए एक एक्सपोजर के लिए एक रेटिंग एजेंसी और और दूसरे के लिए दूसरी बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थाओं का एक ही साथ प्रयोग नहीं कर सकती जबतक कि सम्बन्धित एक्सपोजर रेटिंग चयनित केवल एक ही बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था द्वारा किया गया हो। इसके अतिरिक्त एक कॉर्पोरेट समूह के अन्दर किसी विशेष संस्था को सौंपे गए रेटिंग को उसी समूह की दूसरी संस्था के जोखिम भारिता के लिए प्रयोग नहीं कर सकते।

TABLE DF – 4: CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

(i) Qualitative Disclosures

(a) FOR PORTFOLIOS UNDER THE STANDARDIZED APPROACH:

- The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic Credit Rating Agencies:

- Brickwork Ratings India Private Limited (Brickwork)
- Credit Analysis & Research Limited (CARE)
- CRISIL Limited
- ICRA Limited,
- India Ratings and Research Private Limited (Formerly FITCH India)
- SMERA Ratings Limited

International Credit Rating Agencies:

- Standard & Poor,
- Moody's,
- FITCH

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized External Credit Rating Agencies, referred as External Credit Assessment Institutions (ECAI).
- Bank uses Bank Loan Rating for risk weighting the borrower's exposures. Where Issuer Rating is available, the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAs. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.

- चालू सीमा जैसे नकद क्रेडिट को दीर्घ अवधि एक्सपोजर माना जाता है और तदनुसार इस प्रकार के एक्सपोजर को जोखिम भारिता प्रदान करने के लिए दीर्घ अवधि रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
- बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था द्वारा दिए गए रेटिंग को जोखिम निर्धारण / लागू करते समय बैंक विनियामक दिशा निर्देश / बैंक की बोर्ड अनुमोदन प्रस्ताव से निर्देशित होते हैं।
- जहां एक्सपोजर/ उधारकर्ता को चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था से कई रेटिंग प्राप्त हो वहां बैंक ने जोखिम भारिता की गणना हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई है:
 - यदि चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान द्वारा दो रेटिंग दिया गया हो जो विभिन्न जोखिम भार के लिए हो वहां उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
 - यदि चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग दिया गया हो और जो विभिन्न जोखिम भार के लिए हो वहां न्यूनतम 02 रेटिंग का सन्दर्भ लिया जाता है और उन दो जोखिम भार में से उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
- Running limits such as Cash Credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
- While mapping/applying the ratings assigned by the ECAIs, the Bank is guided by regulatory guidelines/ Bank's Board approved Policy.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAIs, the Bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
 - If there are two ratings accorded by chosen ECAIs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
 - If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAIs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

(ii) परिमाणान्तरक प्रकटन:

(बी) बैंक एक्सपोजर की राशि: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम न्यूनीकरण फैक्टरिंग के बाद (यथा सम्पार्श्विक) मुख्य जोखिम बकेट में सकल अग्रिम (रेटेड व अनरेटेड):

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित
		31.03.2014	31.03.2014
1	100% जोखिम भार से कम	3,132,813.35	1,791,548.19
2	100% जोखिम भार	930,531.48	674,130.28
3	100% जोखिम भार से अधिक	545,052.15	253,408.15
4	घटाए गए (जोखिम कम करना)	375,654.29	125,497.74
5	कुल	4,232,742.69	2,593,588.88

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures – Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets – under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

Amount (₹ in Million)

SI No	Particulars	FUND BASED	NON-FUND BASED
		31.03.2014	31.03.2014
1	Below 100% Risk Weight	3,132,813.35	1,791,548.19
2	100% Risk Weight	930,531.48	674,130.28
3	More than 100% Risk Weight	545,052.15	253,408.15
4	Deducted (Risk Mitigants)	375,654.29	125,497.74
5	TOTAL	4,232,742.69	2,593,588.88

तालिका डी एफ-5: साख जोखिम न्यूनीकरण – मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

सम्पार्श्विक मूल्यांकन व प्रबन्धन के लिए नीति व प्रक्रिया: प्रभावी सम्पार्श्विक प्रबन्धन के लिए बैंक की बोर्ड से अनुमोदित सम्पार्श्विक प्रबन्धन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, सम्पार्श्विक के स्वीकार्य प्रकार और उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित रूपरेखा पर बल देती है। ठीक से लिया गया व प्रबंधित कोलेटरल्स और गारंटी से मदद मिलेगी:

- अपेक्षित कैश फ्लो में कमी के कारण उधारकर्ता द्वारा साख सुविधा में चूक की स्थिति में द्वितीयक श्रोत द्वारा पुनर्भुगतान उपलब्ध कराकर जोखिम को कम करना।
- चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान की श्रोत को नियंत्रण में लेना।
- उधारकर्ता की घटती पुनर्भुगतान क्षमता के लिए पूर्व चेतावनी उपलब्ध कराना।
- जोखिम भारित आस्तियों को इष्टतम करना और अवशिष्ट जोखिम का पर्याप्त रूप से समाधान करना।

बैंक साख जोखिम जिससे वो एक्सपोज्ड हैं उसको कम करने के लिए कई तकनीक का प्रयोग करते हैं। संशोधित दृष्टिकोण भारत में बैंक को व्यापक दृष्टिकोण (मानकीकृत और आईआरबी दृष्टिकोण के तहत) अपनाने की अनुमति देता है जो एक्सपोजर के विरुद्ध सम्पार्श्विक के लिए निर्धारित मूल्य के लिए प्रभावी ढंग से जोखिम राशि को कम करने खिलाफ कोलेटरल्स की पूरी भरपाई की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण के तहत बैंक जो योग्य वित्तीय कोलेटरल ग्रहण करता है उन्हें कोलेटरल्स की जोखिम प्रभाव कम करने को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पूंजी की गणना करते समय प्रतिपक्ष से जोखिम एक्सपोजर कम करने की अनुमति है।

बैंक की सम्पार्श्विक प्रबन्धन प्रक्रिया व प्रथा में जमानत मूल्य के सुरक्षा और संरक्षण, कोलेटरल्स की गारंटी, मूल्यांकन / आवधिक निरीक्षण सहित सम्पूर्ण गतिविधि शामिल है।

मूल्यांकन: बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण को सुरक्षित करने के लिये प्राप्त स्थायी व चालू आस्तियां, दोनों ही बैंकिंग द्वारा सूचीबद्ध मूल्य निर्धारकों से मूल्यांकन के विषयक है। खाते की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता का आस्ति वर्गीकरण जो कि मूल्यांकन, मूल्यांकन की सावधि, के विषयक है, बैंक के नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। बैंक मूल्यांकन पर दिशानिर्देशों की सावधिक तौर पर समीक्षा करता है।

TABLE DF – 5: CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACHES

(i) Qualitative disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed. The revised approach allows banks in India to adopt the Comprehensive Approach (under both the Standardized and IRB approaches) which allows fuller offset of collateral against exposures by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. Under this approach, banks, which take eligible financial collateral, are allowed to reduce their credit exposure to the counterparty when calculating their capital requirements by taking into account the risk mitigating effect of the collateral.

Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

Valuation: Both the Fixed and the Current Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Bank's policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

बैंक द्वारा लिये गये संपाश्विक के प्रमुख प्रकार का विवरण: बैंक द्वारा जोखिम शमक के रूप में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला संपाश्विक, वित्तीय संपाश्विक (यथा, नकद, बैंक जमा, जीवन बीमा पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, डाक विभाग द्वारा / प्रत्यक्ष रूप से जारी सरकारी प्रतिभूतियाँ, बैंक के अलावा व बैंक द्वारा मंजूर अन्य लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर, डिबेंचर, म्युचुअल फंड, कर्ज प्रतिभूति आदि), विभिन्न प्रकार के चल आस्तियों और अचल आस्तियों / संपत्तियों आदि को समाहित किये हुए है। यद्यपि, मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत आवश्यक पूंजी की संगणना के उद्देश्य हेतु कुछ विशिष्ट वित्तीय संपाश्विकों को पात्र संपाश्विक के रूप में मान्यता दी गयी है।

गारंटर प्रतिपक्ष और उनकी उधार पात्रता: बैंक राष्ट्रिक, राष्ट्रिक इकाई (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, व यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, ईसीजीसी, व सीजीटीएमएसई सहित) की गारंटी प्राप्त / स्वीकार करता है। इसके अलावा, बैंक उपयुक्त निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गारंटी को भी, साख जोखिम के शमक हेतु अतिरिक्त आराम के रूप में, जो कि गारंटर पर प्रत्यक्ष दावे में परिवर्तित किया जा सकता है और ये बिना शर्त व अटल है, को प्राप्त करता है। गारंटर की उधार पात्रता सामान्य रूप से उधारकर्ता के वित्तीय स्थिति से लिंक नहीं है या प्रभावित नहीं होती है। बैंक राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये गारंटी को भी प्रतिभूति कम्फर्ट के रूप में स्वीकार करता है। ऐसी गारंटी लगातार प्रभावित रहती हैं, जब तक कि कवर सुविधा पूर्ण रूप से चुका नहीं दी जाये या निपाटान या रिहा न कर दी जाये।

नयी पूंजी उपयुक्तता रूपरेखा (बासेल लल्ल मानदंड) के तहत पूंजी आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त साख जोखिम शमन: नयी पूंजी उपयुक्तता रूपरेखा (बासेल II मानदंड) के तहत पूंजी आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य हेतु बैंक ने साख जोखिम शमन के रूप में नकद, बैंक के स्वयं के जमा, स्वर्ण व स्वर्ण आभूषण को मान्यता दी है।

लिया गये शमन के अंदर जोखिम एकाग्रता के बारे में सूचना: बैंक ने पहले ही साख जोखिम के प्रबन्धन की सुविधा देने हेतु व संपाश्विक के जोखिम एकाग्रता सहित संपाश्विक प्रबन्धन की प्रभाविकता के मूल्यांकन हेतु मजबूत प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिये एक डेटा वेयरहाउस को स्थान पर लाने के लिये कदम उठाये हैं।

Description of the main types of collateral taken by the Bank: The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of Financial Collaterals (i.e. Cash, Bank deposits, Life Insurance policies, NSC, KVP, Government securities issued directly / by postal departments, equity shares of limited companies other than the Bank and approved by the Bank, debentures, units of mutual funds, debt securities etc.), different categories of moveable assets and immoveable assets / properties etc. However, for the purpose of computation of capital required under Standardized Approach, certain specific financial collaterals have been recognized as eligible collateral.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness: Bank obtains/ accepts guarantees of sovereign, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European community as well as Multilateral Development Banks, ECGC and CGTMSE). Besides this, Bank also obtains Personal or Corporate guarantee having adequate net worth, as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor, and are unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled or released.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms): The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms).

Information about risk concentration within the mitigation taken: The Bank has already initiated steps for putting in place a data warehouse for a robust Management Information System (MIS) to facilitate management of Credit Risk and evaluation of effectiveness of collateral management including risk concentrations of collaterals.

(ii) मात्रात्मक प्रकटन

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2014
(बी)	हर एक अलग से प्रकटन किये गये साख जोखिम पोर्टफोलियो हेतु हेयरकट के आवेदन के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विकों द्वारा कवर किये जाने वाला कुल एक्स-पोज़र (पश्चात, जहाँ लागू हो, ऑन- या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)।	479,925.38
(सी)	हर एक अलग से प्रकटन किये गये पोर्टफोलियो हेतु गारंटी / साख व्युत्पादों (जब भी भारिबै द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत किया गया हो) द्वारा कवर किये जाने वाला कुल एक्सपोज़र (पश्चात, जहाँ लागू हो, ऑन- या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)।	245,019.15

तालिका डीएफ-6: प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

नीति दिशानिर्देश, प्रतिभूतीकरण व नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन और बिना संसाधन आधार के माध्यम से आस्तियों के अंतरण को समाहित किये हुए दिशानिर्देशों को कवर करता है।

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर बैंक के दिशानिर्देशों में समाहित है:

- आस्तियों के प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रावधान
- नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से मानक आस्तियों के अंतरण से संबंधित निर्धारण।

एक प्रवर्तक (बैंक/एनबीएफसी/एफआई) से पूल के क्रय पर बैंक के वर्तमान नीति दिशानिर्देश कार्य कर रहे हैं। प्रवर्तक बैंक/एनबीएफसी/एफआई से नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से आस्तियों के क्रय केवल 'ए' और उससे ऊपर के रेटेड से ही होगा। कृषि, एमएसएमई, खुदरा व गैर-प्राथमिकता पोर्टफोलियो से संबंधित अंतर्निहित आस्तियों के साथ पोर्टफोलियो के क्रय का प्रावधान बैंक की नीति में है।

भारत में बैंक, अन्य बैंकों / एफआई / एनबीएफसी से ऋण क्रय कर सकता है, केवल तब जब विक्रेता ने बैंक को स्पष्ट रूप से यह खुलासा किया हो कि निरंतर आधार पर वह न्यूनतम अवधारण आवश्यकता का अनुपालन करेगा।

कुछ अंतराल पर बैंक निरंतर आधार पर क्रय संव्यवहार की निगरानी करता है और जहाँ भी आवश्यक हो उपयुक्त कार्यवाही करता है। ऋण समीक्षा तंत्र व निगरानी के संबंध में साख जोखिम प्रबन्धन पर मास्टर नीति में दिये गये सामान्य निर्धारण प्रतिभूतीकरण संव्यवहार पर लागू होंगे।

प्रवर्तक को एक्सपोज़र बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा के अन्दर ही होगा।

(ii) Quantitative Disclosures

Amount (₹ in Million)

SI No.	PARTICULARS	31.03.2014
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	479,925.38
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	245,019.15

TABLE DF – 6: SECURITIZATION EXPOSURES: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH

(i) Qualitative disclosures

The policy guidelines cover guidelines involving transfer of assets through Securitisation and direct assignment of cash flows and are on without recourse basis.

The guidelines to banks on securitisation of standard assets contain:

- The provisions relating to securitization of assets
- Stipulations regarding transfer of standard assets through direct assignment of cash flows.

The bank's existing policy guidelines deals with purchase of pools from an originator (Bank/NBFC/FI). Purchase of assets through Direct Assignment of cash flows from originating NBFCs/Banks/FIs shall be only from those rated 'A' and above. The Bank's Policy has the provision to purchase portfolio with underlying assets pertaining to Agriculture, MSME, Retail and Non priority portfolio.

Bank can purchase loans from other banks/FIs/NBFCs in India only if the seller has explicitly disclosed to the bank that it will adhere to the Minimum Retention Requirement on an ongoing basis.

The bank monitors the purchase transactions on an ongoing basis at certain intervals and takes appropriate action wherever required. The general prescription laid down in the Master policy on Credit Risk Management with regard to loan review mechanism and monitoring is applicable to securitization transactions.

The exposure to the originator shall be within the prudential exposure ceilings stipulated by the Bank.

- (ii) मात्रात्मक प्रकटन
(i) बैंकिंग बही

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2014																								
(d)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल रकम	18,742.60																								
(e)	वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचान की गई प्रतिभूतिकृत अलग अलग एक्सपोजर वार (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि प्रतिभूति विवरण सहित) हानि																									
	<table><tr><th>एक्सपोजर का प्रकार</th><th>यथा देय एक्सपोजर 31.03.2014</th><th>पहचान किए गए लाभ 31.03.2014</th></tr><tr><td>आवास ऋणों</td><td>9,639.10</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>एम एस एम ई ऋणों</td><td>9,103.50</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>कुल</td><td>18,742.60</td><td>शून्य</td></tr></table>	एक्सपोजर का प्रकार	यथा देय एक्सपोजर 31.03.2014	पहचान किए गए लाभ 31.03.2014	आवास ऋणों	9,639.10	शून्य	एम एस एम ई ऋणों	9,103.50	शून्य	कुल	18,742.60	शून्य													
एक्सपोजर का प्रकार	यथा देय एक्सपोजर 31.03.2014	पहचान किए गए लाभ 31.03.2014																								
आवास ऋणों	9,639.10	शून्य																								
एम एस एम ई ऋणों	9,103.50	शून्य																								
कुल	18,742.60	शून्य																								
(f)	वर्ष के भीतर प्रभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की रकम	शून्य																								
(g)	सी में से प्रभूतिकरण पूर्व एक वर्ष के भीतर आस्तियों की रकम	लागू नहीं																								
(h)	प्रभूतिकृत रकम एक्सपोजर की कुल रकम व एक्सपोजर के विक्रय द्वारा पहचान रहित लाभ या हानि / की	लागू नहीं																								
(i)	का कुल रकम																									
	<ul style="list-style-type: none">अलग अलग एक्सपोजर के लिए रखे गए या क्रय किए गए ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर <table><tr><th>एक्सपोजर का प्रकार</th><th>यथा देय एक्सपोजर 31.03.2014</th></tr><tr><td>आवास ऋणों</td><td>9,639.10</td></tr><tr><td>एम एस एम ई ऋणों</td><td>9,103.50</td></tr><tr><td>कुल</td><td>18,742.60</td></tr></table>	एक्सपोजर का प्रकार	यथा देय एक्सपोजर 31.03.2014	आवास ऋणों	9,639.10	एम एस एम ई ऋणों	9,103.50	कुल	18,742.60																	
एक्सपोजर का प्रकार	यथा देय एक्सपोजर 31.03.2014																									
आवास ऋणों	9,639.10																									
एम एस एम ई ऋणों	9,103.50																									
कुल	18,742.60																									
	<ul style="list-style-type: none">ऑफ बैलेंस शीट प्रभूतिकरण अलग अलग एक्सपोजर	शून्य																								
(j)	(i) खरीदे गए या रखे गए प्रभूतिकरण की सकल राशि व अलग अलग एक्सपोजर के लिए सम्मिलित पूंजी प्रभार तथा यथा 31.03.2014 को प्रत्येक विनियाम पूंजी की अलग अलग जोखिम धारित																									
	<table><tr><th>एक्सपोजर का प्रकार</th><th>< 100% जोखिम धारिता</th><th>100% जोखिम धारिता</th><th>> 100% जोखिम धारिता</th><th>कुल एक्सपोजर</th><th>पूंजी प्रभार @ 9%</th></tr><tr><td>आवास ऋणों</td><td>-</td><td>9,639.10</td><td>-</td><td>9,639.10</td><td>867.52</td></tr><tr><td>एम एस एम ई ऋणों</td><td>-</td><td>9,103.50</td><td>-</td><td>9,103.50</td><td>819.31</td></tr><tr><td>कुल</td><td>-</td><td>18,742.60</td><td>-</td><td>18,742.60</td><td>1,686.83</td></tr></table>	एक्सपोजर का प्रकार	< 100% जोखिम धारिता	100% जोखिम धारिता	> 100% जोखिम धारिता	कुल एक्सपोजर	पूंजी प्रभार @ 9%	आवास ऋणों	-	9,639.10	-	9,639.10	867.52	एम एस एम ई ऋणों	-	9,103.50	-	9,103.50	819.31	कुल	-	18,742.60	-	18,742.60	1,686.83	
एक्सपोजर का प्रकार	< 100% जोखिम धारिता	100% जोखिम धारिता	> 100% जोखिम धारिता	कुल एक्सपोजर	पूंजी प्रभार @ 9%																					
आवास ऋणों	-	9,639.10	-	9,639.10	867.52																					
एम एस एम ई ऋणों	-	9,103.50	-	9,103.50	819.31																					
कुल	-	18,742.60	-	18,742.60	1,686.83																					
	(ii) एक्सपोजर जो पूरी तरह टियर I पूंजी से घटाए गए, ऋण संवर्धन, कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर	Nil																								

(ii) Quantitative Disclosures
(i) Banking Book:

Amount (₹ in Million)

SI No	PARTICULARS				31.03.2014		
(d)	The total amount of exposures securitized by the Bank.				18,742.60		
(e)	For exposures securitized losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit Cards, Housing Loans, Auto Loans etc. detailed by underlying security):						
	Exposure Type		Exposure Outstanding as on 31.03.2014		Recognized gains/ (losses) 31.03.2014		
	Housing Loans		9,639.10		Nil		
	MSME Loans		9,103.50		Nil		
	Total		18,742.60		Nil		
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year		Nil				
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year before Securitisation.		NA				
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type		NA				
(i)	Aggregate amount of:						
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type:						
	Exposure Type		Exposure Outstanding as on 31.03.2014				
	Housing Loans		9,639.10				
	MSME Loans		9,103.50				
	Total		18,742.60				
• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type				Nil			
(j)	(i) Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach as on 31.03.2014						
	Exposure Type		< 100% risk weights	100% risk weights	> 100% risk weights	Total exposure	Capital Charge @ 9%
	Housing Loans		-	9,639.10	-	9,639.10	867.52
	MSME Loans		-	9,103.50	-	9,103.50	819.31
	Total		-	18,742.60	-	18,742.60	1,686.83
	(ii) Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 Capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).					Nil	

(ii) व्यापारिक बही

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2014															
(k)	बैंक द्वारा प्रभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रखे हैं तथा जो बाजार जोखिम के अधीन हैं	11,075.50															
(l)	की सकल राशि:																
	• ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर रखे गए या क्रय किए गए अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर	11,075.50															
	• ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर अलग अलग प्रकार के	शून्य															
(m)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि रखी गई या अलग से क्रय की गई																
	• बैंक द्वारा प्रभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रखे हैं तथा जो विशिष्ट जोखिम के लिए विस्तृत जोखिम उपाय जोखिम के अधीन हैं तथा	11,075.50															
	• प्रभूतिकृत एक्सपोजर जो अलग अलग जोखिम धारिता के प्रतिभूतिकृत संरचना के अधीन हैं																
	<table> <tr> <th>क्रमांक</th><th>जोखिम धारिता बैंड</th><th>यथा को एक्सपोजर 31.03.2014</th></tr> <tr> <td>1</td><td><100% जोखिम धारिता</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% जोखिम धारिता</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% जोखिम धारिता</td><td>11,075.50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>कुल</td><td>11,075.50</td></tr> </table>	क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	यथा को एक्सपोजर 31.03.2014	1	<100% जोखिम धारिता	0.00	2	100% जोखिम धारिता	0.00	3	>100% जोखिम धारिता	11,075.50	4	कुल	11,075.50	
क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	यथा को एक्सपोजर 31.03.2014															
1	<100% जोखिम धारिता	0.00															
2	100% जोखिम धारिता	0.00															
3	>100% जोखिम धारिता	11,075.50															
4	कुल	11,075.50															
(n)	की सकल राशि																
	• प्रभूतिकृत एक्सपोजर हेतु पूंजी आवश्यकता प्रतिभूतिकृत संरचना के विभिन्न अलग अलग जोखिम धारिता बैंड के अधीन																
	<table> <tr> <th>क्रमांक</th><th>जोखिम धारिता बैंड</th><th>यथा को एक्सपोजर 31.03.2014</th></tr> <tr> <td>1</td><td><100% जोखिम धारिता</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% जोखिम धारिता</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% जोखिम धारिता</td><td>1,495.10</td></tr> <tr> <td>4</td><td>कुल</td><td>1,495.10</td></tr> </table>	क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	यथा को एक्सपोजर 31.03.2014	1	<100% जोखिम धारिता	0.00	2	100% जोखिम धारिता	0.00	3	>100% जोखिम धारिता	1,495.10	4	कुल	1,495.10	
क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	यथा को एक्सपोजर 31.03.2014															
1	<100% जोखिम धारिता	0.00															
2	100% जोखिम धारिता	0.00															
3	>100% जोखिम धारिता	1,495.10															
4	कुल	1,495.10															
	• प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर जो पूरी तरह टियर I पूंजी, ऋण संवर्धन, व कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर	शून्य															

(ii) Trading Book:

Amount (₹ in Million)

SI No	PARTICULARS	31.03.2014															
(k)	Aggregate amount of exposures Securitized by the Bank for which the Bank has retained some exposures and which is subject to the Market Risk approach, by exposure type.	11,075.50															
(l)	Aggregate amount of:																
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	11,075.50															
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	NIL															
(m)	Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased separately for:																
	• Securitisation Exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for Specific Risk; and	11,075.50															
	• Securitization Exposures subject to the securitisation framework for Specific Risk broken down into different risk weight bands.																
	<table> <tr> <th>SI No</th><th>Risk Weight Bands</th><th>Exposure as on 31.03.2014</th></tr> <tr> <td>1</td><td><100% Risk Weight</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% Risk Weight</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% Risk Weight</td><td>11,075.50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total</td><td>11,075.50</td></tr> </table>	SI No	Risk Weight Bands	Exposure as on 31.03.2014	1	<100% Risk Weight	0.00	2	100% Risk Weight	0.00	3	>100% Risk Weight	11,075.50	4	Total	11,075.50	
SI No	Risk Weight Bands	Exposure as on 31.03.2014															
1	<100% Risk Weight	0.00															
2	100% Risk Weight	0.00															
3	>100% Risk Weight	11,075.50															
4	Total	11,075.50															
(n)	Aggregate amount of:																
	• The capital requirements for the Securitisation Exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.																
	<table> <tr> <th>SI No</th><th>Risk Weight Bands</th><th>Capital Requirement as on 31.03.2014</th></tr> <tr> <td>1</td><td><100% Risk Weight</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% Risk Weight</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% Risk Weight</td><td>1,495.10</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total</td><td>1,495.10</td></tr> </table>	SI No	Risk Weight Bands	Capital Requirement as on 31.03.2014	1	<100% Risk Weight	0.00	2	100% Risk Weight	0.00	3	>100% Risk Weight	1,495.10	4	Total	1,495.10	
SI No	Risk Weight Bands	Capital Requirement as on 31.03.2014															
1	<100% Risk Weight	0.00															
2	100% Risk Weight	0.00															
3	>100% Risk Weight	1,495.10															
4	Total	1,495.10															
	• Securitisation Exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	NIL															

सारणी डीएफ-7: व्यापार बही में बाजार जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटन

रणनीति व प्रक्रियाएं: बाजार जोखिम प्रबन्धन का सम्यक उद्देश्य बैंक के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सुधारने के द्वारा व सभी प्रकार के बाजार जोखिम हानि घटनाओं से हानि को कम करने के द्वारा शोयस्धारक मूल्य को निर्मित करना है।

- जब सम्यक नेतृत्व व जोखिम प्रबन्धन रूपरेखा का नियंत्रण, जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तब कारोबार इकाई जोखिम लेने हेतु रणनीति तय करने व जोखिम को प्रबन्धित करने के लिये सशक्त होते हैं।
- पूर्व-निर्धारित तीव्रता के सभी मुद्दे व सीमा उल्लंघन जोखिम प्रबन्धन विभाग को परिवर्धित कर दिया जाता है जहाँ उन्हें संबोधित करने वाली कार्यवाही उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। लिये गये निर्णय के कार्यावयन हेतु कारोबार इकाई उत्तरदायी होगा।

प्रक्रिया का उद्देश्य है:

- बाजार जोखिम गतिविधियों को कवर करने के लिये एक प्रोजेक्टिव बाजार जोखिम प्रबन्धन संस्कृति को स्थापित किया जाये।
- बाजार जोखिम से संबंधित सभी प्रासंगिक विधानों व विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
- बाजार जोखिम की पहचान, माप, प्रबन्धन, निगरानी, नियंत्रण व समीक्षा के संबंध में नीतियों व प्रक्रियाओं को उजागर करने में सुसंगत गुण को विकसित करें।
- विभिन्न प्रकार के बाजार जोखिम हेतु सीमा संरचना व ट्रिगर को स्थापित करें।
- एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित करने के द्वारा प्रभावकारी निगरानी तंत्र को स्थापित करें।
- बाजार जोखिम उपायों के स्वतंत्र व नियमित मूल्यांकन को अपनायें।

प्रासंगिक जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना व संगठन: बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नलिखित है –

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति

TABLE DF – 7: MARKET RISK IN TRADING BOOK

(i) Qualitative disclosures

Strategies and processes: The overall objective of market risk management is to create shareholder value by improving the Bank's competitive advantage and reducing loss from all types of market risk loss events.

- While overall leadership and control of the risk management framework is provided by Risk Management Wing, the business units are empowered to set strategy for taking risks and manage the risks.
- All issues or limit violations of a pre-determined severity (materiality, frequency, nature) are escalated to the Risk Management Wing where the actions to address them are determined by the appropriate authorities. The business units are responsible for implementing the decision taken.

The process aims to:

- Establish a pro-active market risk management culture to cover market risk activities.
- Comply with all relevant legislation and regulatory requirements relating to Market Risk
- Develop consistent qualities in evolving policies & procedures relating to identification, measurement, management, monitoring, controlling and reviewing of Market Risk.
- Establish limit structure and triggers for various kinds of market risk factors
- Establish efficient monitoring mechanism by setting up a strong reporting system.
- Adopt independent and regular evaluation of the market risk measures.

The structure and organization of the relevant risk management function: Market Risk Management structure of the Bank is as under–

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board

- आस्ति दायित्व प्रबन्धन समिति (एएलसीओ)
- बाजार जोखिम प्रबन्धन समिति (एमआरएमसी)
- महा प्रबन्धक – आरएम विभाग (मुख्य जोखिम अधिकारी), प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबन्धन प्रभाग, जोखिम प्रबन्धन विभाग, प्रका
 - एकीकृत मिड कार्यालय
 - मिड कार्यालय – एकीकृत कोष
 - आस्ति दायित्व प्रबन्धन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग और / या माप प्रणाली की स्कोप व प्रवृत्ति:

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबन्धन हेतु कई एक्सपोजर सीमाएं निर्दिष्ट की हैं यथा, ओवरनाइट सीमा, इंटरडेय सीमा, सकल गैप सीमा, स्टॉप हानि सीमा, वार सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा, एक्सपोजर सीमा, उत्पाद-वार एक्सपोजर सीमा, जारीकर्ता-वार एक्सपोजर सीमा, आदि
- ट्रेडिंग डेस्क से ले कर बोर्ड स्तर तक के बैंक के विभिन्न स्तरों पर जोखिम सीमा की निगरानी हेतु जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित किया गया है।
- जोखिम प्रबन्धन या लेखांकन गतिविधियों हेतु बाजार में मार्किंग के लिये प्रयुक्त दर स्वतंत्र रूप से सत्यापित होंगे।
- रिपोर्ट का प्रयोग कार्यनिष्पादन व जोखिम, बैंक की रणनीति के अनुरूप कारोबार गतिविधियों के प्रबन्धन में होता है।
- रिपोर्टिंग प्रणाली समयसीमा, स्वचालन के साथ उचित सटीकता, हाईलाइट पोर्टफोलियो जोखिम एकाग्रता को सुनिश्चित करती है और लिखित कमेंटरी को समाहित करती है।
- विस्तृत जोखिम रिपोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया का संवर्धन करती है।
- कक्ष गतिविधियों से निपटना केंद्रीकृत हैं और विभिन्न जोखिम सीमा की निगरानी हेतु प्रणाली को स्थापित किया गया है।
- रिपोर्टिंग फॉर्मेट व आवृत्ति की सावधिक तौर पर समीक्षा की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बैंक के जोखिम निगरानी, माप व शमन आवश्यकता को पूरा करते हैं।

- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Market Risk Management Committee (MRMC)
- General Manager – RM Wing (Chief Risk Officer), Head Office
- Market Risk Management Department, Risk Management Wing, HO
 - Integrated Mid Office
 - Mid Office – Integrated Treasury
 - Asset Liability Management Section

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

- The Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit, etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the Bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with the Bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation, highlight portfolio risk concentrations, and include written commentary.
- The detailed risk reports enhance the decision-making process.
- Dealing room activities are centralized, and system is in place to monitor the various risk limits.
- The reporting formats & the frequency are periodically reviewed to ensure that they suffice for risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

बचाव / शमन के जारी प्रभावशीलता की निगरानी हेतु जोखिम व रणनीति व प्रक्रिया के बचाव और / या शमन के लिये नीति: विभिन्न बोर्ड मंजूर नीतियां यथा, बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति (देशज जोखिम प्रबन्धन व प्रतिपक्ष बैंक जोखिम प्रबन्धन सहित), निवेश नीति, फोरेक्स डिलिंग व ट्रेडिंग परिचालन नीति, और एएलएम नीति, को बाजार जोखिम प्रबन्धन हेतु स्थापित किया गया है। बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति, जोखिम मूल्यांकन, पहचान व माप और शमन, जोखिम सीमा व ट्रिगर, जोखिम निगरानी व रिपोर्टिंग के लिये रूपरेखा प्रदान करता है।

बैंक ने विभिन्न देशों तक एक्सपोजर ले जाने हेतु सीमा आवंटित करने के लिये देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु विभिन्न मापदंडों यथा, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, ट्रेड बैलेंस आदि पर आधारित देशज जोखिम रेटिंग के लिये एक आंतरिक मॉडल तैयार किया है।

विदेशी बैंकों के वर्गीकरण हेतु बैंक ने स्कोरिंग मॉडल स्थापित किया है। विभिन्न एक्सपोजर सीमाओं को स्कोरिंग मैट्रिक्स अनुसार प्रतिपक्षों द्वारा सुरक्षित अंकों पर आधारित करके तय किया गया है।

एएलएम नीति ब्याज दर जोखिम व चलनिधि जोखिम के प्रबन्धन पर गौर करता है। नीति ने विभिन्न दिशानिर्देश दिये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आकस्मिक वित्तपोषण प्लान को सूत्रित करने के द्वारा तनाव के समय में चलनिधि स्थिति आरामदायक है। हर एक समय ढाचें के तहत सहिष्णुता स्तर को निगमित किया गया है और इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन एक आगामी चलनिधि की कमी का संकेत देगा।

(ii) गुणात्मक प्रकटन

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	पूँजी आवश्यकता की राशि विवरण
		31.03.2014
(a)	ब्याज दर जोखिम	13,424.02
(b)	ईक्विटी स्थिति जोखिम	5,817.54
(c)	विदेश विनिमय जोखिम	592.47

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants: Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy (Including Country Risk Management and Counterparty Bank Risk Management), Investment Policy, Forex dealing and trading operations Policy and ALM Policy are put in place for market risk management. Market Risk Management Policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

The Bank has developed an internal model for country risk rating based on various parameters like GDP growth, inflation, trade balance etc for risk categorization of the countries to allocate limit for taking exposure to various countries.

The Bank has in place a scoring model for categorization of foreign banks. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

The ALM Policy deals with management of Interest Rate Risk and Liquidity Risk. The Policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each timeframe and any breach of it would signal a forthcoming liquidity constraint.

(ii) Quantitative Disclosures

(₹ in Million)

SI No	Particulars	Amount of capital requirement
		31.03.2014
(a)	Interest Rate Risk	13,424.02
(b)	Equity Position Risk	5,817.54
(c)	Foreign Exchange Risk	592.47

तालिका डीएफ-8: परिचालन जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटन

रणनीतियां व प्रक्रियाएं: बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, मजबूत संगठनात्मक संस्कृति व योग्य परिचालन कार्यविधियों से निहित है जिसमें कार्पोरेट मूल्यक, प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मकता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग व आकस्मिक योजना, नीतियां निर्धारित हैं जिससे कि बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

संगत जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा व गठन: बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है:

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- प्रमुख/ महा प्रबंधक – जोखिम प्रबंधन / मुख्य जोखिम अधिकारी
- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग (ओआरएमडी), प्र का
- मुख्य महा प्रबंधक/ विभागों के महा प्रबंधक / अंचल प्रधान
- अंचलों के मनोनित कार्यपालक
- अंचलों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग
- जोखिम अधिकारी (अंचल कार्यालय / प्रधान कार्यालय में कार्यात्मक विभागों में नोडल अधिकारी)

जोखिम रिपोर्टिंग तथा / या परिमाण प्रणालियों की व्याप्ति एवं प्रकार : जोखिम रिपोर्टिंग में, शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया, तकनीक व बाहरी कार्यक्रमों के संबंध में घटित परिचालन जोखिम हानि संबंधी घटनाएं शामिल हैं। विभिन्न स्रोतों से संग्रह किये गये डाटा का प्रयोग जोखिम मैट्रिक्स तैयार करने के लिए किया जाता है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्य सात हानि संबंधी घटना प्रकार व आठ कारोबार आधार शामिल हैं।

बचाव-व्यवस्था और / या जोखिम शमन करने के संबंध में नीतियां तथा बचाव-व्यवस्था / प्रशमन की लगातार जारी प्रभाविकता पर निगरानी रखने हेतु रणनीतियां व प्रक्रियाएं:

बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रबंधन में नीतियां निर्धारित की हैं। नीति संबंधी ढांचे में अभिनिर्धारण, प्रबंधन, निगरानी व प्रशमन जैसे

TABLE DF – 8: OPERATIONAL RISK

(i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Head/ General Manager – Risk Management/ Chief Risk Officer
- Operational Risk Management Department (ORMD), HO
- Chief General Managers/ General Managers of Wings/ Circle Heads
- Nominated Executives at Circles
- Risk Management Sections at Circles
- Risk Officer (Circle Offices / Nodal Officers in functional Wings at Head Office)

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems: The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of Risk Matrix consisting of seven loss event types and eight business lines recognized by the RBI.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Bank has put in place policies for management of Operational Risk. The policy framework contains various aspects of Operational Risk management such as

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी विभिन्न पहलू शामिल हैं।

क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों के निवारण के लिए बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित की हैं।

कारोबार प्रक्रियाओं की निरंतरता, पुनरारंभ व वसूली स्वीकृत स्तर तक बनाये रखने की बात को सुनिश्चित करने तथा लोगों, प्रक्रिया व अवसंरचना (आईटी सहित) पर उसकी विपदा का प्रभाव सीमित रखने के लिए कारोबार निरंतरता योजना नीति निर्धारित की गयी है।

परिचालन जोखिम पूँजी मूल्यांकन: बैंक न परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार परिकलित करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बेसिक इंडिकेटर अप्रोच) को अपनाया है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण (बेसिक इंडिकेटर अप्रोच) के तहत परिचालन जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षा ₹15,572.82 मिलियन है।

तालिका डी एफ-9: बैंकिंग पुस्तिका में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

(i) गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग पुस्तिका में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दरों में परिवर्तनों से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। चूंकि, विभिन्न परिपक्वाता/पुनर्मूल्यन, मुद्रा, बाजार व बेंचमार्क दर की तुलना पत्र की मदों व तुलना पत्र की इतर मदों के संबंध में बैंक की दर संवेदनशील बनी रहती है और इन मानदंडों में किसी प्रकार के प्रतिकूल स्वरूप के उच्चार-चढ़ाव से बैंक, ब्याज दर जोखिम से ग्रस्त होता है। बैंकिंग पुस्तिका में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के उपार्जन (लघु-अवधि का प्रभाव) पर होनेवाले प्रभाव तथा निवल मालियत (दीर्घावधि का प्रभाव) के बारे में पता चलता है और इसे मासिक आधार पर आंका जाता है।

संगठनात्मक ढांचा

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), निदेशक मंडल द्वारा/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहन स्तर के अनुसार ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति विकसित करने और उसे कार्यान्वित करने, सीमा के आरपार व कारोबारी क्षेत्रों में तथा कानूनी इकाइयों के यहां विभिन्न मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। एएलसीओ, बैंक का ब्याज दर दृष्टिकोण

identification, management, monitoring & mitigation of Operational Risk areas.

In order to address risks involved in outsourcing of activities, Bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Business Continuity Plan Policy is in place to ensure continuity, resumption and recovery of critical business processes, at an agreed level and limit the impact of the disaster on people, process and infrastructure (including IT). This will minimize the operational, financial, legal, reputational and other material consequences arising from a Business impact/ disaster.

Operational Risk Capital Assessment: The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

(ii) Quantitative Disclosure:

The capital requirement for Operational Risk under Basic Indicator Approach is ₹ 15,572.82 Millions.

TABLE DF – 9: INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

(i) Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net-worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing and implementing interest rate risk management strategy, managing interest rate risk in different currencies, across borders and across business lines and legal entities as per the

भी नियत करता है और भावी कारोबार रणनीति के लिए अपने निर्णय के संबंध में आधार तैयार करता है। निधीकरण नीति के संबंध में, आस्ति निर्माण करने के संबंध में स्रोत व देयताओं का सही मिश्रण निर्धारित करना उसकी जिम्मेदारी है। एएलसीओ द्वारा निदेशक मंडल द्वारा स्थापित विभिन्न ऋण सीमाओं की निगरानी रखी जाती है और ऋणा सीमा में किसी प्रकार का लोप होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

रणनीतियां व प्रक्रियाएं

बैंक अपनी आस्तियों व देयताओं के कीमतों को समकक्ष बनाने के साथ-साथ उपयुक्त समरूपता प्रदान करने का प्रयास करता है जिससे कि परिपक्व होने वाले या पुनर्मूल्यित होनेवाले विभिन्न समय-अवधि वाले आस्ति व देयताओं में अंतर को कम किया जा सके। ब्याज दर जोखिम के मापन व प्रबंधन के लिए बैंक अपनी आस्ति व देयताओं व तुलन पत्र रहित मदों की वैश्विक स्थिति जो कि दर संवेदी हैं, के प्रति दोनों पारंपरिक अंतर विश्लेषण (टीजीए) और अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) अपनाता है।

बैंक, दर संवेदनशील आस्तियों/देयताओं/तुलन-पत्र इतर मदों के संबंध में टीजीए व डीजीए लागू करते हुए हर मुद्रा में प्रत्येक ब्याज दर जोखिम स्थिति का परिकलन उस मुद्रा, जहां या तो आस्तियां अथवा देयताएं बैंक की वैश्विक आस्तियों या वैश्विक देयताओं के कुल योग के मुकाबले 5 प्रति शत या उससे अधिक हों, में करता है। अन्य सभी अवशिष्ट मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम की स्थिति का परिकलन अलग से समग्र आधार पर किया जाता है। गैर-परिपक्वता अवधि की जमाओं का वर्गीकरण बैंक के आचरण अध्ययन के अनुसार किया जायेगा।

ब्याज दर जोखिम, कीमत-निर्धारण, आय वक्र परिवर्तन, आधारभूत जोखिम व वैकल्पिक जोखिम के कारण पेश आता है। बैंक का उद्देश्य परिपक्वता व कीमत-निर्धारण के संतुलन से पेश आनेवाली जोखिमों को दोनों आय उपार्जन के परिप्रेक्ष्य व आर्थिक मूल्य व परिप्रेक्ष्य से पता लगाना है जिसमें निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग हो यानी।

1. **अंतर विश्लेषण:** ब्याज दर जोखिम आंकने के लिए मूल साधन का प्रयोग, अवशिष्ट परिपक्वता अवधि अथवा अगले कीमत निर्धारण, इनमें से जो भी पहले हो, के अनुसार, दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) व दर संवेदनशील देयताओं (आरएसएल) की विभिन्न मदों तथा तुलन-पत्र इतर मदों को भिन्न-भिन्न समय अवधियों में समूहीकरण करने के ज़रिए ब्याज दर संवेदनशील विवरण (आईआरएस) तैयार कर निवल अंतर (यानी आरएसए – आरएसएल) का पता लगाना होगा। सकारात्मक अथवा आस्ति संवेदनशील अंतर का यह आशय है कि यदि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो परिणामस्वरूप एनआईआई में भी वृद्धि

risk tolerance established by the Board of Directors/ Risk Management Committee. The ALCO also articulates interest rate view of the bank and bases its decisions for future business strategy. In respect of the funding policy, its responsibility is to decide on source and mix of liabilities for creation of assets. ALCO monitors the various limits established by the Board for interest rate risk and takes corrective action if there is any breach in the limit.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its global position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The Bank computes its interest rate risk position in each currency applying the TGA and DGA to the rate sensitive assets/ liabilities/ off balance sheet items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 percent or more of the total of either the Bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk position in all other residual currencies is computed separately on an aggregate basis. The non-maturing deposits are classified as per the behavioural study of the Bank.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk and options risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. **Gap Analysis:** The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA – RSL). A positive or Asset Sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in

होगी। इसके विपरीत, नकारात्मक या देयता संवेदनशील अंतर का तात्पर्य है कि बाजार की ब्याज दरों में वृद्धि के कारण बैंक के एनआईआई घट सकता है।

2. आय अर्जन में जोखिम (ईएआर): आय अर्जन में जोखिम (ईएआर) यह संकेत देता है कि क्या सकारात्मक अंतर बनाये रखने के ज़रिए ब्याज दर में होनेवाली वृद्धि से बैंक लाभ उठा सकता है या फिर नकारात्मक अंतर बनाये रखने के ज़रिए ब्याज दर में गिरावट से लाभ उठा सकता है। ब्याज दर में समांतर परिवर्तन के फलस्वरूप आय-अर्जन पर कीमत-निर्धारण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल-यांकन विभिन्न दर प्रहारों के संबंध में किया जाता है। आय वक्र परिवर्तन व आधार जोखिम के संबंध में आय-अर्जन के प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है।

3. बाजार का ईक्विटी मूल्य (एमवीई): परिवर्तनशील ब्याज दरों का दीर्घवधि प्रभाव बैंक बाजार के ईक्विटी मूल्य (एमवीई) या निवल मालियत पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों, देयताओं के आर्थिक मूल्य और तुलन-पत्र इंटर स्थितियां, बाजार की ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन के कारण से प्रभावित होती हैं। समूचे बैंक में ब्याज दर संवेदनशील स्थितियों के परिवर्तनों से होनेवाले निर्धारित दर प्रहार के कारण ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) में अनुमानित गिरावट का प्राक्कलन अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) से किया जाता है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन:

आय अर्जन में जोखिम (ईएआर):

निम्नलिखित तालिका में यथा 31.03.2014 को सभी मुद्राओं में एक वर्ष तक की अवधि के लिए ब्याज दर में कल्पित 100 आधार बिंदु (बीपीएस) समांतर परिवर्तन के संबंध में बैंक की निवल ब्याज आय पर होनेवाले प्रभाव की जानकारी है:

राशि (₹ मिलियन में)

मुद्रा	1 वर्ष तक ब्याज दर में परिवर्तन	
	31.03.2014	
	-100 bps	+100 bps
आईएनआर	(3,104.90)	3,104.90
युएसडी	(388.90)	388.90
अन्यड	(103.70)	103.70
कुल	(3,597.50)	3,597.50

an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

2. Earnings at Risk (EaR): Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.

3. Market Value of Equity (MVE): A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA).

(ii) Quantitative Disclosures:

EARNINGS AT RISK:

The following table presents the impact on net interest income of the Bank for an assumed parallel shift of 100 bps in interest rate up to one year across currencies as at 31.03.2014.

Amount (₹ in Million)

Currencies	Change in interest rate up to 1 Year	
	31.03.2014	
	-100 bps	+100 bps
INR	(3,104.90)	3,104.90
USD	(388.90)	388.90
Others	(103.70)	103.70
Total	(3,597.50)	3,597.50

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य

निम्नलिखित तालिका में यथा 31.03.2014 को बैंकिंग बही पर कल्पित 100 आधार बिंदु (बीपीएस) के संबंध में ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले प्रभाव की जानकारी है:

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 आधार अंको	+200 आधार अंको
	7.16%	(7.16%)

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

The table reveals the impact on Economic Value of Equity for an assumed rate shock of 200 bps on the Banking Book as at 31.03.2014

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	+200 bps
	7.16%	(7.16%)

प्रकटन प्रपत्र तालिका-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के संबंध में सामान्य प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन:

बैंक में, प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में नीति है जिसपर निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त है। इस नीति में, बैंक में प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में मानकों व दिशानिर्देश निर्धारित की गयी है। इस नीति के ज़रिए बैंक को विभिन्न घटकों व जोखिमों के संगत स्रोतों को प्रावित करते हुए बाजार व्यापारित लिखतों में सीसीआर की पहचान करने के लिए मानकों व दिशानिर्देशों को स्थापित करना होगा। इसके ज़रिए निपटान-पूर्व जोखिम, निपटान जोखिम व गलत प्रकार की जोखिम का समाधान होता है।

प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम एक बहु-आयामी किस्म की जोखिम है जो दोनों प्रतिपक्षकार के एक्सपोजर सहित प्रतिपक्षकार के ऋण की गुणवत्ता से प्रभावित होती है और ये दोनों बाजार-उत्प्रेरित परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हैं। इन जोखिमों के परस्पर क्रिया से भी यह प्रभावित होता है, उदाहरण के लिए, किसी एक्सपोजर और प्रतिपक्षकार के कीमत-लागत अंतर के बीच सहसंबंध या बैंक के प्रतिपक्षकारों के बीच एक्सपोजर की सहसंबंध। प्रभावी सीसीआर प्रबंधन ढाँचे के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम क्षेत्रों से जोखिम प्रबंधन तकनीकों के संयोजन की आवश्यकता है।

TABLE DF – 10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures:

Bank has a board approved policy on Counterparty Credit Risk Management. This policy sets out the standards and guidelines for Counterparty Credit Risk Management at the Bank. Through this policy the bank shall establish its standards and guidelines for identification of CCR in market traded instruments covering various components and relevant sources of risks. This addresses Pre-settlement Risk, Settlement Risk and Wrong Way Risk.

Counterparty Credit Risk is a multi-dimensional form of risk, affected by both the exposure to counterparty and the credit quality of the counterparty, both of which are sensitive to market-induced changes. It is also affected by the interaction of these risks, for example the correlation between an exposure and the credit spread of the counterparty, or the correlation of exposures among the counterparties of the Bank. Implementing an effective CCR management framework thus requires a combination of risk management techniques from the credit, market, and operational risk disciplines.



(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	कल्पित राशि	चालू लेनदेन (एक्सपोजर)
		31.03.2014	31.03.2014
1	विदेश विनिमय ठेके	1,314,865.30	36,154.40
2	परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	5,788.00	0.00
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	62,911.10	4,532.80
4	कुल योग	1,383,564.40	40,687.20

(ii) Quantitative disclosure

Amount (₹ in Millions)

SI No	Particulars	Notional Amount	Current Exposure
		31.03.2014	31.03.2014
1	Foreign Exchange Contracts	1,314,865.30	36,154.40
2	Cross Currency Interest rate Swaps	5,788.00	0.00
3	Single Currency Interest Rate Swaps	62,911.10	4,532.80
4	Total	1,383,564.40	40,687.20

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन

भाग II: 31 मार्च, 2017 से पहले उपयोग किया जानेवाला नमूना (यानि बेसल III विनियामक समायोजन की संक्रमण अवधि के दौरान)

(₹ मिलियन में)

विनियामक समायोजन की संक्रमण अवधि के दौरान उपयोग किया जानेवाला सामान्य प्रकटीकरण नमूना (यानि 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017)	पात्र राशि	पूर्व बेसल III व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी: साधन तथा भंडार			
1 प्रत्यक्षतः जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी + संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	31,803.35		ए=ए1+ए2
2 रोक रखी गई आय	207,135.32		बी=बी1+बी2+बी3+बी4
3 संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य भंडार)	-		
4 सीईटी 1 से समाप्ति के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के लिये लागू)	-		
1 जनवरी 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण पुरानी इकाइयां			
5 सहयोगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	127.97		सी1
6 विनियामक समायोजन के समक्ष सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी	239,066.64		
सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
7 विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	-		
8 साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
9 बंधक शोधन अधिकार के अलावा अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	249.19	373.78	डी
10 आस्थगित कर आस्तियां	-		
11 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	-		
12 सामग्रियों के संभावित नुकसान में कमी	-		
13 बिक्री पर प्रतिभूतिकृत प्राप्ति	-		
14 उचित मूल्य की देयताओं पर स्वयं साख जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि	-		
15 निर्धारित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	-		
16 स्वयं के शेयर में निवेश (रिपोर्ट किये गये तुलन पत्र पर भुगतान की गई पूंजी को बंद नहीं किया गया)	-		
17 सामान्य इक्विटी में विपरीत प्रतिधारिता	624.44	936.66	ई
18 बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा निकायों की पूंजी में निवेश जो नियामक विमर्श के दायरे से बाहर है, निवल पात्र स्थितियां, जहां बैंक जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक पर स्वामित्व नहीं रखता (शुरुआती 10% से अधिक की राशि)	-		
19 बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकाय जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	-		

TABLE DF – 11: COMPOSITION OF CAPITAL

Part II: Template to be used before March 31, 2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)
(₹ in Million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Eligible Amount	Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	31,803.35		a=a1+a2
2	Retained earnings	207,135.32		b=b1+b2+b3+b4
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-		
	<i>Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018</i>			
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	127.97		c1
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	239,066.64		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	-		
8	Goodwill (net of related tax liability)	-		
9	Intangibles other than mortgage servicing rights (net of related tax liability)	249.19	373.78	d
10	Deferred tax assets	-		
11	Cash-flow hedge reserve	-		
12	Shortfall of provisions to expected losses	-		
13	Securitisation gain on sale	-		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15	Defined-benefit pension fund net assets	-		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	624.44	936.66	e
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-		

20	बंधक शोधन अधिकार (10% की शुरुआती राशि से अधिक	-		
21	अस्थाई अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियां (10% की शुरुआती राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल)	-		
22	15% की शुरुआती राशि से अधिक	-		
23	जिसमें: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	-		
24	जिसमें: बंधक शोधन अधिकार	-		
25	जिसमें: अस्थाई अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियां	-		
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	3,973.48		
26a	जिसमें: गैर समेकित बीमा सहायकों के इक्विटी पूंजी में निवेश	1,938.00	2,907.00	एफ1
26b	जिसमें: गैर समेकित गैर वित्तीय सहायकों के इक्विटी पूंजी में निवेश	8.96	13.44	एफ2
26c	जिसमें: अधिकांश वित्तीय निकायों जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है उनकी इक्विटी पूंजी में निवेश			
26d	जिसमें: गैर परिशोधित पेंशन निधि व्यय	2,026.52	3,039.78	एच
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये लागू विनियामक समायोजन	-		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त स्तर 1 तथा स्तर 2 के घटाव को प्रावरित करने के कारण सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये विनियामक समायोजन	-		
28	सामान्य इक्विटी स्तर 1 को कुल विनियामक समायोजन	4,847.11		
29	सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी (सीईटी)	234,219.53		
अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी: लिखत				
30	प्रत्यक्षतः जारी अहर्कारी अतिरिक्त स्तर 1 लिखत + अतिरिक्त संबंधित स्टॉक (31+32)	0.00		
31	जिसमें: लागू लेखांकन मानक के अंतर्गत इक्विटी की तरह वर्गीकृत (बेमियादी गैर संचयी तरजीही शेयर)	0.00		
32	जिसमें: लागू लेखांकन स्तर के अंतर्गत देयता की तरह वर्गीकृत (बेमियादी ऋण लिखत)	0.00		
33	अतिरिक्त स्तर 1 से हटाए जाने के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी लिखत	12,716.80		आई
34	सहायकों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई (समूह एटी 1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त स्तर 1 लिखत (तथा सीईटी 1 लिखत को पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है)	23.99		सी2
35	जिसमें: हटाए जाने के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत	-		
36	विनियामक समायोजन के समक्ष अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी	12,740.79		

20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-		
22	Amount exceeding the 15% threshold	-		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	-		
24	of which: mortgage servicing rights	-		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	3,973.48		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	1,938.00	2,907.00	f1
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	8.96	13.44	f2
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	2,026.52	3,039.78	h
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	4,847.11		
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	234,219.53		
Additional Tier 1 capital: instruments				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	12,716.80		i
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	23.99		c2
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	12,740.79		

अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त स्तर 1 लिखतों में निवेश	-		
38	अतिरिक्त स्तर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	2,079.20	3,118.80	जे
39	विनियामक विमर्श के दायरे के बाहर बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकायों की पूंजी में निवेश, पात्र स्थिति का निवल जहां बैंक के पास निकाय के जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं हो (10% की शुरुआती सीमा से अधिक)	0.00		
40	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकाय जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	0.00		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	-		
41a	गैर समेकित बीमा सहायकों के अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी में निवेश	-		
41b	अधिकांश वित्तीय निकायों जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है उनके अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी में कमी	-		
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये लागू विनियामक समायोजन	1,460.22		एफ3
42	अपर्याप्त अतिरिक्त स्तर 1 तथा स्तर 2 के घटाव को प्रावरित करने के कारण सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये विनियामक समायोजन	-		
43	सामान्य इक्विटी स्तर 1 को कुल विनियामक समायोजन	3,539.42		
44	अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी (एटी 1)	9,201.37		
44a	पूंजी पर्याप्ता के लिये संगणित अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी	9,201.37		
45	स्तर 1 पूंजी (टी1=सीईटी1+एटी1) (29+44ए)	243,420.90		
स्तर 2 पूंजी: पूंजी लिखत व प्रावधान				
46	प्रत्यक्षतः जारी अहकारी अतिरिक्त स्तर 1 लिखत + अतिरिक्त संबंधित स्टॉक (31+32)	25,000.00		के2
47	स्तर 2 से हटाए जाने के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी लिखत	26,033.23		के1
48	सहायकों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्षों द्वारा रखे गये (समूह स्तर 2 में अनुमत राशि) स्तर 2 लिखत (तथा पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 तथा एटी 1 लिखत)	30.48		सी3

Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	2,079.20	3,118.80	j
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	1,460.22		f3
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	3,539.42		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	9,201.37		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	9,201.37		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	243,420.90		
Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	25,000.00		k2
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	26,033.23		k1
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	30.48		c3

49	जिसमें: हटाए जाने के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत	0.00		
50	प्रावधान	43,960.14		एल=एल1+एल2+एल3
51	विनियामक समायोजन के समक्ष स्तर 2 पूंजी	95,023.85		
स्तर 2 पूंजी :विनियामक समायोजन				
52	स्वयं के स्तर 2 लिखतों में निवेश	0.00		
53	अतिरिक्त स्तर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	883.83	1,325.74	एम
54	विनियामक विमर्श के दायरे के बाहर बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकायों की पूंजी में निवेश, पात्र स्थिति का निवल जहां बैंक के पास निकाय के जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं हो (10% की शुरुआती सीमा से अधिक)	0.00		
55	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकाय जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	0.00		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00		
56a	जिसका: असमेकित सहायक कंपनियों के टीयर 2 पूंजी में निवेश	0.00		
56b	जिसका: जो बैंक के साथ समेकित नहीं किये गये हैं, उन बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टीयर 2 पूंजी में कमी	0.00		
	पूर्व बेसल III के उपचार के अधीन राशियों के संबंध में टीयर 2 के लिए लागू विनियामक समायोजन	1,460.22		एफ4
57	टीयर 2 के लिए कुल नियामक समायोजन	2,344.05		
58	पूंजी टीयर 2 पूंजी (टी 2)	92,679.80		
58a	पूंजी पर्याप्तता के लिए संगणित टीयर 2 पूंजी	92,679.80		
58b	टीयर 2 पूंजी के रूप में संगणित अधिकता में अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0.00		
58c	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टीयर 2 पूंजी (58ए + 58बी)	92,679.80		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	336,100.70		
	पूर्व बेसल III के उपचार के अधीन राशियों के संबंध में जोखिम युक्त आस्तियां			
60	कुल जोखिम भारित परिसंपत्ति (60ए + 60बी + 60सी)	31,26,456.58		
60a	जिसका: कुल ऋण जोखिम भारित संपत्ति	27,33,047.18		
60b	जिसका: कुल बाजार जोखिम भारित संपत्ति	2,20,378.07		
60c	जिसका कि: कुल परिचालन जोखिम भारित संपत्ति	1,73,031.33		
पूंजी अनुपात				
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	7.49%		

49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	Provisions	43,960.14		I=I1+I2+I3
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	95,023.85		
Tier 2 capital: regulatory adjustments				
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	883.83	1,325.74	m
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	1,460.22		f4
57	Total regulatory adjustments to Tier 2	2,344.05		
58	Tier 2 capital (T2)	92,679.80		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	92,679.80		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	92,679.80		
59	Total Capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	336,100.70		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts subject to Pre-Basel III Treatment			
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	31,26,456.58		
60a	of which: total credit risk weighted assets	27,33,047.18		
60b	of which: total market risk weighted assets	2,20,378.07		
60c	of which: total operational risk weighted assets	1,73,031.33		
Capital ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.49%		

62	टीयर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	7.79%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	10.75%		
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता प्लस पूंजी संरक्षण और काउंटरसिक्लिक्ल बफर आवश्यकताओं, जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	5.50%		
65	जिसका: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	2.50%		
66	जिसका: बैंक विशिष्ट काउंटरसिक्लिक्ल बफर आवश्यकता	0.00		
67	जिसका: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00		
68	(जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में) बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1	0.00		
राष्ट्रीय न्यूनतम (बेसल III से अगर भिन्न है तो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से अगर भिन्न है तो)	5.00%		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल III के न्यूनतम से भिन्न है तो)	6.50%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल III के न्यूनतम से भिन्न है तो)	9.00%		
कटौती के लिए सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)				
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	4,327.94		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	781.56		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00		
75	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00		
टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर लागू ऊपरी सीमा				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण (ऊपरी सीमा के आवेदन से पहले) के विषयक एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेशन हेतु पात्र प्रावधान	19,218.00		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर ऊपरी सीमा	34,163.09		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (ऊपरी सीमा के आवेदन से पहले) के विषयक एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेशन हेतु पात्र प्रावधान	0.00		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन हेतु ऊपरी सीमा	0.00		

62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.79%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.75%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.00%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.50%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	4,327.94		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	781.56		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	19,218.00		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	34,163.09		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	0.00		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	0.00		

समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत (सिर्फ मार्च 31, 2017 और मार्च 31, 2022 के बीच लागू)				
80	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	लागू नहीं		
81	ऊपरी सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	लागू नहीं		
82	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	12,716.80		
83	ऊपरी सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	3,179.20		
84	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	26,033.23		
85	ऊपरी सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	6,508.30		

Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	12,716.80		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	3,179.20		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	26,033.23		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	6,508.30		

तालिका डीएफ – 12 : पूंजी का संघटन – समाधान की आवश्यकताएं

पहला चरण

(₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	विनियामक विमर्श दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र
		31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2014 तक
A	पूंजी व देयताएं		
i	चुकता पूंजी	4,612.59	4,612.59
	आरक्षित निधि व अतिरिक्त निधि	297,150.03	293,541.08
	अल्पांश ब्याज	3,135.54	1,070.71
	कुल पूंजी	304,898.16	299,224.38
ii	जमा	4,206,036.80	4,206,175.10
	जिसमें: बैंक से जमा	199,496.22	199,496.22
	जिसमें: ग्राहक जमा	1,023,823.93	1,023,904.87
	जिसमें: सावधि जमा – अन्य	2,982,716.65	2,982,774.01
iii	उधार	273,097.24	273,097.24
	जिसमें: भा.रि.बैंक से	0.00	0.00
	जिसमें: बैंकों से	109,050.26	109,050.26
	जिसमें: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	51,287.15	51,287.15
	जिसमें: गैर प्रतिभूतिकृत प्रतिदेय बॉन्ड	112,759.83	112,759.83
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	226,863.69	144,907.29
	कुल	5,010,895.89	4,923,404.01
B	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गये नकद व शेष	221,610.29	221,539.71
	बैंकों के साथ रखा गया शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	227,105.51	226,626.91
ii	निवेश	1,354,453.55	1,269,452.76
	जिसमें: सरकारी प्रतिभूतियां	1,097,124.19	1,076,678.49
	जिसमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,674.61	14.99
	जिसमें: शेयर	55,730.00	15,493.91
	जिसमें: डिबेंचर व बॉन्ड	98,399.34	84,079.48
	जिसमें: सहायक/संयुक्त उद्यम/सहभागी	6,824.61	5,429.36
	जिसमें: अन्य(वाणिज्यिक दस्तावेज, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	94,700.80	87,756.53
iii	ऋण व अग्रिम	3,013,260.16	3,013,260.16
	जिसमें: बैंकों को ऋण व अग्रिम	377.51	377.51
	जिसमें: ग्राहकों को ऋण व अग्रिम	3,012,882.65	3,012,882.65
iv	नियत आस्तियां	66,619.76	66,482.33
v	अन्य आस्तियां	127,846.62	126,042.14
	जिसमें: आस्थगित कर आस्तियां	शून्य	शून्य
vi	साख विमर्श	शून्य	शून्य
vii	लाभ व हानि खाता में नामे शेष	शून्य	शून्य
	कुल आस्ति	5,010,895.89	4,923,404.01

TABLE DF – 12: COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS

Step 1

(₹ in Million)

		Balance sheet as in Financial Statements	Balance sheet under regulatory scope of Consolidation
		As at 31 st March 2014	As at 31 st March 2014
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	4,612.59	4,612.59
	Reserves & Surplus	297,150.03	293,541.08
	Minority Interest	3,135.54	1,070.71
	Total Capital	304,898.16	299,224.38
ii	Deposits	4,206,036.80	4,206,175.10
	of which: Deposits from banks	199,496.22	199,496.22
	of which: Customer deposits	1,023,823.93	1,023,904.87
	of which: Term Deposits – Others	2,982,716.65	2,982,774.01
iii	Borrowings	273,097.24	273,097.24
	of which: From RBI	0.00	0.00
	of which: From banks	109,050.26	109,050.26
	of which: From other institutions & agencies	51,287.15	51,287.15
	of which: Unsecured Redeemable Bonds	112,759.83	112,759.83
iv	Other liabilities & provisions	226,863.69	144,907.29
	Total	5,010,895.89	4,923,404.01
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	221,610.29	221,539.71
	Balance with banks and money at call and short notice	227,105.51	226,626.91
ii	Investments:	1,354,453.55	1,269,452.76
	of which: Government securities	1,097,124.19	1,076,678.49
	of which: Other approved securities	1,674.61	14.99
	of which: Shares	55,730.00	15,493.91
	of which: Debentures & Bonds	98,399.34	84,079.48
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	6,824.61	5,429.36
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	94,700.80	87,756.53
iii	Loans and advances	3,013,260.16	3,013,260.16
	of which: Loans and advances to banks	377.51	377.51
	of which: Loans and advances to customers	3,012,882.65	3,012,882.65
iv	Fixed assets	66,619.76	66,482.33
v	Other assets	127,846.62	126,042.14
	of which: Deferred tax assets	NIL	NIL
vi	Goodwill on consolidation	NIL	NIL
vii	Debit balance in Profit & Loss account	NIL	NIL
	Total Assets	5,010,895.89	4,923,404.01

दूसरा चरण

(₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	विनियामक दायरे के विमर्श के अंतर्गत तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
	पूंजी व देयताएं	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2014 तक	
	चुकता पूंजी	4,612.59	4,612.59	
	सीईटी 1 के लिये पात्र राशि	4,612.59	4,612.59	ए1
	जिसमें: एटी 1 के लिये पात्र राशि	0.00	0.00	
	आरक्षित निधि व अतिरिक्त निधि	297,150.03	293,541.08	
	जिसमें:			
	– वैधानिक आरक्षित निधि	73,496.40	73,496.40	बी1
	– शेयर प्रीमियम	28,440.76	27,190.76	ए2
	– पूंजी भंडार	13,562.71	13,562.71	बी2
	– राजस्व भंडार	87,432.64	85,076.21	बी3
i	– विशेष भंडार	35,000.00	35,000.00	बी4
	– विदेशी मुद्रा भंडार	2,157.07	2,157.07	
	– पुनर्मूल्यांकित भंडार	54,982.53	54,982.53	एल3 (45%)
	– निवेश आरक्षित निधि खाता	2,050.00	2,050.00	एल2
	– विचारार्थ पूंजी भंडार	27.92	25.40	
	अल्पांश ब्याज	3,135.54	1,070.71	
	जिसमें: सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए पात्र		127.97	सी1
	जिसमें: अतिरिक्त इक्विटी टीयर 1 के लिए पात्र		23.99	सी2
	जिसमें: टीयर 2 के लिए पात्र		30.48	सी3
	कुल पूंजी	304,898.16	299,224.38	
ii	जमा	4,206,036.80	4,206,175.10	
	जिसमें: बैंकों से जमा	199,496.22	199,496.22	
	जिसमें: ग्राहक जमा	1,023,823.93	1,023,904.87	
	जिसमें: सावधि जमा – अन्य	2,982,716.65	2,982,774.01	
iii	उधार	273,097.24	273,097.24	
	जिसमें: भा.रि.बैंक से	0.00	0.00	
	जिसमें: बैंकों से	109,050.26	109,050.26	
	जिसमें: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	51,287.15	51,287.15	
	जिसमें: गैर प्रतिभूतिकृत प्रतिदेय बॉन्ड	112,759.83	112,759.83	
	जिसमें: पात्र लिखत	12,716.80	12,716.80	आई
	जिसमें: पात्र स्तर II बॉन्ड	26,033.23	26,033.23	के1
	जिसमें: समाप्त नहीं किए जाने वाले पात्र टीयर II बॉन्ड	25,000.00	25,000.00	के2
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	226,863.69	144,907.29	
	जिसमें: साख से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00	
	जिसमें: अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00	
	जिसमें: मानक आस्ति प्रावधान	17,168.00	17,168.00	एल1
	कुल	5,010,895.89	4,923,404.01	

Step 2

(₹ in Million)

		Balance sheet as in Financial Statements	Balance sheet under regulatory scope of Consolidation	Ref No.
A	Capital & Liabilities	As at 31 st March, 2014	As at 31 st March, 2014	
i	Paid-up Capital	4,612.59	4,612.59	
	of which: Amount eligible for CET1	4,612.59	4,612.59	a1
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00	
	Reserves & Surplus	297,150.03	293,541.08	
	of which:			
	- Statutory Reserve	73,496.40	73,496.40	b1
	- Share Premium	28,440.76	27,190.76	a2
	- Capital Reserve	13,562.71	13,562.71	b2
	- Revenue Reserve	87,432.64	85,076.21	b3
	- Special Reserve	35,000.00	35,000.00	b4
	- Foreign Currency Translation Reserve	2,157.07	2,157.07	
	- Revaluation Reserve	54,982.53	54,982.53	l3 (45%)
	- Investment Reserve Account	2,050.00	2,050.00	l2
	- Capital Reserve on Consolidation	27.92	25.40	
	Minority Interest	3,135.54	1,070.71	
	of which eligible for Common Equity Tier 1		127.97	c1
	of which eligible for Additional Tier 1		23.99	c2
	of which eligible for Tier 2		30.48	c3
	Total Capital	304,898.16	299,224.38	
ii	Deposits	4,206,036.80	4,206,175.10	
	of which: Deposits from banks	199,496.22	199,496.22	
	of which: Customer deposits	1,023,823.93	1,023,904.87	
	of which: Term Deposits - Others	2,982,716.65	2,982,774.01	
iii	Borrowings	273,097.24	273,097.24	
	of which: From RBI	0.00	0.00	
	of which: From banks	109,050.26	109,050.26	
	of which: From other institutions & agencies	51,287.15	51,287.15	
	of which: Unsecured Redeemable Bonds	112,759.83	112,759.83	
	of which: Eligible AT 1 Instruments	12,716.80	12,716.80	i
	of which: Eligible Tier II Bonds	26,033.23	26,033.23	k1
	of which: Eligible Tier II Bonds not subject to phased out	25,000.00	25,000.00	k2
iv	Other liabilities & provisions	226,863.69	144,907.29	
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00	
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00	
	of which: Standard Assets Provision	17,168.00	17,168.00	l1
	Total	5,010,895.89	4,923,404.01	



B	आस्ति			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष	221,610.29	221,539.71	
	बैंकों के साथ रखी गई राशि तथा मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय	227,105.51	226,626.91	
ii	निवेश	1,354,453.55	1,269,452.76	
	जिसमें: सरकारी प्रतिभूतियां	1,097,124.19	1,076,678.49	
	जिसमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,674.61	14.99	
	जिसमें: शेयर	55,730.00	15,493.91	
	जिसमें: सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	1,561.10	1,561.10	ई
	जिसमें डिबेंचर व बॉन्ड	98,399.34	84,079.48	
	जिसमें: एटी 1 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	5,198.00	5,198.00	जे
	जिसमें: स्तर 2 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	2,209.57	2,209.57	एम
	जिसमें: सहायक/ संयुक्त उद्यम/ सहभागी	6,824.61	5,429.36	
	जिसमें: असम्मिलित बीमा सहायकों की इक्विटी पूंजी में निवेश	4,845.00	4,845.00	जी= एफ1+एफ2+ एफ3+एफ4
	जिसमें: असम्मिलित गैर वित्तीय सहायकों की इक्विटी पूंजी में निवेश	22.40	22.40	
	जिसमें : अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज़, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	94,700.80	87,756.53	
iii	ऋण व अग्रिम	3,013,260.16	3,013,260.16	
	जिसमें : बैंकों को ऋण व अग्रिम	377.51	377.51	
	जिसमें : ग्राहकों को ऋण व अग्रिम	3,012,882.65	3,012,882.65	
iv	नियत आस्तियां	66,619.76	66,482.33	
	जिसमें : अमूर्त आस्तियां	622.97	622.97	डी
v	अन्य आस्तियां	127,846.62	126,042.14	
	जिसमें : साख व अमूर्त आस्तियां	0.00		
	आस्थगित कर आस्तियां	0.00		
	अपरिशोधित पेंशन व उपदान	5,066.30	5,066.30	एच
vi	विचारार्थ साख	0.00	0.00	
vii	लाभ व हानि खाता में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्ति	5,010,895.89	4,923,404.01	



B	Assets			
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	221,610.29	221,539.71	
	Balance with banks and money at call and short notice	227,105.51	226,626.91	
ii	Investments	1,354,453.55	1,269,452.76	
	of which: Government securities	1,097,124.19	1,076,678.49	
	of which: Other approved securities	1,674.61	14.99	
	of which: Shares	55,730.00	15,493.91	
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in CET 1 Capital instruments	1,561.10	1,561.10	e
	of which: Debentures & Bonds	98,399.34	84,079.48	
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in AT1 capital instruments	5,198.00	5,198.00	j
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in Tier 2 capital instruments	2,209.57	2,209.57	m
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	6,824.61	5,429.36	
	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	4,845.00	4,845.00	g=f1+f2+f3+f4
	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated Non financial subsidiaries	22.40	22.40	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	94,700.80	87,756.53	
iii	Loans and advances	3,013,260.16	3,013,260.16	
	of which: Loans and advances to banks	377.51	377.51	
	of which: Loans and advances to customers	3,012,882.65	3,012,882.65	
iv	Fixed assets	66,619.76	66,482.33	
	of which: Eligible amount of Intangible assets	622.97	622.97	d
v	Other assets	127,846.62	126,042.14	
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00		
	of which: Deferred tax assets	0.00		
	of which: Unamortised Pension and Gratuity	5,066.30	5,066.30	h
vi	of which: Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	of which: Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	5,010,895.89	4,923,404.01	

चरण 3

बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का सार (जोड़े गये कॉलम के साथ) – सारणी डीएफ-11 (भाग I / भाग II, जो भी लागू हो)			
सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी: लिखत व रिज़र्व			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गयी विनियामक पूंजी का घटक	चरण 2 से समेकन के विनियामक स्कोप के तहत बैलेंस शीट के सन्दर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत
1	अर्हकारी सामान्य शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनी हेतु समतुल्य) पूंजी प्लस संबंधित स्टॉक अधिशेष प्रत्यक्ष रूप से जारी किया गया	31,803.35	ए1+ए2
2	प्रतिधारित उपार्जन	207,135.32	बी1+बी2+बी3+बी4
3	अन्य व्यापक आय संचित किया (और अन्य रिज़र्व)	-	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध करने के विषयक प्रत्यक्ष रूप से पूंजी जारी की (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनी पर लागू)	-	
5	सहायक कंपनियों द्वारा सामान्य शेयर पूंजी जारी किया और तृतीय पक्ष द्वारा रखा गया (समूह सीईटी 1 में राशि को अनुमत किया गया)	127.97	सी 1
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	239,066.64	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
8	सुनाम (संबंधित कर दायित्व का निवल)	-	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I/ Part II whichever applicable)			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference number/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	31,803.35	a1+a2
2	Retained Earnings	207,135.32	b1+b2+b3+b4
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET 1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	127.97	c1
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	239,066.64	
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	

तालिका डीएफ-13: नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1. लिखत: इक्विटी शेयर

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसआईएन - आईएनई 476ए01014
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 तथा केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
5	परिवर्तन-पश्चात बेसल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
6	एकल/ सामूहिक /सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	इक्विटी शेयर
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	4,612.59
9	लिखत का सममूल्य	4,612.59 (अंकित मूल्य - 10 रुपये)
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर पूंजी
11	जारी होने की मूल तिथि	निम्न अनुलग्नक में दी गई विभिन्न तारीख
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	लागू नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	लागू नहीं
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	लागू नहीं
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	संपूर्ण विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं

TABLE DF – 13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

1. INSTRUMENT: Equity Shares

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	ISIN - INE476A01014
3	Governing law(s) of the instrument	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Equity Shares
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4,612.59
9	Par value of instrument	4,612.59 (Face Value – ₹ 10/- per share)
10	Accounting classification	Equity Share Capital
11	Original date of issuance	Various dates as given in the annexure below
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Not Applicable
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable



24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Represents the most subordinated claim in liquidation
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Annexure:

Sl No	Year	Particulars	Cumulative number of Equity Shares
1	31.03.1999	Held by Government of India	30,00,00,000
2	14.12.2002	Initial Public Offer (IPO) Placement of Equity Shares	41,00,00,000
3	15.03.2011	Qualified Institutional Placement (QIP)	44,30,00,000
4	31.12.2013	Preferential Allotment to Government of India	46,12,58,837



24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय,, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, , जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, लेखन प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	अधिकतर अधीनस्थ दावे परिशोधन में/
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

अनुबंध:

क्रमां	वर्ष	विवरण	इक्विटी शेयरों का संचयी संख्या
1	31.03.1999	भारत सरकार द्वारा धारित	30,00,00,000
2	14.12.2002	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) इक्विटी शेयरों का स्थानन	41,00,00,000
3	15.03.2011	अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन	44,30,00,000
4	31.12.2013	भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	46,12,58,837

2. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)- स्तर I (सीरीज I)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09207
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बासेल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बासेल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1922.40
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	30/03/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	30/03/2019
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

2. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09207
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1922.40
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	30/03/2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	30/03/2019
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

3. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)- स्तर I (सीरीज I)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09215
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	4800
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	21/08/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	21/08/2019
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.10
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

3. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09215
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
<i>Regulatory treatment</i>		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4800
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	21/08/2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	21/08/2019
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
<i>Coupons / dividends</i>		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.10
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

4. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)- स्तर I (सीरीज I)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09223
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	5994.40
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	03/08/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	03/08/2020
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.05
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

4. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series III)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09223
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5994.40
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	03/08/2010
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	03/08/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.05
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

5. लिखत: ऊपरी स्तर II बॉन्ड (सीरीज I)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09157
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1600.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	16/09/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	16/09/2021
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	16/09/2016
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

5. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09157
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1600.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	16/09/2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	16/09/2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	16/09/2016
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

6. लिखत: ऊपरी स्तर II बॉन्ड (सीरीज II)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09165
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1600.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	23/03/2007
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	23/03/2022
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	23/03/2017
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	10.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

6. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09165
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1600.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	23/03/2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	23/03/2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	23/03/2017
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	10.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

7. लिखत: ऊपरी स्तर II बॉन्ड (सीरीज III)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसई476ए09231
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	8000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	29/09/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	29/09/2025
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	29/09/2020
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.62
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

7. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series III)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09231
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
<i>Regulatory treatment</i>		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	8000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	29/09/2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	29/09/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	29/09/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
<i>Coupons / dividends</i>		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.62
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

8. लिखत: अपर टीयर II बॉन्ड (एफ सी बॉन्ड्स)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक की लंदन शाखा
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसआईएन एक्सएस276148847
3	लिखत के लिये लागू नियम	अंग्रेजी कानून
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	समूह व एकल
7	लिखत का प्रकार	अपर टीयर II
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	4793.22
9	लिखत का सममूल्य	यूएसडी 100
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी होने की मूल तिथि	27/11/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	28/11/2021
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	28/11/2016
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	6.3650 (यूएस- ट्रेजरी)
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	अनिवार्य
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इक्विटी से उपर या उच्च
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

8. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (FC Bonds)

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	Canara Bank through its London branch
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	ISIN XS0276148847
3	Governing law(s) of the instrument	English Law
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4793.22
9	Par value of instrument	USD 100
10	Accounting classification	Borrowing
11	Original date of issuance	27/11/2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28/11/2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28/11/2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.3650 (US-Treasury)
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Senior to Equity
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

9. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (श्रृंखला VI)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09108
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	शून्य
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	30/09/2004
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तिथि	31/05/2014
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	6.75
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्द्ध
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे ।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

9. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series VI)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09108
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	NIL
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	30/09/2004
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31/05/2014
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.75
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

10. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्ड्स (श्रृंखला VII)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09116
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	शून्य
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	18/02/2005
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	18/05/2014
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	7.05
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्द्ध
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

10. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series VII)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09116
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	NIL
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	18/02/2005
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	18/05/2014
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.05
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

11. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (शृंखला VIII)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09124
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	800.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	29/09/2005
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	29/04/2015
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	7.40
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

11. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series VIII)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09124
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	800.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	29/09/2005
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	29/04/2015
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.40
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

12. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (श्रृंखला IX)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09132
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	680.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	01/03/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	01/05/2015
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.15
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे ।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

12. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series IX)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09132
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	680.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	01/03/2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	01/05/2015
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.15
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

13. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्ड्स (श्रृंखला IX ए)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09140
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1840.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	15/09/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	15/09/2016
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.85
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

13 INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series IX A)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09140
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1840.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	15/09/2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	15/09/2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.85
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

14. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (श्रृंखला X)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09173
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1280.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	30/03/2007
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	30/03/2017
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.90
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे ।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

14. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series X)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09173
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1280.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	30/03/2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30/03/2017
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.90
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



15. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्ड्स (श्रृंखला XI)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09181
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	3360.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	09/01/2008
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	09/01/2018
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

15. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series XI)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09181
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	3360.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	09/01/2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	09/01/2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

16. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्ड्स (श्रृंखला XII)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09199
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	2080.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	16/01/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	16/01/2019
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.08
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

16. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series XII)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09199
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2080.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	16/01/2009
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	16/01/2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.08
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

17. लिखत: बेसल III के अनुरूप टीयर II बॉन्ड्स (श्रृंखला I)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09249
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1,5000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	03/01/2014
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	03/01/2024
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.73
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

17. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09249
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	15000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	03/01/2014
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	03/01/2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.73
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



18. लिखत: बेसल III के अनुरूप टीयर II बॉन्ड्स (श्रृंखला II)

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09256
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1,0000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	27/03/2014
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	27/03/2024
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.70
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्ई
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं

18. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09256
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	27/03/2014
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	27/03/2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.70
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable



28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

सारणी डी एफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों की संपूर्ण नियम व शर्तें

विनियामक पूंजी लिखतों के संपूर्ण नियम व शर्तों के सम्बन्ध में प्रकटीकरण 'नियामक प्रकटीकरण धारा' के तहत बैंक के वेबसाइट पर अलग से दी गई है। इस धारा के लिए लिंक है: <http://www.canarabank.com/English/Scripts/BaselIIIDisclosures.aspx>

28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

TABLE DF – 14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Disclosures pertaining to full terms and conditions of regulatory Capital Instruments have been disclosed separately on the Bank's Website under 'Regulatory Disclosure Section'. The link to this section is <http://www.canarabank.com/English/Scripts/BaselIIIDisclosures.aspx>

यया 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2014	31.03.2013
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर के बाद निवल लाभ / NET PROFIT AFTER TAX	2438.19	2872.10
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:		
कर के लिए प्रावधान / PROVISION FOR TAX	625.00	800.00
मूल्यहास / DEPRECIATION	228.47	189.69
निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि / LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	160.75	15.06
अनर्जक आस्तियों के लिए तथा उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान / PROVISION FOR DIMINUTION IN FAIR VALUE AND NPAs	2128.72	2222.45
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR STANDARD ASSETS	478.41	255.61
टायर I व टायर II बांडों पर ब्याज / INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	820.34	730.56
आकस्मिकताएं व अन्यो के लिए प्रावधान / PROVISION FOR CONTINGENCIES AND OTHERS	433.46	130.07
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / PROFIT / LOSS ON SALE OF FIXED ASSETS	-1.10	-0.92
अनुषंगियों, संयुक्त अद्यमों आदि में निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES, JVS, ETC.	-70.25	-56.57
निवेश मूल्यहास / मूल्यवृद्धि के लिए प्रावधान / PROVISION FOR INVESTMENT DEPRECIATION/ APPRECIATION	692.42	-390.22
उप कुल / SUB TOTAL	5496.22	3895.73
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN INVESTMENTS	(6518.92)	(18608.57)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN ADVANCES	(60897.19)	(11887.63)
उधारों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN BORROWINGS	4522.72	5097.98
जमाओं में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN DEPOSITS	64866.83	28802.26
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (INCREASE) / DECREASE IN OTHER ASSETS	(250.89)	(1779.72)
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	1078.23	1141.96
	2800.78	2766.28
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / LESS: ADVANCE TAX PAID	1200.00	1100.00
परिचालन गतिविधियों से सर्जित नकद (क) / CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	9535.20	8434.11
निवेशक गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों और / या संयुक्त अद्यमों में निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND/OR JVS	70.25	56.57
अनुषंगियों, संयुक्त वेंचरों आदि में निवेश / INVESTMENT IN JVS, SUBSIDIARIES, ETC	-29.68	-91.67
अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निधियों का निवल आगमन / बहिर्गमन / NET INFLOW/ OUTFLOW FROM SALE/ PURCHASE OF FIXED ASSETS	-541.20	-225.86
निवेशक गतिविधियों से सर्जित नकद (ख) / CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	-500.63	-260.96
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
नए सिरे से पूंजी का निर्गम / FRESH ISSUE OF CAPITAL	18.26	0.00
शेयरों के निर्गम से प्राप्त प्रीमियम / PREMIUM RECEIVED ON ISSUE OF SHARE	481.74	0.00
प्रदत्त लाभांश व डी डी टी / DIVIDEND AND DDT PAID	-1024.77	-567.30
टायर I व टायर II बांडों पर ब्याज का भुगतान / PAYMENT OF INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	-820.34	-730.56

अधीनस्थ ऋण समाहित बांडों के निर्गम / FRESH ISSUE OF BONDS INCLUDING SUB-ORDINATED DEBTS	2424.55	-340.00
वित्तीय गतिविधियों से सर्जित नकद (ग) / CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	1079.44	-1637.86
नकद और नकद समतुल्य (क+ख+ग) में निवल वृद्धि / (कमी) / NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)	10114.01	6535.29
अथ नकद व नकद समतुल्य / OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	34714.70	28179.41
इति नकद व नकद समतुल्य / CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	44828.71	34714.70
नोट / Notes: नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन / Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice		
नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2014	31.03.2013
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद व शेष / CASH & BALANCE WITH RBI	22153.78	15405.93
अल्प सूचना व माँग पर व बैंकों के साथ शेष / BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	22674.93	19308.77
कुल / TOTAL	44828.71	34714.70

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एम चंद्र शेखर
सहायक महा प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डॉ. रजत भार्गव
निदेशक

जी वी सांबाशिव राव
निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
फोर्ड, रोड्स पार्क्स एण्ड कं
सनदी लेखाकार

हृदयेश पंखानिया
साझेदार

प्रदीप कुमार चोपड़ा
साझेदार

श्यामल कुमार नायक
साझेदार

संजय वासुदेव
साझेदार

निखिल सिंघल
साझेदार

ए डी शेनॉय
साझेदार

बैंगलूर
05 मई, 2014

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

M CHANDRA SEKHAR
ASSISTANT GENERAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

V S KRISHNA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK KUMAR GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

R K DUBEY
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dr. RAJAT BHARGAVA
DIRECTOR

G V SAMBASIVA RAO
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA
DIRECTOR

SUTANU SINHA
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
FORD RHODES PARKS & Co.
Chartered Accountants

HRUDYESH N PANKHANIA
Partner

PRADEEP KUMAR CHOPRA
Partner

SYAMAL KUMAR NAYAK
Partner

SANJAY VASUDEVA
Partner

NIKHIL SINGHAL
Partner

A D SHENOY
Partner

BANGALORE
MAY 05, 2014



केनरा बैंक का समेकित
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरण

2013-2014

CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
केनरा बैंक

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

1. हमने केनरा बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों (समूह) के यथा 31 मार्च, 2014 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ जोड़े गए उस तारीख को समाप्त वर्ष की समेकित लाभ व हानि लेखा और समेकित नकद प्रवाह विवरण का और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखापरीक्षा की है, जिसमें निम्न शामिल हैं :
 - i. हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई केनरा बैंक की लेखा परीक्षित लेखा
 - ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई सात (7) अनुषंगियों, तीन (3) सहयोगी संस्थाओं तथा एक (1) संयुक्त उद्यम की लेखा परीक्षित लेखा

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व

2. ये समेकित वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन का दायित्व है और उन्हें अलग वित्तीय विवरणों और समूह में विभिन्न इकाइयों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, वरमुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण, रूप-सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित हैं।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा आयोजित करें ताकि वित्तीय विवरणों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अप-कथन मुक्त हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To
The Board of Directors
Canara Bank

Report on the Financial Statements:

1. We have audited the accompanying Consolidated financial statements of Canara Bank, its Subsidiaries, Associates, and Joint Venture (the Group) which comprise the Consolidated Balance sheet as at 31st March 2014, and the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended on that date annexed thereto, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated:
 - i. Audited Accounts of Canara Bank audited by us.
 - ii. Audited Accounts of Seven (7) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture audited by other auditors.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. These consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the different entities in the group. This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियायें अपनाता होता है। चुनी गई प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखा-धड़ी के कारण हो या त्रुटि के वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम भी रहता है। इन जोखिमों का जायजा लेने में परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियायें आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

लेखा परीक्षा पर हमारा विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो साक्ष्य एकत्रित किया है वह पर्याप्त और समुचित है – यह हमारा विश्वास है।

5. हम सूचित करते हैं की समेकित वित्तीय विवरण, समूह के प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) 21 – समेकित वित्तीय विवरण, लेखांकन मानक (ए एस) 23 – “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों हेतु लेखांकन” और लेखांकन मानक (ए एस) 27 संयुक्त उद्यमों में हित सम्बन्धी वित्तीय रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

हमारा विचार:

6. हमें दिए गए जानकारियों और स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा विचार है कि :
- लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक ब्योरे सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार यथा 31 मार्च 2014 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सका;
 - लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार समूह के लाभ का सही संतुलन दर्शाता है; और

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and presentation of the financial statements that gives a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing the opinion on the effectiveness on the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

5. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the management of the Group in accordance with the requirement of the accounting Standard (AS) 21-“Consolidated Financial Statements”, Accounting Standard (AS) 23-“Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” and Accounting Standard (AS) 27 –“Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fairview of state of affairs of the Group as at 31st March 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit of the Group, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

iii) नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाता है।

7. अन्य मामले:

हमने सात (7) अनुषंगियों, तीन (3) सहयोगी संस्थाओं तथा एक (1) संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च, 2014 को ₹40,707.52 करोड़ की कुल आस्तियों, ₹3,236.29 करोड़ के कुल राजस्वों और तब समाप्त वर्ष के लिए ₹1,100.07 करोड़ के निवल नकद प्रवाह प्रतिबिंबित करते हैं। इन वित्तीय विवरणों और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई अन्य वित्तीय सूचनाओं की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत किए गए हैं और अन्य इकाइयों के मामले में शामिल की गई राशियों से जहाँ तक संबंध है, हमारा विचार है कि वे अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर नितांत निर्भर है।

8. अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:

क) तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र “क” व “ख” में तैयार किये गये हैं।

ख) हमारा विचार है कि इसमूह के समेकित तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण प्रचलित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

iii) the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

7. Other Matters

We did not audit the financial statements of Seven (7) subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture whose financial statements reflect total assets of ₹40,707.52 Crore as at 31st March 2014, total revenues of ₹3,236.29 Crore and net cash flows of ₹1,100.07 Crore for the year then ended. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of other entities, are based solely on the report of the other auditors.

8. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

a) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form “A” and “B” respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

b) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of the Group comply with the applicable Accounting Standards.

कृते लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ प सं: 000172डब्ल्यू

(गोपी किशन जांगिड)
साझेदार
स.सं. 078853

कृते पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ प सं: 004957एन

(रकेश जैन)
साझेदार
स.सं. 087925

For Loonker & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000172W

(Gopi Kishan Jangid)
Partner
M. No. 078853

For P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN : 004957N

(Rakesh Jain)
Partner
M. No. 087925

कृते ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ प सं: 306109ई

(पियाली बसु)
साझेदार
स.सं. 054704

कृते एस सी वासुदेव एण्ड कं सनदी
लेखाकार
फ प सं: 000235एन

(संजय वासुदेव)
साझेदार
स.सं. 090989

For A.R. Das & Associates
Chartered Accountants
FRN : 306109E

(Piyali Basu)
Partner
M. No. 054704

For S. C. Vasudeva & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000235N

(Sanjay Vasudeva)
Partner
M. No. 090989

कृते विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ प सं: 000719सी

(निखिल सिंघल)
साझेदार
स.सं. 079557

कृते फोर्ड, रोड्स पार्क्स एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ प सं: 102860डब्ल्यू

(ए डी शेनॉय)
साझेदार
स.सं. 011549

For Vinay Kumar & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000719C

(Nikhil Singhal)
Partner
M. No. 079557

For Ford Rhodes Parks & Co.
Chartered Accountants
FRN : 102860W

(A.D. Shenoy)
Partner
M. No. 011549

यथा 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / CAPITAL	1	461 25 88	443 00 00
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	29715 00 30	24733 42 66
अल्पसंख्यक हित / MINORITY INTEREST	2A	313 55 42	232 15 88
जमा / DEPOSITS	3	420603 67 99	355684 63 67
उधार / BORROWINGS	4	27309 72 44	20355 08 86
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	22686 36 90	17875 96 21
जोड़ / TOTAL		501089 58 93	419324 27 28
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	22161 02 91	15414 98 97
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	22710 55 07	19364 22 17
निवेश / INVESTMENTS	8	135445 35 48	127533 53 18
अग्रिम / ADVANCES	9	301326 01 63	242435 75 97
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	6661 97 62	2883 99 72
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	12784 66 22	11691 77 27
जोड़ / TOTAL		501089 58 93	419324 27 28
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	223360 25 36	250012 32 29
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		16268 91 63	13997 78 94
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एम चंद्र शेखर
सहायक महा प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डॉ. रजत भार्गव
निदेशक

जी वी सांबाशिव राव
निदेशक

जी वी मणिमरन
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेडा
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

साईराम बी. मोचरला
निदेशक

रजिन्द्र कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
फोर्ड, रोड्स पार्क्स एण्ड कं
सनदी लेखाकार

गोपी किशन जांगिड़
साझेदार

राकेश जैन
साझेदार

पियाली बसु
साझेदार

संजय वासुदेव
साझेदार

निखिल सिंघल
साझेदार

ए डी शेर्गाँव
साझेदार

दिल्ली
26 मई, 2014

यथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2014 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2013 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	39570 16 50	34069 87 17
अन्य आय / OTHER INCOME	14	4143 67 68	3307 64 82
जोड़ / TOTAL		43713 84 18	37377 51 99
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	30605 53 39	26197 74 56
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	6116 25 13	5180 35 24
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		4402 53 34	3047 59 43
जोड़ / TOTAL		41124 31 86	34425 69 23
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन की हिस्सेदारी / SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	82 74 06	42 93 97
अल्पसंख्यक हित हटाने से पहले वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ / CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		2672 26 38	2994 76 73
घटाएँ: अल्पसंख्यक हित (निवल हानि) / LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		42 09 47	25 06 07
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ / CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		2630 16 91	2969 70 66
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE		652 20 00	723 33 10
पूंजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		87 50 00	43 39 70
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE			205 00 00
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE			700 00 00
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND		299 81 95	
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		207 56 52	576 00 00
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		88 04 10	99 82 03
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियों में अग्रेषित शेष / BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES		1295 04 34	622 15 83
जोड़ / TOTAL		2630 16 91	2969 70 66
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (SHARE BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		58.77	67.04

V SUKUMAR DIVISIONAL MANAGER M CHANDRA SEKHAR ASSISTANT GENERAL MANAGER N SIVASANKARAN DEPUTY GENERAL MANAGER N SELVARAJAN GENERAL MANAGER P S RAWAT EXECUTIVE DIRECTOR V S KRISHNA KUMAR EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK KUMAR GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

R K DUBEY
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dr. RAJAT BHARGAVA
DIRECTOR

G V SAMBASIVA RAO
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA
DIRECTOR

SUTANU SINHA
DIRECTOR

SAIRAM B. MOCHERLA
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
LOONKER & Co.
Chartered Accountants
GOPI KISHAN JANGID
Partner

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants
RAKESH JAIN
Partner

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants
PIYALI BASU
Partner

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants
SANJAY VASUDEVA
Partner

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants
NIKHIL SINGHAL
Partner

For
FORD RHODES PARKS & Co.
Chartered Accountants
A D SHENOY
Partner

DELHI
MAY 26, 2014

यथा 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000 00 00	3000 00 00
(प्रति शेयर ₹ 10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / Issued,Subscribed and Paid up:		
i) केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 31,82,58,837 ईक्विटी शेयर । पिछले वर्ष ₹10/- के 30,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
i) 31,82,58,837 Equity Shares of ₹10/- each. Previous year 30,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by Central Government	318 25 88	300 00 00
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 14,30,00,000 ईक्विटी शेयर		
ii) 14,30,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others	143 00 00	143 00 00
	461 25 88	443 00 00
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ / Statutory Reserves	7349 64 00	6697 44 00
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves	1356 27 07	1268 77 07
III. समेकन पर पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves on Consolidation	2 79 18	2 79 18
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium	2844 07 63	2362 33 51
V. विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधियाँ / Foreign Currency Translation Reserve	215 70 73	100 19 39
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ / Revaluation Reserve	5498 25 33	2033 24 03
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve	205 00 00	205 00 00
VIII. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधियाँ / Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	3500 00 00	3500 00 00
IX. राजस्व व अन्य आरक्षित निधियाँ / Revenue and Other Reserves	8743 26 36	8563 65 48
जोड़ / TOTAL	29715 00 30	24733 42 66
अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
I. मूल - अनुषंगी संबंध आनेवाले दिन का अल्पसंख्यक हित / Minority Interest at the date on which the parent- Subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. उत्तरवर्ती वृद्धि/(कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	203 40 30	122 00 76
जोड़ / TOTAL	313 55 42	232 15 88

यथा 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	888 74 24	235 93 87
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	16846 78 66	14485 85 54
जोड़ / Total	17735 52 90	14721 79 41
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	85535 60 57	71168 18 72
जोड़ / Total	85535 60 57	71168 18 72
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	19060 88 04	12104 88 42
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	298271 66 48	257689 77 12
जोड़ / Total	317332 54 52	269794 65 54
जोड़ (I, II और III) / Total (I, II & III)	420603 67 99	355684 63 67
ख. B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	398725 18 88	341931 80 83
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	21878 49 11	13752 82 84
जोड़ / Total	420603 67 99	355684 63 67
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	--	--
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	--	--
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	5128 71 54	3526 13 29
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	9778 10 00	7353 55 00
जोड़ / Total	14906 81 54	10879 68 29
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	10905 02 60	8118 24 75
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)	1497 88 30	1357 15 82
जोड़ / Total	12402 90 90	9475 40 57
जोड़ / Total	27309 72 44	20355 08 86

यथा 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1174 18 05	1057 27 60
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	218 47 77	42 85 26
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	1471 72 10	1153 11 02
IV. आस्थगित कर देयताएं / IV. DEFERRED TAX LIABILITY	1738 27 41	310 35 76
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	18083 71 57	15312 36 57
जोड़ / TOTAL	22686 36 90	17875 96 21
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / I. CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	1147 76 12	1137 85 13
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	21013 26 79	14277 13 84
जोड़ / TOTAL	21013 26 79	14277 13 84
जोड़ / TOTAL	22161 02 91	15414 98 97
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन / SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / I. IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	77 46 13	1573 70 21
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	127 33 13	85 56 28
जोड़ / TOTAL	204 79 26	1659 26 49
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	-	860 00 00
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	-	4307 62 91
जोड़ / TOTAL	-	5167 62 91
जोड़ / TOTAL	204 79 26	6826 89 40
II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	5408 10 71	4493 12 62
ख. जमा खातों में / b. IN DEPOSIT ACCOUNTS	15092 66 26	7247 16 96
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	2004 98 84	797 03 19
जोड़ / TOTAL	22505 75 81	12537 32 77
जोड़ / TOTAL	22710 55 07	19364 22 17

यथा 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल I. INVESTMENTS IN INDIA: GROSS:	135302 90 23	126985 85 35
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान / LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	819 21 31	136 08 22
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	134483 68 92	126849 77 13
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / i. GOVERNMENT SECURITIES	109638 60 57	103055 41 65
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / ii. OTHER APPROVED SECURITIES	167 46 14	150 01 06
iii. शेयर / iii. SHARES	5572 99 98	4888 22 05
iv. डिबेंचर और बाण्ड / iv. DEBENTURES AND BONDS	9839 93 41	4602 47 26
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश / v. INVESTMENTS IN ASSOCIATES	682 46 13	472 87 51
vi. अन्य (एम एफ, वी सी एफ, सी डी, सी पी आदि) / vi. OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	8582 22 69	13680 77 60
जोड़ / Total	134483 68 92	126849 77 13
II. भारत के बाहर निवेश- सकल / INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	1003 72 38	779 54 74
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान / LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	42 05 82	95 78 69
भारत के बाहर निवल निवेश / NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	961 66 56	683 76 05
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	73 81 29	53 47 07
ii. अन्य (बांड आदि) / OTHERS (BONDS ETC.)	887 85 27	630 28 98
जोड़ / Total	961 66 56	683 76 05
जोड़ / Total	135445 35 48	127533 53 18

यथा 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	10870 88 98	7706 80 04
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	116629 26 65	105055 02 60
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	173825 86 00	129673 93 33
जोड़ / Total	301326 01 63	242435 75 97
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों के प्रति अग्रिम सहित / INCLUDING ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	242144 77 53	191244 76 73
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	9933 90 69	8793 07 00
iii. अप्रतिभूत / iii. UNSECURED	49247 33 41	42397 92 24
जोड़ / Total	301326 01 63	242435 75 97
C. I. भारत में अग्रिम / C. I. ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	96652 16 40	82048 77 57
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	31777 93 93	29096 02 86
iii. बैंक / iii. BANKS	37 75 12	14 75 78
iv. अन्य / iv. OTHERS	153619 44 85	116209 67 79
जोड़ / Total	282087 30 30	227369 24 00
II. भारत से बाहर / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / i. Due from Banks	-	10 85 70
ii. अन्यो से देय / ii. Due from Others	-	-
क. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल/ a. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	1507 34 83	271 40 13
ख. मीयादी / समूहन ऋण / b. TERM / SYNDICATED LOANS	8444 87 26	5087 97 80
ग. अन्य / c. OTHERS	9286 49 24	9696 28 34
जोड़ / Total	19238 71 33	15066 51 97
जोड़ / Total	301326 01 63	242435 75 97

यथा 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS			
I. परिसर / I. PREMISES			
लागत पर/ तथा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	2925 70 87	2910 03 95	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	104 68 51	20 09 38	
	3030 39 38	2930 13 33	
वर्ष के दौरान किए पुनर्मूल्यांकन / REVALUATION MADE DURING THE YEAR	3569 47 57	-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	2 31 36	4 42 46	
	6597 55 59	2925 70 87	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	598 21 85	485 45 21	2440 25 66
II. अन्य अचल आस्तियाँ / II. OTHER FIXED ASSETS			
(फर्नीचर और जुड़नार सहित / INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	2121 56 50	1993 72 50	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	452 15 97	220 10 16	
	2573 72 47	2213 82 66	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	54 62 81	92 26 16	
	2519 09 66	2121 56 50	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	1861 79 26	1683 10 15	438 46 35
III. पट्टागत आस्तियाँ / III. LEASED ASSETS			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	103 46 66	105 23 22	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	1 06 16	70 14	
	104 52 82	105 93 36	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	8 23 90	2 46 70	
	96 28 92	103 46 66	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	87 58 03	93 67 57	
	8 70 89	9 79 09	
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा / LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	4 31 26	5 71 07	4 08 02
IV. प्रगतिस्त पूँजीगत कार्य / CAPITAL WORK IN PROGRESS			
		93 85	1 19 69
जोड़ / TOTAL		6661 97 62	2883 99 72

यथा 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / I. INTEREST ACCRUED	4206 65 13	3370 90 23
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल)/ II. TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	4065 57 68	2430 83 30
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / III. STATIONERY AND STAMPS	12 01 90	6 93 11
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ/ IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	33 09	33 09
V. अन्य / V. OTHERS	4500 08 42	5882 77 54
जोड़ / TOTAL	12784 66 22	11691 77 27
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / I. CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	8273 69 79	4996 30 79
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं / II. LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	25 36 00	--
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं / III. LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	158715 01 00	196249 12 20
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ / IV. GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	35822 92 02	23457 86 80
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	44 98 42	39 40 68
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं / V. ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	35867 90 44	23497 27 48
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिकता के लिए उत्तरदायी है / VI. OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	19813 70 43	24657 21 61
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल / a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	--	--
ख. अन्य / b. OTHERS	664 57 70	612 40 21
जोड़ / TOTAL	223360 25 36	250012 32 29

यथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2014 (₹ '000)		यथा 31.03.2013 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2013 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS		28433 68 25		24339 46 52
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS		10293 32 63		9142 29 50
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		733 57 53		585 52 99
IV. अन्य / IV. OTHERS		109 58 09		2 58 16
जोड़ / TOTAL		39570 16 50		34069 87 17
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		982 76 61		867 80 65
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ / II. PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	689 92 48		690 91 78	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	17 81 76	672 10 72	9 03 90	681 87 88
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / III. PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS				
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	160 74 51	(160 74 51)	15 05 85	(15 05 85)
IV. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / IV. PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	3 99 02		6 48 77	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	1 66 48	2 32 54	1 57 25	4 91 52
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / V. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	670 16 21		484 02 57	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	-	670 16 21	19 29 52	464 73 05
VI. लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय / VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		68 97 92		54 74 94
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME		1908 08 19		1248 62 63
जोड़ / TOTAL		4143 67 68		3307 64 82
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज				
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS		28645 05 21		25237 82 06
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTERBANK BORROWINGS		700 30 16		165 38 95
III. अन्य / OTHERS		1260 18 02		794 53 55
जोड़ / TOTAL		30605 53 39		26197 74 56

यथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

	यथा 31.03.2014 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2014 (₹ '000)	यथा 31.03.2013 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2013 (₹ '000)
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / I. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	3706 52 54	3285 44 47
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING	554 00 95	471 97 12
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY	42 12 65	31 01 60
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	66 34 40	33 93 14
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	229 89 06	191 44 41
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	1 54 15	1 03 97
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	47 32 24	32 85 01
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES	27 42 28	27 70 86
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	47 42 82	39 46 33
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE	184 41 84	155 30 45
XI. बीमा / XI. INSURANCE	201 14 76	226 07 60
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	1008 07 44	684 10 28
जोड़ / TOTAL	6116 25 13	5180 35 24
अनुसूची 17 - सहयोगी संस्थाओं में आय का अंश / (हानि) / SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES		
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD	32 06 40	22 92 02
II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD	--	--
III. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS		
क. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक A. PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK	36 64 49	21 84 58
ख. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK	14 03 17	(1 82 63)
जोड़ / TOTAL	82 74 06	42 93 97

अनुसूची- 18

यथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. क. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

बैंक (प्रधान), इनके अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहबद्ध संस्थाओं (समूह) के समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, संबंधित सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक अपेक्षाओं/ दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार के प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

ख. अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरण के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएँ उचित व विवेकपूर्ण हैं।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (7 अनुषंगियों, 3 सहबद्ध संस्थाओं तथा 1 संयुक्त उद्यम) के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी निम्नलिखितों के आधार पर की गई:

(क) केनरा बैंक (प्रधान) के लेखा परीक्षित लेखा

(ख) बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक जोड़कर अंतरासामूहिक लेन देनों और उगाहे नहीं गये लाभ/हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संघ द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

SCHEDULE – 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

1. (a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements:

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Joint Venture and Associates (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 1956, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the prevalent market practices, in the respective industry/business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent.

2 Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group (comprising of - 7 - Subsidiaries, - 3 - Associates and -1- Joint Venture) have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as per AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).



- (ग) सहबद्ध संस्थाओं में की गई दीर्घावधि निवेश के लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक-23 (सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों की लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरण) द्वारा सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि विवरण में अलग से दर्शाया गया है।
- (घ) संयुक्त उद्यम के मामले में "समनुपातिक समेकन पद्धति" में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है।
- 2.2 समेकित वित्तीय परिणाम में अल्पसंख्यक हित से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल ईक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से से है।
- 2.3 अनुषंगियों में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत तथा अनुषंगियों के ईक्विटी में प्रधान के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार साख / पूँजी आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी गई।
- 3. विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा परिवर्तन:**
- 3.1 विदेशी मुद्रा लेन-देनों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है। यथा तुलन पत्र की तारीख को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को समापन दरों पर अभिलेखित किया गया है।
- 3.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है। परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक 11 - "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में 'फेडार्ड' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है और विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडार्ड' द्वारा
- (c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the results of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit and Loss Account.
- (d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.
- 2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.
- 2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.
- 3. Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies**
- 3.1 Foreign currency transactions are recorded, on initial recognition at the notional rate. As at the Balance Sheet date, foreign currency monetary items are reported at closing rates.
- 3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank (parent) on quarterly basis. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11- "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding

प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

3.3 लेनदेनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर आय व व्यय मदों को हिसाब में लिया गया है।

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं:

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, रद्दकरण तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन अंतिम फेडरल दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

4. निवेश

4.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित' जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में शेयरों का अंतरण, यदि कोई है तो ऐसा अंतरण, अति कम अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / उस दिन के बाजार मूल्य पर किया जाता है और वैसे अंतरण के लिए मूल्यहास का, यदि हो, संपूर्ण प्रावधान किया जाता है।

निवेशों को छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम और (च) अन्य

4.2 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है:

the compliance of the said standard. The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.3 Income and Expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions.

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of cancellation. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates announced by FEDAI.

4 Investments

4.1. Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity', 'Available for sale' and 'Held for Trading', which is decided at the time of acquisition of securities. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

4.2. The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

क) परिपक्वता के लिए धारित

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुबंधित और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी श्रेणियों में निवेशों को लागत पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्यन किया जाता है।

इसी श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर लाभ को पहले लाभ व हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद पूँजी प्रारक्षति लेखा निवल कर और सांविधिक प्रारक्षति में विनियोजित किया गया है। वर्ष के दौरान बेची गई प्रतिभूतियों के लिए कोई परिशोधन नहीं किया गया। विक्रय में हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत प्रत्येक प्रतिभूति बाजार के लिए अंकित है।

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को निश्चित आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पत्ती (डिस्क्रिटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वाई टी एम पद्धति के अनुसार अर्थात् समान अवधि समाप्ति वाली केन्द्र सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादों पर 25 आधार बिन्दु से अधिक अंकित करने के ज़रिए किया जाता है।

गैर एसएलआर प्रतिभूतियाँ जैसी डिबेंचरों / बांडों (अग्रिम के रूप में रहनेवाले डिबेंचरों / बांडों को छोड़कर) का मूल्यांकन, यदि उपलब्ध है तो बाजार मूल्य पर किया जाता है या एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वाई टी एम पद्धति के अनुसार अवधि समाप्ति वाली केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के उत्पादों पर साख के आधार पर अतिरिक्त आधार अंक को अंकित करने के ज़रिए किया जाता है।

a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are carried at cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

Profit on sale of Investments in this category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter appropriated to the Capital Reserve Account net of taxes and Statutory Reserve. No amortisation is effected for securities sold during the year. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

b) AVAILABLE FOR SALE

The individual securities under 'Available for Sale' category are marked to market.

Central Government Securities and State Government securities are valued at market prices as per prices declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

Other approved securities are valued by applying the YTM method by marking it up by 25 basis points above the yields of Central Government securities of equivalent maturity put out by FIMMDA.

Non SLR securities such as Debentures / Bonds (other than Debentures / Bonds which are in the nature of advance) are valued at market prices, if available, and if not, are valued applying YTM method by marking it up by additional basis points based on credit rating above the yields of Central Government Securities of equivalent maturity as put out by FIMMDA and the methodology suggested by FIMMDA.

अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाई टी एम दरों / मोचन मूल्य पर किया जाता है।

निर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है।

अनिर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन अद्यतन तुलनपत्र, जो कि पिछले एक वर्ष से पुराना न हो, से ज्ञात विश्लेषित मूल्य पर किया जाता है, अन्यथा शेयरों का ₹1/- प्रति कंपनी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

कोष बिलों, वाणिज्यिक कागजातों तथा जमा प्रमाणपत्रों को रखाव लगात पर मूल्यांकित किया जाता है।

म्यूचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन क्रमवार बाजार दर या पुनःखरीद मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

वेंचर पूंजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्यन किया जाता है। संवितरण से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात इसको एएफएस में अंतरित करके भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाता है।

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक उप वर्ग के अंतर्गत मूल्य हास / मूल्य वृद्धि का एकत्रीकरण किया गया है।

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक संवर्ग के तहत निवल मूल्य वृद्धि को नकारा जाता है जबकि निवल मूल्यहास के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है।

ग) व्यापार हेतु धारित

प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक तौर पर बाजार मूल्य पर या एफ आई एम एम डी ए द्वारा घोषित मूल्य पर किया जाता है। इस वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यहास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि नकारा जाता है।

4.3 निवेश का अभिग्रहण लागत का निर्धारण

(क) क्रय के समय प्रतिभूतियों के संबंध में दलाली, कमीशन आदि जैसी लागत को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अभिग्रहण / निपटान की तारीख तक ऋण प्रपत्रों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना गया है।

(ग) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर है।

4.4 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रक / पुक) को बैंक द्वारा बेची गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रक / पुक द्वारा जारी

Preference Shares are valued at lower of YTM rates / redemption values.

Quoted Shares are valued at market prices.

Unquoted Shares are valued at break up value ascertained from the latest Balance Sheet not earlier than one year or otherwise at Re 1 per Company.

Treasury Bills, Commercial Papers and certificates of deposits are valued at carrying cost.

Units of Mutual Funds are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

Units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Securities are valued scrip wise and depreciation/appreciation under each sub category is aggregated.

Based on the above valuation, net appreciation if any, in each sub category is ignored while the net depreciation is fully provided for.

c) HELD FOR TRADING

The individual securities under Held for Trading category are valued periodically as per RBI guidelines, at market prices as available from the trades/quotes or as per prices declared by FIMMDA. In respect of each classification under this category, net depreciation is provided for and net appreciation is ignored.

4.3. In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

(c) Cost of investments is based on the weighted average cost method.

4.4. Security Receipts issued by Securitisation/ Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank (parent) to the SC/ RC are valued at the lower of the redemption value

प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर किया गया है और यदि कोई विक्रय / वसूली की जाती है तो निवेश में से घटाया जाता है और निवल बही मूल्य दर्शाया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर एसएलआर निवेशों में निवेश के लिए लागू मूल्य वर्गीकरण और अन्य मानक, प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश के लिए लागू किया जाता है।

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों को (एनपीआई) नीचे उल्लिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

(क) प्रतिभूतियाँ / अधिमानी शेयर, जहाँ ब्याज / निर्धारित लाभांश / किस्त (परिपक्वता प्राप्ति) सहित देय हैं और 90 दिनों से अधिक अवधि से अप्रदत्त पड़े हैं।

(ख) जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है अथवा कंपनी का नेटवर्थ नकारात्मक है वहाँ प्रति कंपनी ₹1/- मूल्य पर ईक्विटी शेयर को मूल्यांकित किया जाता है।

(ग) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से ली गई ऋण सुविधा में कोई अनर्जक अग्रिम है तो उसी जारीकर्ता द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को भी अनर्जक निवेश माना जाए।

4.6 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ)

(क) रेपो / प्रति रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों (एलएएफ के अलावा) की पुनः खरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

(ख) एलएएफ के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे / जमा किया जाता है और परिपक्वता में उसको वापस किया जाता है।

5. व्युत्पन्न संविदाएं

मूल बैंक (प्रधान) ब्याज दर की अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों का काम करता है। मूल बैंक की ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ रुपये ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार हैं। मूल बैंक की मुद्रा व्युत्पन्नियाँ विकल्प और मुद्रा अदला-बदली हैं।

of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale/realisation, if any, is reduced from investment and the net book value is shown.

The valuation, classification and other norms applicable to Investment in Non-SLR securities prescribed by RBI is applied to Bank's (parent) investment in Security Receipts issued by SC/RC.

4.5. Non-Performing Investments (NPI) are identified as stated below, as per the guidelines issued by RBI:

(a) Securities/Preference Shares where interest / fixed dividend / instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

(b) Equity Shares valued at Re.1 per company, where the latest Balance Sheet is not available or the Net worth of the Company is negative.

(c) If any credit facility availed by the issuer from the Bank (parent) is a non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

4.6. Accounting for Repo/Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

(a) The securities purchased/sold with an agreement to repurchase on the agreed terms under Repo / Reverse Repo (other than LAF) are accounted as borrowing/lending.

(b) The securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment account and reversed on maturity.

5. Derivative contracts

The Bank (parent) deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank (parent) are Options and Currency Swaps.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर

- क. व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यवृद्धि / मूल्यहास की पहचान की गई है जबकि मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की गई है।
- ख. प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां इस प्रकार हैं :
- बाज़ार के लिए अंकित की जाती है, जहाँ आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाज़ार के लिए अंकित की गई हैं।
 - प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए आय / व्यय का उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।

6. अग्रिम:

- अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।
- अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।
- अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।
- विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं।
- तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन को प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / कालातीत ऋणों के मूल धन के प्रति किया जाता है। वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है।
- प्रतिभूतिकरण / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय-निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

7. स्थिर परिसंपत्तियाँ:

- बैंक (प्रधान) के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। भूमि और भवनों का पूँजीकरण हस्तांतरण

Based on RBI guidelines

- Derivatives used for trading are marked to market and net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- Derivatives used for hedging are
 - marked to market in case where the underlying Assets / Liabilities are marked to market.
 - Income / Expenditure is accounted on accrual basis for Hedging swaps.

6. Advances

- Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.
- Provisions for Domestic Advances are made for Performing/Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.
- Provisions for Performing/ Non-Performing Advances with foreign branches are made as per local regulations/ regulations of host country according to the norms prescribed RBI whichever is more stringent.
- Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- Partial recoveries in Non Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements/ "Loan Past Due" advances, the recoveries are first adjusted towards principal.
- In case of financial assets sold to SC/ RC, the valuation, income recognition is being done as per RBI guidelines.

7. Fixed Assets

- The premises of the Bank (parent) include freehold and leasehold properties. Land and Buildings are capitalised based on conveyance / letters of

पत्र / आबंटन पत्र / पट्टा करारनामा, दीर्घावधि पट्टेवाली संपत्तियों और / या संपत्ति के भौतिक धारण के आधार पर होता है।

7.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया जाएगा।

8. मूल्यहास:

8.1 मूल बैंक:

- कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर प्राक्कलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया गया है।
- पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को पाट्टा अवधि के ऊपर प्रभारित किया जाता है।
- पट्टे पर दी गई आस्तियों पर मूल्यहास मूल्य पद्धति के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार, पूंजी वसूली को समायोजित करने के बाद मूल्यहास प्रभारित किया गया है। स्थिर / पट्टेदारी परिसंपत्तियों के संवर्धन पर मूल्यहास को अधिग्रहण तारीख का ध्यान किये बिना पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। विक्रय / निपटान के वर्ष में किसी प्रकार के मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया।

8.2 अनुषंगियां:

- दो अनुषंगियाँ जैसे केनरा एचएसबीसी ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड तथा केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, जहाँ आस्तियों के आर्थिक उपयोग्य जीवन को ध्यान में रखकर सीधी लाइन पद्धति के आधार पर मूल्यहास प्रदान किया गया है, को छोड़कर घरेलू अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर किया गया।
- सॉफ्टवेयर खरीदी / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के मूल्यहास सीधी लाइन आधार पर सॉफ्टवेयर के उपयोग्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के

allotment / agreement to lease, deposit made on long term leasehold properties and / or physical possession of the property.

7.2. Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account.

8. Depreciation

8.1 Parent:

- Fixed Assets of the Parent excluding computer are depreciated under Written Down Value method as per the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of Reserve Bank of India, depreciation is charged on computers at 33.33% on straight-line method.
- Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.
- Depreciation on Assets given on Lease is charged on Written Down Value method as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956 after adjusting Capital recovery. Depreciation on addition to fixed/leased assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided in the year of sale/disposal.

8.2 Subsidiaries:

- Fixed assets of the domestic subsidiaries are depreciated as per Written Down Value (WDV) method and rates prescribed under the Companies Act, 1956 except in case of two subsidiaries viz. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd and Canbank Computer Services Ltd, where depreciation is provided as per Straight line Method (SLM) considering economic useful life of the assets.
- Intangible assets comprising of software purchase/developed and licensing cost are depreciated on straight-line basis over the useful

प्रथम उपयोग से अधिकतम ३ वर्षों के लिए मूल्यहासित किया गया है।

- iii) पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी निकायों स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है।

9. आस्तियों की हानि:

9.1 प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

10. राजस्व मान्यता:

निम्नलिखितों को छोड़कर आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।

- क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दिया गया है।
- ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया गया है।
- ग) लाभांश की गणना तब किया जाएगा जब उसको प्राप्त करने की अधिकार स्थापित किया जाता है।
- घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

11 जीवन बीमा कंपनी:

क) प्रीमियम:

वसूली की उचित निश्चितता है तो, पॉलिसीधारकों से देय रहने पर प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दिया गया है। इकाई संबद्ध कारोबार के लिए इकाइयों के आबंटन पर आय को मान्यता दिया गया है। व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में मान्यता दिया गया है। प्रीमियम को सेवा कर के निवल के रूप में मान्यता दिया गया है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है।

life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

- iii) In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 1956 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary/secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 Depreciation on Fixed assets of the foreign entities is charged as per the local laws.

9. Impairment of Assets

9.1 An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

10. Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- a) Interest on Non-Performing advances and non performing investments is recognized as per norms laid down by Reserve Bank of India
- b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.
- c) Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
- d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

11. Life Insurance Company:

a) Premium:

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of service tax. Top-up premium is considered as single premium.

ख) संबद्ध कारोबार से आय:

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर मान्यता दिया गया है।

ग) पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा प्रीमियम का भुगतान का लेखांकन पुनः बीमा कंपनी के साथ की गई व्यवस्था या संधि के अनुसार किया जाता है।

घ) प्रदत्त लाभ (दावे सहित):

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहाँ लागू हो, शामिल होता है। मृत्यु दावों तथा गड़डर दावों की लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद की जाती है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों की लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर की जाती है।

यूनिट लिंक पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रद्द होने पर किया जाता है। परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत इनका लेखांकन अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर की जाती है।

लॉक इन अवधि के अंतर्गत संबद्ध पॉलिसियों के मामले में, अर्थात्

- 1) पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 3 वर्ष (1 सितंबर 2010 के पहले जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), ऐसे पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को वित्तीय वर्ष में देयता के रूप में ले जाया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद भुगतान किया जाता है।
- 2) पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1 सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), वैसे पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि" में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।

दावों पर पुनर्बीमित वसूली की लेखांकन संबंधित दावों की अवधि में की जाती है।

ड) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होना होता है उसी अवधि में खर्च किया जाता है जिससे यह परिवर्तित होता रहता है। प्रथम वर्ष में भुगतान

b) Income from Linked Business:

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.

c) Reinsurance Premium:

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in principle arrangement with the re-insurer.

d) Benefits paid(including claims):

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted.

In case of surrender of linked policy within the lock in period i.e.,

- 1) 3 years from the date of issue of policy (in case of policies issued before 1st September 2010), the surrender value of such policies is carried in financials as a liability and is paid to the policyholder on the expiry of the lock in period;
- 2) 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund called "UL Discontinued Policy Fund" and is paid to the policyholder on the expiry of the lock in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

Re- insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

e) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in

की गई कमीशन की वसूली किसी चापलूसी के कारण की गई हो, यदि कोई हो तो, भविष्य में उसकी लेखांकन उस वर्ष में की जाती है जिसमें उसकी वसूली देय होती है।

च) जीवित पॉलिसियों की देयताएं:

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के अस्तित्व, देयताएं तथा शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा इरडा द्वारा जारी अन्य संबंधित विनियम, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी मानक बीमांकक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर से मान्य बीमांकक सिद्धांतों के अनुसार होता है।

12 कर्मचारी हित:

I. परिभाषित अंशदान योजनाएं: परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

II. परिभाषित हितलाभ योजनाएं

क) उपदान: कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

ख) पेंशन: कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

ग) ऋण परिशोधन: बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प देने से होनेवाली देयता / व्यय को तथा उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के पश्चात उपदान में होनेवाली संवर्धन को समान आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होनेवाली वर्ष से पाँच वर्षों के लिए परिशोधित किया गया है।

which they are incurred. Recovery on account of claw back of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

f) Liability for life policies:

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant Regulations issued by IRDA, the Actuarial Practice Standards issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

12 Employee Benefits

I. Defined Contribution Plans: Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

II. Defined Benefit Plans

a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Banks (parent) obligations under Gratuity is recognized on the basis as at an year end and the fair value of the Plan

b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at an year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligations on a net basis.

c) Amortization: The additional liability/expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees of the bank (parent) and enhancement in gratuity limit pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 is being amortized equally over a period of five years beginning with the financial year 2010-11.

III. विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

13 कराधान के लिए प्रावधान:

- क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।
- ख) समय – अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन – पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गई है।
- ग) विभेदक कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जाएगी जिसके प्रति ऐसी विभेदक कर आस्तियों को मान्यता दी जाएगी।

14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

- I. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दिया गया, जब :-
 - क) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो
 - ख) उस दायित्व को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह हो
 - ग) जब दायित्व राशि के उचित परिकलन किया जा सकते हो।
- II. निम्नलिखितों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया:
 - क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक (मूल) के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
 - ख) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा

III. The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

13 Provision for Taxation

- a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.
- b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date
- c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be recognized.

14 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- I. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants Of India, the bank (parent) recognized provision only when :
 - a) it has a present obligation as a result of past event.
 - b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
 - c) When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- II. No provision is recognized for:
 - a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank (parent).
 - b) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or

ग) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

III. आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दिया गया है।

15. प्रति शेयर अर्जन:

बैंक (प्रधान), लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

c) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

III. Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

15 Earning per share:

The Bank (parent) reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

अनुसूची – 19 / SCHEDULE – 19

यथा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

1. समेकित वित्तीय विवरण केनरा बैंक (प्रधान) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम है। अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण केनरा बैंक के वित्तीय परिणाम, अर्थात् 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की उसी रिपोर्टिंग अवधि तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	निगमिति देश	यथा 31.03.2014 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2013 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	100.00%	100.00%
2	केनबैंक फिनान्सियल सर्विसेस लि.	भारत	100.00%	100.00%
3	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.	भारत	100.00%	100.00%
4	केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	70.00%	70.00%
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.	भारत	69.14%	69.14%
6	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	भारत	51.00%	51.00%
7	केनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	51.00%	51.00%

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries/Associates/Joint venture are drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended March 31, 2014.

1.1 Subsidiaries:

The following subsidiaries have been consolidated based on their Audited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2014	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2013
1.	Canbank Venture Capital Fund Ltd	India	100.00%	100.00%
2.	Canbank Financial Services Ltd	India	100.00%	100.00%
3.	Canara Bank Securities Ltd	India	100.00%	100.00%
4.	Canbank Factors Ltd	India	70.00%	70.00%
5.	Canbank Computer Services Ltd	India	69.14%	69.14%
6.	Canara Robeco Asset Management Company Ltd	India	51.00%	51.00%
7.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd	India	51.00%	51.00%

1.2. सहयोगी संस्थाएं :

समेकन के उद्देश्य से निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर उनमें किये गये निवेश पर विचार किया गया ।

क्रमांक	सहयोग संस्थाओं के नाम	निगमिति देश	यथा 31.03.2014 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2013 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि	भारत	42.35%	42.35%
2	प्रगती कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
3	केरल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates:

- The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Audited Financial Statements.

Sl. No.	Name of the Associates	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2014	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2013
1.	Canfin Homes Ltd.	India	42.35%	42.35%
2.	Pragathi Krishna Gramin Bank	India	35.00%	35.00%
3.	Kerala Gramin Bank	India	35.00%	35.00%

II. कॉमनवेल्थ न्यास (भारत) लिमिटेड, एक सहयोगी संस्थान, जहाँ पर मूल बैंक का 30% धारण है, इसका वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2012 तक उपलब्ध होने के कारण समेकन कार्य के लिए इस पर विचार नहीं किया गया है । सहयोगी संस्थान का पहले से निम्न स्तर का परिचालन होने के कारण तथा यथा 31.03.2012 को उपलब्ध अंतिम अपर्याप्त वित्तीय विवरण पर विचार करते हुए , समेकित वित्तीय विवरण में, इसके निवेशों को शामिल नहीं करने से, कोई प्रभाव नहीं होगा।

II. Commonwealth Trust (India) Ltd., an Associate, in which Parent has 30% holding, could not be considered for consolidation as its financial statements are available only upto 31st March 2012. The Associate is having lower level of operations since earlier year/s and considering the unsubstantial financials as per the last available financial statements as at 31.03.2012, there is no material impact of non-inclusion of its investments in the Consolidated Financial Statements.

1.3 संयुक्त उद्यम:

- रूस में निगमित कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, का समेकन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया गया है । संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा ।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) - 27 "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेयर निम्नवत् हैं:-

1.3 Joint Venture:

- In respect of Commercial Bank of India LLC., the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on audited accounts for the year ended 31st March, 2014. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.
- As required by Accounting Standard (AS) - 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent's share in the said Joint Venture is as under:-

क. तुलन पत्र:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	87.87	43.42
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	13.75	32.49
जमा	8.59	3.77
उधार	133.13	120.68
अन्य देयताएं व प्रावधान	0.78	0.51
कुल	244.12	200.87
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	0.18	0.54
बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन	47.95	35.85
निवेश	180.43	132.16
अग्रिम	14.72	31.70
अचल आस्तियाँ	0.19	0.23
अन्य आस्तियाँ	0.65	0.39
कुल	244.12	200.87
आकस्मिक देयताएं	शून्य	शून्य

ख. लाभ और हानि खाता:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
आय		
अर्जित ब्याज	16.58	12.91
अन्य आय	0.86	3.49
कुल	17.44	16.40
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.22	2.15
परिचालन व्यय	4.59	3.27
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.78	2.04
कुल	7.59	7.46
लाभ	9.85	8.94

A. Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Capital & Liabilities		
Capital	87.87	43.42
Reserve & Surplus	13.75	32.49
Deposits	8.59	3.77
Borrowings	133.13	120.68
Other Liabilities and Provisions	0.78	0.51
TOTAL	244.12	200.87
Assets		
Cash & Balance with RBI	0.18	0.54
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	47.95	35.85
Investments	180.43	132.16
Advances	14.72	31.70
Fixed Assets	0.19	0.23
Other Assets	0.65	0.39
TOTAL	244.12	200.87
Contingent Liabilities	Nil	Nil

B. Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Income		
Interest Earned	16.58	12.91
Other Income	0.86	3.49
TOTAL	17.44	16.40
Expenditure		
Interest Expended	2.22	2.15
Operating Expenses	4.59	3.27
Provision and Contingencies	0.78	2.04
TOTAL	7.59	7.46
PROFIT	9.85	8.94

1.4 वर्ष के दौरान प्रधान द्वारा निम्नलिखित अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में अतिरिक्त पूँजी लगायी गयी:-

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी / संयुक्त उद्यम का नाम	राशि
कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी	36.65

2. अनुषंगियाँ व संयुक्त उद्यम प्रचलित सिद्धांत व प्रवृत्ति के अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं जो संबंधित उद्योग कारोबारी आवश्यकताओं के कारण मूल बैंक से कुछ मामलों में अलग हैं। प्रबंधन की राय है चूँकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरण में समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

3. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूँजी आरक्षित निधियाँ / (साख) का अलग विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2014	31.03.2013
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	0.25	0.25
निवल पूँजी आरक्षित निधियाँ	2.79	2.79

4. अंतरशाखा लेनदेन और लेखा शेषों का पुष्टिकरण:

31.03.2013 तक अंतर शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से मूल बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। तथापि, मूल बैंक ने शेष बकाया प्रविष्टियों के समाधान करने और उन्हें कम करने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा है।

कुछ अनुषंगियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि की शेष राशियों का पुष्टिकरण किया जाना है।

5. स्थिर आस्तियाँ:

- परिसर में प्रधान बैंक के ₹211.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹223.27 करोड़) मूल लागत युक्त कुछ संपत्तियाँ भी शामिल हैं जिसके संबंध में हस्तांतरण प्रलेख निष्पादन के लिए लंबित है।
- कुछ संपत्तियाँ (पूर्ण स्वामित्व वाले तथा पट्टाधारित भूमि व भवन) जो 31 मार्च 2013 के पहले पूँजीकृत किया गया है, का पुनर्मूल्यांकन वर्ष के दौरान अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर ₹3569.48 करोड़ के निवल अधिशेष को वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

1.4. During the year, the Parent has infused additional capital in the following Subsidiaries/Joint Venture.

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiaries / Joint Venture	Amount
Commercial Bank of India LLC.,	36.65

2. The Subsidiaries, Associates and Joint Venture are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry/business requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.

3. The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2014	31.03.2013
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Ltd.	0.25	0.25
Net Capital Reserve	2.79	2.79

4. Inter Branch transactions and confirmation of balances:

The initial matching of entries received at the Head Office of Parent for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions upto 31.03.2014 has been done. However, Parent is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

In some of the Subsidiaries, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. Fixed Assets:

- Premises include certain properties having original cost of ₹211.35 Crore (Previous year ₹223.27 Crore) in respect of which conveyance deeds is pending execution.
- Certain properties (free hold and lease hold land and buildings) capitalized before 31st March 2013 have been revalued on the bases of valuation done by the approved valuers during the year. A sum of ₹3569.48 Crore being the net surplus on the revaluation has been credited to the Revaluation Reserve during the year.

iii) वर्तमान पुनर्मूल्यांकन के कारण पूँजी पर्याप्तता अनुपात के परिकलन कार्य के लिए टायर II पूँजी को ₹1572.77 करोड़ (45%) बढ़ाया गया है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुरूप है।

6. कैनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेस लिमिटेड (केनफिना):

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनफिना पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल कीमत खर्च हो गई है वह किसी भी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए और गैर बैंकिंग गैर वित्तीय संस्थान में परिवर्तित करने के लिए समय को 31.01.2015 तक बढ़ा दिया है। तथापि, गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय संस्थान में परिवर्तन हेतु 31.01.2015 तक अनुमत विस्तारण को ध्यान में रखकर केनफिना के वित्त का समेकन क्रियाशील इकाई के रूप में किया गया है।

7. कर्मचारी लाभ:

परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80 / 21.04.018 / 2010-11 दिनांक 09.02.2011 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिदेशों के मुताबिक बैंक द्वारा उन मौजूदा कर्मचारियों, जिन्होंने पहले पेंशन विकल्प नहीं चुना था, उनके लिए 2010-11 के दौरान पेंशन विकल्प दुबारा खोलने के कारण ₹1853.57 करोड़ की अपरिशोधित देयता (31 मार्च 2011 से आरंभ होकर 5 वर्षों से परिशोधित) के लिए 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹370.72 करोड़ लाभ हानि लेखा में नामे किया है। ₹370.72 करोड़ की शेष राशि का निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार किया जाएगा।

उपदान सीमा में बढोत्तरी के कारण वर्ष 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹679.52 करोड़ की अपरिशोधित देयता (31 मार्च 2011 से आरंभ होकर 5 वर्षों से परिशोधित) के लिए ₹135.91 करोड़ की राशि लाभ व हानि खाते में नामे की है। ₹135.91 करोड़ की शेष राशि का निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार किया जाएगा।

8 संबंधित पार्टी का प्रकटन:

8.1 संबंधित पार्टियों के नाम और मूल संस्था – कनारा बैंक के साथ उनका संबंध

iii) Tier-II capital for the purpose of computing Capital Adequacy Ratio has been increased by ₹ 1572.77 Crore (45%) due to the current revaluation. This is in tune with the Reserve Bank of India guidelines.

6. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Further, as per the extension permitted by Reserve Bank of India, CANFINA has either to dispose off all its financial assets and to convert into Non Banking Non Financial Company or to wind up prior to 31.01.2015.. However, considering the extension permitted upto 31.01.2015 for conversion as Non Banking Non Financial Company, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

7. Employee Benefits:

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide their Circular No.DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the Bank has debited Profit & Loss Account a sum of ₹370.72 Crore during the year ended 31.03.2014 on proportionate basis towards unamortized liability of ₹1853.57 Crore (being amortized over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of reopening of pension option during 2010-11 for existing employees who had not opted for pension earlier. The balance amount of ₹370.72 Crore will be dealt as per guidelines of RBI.

The Bank has debited Profit & Loss Account a sum of ₹135.91 Crore during the year ended 31.03.2014 on proportionate basis towards unamortized liability of ₹679.52 Crore (being amortized over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of enhancement of gratuity limit. The balance amount of ₹135.91 Crore will be dealt as per guidelines of RBI.

8. Related Party Disclosures:

8.1 Names of Related parties and their relationship with the Parent – Canara Bank

8.1.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

- श्री राजीव किशोर दुबे, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (11.01.2013 से)
- श्री अशोक कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक
- श्री वी एस कृष्ण कुमार, कार्यपालक निदेशक (04.04.2013 से)
- श्री प्रद्युमन सिंह रावत, कार्यपालक निदेशक (05.08.2013 से)
- श्रीमती अर्चना एस भार्गव, कार्यपालक निदेशक (22.04.2013 तक)

8.1.2 प्रधान

- केनरा बैंक

8.1.3 अनुषंगियाँ–

- केनबैंक वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड
- केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज लिमिटेड
- केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
- केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
- केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
- केनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

8.1.4 संयुक्त उद्यम

- कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, मास्को

8.1.5 सहयोगी संस्थाएं

- केनफिन होम्स लिमिटेड
- कॉमनवेलथ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति ग्रामीण बैंक)
 - केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मलबार ग्रामीण बैंक)

8.1.6 मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संव्यवहारों का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक : ₹0.72 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹0.47 करोड़)
 - श्री प्रद्युमन सिंह रावत (कार्यपालक निदेशक) को कर्मचारी आवास ऋण ₹0.07 करोड़ (पिछले वर्ष– शून्य)
- लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन

8.1.1 Key Management Personnel –

- Shri R K Dubey, Chairman & Managing Director (from 11.01.2013)
- Shri. Ashok Kumar Gupta, Executive Director
- Shri. V S Krishnakumar, Executive Director (from 04.04.2013)
- Shri. Pradyuman Singh Rawat, Executive Director (from 05.08.2013)
- Smt. Archana S Bhargava, Executive Director (till 22.04.2013)

8.1.2 Parent

- Canara Bank

8.1.3 Subsidiaries

- Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- Canbank Financial Services Ltd.
- Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corporation Ltd)
- Canbank Factors Ltd.
- Canbank Computer Services Ltd.
- Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
- Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.

8.1.4 Joint Venture

- Commercial Bank of India LLC., Moscow

8.1.5 Associates

- Canfin Homes Ltd.
- Commonwealth Trust (India) Ltd.
- Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - Pragati Krishna Gramin Bank (erstwhile Pragati Gramin Bank)
 - Kerala Gramin Bank (erstwhile South Malabar Gramin Bank)

8.1.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

- Remuneration to Key Management Personnel: ₹0.72 Crore (Previous Year: ₹0.47 Crore)
- Staff Housing Loan to Shri P S Rawat (Executive Director) Rs.0.07Crore (Previous Year – NIL)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship

कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8.1.7 अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों के साथ लेन देन निम्नवत हैं: (₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगियाँ	सहयोगी संस्थाएँ व संयुक्त उद्यम
उधार –		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	49.40 (70.90)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	49.40 (73.20)
जमाएं –		
यथा वर्षांत को बकाया	125.91 (164.94)	1443.18 (968.81)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	212.85 (175.21)	1453.18 (1059.57)
जमाओं का नियोजन –		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	130.32 (118.07)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	130.32 (118.07)
अग्रिम –		
यथा वर्षांत को बकाया	454.53 (423.46)	2679.16 (1595.99)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	454.53 (698.77)	3135.40 (2044.66)
निवेश –		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (609.80)	शून्य (99.75)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (609.80)	शून्य (99.75)
चालू खाता में शेष –		
यथा वर्षांत को बकाया	11.82 (10.14)	512.87 (150.32)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	11.82 (10.14)	512.87 (168.38)
अन्य प्राप्त्य –		
यथा वर्षांत को बकाया	2.72 (0.05)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	2.72 (0.05)	शून्य (शून्य)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र – जारी किए गए –		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (1950.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (1950.00)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र – प्रतिभागिता किए गए –		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (1950.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (1950.00)

including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

8.1.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under: (₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Venture
Borrowings -		
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	49.40 (70.90)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	49.40 (73.20)
Deposits-		
Outstanding as at the year end	125.91 (164.94)	1443.18 (968.81)
Maximum outstanding during the year	212.85 (175.21)	1453.18 (1059.57)
Placement of Deposits –		
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	130.32 (118.07)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	130.32 (118.07)
Advances-		
Outstanding as at the year end	454.53 (423.46)	2679.16 (1595.99)
Maximum outstanding during the year	454.53 (698.77)	3135.40 (2044.66)
Investments-		
Outstanding as at the year end	NIL (609.80)	NIL (99.75)
Maximum outstanding during the year	NIL (609.80)	NIL (99.75)
Balance in current account		
Outstanding as at the year end	11.82 (10.14)	512.87 (150.32)
Maximum outstanding during the year	11.82 (10.14)	512.87 (168.38)
Other receivables-		
Outstanding as at the year end	2.72 (0.05)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	2.72 (0.05)	NIL (NIL)
Inter Bank Participation Certificate – Issued		
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (1950.00)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (1950.00)
Inter Bank Participation Certificate – Participated		
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (1950.00)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (1950.00)

कमीशन प्राप्य – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (3.18)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (3.18)	शून्य (शून्य)
अन्य देय – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (0.04)	0.02 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (0.55)	0.02 (शून्य)
दत्त ब्याज	13.11 (12.49)	95.48 (159.77)
प्राप्त ब्याज	26.48 (44.24)	283.59 (191.03)
प्राप्त लाभांश	6.00 (8.24)	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की चुकोती	शून्य (20.00)	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की स्वीकृती	10.00 (30.00)	शून्य (शून्य)
प्रदत्त प्रीमियम	98.74 (50.68)	शून्य (शून्य)
सेवा उपलब्ध कराना	25.18 (37.74)	0.67 (2.38)
सेवाओं के लिए प्रदत्त	49.97 (21.58)	0.02 (शून्य)
निधियन लागत तथा ब्याज सहित पी एस यू निपटान देयताओं के भुगतान	72.05 (शून्य)	शून्य (शून्य)

प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को दिए गए वेतन इसमें नहीं दर्शाया गया है।

कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

(प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत और लेखा परीक्षकों द्वारा अवलंबित के अनुसार)

9. प्रति शेयर अर्जन :

9.1 प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन

विवरण	2013-2014	2012-2013
मूल और तनुकृत ई पी एस (₹)	58.77	67.04

Commission Receivable- Outstanding as at the year end	NIL (3.18)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (3.18)	NIL (NIL)
Other payable Outstanding as at the year end	NIL (0.04)	0.02 (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (0.55)	0.02 (NIL)
Interest paid	13.11 (12.49)	95.48 (159.77)
Interest received	26.48 (44.24)	283.59 (191.03)
Dividend received	6.00 (8.24)	NIL (NIL)
Repayment of Fixed Deposits/ Certificate of deposits	NIL (20.00)	NIL (NIL)
Acceptance of Fixed Deposits/ Certificate of deposits	10.00 (30.00)	NIL (NIL)
Premium Paid	98.74 (50.68)	NIL (NIL)
Rendering of Service	25.18 (37.74)	0.67 (2.38)
Receiving for Services	49.97 (21.58)	0.02 (NIL)
Repayment of PSU Settlement dues including funding cost and Interest	72.05 (NIL)	NIL (NIL)

Salary to deputed staff is not shown as the same is reimbursed

Figures in brackets relate to previous year.

(As compiled and certified by the Management and relied upon by the Auditors.)

9. Earnings Per Share:

9.1 Basic and Diluted Earnings Per Share:

Particulars	2013-2014	2012-2013
Basic and Diluted EPS (₹)	58.77	67.04

9.2 प्रति शेयर अर्जन का परिकलन:

	विवरण	2013-2014	2012-2013
क	ईक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹)	2630.17 करोड़	2969.71 करोड़
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	44.75 करोड़	44.30 करोड़
ग	यथा 31 मार्च, 2014 को बकाया शेयरों की संख्या	46.13 करोड़	44.30 करोड़
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क/ख) (₹)	58.77	67.04
ड	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10/-	10/-

9.2 Computation of EPS:

	Particulars	2013-2014	2012-2013
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹)	2630.17 Crore	2969.71 Crore
B	Weighted Average Number of Equity Shares	44.75 Crore	44.30 Crore
C	No. of Shares outstanding as on 31st March 2014	46.13 Crore	44.30 Crore
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	58.77	67.04
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

10. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं:

यथा 31.03.2014 को निवल आस्थगित कर देयता ₹1738.27 करोड़ थी (यथा 31.03.2013 को ₹310.36 करोड़)। आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
उपचित ब्याज परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	शून्य	शून्य	854.69	656.53
छुट्टी नकदीकरण / उपदान	283.62	277.53	शून्य	शून्य
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	60.06	54.32	शून्य	0.74
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधियों पर डी टी एल	शून्य	शून्य	1189.65	शून्य
अन्य	शून्य	17.12	37.61	2.06
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	343.68	348.97	2081.95	659.33

10. Deferred Tax Assets and Liabilities:

Net Deferred Tax Liability computed as on 31.03.2014 amounted to ₹1738.27 Crore (₹310.36 Crore as on 31.03.2013).
The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:-

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
Interest accrued but not due on securities	NIL	NIL	854.69	656.53
Leave Encashment / Gratuity	283.62	277.53	NIL	NIL
Depreciation on Fixed Assets	60.06	54.32	NIL	0.74
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961	NIL	NIL	1189.65	NIL
Others	NIL	17.12	37.61	2.06
Deferred Tax Asset / Liability	343.68	348.97	2081.95	659.33

11. वर्ष के दौरान बनाई गई प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
निवेश व एन पी आई में मूल्यहास के लिए प्रावधान	692.42	(371.31)
एन पी ए के प्रति प्रावधान	2152.72	1871.12
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	478.64	255.61
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर)	652.49	819.56
उचित मूल्य के हास के लिए प्रावधान	(6.32)	361.46
परिसंपत्ति की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	8.00	21.00
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	7.00	NIL
अन्य आकस्मिकताओं तथा प्रावधान	417.58	90.16
कुल	4402.53	3047.60

11. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Provision for Depreciation on Investment and NPI	692.42	(371.31)
Provision towards NPA	2152.72	1871.12
Provision towards Standard Asset	478.64	255.61
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	652.49	819.56
Provision for Diminution in Fair Value	(6.32)	361.46
Provision for assets doubtful of recovery	8.00	21.00
Provision for Country Risk Exposure	7.00	NIL
Other Provision and Contingencies –Net	417.58	90.16
TOTAL	4402.53	3047.60

12. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग
भाग क-कारोबार खण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2014	31.03.2013
I	खण्ड राजस्व		
क	राजकोषीय परिचालन	11079.17	10294.45
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	10788.38	9463.97
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	20806.56	17223.41
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित	1039.73	395.69
	कुल	43713.84	37377.52
II	खण्ड परिणाम		
क	राजकोषीय परिचालन	1463.00	1115.81
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	1722.43	1864.14
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	2946.74	2705.43
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित	0.00	0.00
	कुल	6132.17	5685.38
III	गैर आबंटित आय / (व्यय)	859.88	314.04
IV	परिचालन लाभ	6992.05	5999.42
V	प्रावधान और आकस्मिकताएं	3750.04	2228.03
VI	आय कर	652.49	819.56
VII	असाधारण मद	0.00	0.00
VIII	वर्ष के लिए निवल लाभ	2589.52	2951.83
IX	जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा	82.74	42.94
X	घटाएं: अल्पसंख्यक हित (निवल हानि)	42.09	25.06
XI	समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ	2630.17	2969.71
	अन्य सूचना		
XII	खण्ड आस्तियाँ		
क	राजकोषीय परिचालन	167100.83	150904.28
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	99619.98	78711.04
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	209370.03	171294.18
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित आस्तियाँ	19500.50	16381.53
	कुल	495591.34	417291.03
XIII	खण्ड देयताएं		
क	राजकोषीय परिचालन	51466.11	28855.45
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	183552.33	156299.98
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	199789.78	180253.80
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित देयताएं	36105.11	28738.61
च	पूँजी और आरक्षित निधियाँ*	24678.01	23143.19
	कुल	495591.34	417291.03

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)

12. Consolidated Segment Reporting
Part A-Business Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	Year ended	
		31.03.2014	31.03.2013
I	Segment Revenue		
a	Treasury Operations	11079.17	10294.45
b	Retail Banking Operations	10788.38	9463.97
c	Wholesale Banking Operations	20806.56	17223.41
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	1039.73	395.69
	Total	43713.84	37377.52
II	Segment Results		
a	Treasury Operations	1463.00	1115.81
b	Retail Banking Operations	1722.43	1864.14
c	Wholesale Banking Operations	2946.74	2705.43
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	0.00	0.00
	Total	6132.17	5685.38
III	Unallocated Income/ (Expenses)	859.88	314.04
IV	Operating Profit	6992.05	5999.42
V	Provisions and Contingencies	3750.04	2228.03
VI	Income Tax	652.49	819.56
VII	Extraordinary Items	0.00	0.00
VIII	Net Profit for the Year	2589.52	2951.83
IX	Add:-Share of Earnings in Associates	82.74	42.94
X	Less:-Minority Interest (Net Loss)	42.09	25.06
XI	Consolidated Profit for the Year attributable to the Group	2630.17	2969.71
	Other Information		
XII	Segment Assets		
a	Treasury Operations	167100.83	150904.28
b	Retail Banking Operations	99619.98	78711.04
c	Wholesale Banking Operations	209370.03	171294.18
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Assets	19500.50	16381.53
	Total	495591.34	417291.03
XIII	Segment Liabilities		
a	Treasury Operations	51466.11	28855.45
b	Retail Banking Operations	183552.33	156299.98
c	Wholesale Banking Operations	199789.78	180253.80
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Liabilities	36105.11	28738.61
f	Capital and Reserves*	24678.01	23143.19
	Total	495591.34	417291.03

(* Excluding Revaluation Reserve)

भाग ख-भौगोलिक खण्ड			
	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2014	31.03.2013
क	घरेलू परिचालन		
	राजस्व	42648.64	36775.65
	आस्तियां	458011.95	393092.93
ख	अंतर्राष्ट्रीय परिचालन		
	राजस्व	1065.20	601.87
	आस्तियां	37579.39	24198.10
ग	कुल		
	राजस्व	43713.84	37377.52
	आस्तियां	495591.34	417291.03

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)

13. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां ₹29715.00 करोड़ है जिनमें से ₹29158.85 करोड़ मूल संस्था के हैं और अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के ₹556.15 करोड़ हैं। (पिछले वर्ष ₹24773.43 करोड़ जिसमें से ₹24434.79 करोड़ मूल संस्था का तथा शेष ₹298.64 करोड़ अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संस्थाओं के थे)

14. मूल संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरण में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरण का सच्ची एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना का, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया गया है।

15. लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि:

प्रबंधन के विचारानुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 28 के अनुसार यथा 31.03.2014 को वास्तविक आधार पर मान्यता की आवश्यकतायुक्त स्थिर आस्तियों की कोई हानि नहीं हुई है।

Part B – Geographical Segment:			
	Particulars	Year ended	
		31.03.2014	31.03.2013
a	Domestic Operations		
	Revenue	42648.64	36775.65
	Assets	458011.95	393092.93
b	International Operations		
	Revenue	1065.20	601.87
	Assets	37579.39	24198.10
c	Total		
	Revenue	43713.84	37377.52
	Assets	495591.34	417291.03

(*Excluding Revaluation Reserve)

13. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹29715.00 Crore of which ₹29158.85 Crore relate to the Parent and the balance ₹556.15 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹24733.43 Crore of which ₹24434.79 Crore relate to the Parent and the balance ₹298.64 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

14. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

15. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

In the opinion of the Management, there is no indication of impairment of any of its Fixed Asset as at 31.03.2014 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

16. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

16. Previous Year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एम चंद्र शेखर
सहायक महा प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डॉ. रजत भार्गव
निदेशक

जी वी सांबाशिव राव
निदेशक

जी वी मणिमारेन
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

साईराम बी. मोचरला
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
फोर्ड, रोड्स पार्क्स एण्ड कं
सनदी लेखाकार

गोपी किशन जांगिड
साझेदार

राकेश जैन
साझेदार

पियाली बसु
साझेदार

संजय वासुदेव
साझेदार

निखिल सिंघल
साझेदार

ए डी शेनॉय
साझेदार

दिल्ली
26 मई, 2014

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

M CHANDRA SEKHAR
ASSISTANT GENERAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

V S KRISHNA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK KUMAR GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

R K DUBEY
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dr. RAJAT BHARGAVA
DIRECTOR

G V SAMBASIVA RAO
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA
DIRECTOR

SUTANU SINHA
DIRECTOR

SAIRAM B. MOCHERLA
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
FORD RHODES PARKS & Co.
Chartered Accountants

GOPI KISHAN JANGID
Partner

RAKESH JAIN
Partner

PIYALI BASU
Partner

SANJAY VASUDEVA
Partner

NIKHIL SINGHAL
Partner

A D SHENOY
Partner

DELHI
MAY 26, 2014

यया 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

	31.03.2014	31.03.2013
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के बाद निवल लाभ / Net profit after Tax	2630.17	2969.71
के लिए समायोजन / Adjustments for:		
कर के लिए प्रावधान / Provision for Tax	652.49	819.56
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान / Provision for Depreciation on Investments	692.42	(576.32)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Advances	2152.72	1871.12
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	478.64	255.61
आकस्मिकताएं व अन्यो के लिए प्रावधान / Provisions for Contingencies and Others	428.10	472.63
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	229.89	191.44
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	160.75	15.06
टायर I व टायर II बांडों पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	820.34	730.56
निवेशों की बिक्री पर लाभ / हानि / Profit / loss on sale of Investments	(672.11)	(681.88)
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / Profit / loss on sale of Fixed Assets	(2.33)	(4.92)
उप कुल / Sub total	7571.08	6062.57
के लिए समायोजन / Adjustments for:		
जमाओं में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Deposits	64919.04	28790.59
उधारों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Borrowings	9379.19	4484.25
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(7370.78)	(20073.42)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(58890.26)	(9707.02)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other assets	136.13	(1844.84)
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other liabilities and provisions	(352.45)	1351.23
अल्पसंख्यक हित में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest	81.40	70.68
कशथान के पूर्व परिचालनात्मक गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating Activity before taxation	15473.35	9134.04
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Advance Tax paid	1229.02	1123.69
परिचालन गतिविधियों से सर्जित नकद (क) / Cash generated from Operating Activities (A)	14244.33	8010.35
निवेशक गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
अनुषंगियों / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेश में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investments in Subsidiaries / Associates / JVs	(29.68)	(91.67)
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Fixed Assets	(540.53)	(214.46)
अन्य आरक्षित निधियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other Reserve	74.22	(149.73)
निवेशक गतिविधियों से सर्जित नकद (ख) / Cash generated from Investing activities (B)	(495.99)	(455.86)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities		
शेयर पूँजी / Share Capital	18.26	--
शेयर प्रीमियम / Share Premium	481.74	--
अधीनस्थ बांडों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Subordinated Bonds	(2424.55)	256.41
टायर I व टायर II बांडों पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	(820.34)	(730.56)
तत्पश्चात प्रदत्त कर सहित प्रदत्त लाभांश / Dividends Paid including Tax Paid thereon	(1026.59)	(568.64)
वित्तीय गतिविधियों से सर्जित नकद (ग) / Cash generated from Financing activities (C)	(3771.48)	(1042.79)
विनिमय उतार चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह / Cash Flow on account of Exchange Fluctuation		
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव की आरक्षित निधि / Reserves of Foreign Currency Fluctuation	115.51	20.77
विनिमय उतार चढ़ाव से सर्जित नकद (घ) / Cash generated on account of Exchange Fluctuation (D)	115.51	20.77

नकद और नकद समतुल्य (क+ख+ग+घ) में निवल वृद्धि / (कमी) / Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	10092.37	6532.47
अथ नकद व नकद समतुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	34779.21	28246.74
इति नकद व नकद समतुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	44871.58	34779.21

नोट / Notes:

- नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है तथा आवश्यकतानुसार आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। / The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method and figures has been re-grouped wherever necessary.
- नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन / Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2014	31.03.2013
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद व शेष / Cash & Balance with RBI	22161.03	15414.99
बैंकों में शेष व माँग और अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	22710.55	19364.22
कुल / Total	44871.58	34779.21

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एम चंद्र शेखर
सहायक महा प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डॉ. रजत भार्गव
निदेशक

मीना हेमचंद्रा
निदेशक

जी वी सांबाशिव राव
निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

साईराम बी. मोचरला
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
फोर्ड, रोड्स पार्क्स एण्ड कं
सनदी लेखाकार

गोपी किशन जांगिड
साझेदार

राकेश जैन
साझेदार

पियाली बसु
साझेदार

संजय वासुदेव
साझेदार

निखिल सिंघल
साझेदार

ए डी शेनोय
साझेदार

दिल्ली

26 मई, 2014

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

M CHANDRA SEKHAR
ASSISTANT GENERAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

V S KRISHNA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK KUMAR GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

R K DUBEY
CHAIRMAN AND MANAGING
DIRECTOR

Dr. RAJAT BHARGAVA
DIRECTOR

MEENA HEMCHANDRA
DIRECTOR

G V SAMBASIVA RAO
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND
KOCHEETA
DIRECTOR

SUTANU SINHA
DIRECTOR

SAIRAM B. MOCHERLA
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
FORD RHODES PARKS & Co.
Chartered Accountants

GOPI KISHAN JANGID
Partner

RAKESH JAIN
Partner

PIYALI BASU
Partner

SANJAY VASUDEVA
Partner

NIKHIL SINGHAL
Partner

A D SHENOY
Partner

DELHI
MAY 26, 2014

प्रिय शेयरधारक

हमारे बैंक के सम्मान्य शेयरधारक के रूप में आपसे बात करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। आप जैसे लोगों के ही संबल और सहायता के सहारे हमारा (आपका) बैंक मजबूती के साथ दिनोंदिन स्थिर रूप से संवर्धित होता जा रहा है।

आप कृपया इस बात से अवगत हों कि क्रय-विक्रय करने या बंधक रखने के लिए शेयरों का डी-मैट रूप में होना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, डी-मैट रूप में शेयरों का क्रय-विक्रय करने के लिए निक्षेपागार प्रतिभागी के पास डी-मैट खाता होना भी ज़रूरी होता है। निक्षेपागार प्रतिभागी के रूप में हम आपको निक्षेपागार सेवायें भी सप्रसन्न उपलब्ध कराएंगे।

डी-मैट रूप में शेयरों को रखने से कई फायदाएं हैं। उनमें से कुछ फायदाएं हैं :-

- शेयर डी-मैट रूप में उपलब्ध होगा (अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में)
- शेयर प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।
- भौतिक प्रमाणपत्रों से संबंधित जोखिमों जैसे दोषयुक्त शेयर की डिलीवरी, पारगमन में अवरोध / नष्ट होने / खराब होने की संभावना आदि से छुटकारा।
- प्रतिभूतियों के तत्काल अंतरण अर्थात् शेयरों / प्रतिभूतियों का त्वरित अंतरण / वितरण
- प्रतिभूतियों के शुल्क रहित अंतरण
- शेयर अंतरण में कोई कागज़ी काम नहीं
- कम लेन-देन लागत
- नामांकन सुविधा उपलब्ध है
- विभिन्न कंपनियों के रिकॉर्ड तारीख याद रखने की आवश्यकता नहीं
- ई सी एस प्रक्रिया के माध्यम से स्वचालित रूप से लाभांश आपके खाते में जमा हो जाएगा।

आगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग के कुछ फायदाएं निम्न वर्णित हैं :-

- निशुल्क ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता
- इंटरनेट / निशुल्क दूरभाष के माध्यम से आपके इच्छानुसार शेयरों का क्रय-विक्रय
- आई पी ओ के ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन
- म्यूचुअल फंड के ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन
- कम दलाली

हमारे रिकार्डों में यह देखा गया है कि आपके पास बैंक के शेयर अब भी भौतिक रूप में हैं। अतः डी-मैट खाता खोलने के लिए हमारी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु हम पुनः इस अवसर का सदुपयोग करेंगे।

निक्षेपागार सेवायें उपलब्ध कराने के लिए नामोद्दिष्ट शाखाओं की सूची आपकी जानकारी के लिए इसके साथ संलग्न की गई है। आपका मूल्यवान डी-मैट खाता खोलने के लिए आप इनमें से किसी भी शाखा में पदार्पण कर सकते हैं।

उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके निवेश पर प्रतिफल प्राप्त करना। घोषित लाभांश के समय पर जमा होने को सुनिश्चित करने के लिए विद्युतानी समाशोधन सेवा का उपयोग करने का अनुरोध करते हैं जिससे आपकी लाभांश राशि के सीधे आपके बैंक खाते में जमा होने में मदद मिलती है। यदि आपने कथित सेवाओं का विकल्प नहीं दिया है तो आप विद्युतानी समाशोधन सेवा अध्यादेश दे सकते हैं जिसे डी-मैट खाता खोलने के साथ-साथ निक्षेपागार प्रतिभागी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

हमेशा उत्तम सेवाओं का आश्वासन देते हुए धन्यवाद...

आपका,

राजीव किशोर दुबे

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Dear Shareholder,

It gives us immense pleasure to reach you as our esteemed Shareholder of our Bank. It is with the support and help of people like you, (y)our bank has been growing steadily day by day with strong basics.

You are kindly aware that holding of shares only in DEMAT form is a must for trading or pledging the same. Further, it is necessary to have a DEMAT Account with any of the Depository Participant (DP) for trading the shares in the DEMAT form. We, as one of the Depository Participants, are glad to extend the Depository Services also.

There are many advantages of holding shares in DEMAT mode Account. Some of the advantages are :

- Shares are held in DEMAT form (ie., electronically)
- No need to safe keep of share certificates
- Elimination of risks associated with physical certificates such as bad delivery, possibility of interception in transit / loss / mutilation, etc.,
- Immediate transfer of securities ie., instant transfers / deliveries of shares / securities
- No stamp duty on transfer of securities
- No paper work on share transfer
- Reduced transaction cost
- Nomination facility is available
- No need to remember the records dates of various companies
- Dividend will be automatically credited to your Bank account through ECS process

Further, the following are some of the advantages of Online Trading :

- Free Online Trading Account
- Buy and Sell shares at your will through Internet / Toll free telephone
- Online subscription to Initial Public Offer (IPO)
- Online subscription to Mutual Funds (MF)
- Low brokerage

It is observed from our records that you are still holding the bank's shares in physical form. Hence, we once again take this opportunity to extend to you our services for opening the Demat Account / Online Trading Account.

A list of Designated Branches for Depository Services is attached for your information. You may approach any of these branches for the purpose of opening of your valuable Demat Account / Online Trading Account.

Equally important aspect is that receiving the returns on your investment. For ensuring the timely credit of the dividends declared, it is a novel idea to have the Electronic Clearing Service (ECS) which indeed helps you to get the dividend amount credited to your bank account directly without any hassles. In case you have not opted for the said service, you may avail the services of ECS Mandate, which is extended simultaneously by the Depository Participant while opening the Demat Account.

Thanking you and assuring you of our best services always...

Yours sincerely,

R K Dubey

Chairman & Managing Director

निक्षेपागार सेवा केंद्रों की सूची- 2013-14 / LIST OF DP SERVICE CENTRES – 2013-14

क्र	अंचल कार्यालय का नाम	निक्षेपागार सेवा केन्द्र
1	आगरा	1. आगरा – एम जी रोड
2	अहमदाबाद	1. आश्रम रोड, अहमदाबाद
3	बेंगलूर	1. बेंगलूर केन्द्रीय डी पी – स्टॉक एक्सचेंज टावर, जे सी रोड क्रॉस, बेंगलूर 2. विजयनगर – बेंगलूर
4	भोपाल	1. अरेरा कॉलोनी – भोपाल
5	कोषिकोड	1. वेस्ट हिल – कालीकट 2. बिग बज़ार – पालक्काड
6	चंडीगढ़	1. 17-सी – चंडीगढ़ 2. बीएमसी चौक – जालंधर
7	चेन्नई	1. हबीबुल्ला रोड – चेन्नई 2. तेनामपेट – चेन्नई 3. अण्णानगर पूर्व – चेन्नई
8	कोयंबतूर	1. आर एस पुरम – कोयंबतूर 2. अलगापुरम – कोयंबतूर 3. पार्क रोड – ईरोड
9	दिल्ली	1. कनॉट सर्कस – दिल्ली 2. हाऊज़ खास – दिल्ली 3. आर के पुरम – दिल्ली
10	गुवाहाटी	1. दिसपुर – गुवाहाटी
11	गोवा	1. मडगाँव – गोवा
12	हुबली	1. ट्रैफिक आईलैंड – हुबली
13	हैदराबाद	1. नारायणगुडा – हैदराबाद
14	जयपुर	1. अरविंद मार्ग – जयपुर
15	करनाल	1. गल्लेरिया मार्किट – गुडगाँव
16	कोलकाता	1. एल सी रोड – कोलकाता
17	मदुरै	1. ग्रैंड सेंट्रल – मदुरै
18	मंगलूर	1. हम्पनकट्टा – मंगलूर 2. मारुति वीथिका – उडुप्पी
19	मुंबई	1. एन एस ई शाखा – मुंबई 2. घाटकोपर (प) – मुंबई 3. एस एस बी अंधेरी – मुंबई 4. विले पार्ले – मुंबई
20	मैसूर	1. नज़रबाद – मैसूर 2. मुख्य शाखा – हासन
21	नागपुर	1. इटवारी – नागपुर
22	मेरठ	1. नोएडा मुख्य
23	पटना	1. बुद्ध मार्ग – पटना
24	पुणे	1. कैप – पुणे
25	राँची	1. डोरंडा – राँची
26	शिमोगा	1. नेल्ली सौधा – शिमोगा
27	तिरुवनंतपुरम	1. ब्रॉडवे – एरणाकुलम 2. कंटोन्मेंट – तिरुवनंतपुरम 3. कोट्टायम
28	तिरुच्ची	1. तिल्लै नगर – तिरुच्ची
29	विशाखपट्टणम	1. दाबा गार्डन – विशाखपट्टणम

Sl. No.	Name Of The Circle	DP Service Centre
1	Agra	1. Agra - M G Road
2	Ahmedabad	1. Ashram Road, Ahmedabad
3	Bangalore	1. Bangalore Central DP - Stock Exchange Tower, JC Road Cross, Bangalore 2. Vijayanagar - Bangalore
4	Bhopal	1. Arera Colony- Bhopal
5	Calicut	1. West Hill - Calicut 2. Big Bazaar - Palakkad
6	Chandigarh	1. 17-C - Chandigarh 2. BMC Chowk - Jalandhar
7	Chennai	1. Habibulla Road - Chennai 2. Tenyampet-Chennai 3. Annanagar East - Chennai
8	Coimbatore	1. R.S.Puram - Coimbatore 2. Alagapuram - Salem 3. Park Road - Erode
9	Delhi	1. Connaught Circus - Delhi 2. Hauz Khas - Delhi 3. RK Puram - Delhi
10	Guwahati	1. Dispur - Guwahati
11	Goa	1. Margoa - Goa
12	Hubli	1. Traffic Island - Hubli
13	Hyderabad	1. Narayanguda - Hyderabad
14	Jaipur	1. Arvind Marg - Jaipur
15	Karnal	1. Galleria Market - Gurgaon
16	Kolkata	1. L C Road - Kolkata
17	Madurai	1. Grand Central - Madurai
18	Mangalore	1. Hampanakatta - Mangalore 2. Maruthi Vetika - Udupi
19	Mumbai	1. NSE Branch - Mumbai 2. Ghatkopar (West)- Mumbai 3. SSB Andheri - Mumbai 4. Vile Parle - Mumbai
20	Mysore	1. Nazarabad - Mysore 2. Main - Hassan
21	Nagpur	1. Itwari - Nagpur
22	Merut	1. Noida Main
23	Patna	1. Budh Marg - Patna
24	Pune	1. Camp - Pune
25	Ranchi	1. Daronda Ranchi
26	Shimoga	1. Nelli Soudha - Shimoga
27	Trivandrum	1. Broadway - Ernakulam 2. Cantonment - Trivandrum 3. Kottayam
28	Trichy	1. Thillai Nagar - Trichy
29	Vishakapatnam	1. Daba Gardens - Vishakapatnam



(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

उपस्थिति पर्ची
12वीं वार्षिक आम बैठक - 21-07-2014
(कृपया हाजिरी पर्चा भरकर उसे बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर दे दें)

दिनांक:		समय:	
स्थान: बेंगलूर			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजी पत्रा		डी.पी.आई.डी. व ग्राहक आई.डी.	
(अभौतिकृत हो तो)		(भौतिकृत हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			



इधर से काटें



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

प्रवेश पास
(पूरी बैठक के दौरान पास रखना है)

शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)		डीपीआईडी सं	
		ग्राहक आईडी सं	
उपस्थित प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुरूप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांचों के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का विधिमान्य साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियुक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। किसी भी हालत में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



इधर से काटें



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

(मतदान पत्र जारी कराने के लिए मतदान कार्ड पर प्रस्तुत करें)

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत के हस्ताक्षर			
पंजी पत्रा		डी.पी.आई.डी. व ग्राहक आई.डी.	
(अभौतिकृत हो तो)		(भौतिकृत हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			



(A Government of India undertaking)

Head Office: 112 J C Road, Bangalore- 560 002

ATTENDANCE SLIP
12th ANNUAL GENERAL MEETING - 21.07.2014
(to be surrendered at the time of entry)

Date:		Time :	
Place: Bangalore			
Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorised Representative present			
Regd. Folio		DP ID & Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

-----✂----- cut here -----✂-----



Head Office, Bangalore- 560 002

ENTRY PASS
(to be retained throughout the meeting)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio		DPID No.	
(if not dematerialised)		Client ID No.	
		(if dematerialised)	
Name of the Proxy/ Authorised Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**

-----✂----- cut here -----✂-----



Head Office, Bangalore- 560 002

(to be surrendered to the Polling counters for issue of poll sheets)

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Authorised Representa- tive present			
Regd. Folio		DP ID & Client ID	
(If not dematerialized)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			



(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 21-07-2014

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम निवासी जिला राज्य केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को सभागृह - 1, निमहंस कन्वेंशन सेंटर, होसूर मेन रोड, होम्बेगौडा नगर, बेंगलूर- 560 029 में दिनांक 21 जुलाई, 2014 को अपराह्न 3.30 बजे होनेवाली केनरा बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

आज वर्ष 2014 माह के दिन को हस्ताक्षरित

रजिस्टर्ड फोलियो सं. /


ग्राहक आई डी :

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता:

.....

.....



प्रथम नामित / एकल धारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,
 - एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - एक नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रतिनिधि फॉर्म,
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, के चार दिन के पूर्व अर्थात् बुधवार 16 जुलाई, 2014 के समापन समय के पहले केनरा बैंक के सचिवीय प्रभाग, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूर में जमा किया जाए।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामे का पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण का दिनांक उल्लिखित करना होगा।
- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फॉर्म 'बी' में न हो और उसको विधिवत् स्टाम्पित न किया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई है तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करनेवाले शेयरधारक को उस असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।



(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD BANGALORE - 560 002

Twelfth Annual General Meeting – 21.07.2014

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident ofin the district of..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the district ofin the State ofor failing him/her, Shri/Smt resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Twelfth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Monday, the 21.07.2014 at 3.30 P.M. at Auditorium – 1, NIMHANS CONVENTION CENTRE, Hosur Main Road, Hombegowda Nagar, Bangalore – 560 029, and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2014

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Signature of Proxy

Name & Address:.....

.....

.....

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, 4th Floor, Head Office 112, J C Road Bangalore – 560 002** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Wednesday, the 16th July, 2014.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

Please affix
15 Paise
Revenue Stamp

Signature of the first named / sole shareholder



अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री आर के दुबे नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम को माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीना की उपस्थिति में ₹390 करोड़ का लाभांश चेक सौंपते हुए। कार्यपालक निदेशकगण श्री ए के गुप्ता, श्री वी एस कृष्ण कुमार और श्री पी एस रावत और निदेशक डॉ राजत भार्गव भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

Dividend cheque of ₹390 crore being handed over to Hon'ble Union Finance Minister Sri P. Chidambaram by Sri R. K. Dubey, C & MD in the presence of Sri Namo Narain Meena, Hon'ble Minister of State for Finance at New Delhi. Executive Directors Sri A K Gupta, Sri V S Krishna Kumar and Sri P S Rawat and Director Dr. Rajat Bhargava were also present.



वर्ष 2013-14 के लिए बैंक के वित्तीय परिणाम घोषित करते हुए हमारे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री आर के दुबे। साथ में उनके बाएँ बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए के गुप्ता और उनके दाएँ श्री वी एस कृष्ण कुमार और श्री पी एस रावत

Our Chairman and Managing Director, Sri R. K. Dubey announcing the Financial Results for the year 2013-14. Seen to his left is Sri A K Gupta and to his right are Sri V S Krishna Kumar and Sri P S Rawat, our executive directors.

बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग दान करते हुए बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री राजीव किशोर दुबे।




Sri. R.K. Dubey, Chairman and Managing Director, donating artificial limbs to physically challenged persons as part of the Bank's CSR initiative.

श्री शिखर धवन, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को बैंक के एंबासेडर के रूप में घोषित करते समय उनको बधाइयाँ देते हुए बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री राजीव किशोर दुबे।



Sri. R.K. Dubey, Chairman and Managing Director felicitating Sri. Shikhar Dhawan, ace Indian cricketer, while announcing him as the brand ambassador of the Bank.

बैंक के प्रौद्योगिकी पहल के रूप में केनरा ई-इन्फोबुक का शुभारंभ



Launch of Canara e-InfoBook as a technology initiative of the Bank.

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर

Canara Bank Head Office, Bangalore



केनरा बैंक  **Canara Bank**
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
Together We Can

प्रधान कार्यालय: संख्या 112, जे सी रोड, बेंगलूर - 560 002 Head Office: No. 112, J C Road, Bangalore - 560 002





टोल फ्री सं. / Toll Free No. 1800 425 0018

जल वृक्ष की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा / Save Trees. Save Water. Save Environment.

www.canarabank.com

Form A

Format of covering letter of the annual audit report to be filed with the Stock Exchanges

1	Name of the Company	Canara Bank
2	Annual Financial Statements for the year ended	31 st March 2014
3	Type of Audit observation	Unqualified Report
4	Frequency of observation	NIL
5	To be signed by –	
	• CEO / Managing Director	 (R K Dubey)
	• CFO	 (N SELVARAJAN)
	• Auditor of the Company	 M/s.A R Das & Associates Kolkata (Representing all the six Statutory Central Auditors)
	• Audit Committee Chairman	 (Sutanu Sinha)